प्रस्ताव 51

यह पहल संबंधी विधेयक California संविधान के अनुच्छेद II की अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुपालन में लोगों को पेश किया जाता है।

यह पहल संबंधी विधेयक शिक्षा संहिता में अनुभाग जोड़ता है; इसलिए, जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधान, यह दर्शाने के लिए कि वे नए हैं, *तिरछे अक्षरों* में छापे गए हैं।

51

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. निष्कर्ष और घोषणाएँ।

California राज्य के लोग निम्नलिखित समस्त बिंदु पाते व घोषित करते हैं:

(a) California के संविधान के अनुसार, सार्वजनिक शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी होती है और, अन्य चीजों के बीच, वह जिम्मेदारी अपेक्षा करती कि पब्लिक स्कूल सुरक्षित, सलामत और शांतिपूर्ण हो।

(b) सार्वजनिक शिक्षा को वित्त प्रदान करने को लेकर California राज्य का एक मौलिक हित है और वह हित यह सुनिश्चित करता है कि K–14 सुविधायों को सुरक्षित, सलामत और शांतिपूर्ण स्थितियों में निर्मित किया जाए और बना कर रखा जाए।

(c) 1998 से California राज्य ने 1998 के Leroy F. Greene स्कूल सुविधायें अधिनियम के जरिए, जो शिक्षा संहिता के शीर्षक 1 के खंड 1 के भाग 10 के अध्याय 12.5 के अनुच्छेद 1 (अनुभाग 17070.10 से आरंभ होता है) में निहित है, के माध्यम से सुरक्षित, सलामत और शांत सुविधाएं प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाया है।

(d) राज्य आबंटन बोर्ड के पास व्यय रिपोर्ट और स्कूल डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड्स के ऑडिट का अधिकार होता है, ताकि बॉन्ड निधियों के विस्तार को कार्यक्रम आवश्यकताओं के अनुरूप सुनिश्चित किया जा सके, जिनमें शामिल हैं उन परियोजनाओं की समयबद्ध तरीके से प्रगति का सत्यापन करना और यह देखना कि निधियों को वेतनों या परिचालन व्यय पर न खर्च किया जाए।

(e) California राज्य के लोग आगे निम्न निष्कर्ष पाते हैं और घोषणा करते हैं:

(1) California पिछली आर्थिक मंदी के दौरान सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में एक था और भले ही रोजगार मिल रहे हैं, अर्थशास्त्री सावधान करते है कि राज्य की अर्थव्यवस्था अभी पूरी तरह से सुधरी नहीं है।

(2) किंडरगार्टन से सामुदायिक कॉलेज सार्वजनिक शिक्षा सुविधाएं बॉन्ड अधिनियम 2016 के जरिए किए गए निवेश करियर तकनीकी शिक्षा सुविधाओं के लिए प्रदान किए जाएंगे, जिससे कई उन California वासियों तथा सेवानिवृत्त सैनिकों को नौकरी का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिन्हें अपनी शिक्षा तथा कार्यबल में वापस प्रवेश करने में चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं।

(3) ये निवेश स्थानीय स्कूल डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से किए जाएंगे, जो मौजूदा स्वस्थ्य तथा सुरक्षा मानकों को पूरा कर सके, जिनमें शामिल है भूकंप से सुरक्षा के लिए नए साजोबाज लगाना, लेड पेंट, ऐस्बेस्टस और ऐसे ही अन्य विनाशकारी पदार्थों को हटाना।

(4) अध्ययनों से पता चलता है कि राज्य की बुनियादी सुविधाओं में प्रत्येक $1 बिलियन के निवेश से 13,000 रोजगार निर्मित होते हैं। इन रोजगारों में पूरे राज्य में भवन और निर्माण व्यापार की नौकरियां शामिल होती हैं।

(5) किंडरगार्टन से सामुदायिक कॉलेज सार्वजनिक शिक्षा सुविधाएं बॉन्ड अधिनियम 2016 वंचित स्कूल डिस्ट्रिक्टों और स्थानीय नियंत्रण के लिए धन देता है।

(6) अकादमिक उद्देश्यों को 21वीं सदी की उन स्कूली सुविधाओं के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है, जो उन्नत स्कूल टेक्नोलॉजी और शिक्षण सुविधाएं प्रदान करती है।

(f) इसलिए, लोगों ने किंडरगार्टन से सामुदायिक कॉलेज सार्वजनिक शिक्षा सुविधाएं बॉन्ड अधिनियम 2016 का विधान बनाया, ताकि सभी California वासियों की स्कूल सुविधा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक व्यापक व राजकोषीय दायित्व वाला तरीका प्रदान किया जा सके।

अनुभाग 2. शिक्षा संहिता में अनुभाग 17070.41 जोड़ा गई है, जो इस प्रकार है:

17070.41. 2016 स्टेट स्कूल फैसिलिटीज फंड का सृजन।

(a) एतद्वारा राज्य कोषागार में एक निधि की स्थापना की गई, जिसे 2016 स्टेट स्कूल फैसिलिटीज फंड का नाम दिया गया। इस निधि के सारे धन का, जिसमें किसी भी स्रोत से जमा धन शामिल होता है, और सरकारी संहिता के अनुभाग 13340 के होते हुए भी, इस अध्याय के अनुरूप व्यय के लिए राजस्व वर्षों के संदर्भ के बिना निरंतर रूप से निर्दिष्ट उपयोग किया जाता है।

(b) यह बोर्ड इस अध्याय के उद्देश्य से स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स को निधियां बांट सकता है, क्योंकि इसने 1 जनवरी, 2015 को किसी भी स्रोत से 2016 स्टेट स्कूल फैसिलिटीज को फंड हस्तांतरित करने का प्रावधान किया।

(c) यह बोर्ड उन राशियों में आबंटन कर सकता है, जो 2016 स्टेट स्कूल फैसिलिटीज फंड में जमा राशि से अधिक न हो, तथा किसी उस बॉन्ड राशि से अधिक न हो जिसे समिति द्वारा अधिकृत की गई हो, लेकिन उसे अभी कोषाध्यक्ष द्वारा बेचा न गया हो।

(d) यह बोर्ड 2016 स्टेट स्कूल फैसिलिटीज फंड में किन्हीं विभाजन के अनुरूप संवितरण कर सकता है, चाहे संवितरण के समय 2016 स्टेट स्कूल फैसिलिटीज फंड में कोई ऐसी राशि मौजूद हो जो पूर्व में किए सभी आबंटनों के पूर्ण भुगतान के लिए पर्याप्त हो। हालांकि, कोई संवितरण उन निधियों से नहीं किया जाएगा, जिन्हें कानूनी रूप से सामान्य निधि को स्थानांतरण किया जाना हो।

अनुभाग 3. भाग 70 (अनुभाग 101110 के साथ शुरू करते हुए) को शिक्षा संहिता के शीर्षक 3 के खंड 14 में जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

भाग 70. किंडरगार्टन से सामुदायिक कॉलेज सार्वजनिक शिक्षा सुविधाएं बॉन्ड अधिनियम 2016

अध्याय 1. सामान्य

101110. इस भाग को किंडरगार्टन से सामुदायिक कॉलेज सार्वजनिक शिक्षा सुविधाएं बॉन्ड अधिनियम 2016 के तौर पर जाना जाएगा, एवं उल्लेखित किया जा सकता है।

101112. कुल राशि नौ बिलियन डॉलर्स ($9,000,000,000) का बॉण्ड, जिसमें अनुभाग 101140 तथा 101149 के अनुरूप जारी किया गया कोई रिफंडिंग बॉण्ड शामिल नहीं होगा, या जितना आवश्यक हो, अनुभाग 101130 तथा 101144 में तय उद्देश्यों के लिए जारी किया जा सकता है और बेचा जा सकता है। बेचे जाने पर, ये बॉण्ड, California राज्य का एक वैध और बाध्यकारी दायित्व होंगे और निर्मित करेंगे, तथा बॉण्ड्स के मूलधन और ब्याज के देय हो जाने पर, उनके मूलधन और ब्याज के समय पर भुगतान के लिए California राज्य का पूरा विश्वास और उसकी साख एतद्वारा बंधक रखी जाती है।

अध्याय 2. किंडरगार्टन से लेकर 12वें ग्रेड

अनुच्छेद 1. किंडरगार्टन से लेकर 12वें ग्रेड तक स्कूल सुविधाएं प्रोग्राम का प्रावधान

101120. इस अध्याय के अनुरूप जारी किए और बेचे गए बॉण्ड आदि से प्राप्त धनराशि को अनुभाग 17070.41 के तहत राज्य कोषागार में स्थापित 2016 स्टेट स्कूल फैसिलिटीज में जमा कर दिया जाएगा और उसे इस अध्याय के अनुसार राज्य आबंटन बोर्ड को आबंटित कर दिया जाएगा।

101121. इस अध्याय के उद्देश्यों से 2016 स्टेट स्कूल फैसिलिटीज फंड में जमा सभी धन Leroy F. Greene स्कूल फैसिलिटीज ऐक्ट ऑफ 1998 (शीर्षक 1 के खंड 1 के भाग 10 के अध्याय 12.5 (जो अनुभाग 17070.10

से आरंभ होता है) के अनुसार स्कूल डिस्ट्रिक्टों, स्कूलों के काउंटी सुप्रिंटेंडेंट्स और राज्य के काउंटी शिक्षा बोर्ड को मदद प्रदान करने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि इसने 1 जनवरी, 2015 को अनुभाग 101122 के अनुसार, विधानमंडल के किसी अधिनियम, जिस अधिनियम में प्रदत्त ब्याज के साथ, 2016 स्टेट स्कूल फैसिलिटीज को मिले किसी अग्रिम धन या मिले ऋण को चुकाने के लिए निधियां प्रदान करने का प्रावधान करता है, और सरकारी संहिता के अनुभाग 16724.5 के अनुसार जनरल ऑब्लिगेशन बॉण्ड एक्सपेंस रिवॉल्विंग फंड को संवितरण का प्रावधान करता है।

101122. (a) इस अध्याय के अनुरूप जारी किए और बेचे गए बॉण्ड आदि से प्राप्त धनराशि को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार आबंटित किया जाएगा:

(1) तीन बिलियन डॉलर ($3,000,000,000) की राशि, शीर्षक 1 के खंड 1 के भाग 10 के अध्याय 12.5 (अनुभाग 17070.10 से आरंभ होता है) के अनुसार आवेदक स्कूल डिस्ट्रिक्ट की स्कूल सुविधायों के नवीन निर्माण के लिए।

(2) पचास करोड़ राशि ($500,000,000), शीर्षक 1 के खंड 1 के भाग 10 के अध्याय 12.5 के अनुच्छेद 12 (अनुभाग 17078.52 से आरंभ होता है) के अनुसार चार्टर स्कूल को स्कूल सुविधाएं प्रदान करने के लिए।

(3) तीन बिलियन डॉलर ($3,000,000,000) की राशि, शीर्षक 1 के खंड 1 के भाग 10 के अध्याय 12.5 (अनुभाग 17070.10 से आरंभ होता है) के अनुसार स्कूल सुविधायों के आधुनिकीकरण के लिए।

(4) पांच बिलियन डॉलर की राशि ($500,000,000), शीर्षक 1 के खंड 1 के भाग 10 के अध्याय 12.5 के अनुच्छेद 13 (अनुभाग 17078.70 से आरंभ होता है) के अनुसार करियर तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने के लिए।

(b) स्कूल डिस्ट्रिक्ट उपखंड (a) के पैरा (3) के अनुरूप आबंटित निधियों का इस्तेमाल शीर्षक 1 के खंड 1 के भाग 10 के अध्याय 12.5 (अनुभाग 17070.10 से आरंभ होता है) के अनुसार केवल एक या अधिक शीर्षक के लिए कर सकते हैं:

(1) एयर-कंडिशनिंग उपकरण की खरीद और इंस्टॉलेशन तथा इंसुलेशन सामग्रियां व उनसे जुड़ी लागतें।

(2) निर्माण प्रोजेक्ट या स्कूल की सुरक्षा या खेल के मैदान की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आवश्यक फर्नीचर या उपकरण की खरीद।

(3) स्कूल सुविधाओं में विनाशकारी ऐस्बेस्टस की पहचान, मूल्यांकन या उसे समाप्त करना।

(4) उच्च-प्राथमिकता वाली छत प्रतिस्थापन परियोजनाओं के लिए परियोजना निधिकरण।

(5) शीर्षक 1 के खंड 1 के भाग 10 के अध्याय 12.5 (अनुभाग 17070.10 से आरंभ होता है) के अनुसार कोई भी अन्य आधुनिकीकरण।

(c) उपखंड (a) के पैरा (1) के अनुरूप आबंटित निधियों का इस्तेमाल शीर्षक 1 के खंड 1 के भाग 10 के अध्याय 12.5 (अनुभाग 17070.10 से आरंभ होता है) के तहत पात्र आवेदक काउंटी शिक्षा बोर्ड्स के लिए, गंभीर रूप से विकलांग छात्रों के लिए क्लासरूमों के लिए निधिकरण या काउंटी सामुदायिक स्कूल के छात्रों के क्लासरूमों के लिए नवीन निर्माण अनुदान प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

(d) सरकारी संहिता के शीर्ष 7 के खंड 1 के अध्याय 4.9 (अनुभाग 65995 से आरंभ होता है), वे प्रावधान जैसा कि जनवरी 1, 2015 को सामने आए, तबतक प्रभावी होंगे जबतक उपखंड (a) के पैरा (1) के अनुसार नए स्कूल सुविधा के निर्माण के लिए अधिकृत बॉण्ड की पूरी राशि का विस्तार न कर दिया गया हो या 31 दिसम्बर, 2020 के तक, जो पहले आए। इसके बाद, सरकारी संहिता के शीर्षक 7 के खंड 1 के अध्याय 4.9 (अनुभाग 65995 से शुरू होकर) को कानून के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 2. किंडरगार्टन से लेकर 12वें ग्रेड तक स्कूल सुविधाओं के राजकोषीय प्रावधान

101130. (a) अध्याय 1 (अनुभाग 101110 से आरंभ होता है) के अनुसार, जारी किए जाने या बेचे जाने के लिए अधिकृत बॉन्ड की कुल राशि में से सात बिलियन डॉलर ($7,000,000,000) की राशि का बॉण्ड, जिसमें अनुभाग 101140के अनुरूप जारी कोई रिफंडिंग बॉण्ड शामिल नहीं होगा, और जितना आवश्यक हो, जारी किया जा सकता है बेचा जा सकता है, ताकि इस अध्याय में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके और उसे सरकारी संहिता के अनुभाग 16724.5 के अनुसार जनरल ऑब्लिगेशन बॉण्ड एक्सपेंस रिवॉल्विंग फंड को संवितरित किया जा सके।

(b) इस अनुभाग के अनुसार, कोषाध्यक्ष किसी भी भिन्न समयों में आबंटनों द्वारा आवश्यक सेवा खर्चों के लिए बॉण्डों को अनुभाग 15909 के अनुसार स्थापित स्टेट स्कूल बिल्डिंग फाइनेंस समिति को बेच देगा।

101131. अनुभाग 15909 द्वारा स्थापित स्टेट स्कूल बिल्डिंग फाइनेंस समिति, जिसमें गवर्नर, नियंत्रक, कोषाध्यक्ष, वित्त निदेशक तथा सुप्रिंटेंडेंट या उनके निर्दिष्ट प्रतिनिधि भी शामिल रहते हैं, वे सभी वहां बिना किसी पारिश्रमिक के सेवा देंगे, और उनमें से अधिकतर मिलकर एक कोरम तैयार करेंगे, जो इस अध्याय के उद्देश्य के लिए आज भी मौजूद है। कोषाध्यक्ष समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। नियमों के सीनेट समिति द्वारा नियुक्त सीनेट के दो सदस्य, तथा विधानसभा स्पीकर द्वारा नियुक्त विधानसभा के दो सदस्य आपस में बैठक करेंगे और इस समिति को उस हद तक सलाह देंगे, जिस हद तक विधानमंडल के सदस्यों के रूप में उनके संबंधित पदों के साथ सलाहकार की भागीदारी उपयुक्त नहीं होगी। इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए, विधानमंडल के सदस्य इस अध्याय में दिए विषय पर एक अंतरिम जांच समिति का गठन करेंगे और उस समिति को सीनेट और विधानसभा के संयुक्त नियमों द्वारा शक्तियां दी जाएंगी, और कर्तव्य लगाए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर वित्त निदेशक इस समिति को सहायता प्रदान करेगा। राज्य का अटॉर्नी जनरल इस समिति का कानूनी सलाहकार होता है।

101132. (a) इस अध्याय के द्वारा अधिकृत बॉण्ड्स स्टेट जनरल ऑब्लिगेशन बॉण्ड लॉ (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के खंड 4 के भाग 3 के अध्याय 4 (अनुभाग 16720 से शुरू होकर)) में प्रदान किए गए अनुसार तैयार किए जाएंगे, निष्पादित किए जाएंगे, जारी किए जाएंगे, बेचे जाएंगे, भुगतान किए जाएंगे, और मुक्त कराए जाएंगे, और उसमें संशोधन करने वाले सारे अधिनियम और उनके परिशिष्ट, को एतद्वारा इस अध्याय में शामिल किया जाता है जैस कि उन्हें पूरी तरह से इस अध्याय में निर्धारित किया गया हो, सिवाय इसके कि सरकारी संहिता की अनुभाग 16727 के उपखंड (a) और (b) इस अध्याय द्वारा अधिकृत बॉण्ड्स पर लागू नहीं होंगे।

(b) स्टेट्स जनरल ऑब्लिगेशन बॉण्ड लॉ के उद्देश्यों के लिए, स्टेट अलोकेशन बोर्ड को 2016 स्टेट स्कूल फैसिलिटीज फंड के संचालन के "बोर्ड" के रूप में गठित किया जाता है।

101133. (a) राज्य आबंटन बोर्ड के निवेदन पर राज्य स्कूल बिल्डिंग वित्त समिति निर्धारित करेगी कि क्या संबंधित प्रभाजनों को वित्त देने के लिए इस अध्याय के अनुसार अधिकृत बॉण्ड्स जारी करना आवश्यक या वांछनीय है या नहीं और, अगर ऐसा है, तो जारी किए जाने वाले और बेचे जाने वाले बॉण्ड्स की राशि। बॉण्ड्स के उत्तरोत्तर इश्यु उन आबंटनों को धन देने के लिए क्रमिक रूप से अधिकृत किए जा सकते हैं, और यह आवश्यक नहीं है कि जारी किए जाने के लिए अधिकृत सभी बॉण्ड्स किसी एक ही समय पर बेचे जाएं।

(b) उपखंड (a) के अनुसार स्टेट अलोकेशन बोर्ड के किसी अनुरोध को अनुभाग 101121 तथा 101122 में वर्णित उद्देश्यों के लिए की गई और की जाने वाली नियुक्तियों के एक वक्तव्य का समर्थन प्राप्त होगा।

101134. राज्य के साधारण राजस्व के अलावा, हर वर्ष बॉण्ड्स के मूलधन और उस पर ब्याज की अदायगी करने के लिए आवश्यक राशि हर वर्ष और उसी ढंग में तथा उसी समय पर वसूली जाएगी जैसे राज्य के दूसरे राजस्व वसूले जाते हैं। राजस्व की वसूली के सम्बन्ध में कानून के द्वारा प्रभारित सभी अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे उस अतिरिक्त राशि को वसूल करने के लिए आवश्यक हर

51

कार्य संपादित करें।

101135. सरकारी संहिता की अनुभाग 13340 के होते हुए भी, एतद्वारा राज्य के कोष में सामान्य निधि से, इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित के योग के बराबर एक राशि विनियोजित की गयी है:

(a) इस अध्याय के अनुसार जारी किए गए और बेचे गए बॉण्ड्स पर मूलधन और ब्याज के देय होने पर, बॉण्ड्स के मूलधन और उस पर ब्याज का भुगतान करने के लिए वार्षिक रूप से आवश्यक राशि।

(b) अनुभाग 101138 के कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि, वित्तीय वर्षों का लिहाज किए बिना विनियोजित।

101136. इस अध्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, सरकारी संहिता के अनुभाग 16312 के अनुसार, स्टेट अलोकेशन बोर्ड एकत्रित धन निवेश बोर्ड के समक्ष एकत्रित धन निवेश खाता से या अंतरिम वित्तीयन के किसी मंजूर स्वरूप से एक ऋण देने का अनुरोध कर सकता है। अनुरोध की राशि उन अविक्रित बॉण्ड्स (रिफंडिंग बॉण्ड्स के अलावा) की राशि से अधिक नहीं होगी जिसे समिति ने इस अध्याय को कार्यांवित करने के उद्देश्य के लिए, प्रस्ताव के द्वारा, बेचे जाने के लिए अधिकृत किया है। राज्य आबंटन बोर्ड ऋण प्राप्त करने और उसकी अदायगी करने के लिए एकत्रित धन निवेश बोर्ड के द्वारा आवश्यक कोई भी दस्तावेज निष्पादित करेगा। उधार दी गयी कोई भी राशि इस अध्याय के अनुसार राज्य आबंटन बोर्ड द्वारा आबंटित किए जाने वाली निधि में जमा की जाएगी।

101137. हालांकि इस अध्याय या स्टेट जनरल ऑब्लिगेशन बॉण्ड लॉ के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, यदि कोषाध्यक्ष इस अध्याय के अनुरूप बॉण्ड को बेचता है, जिसमें इस आशय का एक बॉण्ड काउंसल शामिल होता है कि बॉण्डों को संघीय कर उद्देश्य से सकल आय से बाहर रखा जाएगा, जो निर्दिष्ट दशाओं के अधीन हो, तो कोषाध्यक्ष बॉण्ड विक्रय आदि से प्राप्त धनराशि के लिए तथा उन प्राप्त राशियों पर निवेश उपार्जन के लिए पृथक खाते संचालित कर सकता है। कोषाध्यक्ष विक्रय आदि से प्राप्त उन धनराशियों या उपार्जनों का इस्तेमाल किसी छूट, जुर्माने, या संघीय कानून के तहत आवश्यक अन्य भुगतान को चुकाने में कर सकता है या करने के लिए निर्देशित कर सकता है या निवेश के संदर्भ में अथवा उन बॉन्ड के विक्रय आदि से प्राप्त धनराशि के लिए तथा इस राज्य की निधियों की ओर से संघीय कानून के तहत अन्य लाभ हासिल करने के लिए आवश्यक या वांछित कोई अन्य कार्यवाही कर सकता है।

101138. इस अध्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से, वित्त निदेश, सामान्य निधि से उतनी राशि आहरण करने के लिए अधिकृत कर सकता है, जो उन न बिके बॉन्ड्स (रिफंडिंग बॉण्ड को छोड़कर) की राशि से अधिक न हो जिसे स्टेट स्कूल बिल्डिंग वित्त समिति द्वारा इस अध्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बेचे जाने के लिए अधिकृत किया हो। आहरित की गई कोई भी राशि इस अध्याय के अनुरूप 2016 स्टेट स्कूल फैसिलिटीज फंड में जमा की जाएगी। इस अनुभाग के तहत उपलब्ध कराई कोई भी धनराशी, और साथ ही उस ब्याज के बराबर की राशि जो, इस अध्याय को कार्यांवित करने के उद्देश्य के लिए बॉण्ड्स की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशियों से, इस धनराशि ने एकत्रित धन निवेश खाते में अर्जित किया होता, सामान्य निधि को वापस लौटा दी जाएंगी।

101139. 2016 राज्य स्कूल सुविधाएं फंड में जमा की गई सारी धनराशि, जो कि बेचे गए बॉण्ड्स के प्रीमियम और उपार्जित ब्याज से प्राप्त की जाती है, निधि में आरक्षित होंगी और वे बॉण्ड ब्याज के खर्चों के लिए क्रेडिट के रूप में सामान्य निधि में ट्रांसफर के लिए उपलब्ध होंगी, सिवाय इसके कि प्रीमियम से प्राप्त की जाने वाली राशियां सामान्य निधि में किसी भी ट्रांसफर से पूर्व बॉण्ड निर्गमन की लागत का भुगतान करने के लिए आरक्षित और उपयोग की जा सकती हैं।

101140. इस अध्याय के अनुसार जारी किए गए और बेचे गए बॉण्ड्स सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के खंड 4 के भाग 3 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 6 (अनुभाग 16780 से शुरू होकर) के अनुसार वापस किए जा सकते हैं, जो स्टेट जनरल ओब्लिगेशन बॉण्ड लॉ का हिस्सा है। इस अध्याय में वर्णित राज्य के मतदाताओं के द्वारा बॉण्ड्स के निर्गमन के लिए दी जाने वाली मंजूरी में इस अध्याय या पहले से जारी कोई भी वापसी बॉण्ड्स के तहत मूल रूप से जारी किए गए कोई भी बॉण्ड्स की धन-वापसी करने के लिए जारी किसी भी बॉण्ड्स के निर्गमन की मंजूरी शामिल है। इस अनुभाग द्वारा अधिकृत रूप में रिफंडिंग बॉण्डों के विक्रय आदि से प्राप्त धनराशियों के साथ रिफन्ड हुए बॉण्ड कानूनी रूप से डिफीज्ड किया जा सकता है, इस प्रस्ताव में वर्णित सीमा तक और उस तरीके से, जो समय-समय पर संशोधित किया जाता हो, ऐसे रिफंड हुए बॉण्डों को अधिकृत करता है।

101141. लोग एतद्वारा जानते हैं और घोषित करते हैं कि, इस अध्याय के द्वारा अधिकृत बॉण्ड्स की बिक्री से प्राप्त धनराशियां "टैक्सों से प्राप्त धनराशियां" नहीं हैं जैसे वह शब्द California के संविधान के अनुच्छेद XIII B में प्रयोग किया गया है, इन धनराशियों का वितरण उस अनुच्छेद के द्वारा लगायी गयी पाबंदियों के आधीन नहीं है।

अध्याय 3. California सामुदायिक कॉलेज सुविधा-केन्द्र

अनुच्छेद 1. सामान्य

101142. (a) इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए जारी किए गए तथा बेचे गए बॉण्डों आदि से प्राप्त धनराशियों को जमा करने के लिए एतद्वारा राज्य कोषागार में 2016 California कम्युनिटी कॉलेज कैपिटल आउटले बॉण्ड फंड की स्थापना की जाती है।

(b) अनुभाग 67353 के तहत स्थापित हायर एजुकेशन फैसिलिटीज वित्त समिति को एतद्वारा अधिकृत किया जाता है कि वह इस अध्याय के तहत California कम्युनिटी कॉलेजों को मदद करने के लिए निधियां प्रदान करने के उद्देश्य से एक कर्जे या कर्जों, देयता या देयताएं सृजित करेगा।

अनुच्छेद 2. California कम्युनिटी कॉलेज प्रोग्राम प्रावधान

101143. (a) अनुच्छेद 3 (जो अनुभाग 101144 से आरंभ होता है) के तहत जारी किए गए और बेचे गए बॉण्डों आदि से प्राप्त राशियों से, दो बिलियन डॉलर की राशि ($2,000,000,000) को इस अनुच्छेद के उद्देश्य से 2016 California कम्युनिटी कॉलेज कैपिटल बॉण्ड फंड में जमा की जाएगी। उचित प्रतीत होने पर, इन निधियों को इस अनुच्छेद के उद्देश्यों से जुड़े खर्चों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

(b) इस अनुच्छेद के उद्देश्यों में शामिल है California कम्युनिटी कॉलेजेस की पूंजी परिव्यय वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करना।

(c) इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए जारी किए गए तथा बेचे गए बॉण्डों आदि से प्राप्त धनराशियों का इस्तेमाल मौजूदा कैम्पसों के निर्माण के लिए निधि प्रदान करने में किया जा सकता है, जिसमें शामिल है भवनों का निर्माण और संबंधित साजोबाज की प्राप्ति, उन सुविधाओं का निर्माण जिनका प्रयोग सार्वजनिक उच्च शिक्षा के एक से अधिक खंडों (अंतर्खंडीय) द्वारा किया जा सकता है, सुविधाओं का नवीनीकरण और पुनर्निर्माण, स्थल अधिग्रहण, नए, नवीनीकृत या पुनर्निर्मित सुविधाएं, जिनके उपकरणों की 10 वर्षों की एक उपयोगी आयु होगी, और पूर्वनिर्माण लागतों के भुगतान के लिए और साथ ही प्रारंभिक योजनाओं और California कम्युनिटी कॉलेजेस की सुविधाओं के लिए वर्किंग ड्रॉइंग्स निधियां प्रदान करना।

अनुच्छेद 3. California कम्युनिटी कॉलेज राजकोषीय प्रावधान

101144. (a) अध्याय 1 (अनुभाग 101110 से आरंभ होता है) के अनुसार, जारी किए जाने या बेचे जाने के लिए अधिकृत बॉन्ड की कुल राशि में से कुल दो बिलियन डॉलर ($2,000,000,000) की राशि का बॉण्ड, जिसमें अनुभाग 101149के अनुरूप जारी कोई रिफंडिंग बॉण्ड शामिल नहीं होगा, और जितना आवश्यक हो, जारी किया जा सकता है बेचा जा सकता है, ताकि इस अध्याय में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके और उसे सरकारी संहिता के अनुभाग 16724.5 के अनुसार जनरल ऑब्लिगेशन बॉण्ड एक्सपेंस रिवॉल्विंग फंड को संवितरित किया जा सके।

(b) इस अनुभाग के अनुसार, कोषाध्यक्ष किसी भी भिन्न समयों में आबंटनों द्वारा आवश्यक सेवा खर्चों के लिए बॉण्डों को अनुभाग 67353 के अनुसार स्थापित उच्चतर शिक्षा सुविधाओं को बेच देगा।

101144.5. (a) इस अध्याय के द्वारा अधिकृत बॉण्ड्स स्टेट जनरल ओब्लिगेशन बॉण्ड लॉ (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के खंड 4 के भाग 3 के अध्याय 4 (अनुभाग 16720 से शुरू होकर)) में प्रदान किए गए अनुसार तैयार किए जाएंगे, निष्पादित किए जाएंगे, जारी किए जाएंगे, बेचे जाएंगे, भुगतान किए जाएंगे, और मुक्त कराए जाएंगे, और उसमें संशोधन करने वाले सारे अधिनियम और उनके परिशिष्ट, को एतद्वारा इस अध्याय में शामिल किया जाता है जैस कि उन्हें पूरी तरह से इस अध्याय में निर्धारित किया गया हो, सिवाय इसके कि सरकारी संहिता की अनुभाग 16727 के उपखंड (a) और (b) इस अध्याय द्वारा अधिकृत बॉण्ड्स पर लागू नहीं होंगे।

(b) स्टेट्स जनरल ऑब्लिगेशन बॉण्ड लॉ के उद्देश्य के लिए, 2016 कम्युनिटी कॉलेज कैपिटल आउटले बॉण्ड फंड के विनियोजन के लिए प्रत्येक राज्य एजेंसी को इस अध्याय के तहत निधिप्रदत्त परियोजनाओं के लिए "बोर्ड" के रूप में निर्धारित किया जाता है।

(c) इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए जारी किए गए तथा बेचे गए बॉण्डों आदि से प्राप्त धनराशियां California कम्युनिटी कॉलेजेस को मौजूदा या नए कैम्पसों, और उनके संबंधित ऑफ-कैम्पस केंद्रों के निर्माण के लिए और संयुक्त प्रयोग व इस अध्याय में वर्णित अंतर्खंडीय सुविधाओं की सहायता निधि प्रदान करने के लिए उपलब्ध की जाएगी।

101145. अनुभाग 67353 के तहत स्थापित हायर एजुकेशन फैसिलिटीज वित्त समिति इस अध्याय के तहत केवल उसी हद तक बॉण्ड के निर्गमन को अधिकृत करेगा, जिस हद तक इस अध्याय में वर्णित उद्देश्यों के लिए संबंधित नियुक्तियों को निधि प्रदत्त करना आवश्यक हो, जो वार्षिक बजट अधिनियम में विधानमंडल द्वारा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया हो। विधायी निर्देश के अनुसार, समिति निर्धारित करेगी कि क्या इस अध्याय में वर्णित उद्देश्यों को पूरा के लिए इस अध्याय के अनुसार अधिकृत बॉण्ड्स जारी करना आवश्यक या वांछनीय है या नहीं और, अगर ऐसा है, तो जारी किए जाने वाले और बेचे जाने वाले बॉण्ड्स की राशि। बॉण्ड्स के उत्तरोत्तर इश्यु उन कार्यों को कार्यांवित करने के लिए क्रमिक रूप से अधिकृत किए जा सकते हैं, और यह आवश्यक नहीं है कि जारी किए जाने के लिए अधिकृत सभी बॉण्ड्स किसी एक ही समय पर बेचे जाएं।

101145.5. राज्य के साधारण राजस्व के अलावा, हर वर्ष बॉण्ड्स के मूलधन और उस पर ब्याज की अदायगी करने के लिए आवश्यक राशि हर वर्ष और उसी ढंग में तथा उसी समय पर वसूली जाएगी जैसे राज्य के दूसरे राजस्व वसूले जाते हैं। राजस्व की वसूली के सम्बन्ध में कानून के द्वारा प्रभारित सभी अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे उस अतिरिक्त राशि को वसूल करने के लिए आवश्यक हर कार्य संपादित करें।

101146. सरकारी संहिता की अनुभाग 13340 के होते हुए भी, एतद्वारा राज्य के कोष में सामान्य निधि से, इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित के योग के बराबर एक राशि विनियोजित की गयी है:

(a) इस अध्याय के अनुसार जारी किए गए और बेचे गए बॉण्ड्स पर मूलधन और ब्याज के देय होने पर, बॉण्ड्स के मूलधन और उस पर ब्याज का भुगतान करने के लिए वार्षिक रूप से आवश्यक राशि।

(b) अनुभाग 101147.5 के कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि, वित्तीय वर्षों का लिहाज किए बिना विनियोजित।

101146.5. इस अध्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, सरकारी संहिता के अनुभाग 16312 के अनुसार, बोर्ड, जैसा कि अनुभाग 101144.5 के उपखंड (b) में पारिभाषित किया गया है, एकत्रित धन निवेश बोर्ड के समक्ष एक त्रित धन निवेश खाता से या अंतरिम वित्तीयन के किसी मंजूर स्वरूप से एक ऋण देने का अनुरोध कर सकता है। अनुरोध की राशि उन अविक्रित बॉण्ड्स (रिफंडिंग बॉण्ड्स के अलावा) की राशि से अधिक नहीं होगी जिसे उच्चतर शिक्षा सुविधायों के लिए वित्त समिति ने इस अध्याय को कार्यांवित करने के उद्देश्य के लिए, प्रस्ताव के द्वारा, बेचे जाने के लिए अधिकृत किया है। बोर्ड, जैसा कि अनुभाग 101144.5 के उपखंड (b) में पारिभाषित किया गया है, ऋण प्राप्त करने और उसकी अदायगी करने के लिए एकत्रित धन निवेश बोर्ड के द्वारा आवश्यक कोई भी दस्तावेज निष्पादित करेगा। उधार दी गयी कोई भी राशि इस अध्याय के अनुसार बोर्ड द्वारा आबंटित किए जाने वाली निधि में जमा की जाएगी।

101147. हालांकि इस अध्याय या स्टेट जनरल ऑब्लिगेशन बॉण्ड लॉ के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, यदि कोषाध्यक्ष इस अध्याय के अनुरूप बॉण्ड को बेचता है, जिसमें इस आशय का एक बॉण्ड काउंसल शामिल होता है कि बॉण्डों को संघीय कर उद्देश्य से सकल आय से बाहर रखा जाएगा, जो निर्दिष्ट दशाओं के अधीन हो, तो कोषाध्यक्ष बॉण्ड विक्रय आदि से प्राप्त धनराशि के लिए तथा उन प्राप्त राशियों पर निवेश उपार्जन के लिए पृथक खाते संचालित कर सकता है। कोषाध्यक्ष विक्रय आदि से प्राप्त उन धनराशियों या उपार्जनों का इस्तेमाल किसी छूट, जुर्माने, या संघीय कानून के तहत आवश्यक अन्य भुगतान को चुकाने में कर सकता है या करने के लिए निर्देशित कर सकता है या निवेश के संदर्भ में अथवा उन बॉन्ड के विक्रय आदि से प्राप्त धनराशि के लिए तथा इस राज्य की निधियों की ओर से संघीय कानून के तहत अन्य लाभ हासिल करने के लिए आवश्यक या वांछित कोई अन्य कार्यवाही कर सकता है।

101147.5. (a) इस अध्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से, वित्त निदेश, सामान्य निधि से उतनी राशि आहरण करने के लिए अधिकृत कर सकता है, जो उन न बिके बॉन्ड्स (रिफंडिंग बॉण्ड को छोड़कर) की राशि से अधिक न हो जिसे उच्चतर शिक्षा सुविधाएं वित्त समिति द्वारा इस अध्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बेचे जाने के लिए अधिकृत किया हो। आहरित की गई कोई भी राशि इस अध्याय के अनुरूप 2016 California सामुदायिक कॉलेज कैपिटल आउटले बॉण्ड फंड में जमा की जाएगी। इस अनुभाग के तहत उपलब्ध कराई कोई भी धनराशी, और साथ ही उस ब्याज के बराबर की राशि जो, इस अध्याय को कार्यांवित करने के उद्देश्य के लिए बॉण्ड्स की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशियों से, इस धनराशि ने एकत्रित धन निवेश खाते में अर्जित किया होता, सामान्य निधि को वापस लौटा दी जाएंगी।

(b) इस बॉण्ड निर्गमन से प्राप्त निधियों के लिए California कम्युनिटी कॉलेजेस द्वारा इस अध्याय में वर्णित उद्देश्यों के खर्चे के लिए विधानमंडल तथा वित्त विभाग को भेजे गए किसी अनुरोध के साथ पंच-वर्षीय पूंजी परिव्यय योजना भी भेजी जाएगा, जो सामुदायिक कॉलेज प्रणाली की जरूरतों तथा प्राथमिकताओं को दर्शाती हो तथा राज्यव्यापी आधार पर प्राथमिकता देती हो। अनुरोधों में एक अनुसूची शामिल होगी, जो विशेष कॉलेज की नजर में उस कॉलेज द्वारा उच्च प्राथमिकता के रूप में चिह्नित भवनों में भूकंपीय विनाशों को काफी हद तक घटाने के लिए बाद में जोड़े गए साजोबाज को प्राथमिकता देगी।

101148. 2016 California सामुदायिक कॉलेज पूंजी परिव्यय बॉन्ड फंड में जमा की गई सारी धनराशि, जो कि बेचे गए बॉण्ड्स के प्रीमियम और उपार्जित ब्याज से प्राप्त की जाती है, निधि में आरक्षित होंगी और वे बॉण्ड ब्याज के खर्चों के लिए क्रेडिट के रूप में सामान्य निधि में ट्रांसफर के लिए उपलब्ध होंगी, सिवाय इसके कि प्रीमियम से प्राप्त की जाने वाली राशियां सामान्य निधि में किसी भी ट्रांसफर से पूर्व बॉण्ड निर्गमन की लागत का भुगतान करने के लिए आरक्षित और उपयोग की जा सकती हैं।

101149. इस अध्याय के अनुसार जारी किए गए और बेचे गए बॉण्ड्स सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के खंड 4 के भाग 3 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 6 (अनुभाग 16780 से शुरू होकर) के अनुसार वापस किए जा सकते हैं, जो स्टेट जनरल ओब्लिगेशन बॉण्ड लॉ का हिस्सा है। इस अध्याय में वर्णित राज्य के मतदाताओं के द्वारा बॉण्ड्स के निर्गमन के लिए दी जाने वाली मंजूरी में इस अध्याय या पहले से जारी कोई भी वापसी बॉण्ड्स के तहत मूल रूप से जारी किए गए कोई भी बॉण्ड्स की धन-वापसी करने के लिए जारी किसी भी बॉण्ड्स के निर्गमन की मंजूरी शामिल है। इस अनुभाग द्वारा अधिकृत रूप में रिफंडिंग बॉण्डों के विक्रय आदि से प्राप्त धनराशियों के साथ रिफन्ड हुए बॉण्ड कानूनी रूप

से डिफीज्ड किया जा सकता है, इस प्रस्ताव में वर्णित सीमा तक और उस तरीके से, जो समय-समय पर संशोधित किया जाता हो, ऐसे रिफंड हुए बॉण्डों को अधिकृत करता है।

51

101149.5. लोग एतद्द्वारा जानते हैं और घोषित करते हैं कि, इस अध्याय के द्वारा अधिकृत बॉण्ड्स की बिक्री से प्राप्त धनराशियां "टैक्सों से प्राप्त धनराशियां" नहीं हैं जैसे वह शब्द California के संविधान के अनुच्छेद XIII B में प्रयोग किया गया है, इन धनराशियों का वितरण उस अनुच्छेद के द्वारा लगायी गयी पाबंदियों के आधीन नहीं है।

अनुभाग 4. सामान्य प्रावधान।

(a) यदि इस अधिनियम का कोई भी प्रावधान, या उसका अंश, किसी भी कारण से अमान्य या असंवैधानिक पाया जाता है, तो शेष प्रावधान प्रभावित नहीं होंगे, किंतु पूर्ण रूप और प्रभाव में लागू रहेंगे, और इस उद्देश्य के लिए इस अधिनियम के प्रावधान पृथक्करणीय हैं।

(b) यह अधिनियम का उद्देश्य व्यापक होना है। लोगों का यह इरादा है कि यदि इसी विषय से संबंधित इस अधिनियम या विधेयक उसी राज्यव्यापी चुनाव मतपत्र पर प्रकट होता है, तो अन्य विधेयक या विधेयकों के प्रावधान को इस विधेयक के साथ टकराने वाला माना जाएगा। यदि इस अधिनियम को बड़ी संख्या में सकारात्मक मत मिलेंगे, तो इस अधिनियम के प्रावधान अपनी संपूर्णता में प्रचलित रहेंगे, और दूसरे विधेयक या विधेयकों के सभी प्रावधान अमान्य हो जाएँगे।

52

प्रस्ताव 52

यह पहल सम्बंधी विधेयक California संविधान के अनुच्छेद II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुपालन में लोगों को पेश किया जाता है।

यह पहल विधेयक California के संविधान में एक अनुभाग जोड़ता है और कल्याण और संस्थाओं की संहिता के अनुभागों को संशोधित करता है; इसलिए मिटाए जाने के लिए प्रस्तावित वर्तमान प्रावधानों को ~~काटे हुए अक्षरों~~ में प्रकाशित किया गया है और जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को यह दर्शाने के लिए *तिरछे टाइप* में प्रकाशित किया गया है कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. निष्कर्षों का ब्यान।

A. संघीय सरकार ने कम-आमदन वाले रोगियों, जिनमें बुजुर्ग, विकलांग एवं बच्चे शामिल हैं, को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए भुगतान में मदद के लिए Medicaid कार्यक्रम चालू किया है। California में इस कार्यक्रम को Medi-Cal कहा जाता है। किसी भी राज्य को संघीय Medicaid फंड प्राप्त करने के लिए, राज्य को अपने खुद के धन के बराबर राशि का योगदान करना होता है।

B. 2009 में, एक नया कार्यक्रम तैयार किया गया था, जिसके द्वारा California के अस्पतालों ने करदाताओं को, राज्य को प्राप्त उपलब्ध संघीय Medicaid फंड की मदद करने के लिए फीस का भुगतान करना शुरू कर दिया था। इस कार्यक्रम ने कम-आमदन वाले परिवारों के बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए भुगतान करने में मदद की है और इसके परिणामस्वरूप California के अस्पताल Medi-Cal रोगियों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अस्पतालों की मदद के लिए अतिरिक्त संघीय धन में प्रति वर्ष लगभग $2 बिलियन प्राप्त कर रहे हैं।

अनुभाग 2. उद्देश्य का ब्यान।

यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध संघीय मिलान फंड को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य को अस्पतालों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस नियत उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है, इस प्रकार लोग यह सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल फीस कार्यक्रम में बदलावों में मतदाता की मंजूरी की शर्त रखने के लिए संविधान का संशोधन करना चाहते हैं कि राज्य इस फंड को Medi-Cal रोगियों की अस्पताल देखभाल में सहायता करने के नियत उद्देश्य के लिए और कम-आमदन वाले परिवारों के बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल का भुगतान करने के लिए प्रयोग करता है।

अनुभाग 3. संविधान में संशोधन।

अनुभाग 3.1. California संविधान के अनुच्छेद XVI में अनुभाग 3.5 जोड़ी गई है, जिसकी व्याख्या यह है:

अनुभाग 3.5. (a) Medi-Cal अस्पताल प्रतिपूर्ति संशोधन अधिनियम 2013 के प्रावधानों में सुधार करने वाला अथवा उनमें और प्रावधान शामिल करने वाला कोई भी कानून तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि अनुच्छेद II के अनुभाग 10 के उपखंड (c) के अनुसार प्रस्ताव कानूनों का संशोधन करने वाले कानूनों की तरह उसी प्रकार से मतदाताओं द्वारा मंजूरी न दी जाए, सिवाए इसके कि विधानमंडल, दो-तिहाई सदस्यता की सहमति से, दैनिकी में नामसूची वोट (प्रत्येक सभासद द्वारा वोट देना) दर्ज करके प्रत्येक सदन में पारित किए गए कानून द्वारा, प्रावधानों में संशोधन कर सकता है या उनमें प्रावधान शामिल कर सकता है, जो अधिनियम के उद्देश्यों में सहायता करते हैं।

(b) इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए:

(1) "अधिनियम" का अर्थ है Medi-Cal अस्पताल प्रतिपूर्ति संशोधन अधिनियम 2013 (विधानमंडल के नियमित सत्र 2013–14 के सीनेट बिल 239 द्वारा बनाया गया कानून तथा विधानमंडल के उसी सत्र में बाद के बिल द्वारा बनाए गए अधिनियम में कोई भी गैर मूल संशोधन)।

(2) "गैर मूल संशोधन" का अर्थ केवल मामूली, तकनीकी, व्याकरण संबंधी अथवा स्पष्ट करने वाले संशोधनों से है।

(3) "प्रावधान जो अधिनियम के उद्देश्यों में सहायता करते हैं" का अर्थ केवल निम्न प्रकार से होगा:

(A) अधिनियम को लागू करने हेतु संघीय मंजूरी प्राप्त करने या इसे बनाए रखने के लिए आवश्यक संशोधन अथवा संकलन, लगाई गई फीस और अधिनियम के अनुसार अस्पतालों को किए गए संबंधित गुणवत्ता आश्वासन भुगतान सहित;

(B) फीस के विस्तार और अधिनियम के अनुसार अस्पतालों को किए गए संबंधित गुणवत्ता आश्वासन भुगतान के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रणाली में संशोधन अथवा संकलन।

(c) इस अनुभाग में कोई भी तथ्य विधानमंडल को दो-तिहाई सदस्यता की सहमति से, दैनिकी में नामसूची वोट (प्रत्येक सभासद द्वारा वोट देना) दर्ज करके प्रत्येक सदन में पारित किए गए कानून द्वारा, इसकी संपूर्णता में अधिनियम का खंडन करने से नहीं रोकता, सिवाए इसके कि विधानमंडल को तब तक अधिनियम का खंडन करने और कोई कर, फीस अथवा आकलन लगाने वाले समान कानून के साथ बदलने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि समान कानून इनमें से एक न हो:

(1) एक प्रावधान, जो अधिनियम के उद्देश्यों में सहायता करता है, जैसा कि यहां परिभाषित किया गया है;

(2) अनुच्छेद II के अनुभाग 10 के उपखंड (c) के अनुसार प्रस्ताव कानूनों का संशोधन करने वाले कानूनों की तरह उसी प्रकार से मतदाताओं द्वारा मंजूरी दी गई है।

(d) इस अनुच्छेद के अनुभाग 8 एवं 8.5 के उद्देश्यों के लिए अथवा अनुच्छेद XIII B के उद्देश्यों के लिए अधिनियम द्वारा लगाई गई फीस की आय तथा उस आय पर अर्जित किए गए पूरे ब्याज को राजस्व, करों की सामान्य निधि आय अथवा करों की आवंटित स्थानीय आय नहीं माना जाएगा। किसी भी अन्य समान संघीय कार्यक्रम में Medi-Cal लाभार्थियों अथवा अन्य लाभार्थियों के लिए अस्पताल की सेवाओं हेतु अधिनियम में उल्लेख किए गए न्यास निधि (ट्रस्ट फंड) में विनियोजन इस अनुच्छेद के अनुभाग 3 अथवा 5 में निषेध अथवा प्रतिबंधों के अधीन नहीं होगा।

अनुभाग 4. Medi-Cal अस्पताल प्रतिपूर्ति संशोधन अधिनियम 2013 में संशोधन।

अनुभाग 4.1. वेलफेयर और इंस्टीटयूट कोड का अनुभाग 14169.72 संशोधित किया गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

14169.72. यह अनुच्छेद अप्रभावी हो जाएगा, यदि निम्न से कुछ भी घटित होता है:

(a) अपील संबंधी न्यायिक अदालत द्वारा लिए गए किसी भी अंतिम न्यायिक निर्णय अथवा यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्युमैन सर्विसिज द्वारा अथवा Medicare एवं Medicaid सेवाओं के लिए संघीय केंद्रों द्वारा अंतिम न्यायिक निर्णय कि गुणवत्ता आश्वासन फीस इस अनुच्छेद अथवा अनुभाग 14169.54 अथवा 14169.55 के अनुसार प्रमाणित की गई है, की प्रभावी तिथि लागू नहीं की जा सकती। यह उपखंड राज्य के बाहर स्थित अस्पतालों द्वारा लाए गए किसी मामले में किसी भी अपील अधिकार क्षेत्र अदालत द्वारा लिए गए किसी भी अंतिम न्यायिक निर्णय पर लागू नहीं होगा।

(b) Medicare एवं Medicaid सेवाओं के लिए संघीय केंद्र कार्यक्रम की अवधि के अंतिम दिन या अथवा इससे पहले मंजूरी से इन्कार करते हैं अथवा मंजूरी नहीं देते, संघीय कानूनों की शर्तें पूरी करने के लिए अथवा संघीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए अनुभाग 14169.52, 14169.53, 14169.54 एवं 14169.55 का कार्यान्वयन और विभाग अनुभाग 14169.52, 14169.53, 14169.54 अथवा 14169.55 में अनुभाग 14169.53 के उपखंड (d) के अनुसार संशोधित करने में असफल रहता है।

(c) *विधानमंडल वार्षिक बजट अधिनियम में कोष में उपयुक्त राशि जुटाने में असफल रहता है अथवा वार्षिक बजट अधिनियम के अध्यादेश के बाद तीस (30) दिनों के अंदर बनाए गए एक अलग बिल में धन की वह राशि जुटाने में असफल रहता है।* ~~California के उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) अथवा किसी भी California अपील कोर्ट द्वारा एक अंतिम न्यायिक निर्णय कि राजस्व इस अनुच्छेद के अनुसार जुटाया गया है, जो फंड में जमा कराया गया है, निम्न में से एक है:~~

~~(1) "California के संविधान के अनुच्छेद XIII B के अनुसार विनियोजित करों से सामान्य फंड आय," जैसा कि California के संविधान के अनुच्छेद XVI के अनुभाग 8 उप खंड (b) में इस्तेमाल किया गया है।~~

~~(2) "करों से आवंडित स्थानीय आय," जैसा कि California के संविधान के अनुच्छेद XVI के अनुभाग 8 उप खंड (b) में इस्तेमाल किया गया है।~~

(d) विभाग ने अनुपूरक भुगतान तथा इस अनुच्छेद, जिसके लिए संघीय वित्तीय भागीदारी की मांग की गई थी, के अनुसार आवश्यक शुल्क के लिए संघीय वित्तीय भागीदारी की मांग की है लेकिन विभाग को यह प्राप्त नहीं हुई है।

(e) राज्य के विरुद्ध इस अनुच्छेद से संबंधित एक मुकदमा दायर किया गया है और एक प्रारंभिक समादेश अथवा अन्य आदेश जारी किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को वित्तीय हानि उठानी पड़ी। इस उपखंड के उद्देश्यों के लिए, "राज्य को वित्तीय नुकसान" का अर्थ निम्न में से एक है:

(1) संघीय वित्तीय भागीदारी का नुकसान।

(2) *अधिनियम के कारण* सामान्य निधि लागत पर लगने वाली लागत के लिए *निवल* ~~लागत, जो बिल्कुल हाल ही के वार्षिक बजट अधिनियम में अधिकृत सामान्य निधि व्यय के 1 प्रतिशत के एक-तिहाई के बराबर अथवा इससे अधिक है।~~

(f) फीस से प्राप्त आय और जमा राशियों पर अर्जित किए गए किसी भी प्रकार के ब्याज एवं लाभांश को फंड में जमा नहीं किया जाता अथवा प्रयोग नहीं किया जाता जैसा कि अनुभाग 14169.53 में दिया गया है।

(g) फीस से प्राप्त आय और संघीय सरकार द्वारा प्रदान की गई मिलान राशि व जमा राशियों पर अर्जित किए गए ब्याज एवं लाभांश का प्रयोग नहीं किया जाता जैसा कि अनुभाग 14169.68 में दिया गया है।

अनुभाग 4.2. वेलफेयर और इंस्टीटयूट कोड का अनुभाग 14169.75 संशोधित किया गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

14169.75. *फंड उत्पन्न करने वाले, अनुभाग 14167.35 के उपखंड (k) के होते हुए भी, अनुभाग 14167.35 के उपखंडों (a), (i) एवं (j) को रद्द नहीं किया गया है और ये इस अनुच्छेद के क्रियाशील रहने तक सक्रिय रहेंगे।* ~~अनुभाग 14169.72 के होते हुए, यह अनुच्छेद 1 जनवरी, 2018 को निष्प्रभावी हो जाएगा। अस्पताल को उस तारीख के बाद फीस का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक फीस की देनदारी उस अवधि के दौरान नहीं थी, जिसमें अनुच्छेद क्रियाशील था और अनुभाग 14169.53 के अंतर्गत अधिकृत भुगतान तब तक नहीं किए जाएंगे, जब तक भुगतान की देनदारी उस अवधि के दौरान नहीं थी, जिसमें अनुच्छेद क्रियाशील था।~~

अनुभाग 5. सामान्य प्रावधान।

(a) यदि इस विधेयक का कोई भी प्रावधान, या उसका अंश, किसी भी कारण से अमान्य या असंवैधानिक पाया जाता है, तो शेष प्रावधान प्रभावित नहीं होंगे, किंतु पूर्ण रूप और प्रभाव में लागू रहेंगे, और इस उद्देश्य के लिए इस विधेयक के प्रावधान पृथक्करणीय हैं।

(b) यह उपाय विस्तृत होने के उद्देश्य से है। लोगों का यह इरादा है कि यदि इसी विषय से संबंधित यह विधेयक उसी राज्यव्यापी चुनाव मतपत्र पर प्रकट होता है या होते हैं, तो अन्य विधेयक या विधेयकों के प्रावधान को इस विधेयक के साथ टकराने वाला माना जाएगा। यदि इस विधेयक को बड़ी संख्या में सकारात्मक मत मिलेंगे, तो इस विधेयक के प्रावधान अपनी संपूर्णता में प्रचलित रहेंगे, और दूसरे विधेयक या विधेयकों के सभी प्रावधान अमान्य हो जाएँगे।

प्रस्ताव 53

यह पहल सम्बंधी विधेयक California संविधान के अनुच्छेद II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुपालन में लोगों को पेश किया जाता है।

यह पहल सम्बंधी विधेयक California संविधान में एक अनुभाग जोड़ता है; इसलिए, जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधान, यह दर्शाने के लिए कि वे नए हैं, *तिरछे टाइप* में छापे गए हैं।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. शीर्षक।

इस अधिनियम को कोई खाली चेक नहीं पहल के रूप में जाना जाएगा और उद्धृत किया जाएगा।

अनुभाग 2. निष्कर्ष और घोषणाएँ।

California राज्य के लोग निम्न निष्कर्ष देते हैं और घोषणा करते हैं:

(a) Sacramento में राजनीतिज्ञों ने लंबी-अवधि की बॉन्ड ऋण देनदारियों के साथ हमारे भविष्य को गिरवी रख दिया है, जिसका मूल्य करदाताओं, हमारे बच्चों एवं आने वाली पीढ़ियों को चुकाना पड़ेगा।

(b) मौजूदा नियमों के अंतर्गत, राज्य बॉण्ड्स की बिक्री के लिए केवल मतदाताओं की मंजूरी की आवश्यकता है, यदि उन्हें राज्य के सामान्य राजस्व में से भुगतान किया जाएगा। लेकिन राज्य के राजनीतिज्ञ कभी भी मतदाताओं की मंजूरी प्राप्त किए बिना बिलियन डॉलर के अतिरिक्त बॉन्ड ऋण को बेच सकते हैं, यदि बॉण्ड्स को California वासियों को राजस्व स्ट्रीम के साथ अथवा सीधे लगाए गए शुल्कों के साथ भुगतान किया जाएगा जैसे कर, फीसें, रेट, चुंगी अथवा किराए। राजनीतिज्ञों को बिना भरे चेक जारी करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, जिनका मूल्य California वासियों को चुकाना पड़ता है। मतदाताओं के लिए सभी बड़े राज्य बॉण्ड्स बिक्री निर्णयों के लिए मंजूरी देना आवश्यक है क्योंकि मतदाता ही वे व्यक्ति हैं, जो आखिरकार बिल का भुगतान करते हैं।

52

53

(c) California के स्वतंत्र, गैर हिमायती वैधानिक विश्लेषक के कार्यालय की 2014 की एक रिपोर्ट की अनुसार, California राज्य पर $340 बिलियन का सरकारी ऋण है। (वैधानिक विश्लेषक का कार्यालय "California की मुख्य जवाबदेहियों पर ध्यान देना" 7 मार्च, 2014) यदि हम जनता की सुरक्षा, स्कूलों व राज्य के अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध नकदी को कम करते हुए—इसी तरह से खर्च करते रहे तो हमारे लंबी-अवधि की ऋण देनदारियों पर ब्याज एवं मूल राशि का भुगतान राज्य को अपाहिज बना देगा।

(d) इसके अलावा, मतदाताओं को बॉन्ड द्वारा पोषित परियोजनाओं की वास्तविक लागत कभी-कभार ही बताई जाती है। वास्तव में हमें बताया गया था कि बुलेट ट्रेन की लागत $9 बिलियन होगी। लेकिन अब अनुमानित लागत बढ़कर लगभग $70 बिलियन हो गई है। (Los Angeles Times, "The Hazy Future of California's Bullet Train" 14 जनवरी, 2014)।

(e) यह उपाय मतदाताओं को सभी बड़े राज्य बॉन्ड ऋण प्रस्तावों में राय देने का अवसर देकर हमारे राज्य के सरकारी ऋण संकट पर विराम लगाता है, जिनका भुगतान राजस्व स्ट्रीम अथवा California वासियों पर सीधे लगाए गए शुल्क द्वारा किया जाना जरूरी है जैसे कर, फीसें, रेट, चुंगी अथवा किराए।

अनुभाग 3. उद्देश्य का ब्यान।

इस उपाय का उद्देश्य राज्य के सरकारी ऋण संकट को मतदाताओं को सभी बड़े राज्य बॉन्ड ऋण प्रस्तावों में राय देने का अवसर देकर नियंत्रण में लाना है, जिसका भुगतान राजस्व स्ट्रीम अथवा California वासियों, उनके बच्चों तथा आने वाली पीढ़ियों से एकत्र किए गए उच्च करों, फीसों, दरों, चुंगियों अथवा किराए के माध्यम से किया जाएगा।

अनुभाग 4. California संविधान के अनुच्छेद XVI में अनुभाग 1.6 जोड़ी गई है, जिसकी व्याख्या यह है:

अनुभाग 1.6. (a) कानून के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, राज्य द्वारा वित्तपोषित, इसके स्वामित्व वाली, इसके द्वारा संचालित अथवा व्यवस्थित किसी भी एकल परियोजना के लिए दो बिलियन डॉलर ($2,000,000,000) से अधिक एक-एक करके अथवा इकट्ठे एक राशि में राज्य द्वारा जारी किए गए अथवा बेचे गए सभी राजस्व बॉण्ड्स को पहले एक राज्यव्यापी चुनाव में मतदाताओं द्वारा मंजूरी दी जानी जरूरी है। "राज्य" का अर्थ है California राज्य, कोई भी एजेंसी अथवा उसका विभाग और कोई भी संयुक्त अधिकारों वाली एजेंसी अथवा राज्य द्वारा बनाया गया ऐसा ही निकाय अथवा जिसमें राज्य एक सदस्य है। "राज्य" जैसा कि यहां प्रयोग किया गया है, में कोई शहर, काउंटी, शहर एवं काउंटी, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, सामुदायिक कॉलेज अथवा विशेष जिला शामिल नहीं है। इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए, "विशेष डिस्ट्रिक्ट" केवल सीमित सीमाओं के अंदर स्थानीय सरकारी कार्यों के कार्यप्रदर्शन के लिए बनाई गई सरकारी संस्थाओं का उल्लेख करता है।

(b) कोई एकल परियोजना, जिसके लिए राज्य के राजस्व बॉण्ड्स दो बिलियन डॉलर ($2,000,000,000) से अधिक की एक राशि में जारी किए जाते हैं अथवा बेचे जाते हैं, को इस अनुभाग में दी गई मतदाता मंजूरी संबंधी शर्तों से बचने के लिए कई अलग-अलग परियोजनाओं में नहीं बांटा जा सकता अथवा दो अलग-अलग परियोजनाएँ में नहीं माना जा सकता। इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए, कथित रूप से कई अलग-अलग परियोजनाओं को निम्न परिस्थितियों में कोई एकल परियोजना होना माना जाएगा, जिनमें शामिल है, परंतु इन तक सीमित नहीं हैं:

(1) जहां कथित रूप से अलग-अलग परियोजनाएं भौतिक रूप से अथवा भौगोलिक रूप से एक-दूसरे के समीप होंगी; या

(2) जहां कथित रूप से अलग-अलग परियोजनाएं एक-दूसरे से भौतिक रूप से युक्त अथवा जुड़ी हुई होंगी; या

(3) जहां कथित रूप से एक अलग परियोजना दूसरी कथित रूप से अलग परियोजना की समाप्ति के बिना अपने बताए गए उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती।

(c) इस अनुभाग में दिए गए दो बिलियन डॉलर ($2,000,000,000) की सीमारेखा मुद्रास्फीति में कोई भी वृद्धि अथवा गिरावट प्रदर्शित करने के लिए वार्षिक तौर पर समायोजित किया जाएगा जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स प्राइस ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स द्वारा प्रकाशित सभी शहरी उपभोक्ताओं (CPI-U) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा अनुमान लगाया गया है। कोषाध्यक्ष कार्यालय इस उपखंड द्वारा आवश्यक समायोजनों की गणना करेगा एवं इन्हें प्रकाशित करेगा।

अनुभाग 5. उदार निर्माण।

अपने प्रयोजनों को पूरा करने के लिए इस अधिनियम को उदारतापूर्वक बनाया जाएगा।

अनुभाग 6. परस्पर टकराने वाले विधेयक।

(a) उस स्थिति में जब इस विधेयक और राजकीय बॉण्ड्स के लिए मतदाता मंजूरी ज़रूरत से संबंधित कोई अन्य विधेयक एक ही राज्यव्यापी चुनाव मतपत्र में प्रगट होते हैं तो अन्य विधेयक या विधेयकों को इस विधेयक के साथ टकराव की स्थिति में माना जाएगा। यदि इस विधेयक को बड़ी संख्या में सकारात्मक मत मिलेंगे, तो इस विधेयक के प्रावधान अपनी संपूर्णता में प्रचलित रहेंगे, और दूसरे विधेयक या विधेयकों के प्रावधान अमान्य हो जाएँगे।

(b) यदि इस विधेयक को मतदाता अनुमोदित करें लेकिन उसी चुनाव में मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किसी अन्य परस्पर-विरोधी पहल द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से इसकी जगह ले ली जाती है, और बाद में ऐसे टकराव वाले विधेयक को अमान्य कर दिया जाता है, तो यह विधेयक स्वतः निष्पादित होगा और इसे पूरी ताकत और प्रभाव दिया जाएगा।

अनुभाग 7. पृथक्करणीयता।

इस अधिनियम के प्रावधान पृथक्करणीय हैं। यदि इस अधिनियम के किसी भी हिस्से, अनुभाग, उपखंड, पैराग्राफ, उपवाक्य, वाक्य, वाक्यांश, शब्द अथवा अर्जी को किसी भी कारण से किसी भी सक्षम न्यायिक अदालत के किसी निर्णय द्वारा अवैध पाया जाता है, तो वह निर्णय इस अधिनियम के शेष हिस्सों की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। इस प्रकार से California राज्य के लोग यह घोषणा करते हैं कि उन्होंने इस अधिनियम को स्वीकार कर लिया होता और इसके प्रत्येक हिस्से, अनुभाग, उपखंड, पैरा, उपवाक्य, वाक्य, वाक्यांश, शब्द, और अनुप्रयोग को अवैध अथवा असंवैधानिक घोषित नहीं किया होता, इस पर विचार किए बिना कि क्या इस अधिनियम अथवा इसके अनुप्रयोग के किसी हिस्से को बाद में अवैध घोषित किया जाएगा।

अनुभाग 8. कानूनी बचाव।

यदि यह अधिनियम California राज्य के मतदाताओं द्वारा मंजूर किया गया है और उसके बाद संघीय कानून के उल्लंघन का दोष लगाते हुए किसी कानूनी चुनौती के अधीन होता है और गर्वनर एवं अटार्नी जनरल इस अधिनियम का बचाव करने के लिए इन्कार कर देते हैं, तो निम्न कार्रवाईयां की जाएंगी:

(a) सरकारी संहिता अथवा किसी भी अन्य कानून के टाइटल 2 के खंड 3 के भाग 2 के अध्याय 6 (अनुभाग 12500 के साथ शुरू करते हुए) में कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, अटार्नी जनरल California राज्य की ओर से इस अधिनियम का बचाव करने के लिए विश्वसनीय ढंग से और प्रबलता से स्वतंत्र वकील नियुक्त करेगा।

(b) स्वतंत्र वकील को नियुक्त करने से पहले या उसके बाद उसे बदलने से पहले, अटार्नी जनरल स्वतंत्र वकील की योग्यताओं का निर्धारण करने में उचित मूल्यांकन का इस्तेमाल करेगा और स्वतंत्र वकील से लिखित प्रतिज्ञा प्राप्त करेगा कि स्वतंत्र वकील इस अधिनियम का बचाव विश्वसनीय ढंग से और प्रबलता से करेगा। लिखित प्रतिज्ञा मांग पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

(c) इस प्रकार से California राज्य की ओर से इस अधिनियम का विश्वसनीय ढंग से और प्रबलता से बचाव करने के लिए स्वतंत्र वकील को रखने की लागत को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि में, वित्तीय वर्षों पर विचार किए बिना, सामान्य निधि से कंट्रोलर तक एक निरंतर विनियोजन किया गया है।

प्रस्ताव 54

यह पहल संबंधी विधेयक California संविधान के अनुच्छेद II की अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुपालन में लोगों को पेश किया जाता है।

यह पहल विधेयक California के संविधान के अनुभागों को संशोधित करता है और सरकारी संहिता में अनुभाग जोड़ता है और संशोधित करता है; इसलिए मिटाने के लिए प्रस्तावित वर्तमान प्रावधानों को ~~काटे हुए अक्षरों~~ में प्रकाशित किया गया है और जोड़ने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *तिरछे टाइप* में प्रकाशित किया गया है ताकि यह पता चले कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. शीर्षक।

इस अधिनियम को California विधानमंडल पारदर्शी अधिनियम के रूप में जाना जाएगा और उद्धृत किया जा सकता है।

अनुभाग 2. परिणाम व घोषणाएं।

California राज्य के लोग एतद्द्वारा यह पाते व घोषित करते हैं कि:

(a) लोकतांत्रिक समाज को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सरकारी काम खुले और सार्वजनिक रूप से किए जाएं, तथा अत्यधिक वांछनीय है कि नागरिकों को प्रत्येक विधेयक की पूरी तरह से समीक्षा करने तथा विधेयक को पारित किए जाने से पहले अपने चयनित प्रतिनिधियों के समक्ष इसके गुणों के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाए।

(b) फिर भी, विधेयकों में अंतिम-समय के संशोधनों का बार-बार उपयोग टिप्पणी किए बिना या थोड़ा पहले दिए गए नोटिस के साथ राजनीतिक अनुग्रह प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

(c) इसके अलावा, जटिल विधेयकों को अक्सर विधायकों को उनकी समीक्षा करने या उन पर विवाद करने का कोई वास्तविक अवसर मिलने से पहले पारित कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप घटिया तरह से विचार किया गया कानून सामने आता है।

(d) इसके अलावा, हमारे राज्य के संविधान में वर्तमान में प्रावधान है कि प्रत्येक सदन और इसकी समितियों की कार्यवाहियाँ खुली और सार्वजनिक होंगी, कुछ नागरिक ही व्यक्तिगत तौर पर विधायी कार्यवाहियों में उपस्थित हो पाते हैं, तथा अनेक विधायी कार्यवाहियाँ जनता और प्रेस द्वारा अनदेखी ही रह जाती हैं, जिससे कही गई बातों का कोई रिकॉर्ड नहीं रह जाता है।

(e) फिर भी, रिकॉर्डिंग की आधुनिक प्रौद्योगिकी और इंटरनेट की उपलब्धता के साथ, इसका कोई कारण नहीं है कि सार्वजनिक विधायी कार्यवाहियाँ उन नागरिकों के लिए अपेक्षाकृत पहुँच से बाहर क्यों रहें जिन्हें वे सेवा प्रदान करते हैं।

(f) तदनुसार, हमारी विधायी कार्यवाहियों में प्रकटीकरण, विचार-विमर्श, वाद-विवाद, और मर्यादा बनाए रखने के लिए, हमारे नागरिकों को पूरी तरह जानकारी देने के लिए, तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधायी कार्यवाहियाँ निष्पक्ष और खले रूप से चलाई जाएं, हमारे राज्य संविधान में प्रेस के सदस्यों सहित सभी व्यक्तियों को अधिकार की गारंटी दी जानी चाहिए कि वे विधायी कार्यवाहियों को स्वतंत्र रूप से रिकॉर्ड करें और उन रिकॉर्डिंगों को प्रसारित, प्रेषित या अन्यथा संचारित करें।

(g) विधायी कार्यवाहियों को रिकॉर्ड करने के इस अधिकार की पूरक व्यवस्था करने के लिए, स्वयं विधानमंडल से भी यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि यह सभी सरकारी कार्यवाहियों की दृश्य-श्रव्य रिकॉर्डिंग करे और इंटरनेट पर पोस्ट करे तथा इन रिकॉर्डिंगों का लेखागार बनाए, जो जनता, प्रेस और आने वाली पीढ़ियों के अकादमिक समुदाय के लिए बहुमूल्य संसाधन होगा।

(h) California को अन्य राज्यों के उदाहरण का भी अनुसरण करना चाहिए जिसमें केवल प्राकृतिक आपदा जैसी सच्ची आपात-स्थिति के मामले में अपवाद की अनुमति देते हुए, विधेयक के मुद्रित होने और जनता को उपलब्ध कराने तथा मतदान के लिए रखे जाने के समय के बीच 72-घंटे के अग्रिम नोटिस की अवधि अपेक्षित है।

(i) जनता, प्रेस, और विधायकों द्वारा विधेयकों की क्रमबद्ध और विस्तृत समीक्षा के अवसर के परिणामस्वरूप बेहतर विधेयक सामने आएंगे जबकि राजनीतिक पक्षपात और शक्ति के जबरन छीनने पर रोक लगेगी।

(j) इन उपायों से करदाताओं पर नाममात्र का खर्च आएगा, जबकि लोगों को लाभ देने के लिए हमारी विधायी कार्यवाहियों में अधिक पारदर्शिता बढ़ेगी।

अनुभाग 3. उद्देश्य का ब्यान।

इस विधेयक को अधिनियमित करने में, California राज्य के लोगों की निम्न मंशा है:

(a) हम, लोगों को समर्थ बनाने के लिए कि हम इंटरनेट के माध्यम से देख पाएं कि विधानमंडल की किसी और सभी सरकारी कार्यवाहियों में क्या हो रहा है और क्या हुआ है ताकि राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी करने हेतु आवश्यक जानकारी मिले तथा हमारे चयनित प्रतिनिधियों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए।

(b) हम, लोगों को समर्थ बनाने के लिए कि हम कार्यवाहियों, अपने प्रतिनिधियों के निर्णय लेने संबंधी विचार-विमर्श, तथा जवाबदेही में निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए उन विधायी कार्यवाहियों के अपनी स्वयं की रिकॉर्डिंगों को रिकॉर्ड करें और पोस्ट करें या अथवा अन्यथा संचारण करें।

(c) हम, लोगों और हमारे प्रतिनिधियों को राज्यपाल द्वारा सच्ची आपातस्थिति घोषित किए जाने के मामले के सिवाए विधेयक का अंतिम संस्करण विधानमंडल और जनता को उपलब्ध कराने के समय, और मतदान कराने के समय के बीच की 72-घंटे की सार्वजनिक नोटिस की अवधि लागू करके मतदान से पहले विधेयक के अंतिम संस्करण की खूबियों और कमियों का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक समय देने के लिए।

अनुभाग 4. California के संविधान के अनुच्छेद IV में संशोधन।

अनुभाग 4.1. California संविधान के अनुच्छेद IV के अनुभाग 7 को संशोधित किया गया है जो इस प्रकार है:

अनुभाग 7. (a) प्रत्येक सदन अपने अधिकारियों का चयन करेगा और इसकी कार्यवाहियों के लिए नियमों का अंगीकार करेगा। सदस्यों के बहुमत से गणपूर्ति (कोरम) बनती है, लेकिन सदस्यों की कम संख्या दिन-ब-दिन स्थगित की जा सकती है और अनुपस्थित सदस्यों को उपस्थित होने के लिए विवश किया जा सकता है।

(b) प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाहियों की दैनिक पत्रिका रखेगा और प्रकाशित करेगा। 3 उपस्थित सदस्यों के अनुरोध पर किसी प्रश्न पर सदस्यों का हाजिरी मत लिया जाएगा और दैनिक पत्रिका में दर्ज किया जाएगा।

(c) (1) *पैरा (3) में किए गए प्रावधान के अलावा,* प्रत्येक सदन और इसकी समितियों की कार्यवाहियाँ खुली और सार्वजनिक होंगी। *खुली और सार्वजनिक कार्यवाहियों में उपस्थिति के अधिकार में किसी व्यक्ति का ऑडियो या वीडियो माध्यमों द्वारा कार्यवाहियों के किसी और सभी हिस्सों को रिकॉर्ड करने तथा उन्हें प्रसारित करने या अन्यथा संचारित करने का अधिकार शामिल है; बशर्ते कि विधानमंडल कार्यवाहियों के भंग होने में कमी लाने के एकमात्र उद्देश्य से कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग या प्रसारण करने के उपकरणों को लगाने और उपयोग करने को विनियमित करते हुए पैरा (5) के अनुसार उचित नियमों को अंगीकार कर सकती है। किसी भी पीड़ित पक्ष को घोषणात्मक और आदेशात्मक राहत हेतु किसी कार्रवाई में उक्त नियमों को चुनौती देने का हक होगा, तथा विधानमंडल का दायित्व होगा कि वह प्रकट करे कि नियम उचित है।*

(2) इस पैरा को अंगीकार करने के बाद के द्वितीय कैलेण्डर वर्ष की 1 जनवरी के आरंभ से, विधानमंडल पैरा (1) के अधीन सभी कार्यवाहियों की उनकी सम्पूर्णता में दृश्य-श्रव्य रिकॉर्डिंग भी कराएगी, इन रिकॉर्डिंगों को कार्यवाहियों को दिन के लिए रोक देने या स्थगित करने के बाद 24 घंटे के भीतर इंटरनेट के

54

माध्यम से सार्वजनिक करेगी, तथा उक्त रिकॉर्डिंगों का लेखागार बनाएगी, जो इंटरनेट के माध्यम से जनता के लिए सुलभ होगा तथा कानून द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार कम से कम 20 वर्ष तक की अवधि तक डाउनलोड किए जाने योग्य होगा।

(3) पैरा (1) और (2) के होते हुए ~~भीकिर भी~~, बंद सत्र निम्नलिखित में से किसी भी उद्देश्य मात्र के लिए आयोजित किए जा सकते हैं:

(A) किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति, नियोजन, कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन, या बर्खास्तगी पर विचार करने के लिए, किसी विधायक या अन्य सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध शिकायतों या आरोपों पर विचार करने के लिए या सुनवाई करने के लिए, अथवा विधानमंडल के किसी कर्मचारी का वर्गीकरण या क्षतिपूर्ति स्थापित करने के लिए।

(B) विधायकों या इसके कर्मचारियों की अभिरक्षा और सुरक्षा तथा विधानमंडल द्वारा प्रयुक्त किसी इमारत या भूमि की अभिरक्षा और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामलों पर विचार करने के लिए।

(C) खुले सत्र द्वारा मुकदमे के संबंध में सदन या समिति के हितों की सुरक्षा न किए जाते समय लंबित या उचित रूप से प्रत्याशित मुकदमे, या मुकदमा आरंभ करने के संबंध में अपने कानूनी सलाहकार से परामर्श करने, या सलाह लेने के लिए।

~~(2)~~*(4)* सीनेट के सदस्यों, विधानसभा के सदस्यों, या दोनों सदनों के सदस्यों की बैठक, जिसमें एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हों, बंद सत्र में आयोजित की जा सकती है।

~~(3)~~*(5)* विधानमंडल प्रत्येक सदन के दो-तिहाई सदस्यों की सहमति से, या कानून द्वारा जर्नल में दर्ज हाजिरी मतदान द्वारा अंगीकृत समवर्ती संकल्प द्वारा इस उपखण्ड को लागू करेगी, तथा ~~निर्धारित करेगी कि,~~ *उस मामले में जब पैरा* ~~(1),~~ *(3) के अनुसरण में* बंद सत्र आयोजित किया जाता है *निर्धारित करेगी कि* बंद सत्र की उचित सूचना और बंद सत्र का उद्देश्य जनता को उपलब्ध कराया जाएगा। यदि समवर्ती संकल्प और कानून के बीच कोई टकराव होता है, तो पिछली बार अंगीकृत या बनाया गया विधेयक मान्य होगा।

(d) कोई भी सदन दूसरे सदन की सहमति के बिना 10 दिन से अधिक या किसी अन्य स्थान के लिए मध्यावकाश नहीं ले सकता है।

अनुभाग 4.2. California संविधान के अनुच्छेद IV के अनुभाग 8 को संशोधित किया गया है जो इस प्रकार है:

अनुभाग 8. (a) बिल को पेश करने के बाद 31वें दिन तक नियमित सत्रों में बजट बिल के अलावा अन्य किसी बिल को समिति या किसी भी हाउस द्वारा सुना या उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है जब तक कि हाउस तीन चौथाई सदस्यों की सहमति को रोलकॉल मत द्वारा दैनिकी में दर्ज कराते हुए इस आवश्यकता को समाप्त नहीं करता है।

(b) *(1)* विधानमंडल द्वारा संविधि के अतिरिक्त कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है और बिल के अतिरिक्त कोई संविधि अधिनियमित नहीं की जा सकती है। कोई भी बिल पास नहीं किया जा सकता है जब तक कि इसे प्रत्येक हाउस में 3 दिनों में शीर्षक सहित पढ़ा नहीं जाता है सिवाय उस स्थिति के जब हाउस तीन चौथाई सदस्यों की सहमति को रोलकॉल मत द्वारा दैनिकी में दर्ज कराते हुए इस आवश्यकता को समाप्त नहीं करता है।

(2) कोई भी विधेयक तब तक पारित नहीं किया जा सकता है *या अंतिम रूप से कानून नहीं बन सकता है* ~~जब तक कि~~ विधेयक को *किन्हीं* संशोधनों के साथ मतदान से कम-से-कम 72 घंटे पहले मुद्रित न किया गया हो, ~~तथा~~ इसके अंतिम रूप में सदस्यों को वितरित *तथा इंटरनेट पर प्रकाशित न किया गया हो, सिवाय इसके कि नोटिस की अवधि में छूट दी गई हो यदि राज्यपाल ने विधानमंडल के समक्ष यह लिखित वक्तव्य भेजा हो कि अनुच्छेद XIII B के अनुभाग 3 के उपखण्ड (c) के पैरा (2) में दी गई परिभाषा के अनुसार उस विधेयक की इस नोटिस अवधि को छोड़ देना आपातस्थिति पर ध्यान देने के लिए जरूरी है, कि राज्यपाल द्वारा इसे घोषित किया गया हो, तथा विधेयक पर विचार करने वाला सदन इसके बाद जर्नल में दर्ज पृथक हाजिरी मतदान द्वारा उस विधेयक पर मतदान से पूर्व, दो-तिहाई सदस्यों की सहमति से उस विधेयक की नोटिस अवधि को छोड़ देता है।*

(3) कोई भी बिल पास नहीं किया जा सकता है जब तक कि प्रत्येक हाउस की बहुसंख्यक सदस्यता द्वारा दैनिकी (जर्नल) में बोलकर मत (रोलकॉल) नहीं डाले जाते हैं।

(c) (1) इस उपखण्ड के पैराग्राफ (2) व (3) के प्रावधानों के अतिरिक्त, नियमित सत्र में बनाई गई संविधि, संविधि बनाने की तिथि के 90 दिनों की अवधि के बाद अगली 1 जनवरी से प्रभावी होगा और विशेष सत्र में बनाई गई संविधि उस विशेष सत्र के भंग होने के 91वें दिन प्रभावी होगा जिसमें बिल पास किया गया था।

(2) किसी विधानमंडल, कांग्रेस संबंधी या अन्य चुनाव जिले की सीमाओं को निर्धारित या परिवर्तित करने वाली संविधि के अलावा, कोई संविधि जिसे विधायी सत्र की द्विवार्षिकी के दूसरे कामकाजी वर्ष में पुन: आयोजित करने के मकसद से संयुक्त विश्राम अवधि के लिए विधायिका स्थगित करने की तिथि को या उससे पहले विधायिका द्वारा पास किए बिल द्वारा बनाया गया है, और उस तिथि के बाद गवर्नर के पास नहीं है, संविधि बनाने के बाद की अगली 1 जनवरी से प्रभावी होगा जब तक कि 1 जनवरी से पहले, अनुच्छेद II के अनुभाग 10 के उपखण्ड (d) के अनुसार अटार्नी जनरल को संविधि को प्रभावित करने वाले मत-संग्रह याचिका की एक प्रति प्रस्तुत नहीं की जाती है, जिस स्थिति में संविधि अधिनियमन तिथि के बाद 91वें दिन से प्रभावी होगी जब तक कि याचिका अनुच्छेद II के अनुभाग 9 के उपखण्ड (b) के अनुसार सेक्रेट्री ऑफ स्टेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाती है।

(3) चुनाव की मांग करने वाली संविधि, कर छूट या राज्य के सामान्य वर्तमान व्ययों के विनियोजन के लिए संविधि और अत्यावश्यक संविधि उन्हें बनाए जाने के बाद तुरंत प्रभावी हो जाएंगी।

(d) अत्यावश्यक संविधि वे संविधि होती हैं जो सार्वजनिक शांति, स्वास्थ्य या सुरक्षा को तत्काल सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक होती है। आवश्यकता को दर्शाने वाला तथ्य वक्तव्य बिल के एक हिस्से में रखा जाएगा। दो तिहाई सहमत सदस्यता द्वारा दैनिकी (जर्नल) में बोलकर डाले गए मत (रोलकॉल) के ज़रिए, प्रत्येक हाउस में यह हिस्सा और बिल अलग-अलग पास किए जाएंगे। अत्यावश्यक संविधि किसी कार्यालय को बना या समाप्त नहीं कर सकती है या किसी कार्यालय के वेतन, अवधि या कर्तव्यों को बदल नहीं सकती है अथवा कोई विशेष अधिकार या विशेष प्राधिकार नहीं दे सकती है या कोई अंर्तनिहित अधिकार या हित निर्मित नहीं कर सकती है।

अनुभाग 5. सरकारी कोड में संशोधन।

अनुभाग 5.1. सरकारी संहिता के अनुभाग 9026.5 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

9026.5. *सार्वजनिक कार्यवाहियों टेलीविज़न पर दिखाई गई या अन्य दृश्य-श्रव्य रिकॉर्डिंग।*

(a) *विधानमंडल के प्रत्येक सदन और इनकी समितियों की सार्वजनिक कार्यवाहियों की टेलीविज़न पर दिखाई गई या अन्य दृश्य-श्रव्य रिकॉर्डिंगों का उपयोग किसी वैध उद्देश्य के लिए तथा राज्य या अन्य सरकारी एजेन्सी या इनके सार्वजनिक निगम को देय कोई शुल्क लगाए बिना किया जा सकता है।* ~~विधानसभा द्वारा उत्पन्न किसी दूरदर्शन सिग्नल का उपयोग किसी राजनैतिक या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, जिसमें निर्वाचित सरकारी पद हेतु कोई अभियान अथवा निर्वाचकों के समक्ष प्रस्तुत मतपत्र के प्रस्ताव के समर्थन या विरोध में कोई अभियान शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।~~

~~जैसा कि इस अनुभाग में प्रयुक्त किया गया है, "वाणिज्यिक उद्देश्य" में निम्नलिखित में से कोई भी शामिल नहीं है:~~

~~(1) किसी मान्यता प्राप्त समाचार-पत्र संगठन या किसी गैर-लाभकारी संगठन~~

54

~~द्वारा विधानसभा द्वारा उत्पन्न किसी दूरदर्शन सिग्नल का शैक्षिक या सार्वजनिक मामलों की प्रोगामिंग के लिए उपयोग।~~

~~(2) जैसा कि विधानसभा द्वारा अधिकृत है, किसी तीसरे पक्षकार द्वारा विधानसभा द्वारा उत्पन्न दूरदर्शन सिग्नल की किसी असंपादित वीडियो फीड का भुगतान करने वाले ग्राहकों को संचारण।~~

(b) *California के संविधान के अनुच्छेद IV के अनुभाग 7 के उपखण्ड (c) के पैरा (2) तथा अनुभाग 8 के उपखण्ड (b) के पैरा (2) के अनुपालन के विधानमंडल के खर्चों को California के संविधान के अनुच्छेद IV के अनुभाग 7.5 के अंतर्गत अनुमत कुल औसत खर्चों के भाग के रूप में शामिल किया जाएगा।* ~~इस अनुभाग का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति या संगठन छोटे जुर्म को दोषी होगा।~~

अनुभाग 5.2. सरकारी संहिता के अनुभाग 10248 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

10248. *सार्वजनिक कम्प्यूटर नेटवर्क; अपेक्षित विधायी सूचना।*

(a) नियमों संबंधी विधानसभा समिति तथा नियमों संबंधी सीनेट समिति की सलाह पर विधायी परिषद् निम्नलिखित सभी सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता को उपलब्ध कराएगी:

(1) विधायी कैलेण्डर, विधायी समिति की सुनवाईयों की अनुसूची, विधानमंडल के दोनों सदनों के पटलों पर लंबित मामलों की सूची, तथा विधानमंडल और उनके सदस्यों की समितियों की सूची।

(2) प्रत्येक विधेयक के प्रत्येक संशोधित, नामांकित, तथा अध्याय-बद्ध संस्करण सहित विधानमंडल के प्रत्येक वर्तमान सत्र में पेश प्रत्येक विधेयक का पाठ।

(3) विधानमंडल के प्रत्येक वर्तमान सत्र में पेश और संशोधित किए गए प्रत्येक विधेयक का विधेयक इतिहास।

(4) विधानमंडल के प्रत्येक वर्तमान सत्र में पेश और संशोधित किए गए प्रत्येक विधेयक की विधेयक स्थिति।

(5) विधानमंडल के प्रत्येक वर्तमान सत्र में प्रत्येक विधेयक के संबंध में विधायी समितियों द्वारा तैयार विधेयक के सभी विश्लेषण।

(6) *California के संविधान के अनुच्छेद IV के अनुभाग 7 के उपखण्ड (c) के पैरा (2) के अनुसार विधानमंडल द्वारा तैयार कराई गई विधायी कार्यवाहियों की सभी दृश्य-श्रव्य रिकॉर्डिंग। प्रत्येक रिकॉर्डिंग इंटरनेट के माध्यम से जनता के लिए सुलभ रहेगी तथा रिकॉर्डिंग किए जाने की तारीख से 20 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक डाउनलोड की जा सकेगी तथा इसके बाद सुरक्षित प्रारूप में लेखागार में रखी जाएगी।*

~~(6)~~*(7)* विधानमंडल के प्रत्येक वर्तमान सत्र में प्रत्येक विधेयक के संबंध में मतदान की समस्त सूचना।

~~(7)~~*(8)* विधानमंडल के प्रत्येक वर्तमान सत्र में विधेयक के संबंध में कोई वीटो संदेश।

~~(8)~~*(9)* California के कोड।

~~(9)~~*(10)* California का संविधान।

~~(10)~~*(11)* 1 जनवरी, 1993 को या इसके बाद बनाए गए सभी कानून।

(b) उपखण्ड (a) में पहचानी गई सूचना सबसे बड़े गैर-स्वामित्व, गैर-लाभकारी सहकारी सार्वजनिक कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से पहुँच के माध्यमों द्वारा जनता के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। सूचना इस राज्य के जन-साधारण को सबसे अधिक सुलभ पहुँच प्रदान करने के लिए एक या अधिक प्रारूपों में तथा एक या अधिक माध्यमों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। सूचना तक पहुँच बनाने वाला कोई भी व्यक्ति सूचना के सभी या किसी भाग तक पहुँच बना सकता है। सूचना पहुँच के किसी ऐसे अन्य माध्यम द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है जिससे सूचना तक जनता की पहुँच सुगम बनेगी। विधायी परिषद् द्वारा प्रचालित और रखरखाव की गई विधायी सूचना प्रणाली में रखरखाव की गई सूचना इसे सूचना प्रणाली में उपलब्ध कराए जाने के बाद सबसे कम संभव समय में उपलब्ध कराई जाएगी। सूचना प्रणाली में रखरखाव न की गई सूचना विधायी परिषद् को उपलब्ध कराए जाने के बाद सबसे कम संभव समय में उपलब्ध कराई जाएगी।

(c) कोई दस्तावेज जो उपखण्ड (a) में पहचानी गई सूचना के इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रारूपों का वर्णन करता हो तथा जनता को उपलब्ध हो, वह उपखण्ड (b) में उल्लिखित कम्प्यूटर नेटवर्क द्वारा पहुँच के माध्यम द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

(d) सूचना तक पहुँच रखने वाले किसी व्यक्ति से संबंधित निजी सूचना का केवल व्यक्ति को सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से ही रखरखाव किया जा सकता है।

(e) उपखण्ड (b) में उल्लिखित कम्प्यूटर नेटवर्क द्वारा पहुँच बनाने योग्य सूचना तक पहुँच बनाने की शर्त के रूप में विधायी परिषद द्वारा कोई शुल्क या अन्य प्रभार नहीं लगाया जा सकता है।

(f) उपखण्ड (b) में उल्लिखित कम्प्यूटर नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक पहुँच, सूचना के अन्य इलेक्ट्रॉनिक या मुद्रित वितरण के अलावा होगी।

(g) इस अनुभाग के अनुसरण में की गई कोई भी कार्रवाई इस अनुभाग के अनुसरण में उपलब्ध कराई गई किसी सूचना के संबंध में California राज्य के किसी कॉपीराइट या स्वामित्व संबंधी अन्य हित या हकदारी में बदलाव करने या त्याग करने वाली नहीं समझी जाएगी।

अनुभाग 6. पहल के बचाव का उपाय।

अनुभाग 6.1. सरकारी संहिता में अनुभाग 12511.7 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

12511.7. California के विधानमंडल में पारदर्शिता अधिनियम का बचाव।

यदि California के विधानमंडल में पारदर्शिता अधिनियम की वैधता को पूर्ण या आंशिक रूप से चुनौती देते हुए कोई कार्रवाई की जाती है, तो निम्नलिखित लागू होगा:

(a) विधानमंडल तब तक अधिनियम का पालन करना जारी रखेगी जब तक कि इसे अपील न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसरण में असंवैधानिक घोषित न कर दिया जाए।

(b) उपखण्ड (c) में निर्धारित किए जाने के सिवाए, अटर्नी जनरल अधिनियम की वैधता को आंशिक या पूर्ण रूप में चुनौती देने वाली किसी कार्रवाई के विरुद्ध बचाव करेगा, तथा अधिनियम की वैधता पर ध्यान देने वाली किसी भी कार्रवाई में हस्तक्षेप करने का शर्तहीन अधिकार रखेगा।

(c) यदि अटर्नी जनरल किसी भी कार्रवाई में अधिनियम की वैधता का बचाव करने से इन्कार करता है, तो अटर्नी जनरल तब भी अधिनियम को, पूर्ण या आंशिक रूप में, अवैध नियत करने वाले किसी न्यायालय के किसी निर्णय से अपील दायर करेगा, या इसकी समीक्षा की माँग करेगा, यदि अटर्नी जनरल के राज्य के कानूनों को पर्याप्त रूप से लागू करने का निरीक्षण करने के संवैधानिक कर्तव्य के अनुसार कानून की रक्षा करने की राज्य की प्रतिष्ठा को संरक्षित रखने के लिए आवश्यक या उचित हो।

(d) अधिनियम के आधिकारिक प्रस्तावकों के पास अधिनियम की वैधता या व्याख्या को प्रभावित करने वाली किसी कार्रवाई में हस्तक्षेप करने वालों या हितधारक वास्तविक पक्षकारों के रूप में भागीदारी करने का शर्त रहित अधिकार है। जहाँ राज्यपाल और अटर्नी जनरल ने अधिनियम की वैधता का बचाव करने से इन्कार कर दिया हो, वहाँ आधिकारिक प्रस्तावक राज्य की ओर से ऐसी किसी कार्रवाई में अधिनियम की वैधता में राज्य के हित का दावा करने की कार्रवाई करने तथा अधिनियम को अवैध बनाने वाले किसी निर्णय पर अपील करने के लिए भी अधिकृत हैं।

(e) इस अनुभाग में कोई भी बात अधिनियम की वैधता में राज्य के हित का

54

दावा करने से अन्य सरकारी अधिकारियों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाती है।

अनुभाग 7. प्रारंभिक चुनाव में प्रस्तावित किसी टकराव वाले कानून को रद्द करना।

यदि विधानमंडल जून 2016 के प्रारंभिक चुनाव के मतपत्र पर बहुमत द्वारा मंज़ूर कोई उपाय लगाती है, तो उस उपाय का कोई भी प्रावधान जो किसी प्रकार से पहल के इस उपाय द्वारा अंगीकृत उद्देश्य या प्रावधानों के असंगत हो, या हस्तक्षेपकारी हो, निष्प्रभावी और कानूनी प्रभाव से रहित माना जाएगा।

अनुभाग 8. पृथक्करणीयता।

इस अधिनियम के प्रावधान पृथक्करणीय हैं। यदि इस अधिनियम का कोई भी प्रावधान या इनका अनुप्रयोग अमान्य माना जाता है तो यह अमान्यता अन्य प्रावधानों या अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करेगी जिन्हें अमान्य प्रावधान या अनुप्रयोग के बिना प्रभावी बनाया जा सकता है। ऊपर उल्लेख की गई किसी बात की व्यापकता को किसी भी प्रकार से सीमित किए बिना, मतदाता घोषणा करते हैं (1) कि California के संविधान के अनुच्छेद IV के अनुभाग 7 के संशोधन California के संविधान के अनुच्छेद IV के अनुभाग 8 के संशोधनों से पृथक्करणीय हैं, (2) कि विधायी कार्यवाहियों की दृश्य-श्रव्य रिकॉर्डिंगें बनवाने, सार्वजनिक करने, तथा इनका रख-रखाव करने के विधानमंडल के दायित्व California के संविधान के अनुच्छेद IV के अनुभाग 7 के संशोधनों के अनुसार कार्यवाहियों को रिकॉर्ड करने तथा इन रिकॉर्डिंगों का प्रसारण करने या अन्यथा संचारण करने के किसी व्यक्ति के अधिकार से पृथक्करणीय है, (3) कि कार्यवाहियों को रिकॉर्ड करने का अधिकार रिकॉर्डिंगों का प्रसारण या अन्यथा संचारण करने के अधिकार से पृथक्करणीय है, तथा (4) कि इस पहल के उपाय के सांविधिक संशोधन संवैधानिक संशोधनों से पृथक्करणीय हैं।

अनुभाग 9. संशोधन।

इस अधिनियम के सांविधिक उपबंधों में संशोधन नहीं किए जाएंगे सिवाय मतदाताओं की मंज़ूरी के, सिवाय इसके कि विधानमंडल सरकारी कोड के अनुभाग 10248 के उपखण्ड (a) के पैरा (6) में यह संशोधन कर सकती है कि प्रत्येक सदन के बहुमत की सहमति से रिकॉर्डिंगें इंटरनेट के माध्यम से जनता के लिए सुलभ और जर्नल में दर्ज हाजिरी मतदान द्वारा कानून पारित करके डाउनलोड करने योग्य रहेंगी।

अनुभाग 10. परस्पर टकराने वाले प्रस्ताव।

(a) यदि पहल का यह उपाय और कोई अन्य उपाय या ऐसे उपाय जो इसमें विचारित किसी मामले के संबंध में विधायी प्रक्रिया की पारदर्शिता से संबंधित हों, को एक ही चुनाव में बहुमत से मंज़ूरी दी गई हो, तथा पहल के इस उपाय को ऐसे अन्य किसी उपाय या उपायों की तुलना में अधिक संख्या में सकारात्मक मत मिले हों, तो पहल का यह उपाय सम्पूर्ण रूप से नियंत्रणकारी होगा तथा अन्य उपाय या अधिक उपाय शून्य और कानूनी प्रभाव से रहित हो जाएंगे।

(b) यदि विधानमंडल द्वारा मतपत्र पर दिए गए पहल के इस उपाय और सांविधिक उपाय को एक ही चुनाव में बहुमत द्वारा मंज़ूरी दी जाती है, तो पहल के इस उपाय के संवैधानिक संशोधन विधानमंडल द्वारा मतपत्र पर दिए गए किसी सांविधिक उपाय पर इस हद तक नियंत्रण रखेंगे कि सांविधिक उपाय पहल के इस उपाय के उद्देश्य, आशय, या प्रावधानों से टकराव रखता हो, से असंगत हो, या हस्तक्षेप करता हो।

(c) यदि पहल के इस उपाय को मतदाताओं की मंज़ूरी मिल जाती है लेकिन मतदाताओं द्वारा मंज़ूर किसी अन्य टकराव वाले उपाय द्वारा और एक ही चुनाव में सकारात्मक वोट प्राप्त करके पूर्ण या आंशिक रूप से इसका अधिक्रमण किया जाता है, तथा टकराव वाले उपाय या इसके अधिक्रमणकारी प्रावधान बाद में अवैध ठहरा दिए जाते हैं, तो पहल के इस उपाय के पूर्व में अधिक्रमित किए गए प्रावधान, टकराव वाले उपाय के बाद में अवैध ठहराए गए प्रावधानों द्वारा अधिक्रमण किए जाने की हद तक स्वयं लागू होंगे तथा उन्हें कानून की पूर्ण शक्ति प्रदान की जाएगी।

प्रस्ताव 55

यह पहल संबंधी विधेयक California संविधान के अनुच्छेद II की अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुपालन में लोगों को पेश किया जाता है।

यह पहल विधेयक California के संविधान के एक अनुभाग को संशोधित करता है; इसलिए मिटाने के लिए प्रस्तावित वर्तमान प्रावधानों को ~~काटे हुए अक्षरों~~ में प्रकाशित किया गया है और जोड़ने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *इटैलिक टाईप* में प्रकाशित किया गया है ताकि यह पता चले कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

California बाल शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2016

अनुभाग 1. शीर्षक।

इस विधेयक को "California बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल संरक्षण अधिनियम 2016" के तौर पर जाना जाएगा एवं उल्लेखित किया जा सकता है।

अनुभाग 2. निष्कर्ष।

(a) हाल की मंदी के दौरान, California ने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल व अन्य जरूरी राज्य की व स्थानीय सेवाओं से $56 बिलियन से अधिक की कटौती की है। इस कटौती के परिणामस्वरूप हजारों अध्यापकों को नौकरी से मुक्त किया गया, स्कूल कक्षाओं के आकार में वृद्धि की गई, कॉलेज ट्यूशन फीस बढ़ाई गई व आवश्यक सेवाओं में कमी की गई। 2012 में California के मतदाताओं द्वारा पास की गई अस्थायी कर वृद्धियों ने गंवाए फंडिंग में से कुछ की आंशिक रूप से कमी पूरी करने में मदद की, लेकिन उन करों की अवधि 2016 के अंत में समाप्त होगी, जिससे अधिक घाटा व अधिक स्कूल कटौतियां होंगी।

(b) जब तक California के धनी निवासियों पर मौजूदा आय कर दरों को अस्थायी रूप से बढ़ाने के लिए काम नहीं करते, हमारे सरकारी स्कूल एक वर्ष में कई बिलियन डॉलर के राजस्व की हानि के कारण कटौतियों के दूसरे भयानक दौर का सामना करेंगे। मंदी के दौरान सरकारी स्कूल फंडिंग को बहुत ही कम कर दिया गया था। हमारे स्कूलों व कॉलेजों ने अभी संभलना शुरू ही किया है और हमें इस सबको दोबारा तहस-नहस करने की बजाय शिक्षा की फंडिंग को सुरक्षित करने की कोशिश करनी चाहिए। हम कामकाजी परिवारों की मदद के लिए बिक्री कर में अस्थायी वृद्धि की अवधि समाप्त करने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन यह California के धनी लोगों को कर की कटौती देने का समय नहीं है, जिसकी उनको जरूरत नहीं है और हमारे स्कूल इसे सहन नहीं कर सकते।

(c) California का भविष्य इसके नौ मिलियन बच्चों की सफलता पर निर्भर है। California का प्रत्येक बच्चा एक सफल वयस्क बनने के लिए उचित अवसर का पात्र है। लेकिन बच्चों के वयस्कों की तरह सफल होने के लिए, उच्च किस्म की शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल तक उनकी पहुंच होनी जरूरी है।

(d) बच्चों के लिए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल आवश्यक है और ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। अच्छी शिक्षा तक पहुंच California के बच्चों की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्याप्त स्कूल होने पर भी बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, यदि बीमारी की वजह से वे स्कूल न जा पाएं। इसके अलावा पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल के बिना समुदायों में विकसित होने वाले बच्चों में संपर्क से होने वाली बीमारियां होने अथवा पुरानी चिकित्सा अवस्थाएं होने की अधिक संभावना है, जिनके कारण वे नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पाते।

(e) स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों की अपर्याप्त फंडिंग California को वित्तीय रूप से भी हानि पहुंचाती है। बच्चों एवं उनके परिवारों की स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च किया गया प्रत्येक नया राज्य डॉलर अपने आप में ही संघीय फंडों के बराबर है। इसका अर्थ है कि California प्रत्येक वर्ष संघीय मिलान धन में कई बिलियन डॉलर का नुकसान उठाता है, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि बच्चों व उनके परिवारों की स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच है।

(f) शोध यह भी दर्शाता है कि अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य देखभाल तक जल्दी पहुंच बच्चों के लिए स्कूल में व जीवन में सफल होने के अवसरों को बेहतर बनाती

है। California को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रयास करना चाहिए कि राज्य के बच्चों को शिक्षा व स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त हो, जिनकी उन्हें अपनी उच्चतम क्षमता को बढ़ाने व हासिल करने के लिए आवश्यकता है।

(g) उदाहरण के लिए, California के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। कक्षा के आकार राष्ट्रीय औसत से 80 प्रतिशत अधिक बड़े हैं, जोकि आश्चर्यजनक है। भविष्य में अध्यापक बनने के लिए California वासियों का प्रशिक्षण पिछले पांच वर्षों में 50 प्रतिशत कम हो गया है क्योंकि कक्षाओं में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है।

(h) साथ ही, भारी मंदी के दौरान California के बच्चों की कैरियर प्रशिक्षण तथा वहन करने योग्य व जरूरी कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता को कम करते हुए—विशेष रूप से कम-आमदन वाले परिवारों के बच्चों की—California के सामुदायिक कॉलेजों के बजट में बहुत ज्यादा कटौती की गई थी।

(i) California काफी समय से स्वास्थ्य देखभाल के लिए अपर्याप्त फंड देता है। California को स्वास्थ्य देखभाल में खर्च करने में 50 राज्यों में से 48वां दर्जा प्राप्त है, जो बच्चों व उनके परिवारों, बुजुर्गों एवं विकलांग व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को मुश्किल बनाता है। बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए अपर्याप्त फंडिंग गंभीर बीमारी व लंबी-अवधि के काफी अधिक चिकित्सा खर्च की दरों में वृद्धि करती है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेहतर अदायगी यह सुनिश्चित करने में मदद करती हैं कि बच्चों की डॉक्टरों व अस्पतालों तक पहुंच है। इसके अलावा यदि कोई अस्पताल अथवा किसी डॉक्टर का ऑफिस काफी समय से अपर्याप्त फंडिंग के कारण बंद हो जाए, तो वह उस समुदाय में हर किसी के लिए बंद हो जाता है।

(j) California बाल शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2016 उन जोड़ों के लिए अस्थायी रूप से उच्च आय कर दरों में वृद्धि करता है, जो वर्ष में आधा मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई करते हैं—वो जो इसे वहन कर सकते हैं।—जिससे कि California के सभी बच्चों को स्वस्थ रहने, अच्छे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने और उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलती है।

(k) इस विधेयक से $250,000 से कम आय वाले किसी भी व्यक्ति पर कर की वृद्धि नहीं होती। यह अस्थायी बिक्री कर वृद्धियों का विस्तार नहीं करता, जिसे मतदाताओं ने पहले 2012 में मंजूरी दी थी।

(*l*) आय कर राजस्व सीधे स्थानीय स्कूल डिस्ट्रिक्ट एवं सामुदायिक कॉलेजों में जाने के लिए व कम-आमदन वाले परिवारों के बच्चों व उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के खर्चों के लिए राज्य की मदद करने के लिए California संविधान में गारंटीशुदा है। बजट को संतुलित रखने और वरिष्ठ नागरिकों, कम-आय वाले बच्चों कामकाजी परिवारों, और छोटे व्यवसाय के मालिकों के लिए सेवाओं में अधिक संकटकारी कटौतियां करने से बचाने के लिए राज्य फंडिंग को मुक्त रखा गया है। इससे प्रत्येक को लाभ मिलता है। इससे प्रत्येक को लाभ मिलता है।

(m) यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सारा धन केवल वहां जाए जहां इसे भेजने की मतदाता की इच्छा है, इन्हें विशेष फ़ंड में रखा जाता है जिसे विधानमंडल अन्य उद्देश्यों के लिए मोड़ नहीं सकता है। इन राजस्व में से किसी को भी राज्य की नौकरशाही या प्रशासनिक लागत पर खर्च नहीं किया जा सकता है।

(n) इन फंड को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्र ऑडिट के अंतर्गत रखा जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि इन्हें केवल इस विधेयक में निश्चित किए गए उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाता है। यदि चुने हुए अधिकारी फंड का दुरुपयोग करते हैं तो वे अभियोग चलाए जाने व आपराधिक दंड पाने के अधीन होंगे।

(o) California ने पिछले 15 वर्षों में डॉट-कॉम में गिरावट और भारी मंदी के बाद गहन घाटों व भयानक कटौतियों से बजट पर भारी प्रभाव देखा है। राज्य की भविष्योन्मुखी वित्तीय जरूरत को व्यवस्थित करने से बजट स्थिर होगा, साथ ही इससे अतीत के तेजी व मंदी के दौर से बचा जा सकेगा और हमारे बच्चों, बुजुर्गों व California के विकलांग व्यक्तियों को भविष्य में आर्थिक घाटे के दौरान स्कूल व स्वास्थ्य देखभाल फंडिंग में कटौतियों से सुरक्षित किया जा सकेगा।

अनुभाग 3. उद्देश्य और मंशा।

(a) इस विधेयक को पूरा करने में मतदाताओं का मुख्य उद्देश्य व इरादा उन नुकसानदेह कटौतियों से बचना है, जो California के स्थानीय सरकारी स्कूलों में शिक्षा एवं अध्ययन की गुणवत्ता को कम करेंगी और साथ ही उन बच्चों व पारिवारिक सदस्यों, जो California के कानूनन निवासी हैं, के लिए आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए पर्याप्त फंडिंग प्रदान करना है।

(b) यह विधेयक वर्ष में आधा मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई करने वाले जोड़ों अथवा एक चौथाई मिलियन से अधिक की कमाई करने वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स छूट देने की बजाय, California के धनी निवासियों पर मौजूदा आय कर दरों में अस्थायी रूप से वृद्धि करके हमारे बच्चों को सुरक्षित करने के लिए तैयार किया गया है। धनी लोगों की जेबों में पैसा वापस भेजने की बजाय, यह विधेयक धन को एक विशेष खाते में भेजता है, जिसे खास तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए खर्च किया जाना जरूरी है कि California के प्रत्येक बच्चे की अच्छी सरकारी शिक्षा एवं अच्छी किस्म की स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच है, जो उनके लिए नियमित रूप से स्कूल जाने व पढ़ाई करने के लिए जरूरी है।

(c) यह विधेयक स्कूलों, सामुदायिक कॉलेजों एवं स्वास्थ्य देखभाल के लिए संतुलित बजट व विश्वसनीय फंडिंग की मौजूदा स्थिति का पता लगाने के लिए है, जिससे पुराने बजट घाटे व फंडिंग की कटौतियों की स्थिति के वापस आने से बचा जा सके।

(d) यह विधेयक संविधान में गारंटी देता है कि इसके द्वारा स्कूलों के लिए एकत्रित किए जाने वाले राजस्वों को सीधे स्कूल डिस्ट्रिक्टों और सामुदायिक कॉलेजों में कक्षा के व्ययों के लिए भेजा जाएगा न कि प्रशासनिक लागत के लिए। इस स्कूल फंडिंग को निलंबित या रोका नहीं जा सकता है चाहे राज्य बजट में कुछ भी हो जाए।

(e) यह विधेयक संविधान में गारंटीशुदा है कि यह स्वास्थ्य देखभाल के लिए जो भी राजस्व जुटाता है, वह उन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए राज्य की मौजूदा फंडिंग की पूर्ति के लिए खर्च किया जाएगा, जो मिलान संघीय फंड की पात्र हैं।

(f) इस विधेयक से मिलने वाले समस्त राजस्व का प्रत्येक वर्ष स्थानीय ऑडिट किया जाता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र कंट्रोलर द्वारा ऑडिट किया जाता है कि इस केवल इस विधेयक में निश्चित किए गए उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा।

अनुभाग 4. California संविधान के अनुच्छेद XIII की धारा 36 को संशोधित किया गया है जो इस प्रकार है:

अनुभाग 36. (a) इस धारा के उद्देश्यों के लिए:

(1) "सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं" में निम्नलिखित शामिल होती है:

(A) कानून प्रवर्त्तन कर्मियों, आपराधिक कार्यवाहियों के लिए नियुक्त वकील और कोर्ट के सुरक्षा स्टाफ सहित, सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारियों को नियुक्त करना व प्रशिक्षण देना।

(B) स्थानीय जेलों की व्यवस्था करना और अवयस्क व वयस्क अपराधियों के लिए आवास, उपचार व सेवाएं प्रदान करना तथा निगरानी करना।

(C) बाल दुर्व्यवहार, अपेक्षा या उत्पीड़न को रोकना; दुर्व्यवहार, अपेक्षा या उत्पीड़न के शिकार बच्चों व युवाओं अथवा दुर्व्यवहार, अपेक्षा या उत्पीड़न के जोखिम वाले बच्चों व युवाओं और उनके परिवारों को सेवाएं प्रदान करना; गोद लेने संबंधी सेवाएं प्रदान करना; और वयस्क सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना।

(D) बच्चों व वयस्कों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करना ताकि स्कूल में विफल होने, स्वयं या दूसरों को नुकसान पहुंचाने, बेघर होने और जेलों या अस्पताल आदि संस्थाओं में भर्ती होने की रोकी जाने योग्य घटनाओं को कम किया जाए।

55

(E) दवाओं के दुरुपयोग को रोकना, उपचार करना व इससे ठीक कराने संबंधी सेवाएं देना।

(2) "2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन" से मतलब 30 सितंबर, 2012 को या उससे पहले बनाए गए कानून से है ताकि राज्य बजट योजना को लागू किया जाए जिसे 2011 रिअलाईनमेंट शीर्षक दिया गया है और इसमें रिपोर्ट करने संबंधी जिम्मेदारियों सहित, स्थानीय एजेंसियों को सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं की जिम्मेदारी सौंपने की शर्त शामिल है। यह कानून स्थानीय एजेंसियों को संघीय कानून और फंडिंग आवश्यकताओं के अनुरूप सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं को तैयार, व्यवस्था और प्रदान करने पर अधिकतम लचीलापन और नियंत्रण, इस कानून के अनुसार प्रदान करेगा। हालांकि, 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन में शुरुआती नियमित जांच, रोग-निदान और उपचार (EPSDT) कार्यक्रम और मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधित देखभाल के अतिरिक्त, 1 जनवरी 2012 के बाद स्थानीय एजेंसियों को सौंपा गया कोई भी नया कार्यक्रम शामिल नहीं होगा।

(b) (1) उपखंड (d) में उल्लेखित प्रावधान के अतिरिक्त, जो वित्तीय वर्ष 2011-12 में आरंभ हुए और उसके बाद जारी रहे, निम्नलिखित राशि को लोकल रेवेन्यू फंड 2011 में जमा किया जाएगा जैसा कि गवर्नमेंट कोड्स की धारा 30025 में प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार है:

(A) रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड, की धारा 6051.15 और 6201.15 में वर्णित करों से प्राप्त समस्त राजस्व, रिफंड घटाकर, जैसी कि उक्त धाराओं की 1 जुलाई, 2011 को व्याख्या हुई।

(B) राजस्व और कराधान संहिता, की धारा 11005 में वर्णित वाहन लाइसेंस फीस से प्राप्त समस्त राजस्व, रिफंड घटाकर, जैसी कि उक्त धारा की 1 जुलाई, 2011 को व्याख्या हुई।

(2) 1 जुलाई 2011 को और इसके बाद, पैरा (1) के अनुसार जमा कराए गए राजस्वों को जनरल फंड के राजस्व या California संविधान के अनुच्छेद XVI की धारा 8 के उद्देश्यों के लिए लागू करों की आय नहीं माना जाएगा।

(c) (1) लोकल रेवेन्यू फंड 2011 में जमा फंड का निरंतर उपयोग एकमात्र रूप से स्थानीय एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं के प्रावधानों को फंड देने के लिए किया जाता है। 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन के पूर्ण क्रियान्वयन के लंबित रहते हुए, स्थानीय एजेंसियों की ओर से कार्यक्रम के लिए राज्य को प्रतिपूर्ति करने के लिए भी फंड का उपयोग किया जा सकता है। फंड आवंटन की पद्धति 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार होगी।

(2) काउंटी कोषाध्यक्ष, शहरी व काउंटी कोषाध्यक्ष, या अन्य उपयुक्त अधिकारी प्रत्येक काउंटी या शहर व काउंटी के राजकोष में काउंटी लोकल रेवेन्यू फंड 2011 बनाएगा। प्रत्येक काउंटी लोकल रेवेन्यू फंड 2011 में मौजूद धन का उपयोग एकमात्र रूप से स्थानीय एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं की व्यवस्था के फंड के लिए किया जाएगा जैसा कि 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन में वर्णित है।

(3) अनुच्छेद XIII B की धारा 6, या किसी भी अन्य संवैधानिक प्रावधान के बावजूद, 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन, या अपनाए गए किसी भी विनियम या इस कानून को लागू करने के लिए जारी किसी भी कार्यकारी आदेश या प्रशासनिक निर्देश द्वारा लागू स्थानीय एजेंसी के किसी नए कार्यक्रम या सेवा के उच्च स्तर का आदेश, इस प्रकार का आदेश नहीं बनेगा जिसके लिए राज्य को उस धारा के अर्थ के भीतर फंड द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। कोई भी आवश्यकता जिसका स्थानीय एजेंसी गवर्नमेंट कोड्स के शीर्षक 5 के प्रभाग 2 के भाग 1 के अध्याय 9 (धारा 54950 से शुरू करते हुए) के अनुसार अपनी सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं संबंधी जिम्मेदारियों को पूरा करने, या किसी अन्य संबंध में पालन करती है, अनुच्छेद XIII B की धारा 6 के अंतर्गत प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश नहीं होगा।

(4) (A) 30 सितंबर, 2012 के बाद बना कानून जिसका समग्र प्रभाव 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन के अनुसार कार्यक्रमों या सेवाओं के स्तरों के लिए स्थानीय एजेंसी द्वारा पहले से वहन किए जा रहे व्ययों को बढ़ाने पर पड़ता है, केवल उसी सीमा तक स्थानीय एजेंसी पर लागू होंगे जिस सीमा तक राज्य द्वारा व्यय वृद्धि के लिए वार्षिक फंडिंग उपलब्ध कराई जाती है। स्थानीय एजेंसियां उस स्तर से अधिक, इस उप-पैरा में वर्णित, कानून द्वारा आवश्यक कार्यक्रमों या सेवाओं के स्तरों को बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं है जिसके लिए फंड प्रदान किया गया है।

(B) 9 अक्टूबर, 2011 के बाद लागू किए गए विनियम, कार्यकारी आदेश, या प्रशासनिक निर्देश जो 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन लागू करने के लिए आवश्यक नहीं हैं, और जिनका समग्र प्रभाव 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन के अनुसार कार्यक्रमों या सेवाओं के स्तरों के लिए स्थानीय एजेंसी द्वारा पहले से वहन किए जा रहे व्ययों को बढ़ाने पर पड़ता है, केवल उसी सीमा तक स्थानीय एजेंसी पर लागू होंगे जिस सीमा तक राज्य द्वारा व्यय वृद्धि के लिए वार्षिक फंडिंग उपलब्ध कराई जाती है। स्थानीय एजेंसियां उस स्तर से अधिक, इस उप-पैरा में वर्णित, नए विनियमों, कार्यकारी आदेशों, या प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों या सेवाओं के स्तरों को बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं है जिसके लिए फंड प्रदान किया गया है।

(C) उप-पैरा (A) और (B) में वर्णित, उस स्तर से ऊपर जिसके लिए फंडिंग प्रदान की गई है, स्थानीय एजेंसियों द्वारा प्रदान किए जाने वाला कोई भी नया कार्यक्रम या सेवा के उच्चतर स्तर के लिए न तो राज्य द्वारा फंड की वित्तीय सहायता देना आवश्यक होगा और न ही यह अन्य प्रकार से अनुच्छेद XIII B की धारा 6 के अधीन होगा। यह पैरा अनुच्छेद XIII B की धारा 6 की उपखंड (a) के पैरा (2) के अंतर्गत वित्तीय सहायता से मुक्त वर्तमान कानून पर लागू नहीं होगा जैसा कि इस पैरा की 2 जनवरी, 2011 को व्याख्या की गई।

(D) राज्य द्वारा संघीय सरकार को कोई भी ऐसी योजनाएं या अधित्याग, या उन योजनाओं या अधित्यागों में संशोधन नहीं किए जाएंगे जिनका समग्र प्रभाव 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन के अनुसार कार्यक्रमों या सेवाओं के स्तरों के लिए स्थानीय एजेंसी द्वारा पहले से वहन किए जा रहे व्ययों को बढ़ाने पर पड़ता है, सिवाय उस सीमा तक जिस सीमा तक ये योजनाएं, अधित्याग या संशोधन संघीय कानूनों द्वारा आवश्यक किए जाते हैं, अथवा राज्य बढ़े हुए व्यय के लिए वार्षिक फंडिंग प्रदान करता है।

(E) राज्य के लिए इस पैरा के अनुसार ऐसे आदेश के लिए फंड की वित्तीय सहायता देना आवश्यक नहीं होगा जिसे राज्य द्वारा स्थानीय एजेंसी के अनुरोध पर या संघीय कानून का पालन करने के लिए लागू किया गया है। इस पैरा के अनुसार आवश्यक राज्य फंड उपखंड (b) और (d) में वर्णित स्रोतों से पृथक स्रोत से लिये जाएंगे, यथामूल्य, संपत्ति कर, या लोकल रेवेन्यू फंड के सेल्स टैक्स एकाउंट के सोशल सर्विसेज सबएकाउंट।

(5) (A) उप-पैरा (C) से लेकर (E) तक वर्णित, उपखंड (a) के पैरा (1) सहित, और 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन में शामिल कार्यक्रमों के लिए, यदि संघीय अधिनियमों, या विनियमों में उत्तरवर्ती परिवर्तन होते हैं जो उन स्थितियों को बदलते हैं जिनके अंतर्गत 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन में वर्णित प्रावधानों के अनुसार समान राशि के संघीय फंड प्राप्त किए जाते हैं, और जिनका समग्र प्रभाव स्थानीय एजेंसी द्वारा किए जाने वाले व्ययों के बढ़ने पर पड़ता है, तो राज्य द्वारा उन व्ययों के राज्य द्वारा निर्धारित गैर-संघीय हिस्से का कम से कम 50 प्रतिशत वार्षिक रूप से प्रदान किया जाएगा।

(B) जब राज्य संघीय न्यायिक क्षेत्र या प्रशासनिक कार्यवाही में की गई किसी शिकायत का एक पक्ष होता है जिसमें उप-पैरा (C) से लेकर (E) तक वर्णित, उपखंड (a) के पैरा (1) सहित और 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन में शामिल एक या अधिक कार्यक्रम शामिल होते हैं, और कोई निपटारा या न्यायिक अथवा प्रशासनिक आदेश होता है जिसमें आर्थिक दंड के रूप में व्यय लगाया जाता है या जिसका समग्र प्रभाव 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन के अनुसार कार्यक्रमों या सेवाओं के स्तरों के लिए स्थानीय एजेंसियों द्वारा पहले से वहन किए जा रहे व्ययों के बढ़ने में होता है, तो राज्य द्वारा उन व्ययों के राज्य द्वारा निर्धारित गैर-संघीय हिस्से का कम से कम 50 प्रतिशत वार्षिक रूप से प्रदान किया जाएगा। राज्य द्वारा भुगतान करना आवश्यक नहीं है यदि राज्य निर्धारित करता है कि निपटारा या आदेश एक या अधिक ऐसी स्थानीय एजेंसियों से संबंधित है

जो मंत्रालय संबंधी कर्तव्य निभाने में विफल रही, अच्छी मंशा के साथ कानूनी बाध्यता पूरी करने में विफल रही है या लापरवाह अथवा असावधान तरीके से काम कर रही है।

(C) इस पैरा में बताए गए राज्य फंड उपखंड (b) और (d) में वर्णित स्रोतों से पृथक स्रोत से लिये जाएंगे, यथामूल्य, संपत्ति कर, या लोकल रेवेन्यू फंड के सेल्स टैक्स एकाउंट के सोशल सर्विसेज सबएकाउंट।

(6) यदि राज्य या स्थानीय एजेंसी इस अनुभाग के अंतर्गत या 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन के अंतर्गत कोई कर्तव्य या बाध्यता पूरी करने में विफल रहती है तो किसी उपयुक्त पक्ष द्वारा न्यायिक राहत मांगी जा सकती है। इन कार्यवाहियों को अन्य सभी दीवानी मामलों के ऊपर प्राथमिकता प्राप्त होगी।

(7) काउंटी लोकल रेवेन्यू फंड 2011 में जमा किए गए फंड को इस तरीके से व्यय किया जाएगा जिसे संघीय समान राशि के फंड के लिए राज्य की पात्रता बनाए रखने, और सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं के राज्य के प्रावधान नियंत्रित करने वाले लागू संघीय मानकों का राज्य द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

(8) काउंटी लोकल रेवेन्यू फंड 2011 में जमा किए गए फंड को स्थानीय एजेंसी द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं के लिए अन्य फंडिंग का स्थान लेने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

(d) यदि उपखंड (b) में वर्णित करों को कम किया जाता है या निष्प्रभावी बनाया जाता है तो राज्य द्वारा लोकल रेवेन्यू फंड 2011 में जमा राशि के समान या उपखंड (b) में वर्णित करों द्वारा अन्य प्रकार से प्रदान किये जाने वाली कुल राशि से अधिक प्रदान की जाएगी। इस राशि को निश्चित करने का तरीका 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन में बताया जाएगा और राज्य उस समय तक यह राशि स्थानीय एजेंसियों को देने के लिए बाध्य होगा तब तक कि 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा सेवा की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए आवश्यक होता है। यदि राज्य वार्षिक आधार पर यह राशि देने में विफल रहता है तो कंट्रोलर द्वारा इस राशि को जनरल फंड से समानुपातिक आधार पर मासिक हिस्सों में लोकल रेवेन्यू फंड 2011 में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसके बाद, कंट्रोलर इस राशि को उस तरीके से स्थानीय एजेंसियों को वितरित करेगा जो 2011 रिअलाईनमेंट लेजिस्लेशन में निर्देशित किया गया है। इस उपखंड के अंतर्गत जनरल फंड के धन के लिए राज्य की बाध्यताएं निम्न प्राथमिकता में होंगी जबकि पहली प्राथमिकता अनुच्छेद XVI के अनुभाग 8 के अंतर्गत धन अलग रखने और दूसरी प्राथमिकता अनुच्छेद XVI के अनुभाग 1 में वर्णित मतदाताओं द्वारा स्वीकृत ऋणों व देयताओं का भुगतान करने की होगी।

(e) (1) यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं को महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया में सार्वजनिक शिक्षा को नुकसान न पहुंचे, एतद्वारा जनरल फंड में एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट बनाया गया है ताकि इस अनुभाग के अनुसार लागू करों में उत्तरोतर वृद्धि से प्राप्त राजस्व को प्राप्त व वितरित किया जाए, जैसा कि उपखंड (f) में निर्दिष्ट किया गया है।

(2) (A) 30 जून, 2013 से पहले, और 2014 से ~~2018~~ *2030* तक प्रत्येक वर्ष 30 जून से पहले, कुल मिलाकर, वित्त निदेशक द्वारा अतिरिक्त राजस्व, रिफंड घटाकर, की कुल राशि का अनुमान लगाया जाएगा जो उपखंड (f) में दी गई कर दरों में उत्तरोतर वृद्धि से प्राप्त की जाएगी तथा जो अगले वित्तीय वर्ष के दौरान एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट में हस्तांतरण हेतु उपलब्ध होगी। वित्त निदेशक द्वारा अतिरिक्त राजस्व, रिफंड घटाकर, के लिए भी ऐसा ही अनुमान 10 जनवरी, 2013 को लगाया जाएगा जो वित्तीय वर्ष 2012-13 की समाप्ति तक प्राप्त होगा।

(B) 2013-14 से लेकर ~~2018-19~~ *2030-31* तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाही में से प्रत्येक तिमाही के अंतिम 10 दिनों के दौरान, कंट्रोलर द्वारा उस वित्तीय वर्ष के उपपैरा (A) के अनुसार अनुमानित कुल राशि के एक-चौथाई हिस्से को एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट में हस्तांतरित किया जाएगा, सिवाय उस स्थिति के जबकि इस राशि को उपपैरा (D) के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।

(C) 2012-13 से लेकर ~~2020-21~~ *2032-33* तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, कुल मिलाकर, वित्त निदेशक एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट के लिए लागू प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित राशियों को एकसाथ जोड़कर समायोजन की गणना करेगा, जैसा कि उपपैरा (D) में बताया गया है:

(i) 2012-13 से लेकर ~~2018-19~~ *2030-31* तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में, कुल मिलाकर, वित्त निदेशक उपपैरा (A) के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए लगाए गए अनुमान की दोबारा गणना करेगा, और उस वित्तीय वर्ष के लिए एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट में पहले हस्तांतरित की गई राशियों में से इस नवीनतम अनुमान को घटा देगा।

(ii) जून 2015 में और 2016 से ~~2021~~ *2033* तक प्रत्येक जून में, कुल मिलाकर, वित्त निदेशक द्वारा दो वर्ष पहले समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उपखंड (f) में बताई कर दरों में उत्तरोतर वृद्धि से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व की राशि, रिफंड घटाकर, का अंतिम निर्धारण करेगा। दो वर्ष पहले समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए धारा (i) में गणना की गई नवीनतम अनुमानित राशि को इस अंतिम निर्धारण की राशि से घटा दिया जाएगा।

(D) यदि उपपैरा (C) के अनुसार निर्धारित राशि सकारात्मक है तो कंट्रोलर द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले 10 दिनों के भीतर उस राशि के समान राशि एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट में हस्तांतरित की जाएगी। यदि यह राशि नकारात्मक है तो कंट्रोलर द्वारा उस समय तक एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट में उत्तरवर्ती तिमाही हस्तांतरण को निलंबित या कम कर दिया जाएगा जब तक कि कुल कमी यहां वर्णित नकारात्मक राशि के बराबर नहीं हो जाती है। उपपैरा (C) की धारा (i) के अनुसार की गई किसी भी गणना के उद्देश्यों के लिए, तिमाही हस्तांतरण की राशि को इस उपपैरा के अनुसार किए गए किसी निलंबन या कमी को दर्शाने के लिए संशोधित नहीं किया जाएगा।

(E) जून 30, 2018 से पहले और 2019 से 2030 तक, दोनों वित्त वर्षों सहित, प्रत्येक वर्ष के जून 30 से पहले, वित्त निदेशक उपखंड (f) में कर दरों में की गई उत्तरोतर वृद्धियों से अगले वित्त वर्ष में आने वाले अतिरिक्त राजस्व, रिफंड घटाकर, का आकलन करेगा, जिससे, अन्य सभी उपलब्ध सामान्य निधि राजस्वों को मिला कर, निम्नलिखित को पूरा करने की अपेक्षा की जाएगी:

(i) उस आगामी वित्त वर्ष के लिए अनुच्छेद XVI के अनुभाग 8 की न्यूनतम निधियन गारंटी; और

(ii) उस आगामी वित्त वर्ष के लिए वर्कलोड बजट, अनुभाग (i) के अंतर्गत पहले से हिसाब लगाए गए किसी भी कार्यक्रम ख़र्च को छोड़ कर। इस अनुभाग के अभिप्राय से "वर्कलोड बजट" का आशय वही है उसे सरकारी संहिता के अनुभाग 13308.05 जिन अर्थों में निश्चित किया गया है, जैसे उस अनुभाग को वित्त विभाग द्वारा 1 जनवरी 2016 को पढ़ा और समझा गया था, बशर्ते, लेकिन, उस "वर्तमान में प्राधिकृत सेवाओं" का आशय सिर्फ़ उन सेवाओं से होगा जिन्हें 1 जनवरी 2016 को सरकारी संहिता के अनुभाग 13308.05 के अंतर्गत "वर्तमान में प्राधिकृत सेवाएं" माना गया है।

(F) California स्कूल के सभी बच्चों और उनके परिवारों द्वारा नियमित रूप से अच्छी गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाने के लिए, और इस तरह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण स्कूल में अनुपस्थिति को न्यूनतम करने के लिए, जब भी वित्त निदेशक अनुमान लगाता है कि अगले वित्त वर्ष में एज्युकेशन प्रोटेक्शन अकाउंट (शिक्षा सुरक्षा खाते) में अंतरण करने के लिए उपलब्ध रकम उपपैरा (E) के अनुसार उस आगामी वित्त वर्ष के लिए उस खाते में आवश्यक राजस्व की राशि से अधिक है, तो निदेशक उस शेष रकम को निर्धारित करेगा। उस शेष रकम की पचास प्रतिशत राशि को, किसी एक वित्त वर्ष के दौरान अधिकतम दो अरब डालर तक, नियंत्रक तिमाही आधार पर अध्याय 7 (अनुभाग 14000 से आरंभ होकर) से अध्याय 8.9 (अनुभाग 14700 से आरंभ होकर), वाले वेलफेयर और इंस्टीटयूट कोड के खंड 9 के भाग 3 सहित, में वर्णित वर्तमान स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों का निधियन बढ़ाने के लिए एज्युकेशन प्रोटेक्शन अकाउंट से California के स्वास्थ्य सेवा विभाग के ख़ाते में अंतरित कर देगा। इस निधियन का उपयोग केवल बच्चों और परिवारों

55

को, स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 1250 के अनुसार लाइसेंसशुदा व्यावसायिकों और स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली गंभीर, आपात, अपिपाती, और बचावी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में, और स्वास्थ्य योजनाओं या अन्यों में किया जाएगा, जो इस अनुभाग के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए California के स्वास्थ्य विभाग के साथ अनुबंध करने वाले Medi-Cal के लाभार्थियों की स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधानों का प्रबंधन करती हैं।

(G) उपपैरा (F) में प्रदान किए गए आवंटन उस वित्त वर्ष के दौरान कानून द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं जिसमें कोई बजटीय आपात स्थिति घोषित की गई है, बशर्ते आबंटन में उस वर्ष के सकल सामान्य कोषगत ख़र्च में की जाने वाली कटौती के अनुपात से अधिक कटौती नहीं की जाएगी। इस अनुभाग के अभिप्राय से "बजटीय आपात स्थिति" का आशय वही होता है जो अनुच्छेद XVI के अनुभाग 22 के उपखंड (b) के पैरा (2) में वर्णित है।

(H) परिच्छेद (F) के अनुसार प्रदत्त निधि का उपयोग उन कार्यक्रमों के लिए भुगतान के गैर संघीय हिस्से की राज्य की सामान्य निधि की जगह लेने के लिए नहीं किया जाएगा और संघीय कानून के अनुरूप उनका उपयोग फ़ेडरल मैचिंग Medicaid फ़ंड प्राप्त करने के लिए किया जाएगा।

(3) एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट की समस्त राशि का एतद्वारा स्कूल डिस्ट्रिक्ट, काउंटी के शिक्षा कार्यालयों, चार्टर स्कूलों, और कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट की सहायता के लिए जैसा कि इस पैरा में निर्धारित किया गया है, *और स्वास्थ्य देखभाल के लिए जैसा कि पैरा (2) के उपपैरा (F) में निर्धारित किया गया है,* निरंतर उपयोग किया जाता है।

(A) इस पैरा के अनुसार *शिक्षा के लिए* उपयोग किए गए धन का ग्यारह प्रतिशत California कम्यूनिटी कॉलेजों के बोर्ड ऑफ गर्वनर द्वारा कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट को तिमाही आवंटन किया जाएगा ताकि एजुकेशन कोड के अनुभाग 84750.5 के अनुसार निर्धारित राशियों के अनुपात में सामान्य उद्देश्य फंडिंग प्रदान की जाए, जैसी कि *6 नवंबर 2012 को* इस ~~अनुभाग के लिए मतदाता स्वीकृति द्वारा~~ इस संहिता अनुभाग की व्याख्या की गई है। इस उपपैरा के अनुसार गणना की गई आवंटित राशि की उस कमी को एजुकेशन कोड के अनुभाग 84751 की उपश्रेणियों (a), (c) और (d) में निर्दिष्ट राशियों द्वारा पूरा किया जाएगा, जैसी कि *6 नवंबर 2012 को* ~~इस अनुभाग के लिए मतदाता स्वीकृति द्वारा~~ इस संहिता अनुभाग की व्याख्या की गई है, जो एजुकेशन कोड के अनुभाग 84750.5 के अनुसार निर्धारित राशियों से अधिक होती है, जैसी कि *6 नवंबर 2012 को* ~~इस अनुभाग के लिए मतदाता स्वीकृति द्वारा~~ इस संहिता अनुभाग की व्याख्या की गई है, बशर्ते कोई भी कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट प्रत्येक पूर्णकालिक समकक्ष छात्र के लिए एक सौ डॉलर ($100) से कम प्राप्त नहीं करेगा।

(B) इस पैरा के अनुसार *शिक्षा के लिए* उपयोग किए जाने वाले धन का उन्यासी प्रतिशत सुपरिटेंडेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन द्वारा क्रमश: स्कूल डिस्ट्रिक्ट, काउंटी ऑफिस ऑफ एजुकेशन को सामान्य उद्देश्य फंडिंग के लिए, और चार्टर स्कूलों को राज्य की सामान्य उद्देश्य फंडिंग के लिए एजुकेशन कोड के अनुभाग 2558 और 42238 के अनुसार गणना की गई राजस्व सीमा और काउंटी के शिक्षा कार्यालयों, स्कूल डिस्ट्रिक्ट और चार्टर स्कूलों के लिए एजुकेशन कोड के अनुभाग 47633 के अनुसार गणना की गई राशियों के अनुपात में प्रदान किया जाएगा, जैसी कि *6 नवंबर 2012 को* ~~इस अनुभाग के लिए मतदाता स्वीकृति द्वारा~~ इस संहिता अनुभाग की व्याख्या की गई है। इस प्रकार गणना की गई राशि की कमी एजुकेशन कोड के अनुभाग 2558 की उपखंड (c) में निर्दिष्ट राशियों, क्रमश: काउंटी के शिक्षा कार्यालयों, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, और चार्टर स्कूलों के लिए एजुकेशन कोड के अनुभाग 42238 और अनुभाग 47635 की उपखंड (h) के पैरा (1) से लेकर (7) तक के ज़रिए पूरी की जाएगी, जैसी कि *6 नवंबर 2012 को* ~~इस अनुभाग के लिए मतदाता स्वीकृति~~ द्वारा इस संहिता अनुभाग की व्याख्या की गई है जो क्रमश: काउंटी के शिक्षा कार्यालयों, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, और चार्टर स्कूलों के लिए एजुकेशन कोड के अनुभाग 2558, 42238 और अनुभाग 47633 के अनुसार गणना की राशियों से अधिक होती है, जैसी कि *6 नवंबर 2012 को* ~~इस अनुभाग के लिए मतदाता स्वीकृति द्वारा~~ इस संहिता अनुभाग की व्याख्या की गई है, बशर्ते कोई भी स्कूल डिस्ट्रिक्ट, काउंटी के शिक्षा कार्यालय, या चार्टर स्कूल औसत दैनिक उपस्थिति के लिए प्रति इकाई दो सौ डॉलर ($200) से कम प्राप्त नहीं करेगा।

(4) उपखंड स्वत: प्रभावी है और इसके लिए किसी कानून के प्रभावी होने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद XVI के अनुभाग 8 के ~~पैरा~~ *उपखंड* (h) को लागू करके, अनुच्छेद IV के अनुभाग 12 के अनुसार वार्षिक बजट बिल बनाने के लिए विधायिका व गर्वनर की विफलता के कारण, या विधायिका या गर्वनर द्वारा की गई किसी कार्रवाई या काम करने में विफलता के कारण California कम्यूनिटी कॉलेजों के बोर्ड ऑफ गर्वनर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन द्वारा एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट में धन के वितरण में देरी नहीं की जाएगी या यह अन्य प्रकार से प्रभावित नहीं होगी।

(5) कानून के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, *शिक्षा के लिए* एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट में जमा धन विधायिका, गर्वनर, या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी द्वारा किए जाने वाले किसी भी व्यय के भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

(6) कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट, काउंटी ऑफिस ऑफ एजुकेशन, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, या चार्टर स्कूल के पास यह निर्धारित करने का एकल अधिकार होगा कि एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट से प्राप्त धन को स्कूल या इसके न्यायाधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों पर किस प्रकार खर्च किया जाए, बशर्ते कि उपयुक्त शासी निकाय या निकाय द्वारा शासी निकाय या निकाय की सार्वजनिक बैठक के खुले सत्र में इस खर्च का निर्धारण किया जाए और एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट के किसी भी फंड का उपयोग वेतन या प्रशासकों के लाभ या किसी अन्य प्रशासनिक लागत के लिए नहीं किया जाएगा। प्रत्येक कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट, काउंटी ऑफिस ऑफ एजुकेशन, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, और चार्टर स्कूल अपनी इंटरनेट वेबसाइट पर प्रतिवर्ष इसका हिसाब-किताब प्रकाशित करेगा कि एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट से कितना धन प्राप्त हुआ और उस धन में से कितना खर्च किया गया।

(7) कानून की अन्य सभी आवश्यकताओं के अतिरिक्त, यह निश्चित व सत्यापित करने के लिए कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट, काउंटी ऑफिस ऑफ एजुकेशन, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, और चार्टर स्कूलों का वार्षिक स्वतंत्र वित्तीय व अनुपालन ऑडिट किया जाएगा कि क्या एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट से प्राप्त फंड इस अनुभाग के अनुसार समुचित रूप से वितरित किए गए व खर्च किए गए। इस अनुभाग की ऑडिट संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता का पालन करने के लिए इन निकायों द्वारा खर्च किए गए व्ययों का भुगतान एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट की फंडिंग से किया जा सकता है और इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए इन्हें प्रशासनिक लागत नहीं माना जाएगा।

(8) इस अनुभाग के अनुसार एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट में जमा करने के लिए उपखंड (f) के अनुसार प्राप्त किए गए राजस्व, रिफंड घटाकर, को अनुच्छेद XVI के अनुभाग 8 के उद्देश्यों के लिए "जनरल फंड राजस्व", "करों से प्राप्त जनरल फंड आय" और "स्कूल डिस्ट्रिक्ट और कम्यूनिटी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट की सहायता के लिए राज्य द्वारा उपयोग किया जाने वाला धन" माना जाएगा।

(f) (1) (A) रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड के डिवीजन 2 के भाग 1 (अनुभाग 6001 के साथ शुरू होने वाले) द्वारा लागू करों के अतिरिक्त, मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति को खुदरा में बेचने के अधिकार के लिए, 1 जनवरी, 2013 को और उसके बाद और 1 जनवरी, 2017 से पहले इस राज्य में खुदरा पर बेची गई समस्त मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति पर किसी भी रिटेलर की सकल प्राप्ति के 1/4 प्रतिशत दर से सभी रिटेलर पर एतद्वारा एक कर लगाया जाता है।

(B) रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड के डिवीजन 2 के भाग 1 (अनुभाग 6001 के साथ शुरू होने वाले) द्वारा लागू करों के अतिरिक्त, 1 जनवरी, 2013 को और उसके बाद, और 1 जनवरी, 2017 से पहले इस राज्य में किसी भी रिटेलर से खरीदी गई मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति के भंडारण, उपयोग या अन्य उपभोग पर, इस राज्य में संपत्ति की बिक्री कीमत के 1/4 प्रतिशत की दर से भंडारण, उपयोग या अन्य उपभोग के लिए एतद्वारा उत्पाद कर लगाया जाता है।

(C) इस अनुभाग के प्रभावी होने की तिथि पर या इसके बाद लागू किसी भी संशोधन सहित, इस पैरा के अनुसार लगाए गए करों पर बिक्री व उपयोग कर कानून लागू होगा।

(D) यह पैरा 1 जनवरी, 2017 को निष्प्रभावी हो जाएगा।

(2) 1 जनवरी, 2012 को या इसके बाद, और 1 जनवरी, ~~2019~~ *2031* से पहले आरंभ होने वाले किसी भी कर योग्य वर्ष के लिए, रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड के अनुभाग 17041 के अनुसार लागू कर के संबंध में, आय कर दायरा और रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड के अनुभाग 17041 के उपखंड (a) के पैरा (1) में निर्धारित 9.3 प्रतिशत दर को निम्नलिखित में से प्रत्येक द्वारा संशोधित किया जाएगा:

(A) (i) कर योग्य आय के उस हिस्से के लिए जो दो सौ पचास हजार डॉलर ($250,000) से अधिक परंतु तीन सौ हजार डॉलर ($300,000) से कम है, कर की दर दो सौ पचास हजार डॉलर ($250,000) से अधिक अतिरिक्त राशि का 10.3 प्रतिशत होती है।

(ii) तीन सौ हजार डॉलर ($300,000) से अधिक परंतु पांच सौ हजार डॉलर ($500,000) से कम, कर योग्य आय के इस हिस्से के लिए कर की दर तीन सौ हजार डॉलर ($300,000) से अधिक अतिरिक्त राशि का 11.3 प्रतिशत होती है।

(iii) पांच सौ हजार डॉलर ($500,000) से अधिक कर योग्य आय के इस हिस्से के लिए कर की दर पांच सौ हजार डॉलर ($500,000) से अधिक अतिरिक्त राशि का 12.3 प्रतिशत होती है।

(B) उप पैरा (A) की धाराएं (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट आय कर के दायरे की दोबारा गणना की जाएगी, जैसा कि अन्यथा केवल 1 जनवरी, 2013 को और इसके बाद आरंभ होने वाले कर योग्य वर्ष के लिए रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड के अनुभाग 17041 के उपखंड (h) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दिया गया है।

(C) (i) रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड के अनुभाग 19136 के उपखंड (g) के उद्देश्यों के लिए, इस पैरा को *6 नवंबर 2012 को* ~~उस तिथि को~~ मान्य माना जाएगा ~~जिस तिथि को यह प्रभावी होता है~~।

(ii) रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड के डिवीजन 2 के भाग 10 (अनुभाग 17001 से आरंभ) और भाग 10.2 (अनुभाग 18401 से आरंभ) के उद्देश्यों के लिए, इस पैरा द्वारा निर्धारित व लागू संशोधित कर दायरे व कर की दरों को रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड के अनुभाग 17041 के अंतर्गत निर्धारित व लागू माना जाएगा।

(D) यह पैरा 1 दिसंबर, ~~2019~~ *2031* को निष्प्रभावी हो जाएगा।

(3) 1 जनवरी 2012 को या उसके बाद, और 1 जनवरी, ~~2019~~ *2031* से पहले रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड के अनुभाग 17041 के अनुसार लागू कर के संबंध में, रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड के अनुभाग 17041 के उपखंड (c) के पैरा (1) में निर्धारित आय कर के दायरे और 9.3 प्रतिशत की दर को निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया जाएगा:

(A) (i) कर योग्य आय के उस हिस्से के लिए जो तीन सौ चालीस हजार डॉलर ($340,000)से अधिक परंतु चार सौ आठ हजार डॉलर ($408,000) से कम है, कर की दर तीन सौ चालीस हजार डॉलर ($340,000) से अधिक अतिरिक्त राशि का 10.3 प्रतिशत होती है।

(ii) चार सौ आठ हजार डॉलर ($408,000) से अधिक परंतु छह सौ अस्सी हजार डॉलर ($680,000) से कम, कर योग्य आय के इस हिस्से के लिए कर की दर चार सौ आठ हजार डॉलर ($408,000) से अधिक अतिरिक्त राशि का 11.3 प्रतिशत होती है।

(iii) छह सौ अस्सी हजार डॉलर ($680,000) से अधिक कर योग्य आय के इस हिस्से के लिए कर की दर छह सौ अस्सी हजार डॉलर ($680,000) से अधिक अतिरिक्त राशि का 12.3 प्रतिशत होती है।

(B) उप पैरा (A) की धाराएं (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट आय कर के दायरे की दोबारा गणना की जाएगी, जैसा कि अन्यथा केवल 1 जनवरी, 2013 को और इसके बाद आरंभ होने वाले कर योग्य वर्ष के लिए रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड के अनुभाग 17041 के उपखंड (h) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दिया गया है।

(C) (i) रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड के अनुभाग 19136 के उपखंड (g) के उद्देश्यों के लिए, इस पैरा को *6 नवंबर 2012 को* ~~उस तिथि को~~ मान्य माना जाएगा ~~जिस तिथि को यह प्रभावी होता है~~।

(ii) रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड के डिवीजन 2 के भाग 10 (अनुभाग 17001 से आरंभ) और भाग 10.2 (अनुभाग 18401 से आरंभ) के उद्देश्यों के लिए, इस पैरा द्वारा निर्धारित व लागू संशोधित कर दायरे व कर की दरों को रेवेन्यू एंड टैक्सेशन कोड के अनुभाग 17041 के अंतर्गत निर्धारित व लागू माना जाएगा।

(D) यह पैरा 1 दिसंबर, ~~2019~~ *2031* को निष्प्रभावी हो जाएगा।

(g) (1) कंट्रोलर अपने वैधानिक अधिकार के अनुसार लोकल रेवेन्यू फंड 2011 और किसी भी काउंटी लोकल रेवेन्यू फंड 2011 के व्ययों का ऑडिट यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकता है कि इन फंडों का उपयोग व लेखांकन इस अनुभाग के अनुरूप तरीके से किया गया है।

(2) अटार्नी जनरल या स्थानीय डिस्ट्रिक्ट अटार्नी द्वारा काउंटी लोकल रेवेन्यू फंड 2011 या एजुकेशन प्रोटेक्शन एकाउंट से धन के किसी भी दुरुपयोग की तेजी से जांच की जाएगी, और वे इसके लिए दीवानी या आपराधिक जुर्माने की मांग कर सकते हैं।

अनुभाग 5. परस्पर-विरोधी विधेयक।

उस स्थिति में जबकि यह विधेयक और अन्य विधेयक जो व्यक्तिगत आय पर कर की दरों को प्रभावित करता है, एक ही राज्यस्तरीय मतपत्र पर दिखाई देंगे तो अन्य विधेयक या विधेयकों के प्रावधानों को इस विधेयक के साथ परस्पर टकराव वाला माना जाएगा। उस स्थिति में कि इस विधेयक को इसके साथ टकराव वाले विधेयक की तुलना में अधिक संख्या में सकारात्मक मत प्राप्त होते हैं तो इस विधेयक के प्रावधान अपनी संपूर्णता में उपस्थित रहेंगे, और अन्य विधेयक या विधेयकों को अकृत एवं शून्य माना जाएगा।

अनुभाग 6. पृथक्करणीयता।

यदि इस विधेयक के प्रावधान, या उनके अंश, किसी भी कारण से अमान्य या असंवैधानिक पाए जाते हैं, तो शेष प्रावधान प्रभावित नहीं होंगे, किंतु पूर्ण रूप और प्रभाव में लागू रहेंगे, और इस उद्देश्य के लिए इस विधेयक के प्रावधान पृथक्करणीय हैं।

अनुभाग 7. प्रस्तावक की स्थिति।

किन्हीं दूसरे कानूनों के होते हुए भी, मतदाताओं द्वारा इसके अनुमोदन के बाद यदि राज्य, सरकारी एजेंसी, या उसका कोई अधिकारी इस विधेयक की रक्षा करने में नाकाम रहता है, तो किसी भी अन्य सरकारी नियोक्ता, प्रस्तावक, या उसकी अनुपस्थिति में, राज्य के किसी भी नागरिक को इस विधेयक की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली किसी अदालती कार्रवाई में इसकी संवैधानिकता की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा, वह अदालती कार्रवाई चाहे सुनवाई अदालत में, अपीली अदालत में चल रही हो या California राज्य या संयुक्त राज्य के सुप्रीम कोर्ट में उसकी विवेकाधीन समीक्षा चल रही हो। इस तरह की कार्रवाई के बचाव का शुल्क और लागत अटॉर्नी जनरल को विनियोजित कोष से वसूली जाएगी जिसका तत्परता से भुगतान किया जाएगा।

अनुभाग 8. प्रभावी तारीख।

यह विधेयक पारित होने पर तुरंत लागू हो जाएगा।

प्रस्ताव 56

यह पहल संबंधी विधेयक California संविधान के अनुच्छेद II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुपालन में लोगों को पेश किया जाता है।

यह विधेयक California के संविधान में एक अनुभाग को जोड़ता है और राजस्व और कराधान संहिता के अनुभागों को संशोधित करता है और जोड़ता है; इसलिए मिटाए जाने के लिए प्रस्तावित वर्तमान प्रावधानों को ~~काटे हुए अक्षरों~~ में प्रकाशित किया गया है और जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को यह दर्शाने के लिए *इटैलिक टाईप* में प्रकाशित किया गया है कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

California स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान और रोकथाम तम्बाकू कर अधिनियम 2016

अनुभाग 1. निष्कर्ष और घोषणाएँ।

(a) तंबाकू का इस्तेमाल California में मानव मृत्यु और बिमारी का सबसे बड़ा कारण है, जहां इस व्यसन से हर साल 40,000 लोगों की मृत्यु होती है, हालांकि इसे रोका जा सकता है। तंबाकू के इस्तेमाल के परिणामस्वरूप हर वर्ष लाखों California वासियों को चिकित्सकीय और दंत चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है।

(b) सभी प्रकार के कैंसर, कार्डियोवस्कुलर और फेफड़ों के रोग, मुख रोग तथा तंबाकू से जुड़े रोगों का स्वास्थ्य सेवा उपचार, California की दबावयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर एक अहम वित्तीय बोझ डाल रहा है। तंबाकू के इस्तेमाल से हर वर्ष California वासियों को $13.29 बिलियन से अधिक का स्वास्थ्य सेवा खर्च झेलना पड़ता है, जिसमें से $3.5 बिलियन की राशि का भुगतान California वासियों को स्वास्थ्य सेवा, उपचार तथा सेवाएं मुहैया कराने वाले मौजूदा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों व सेवाओं के माध्यम से करदाताओं द्वारा किया जाता है। तंबाकू के इस्तेमाल से उपजी निम्न उत्पादकता से California में धूम्रपान तथा तंबाकू के इस्तेमाल के वार्षिक आर्थिक परिणामों पर $10.35 बिलियन का अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

(c) तंबाकू कर में वृद्धि करना तंबाकू के इस्तेमाल में कमी लाने और स्वास्थ्य सेवा उपचार की लागत को घटाने, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने तथा परिवारों व बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच प्रदान करने वाले मौजूदा कार्यक्रमों में सुधार लाने का एक उचित तरीका है। इससे जिंदगियां सुरक्षित होंगी और आने वाले समय में राज्य व स्थानीय सरकार के धन की बचत होगी।।

(d) सभी प्रकार के कैंसर, कार्डियोवस्कुलर और फेफड़ों के रोग, मुख रोग तथा तंबाकू से जुड़े रोगों और स्वास्थ्य परेशानियों के उपचार से जुड़े मौजूदा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों व सेवाओं में अधिक धन प्रदान करने से ऐसे रोगों और स्वास्थ्य परेशानियों के उपचार से जुड़े हेल्थकेयर प्रदाताओं की संख्या में वृद्धि होगी। इस उद्देश्य के लिए खर्च की गई निधियों का इस्तेमाल संघीय निधियों के अनुरूप लाने में किया जा सकता है, जहां संघीय सरकार इस निधि में से खर्च हुए हरेक डॉलर के लिए नौ डॉलर अपनी ओर से प्रदान करती है।

(e) ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों में निकोटीन मौजूद रहता है, जो तंबाकू से निकलता है और यह काफी व्यसनकारी ड्रग माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों पर वर्तमान में किसी प्रकार का कोई तंबाकू कराधान नहीं है, जिससे वे सस्ती कीमत में मिल जाते हैं और विशेषकर युवाओं के लिए अधिक आकर्षक होते हैं।

(f) आज 7,700 फलेवरों में पेश किए जाने वाले 470 से अधिक सिगरेट ब्रैंडों की बिक्री की जा रही है, जिनमें कैंडी-फ्लेवर्स शामिल हैं, जो युवाओं को काफी लुभाते हैं, जैसे कि कैप्टन क्रंच, गमी बियर, कॉटन कैंडी, ऐटमिक फायरबॉल और फ्रुट लूप। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के लिए तेजी से बढ़ने वाली आयु सीमा है मिडिल स्कूल तथा हाई स्कूल के छात्र और यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार, 2013 से 2014 के बीच इस समूह के बीच इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के इस्तेमाल में तीन गुना की वृद्धि हुई।

(g) सभी प्रकार के कैंसर, कार्डियोवस्कुलर और फेफड़ों के रोग, मुख रोग तथा तंबाकू से जुड़े रोगों और स्वास्थ्य परेशानियों के कारणों के अनुसंधान, शुरुआती पहचान तथा उनके प्रभावी उपचार, चिकित्सा, रोकथाम तथा संभावित इलाज से जिंदगियां सुरक्षित की जा सकेगी और आने वाले समय में राज्य तथा स्थानीय सरकार के धन की बचत होगी।

(h) California में सभी प्रकार के कैंसर, कार्डियोवस्कुलर और फेफड़ों के रोग, मुख रोग तथा तंबाकू से जुड़े रोगों और स्वास्थ्य परेशानियों के नए और प्रभावी उपचारों में अनुसंधान करने की तीव्र आवश्यकता है। ऐसा अनुसंधान वैज्ञानिक खोजों को नैदानिक अनुप्रयोगों में परिणत करता है जो ऐसे रोगों तथा स्वास्थ्य परेशानियों के मामलों को कम करता है और उनसे होने वाली मृत्यु को घटाता है।

(i) स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रमों के जरिए व्यक्तियों, खासकर युवाओं को धूम्रपान करने और तंबाकू के अन्य उत्पादों के इस्तेमाल से हतोत्साहित करने के लिए डिजाइन किए गए रोकथाम कार्यक्रम के लिए निधि प्रदान करने से जिंदगियां बचेंगी और आने वाले समय में राज्य तथा स्थानीय सरकार के धन की बचत होगी।

(j) एक पुनर्जीवित तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम चलाने से लक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों को तंबाकू उद्योग द्वारा जातीय समूहों के लिए किसे जाने वाले विशेष विपणन से मुकाबला करने में मदद मिलेगी, जिससे California के समुदायों में धूम्रपान की दरों में कमी आएगी और अंततः कैंसर रोग, कार्डियोवस्कुलर और फेफड़ों के रोग, मुख रोग तथा तंबाकू से जुड़े रोगों में गिरावट आएगी।

(k) निधिकरण के कार्यांवयन तथा नाबालिगों को अवैध रूप से तंबाकू उत्पादों की बिक्री, सिगरेट तस्करी और तंबाकू की कर चोरी में गिरावट लाने वाले कानूनी प्रवर्तन प्रयासों को बढ़ावा देने वाले प्रशासनिक कार्यक्रम से जिंदगियां बचेंगी और आने वाले समय में राज्य तथा स्थानीय सरकार के धन की बचत होगी।

(*l*) California को अपने निवासियों की बढ़ती स्वास्थ्य सेवा जरूरतों को पूरा करने के लिए चिकित्सकों तथा दंत चिकित्सकों की कमी की समस्या झेलनी पड़ रही है। परिणामस्वरूप, प्राथमिक तथा मुख स्वास्थ्य चिकित्सा, तंबाकू से जुड़े रोगों के लिए उपचार की पहुंच तथा नियमित स्वास्थ्य जांच व अन्य अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा जरूरतों को झटका लगेगा। California के करदाता हर वर्ष हजारों मेडिकल और डेंटल छात्रों की शिक्षा में सहायता प्रदान करते हैं, इसके बावजूद कई रेसिडेंसी कार्यक्रमों की संख्या पर सीमा लगी होने की वजह से, उनमें से कई चिकित्सकों और दंत चिकित्सकों को राज्य से बाहर जाकर अपना प्रशिक्षण जारी रखना पड़ा, जिस कारण से California के रोगियों की चिकित्सा तक पहुंच कम हो गई। निधिकरण के कार्यांवयन तथा ऐसे कार्यक्रम से, जो हर वर्ष California वासियों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए California में सैकड़ों और डॉक्टरों को बनाए रखने में मदद देंगे, जिंदगियां बचेंगी और आने वाले समय में राज्य तथा स्थानीय सरकार के धन की बचत होगी।

(m) चिकित्सकीय अध्ययनों से पता चला है कि सिगरेट पीने से और अन्य तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल से दांत के रोग पैदा होते हैं, जिनसे मुख्य का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, जिसमें मसूड़े का रोग, अस्थि कमी, मुख और गले का कैंसर और दांतों का क्षय शामिल होते हैं। मसूड़े से जुड़े रोगों में से आधे रोग धूम्रपान से होते हैं, जिनसे दांतों की हानि में इजाफा होता है। धूम्रपान करने वालों में मुख के कैंसर का खतरा धूम्रपान न करने वालों से कम से कम छह गुना अधिक रहता है और अमेरिका में पाए जाने वाले सभी मुख के कैंसर में 75% तंबाकू के इस्तेमाल से जुड़े होते हैं। धूम्रहीन तंबाकू से मुख के कैंसर का खतरा धूम्रपान न करने वालों से 50 गुना अधिक रहता है। भ्रूणों में क्लेफ्ट लिप का विकास, गर्भावस्था के दौरान मांओं द्वारा धूम्रपान करने से जुड़ा होता है। तंबाकू इस्तेमाल पर रोक लगाने से मुख और गले के कैंसर के खतरे में 50% की कमी आती है। ऐसे कार्यक्रमों को निधि प्रदान करने से, जो दंत रोगों को लेकर जागरुकता फैलाते हैं, उनकी रोकथाम करते हैं और उन रोगों का इलाज करते हैं, जिनमें तंबाकू के इस्तेमाल से पैदा होने वाले रोग भी शामिल होते हैं, California वासियों की जिंदगियां में सुदार होगा और आने वाले समय में राज्य तथा स्थानीय सरकार के

धन की बचत होगी।

(n) California में, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की कीमत में वृद्धि करना, खासकर युवाओं के बीच धूम्रपान में कमी लाने का काफी प्रभावी तरीका माना जाता है। तंबाकू के इस्तेमाल को कम करने से जुड़ी, वर्ष 2000 की यूएस सर्जन जेनरल्स की रिपोर्ट में पाया गया कि तंबाकू के उत्पादों की कीमतों में कमी लाने से तंबाकू के इस्तेमाल के प्रसार में कमी आती है, खासकर बच्चों और किशोरों के बीच और तंबाकू कर से "स्वास्थ्य में वास्तविक दीर्घकालिक सुधारों" में इजाफा होता है। मौजूदा अनुसंधान की इसकी समीक्षा से, यह निष्कर्ष निकाला गया कि तंबाकू कर में इजाफा करना एक काफी प्रभावी तंबाकू रोकथाम तथा नियंत्रण रणनीति है। धूम्रपान में कमी लाने से जिंदगियां सुरक्षित होंगी और आने वाले समय में राज्य व स्थानीय सरकार के धन की बचत होगी।

(o) चूंकि तंबाकू कर के बढ़ने से धूम्रपान और अन्य तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल में कमी आती है, इसलिए मौजूदा तंबाकू कर निधि-प्रदत्त कार्यक्रमों को कर राजस्वों की कमी से बचाना जरूरी है।

(p) वर्तमान में California सिगरेट के प्रति पैक पर केवल $0.87 का कर लगाता है और तंबाकू कर दर के मामले में यह 35वें स्थान पर है, जो अमेरिका का सबसे कम तंबाकू कर है। जनवरी 2016 तक, राष्ट्रीय औसत $1.60 प्रति पैक होगा। बत्तीस राज्यों में प्रति पैक सिगरेट कर दर $1 या उससे अधिक है, और California अन्य पश्चिमी राज्यों (Washington: $3.025; Oregon: $1.31; Nevada: $1.80; और Arizona: $2) से काफी पीछे है। California ने पिछली बार अपने तंबाकू कर में इजाफा वर्ष 1998 में किया था।

अनुभाग 2. उद्देश्य का ब्यान।

इस अधिनियम का उद्देश्य है तंबाकू तथा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट समेत, तंबाकू के अन्य उत्पादों, पर कर में वृद्धि करना, जिससे:

(a) California वासियों की ज़िंदगियां सुरक्षित की जा सकें और आने वाले समय में California वासियों, खासकर युवाओं के बीच धूम्रपान व तंबाकू के इस्तेमाल को कम कर राज्य व स्थानीय सरकार के धन की बचत की जा सके।

(b) सभी प्रकार के कैंसर, कार्डियोवस्कुलर और फेफड़ों के रोग, मुख रोग तथा तंबाकू से जुड़े रोगों और स्वास्थ्य परेशानियों के उपचार से जुड़े मौजूदा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों व सेवाओं में अधिक निधि प्रदान करने के लिए धन मुहैय्या कराया जा सके, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की संख्या में इजाफा किया जा सके, तथा इन कार्यक्रमों तथा सेवाओं के लिए संघीय निधिकरण को अधिकतम किया जा सके।

(c) सभी प्रकार के कैंसर, कार्डियोवस्कुलर और फेफड़ों के रोग, मुख रोग तथा तंबाकू से जुड़े रोगों के कारणों तथा इलाजों में अनुसंधान के लिए धन प्रदान किया जा सके तथा ऐसे ऐसी वैज्ञानिक खोजों को नैदानिक अनुप्रयोगों में परिणत किया जा सके जिससे ऐसे रोगों और स्वास्थ्य परेशानियों को कम करे और उनसे होने वाली मृत्यु दर में गिरावट लाए।

(d) ऐसे रोकथाम वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए धन प्रदान किया जा सके, जिसका लक्ष्य लोगों को सिगरेट पीने तथा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट समेत तंबाकू के अन्य उत्पादों का इस्तेमाल करने से हतोत्साहित करना है।

(e) सिगरेट तस्करी, तंबाकू कर चोरी तथा नाबालिगों को अवैध रूप से तंबाकू की बिक्री में कमी लाने के लिए कार्यान्वयन व प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए धन प्रदान किया जा सके, तंबाकू से होने वाले रोगों समेत अन्य रोगों के उपचार के लिए नए चिकित्सकों को प्रशिक्षण के लिए धन मुहैय्या कराया जा सके, तथा तंबाकू से होने वाले दंत रोगों समेत अन्य दंत रोगों की रोकथाम तथा उनके उपचार को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को धन प्रदान किया जा सके।

(f) मौजूदा तंबाकू कर निधि-प्रदत्त कार्यक्रमों की रक्षा की जा सके, जो मौजूदा समय में California वासियों की स्वास्थ्य सेवा लागतों में करोड़ों डॉलर की बचत करते हैं।

(g) इस बात की पूर्ण अकाउंटिंग प्रदान की जा सके कि निधियों की उगाही कैसे होती है और कैसे उन्हें इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए खर्च किया जा सकता है, जिसमें किसी नई नौकरशाही का जन्म न हो।

अनुभाग 3. तबाकू उत्पादों की परिभाषा।

अनुभाग 3.1. राजस्व और कराधान संहिता के अनुभाग 30121 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

30121. इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए:

(a) "सिगरेटों" का वही अर्थ है जो अनुभाग 30003, में 1 जनवरी 1988 को उल्लेख किया गया था।

(b) "तंबाकू उत्पादों में" में व्यापक रूप से शामिल है, लेकिन इन्हीं तक ही सीमित नही है, ~~सभी प्रकार के सिगार, धूम्रपान करने वाला तंबाकू, चबाने वाला तंबाकू, स्नफ और ऐसे निर्मित पदार्थ या उत्पाद जिनमें कम से कम 50 फीसदी तंबाकू रहता हो~~ *कोई उत्पाद जिसमें, तंबाकू या निकोटीन मौजूद हो या जो तंबाकू या निकोटीन से बना हो, जिसका लक्ष्य मानव उपभोग के लिए, चाहे धूम्रपान के जरिए, गर्म कर, सूंघकर, नाक से तेज सांस द्वारा ऊपर खींचकर, या किसी अन्य तरीके से अंतर्ग्रहण करना हो, जिनमें व्यापक रूप से शामिल हैं सिगार, लिटल सिगार, चबाने वाले तंबाकू, पाइप तंबाकू या स्नफ,* लेकिन इनमें सिगरेट नहीं आते हैं। *तंबाकू उत्पादों में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट शामिल नहीं किए जाएंगे। तंबाकू उत्पादों में ऐसा उत्पाद शामिल नहीं किया जाएगा जिसे युनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग ऐडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक तंबाकू निवारण उत्पाद के रूप में या अन्य उपचारात्मक उद्देश्य हेतु बिक्री की मंजूरी न दी गई हो, जहां उस उत्पाद का विपणन व बिक्री पूर्ण रूप से ऐसे स्वीकृत इस्तेमाल के लिए ही किए जाते हों। तंबाकू उत्पादों में कोई ऐसे खाद्य उत्पाद शामिल नहीं होते हैं, जिन्हें अनुभाग 6359 के अनुसार परिभाषित किया जाता हो।*

(c) "इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स" का अर्थ है कोई उपकरण या डिलिवरी सिस्टम, जिसे निकोटीन के संयोजन के साथ बेचा जाता हो, जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति को एरोसोलाइज्ड या वाष्पीकृत स्वरूप में निकोटीन देने में किया जाता हो, जिसमें व्यापक रूप से शामिल होते हैं, ई-सिगरेट, ई-सिगार, ई-पाइप, वेप पेन या ई-हुक्का। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों में कोई पुर्जा, हिस्सा या ऐक्सेसरीज होता है जिसका इस्तेमाल निकोटीन युक्त किसी द्रव या पदार्थ के संयोजन में बिक्री के समय डिवाइस के ऑपरेशन के दौरान किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों में निकोटीन युक्त कोई द्रव या पदार्थ भी शामिल होता है, जिसे चाहे पृथक रूप से बेचा जाता हो या उसे किसी ऐसे उपकरण के संयोजन के साथ बेचा जाता हो, जिनका इस्तेमाल किसी व्यक्ति में एरोसोलाइज्ड या वाष्पीकृत स्वरूप में निकोटीन देने में किया जाता हो। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों में कोई ऐसा उपकरण शामिल नहीं होता, जिसे निकोटीन युक्त किसी द्रव या पदार्थ के साथ बेचा जाता हो, या जिसमें कोई बैटरी, बैटरी चार्जर, केरिंग केस या अन्य ऐक्सेसरी लगा हो जिनका इस्तेमाल पृथक रूप से बेचे जाने पर उस उपकरण के ऑपरेशन में प्रयुक्त न होता हो। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स में ऐसा उत्पाद शामिल नहीं किया जाएगा जिसे युनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग ऐडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक तंबाकू निवारण उत्पाद के रूप में या अन्य उपचारात्मक उद्देश्य हेतु बिक्री की मंजूरी न दी गई हो, जहां उस उत्पाद का विपणन व बिक्री पूर्ण रूप से ऐसे स्वीकृत इस्तेमाल के लिए ही किए जाते हों। जैसा कि इस उपखंड में प्रयुक्त होता है, निकोटीन में कोई ऐसे खाद्य उत्पाद शामिल नहीं होते हैं, जिन्हें अनुभाग 6359 के अनुसार परिभाषित किया जाता हो।

~~(c)~~ *(d)* "फंड" का अर्थ है अनुभाग 30122 द्वारा सृजित सिगरेट और तंबाकू प्रॉडक्ट सरटैक्स फंड।

अनुभाग 3.2. राजस्व और कराधान संहिता के अनुभाग 30131.1 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

30131.1. निम्नलिखित परिभाषाएं इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए लागू होती हैं:

(a) "सिगरेट" का वही अर्थ है जो अनुभाग 30003, में 1 जनवरी 1997 को

56

उल्लेख किया गया था।

(b) "तंबाकू उत्पादों में" ~~में व्यापक रूप से शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक ही सीमित नहीं है, सभी प्रकार के सिगार, धूम्रपान करने वाला तंबाकू, चबाने वाला तंबाकू, स्नफ और कोई भी अन्य निर्मित पदार्थ या उत्पाद, या जिनमें कम से कम 50 फीसदी तंबाकू रहता हो, लेकिन जिसमें सिगरेट शामिल न होते हों,~~ *उनका वही अर्थ होगा जो (b) California स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान और रोकथाम तम्बाकू कर अधिनियम 2016 द्वारा संशोधित अनुभाग 30121 के उपखंड (b) का होगा।*

अनुभाग 4. California स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान और रोकथाम तम्बाकू कर अधिनियम 2016।

अनुभाग 4.1. स्वास्थ्य एवं शिक्षा संहिता के खंड 2 के भाग 13 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 2.5 (अनुभाग 30130.50 के साथ शुरू) जोड़ा गया है, जो इस प्रकार है:

अनुच्छेद 2.5. California स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान और रोकथाम तम्बाकू कर अधिनियम 2016

30130.50. परिभाषायें।

इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए:

(a) "सिगरेट" का वही अर्थ है जो अनुभाग 30003, में 1 जनवरी 2015 को उल्लेख किया गया था।

(b) "तंबाकू उत्पादों" का वही अर्थ है जो इस अधिनियम द्वारा संशोधित अनुभाग 30121, के उपखंड में (b) में वर्णित है।

30130.51. California स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान और रोकथाम तम्बाकू कर अधिनियम 2016 सिगरेट वितरण कर।

(a) इस भाग के तहत सिगरेटों के वितरण पर लगाए गए अन्य करों के अलावा, सिगरेटों के प्रत्येक वितरक पर, इस अधिनियम की प्रभावी तिथि के 90 से अधिक दिनों के बाद आरंभ होने वाले प्रथम कैलेंडर तिमाही के प्रथम दिन या उसके बाद वितरित हरेक सिगरेट पर एक सौ मिल्स ($0.100) की दर से एक अतिरिक्त कर लगाया जाएगा।

(b) बोर्ड, अनुभाग 30121के उपखंड (c) में वर्णित रूप में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों पर समतुल्य कर के कार्यांवयन हेतु विनियमों और कर संग्रह की विधियां अपनाएगा। ऐसे विनियमों में किसी उस उपकरण पर एक समतुल्य कराधान शामिल होगा, जिसका इस्तेमाल पृथक रूप में या पैकेज के रूप में बेचे जाने पर किसी व्यक्ति को एरोसोलाइज्ड या वाष्पीकृत स्वरूप में सांस द्वारा अंदर खींचकर निकोटीन देने में किया जाता हो, ऐसे उपकरण का कोई पुर्जा, हिस्सा या ऐक्सेसरीज शामिल होगा, जिसे पृथक रूप में या पैकेज के रूप में बेचे जाने पर उस उपकरण के ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है; तथा कोई निकोटीन युक्त कोई द्रव या पदार्थ जिसे यह किसी उपकरण के साथ पृथक रूप में या पैकेज के रूप में बेचे जाने पर सांस द्वारा अंदर खींचने की सुगमता देगा। ऐसे विनियमों में व्यापक रूप से शामिल हो सकते हैं अनुभाग 30011 के तहत आने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के वितरक तथा ऐसे व्यक्ति की लाइसेंसिंग आवश्यकताएं, लेकिन ये इन तक ही सीमित नहीं है।

(c) इस भाग के किसी प्रावधान के बावजूद, उपखंड (a) द्वारा लगाए गए कर से अर्जित सभी राजस्वों तथा अनुभाग 30123 के उपखंड (b) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों समेत तंबाकू उत्पादों पर लगने वाले कर में समतुल्य वृद्धि से प्राप्त राजस्वों को अनुभाग 30130.53 द्वारा सृजित California स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान और रोकथाम तम्बाकू कर अधिनियम 2016 फंड में जमा करा दिया जाएगा।

30130.52. California स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान और रोकथाम तम्बाकू कर अधिनियम 2016 सिगरेट फ्लोर कर।

(a) (1) किसी अन्य कर के अलावा, हरेक डीलर और थोक विक्रेता को, जिन्हें बिक्री, इस्तेमाल या उपभोग के लिए सिगरेटों को रखने या भंडारित करने का अधिकार प्राप्त है, इस अधिनियम की प्रभावी तिथि के 90 से अधिक दिनों के बाद आरंभ होने वाले प्रथम कैलेंडर तिमाही के प्रथम दिन इस राज्य में रत 12:01 तक अपने स्वामित्व या अपने नियंत्रण में मौजूद हरेक सिगरेट के लिए एक सौ मिल्स ($0.100) की दर से एक अतिरिक्त चुकाना होगा।

(2) हरेक डीलर और थोक विक्रेता को इस अधिनियम की प्रभावी तिथि के 180 से अधिक दिनों के बाद आरंभ होने वाले प्रथम कैलेंडर तिमाही के प्रथम दिन से पहले या उस दिन, बोर्ड द्वारा बताए फॉर्म में बोर्ड को रिटर्न फाइल करना होगा, जिसमें इस अधिनियम की प्रभावी तिथि के 90 से अधिक दिनों के बाद आरंभ होने वाले प्रथम कैलेंडर तिमाही के प्रथम दिन इस राज्य में 12:01 a.m के समय तक अपने स्वामित्व या अपने नियंत्रण में मौजूद सिगरेटों की संख्या बताई जाएगी। कर की राशि की गणना और प्रदर्शन रिटर्न पर किया जाएगा।

(b) (1) हरेक लाइसेंसशुदा सिगरेट वितरक को, जिन्हें बिक्री, इस्तेमाल या उपभोग के लिए सिगरेटों को रखने या भंडारित करने का अधिकार प्राप्त है, प्रत्येक California सिगरेट टैक्स स्टैम्प के लिए एक सिगरेट इंडिसिया समायोजन कर का भुगतान करना होगा, जिसे इस अधिनियम की प्रभावी तिथि के 90 से अधिक दिनों के बाद आरंभ होने वाले प्रथम कैलेंडर तिमाही के प्रथम दिन इस राज्य में 12:01 a.m तक अपने स्वामित्व या अपने नियंत्रण में मौजूद सिगरेटों के पैकेज के साथ जोड़ा जाता है और हरेक California सिगरेट टैक्स स्टाम्प के लिए निम्नांकित दर पर लगाया जाता है:

(A) "25" अंकित प्रत्येक स्टांप के लिए दो डॉलर और पचास सेंट ($2.50)।

(B) "20" अंकित प्रत्येक स्टांप के लिए दो डॉलर ($2)।

(C) "10" अंकित प्रत्येक स्टांप के लिए एक डॉलर ($1)।

(2) लाइसेंस प्राप्त प्रत्येक सिगरेट वितरक प्रथम कैलेंडर तिमाही के पहले दिन या उससे पहले बोर्ड में एक रिटर्न फाइल करेंगे जो बोर्ड द्वारा अनुशंसित फॉर्म पर इस एक्ट के प्रभावी होने की तिथि से 180 दिन बाद शुरू होगा, जो पैराग्राफ (1) के सब-पैराग्राफ (A), (B), और (C) में उल्लेखित स्टांप संख्या दर्शाएगा। कर की राशि की गणना और प्रदर्शन रिटर्न पर किया जाएगा।

(c) इस अनुभाग द्वारा आवश्यक भुगतान योग्य करों की राशि का भुगतान प्रथम कैलेंडर तिमाही के पहले दिन या उससे पहले देय होगा और किया जाएगा जो इस एक्ट के प्रभावी होने की तिथि से 180 दिन बाद शुरू होगा। भुगतान बोर्ड को चुकाए जाने वाले विप्रेषित धन द्वारा किया जाएगा और भुगतान इस अनुभाग द्वारा दायर किए जाने की अनिवार्यता वाले रिटर्न और फॉर्म के साथ होगा।

(d) इस अनुभाग द्वारा भुगतान की जाने की आवश्यकता वाली कोई भी राशि जो समय पर भुगतान न की गई हो, उस दर से और उस विधि से तय ब्याज लगेगा जिसका निर्धारण अनुभाग 30202 के अनुसार होगा जो प्रथम कैलेंडर तिमाही के पहले दिन से लागू होगा जो इस एक्ट के प्रभावी होने की तिथि से 180 दिन बाद शुरू होगा, और इसका निर्धारण और पुनर्निर्धारण किया जा सकता है और कोई पैनल्टी भी लगाई जा सकती है जो निर्धारण और पुनर्निर्धारण के संदर्भ में होगी।

30130.53. California स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान और रोकथाम तम्बाकू कर अधिनियम 2016 फंड।

(a) इसके द्वारा California स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान और रोकथाम तम्बाकू कर अधिनियम 2016 फंड की राजकीय कोष में स्थापना की गई है।

(b) इस अनुच्छेद द्वारा लगाए गए करों के अनुसार अर्जित किए सभी राजस्व, से अध्याय 6 के अनुच्छेद 1 (अनुभाग 30361 से आरंभ होकर) के अनुरूप लौटाई गई राशि को घटा कर, का भुगतान California स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान और रोकथाम तम्बाकू कर अधिनियम 2016 फंड में किया जाएगा।

(c) किसी अन्य कानून के बावजूद, California स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान और रोकथाम तम्बाकू कर अधिनियम 2016 फंड एक ट्रस्ट फंड है जिसकी स्थापना पूरी तरह इस अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने तथा California स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान और रोकथाम तम्बाकू कर अधिनियम 2016

56

फंड एक ट्रस्ट फंड और फंड द्वारा अर्जित ब्याज के लिए की गई है जो इसके द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष में कभी भी इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जाएगी और इसमें विस्तार केवल इस अधिनियम के अनुरूप और इसी उद्देश्य से किया जाएगा।

(d) किसी अन्य कानून के बावजूद, California स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान और रोकथाम तम्बाकू कर अधिनियम 2016 फंड में, फंड द्वारा अर्जित ब्याज सहित जमा कराया गया राजस्व पूरी तरह इस अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने वाले कामों में व्यय किया जाएगा तथा इसका विनियोजन और इसमें विस्तार केवल इस अधिनियम में उल्लेखित उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा और विधानमंडल, गवर्नर, वित्त निदेशक (डायरेक्टर ऑफ फाइनांस) अथवा कंट्रोलर द्वारा इस अधिनियम में उल्लेखित उद्देश्यों से अलावा किसी अन्य उद्देश्य हेतु इसका विनियोजन, प्रत्यावर्तन अथवा हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा, न ही ऐसे राजस्व को सामान्य निधि अथवा किसी भी अन्य राजकीय निधि या स्थानीय सरकार के किसी भी निधि को ऋण के रूप में दिया जा सकेगा।

30130.54. तंबाकू उपभोग और कर राजस्व पर California स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान और रोकथाम तम्बाकू कर अधिनियम 2016 का प्रभाव।

(a) इस अधिनियम के लागू होने के एक साल के अंदर और उसके बाद हर साल इस अनुच्छेद द्वारा सिगरेट पर आरोपित अतिरिक्त करों और इस अनुरूप तंबाकू उत्पादों पर कर में अनुभाग 30123, के उपखंड (b) द्वारा आवश्यक वृद्धि से सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के उपभोग पर राज्य में पड़ने वाले प्रभावों का बोर्ड द्वारा आकलन किया जाएगा। बोर्ड जिस सीमा तक उपभोग में कमी को इस अनुच्छेद के तहत सिगरेट पर लगाए गए अतिरिक्त कर लगाने और अनुभाग 30123 के उपखंड (b) द्वारा तंबाकू उत्पादों पर कर में परिणामी वृद्धि के प्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में मानेगा, उपभोग में कमी के कारण अनुभाग 30122 (8 नवंबर 1988 के राज्यव्यापी आम चुनाव में मतदाताओं द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव 99) के तहत निर्मित, अनुभाग 30461.6 के तहत निर्मित ब्रेस्ट कैंसर फंड और सिगरेट और तंबाकू उत्पाद सरटैक्स फंड और अनुभाग 30131 California चिल्ड्रेन एंड फैमिलीज ट्रस्ट फंड (3 नवंबर 1998 के राज्यव्यापी आम चुनाव में मतदाताओं द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव 10 के तहत निर्मित), और अनुभाग 30101 से प्राप्त होने वाले राजस्व पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का बोर्ड द्वारा आकलन किया जाएगा।

(b) कंट्रोलर द्वारा California स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान और रोकथाम तम्बाकू कर अधिनियम 2016 फंड से उपखंड (a) में वर्णित प्रभावित फंड (निधि) को उस राशि का हस्तांतरण किया जाएगा जो इस अनुच्छेद द्वारा अतिरिक्त कर लगाने के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप राजस्व में हुई कमी की प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक होगी।

(c) इस अधिनियम के लागू होने के एक साल के अंदर और उसके बाद हर साल इस अनुच्छेद द्वारा सिगरेट पर आरोपित अतिरिक्त करों और इस अनुरूप तंबाकू उत्पादों पर कर में अनुभाग 30123, के उपखंड (b) द्वारा आवश्यक वृद्धि से सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के उपभोग पर राज्य में पड़ने वाले प्रभावों का बोर्ड द्वारा आकलन किया जाएगा जिसमें सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री भी शामिल है। जिस सीमा तक राज्य या स्थानीय सरकार की बिक्री और कर राजस्व के उपयोग की हानि होगी और ऐसी हानि को बोर्ड द्वारा इस अनुच्छेद के तहत अतिरिक्त कर लगाने के प्रत्यक्ष परिणाम माना जाएगा और अनुभाग 30123 के उपखंड (b) द्वारा तंबाकू उत्पादों पर कर में आवश्यक परिणामी वृद्धि जिसमें सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री भी शामिल है, बोर्ड द्वारा राज्य और स्थानीय सरकार की बिक्री और कर राजस्व के उपयोग में हानि का आकलन किया जाएगा।

(d) कंट्रोलर द्वारा California स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान और रोकथाम तम्बाकू कर अधिनियम 2016 फंड से राज्य की सामान्य निधि और उपखंड (c) में वर्णित उन प्रभावित स्थानीय सरकारों को उस राशि का हस्तांतरण किया जाएगा जो इस अनुच्छेद द्वारा अतिरिक्त कर लगाने के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप राजस्व में हुई कमी की प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक होगी, जिसमें सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री भी शामिल है।

(e) इस अनुभाग के तहत हस्तांतरण कंट्रोलर द्वारा ऐसे समय में किया जाएगा जिसे कंट्रोलर इस अनुभाग के आशय के संदर्भ में आवश्यक समझे।

30130.55. California स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान और रोकथाम तम्बाकू कर अधिनियम 2016 राजस्व का वितरण।

अनुभाग 30130.54 और अनुभाग 30130.57 के उपखंड (a), (b), (c), (d), तथा (e) के अनुरूप कंट्रोलर द्वारा California स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान और रोकथाम तम्बाकू कर अधिनियम 2016 फंड में शेष निधियों का वार्षिक वितरण और हस्तांतरण निम्नानुसार किया जाएगा:

(a) बयासी प्रतिशत को स्वास्थ्य सेवा उपचार निधि में हस्तांतरित किया जाएगा, जिसे एतद्वारा सृजित किया गया है और उसका इस्तेमाल स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज द्वारा वेलफेयर और इंस्टीटयूट कोड के खण्ड 9 के भाग 3 के अध्याय 7 (अनुभाग 14000 से आरंभ होता है) से अध्याय 8.9 (अनुभाग 14700 से आरंभ होता है) तक, दोनों सहित, में वर्णित मौजूदा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए निधिकरण में वृद्धि करने में उपयोग किया जाएगा, जिसमें वेलफेयर और इंस्टीटयूट कोड के खण्ड 9 के भाग 3 के अध्याय 7 (अनुभाग 14000 से आरंभ होता है) से अध्याय 8.9 (अनुभाग 14700 से आरंभ होता है) तक, दोनों सहित, में वर्णित सभी स्वास्थ्य सेवा, उपचारों तथा सेवाओं के लिए उन्नत भुगतान प्रदान करने के द्वारा, California वासियों को तंबाकू से जुड़े रोगों तथा स्वास्थ्य दशाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा तथा सेवाएं प्रदान करने वाले स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम और सेवाएं भी शामिल हैं। इस अनुच्छेद के तहत आने वाले निधिकरण की दी गई संभावित सीमाओं के दायरे में, स्वास्थ्य चिकित्सा, सेवाओं और उपचारों के लिए भुगतानों के गैर-संघीय भाग के लिए भुगतान व सहायता में इजाफा लाया जाएगा, जो वार्षिक राज्य बजट प्रक्रिया के अंग के रूप में विकसित तथा सावधिक रूप से अपडेट किए गए मापदंडों पर आधारित होगा, बशर्ते कि इन निधियों का इस्तेमाल इन्हीं उद्देश्यों के लिए मौजूदा राज्य सामान्य निधि को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाएगा। इन मापदंडों में व्यापक रूप से शामिल हैं, समय पर पहुंच सुनिश्चित करना, सेवाओं की विशेष भौगोलिक कमी से सीमित करना, या गुणवत्ता की देखभाल सुनिश्चित करना। संघीय कानून के अनुसार, निधिकरण का इस्तेमाल संघीय निधियों के निकास के लिए किया जाएगा। इस निधिकरण का इस्तेमाल केवल ऐसे स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, क्लिनिकों, स्वास्थ्य इकाइयों द्वारा प्रदान की जाने वाले चिकित्सा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 1250 के तहत लाइसेंसप्राप्त हो और साथ ही इस निधिकरण को उन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा जिनका इस अनुभाग के अनुसार स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज के साथ अनुबंध हो। इस निधिकरण का इस्तेमाल जहां लागू होगा वहां सरकारी संस्थाओं से प्राप्त होने वाले भुगतानों के गैर-संघीय हिस्सेदारी के लिए किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर, यह विभाग इस अनुभाग के कार्यांवयन के लिए कोई आवश्यक संघीय मंजूरी प्राप्त करेगा।

(b) तेरह प्रतिशत का इस्तेमाल व्यापक तंबाकू रोकथाम व नियंत्रण कार्यक्रमों को निधि प्रदान करने के लिए किया जाएगा, बशर्ते कि इन निधियों का इस्तेमाल इन्हीं उद्देश्यों के लिए मौजूदा राज्य या स्थानीय निधियों को बढ़ावा देने में न किया जाए। इन निधियों को निम्नांकित तरीके से आवंटित किया जाएगा:

(1) पब्लिक हेल्थ टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के स्टेट डिपार्टमेंट को पिचासी प्रतिशत, जिसका इस्तेमाल स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 104375 में वर्णित तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा। स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इन निधियों को साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य संवर्धन तथा स्वास्थ्य संचार गतिविधियों के कार्यान्वयन, मूल्यांकन तथा प्रसार हेतु राज्य तथा स्थानीय सरकारी एजेंसियों, जनजातियों, विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों, समुदाय-आधारित संगठनों तथा अन्य योग्य एजेंसियों को प्रदान करेगा, ताकि तंबाकू तथा निकोटीन के इस्तेमाल, तंबाकू से जुड़े रोगों की दरों, तथा तंबाकू से जुड़ी स्वास्थ्य असमानताओं की निगरानी की जा सके, मूल्यांकन कर उनमें कमी लाई जा सके, और साथ ही कम से कम 15 फीसदी के स्वास्थ्य संवर्धन, स्वास्थ्य संचार गतिविधियों तथा मूल्यांकन व तंबाकू से जुड़ी असमानताओं को दूर करने

56

के लक्ष्य के साथ तंबाकू संबंधित असमानताओं में गिरावट की दर में तेजी लाने और निगरानी करने के लिए प्रदान की जाने वाली तंबाकू इस्तेमाल निगरानी निधियों वाले प्रभावी रोकथाम कार्यक्रम के एक मजबूत साक्ष्य आधार का विकास किया जा सके।

(2) पंद्रह प्रतिशत स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल स्वास्थ्य तथा सुरक्षा संहिता के अनुभाग 104420 में वर्णित किशोरों द्वारा तंबाकू और निकोटीन उत्पादों के इस्तेमाल को रोकने और उनमें कमी लाने वाले स्कूल कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा, जहां इन निधियों का कम से कम 15 फीसदी का इस्तेमाल तंबाकू से जुड़ी असमानताओं को दूर करने हेतु तंबाकू संबंधित असमानताओं में गिरावट की दर में तेजी लाने और निगरानी करने के लिए प्रदान किया जाएगा।

(c) स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के खण्ड 103 के भाग 3 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 2 के अनुरूप (जो अनुभाग 104500 से आरंभ होता है) पांच प्रतिशत निधि युनिवर्सिटी ऑफ California को कैंसर, हृदय और फेफड़ों के तंबाकू जनित रोगों पर अनुसंधान के लिए दी जाएगी, बशर्ते कि इन निधियों का इस्तेमाल निम्नांकित शर्तों के तहत किया जाना चाहिए:

(1) इन निधियों का इस्तेमाल सभी प्रकार के कैंसर, कार्डियोवस्कुलर और फेफड़ों के रोग, मुख रोग तथा तंबाकू से जुड़े रोगों की रोकथाम, उनकी शुरुआती पहचान, उनके उपचारों, उनके पूरक उपचारों तथा उनके संभावित इलाजों में California में बुनियादी, अनुप्रोगात्मक और अनुवादात्मक मेडिकल अनुसंधान के लिए अनुदान राशियों तथा अनुबंधों के लिए किया जाएगा। कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, युनिवर्सिटी ऑफ California के पास, तंबाकू संबंधित रोग अनुसंधान कार्यक्रम के जरिए, इस उपखण्ड में वर्णित उद्देश्यों के लिए इस अधिनियम के तहत प्राप्त निधियों में विस्तार करने का अधिकार होगा।

(2) प्रदान किए किसी अनुदान तथा अनुबंधों को मौजूदा मेडिकल अनुसंधान कार्यक्रम के बुनियादी ढांचे के इस्तेमाल से प्रदान किया जाएगा तथा वह एक खुले, प्रतियोगी सहयोगी समीक्षा प्रक्रिया द्वारा निर्धारित वैज्ञानिक महत्व के आधार पर होगा, जो वस्तुनिष्ठता, निरंतरता तथा उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करता हो।

(3) इस उपखण्ड के तहत जिन व्यक्तियों या संस्थाओं को अनुदान और अनुबंध प्राप्त होते हैं, उन्हें पूरी तरह से California में रहना या स्थित होना चाहिए।

(4) अनुसंधान पूरी तरह से California के भीतर संपन्न किया जाना चाहिए।

(5) निधियों का उपयोग इन्हीं प्रयोजनों के लिए मौजूदा राज्य या स्थानीय निधियों की कमी को पूरा करने के लिए नहीं किया जाएगा।

30130.56. स्वतंत्र ऑडिट और प्रकटीकरण।

California हेल्थकेयर, रिसर्च एंड प्रिवेंशन टोबैको टैक्स ऐक्ट ऑफ 2016 से जुड़ी निधियों के लिए पूर्ण सार्वजनिक जवाबदेही प्रदान करने के लिए तथा California हेल्थकेयर, रिसर्च एंड प्रिवेंशन टोबैको टैक्स ऐक्ट ऑफ 2016 के अनुरूप पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए:

(a) अपक्षपाती California स्टेट ऑडिटर कम से कम वर्ष में दो बार उन राज्य तथा स्थानीय एजेंसियों का एक स्वतंत्र ऑडिट करेगा, जिन्हें California हेल्थकेयर, रिसर्च एंड प्रिवेंशन टोबैको टैक्स ऐक्ट ऑफ 2016 के तहत निधियां प्राप्त होती हैं। इस अनुभाग के तहत संपन्न एक ऑडिट में व्यापक रूप से शामिल होगा, निधि को संचालित करने वाली राज्य एजेंसियों द्वारा विस्तारित प्रशासनिक लागतों की एक समीक्षा।

(b) एक स्वतंत्र ऑडिट के आधार पर, अपक्षपाती California स्टेट ऑडिटर एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें इसकी समीक्षा तथा सुधारों के लिए कोई सुझाव शामिल रहेंगे। इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा।

(c) हरेक राज्य एजेंसी तथा विभाग जिन्हें इस अधिनियम के तहत निधियां प्राप्त हो रही हैं, वार्षिक आधार पर, अपने संबंधित इंटरनेट वेब पर एक अकाउंटिंग प्रकाशित करेगा कि California हेल्थकेयर, रिसर्च एंड प्रिवेंशन टोबैको टैक्स ऐक्ट ऑफ 2016 फंड से कितना धन प्राप्त हुआ और उस धन का कैसे इस्तेमाल किया गया। वार्षिक अकाउंटिंग को स्टेट एजेंसी या विभाग द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया जाएगा।

(d) अनुभाग 30130.55 के उपखण्ड (a) के अधीन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज द्वारा प्राप्त निधियों पर व्यापक रूप से वही पाबंदियां लगेंगी, जो मौजूदा कानून द्वारा लागू ऑडिट तथा धोखाधड़ी पर लगती हैं।

(e) अनुभाग 30130.55 के उपखण्ड (b) तथा (c) के अधीन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन तथा युनिवर्सिटी California ऑफ सर्विसेज द्वारा प्राप्त निधियों के इस्तेमाल पर स्वास्थ्य तथा सुरक्षा संहिता के अनुभाग 104365 तथा 104370 के अनुसार टोबैको एजुकेशन एंड रिसर्च ओवरसाइट कमिटी द्वारा निगरानी रखी जाएगी।

30130.57. कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक लागत।

(a) California हेल्थकेयर रिसर्च एंड प्रिवेंशन टोबैको टैक्स ऐक्ट ऑफ 2016 फंड से प्राप्त धनराशियों का इस्तेमाल, प्रशासनिक गणना में आए खर्चों तथा इस अनुच्छेद द्वारा लागू कर के संग्रह तथा निधियों की गणना तथा वितरण में आए खर्चों, और इस अधिनियम के तहत आवश्यकतानुसार विनियमों के प्रवर्तन में आए खर्चों के लिए व्यय बोर्ड को संवितरण किए जाने में किया जाएगा, बशर्ते कि अनुभाग 30130.54 के उपखण्ड (b) के अनुरूप आवश्यक निधियों की कटौती करने के बाद, California हेल्थकेयर, रिसर्च एंड प्रिवेंशन टोबैको टैक्स ऐक्ट ऑफ 2016 फंड में हर वर्ष 5 फीसदी से अधिक निधियों का इस्तेमाल ऐसी प्रशासनिक लागतों के लिए नहीं किया जाए।

(b) California हेल्थकेयर, रिसर्च एंड प्रिवेंशन टोबैको टैक्स ऐक्ट ऑफ 2016 से प्राप्त धनराशियों का इस्तेमाल स्वतंत्र अपक्षपाती California स्टेट ऑडिटर को हर वर्ष चार सौ हजार डॉलर ($400,000) संवितरण करने में करेगा, जो सार्वजनिक पारदर्शिता लाने तथा इस अनुच्छेद द्वारा सृजित राजस्वों का इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवा के लिए, तंबाकू के इस्तेमाल की रोकथाम तथा अनुसंधान के लिए सुनिश्चित करने हेतु अनुभाग 30130.56 द्वारा आवश्यक हरेक ऑडिट संपन्न करने में आए खर्चों को पूरा करने के लिए होगा।

(c) California हेल्थकेयर, रिसर्च तथा प्रिवेंशन टोबैको टैक्स ऐक्ट ऑफ 2016 फंड से प्राप्त हर वर्ष धनराशि में से चालीस मिलियन डॉलर ($40,000,000) युनिवर्सिटी ऑफ California को California में प्रशिक्षित प्राथमिक देखभाल तथा आपातकालीन चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से दिया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस निधि को युनिवर्सिटी ऑफ California को दिया जाएगा, ताकि प्रदर्शित कार्यबल की जरूरत तथा प्राथमिकताओं के आधार पर California में प्रशिक्षित प्राथमिक देखभाल तथा आपातकालीन चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि के उद्देश्य को हासिल करने वाले ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स को बनाए रखा जाए तथा उनका विस्तार किया जा सके।

(1) इस उपखण्ड के उद्देश्यों के लिए, "प्राथमिक उपचार" का अर्थ है आंतरिक दवाई, पारिवारिक चिकित्सा, प्रसूती/स्त्रीरोग तथा शिशु रोग विशेषज्ञ।

(2) निधिकरण की प्राथमिकता मेडिकल रूप से वंचित क्षेत्रों तथा आबादियों की सेवा के लिए बने कार्यक्रमों हेतु प्रत्यक्ष ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा की लागतों के लिए तय की जाएगी।

(3) इस उपखण्ड के उद्देश्यों के लिए, California में स्थित प्रमाणीकरण संगठनों द्वारा संघीय रूप से मान्यताप्राप्त सभी ऐलोपैथिक और ऑस्टियोपैथिक रेसिडेंसी कार्यक्रम, California में निवासी शिक्षा की सहायता के लिए निधि प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए पात्र है।

(4) युनिवर्सिटी ऑफ California हर वर्ष विशेषकर समूचे राज्य तथा क्षेत्र में आने वाली चिकित्सकों की कमी की समीक्षा करेगा। इस समीक्षा के आधार पर, गैर-प्राथमिक उपचार वाले चिकित्सकों की प्रदर्शित राज्यव्यापी या क्षेत्रवार कमी की हद तक, निधियों का इस्तेमाल ऐसे ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम के प्रसार के लिए किया जा सकता है, जिनका उद्देश्य ऐसी कमियों से निपटना है।

(d) California हेल्थकेयर, रिसर्च तथा प्रिवेंशन टोबैको टैक्स ऐक्ट ऑफ 2016 फंड से प्राप्त धनराशि में से हर वर्ष तीस मिलियन डॉलर ($30,000,000) का इस्तेमाल स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ को वित्त प्रदान करने में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य सिगरेट्स तथा अन्य तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल से पैदा हुए दंत रोगों समेत अन्य दंत रोगों की रोकथाम तथा उपचार करने से जुड़ी शिक्षा प्रदान करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति उन कार्यक्रमों द्वारा होगी जो ऐसी गतिविधियों के लिए वित्त प्रदान करते हैं, जो प्रदर्शित मुख स्वास्थ्य आवश्यकताओं के आधार पर राज्य डेंटल योजना को समर्थन देते हैं, और सेवा वंचित क्षेत्रों तथा आबादियों की सेवा को प्राथमिकता देते हैं। वित्त प्रदत्त कार्यक्रम गतिविधियों में व्यापक रूप से निम्नांकित शामिल हैं: शिक्षा, रोग की रोकथाम, रोग का उपचार, निगरानी तथा केस प्रबंधन।

इस विभाग के पास इस उपखण्ड के उद्देश्यों को पूरी तरह से कार्यांवयन करने तथा प्रभावी करने का व्यापक अधिकार होगा, जिसमें सेवा वंचित समुदायों के निर्धारण, प्रोग्राम प्रोटोकोल का विकास का अधिकार, कार्यक्रम से जुड़े राज्य-प्रायोजित सेवाओं के लिए संवितरण का अधिकार तथा कार्यक्रम गतिविधियां प्रदान करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों या सार्वजनिक अथवा निजी संस्थाओं के साथ अनुबंध करने का भी अधिकार भी शामिल होगा।

(e) California हेल्थकेयर, रिसर्च एंड प्रिवेंशन टोबैको ऐक्ट ऑफ 2016 फंड से प्राप्त धन में से अड़तालीस मिलियन डॉलर ($48,000,000) की राशि का इस्तेमाल हर वर्ष तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री, खासकर नाबालिगों को की जाने वाली अवैध बिक्री में कमी लाने के लिए; सिगरेट की तस्करी को कम करने, तंबाकू कर चोरी घटाने, बिना लाइसेंस के तंबाकू के उत्पादों की बिक्री तथा जाली तंबाकू उत्पादों की बिक्री को रोकने के लिए कानून के प्रवर्तन हेतु तथा तंबाकू से जुड़े कानूनों, अदालत के फैसलों तथा कानूनी निपटारों को लागू करने के लिए; और कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण तथा तंबाकू से जुड़े कानूनों के लिए तकनीकी सहायता गतिविधियों के संचालन के लिए निधि प्रदान करने में किया जाएगा; बशर्ते कि इन निधियों का इस्तेमाल इन्हीं उद्देश्यों के लिए मौजूदा राज्य या स्थानीय निधियों को बढ़ावा देने में किया जाता हो। इन निधियों को निम्नांकित तरीके से आवंटित किया जाएगा:

(1) हर वर्ष तीस मिलियन डॉलर की राशि ($30,000,000) California के न्याय विभाग/अटॉर्नी जेनरल के कार्यालय को दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वित्त प्रदान करने में किया जाएगा, जिससे उन्हें ऐसे कार्यक्रमों के लिए अग्रिम-पंक्ति के कानून प्रवर्तन शांति अधिकारियों को नियुक्त करने तथा उन्हें मदद देने में सहूलियत होगी, जिनमें शामिल होंगे नाबालिगों को तंबाकू की अवैध बिक्री तथा विपणन से जुड़े राज्य तथा स्थानीय कानूनों का प्रवर्तन करना, और नाबालिगों तथा किशोरों को सिगरेटों तथा तंबाकू की अवैध बिक्री को कम करने वाली जांच-पड़ताल गतिविधियों तथा अनुपालन जांच को बढ़ाना।

(2) हर वर्ष छह मिलियन डॉलर की राशि ($6,000,000) बोर्ड को दी जाएगी, जिसका इस्तेमाल ऐसे कानूनों के प्रवर्तन में किया जाएगा जो सिगरेटों तथा अन्य तंबाकू उत्पादों के वितरण तथा खुदरा बिक्री को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि ऐसे कानून जो सिगरेट तथा तंबाकू उत्पाद की तस्करी, जाली उत्पादों की बिक्री, बिना कर वाले सिगरेटों तथा अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री तथा बिना एक उचित लाइसेंस के सिगरेटों तथा अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री को प्रतिबंधित करते हों।

(3) हर वर्ष छह मिलियन डॉलर की राशि ($6,000,000) California डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ को दी जाएगी, जिसका इस्तेमाल ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में किया जाएगा, जिनमें व्यापक रूप से शामिल हैं नाबालिगों को तंबाकू की अवैध बिक्री से जुड़े राज्य तथा स्थानीय कानूनों के प्रवर्तन के लिए प्रशिक्षण तथा निधिकरण प्रदान करना, अधिक जांच गतिविधियों तथा अनुपालन जांच तथा नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री को कम करने की अन्य उचित गतिविधियों के लिए स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अनुदानों तथा अनुबंध प्रदान करना, जिसमें बिजनेस एंड प्रोफेशन कोड के अनुभाग 22952 अनुसार स्टॉप टोबैको ऐक्सेस टु किड्स एंफोर्समेंट (STAKE) ऐक्ट भी शामिल है।

(4) हर वर्ष छह मिलियन डॉलर की राशि ($6,000,000) California अटॉर्नी जेनरल को दी जाएगी, जिसका इस्तेमाल ऐसे कानूनों के प्रवर्तन में किया जाएगा जो सिगरेटों तथा अन्य तंबाकू उत्पादों के वितरण तथा बिक्री को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि ऐसे कानून जो सिगरेट की तस्करी, जाली उत्पादों की बिक्री, बिना कर वाले तंबाकू उत्पादों की बिक्री तथा बिना एक उचित लाइसेंस के नाबालिगों को तंबाकू की बिक्री को प्रतिबंधित करते हों, तथा तंबाकू से जुड़े कानूनों, अदालती फैसलों तथा निपटारों का प्रवर्तन करते हों।

(f) इस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त निधियों में से अधिकतम 5 फीसदी राशि का इस्तेमाल ऐसा फंड प्राप्त करने वाली राज्य या स्थानीय एजेंसी या विभाग द्वारा प्रशासनिक लागतों को पूरा करने में किया जाएगा।

(g) California स्टेट ऑडिटर, ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉसीजर ऐक्ट के (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के खण्ड 3 के भाग 1 के अध्याय 3.5 (जो अनुभाग 11340 से आरंभ होता है)) नियम निर्माण प्रावधानों के अनुसार विनियमों को लागू करेगा। ऐसे विनियम, निधियां प्राप्त करने वाली एजेंसियों या विभागों की भिन्न प्रकृति को ध्यान में रखेगा।

(h) बोर्ड इस अधिनियम की प्रभावी तिथि के बाद के आरंभिक दो वर्षों और उसके बाद, इस अधिनियम की प्रभावी तिथि के पहले वर्ष के बाद, इस अनुच्छेद द्वारा सिगरेटों पर लगाए गए अतिरिक्त करों के कारण तथा अनुभाग 30123 के उपखण्ड (b) द्वारा तंबाकू उत्पादों पर कर में वृद्धि के कारण सिगरेट तथा तंबाकू उत्पादों की खपत में कमी होने से हर वर्ष राजस्वों में कमी का निर्धारण करेगा। यदि बोर्ड यह निर्धारण करता है कि राजस्वों में कोई कमी हुई है, तो उपखण्डों (c), (d) तथा (e) के अनुरूप आबंटित निधि राशि को उसी अनुपात में कम कर दिया जाएगा।

30130.58. कानूनी संदर्भ।

जबतक अन्यथा वर्णित न हो, इस अधिनियम के सभी संदर्भ 1 जनवरी 2016 तक मौजूद कानूनों के रूप में देखा जाएगा।

अनुभाग 5. राजस्व तथा कराधान संहिता के संशोधन का अनुपालन।

अनुभाग 5.1. राजस्व और कराधान संहिता के अनुभाग 30014 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

30014. (a) "परिवहनकर्ता" का अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य में या इस राज्य के भीतर निम्नांकित में से किसी का परिवहन करता हो:

(1) सिगरेट्स जो ऐसे पैकेजों में मौजूद न हो, जिनमें California सिगरेट कर स्टैम्प्स या मीटर छाप लगा न हो।

(2) तंबाकू उत्पाद, जिनपर अध्याय 2 के अनुच्छेद 2 (अनुभाग 30121 से आरंभ होता है), *अनुच्छेद 2.5 (अनुभाग 30130.50 से आरंभ होता है),* तथा अनुच्छेद 3 (अनुभाग 30131से आरंभ होता है) द्वारा लागू कर का भुगतान न किया गया हो।

(b) "परिवहनकर्ता" में निम्नांकित में से कोई एक शामिल नहीं होगा:

(1) एक लाइसेंसशुदा वितरक।

(2) एक सामान्य वाहक।

(3) एक व्यक्ति जो संघीय आंतरिक राजस्व बॉण्ड्स या कस्टम्स नियंत्रण के तहत सिगरेट तथा तंबाकू उत्पादों का परिवहन करता हो, जो आंतरिक राजस्व अधिनियम 1954 के अध्याय 52 के तहत गैर-करदेय हो।

अनुभाग 5.2. राजस्व और कराधान संहिता के अनुभाग 30104 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

30104. इस हिस्से द्वारा लागू कर किसी ऐसे वितरक द्वारा एक सामान्य कैरियर को, जो अंतर्राज्यीय या विदेशी यात्री सेवा से जुड़ा हो, या ऐसे व्यक्ति को जो कैरियर की इकाइयों पर सिगरेटों या तंबाकू उत्पादों को बेचने के लिए

अधिकृत हो, सिगरेटों या तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने पर लागू नहीं होंगे। जब कभी वितरकों द्वारा सिगरेटों या तंबाकू उत्पादों की बिक्री कैरियरों की सुविधायों पर इस्तेमाल या बिक्री के लिए अंतर्राज्यीय या विदेशी यात्री सेवा में शामिल कैरियरों को, या उन सुविधायों पर सिगरेटों या तंबाकू उत्पादों को बेचने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को की जाती है, तो *इस हिस्से के तहत* ~~अनुभाग 30101, 30123, और 30131.2~~ द्वारा आरोपित कर वितरकों द्वारा सिगरेटों या तंबाकू उत्पादों की बिक्री के संदर्भ में नहीं लगेगा, पर एतद्वारा कैरियरों पर या उन इकाइयों पर सिगरेटों या तंबाकू उत्पादों को बेचने के लिए अधिकृत व्यक्तियों पर, जैसी स्थिति बनती हो, *इस हिस्से के तहत* ~~अनुभाग 30101, 30123, तथा 30131.2.~~ में वर्णित दर पर California में बिक्री करने का विशेषाधिकार पाने हेतु एक कर लगाया जाएगा। वे सामान्य कैरियर तथा अनाधिकृत व्यक्ति इस अनुभाग द्वारा लगाए कर का भुगतान करेंगे तथा अनुभाग 30186 के तहत बोर्ड को रिपोर्ट सौंपेंगे।

अनुभाग 5.3. राजस्व और कराधान संहिता के अनुभाग 30108 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

30108. (a) हरेक वितरक जो इस राज्य में व्यापार में शामिल हो तथा सिगरेट या तंबाकू उत्पादों को बेचता हो या ऑर्डर प्राप्त करता हो, जिसके संदर्भ में *इस हिस्से के तहत* ~~अनुभाग 30101, 30123, तथा 30131.2~~ द्वारा लगाया गया कर लागू नहीं होता है, बिक्री करते समय या ऑर्डर लेते समय या, यदि खरीददार तब सिगरेटों या तंबाकू उत्पादों के अपने वितरण के संदर्भ में कर के भुगतान के लिए जिम्मेदार न हो, उस समय जब खरीददार का ऐसा करने का दायित्व हो, खरीददार से कर एकत्र करेगा, यदि खरीददार एक लाइसेंसशुदा वितरक से इतर हो तो खरीददार को बोर्ड द्वारा सुझाए तरीके तथा स्वरूप में एक रसीद देगा।

(b) हरेक वितरक जो इस राज्य में व्यापार में शामिल हो तथा बिना कर वाले सिगरेटों या तंबाकू उत्पादों का सैंपलों के रूप में उपहार देता हो, जिसके संदर्भ में *इस हिस्से के तहत* ~~अनुभाग 30101, 30123, तथा 30131.2~~ द्वारा लगाया गया कर लागू नहीं होता है, उपहार देते समय या तब जब उपहार पाने वाला यदि सिगरेटों या तंबाकू उत्पादों के अपने वितरण के संदर्भ में कर के भुगतान के लिए जिम्मेदार न हो, उस समय जब उपहार पाने वाले का ऐसा करने का दायित्व हो, तब वह उपहार पाने वाले से कर एकत्र करेगा, और उपहार पाने वाले को बोर्ड द्वारा सुझाए तरीके तथा स्वरूप में एक रसीद देगा। यह अनुभाग सिगरेटों या तंबाकू उत्पादों के उन वितरणों पर लागू नहीं होगा ~~जो~~ *कि* अनुभाग 30105.5 के तहत कर से बाहर हों।

(c) "राज्य में व्यापार में लिप्त" का निम्नलिखित अर्थ है और इसमें निम्नलिखित शामिल है:

(1) स्थायी या अस्थायी रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या किसी अनुषंगी, अथवा एजेंट द्वारा किसी भी नाम से, किसी कार्यालय, वितरण स्थान, सेल्स या सैम्पल रूम अथवा स्थान, वेयरहाउस अथवा भंडारण स्थान, या अन्य व्यापार स्थान को बनाए रखना, अधिग्रहित करना या इस्तेमाल करना।

(2) सिगरेटों या तंबाकू उत्पादों को बेचने, आपूर्ति करने या उनका ऑर्डर लेने के उद्देश्य से वितरक या इसके अनुषंगी के तहत इस राज्य में कार्यरत कोई प्रतिनिधि, एजेंट, सेल्सपर्सन, कैनवासर या सॉलिसिटर हो।

(d) इस अनुभाग द्वारा एकत्र किए जाने वाले कर में शामिल है वितरक द्वारा धारित कर्जा, या राज्य के लिए करों को एकत्र करने के लिए आवश्यक अन्य व्यक्ति।

अनुभाग 5.4. राजस्व और कराधान संहिता के अनुभाग 30166 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

30166. स्टैम्प्स और मीटर रजिस्टर सेटिंग्स *लाइसेंसशुदा वितरकों* को उनके निश्चित मूल्य से 0.85 फीसदी *की छूट पर* बेचे जाएंगे, *जिसे* ~~लाइसेंसशुदा चितरकों को~~ *निश्चित मूल्य में पहले एक डॉलर ($1.00) पर कैप किया जाएगा।* स्टैम्प्स या मीटर रजिस्टर सेटिंग्स के लिए भुगतान, खरीद के समय किया जाएगा, बशर्ते कि एक लाइसेंसशुदा वितरक को, इस अनुच्छेद की शर्तों और प्रावधानों के अधीन, भुगतान करने की अनुमति दी जा सकती है।

अनुभाग 5.5. राजस्व और कराधान संहिता के अनुभाग 30181 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

30181. (a) ~~जब~~ *यदि* कोई कर ~~अध्याय 2 के अनुच्छेद 1 (अनुभाग 30101 से आरंभ होता है), अनुच्छेद 2 (अनुभाग 30121 से आरंभ होता है), तथा अनुच्छेद 3 (अनुभाग 30131) के तहत सिगरेटों पर लागू होता है, जहां इस भाग का भुगतान स्टैम्प्स या मीटर छापों के जरिए नहीं किया जाता है, तब वह कर सिगरेट के वितरण वाले कैलेंडर माह के बाद 25वें दिन या उससे पहले मासिक रूप से देय और भुगतान योग्य होगा, या सामान्य कैरियर की इकाइयों पर सिगरेट की बिक्री के मामले में, जिसके लिए अनुभाग 30104 के अनुरूप, कर लगाया जाता है, तो वह कर सिगरेट के वितरण वाले कैलेंडर माह के बाद 25वें दिन या उससे पहले मासिक रूप से देय और भुगतान योग्य होगा।

(b) तंबाकू उत्पादों का हरेक वितरक, बोर्ड द्वारा सुझाए फॉर्म में एक रिटर्न फाइल करेगा ~~जिसमें~~ *शामिल हो सकता है*, पूर्व महीने में तंबाकू उत्पादों तथा उनके थोकविक्रय लागत के वितरणों से जुड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तथा इस हिस्से में बोर्ड को जैसा आवश्यक लगता हो वैसी कोई अन्य सूचना। बोर्ड को रिटर्न फाइल मासिक अवधि के पूरा होने के बाद के कैलेंडर माह के 25वें दिन पर या उससे पहले किया जाएगा, जिसके साथ उस अवधि के लिए अध्याय 2 के अनुच्छेद 2 के तहत (जो अनुभाग 30121 से आरंभ होता है) अथवा अनुच्छेद 3 के तहत (जो अनुभाग 30131 से आरंभ होता है) बोर्ड को देय कर की राशि का एक विप्रेषण भी संलग्न किया जाएगा।

(c) इस हिस्से के प्रशासन को सुगम बनाने के लिए, बोर्ड के समक्ष मासिक अवधि से अधिक के लिए रिटर्न्स फाइल करनी होगी।

(d) रिटर्नों का सत्यापन एक फॉर्म में किया जाएगा या बोर्ड द्वारा सुझाई विधियों के अनुसार किया जाएगा।

~~(e) यह अनुभाग 1 जनवरी, 2007 को प्रभावी हो जाएगा।~~

अनुभाग 6. राज्य संविधान का अनुपालन।

अनुभाग 6.1. California संविधान के अनुच्छेद XVI में अनुभाग 23 जोड़ा गया है, जो इस प्रकार है:

अनुभाग 23. California हेल्थकेयर, रिसर्च एंड प्रिवेंशन टोबैको टैक्स ऐक्ट ऑफ 2016 द्वारा लगाए कर तथा उससे प्राप्त राजस्व को, जिसमें निवेश ब्याज शामिल है, अनुभाग 8 तथा उसके कार्यांवयन कानूनों के उद्देश्यों के लिए सामान्य निधि राजस्व के रूप में नहीं माना जाएगा और उसे अनुभाग 8 तथा इसके कार्यांवयन कानूनों के उपखण्डों (a) तथा (b) के उद्देश्यों के लिए "सामान्य निधि राजस्व", "राज्य राजस्व", या "करों से प्राप्त सामान्य निधि" नहीं माना जाएगा।

अनुभाग 6.2. California संविधान के अनुच्छेद XIII B में अनुभाग 14 जोड़ा गया है, जो इस प्रकार है:

अनुभाग 14. सरकार के प्रत्येक प्रतिष्ठान की "सीमा से जुड़े विनियोजन" में California हेल्थकेयर, रिसर्च एंड प्रिवेंशन टोबैको टैक्स ऐक्ट ऑफ 2016 द्वारा सृजित California हेल्थकेयर, रिसर्च एंड प्रिवेंशन टोबैको टैक्स ऐक्ट ऑफ 2016 फंड से प्राप्त राजस्व का विनियोजन शामिल नहीं होगा। California हेल्थकेयर, रिसर्च एंड प्रिवेंशन टोबैको टैक्स ऐक्ट 2016 फंड में जमा किए जा या उससे विनियोजित किए जा रहे राजस्व के परिणामस्वरूप अनुभाग 3 के अनुसार सरकार के किसी प्रतिष्ठान की उपयोग सीमा में किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।

अनुभाग 7. पृथक्करणीयता।

यदि इस अधिनियम के प्रावधान, या उनके अंश, किसी भी कारण से अमान्य या असंवैधानिक पाए जाते हैं, तो शेष प्रावधान प्रभावित नहीं होंगे, किंतु पूर्ण रूप और प्रभाव में लागू रहेंगे, और इस उद्देश्य के लिए इस अधिनियम के प्रावधान पृथक्करणीय हैं।

अनुभाग 8. परस्पर-विरोधी विधेयक।

(a) लोगों का आशय है कि यह विधेयक तथा अन्य विधेयक जो तंबाकू से कराधान से जुड़ा हो, समान राज्यव्यापी चुनाव मतपत्र पर दिखाई पड़ेंगे, अन्य विधेयक या विधेयकों के प्रावधानों को इस विधेयक के विरोध में नहीं देखा जाएगा, और यदि इसे मतदाताओं द्वारा मंजूरी मिलती है, तो यह विधेयक प्रभावी होगा, जिसपर अभिपुष्टि मतों की भारी संख्या द्वारा तंबाकू के कराधान से जुड़े अन्य विधेयक के मतदाताओं की मंजूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(b) यदि इस विधेयक को मतदाता अनुमोदित करें लेकिन उसी चुनाव में मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किसी अन्य परस्पर-विरोधी मतपत्र विधेयक द्वारा कानूनन अधिक्रमण किया जाए, और बाद में परस्पर-विरोधी विधेयक को अमान्य मान लिया जाए, तो यह विधेयक स्वतः निष्पादित होगा और इसे कानून की पूरी ताकत मिलेगी।

अनुभाग 9. संशोधन।

(a) यहां से आगे प्रदत्त के अलावा, इस अधिनियम को केवल निर्वाचकों द्वारा संशोधित किया जा सकता है, जो California संविधान के अनुच्छेद II के अनुभाग 10 के उपखण्ड (c) के अनुरूप होगा।

(b) विधानमंडल हरेक सदन में दो-तिहाई सदस्यों द्वारा जर्नल में दर्ज रोल-कॉल मत द्वारा पारित एक कानून द्वारा राजस्व तथा कराधान संहिता के अनुभाग 30130.55 तथा अनुभाग 30130.57 के उपखण्ड (a) तथा (c) को संशोधित कर सकता है, जिससे California हेल्थकेयर, रिसर्च एंड प्रिवेंशन टोबैको टैक्स ऐक्ट ऑफ 2016 के उद्देश्य सुगम बनेंगे।

(c) विधानमंडल हरेक सदन में सदस्यों की चार बटा पांच संख्या द्वारा जर्नल में दर्ज रोल-कॉल मत द्वारा पारित एक कानून द्वारा राजस्व तथा कराधान संहिता के अनुभाग 30130.55 तथा अनुभाग (b) को संशोधित कर सकता है, जिससे California हेल्थकेयर, रिसर्च एंड प्रिवेंशन टोबैको टैक्स ऐक्ट ऑफ 2016 के उद्देश्य सुगम बनेंगे।

अनुभाग 10. प्रभावी तारीख।

यह अधिनियम California संविधान के अनुच्छेद II के अनुभाग 10 के उपखण्ड (a) के अनुरूप प्रभावी होगा; हालांकि यह शर्त है कि राजस्व और कराधान संहिता के अनुभाग 30121 का संशोधन 1 अप्रैल 2017 को प्रभावी हो जाए।

प्रस्ताव 57

यह पहल सम्बंधी विधेयक California संविधान के अनुच्छेद II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुपालन में लोगों को पेश किया जाता है।

यह पहल विधेयक California के संविधान में एक अनुभाग जोड़ता है और कल्याण और संस्थाओं की संहिता के अनुभागों को संशोधित करता है; इसलिए मिटाए जाने के लिए प्रस्तावित वर्तमान प्रावधानों को ~~काटे हुए अक्षरों~~ में प्रकाशित किया गया है और जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को यह दर्शाने के लिए *इटैलिक टाईप* में प्रकाशित किया गया है कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

जन सुरक्षा एवं पुनर्वास अधिनियम, 2016

अनुभाग 1. शीर्षक।

इस प्रयास को "सार्वजनिक सुरक्षा और पुनर्वास अधिनियम 2016" के तौर पर जाना जाएगा एवं उल्लेखित किया जा सकता है।

अनुभाग 2. उद्देश्य और मंशा।

इस अधिनियम को लागू करने में, California राज्य के लोगों का उद्देश्य और मंशा यह है कि:

1. जन सुरक्षा की रक्षा करता है और उसमें बढ़ोतरी करता है।

2. जेलों पर फालतू खर्च को कम करके पैसा बचाता है।

3. संघीय न्यायालयों द्वारा कैदियों को अंधाधुंध रिहा करने पर रोक लगाता है।

4. विशेष रूप से, किशोरों के लिए पुनर्वास पर बल देकर अपराध के घूमते दरवाजे पर रोक लगाता है।

5. न्यायाधीश से न कि अभियोजक से, यह निर्णय लिए जाने की अपेक्षा करता है कि किशोरों पर वयस्क न्यायालय में मुकदमा चलाया जाए या नहीं।

अनुभाग 3. California संविधान के अनुच्छेद I में अनुभाग 32 जोड़ा गया है, जो इस प्रकार है:

अनुभाग 32. (a) इस अनुच्छेद या अन्य किसी कानूनी प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी, जन सुरक्षा बढ़ाने, पुनर्वास में सुधार करने, तथा संघीय न्यायालय के आदेश द्वारा कैदियों की रिहाई से बचने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

(1) परोल पर विचार: गैर-हिंसक जघन्य अपराध का दोषी और राज्य की जेल के दण्ड की सज़ा पाने वाला कोई भी व्यक्ति अपने प्राथमिक अपराध की पूर्ण अवधि पूरी करने के बाद परोल पर विचार किए जाने का हकदार होगा।

(A) केवल इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए, प्राथमिक अपराध की पूर्ण अवधि का अर्थ बढ़ोतरी, लगातार सज़ा, या वैकल्पिक सज़ा के लागू करने के सिवाय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा थोपी गई कारावास की सबसे लंबी अवधि है।

(2) श्रेय अर्जित करना: सुधार एवं पुनर्वास विभाग को प्राधिकार होगा कि वह अच्छे व्यवहार और मंज़ूरी प्राप्त पुनर्वास या शैक्षिक उपलब्धियों के लिए अर्जित श्रेय प्रदान करे।

(b) सुधार एवं पुनर्वास विभाग इन प्रावधानों में आगे बढ़ोतरी करने के लिए विनियमों को अंगीकार करेगा, तथा सचिव, सुधार एवं पुनर्वास विभाग प्रमाणित करेगा कि यह विनियम जन सुरक्षा की रक्षा करते हैं और उनमें बढ़ोतरी करते हैं।

अनुभाग 4. न्यायिक हस्तांतरण प्रक्रिया।

अनुभाग 4.1. वेलफेयर और इंस्टीटयूट कोड का अनुभाग 602 संशोधित किया गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

602. ~~(a) उपखण्ड (b)~~ *अनुभाग 707* में की गई व्यवस्था के सिवाय, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति जब पूर्ण रूप से आयु के आधार पर कर्फ्यू लगाने वाले किसी अध्यादेश से इतर अपराध को परिभाषित करते हुए इस राज्य या संयुक्त राज्य के किसी कानून का अथवा इस राज्य के किसी नगर या काउंटी के किसी अध्यादेश का उल्लंघन करता है, तो यह किशोरों के न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में आता है, जो इस व्यक्ति के न्यायालय का वार्ड बनने संबंधी निर्णय ले सकता है।

~~(b) 14 वर्ष या इससे अधिक की आयु में निम्नलिखित में से कोई अपराध करने के आरोपी किसी भी व्यक्ति पर आपराधिक अधिकार-क्षेत्र के न्यायालय में सामान्य कानून के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाएगा:~~

~~(1) हत्या, जैसा कि दण्ड संहिता के अनुभाग 187 में वर्णित है, यदि अभियोजक द्वारा दण्ड संहिता के अनुभाग 190.2 के उपखण्ड (a) में वर्णित किसी परिस्थिति का आरोप लगाया जाता है, तथा वकील आरोप लगाता है कि अवयस्क ने स्वयं पीड़ित की हत्या की थी।~~

~~(2) यदि वकील आरोप लगाता है कि अवयस्क ने स्वयं अपराध किया था, तथा यदि वकील दण्ड संहिता के अनुभाग 667.61 के उपखण्ड (d) या (e), एक आघात कानून में वर्णित किसी परिस्थिति का आरोप लगाता है, तो निम्नलिखित यौन अपराध लागू होते हैं:~~

~~(A) बलात्कार, जैसा कि दण्ड संहिता के अनुभाग 261 के उपखण्ड (a) के पैरा (2) में वर्णित है।~~

~~(B) पति या पत्नी से बलात्कार, जैसा कि दण्ड संहिता के अनुभाग 262 के उपखण्ड (a) के पैरा (1) में वर्णित है।~~

~~(C) किसी अन्य व्यक्ति के सहयोग से ज़बरदस्ती यौन अपराध, जैसा कि दण्ड संहिता के अनुभाग 264.1 में वर्णित है।~~

56

57

~~(D) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ ज़बरदस्ती कामुक और कामोत्तेजक कार्य, जैसा कि दण्ड संहिता के अनुभाग 288 के उपखण्ड (b) में वर्णित है।~~

~~(E) जबरन यौन प्रवेश, जैसा कि दण्ड संहिता के अनुभाग 289 के उपखण्ड (a) में वर्णित है।~~

~~(F) पीड़ित या किसी दूसरे व्यक्ति पर बल, हिंसा, दबाव, धमकी, अथवा तत्काल और अनुचित शारीरिक चोट के डर से दण्ड संहिता के अनुभाग 286 या 288a के उल्लंघन में गुदा मैथुन या मुख मैथुन।~~

~~(G) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ कामुक और कामोत्तेजक कार्य, जैसा कि दण्ड संहिता के अनुभाग 288 के उपखण्ड (a) में वर्णित है, जब तक कि प्रतिवादी दण्ड संहिता के अनुभाग 1203.066 के उपखण्ड (d) के अंतर्गत परख के योग्य न हो।~~

अनुभाग 4.2. वेलफेयर और इंस्टीटयूट कोड का अनुभाग 707 संशोधित किया गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

707. (a) (1) किसी ऐसे मामले में जिसमें किसी अवयस्क जो कथित तौर पर अनुभाग 602~~ के उपखण्ड (a)~~ में वर्णित व्यक्ति है, उसके 16 वर्ष या इससे अधिक आयु के होने के समय, किसी *जघन्य* आपराधिक कानून,~~या उपखण्ड (b) में सूचीबद्ध के अलावा किसी अध्यादेश~~, के उल्लंघन के कारण द्वारा *या 14 या 15 वर्ष की आयु में उपखण्ड (b) में सूचीबद्ध कोई अपराध किया है, तो जिला अटर्नी या अन्य समुचित अभियोजन अधिकारी अवयस्क को किशोर न्यायालय से आपराधिक अधिकार-क्षेत्र वाले न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव कर सकता है।* ~~याची का~~ प्रस्ताव जोखिम के जुड़ने से पहले ही *अवश्य* प्रस्तुत किया जाना चाहिए ~~दिये जाने पर~~। *ऐसे प्रस्ताव पर,* किशोरों का न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी *को आदेश देगा* कि वह ~~जाँच करे और~~ *अवयस्क* के व्यवहार के स्वरूपों और सामाजिक इतिहास पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।~~अनुपयुक्तता के निर्धारण हेतु विचार किया जा रहा है।~~ *इस रिपोर्ट में अनुभाग 656.2 के अनुसरण में पीड़ित द्वारा पेश कोई लिखित या मौखिक कथन शामिल होगा।*

(2) रिपोर्ट, तथा प्रार्थी या अवयस्क की स्वयं की इच्छा से पेश किए जाने वाले किसी अन्य संगत साक्ष्य को पेश करने और उस पर विचार करने के बाद, किशोरों का न्यायालय *निर्णय करेगा कि अवयस्क को आपराधिक न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र वाले न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए या नहीं। अपना निर्णय लेते समय, न्यायालय उप-पैरा (A) से (E) में उल्लिखित मानदण्ड पर विचार करेगा। यदि न्यायालय अधिकार-क्षेत्र के हस्तांतरण का आदेश देता है, तो न्यायालय कार्यवृत्त पर दर्ज किसी आदेश में अपने निर्णय का आधार सुनाएगा। किसी मामले में जिसमें इस खण्ड के अनुसरण में कोई सुनवाई का नोटिस दिया गया हो, न्यायालय स्थानांतरण सुनवाई की समाप्ति तक याचिका पर दलील लेने को स्थगित कर देगा, तथा पहले ही दर्ज की गई कोई दलील सुनवाई में साक्ष्य नहीं बनेगी।* ~~समझा जा सकता है कि अवयस्क किशोरों के न्यायालय के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने के लिए उपयुक्त और उचित व्यक्ति नहीं है यदि इसका निष्कर्ष यह निकलता हो कि अवयस्क इनके सहित उप-पैरा (A) से (E) की धारा (i) में उल्लिखित मानदण्ड के मूल्यांकन के आधार पर किशोरों के न्यायालय की सुविधाओं के माध्यम से उपलब्ध देखरेख, व्यवहार, और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन लाने योग्य नहीं होगा:~~

(A) (i) अवयस्क द्वारा प्रदर्शित आपराधिक सुधार की मात्रा।

(ii) धारा (i) में उल्लिखित मानदण्ड का मूल्यांकन करते समय, किशोरों का न्यायालय किसी संगत घटक को अहमियत दे सकता है जिसमें अवयस्क की आयु, परिपक्वता, बौद्धिक क्षमता, तथा कथित अपराध के समय शारीरिक, मानसिक, और भावनात्मक स्वास्थ्य, अवयस्क का उतावलापन या आपराधिक व्यवहार के जोखिमों और परिणामों को पहचानने में असफलता, अवयस्क के कृत्यों पर पारिवारिक, वयस्क, या समकक्ष साथियों का प्रभाव, तथा अवयस्क के आपराधिक सुधार पर अवयस्क के परिवार और समुदाय के पर्यावरण और बचपन के सदमे का प्रभाव शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

(B) (i) क्या अवयस्क का किशोरों के न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र की समाप्ति से पूर्व पुनर्वास किया जा सकता है।

(ii) धारा (i) में निर्दिष्ट मानदण्ड का मूल्यांकन करते समय, किशोरों का न्यायालय किसी संगत घटक को महत्व दे सकता है, जिसमें अवयस्क के विकास करने और परिपक्व होने की संभावना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(C) (i) अवयस्क बाल का पिछला आपराधिक इतिहास।

(ii) धारा (i) में निर्दिष्ट मानदण्ड का मूल्यांकन करते समय, किशोरों का न्यायालय किसी संगत घटक को महत्व दे सकता है, जिसमें अवयस्क के पिछले आपराधिक इतिहास की गंभीरता तथा अवयस्क के पिछले आपराधिक व्यवहार पर उसके परिवार और समुदाय के पर्यावरण तथा बचपन के सदमे का प्रभाव शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(D) (i) अवयस्क का पुनर्वास करने के लिए किशोरों के न्यायालय के पिछले प्रयासों की सफलता।

(ii) धारा (i) में निर्दिष्ट मानदण्ड का मूल्यांकन करते समय, किशोरों का न्यायालय किसी संगत घटक को महत्व दे सकता है, जिसमें अवयस्क की आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए पहले उपलब्ध कराई गई सेवाओं की पर्याप्तता शामिल है, लेकिन इसी तक सीमित नहीं है।

(E) (i) याचिका में अवयस्क द्वारा किए गए कथित अपराध की परिस्थितियाँ और गंभीरता।

(ii) धारा (i) में निर्दिष्ट मानदण्ड का मूल्यांकन करते समय, किशोरों का न्यायालय किसी संगत घटक को महत्व दे सकता है, जिसमें व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार, व्यक्ति की मानसिक स्थिति, अपराध में भागीदारी की व्यक्ति की कोटि, व्यक्ति द्वारा वास्तव में पहुँचाई गई हानि का स्तर, तथा व्यक्ति का मानसिक और भावनात्मक विकास शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

~~किशोरों के न्यायालय के कानून के अंतर्गत अवयस्क के मुकदमा चलाए जाने के लिए उपयुक्त और उचित न होने का निर्धारण, उप-पैरा (A) से (E) तक को साथ मिलाकर धारा (i) में नियत किसी एक या अधिक घटकों के आधार पर किया जा सकता है जिसका उल्लेख अयोग्यता के आदेश में किया जाएगा। किसी मामले में जिसमें इस खण्ड के अनुसरण में सुनवाई का नोटिस दिया गया हो, न्यायालय उपयुक्तता सुनवाई की समाप्ति तक याचिका पर दलील लेने को स्थगित कर देगा, तथा पहले ही दर्ज की गई कोई दलील सुनवाई में साक्ष्य नहीं बनेगी।~~

~~(2) (A) यह पैरा उस अवयस्क पर लागू होगा जो 16 वर्ष की आयु पूरी होने पर उल्लंघन के कारण अनुभाग 602 में वर्णित व्यक्ति के तौर पर किसी जघन्य अपराध का आरोपी हो जब अवयस्क को निम्नलिखित दोनों शर्तों के लागू होने पर एक या अधिक पूर्व अवसरों पर अनुभाग 602 के अनुसरण में न्यायालय का वार्ड घोषित किया गया हो:~~

~~(i) अवयस्क पूर्व में दो या अधिक जघन्य अपराधों का दोषी पाया गया हो।~~

~~(ii) ऐसे अपराध जिन पर पूर्व याचिका या याचिकाएं आधारित थीं, वे अवयस्क की आयु 14 वर्ष पूरी होने पर किए गए थे।~~

~~(B) जोखिम के जुड़ने से पूर्व प्रार्थी के प्रस्ताव पर न्यायालय अयोग्यता के निर्धारण हेतु परिवीक्षा अधिकारी को आदेश देगा कि वह जाँच करे और विचाराधीन अवयस्क के व्यवहार के स्वरूपों और सामाजिक इतिहास पर रिपोर्ट दे। रिपोर्ट, तथा प्रार्थी या अवयस्क की इच्छानुसार पेश किए जाने वाले किसी अन्य संगत साक्ष्य के पेश किए जाने और उन पर विचार किए जाने के बाद, अवयस्क को किशोरों के न्यायालय के कानून के अंतर्गत मुकदमे के लिए उपयुक्त और उचित व्यक्ति नहीं माना जाएगा जब तक कि किशोरों का न्यायालय, साक्ष्य के आधार पर, जो कम करने या प्रशमन करने वाली परिस्थितियों वाला साक्ष्य हो सकता है, यह निर्णय न दे कि अवयस्क धारा (i) से (v) तक को साथ मिलाकर इनकी उपधारा (I) में उल्लिखित मानदण्ड के मूल्यांकन के आधार पर किशोरों के न्यायालय की सुविधाओं के माध्यम से उपलब्ध देखरेख, व्यवहार, और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन लाने योग्य होगा:~~

~~(i) (I) अवयस्क द्वारा प्रदर्शित आपराधिक सुधार की मात्रा।~~

~~(II) उपधारा (I) में उल्लिखित मानदण्ड का मूल्यांकन करते समय, किशोरों का न्यायालय किसी संगत घटक को अहमियत दे सकता है जिसमें अवयस्क की आयु, परिपक्वता, बौद्धिक क्षमता, तथा कथित अपराध के समय शारीरिक, मानसिक, और भावनात्मक स्वास्थ्य, अवयस्क का उतावलापन या आपराधिक व्यवहार के जोखिमों और परिणामों को पहचानने में असफलता, अवयस्क के कृत्यों पर पारिवारिक, वयस्क, या समकक्ष साथियों का प्रभाव, तथा अवयस्क के आपराधिक सुधार पर अवयस्क के परिवार और समुदाय के पर्यावरण और बचपन के सदमे का प्रभाव शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।~~

~~(ii) (I) क्या अवयस्क का किशोरों के न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र की समाप्ति से पूर्व पुनर्वास किया जा सकता है।~~

~~(II) उपधारा (I) में निर्दिष्ट मानदण्ड का मूल्यांकन करते समय, किशोरों का न्यायालय किसी संगत घटक को महत्व दे सकता है, जिसमें अवयस्क के विकास करने और परिपक्व होने की संभावना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।~~

~~(iii) (I) अवयस्क बाल का पिछला आपराधिक इतिहास।~~

~~(II) उपधारा (I) में निर्दिष्ट मानदण्ड का मूल्यांकन करते समय, किशोरों का न्यायालय किसी संगत घटक को महत्व दे सकता है, जिसमें अवयस्क के पिछले आपराधिक इतिहास की गंभीरता तथा अवयस्क के पिछले आपराधिक व्यवहार पर उसके परिवार और समुदाय के पर्यावरण तथा बचपन के सदमे का प्रभाव शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।~~

~~(iv) (I) अवयस्क का पुनर्वास करने के लिए किशोरों के न्यायालय के पिछले प्रयासों की सफलता।~~

~~(II) उपधारा (I) में निर्दिष्ट मानदण्ड का मूल्यांकन करते समय, किशोरों का न्यायालय किसी संगत घटक को महत्व दे सकता है, जिसमें अवयस्क की आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए पहले उपलब्ध कराई गई सेवाओं की पर्याप्तता शामिल है, लेकिन इसी तक सीमित नहीं है।~~

~~(v) (I) याचिका में अवयस्क द्वारा किए गए कथित अपराध की परिस्थितियाँ और गंभीरता।~~

~~(II) उपधारा (I) में निर्दिष्ट मानदण्ड का मूल्यांकन करते समय, किशोरों का न्यायालय किसी संगत घटक को महत्व दे सकता है, जिसमें व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार, व्यक्ति की मानसिक स्थिति, अपराध में भागीदारी की व्यक्ति की कोटि, व्यक्ति द्वारा वास्तव में पहुँचाई गई हानि का स्तर, तथा व्यक्ति का मानसिक और भावनात्मक विकास शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।~~

~~किशोरों के न्यायालय के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए अवयस्क के उपयुक्त और उचित होने का निर्धारण धारा (i) से (v) सहित, की उपधारा (I) में नियत मानदण्ड पर विचार करने के बाद उत्तरदायित्व के निष्कर्ष तथा इसीलिए आदेश में सुनाए गए निष्कर्षों पर आधारित होगा कि उनमें से प्रत्येक मानदण्ड जिसके लिए अवयस्क उनमें से प्रत्येक और हरेक मानदण्ड के अंतर्गत उपयुक्त और उचित है। उपयुक्तता का निष्कर्ष निकालते समय, न्यायालय उनमें से प्रत्येक मानदण्ड का मूल्याँकन करने में परिस्थितियों को कम करने और प्रशमन करने पर विचार कर सकता है। किसी मामले में जिसमें इस खण्ड के अनुसरण में सुनवाई का नोटिस दिया गया हो, न्यायालय उपयुक्तता सुनवाई की समाप्ति तक याचिका पर दलील लेने को स्थगित कर देगा, तथा पहले ही दर्ज की गई कोई दलील सुनवाई में साक्ष्य नहीं बनेगी। यदि अवयस्क को इस उपखण्ड के अनुसरण में किशोरों के न्यायालय के कानून के अंतर्गत मुकदमे के उपयुक्त और उचित पाया जाता है, तो अवयस्क को अनुभाग 730 के अनुसरण में किशोर निवास, पशु-फार्म शिविर, वन्य शिविर, बूट कैम्प, या सुरक्षित किशोर गृह में, अथवा सुधार एवं पुनर्वास विभाग, किशोर सुविधा खण्ड द्वारा संचालित किसी संस्था में भेजा जाएगा।~~

~~(3) यदि, इस उपखण्ड के अनुसरण में, अवयस्क किशोरों के न्यायालय में मुकदमे के लिए उपयुक्त और उचित नहीं पाया जाता है और उसके विरुद्ध आपराधिक अधिकार-क्षेत्र वाले न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है तथा वस्तु-स्थिति के न्यायपाल द्वारा दोषी पाया जाता है, तो न्यायाधीश अनुभाग 1732.6 में उल्लिखित सीमाओं के लागू न होने पर अवयस्क को राज्य के कारावास की सज़ा देने के बदले में सुधार एवं पुनर्वास विभाग, किशोर सुविधा खण्ड में भेज सकता है।~~

(b) उपखण्ड ~~(c)~~ *(a)* किसी ऐसे मामले में लागू होगा जिसमें अवयस्क व्यक्ति पर *14 या 15 वर्ष की आयु में* निम्नलिखित में से किसी अपराध के उल्लंघन के कारण अनुभाग 602 में वर्णित व्यक्ति होने का आरोप हो:

(1) हत्या।

(2) आगजनी, जैसा कि दण्ड संहिता के अनुभाग 451 के उपखण्ड (a) या (b) में प्रावधान है।

(3) डकैती।

(4) बलात्कार, हिंसा, या भीषण शारीरिक हानि की धमकी।

(5) ज़बरदस्ती गुदा मैथुन, हिंसा, बल प्रयोग, धमकाना या भीषण शारीरिक हानि की धमकी।

(6) कामुक या कामोत्तेजक कार्य जैसा कि दण्ड संहिता के अनुभाग 288 के उपखण्ड (b) में प्रावधान है।

(7) ज़बरदस्ती मुख मैथुन, हिंसा, बल प्रयोग, धमकाना या भीषण शारीरिक हानि की धमकी।

(8) दण्ड संहिता के अनुभाग 289 के उपखण्ड (a) में दिया गया कोई अपराध।

(9) फिरौती के लिए अपहरण।

(10) लूटपाट के उद्देश्य से अपहरण।

(11) शारीरिक चोट के साथ अपहरण।

(12) हत्या का प्रयास।

(13) बंदूक या विनाशकारी उपकरण द्वारा हमला।

(14) भीषण शारीरिक चोट पहुँचाने की संभावना वाले किसी शक्तिशाली साधन द्वारा हमला।

(15) किसी रिहायशी या अधिगृहीत इमारत में बंदूक चलाना।

(16) दण्ड संहिता के अनुभाग 1203.09 में वर्णित कोई अपराध।

(17) दण्ड संहिता के अनुभाग 12022.5 या 12022.53 में वर्णित कोई अपराध।

(18) जघन्य अपराध जिसमें अवयस्क ने दण्ड संहिता के अनुभाग 16590 में सूचीबद्ध किसी प्रावधान में वर्णित किसी हथियार का स्वयं उपयोग किया हो।

(19) दण्ड संहिता के अनुभाग 136.1 या 137 में वर्णित कोई गंभीर अपराध।

(20) स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के अनुभाग 11055 के उपखण्ड (e) में उल्लिखित नियंत्रित पदार्थ के साल्ट या घोल के आधे औंस या अधिक अंश का विनिर्माण, मिश्रण, या बिक्री।

(21) दण्ड संहिता के अनुभाग 667.5 के उपखण्ड (c) में दी गई परिभाषा के अनुसार हिंसक जघन्य अपराध जो दण्ड संहिता के अनुभाग 186.22 के उपखण्ड (b) का जघन्य आपराधिक उल्लंघन भी होगा।

(22) अनुभाग 871 के उपखण्ड (b) का उल्लंघन करते हुए काउंटी के किशोर निवास, आवास, पशु-फार्म, शिविर, या वन्य शिविर से बल या हिंसा के बल पर भाग निकलना, यदि भागने के दौरान किशोर सुविधा-गृह के कर्मचारी को इरादतन भीषण शारीरिक चोट पहुँचाई गई हो।

(23) यातना जैसा कि दण्ड संहिता के अनुभाग 206 और 206.1 में वर्णित किया गया है।

(24) तेज़ तबाही, जैसा कि दण्ड संहिता के अनुभाग 205 में वर्णित किया गया है।

(25) खतरनाक या घातक हथियार से लैस होकर दण्ड संहिता के अनुभाग 215 में यथा वर्णित कार-चोरी।

(26) दण्ड संहिता के अनुभाग 209 के उपखण्ड (b) में दण्डनीय यौन हमले के उद्देश्य से अपहरण।

(27) अपहरण जैसा कि दण्ड संहिता के अनुभाग 209.5 में दण्डनीय है।

(28) दण्ड संहिता के अनुभाग 26100 के उपखण्ड (c) में वर्णित अपराध।

(29) दण्ड संहिता के अनुभाग 18745 में वर्णित अपराध।

(30) स्वैच्छिक हत्या, जैसा कि दण्ड संहिता के अनुभाग 192 के उपखण्ड (a) में वर्णित किया गया है।

~~(c) 14 वर्ष या इससे अधिक आयु में उल्लंघन के कारण अनुभाग 602 में वर्णित किसी व्यक्ति के उपखण्ड (b) में सूचीबद्ध किसी अपराध के आरोपी अवयस्क के संबंध में, जोखिम के जुड़ने से पूर्व दिए गए प्रार्थी के प्रस्ताव पर न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी से जाँच कराएगा और अयोग्यता के निर्धारण के विचाराधीन अवयस्क के व्यवहारात्मक स्वरूपों और सामाजिक इतिहास पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश देगा। रिपोर्ट, तथा प्रार्थी या अवयस्क की इच्छानुसार पेश किए जाने वाले किसी अन्य संगत साक्ष्य के पेश किए जाने और उन पर विचार किए जाने के बाद, अवयस्क को किशोरों के न्यायालय के कानून के अंतर्गत मुकदमे के लिए उपयुक्त और उचित व्यक्ति नहीं माना जाएगा जब तक कि किशोरों का न्यायालय, साक्ष्य के आधार पर, जो कम करने या प्रशमन करने वाली परिस्थितियों वाला साक्ष्य हो सकता है, यह निर्णय न दे कि अवयस्क पैरा (1) से (5) तक को साथ मिलाकर इनके उपपैरा (A) में उल्लिखित प्रत्येक मानदण्ड के मूल्यांकन के आधार पर किशोरों के न्यायालय की सुविधाओं के माध्यम से उपलब्ध देखरेख, व्यवहार, और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन लाने योग्य होगा:~~

~~(1) (A) अवयस्क द्वारा प्रदर्शित आपराधिक सुधार की मात्रा।~~

~~(B) उपपैरा (A) में उल्लिखित मानदण्ड का मूल्यांकन करते समय, किशोरों का न्यायालय किसी संगत घटक को अहमियत दे सकता है जिसमें अवयस्क की आयु, परिपक्वता, बौद्धिक क्षमता, तथा कथित अपराध के समय शारीरिक, मानसिक, और भावनात्मक स्वास्थ्य, अवयस्क का उतावलापन या आपराधिक व्यवहार के जोखिमों और परिणामों को पहचानने में असफलता, अवयस्क के कृत्यों पर पारिवारिक, वयस्क, या समकक्ष साथियों का प्रभाव, तथा अवयस्क के आपराधिक सुधार पर अवयस्क के परिवार और समुदाय के पर्यावरण और बचपन के सदमे का प्रभाव शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।~~

~~(2) (A) क्या अवयस्क का किशोरों के न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र की समाप्ति से पूर्व पुनर्वास किया जा सकता है।~~

~~(B) उपपैरा (A) में निर्दिष्ट मानदण्ड का मूल्यांकन करते समय, किशोरों का न्यायालय किसी संगत घटक को महत्व दे सकता है, जिसमें अवयस्क के विकास करने और परिपक्व होने की संभावना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।~~

~~(3) (A) अवयस्क बाल का पिछला आपराधिक इतिहास।~~

~~(B) उपपैरा (A) में निर्दिष्ट मानदण्ड का मूल्यांकन करते समय, किशोरों का न्यायालय किसी संगत घटक को महत्व दे सकता है, जिसमें अवयस्क के पिछले आपराधिक इतिहास की गंभीरता तथा अवयस्क के पिछले आपराधिक व्यवहार पर उसके परिवार और समुदाय के पर्यावरण तथा बचपन के सदमे का प्रभाव शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।~~

~~(4) (A) अवयस्क का पुनर्वास करने के लिए किशोरों के न्यायालय के पिछले प्रयासों की सफलता।~~

~~(B) उपपैरा (A) में निर्दिष्ट मानदण्ड का मूल्यांकन करते समय, किशोरों का न्यायालय किसी संगत घटक को महत्व दे सकता है, जिसमें अवयस्क की आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए पहले उपलब्ध कराई गई सेवाओं की पर्याप्तता शामिल है, लेकिन इसी तक सीमित नहीं है।~~

~~(5) (A) याचिका में अवयस्क द्वारा किए गए कथित अपराध की परिस्थितियाँ और गंभीरता।~~

~~(B) उपपैरा (A) में निर्दिष्ट मानदण्ड का मूल्यांकन करते समय, किशोरों का न्यायालय किसी संगत घटक को महत्व दे सकता है, जिसमें व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार, व्यक्ति की मानसिक स्थिति, अपराध में भागीदारी की व्यक्ति की कोटि, व्यक्ति द्वारा वास्तव में पहुँचाई गई हानि का स्तर, तथा व्यक्ति का मानसिक और भावनात्मक विकास शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।~~

~~किशोरों के न्यायालय के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए अवयस्क के उपयुक्त और उचित होने का निर्धारण पैरा (1) से (5) सहित उप-पैरा (A) में नियत मानदण्ड पर विचार करने के बाद उत्तरदायित्व के निष्कर्ष तथा इसीलिए आदेश में सुनाए गए निष्कर्षों पर आधारित होगा कि उनमें से प्रत्येक मानदण्ड जिसके लिए अवयस्क उनमें से प्रत्येक और हरेक मानदण्ड के अंतर्गत उपयुक्त और उचित है। उपयुक्तता का निष्कर्ष निकालते समय, न्यायालय उनमें से प्रत्येक मानदण्ड का मूल्याँकन करने में परिस्थितियों को कम करने या प्रशमन करने पर विचार कर सकता है। किसी मामले में जिसमें इस खण्ड के अनुसरण में सुनवाई का नोटिस दिया गया हो, न्यायालय उपयुक्तता सुनवाई की समाप्ति तक याचिका पर दलील लेने को स्थगित कर देगा, तथा पहले ही दर्ज की गई कोई दलील सुनवाई में साक्ष्य नहीं बनेगी। यदि, इस उपखण्ड के अनुसरण में, अवयस्क किशोरों के न्यायालय में मुकदमे के लिए उपयुक्त और उचित नहीं पाया जाता है और उसके विरुद्ध आपराधिक अधिकार-क्षेत्र वाले न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है तथा वस्तु-स्थिति के न्यायपाल द्वारा दोषी पाया जाता है, तो न्यायाधीश अनुभाग 1732.6 में उल्लिखित सीमाओं के लागू न होने पर अवयस्क को राज्य के कारावास की सज़ा देने के बदले में सुधार एवं पुनर्वास विभाग, किशोर सुविधा खण्ड में भेज सकता है।~~

~~(d) (1) अनुभाग 602 के उपखण्ड (b) में किए गए प्रावधान के सिवाय, जिला अटर्नी या अन्य समुचित अभियोजन अधिकारी उपखण्ड (b) में वर्णित कोई अपराध करने के आरोपी किसी 16 वर्ष या अधिक आयु के अवयस्क के विरुद्ध आपराधिक अधिकार-क्षेत्र वाले न्यायालय में अभियोगात्मक दलील दाखिल कर सकता है।~~

~~(2) अनुभाग 602 के उपखण्ड (b) में किए गए प्रावधान के सिवाय, जिला अटर्नी या अन्य समुचित अभियोजन अधिकारी किसी ऐसे मामले जिसमें निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक परिस्थितियाँ लागू होती हो, में 14 वर्ष या अधिक आयु के अवयस्क के विरुद्ध आपराधिक अधिकार-क्षेत्र वाले न्यायालय में अभियोगात्मक दलील दाखिल कर सकता है:~~

~~(A) अवयस्क पर ऐसा अपराध करने का आरोप लगाया जाए जो यदि किसी वयस्क द्वारा किया जाता, तो इसकी सज़ा मौत या राज्य की जेल में आजीवन कारावास होती।~~

~~(B) अवयस्क पर जघन्य अपराध करने के दौरान या इसके प्रयास के दौरान बंदूक का स्वयं इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जाए, जैसा कि दण्ड संहिता के अनुभाग 12022.5 या 12022.53 में वर्णित है।~~

~~(C) अवयस्क पर उपखण्ड (b) में सूचीबद्ध कोई अपराध करने का आरोप लगाया जाए जिसमें निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक परिस्थितियाँ लागू होती हैं:~~

~~(i) अवयस्क उपखण्ड (b) में सूचीबद्ध कोई अपराध करने के कारण पूर्व में अनुभाग 602 में वर्णित व्यक्ति पाया गया हो।~~

~~(ii) गैंग के सदस्यों द्वारा आपराधिक आचरण को बढ़ावा देने, उकसाने, या सहायता करने के विशेष इरादे से दण्ड संहिता के अनुभाग 186.22 के उपखण्ड (f) में यथा परिभाषित किसी आपराधिक स्थानीय गैंग के लाभार्थ, उसके निर्देश पर, या उसके सहयोग से अपराध किया गया हो।~~

~~(iii) किसी व्यक्ति को इस राज्य के संविधान या कानूनों द्वारा अथवा संयुक्त राज्य के संविधान या कानूनों द्वारा मिले किसी अधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने या सुख लेने से भयभीत करने या बाधा डालने के उद्देश्य से तथा अन्य व्यक्ति की जाति, रंग, धर्म, वंशावली, राष्ट्रीय मूल, अपंगता, लिंग, या यौन रुचि के कारण~~

57

~~अपराध किया गया हो अथवा अवयस्क यह समझता है कि अन्य व्यक्ति में, दण्ड संहिता के भाग 1 के शीर्षक 11.6 (अनुभाग 422.55 से आरंभ करते हुए) में वर्णित से एक या अधिक विशेषताएं हैं।~~

~~(iv) अपराध किए जाने के समय अपराध का पीड़ित व्यक्ति 65 वर्ष या अधिक आयु का था, या अंधा, बहरा, चारों अंगों के आघात का रोगी, अधरांगघात-रोगी, विकासात्मक रूप में अपंग या व्हीलचेयर पर पड़ा रहने वाला व्यक्ति था, तथा उस अपंगता की जानकारी अपराध किए जाने के समय अवयस्क को थी या तर्कसंगत आधार पर पता होनी चाहिए थी।~~

~~(3) अनुभाग 602 के उपखण्ड (b) में किए गए प्रावधान के सिवाय, जिला अटर्नी या अन्य समुचित अभियोजन अधिकारी उस स्थिति में निम्नलिखित में कोई एक या अधिक अपराध करने के आरोपी 16 वर्ष या इससे अधिक आयु के अवयस्क के विरुद्ध आपराधिक न्यायालय में अभियोगात्मक अपील दायर कर सकता है, यदि अवयस्क को पूर्व में 14 वर्ष या इससे अधिक आयु में जघन्य अपराध के उल्लंघन के कारण अनुभाग 602 में वर्णित व्यक्ति पाया गया हो:~~

~~(A) कोई घोर अपराध है जिसमें यह आरोप है कि अपराध किए जाने के समय अपराध का पीड़ित व्यक्ति 65 वर्ष या अधिक आयु का था, या अंधा, बहरा, चारों अंगों के आघात का रोगी, अधरांगघात-रोगी, विकासात्मक रूप में अपंग या व्हीलचेयर पर पड़ा रहने वाला व्यक्ति था, तथा उस अपंगता की जानकारी अपराध किए जाने के समय अवयस्क को थी या तर्कसंगत आधार पर पता होनी चाहिए थी।~~

~~(B) किसी व्यक्ति को इस राज्य के संविधान या कानूनों द्वारा अथवा संयुक्त राज्य के संविधान या कानूनों द्वारा मिले किसी अधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने या सुख लेने से भयभीत करने या बाधा डालने के उद्देश्यों से तथा अन्य व्यक्ति की जाति, रंग, धर्म, वंशावली, राष्ट्रीय मूल, अपंगता, लिंग, या यौन रुचि के कारण किया गया घोर अपराध किया गया हो, अथवा अवयस्क यह मानता था कि अन्य व्यक्ति में, दण्ड संहिता के भाग 1 के शीर्षक 11.6 (अनुभाग 422.55 से आरंभ करते हुए) में वर्णित से एक या अधिक विशेषताएं थीं।~~

~~(C) यह अपराध दण्ड संहिता के अनुभाग 186.22 द्वारा निषिद्ध किसी आपराधिक स्थानीय गैंग के लाभार्थ, उसके निर्देश पर, या सहयोग से किया गया हो।~~

~~(4) किसी ऐसे मामले में जिसमें जिला अटर्नी या अन्य समुचित अभियोजन अधिकारी ने इस उपखण्ड के अनुसरण में आपराधिक अधिकार-क्षेत्र वाले न्यायालय में अवयस्क के विरुद्ध अभियोगात्मक दलील दर्ज कराई हो, उसमें इस मामले पर आगे की कार्यवाही आपराधिक मामले पर लागू कानूनों के अनुसार की जाएगी। दण्ड संहिता के अनुभाग 738 में किए गए प्रावधान के अनुसार प्रारंभिक सुनवाई के साथ, न्यायाधीश यह निष्कर्ष निकालेगा कि यह विश्वास करने का उचित कारण विद्यमान है कि अवयस्क इस उपखण्ड के दायरे में आता है। यदि उचित कारण स्थापित नहीं किया जाता है, तो आपराधिक न्यायालय इस मामले को इस पर अधिकार-क्षेत्र रखने वाले किशोरों के न्यायालय को हस्तांतरित कर देगा।~~

~~(5) किसी ऐसे अपराध के लिए जिसके लिए अभियोजक इस उपखण्ड के अनुसरण में आपराधिक अधिकार-क्षेत्र वाले न्यायालय में अभियोगात्मक दलील दायर कर सकता है, लेकिन इसकी बजाय किशोरों के न्यायालय में याचिका दायर करने का चयन करता है, तो यदि अवयस्क बाद में अनुभाग 602 के उपखण्ड (a) में वर्णित व्यक्ति पाया जाता है, तब अवयस्क को अनुभाग 730 के अनुसरण में किशोर निवास, पशु-फार्म शिविर, वन्य शिविर, बूट कैम्प, या सुरक्षित किशोर गृह में, अथवा सुधार एवं पुनर्वास विभाग, किशोर सुविधा-केन्द्र खण्ड द्वारा संचालित किसी संस्था में रखने का आदेश दिया जाएगा।~~

~~(6) यदि, इस उपखण्ड के अनुसरण में, अवयस्क किशोरों के न्यायालय में मुकदमे के लिए उपयुक्त और उचित नहीं पाया जाता है और उसके विरुद्ध आपराधिक अधिकार-क्षेत्र वाले न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है तथा वस्तु-स्थिति के न्यायपाल द्वारा दोषी पाया जाता है, तो न्यायाधीश अनुभाग 1732.6 में उल्लिखित सीमाओं के लागू न होने पर अवयस्क को राज्य के कारावास की सज़ा देने के बदले में सुधार एवं पुनर्वास विभाग, किशोर सुविधा खण्ड में भेज सकता है।~~

~~(e) परिवीक्षा अधिकारी द्वारा अयोग्यता के निर्धारण हेतु विचाराधीन अवयस्क के व्यवहारात्मक स्वरूपों और सामाजिक इतिहास के संबंध में इस अनुभाग के अनुसरण में पेश रिपोर्ट में पीड़ित द्वारा, यदि पीड़ित अवयस्क हो पीड़ित के माता-पिता या अभिभावक द्वारा या यदि पीड़ित की मृत्यु हो गई हो, तो पीड़ित के नजदीकी रिश्तेदार द्वारा दिया गया कोई लिखित या मौखिक बयान शामिल होगा, जैसा के अनुभाग 656.2 के उपखण्ड (b) द्वारा अधिकृत है। पीड़ितों के बयानों पर न्यायालय अयोग्यता के निर्धारण के संबंध में न्यायालय द्वारा संगत होने की सीमा तक विचार करेगा।~~

अनुभाग 5. संशोधन।

इस अधिनियम का मोटे तौर पर आशय अपने प्रयोजनों को हासिल करना माना जाएगा। इस अधिनियम के अनुभाग 4.1 और 4.2 के उपबंधों में इस सीमा तक संशोधन किए जा सकते हैं जब तक कि ये संशोधन विधानसभा के प्रत्येक सदन के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित तथा राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित कानून द्वारा इस अधिनियम के आशय के संगत हों और इसे आगे बढ़ाते हों।

अनुभाग 6. पृथक्करणीयता।

यदि इस अधिनियम के कोई प्रावधान, या इस अधिनियम का भाग, या किसी व्यक्ति या परिस्थितियों के लिए प्रावधान या भाग की प्रयोजनीयता, किसी कारण से अमान्य ठहराई जाती है, तो शेष प्रावधान, या प्रावधानों की प्रयोजनीयता प्रभावित नहीं होगी, बल्कि पूरी शक्ति और प्रभाव से लागू होगी, और इस अर्थ में इस अधिनियम के प्रावधान पृथक्करणीय हैं।

अनुभाग 7. परस्पर-विरोधी पहल।

(a) यदि यह अधिनियम तथा राज्य के कैदियों के क्रेडिटों और परोल अथवा किशोर प्रतिवादियों हेतु वयस्क न्यायालय के अभियोजन पर ध्यान देने वाला कोई अन्य अधिनियम एक ही राज्यव्यापी मतपत्र पर प्रदर्शित हो, तो अन्य अधिनियम या अधिनियमों के उपबंध इस अधिनियम के टकराव में माने जाएंगे। उस स्थिति में कि इस अधिनियम को इसके साथ टकराव वाले अधिनियम की तुलना में अधिक संख्या में सकारात्मक मत प्राप्त होते हैं तो इस अधिनियम के प्रावधान अपनी संपूर्णता में उपस्थित रहेंगे, और अन्य अधिनियम या अधिनियमों को अकृत एवं शून्य माना जाएगा।

(b) यदि इस अधिनियम को मतदाता अनुमोदित करें लेकिन उसी चुनाव में मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किसी अन्य परस्पर-विरोधी अधिनियम द्वारा कानूनन अधिक्रमण किया जाए, और बाद में टकराव वाला अधिनियम अमान्य मान लिया जाए, तो यह अधिनियम स्वतः निष्पादित होगा और पूरी तरह ताकत के साथ प्रभावी होगा।

अनुभाग 8. प्रस्तावक की स्थिति।

कानून के किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, यदि राज्य, सरकारी एजेन्सी, या इसका कोई अन्य अधिकारी इस अधिनियम की संवैधानिकता की रक्षा करने में विफल रहता है, तो मतदाताओं द्वारा इसकी मंज़ूरी के बाद किसी अन्य सरकारी नियोक्ता, प्रस्तावक, या उनकी अनुपस्थिति में, इस राज्य के किसी नागरिक को अधिकार होगा कि वह इस अधिनियम की संवैधानिकता का रक्षा करने के उद्देश्य से इस अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली किसी न्यायालयी कार्रवाई में हस्तक्षेप करे, चाहे यह कार्रवाई किसी परीक्षण न्यायालय में अपील पर हो, या California के सर्वोच्च न्यायालय अथवा संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विवेकाधीन समीक्षा पर हो। कार्रवाई के बचाव संबंधी उचित शुल्क और खर्च न्याय विभाग के लिए रखी गई निधियों पर लगाए जाएंगे, जो तुरंत अदा किए जाएंगे।

अनुभाग 9. उदार प्रयोजन।

यह अधिनियम उदारतापूर्वक अपने प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला माना जाएगा।

प्रस्ताव 58

यह 2013–2014 के नियमित सत्र (अध्याय 753, 2014 के अधिनियम) के सीनेट बिल 1174 के द्वारा प्रस्तावित कानून California के संविधान के अनुच्छेद II के अनुभाग 10 के अनुरूप लोगों के लिए प्रस्तुत किया गया है।

यह प्रस्तावित कानून शिक्षा संहिता के अनुभागों को संशोधित करता है और इसमें अनुभाग जोड़ता है; इसलिए मिटाने के लिए प्रस्तावित प्रावधानों को ~~काटे हुए अक्षरों~~ में प्रकाशित किया गया है और जोड़ने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *इटैलिक टाईप* में प्रकाशित किया गया है ताकि यह पता चले कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. इस विधेयक को "California Ed.G.E. पहल" या "California एक वैश्विक अर्थव्यवस्था पहल के लिए शिक्षा" के रूप में जाना जाएगा और उद्धृत किया जा सकता है।

अनुभाग 2. शिक्षा संहिता के अनुभाग 300 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

300. California के ~~लोग~~ *लोग* निम्न निष्कर्ष देते हैं और घोषणा करते हैं:

(a) जबकि, अँग्रेजी भाषा संयुक्त राज्य अमेरिका और California राज्य की राष्ट्रीय सार्वजनिक भाषा है और यह भाषा California के अधिकांश नागरिकों द्वारा बोली जाती है तथा ~~विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय कारोबार~~ *विज्ञान और प्रौद्योगिकी* के लिए अग्रणी विश्व भाषा है; इसीलिए आर्थिक अवसर की *एक महत्वपूर्ण* भाषा होने के नाते; और

(b) जबकि, ~~आप्रवासी~~*सभी* माता-पिता इस बात के लिए बेहद उत्सुक होते हैं कि उनके बच्चों को ~~अँग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो, जिससे~~ *वे अंग्रेजी भाषा में महारत हासिल करें और एक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करें, जिससे* आर्थिक और सामाजिक उन्नति के अमेरिकी सपने में पूर्ण भागीदार ~~बन सकें~~ *बनने के लिए तैयार हो सकें*; और

(c) जबकि, California में ऐसे हज़ारों बहुराष्ट्रीय व्यवसाय मौजूद हैं जिन्हें पूरे विश्व के सहयोगियों से रोज़ाना सम्प्रेषण करने की आवश्यकता होती है; और

(d) जबकि, सभी क्षेत्रों – सार्वजनिक और निजी, दोनों में California के नियोक्ता बहुभाषी कर्मचारियों को ग्राहकों, क्लाइंटों और व्यावसायिक भागीदारों के साथ सुदृढ़ संबंध स्थापित करने की उनकी योग्यता के कारण सक्रिय रूप से भर्ती कर रहे हैं; और

(e) जबकि, बहुभाषी कौशल हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं और कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनिवार्य हैं; और

(f) जबकि, California में विश्व की विशालतम भाषाओं का प्राकृतिक भंडार है जिनमें अंग्रेज़ी, मंदारिन और स्पैनिश सम्मिलित हैं जो राज्य के आर्थिक व्यापार और कूटनीतिक प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण हैं; और

(g) जबकि, California में सभी माता-पिताओं को अपने बच्चों को अंग्रेज़ी और मूल अमरीकी भाषाओं सहित एक या अधिक अतिरिक्त भाषाओं में उच्च मानकों में शिक्षित करवाने का विकल्प देने और इस प्रकार उच्चतर शिक्षा और विद्यार्थियों के मनपसंद करियरों तक उनकी पहुँच को बढ़ाने का अनूठा अवसर है; और

~~(c)~~ *(h)* जबकि, सरकार और California के पब्लिक स्कूलों का यह नैतिक दायित्व और संवैधानिक कर्त्तव्य है कि वे California के सभी बच्चों को, चाहे वे किसी भी जातीयता या राष्ट्रीय ~~मूलों~~*मूल* के हों, हमारे समाज के उत्पादक सदस्य बनने के लिए आवश्यक कौशल सिखाएं और इन कौशलों में अँग्रेजी भाषा में साक्षरता सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण में सम्मिलित है; और

~~(d)~~ *(i)* जबकि, ~~आप्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के कार्य में California के पब्लिक स्कूलों का प्रदर्शन फिलहाल काफी खराब है और वित्तीय संसाधन ऐसे महँगे प्रायोगिक भाषा कार्यक्रमों पर बर्बाद किए जा रहे हैं, जिनकी विफलता पिछले दो दशकों में इन कार्यक्रमों को बीच में छोड़ने वाले बच्चों की उच्च दर और आप्रवासी बच्चों में अँग्रेजी साक्षरता के कम स्तरों के रूप में दिखाई देती है;~~ *California की विधानसभा ने एक ऐसे ऐतिहासिक स्कूल वित्तपोषण (फंडिंग) सुधार का अनुमोदन किया है और राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं जिसने अधिक समान तरीके से लोक शिक्षा वित्तपोषण को पुनर्गठित किया है, इसमें अंग्रेज़ी भाषा सीखने में सुधार करने के लिए बढ़े हुए संसाधनों का निर्देश दिया गया है और स्कूल ज़िलों, काउंटी शिक्षा कार्यालयों और स्कूलों को इस संबंध में स्थानीय नियंत्रण दिया गया है कि स्थानीय वित्तपोषण सूत्र और स्थानीय नियंत्रण और जवाबदेही योजनाओं के माध्यम से वित्तपोषण को कैसे खर्च करें;* और

(j) जबकि, माता-पिताओं के पास अब ऐसे नवीन नए कार्यक्रमों को निर्मित करने में भाग लेने का अवसर है जो विद्यार्थियों को बहुभाषावाद जैसे 21वीं शताब्दी के कौशल प्राप्त करने के अधिक अवसर देंगे; और

(k) जबकि, सभी माता-पिताओं के पास अपने बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा की माँग और चयन का अवसर होगा जिसमें उन भाषा कार्यक्रमों तक पहुँच सम्मिलित है जिससे कॉलेज और करियरों के लिए उनके बच्चों की तैयारी में सुधार होगा और वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतिस्पर्धी हो पाएंगे; और

(l) जबकि मौजूदा कानून अध्यापकों और स्कूलों पर सीमाएं लगाता है जिससे बहुत से विद्यार्थी बहुभाषी कौशल विकसित करने के अवसरों से वंचित हो गए हैं; और

~~(e)~~ *(m)* जबकि, ~~नन्हे आप्रवासी बच्चे उस स्थिति में अँग्रेजी जैसी नई भाषा का पूर्ण धारा-प्रवाह ज्ञान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, यदि उन्हें प्रारंभिक चरण में ही कक्षा में इस भाषा का पूर्ण अनुभव कराया जाए।~~ *अनुसंधान के एक बड़े संगठन ने बहुभाषावाद और बहुसाक्षरता के संज्ञानात्मक, आर्थिक और दीर्घकालिक शैक्षिक लाभ प्रदर्शित किए हैं।*

~~(f)~~ *(n)* इसलिए, यह संकल्प लिया जाता है कि: *नवंबर, 2016 के राष्ट्रव्यापी आम चुनाव में इस अध्याय के निश्चित प्रावधानों के संशोधन और रद्द किए जाने से मतदाताओं का यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य अग्रसर होगा कि* California पब्लिक स्कूलों में सभी बच्चों को ~~अँग्रेजी यथासंभव तेज और प्रभावी तरीके से सिखाई जाएगी।~~ *उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी, अंग्रेज़ी भाषा में दक्षता हासिल करेंगे, और उच्च गुणवत्ता, नवीनता और अनुसंधान-आधारित ऐसे भाषा कार्यक्रमों तक पहुँच प्राप्त करेंगे जो California Ed.G.E. (वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए California की शिक्षा) प्रदान करते हैं।*

अनुभाग 3. ~~शिक्षा संहिता के~~ अनुभाग 305 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

305. ~~अनुच्छेद 3~~ *(a) (1)* ~~(अनुभाग 310 से आरंभ होते हुए) के अपवादों के अधीन,~~ *शीर्षक 2 के खण्ड 4 के भाग 28 के अध्याय 6.1 के अनुच्छेद 4.5* (अनुभाग ~~310 California पब्लिक स्कूलों में सभी बच्चों को अँग्रेजी भाषा अँग्रेजी माध्यम से ही सिखाई जाएगी। विशेष रूप से इसके लिए यह आवश्यक होगा कि सभी बच्चों को अँग्रेजी भाषा कक्षाओं में रखा जाए। अँग्रेजी सीखने वाले बच्चों को अस्थाई परिवर्तन अवधि जो कि सामान्यतः एक वर्ष से अधिक न हो, के दौरान शेल्टर्ड अँग्रेजी इमर्शन के माध्यम से शिक्षित किया जाएगा। स्थानीय स्कूलों को यह अनुमति होगी कि वे अँग्रेजी सीखने वाले विभिन्न आयु-वर्गों लेकिन अँग्रेजी में प्रवीणता के मामले में समान स्तर के बच्चों को एक ही कक्षा में रखें। स्थानीय स्कूलों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे भिन्न मूल भाषा-भाषी समूहों के अंग्रेज़ी सीखने वाले बच्चों, लेकिन जिनका अँग्रेजी में प्रवीणता का स्तर समान हो, को एक ही कक्षा में रखें। अँग्रेजी सीखने वाले बच्चों को अँग्रेजी भाषा का अच्छा कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद उन्हें अँग्रेजी भाषा की मुख्यधारा की कक्षाओं में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जहाँ तक संभव हो सके, अँग्रेजी सीखने वालों के लिए पूरक वित्तपोषण को अनुच्छेद 8 (अनुभाग 335 के साथ आरंभ होकर) के अनुसार आगे दर्शाए गए संभावित संशोधन के अधीन बनाए रखा जाएगा।~~ *52060 के साथ आरंभ होकर) के अनुसरण में स्थानीय नियंत्रण और जवाबदेही योजना के विकास के लिए आवश्यक माता-पिता और सामुदायिक संलग्नता प्रक्रिया के भाग के रूप में, स्कूल ज़िले और काउंटी के शिक्षा कार्यालय कारगर और उपयुक्त शिक्षा पद्धतियों*

के बारे में राय माँगेगे और विद्यार्थियों को ऐसी पद्धतियाँ प्रदान करेंगे जिनमें अनुभाग 306 में परिभाषित भाषा सीखने के कार्यक्रम स्थापित करना सम्मिलित है, लेकिन इन्हीं तक ही सीमित नहीं है। इस अपेक्षा का आशय यह सुनिश्चित करना है कि अंग्रेज़ी सीखने वालों और अंग्रेजी के मूल भाषा-भाषियों सहित सभी विद्यार्थियों के पास यथालागू अंग्रेज़ी भाषा विकास मानकों सहित प्रमुख शैक्षिक विषयवस्तु मानकों तक पहुँच हो और वे अनुभाग 52060 के उपखण्ड (d) के पैराग्राफ (2) और अनुभाग 52066 में निर्धारित राज्य की प्राथमिकताओं के अनुसरण में अंग्रेज़ी में प्रवीण बन जाएं।

(2) स्कूल ज़िले और काउंटी शिक्षा कार्यालय अंग्रेज़ी सीखने वालों को न्यूनतम रूप से यह सुनिश्चित करने के प्रयोजनों से अनुभाग 306 में विनिर्दिष्ट स्ट्रक्चर्ड इंगलिश इमर्शन कार्यक्रम प्रदान करेंगे कि अंग्रेज़ी सीखने वालों को अंग्रेज़ी भाषा के विकास मानकों सहित प्रमुख शैक्षिक विषयवस्तु मानकों तक पहुँच प्राप्त हो और वे अनुभाग 52060 के उपखण्ड (d) के पैराग्राफ (2) और अनुभाग 52066 में निर्धारित राज्य की प्राथमिकताओं के अनुसरण में अंग्रेज़ी में प्रवीण बन जाएं।

(b) जब कोई स्कूल ज़िला या काउंटी शिक्षा कार्यालय इस अनुभाग के अनुसरण में भाषा सीखने का कार्यक्रम निर्धारित करता है, तब स्कूल ज़िला या काउंटी शिक्षा कार्यालय उपयुक्त शिक्षा कर्मचारियों से परामर्श करेगा जिनमें उपयुक्त प्राधिकारों और अनुभव वाले प्रशासक और प्रमाणित अध्यापक सम्मिलित हैं, लेकिन इन्हीं तक ही सीमित नहीं है।

(c) स्कूल ज़िलों और काउंटी शिक्षा कार्यालयों को अंग्रेज़ी के मूल भाषा-भाषी विद्यार्थियों को उस मात्रा तक किसी अन्य भाषा में पढ़ाए जाने के अवसर प्रदान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है जो उस भाषा में पर्याप्त प्रवीणता उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त हो। गैर-अंग्रेज़ी भाषा स्कूल के समुदाय के भाषायी और वित्तीय संसाधनों और अन्य स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर माता-पिताओं, समुदाय और स्कूल के विवेक पर होनी चाहिए।

(d) इस अनुभाग के अनुसरण में निर्धारित भाषा सीखने का कार्यक्रम अनुभाग 310 की अपेक्षाओं का पालन करेगा।

अनुभाग 4. शिक्षा संहिता के अनुभाग 306 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

306. इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 3 *1* (अनुभाग ~~310~~ *300* के साथ आरंभ होकर) में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाएं निम्नानुसार हैं:

(a) "अँग्रेजी सीखने वाला" का अर्थ ~~ऐसा बच्चा है, जो अँग्रेजी नहीं बोलता है या जिसकी स्थानीय भाषा अँग्रेजी नहीं है और जो फिलहाल सामान्य कक्षा कार्य अँग्रेजी में करने में असमर्थ है, जिसे सीमित अँग्रेजी प्रवीणता या LEP बालक भी कहा जाता है।~~ *"अंग्रेज़ी सीखने वाला" का अर्थ है ऐसा विद्यार्थी जो "अंग्रेज़ी में सीमित रूप से प्रवीण" है जैसा कि यह शब्द 2001 के संघीय "कोई बच्चा पीछे न रह जाए अधिनियम" (20 U.S.C. 7801(25)) में परिभाषित है।*

(b) ~~"अँग्रेजी भाषा कक्षा" का अर्थ ऐसी कक्षा है जिसमें विषय पढ़ाने के लिए अध्यापन कर्मचारी पूरी तरह अँग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं और ऐसे अध्यापन कर्मचारियों को अँग्रेजी भाषा का अच्छा कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है।~~ *"अंग्रेज़ी का मूल भाषा-भाषी" का अर्थ ऐसा विद्यार्थी है जिसने अपने बचपन के शुरुआती समय में अंग्रेज़ी सीखी है और इसका उपयोग किया है और यह संकल्पना के सृजन और सम्प्रेषण का उसका प्राथमिक साधन रही है।*

(c) ~~"अँग्रेजी भाषा की मुख्यधारा कक्षा" का अर्थ ऐसी कक्षा है, जिसमें छात्र या तो मूल अँग्रेजी भाषा-भाषी हैं या उन्हें पहले से ही अँग्रेजी भाषा में उचित प्रवीणता प्राप्त है।~~ *"भाषा सीखने के कार्यक्रम" का अर्थ ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम हैं जो अंग्रेज़ी को अधिक से अधिक तेज़ी और कारगर तरीके से सीखना सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं और जो विद्यार्थियों को अंग्रेज़ी भाषा विकास मानकों सहित राज्य द्वारा अपनाए गए शैक्षिक विषयवस्तु मानकों के संबंध में अनुदेश प्रदान करते हैं। विद्यार्थियों को प्रदान किए जाने वाले भाषा सीखने के कार्यक्रम अनुसंधान द्वारा सूचित किए जाएंगे और इनके परिणामस्वरूप अंग्रेज़ी और किसी अन्य भाषा, दोनों में ग्रेड स्तर की प्रवीणता और शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त होगी। भाषा सीखने के कार्यक्रमों में निम्नलिखित सभी सम्मिलित हो सकते हैं लेकिन ये इन्हीं तक ही सीमित नहीं हैं:*

(1) दोहरी-भाषा इमर्शन कार्यक्रम जो उच्च शैक्षिक उपलब्धि, प्रथम और द्वितीय भाषा की प्रवीणता और परस्पर-सांस्कृतिक समझ के लक्ष्यों के साथ अंग्रेज़ी के मूल भाषा-भाषियों और किसी अन्य भाषा के मूल भाषा-भाषियों को एकीकृत भाषा सीखना और शैक्षिक अनुदेश प्रदान करते हैं।

(2) अंग्रेज़ी सीखने वालों के लिए संक्रमण संबंधी या विकासात्मक कार्यक्रम जो विद्यार्थियों को अनुदेश प्रदान करते हैं जिनमें शैक्षिक अनुदेश के लिए अंग्रेज़ी और किसी विद्यार्थी की मूल भाषा का उपयोग किया जाता है और जो राज्य द्वारा अपनाए गए शैक्षिक विषयवस्तु मानकों को पूरा करने के लिए आलोचनात्मक सोच सहित अंग्रेज़ी में प्रवीणता और विषयवस्तु की शैक्षिक निपुणता और उच्चतर दर्जे के कौशल सीखने में किसी अंग्रेज़ी सीखने वाले को सहायता करते हैं।

~~(d)~~ *(3)* ~~"शेल्टर्ड अँग्रेजी इमर्शन" या "स्ट्रक्चर्ड अँग्रेजी इमर्शन" का अर्थ नन्हे बच्चों के लिए अँग्रेजी भाषा सीखने की ऐसी प्रक्रिया है,~~ *अंग्रेज़ी सीखने वालों के लिए संरचित इंगलिश इमर्शन कार्यक्रम* जिसमें कक्षा में पढ़ाने संबंधी लगभग सभी अनुदेश ~~अँग्रेजी~~ *अंग्रेज़ी* में *प्रदान किए जाएं* हों लेकिन-पाठ्यक्रम और *कोई* प्रस्तुतीकरण का तरीका ऐसे ~~बच्चों~~*विद्यार्थियों* के लिए तैयार किया गया हो, जो कि ~~यह भाषा अंग्रेज़ी सीख रहे हैं।~~

~~(e) "द्विभाषी शिक्षा/स्थानीय भाषा अनुदेश" का अर्थ छात्रों के लिए भाषा सीखने की ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें ज्यादातर या सभी अनुदेश, पाठ्यपुस्तकें, और शिक्षण सामग्री बच्चे की स्थानीय भाषा में हों।~~

अनुभाग 5. शिक्षा संहिता के अनुभाग 310 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

310. *(a)* ~~अनुभाग 305 की अपेक्षाओं से छूट लिखित जानकारी-युक्त पूर्व सहमति से दी जा सकती है, जो कि हर वर्ष बच्चे के~~ *इस विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों के माता-पिता या कानूनी अभिभावक भाषा सीखने का वह ऐसा कार्यक्रम चुन सकते हैं जो इस खण्ड के अनुसरण में उनके बच्चे के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो। ऐसे स्कूल जिनमें प्रति स्कूल 30 या अधिक विद्यार्थियों के* माता-पिता या कानूनी ~~अभिभावक द्वारा आगे दर्शाई गई परिस्थितियों में और अनुभाग 311 के अंतर्गत दी जाएगी। ऐसी जानकारी-युक्त सहमति के लिए यह आवश्यक होगा कि उक्त~~ *अभिभावक या किसी ग्रेड में 20 या अधिक विद्यार्थियों* के माता-पिता या कानूनी ~~अभिभावक स्वयं स्कूल आकर इस छूट के लिए आवेदन दें और यह भी आवश्यक होगा कि उन्हें भिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम विकल्पों में इस्तेमाल की जाने वाली शैक्षणिक सामग्री और उनके बच्चे को उपलब्ध होने वाले सभी शैक्षणिक अवसरों की पूर्ण जानकारी दी जाए। माता-पिता की सहमति से ऐसी छूट दिए जाने की परिस्थितियों में बच्चों को उन कक्षाओं में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिनमें उन्हें अँग्रेजी और अन्य विषय द्विभाषिक शिक्षा तकनीकों या अन्य सामान्य रूप से मान्यता-प्राप्त शैक्षणिक कार्यप्रणालियों के माध्यम पढ़ाए जाएं, जिन्हें कानून से अनुमति प्राप्त हो। किसी एक स्कूल में किसी एक ग्रेड के अभिभावक20 या इससे अधिक छात्रों को ऐसी छूट प्राप्त होने पर उस स्कूल के लिए ऐसी कक्षा का प्रबंध करना आवश्यक होगा, अन्यथा, उन्हें ऐसे छात्र को उस पब्लिक स्कूल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसमें ऐसी कक्षा चलाई जाती है।~~ *भाषा सीखने के ऐसे कार्यक्रम के लिए अनुरोध करते हैं जो भाषा अनुदेश प्रदान करने के लिए निर्मित किया गया हो,-से अनुभाग 305 की अपेक्षाओं के आधार पर संभव सीमा तक ऐसा कार्यक्रम चलाना अपेक्षित होगा।*

(b) यदि कोई स्कूल ज़िला इस अनुभाग के अनुसरण में भाषा सीखने का कोई कार्यक्रम लागू करता है, तो यह निम्नलिखित में से दोनों करेगा :

(1) अनुभाग 42238.02 में वर्णित किंडरगार्टन और ग्रेड 1 से 3 सहित, कक्षा के आकार की अपेक्षाओं का अनुपालन करना।

(2) अनुभाग 48980 के अनुसरण में अपेक्षित वार्षिक माता-पिता नोटिस के भाग के रूप में या नामांकन पर किसी अवयस्क विद्यार्थी के माता-पिता या कानूनी अभिभावक को स्कूल ज़िले में नामांकित विद्यार्थियों को उपलब्ध भाषा

58

कार्यक्रमों के प्रकार के संबंध में सूचना प्रदान करना जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम का वर्णन सम्मिलित है, लेकिन इसी तक सीमित नहीं है।

अनुभाग 6. शिक्षा संहिता के अनुभाग 311 को निरस्त किया गया है।

~~311. अनुभाग 310 के अंतर्गत माता-पिता की आपवादिक छूट जिन परिस्थितियों में दी जा सकती है, वे इस प्रकार हैं:~~

59

~~(a) वे बच्चे, जो पहले से अंग्रेजी भाषा जानते हों: बच्चे को अँग्रेजी शब्द-ज्ञान, समझ, पठन और लेखन की मानकीकृत परीक्षाओं से मूल्यांकन किए जाने वाले अँग्रेजी भाषा के अच्छे कौशल पहले से प्राप्त हों, जिनमें बच्चे के अंक अपने ग्रेड या 5वें ग्रेड या उससे उच्च ग्रेड के औसत, जो भी कम हो, की राज्य औसत के बराबर या उससे ज्यादा हों; या~~

~~(b) अपेक्षाकृत बड़े बच्चे: बच्चे की आयु 10 वर्ष या इससे अधिक है और स्कूल के प्रधानाचार्य एवं शैक्षणिक कर्मचारियों की जानकारी-युक्त मान्यता है कि शैक्षणिक अध्ययन का वैकल्पिक पाठ्यक्रम उस बच्चे को आधारभूत अँग्रेजी कौशल सिखाने के लिए अधिक उपयुक्त होगा; या~~

60

~~(c) विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे: बच्चे को स्कूल वर्ष के दौरान कम से कम तीस दिन के लिए अँग्रेजी भाषा कक्षा में रखा गया है और बाद में स्कूल के प्रधानाचार्य एवं शैक्षणिक कर्मचारियों की जानकारी-युक्त मान्यता है कि बच्चे की ऐसी विशेष शारीरिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक या शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं कि बच्चे के समग्र शैक्षणिक विकास के लिए शैक्षणिक अध्ययन का वैकल्पिक पाठ्यक्रम अधिक उपयुक्त होगा। ऐसी विशेष आवश्यकताओं का लिखित ब्यौरा अवश्य दिया जाना चाहिए और ऐसा कोई निर्णय स्थानीय स्कूल अधीक्षक की परीक्षा और अनुमोदन के अधीन किया जाना होता है, जो कि स्थानीय शिक्षा बोर्ड द्वारा स्थापित दिशानिर्देशों और उनकी तथा अंततः राज्य शिक्षा बोर्ड की समीक्षा के अधीन होता है। ऐसी विशेष आवश्यकताओं की मौजूदगी के लिए छूट जारी किए जाने की बाध्यता नहीं होगी और माता-पिता को छूट के लिए सहमत होने से इनकार करने के उनके अधिकार की पूरी जानकारी दी जाएगी।~~

अनुभाग 7. शिक्षा संहिता के अनुभाग 320 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

320. *क्रमशः* ~~अनुच्छेद~~ *California संविधान के अनुच्छेद IX के अनुभाग 5*, और अनुच्छेद 2 (अनुभाग 305 के साथ आरंभ होकर) और अनुच्छेद 3 (अनुभाग 310 के साथ आरंभ होते हुए) में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, California के सभी स्कूलों के बच्चों का अधिकार है कि ~~उन्हें अँग्रेजी भाषा की सार्वजनिक शिक्षा दी जाए। यदि California स्कूल के किसी बच्चे को पब्लिक स्कूल में अँग्रेजी भाषा में अनुदेशात्मक पाठ्यक्रम के विकल्प से वंचित किया गया है, तो उस बच्चे के माता-पिता या कानूनी अभिभावक को इस कानून के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए मुकदमा चलाने का कानूनी अधिकार होगा और यदि वे मुकदमा जीत गए तो उन्हें सामान्य और परंपरागत अटर्नी शुल्कों तथा वास्तविक नुकसानी का भुगतान किया जाएगा लेकिन दंडात्मक या परिणामी नुकसानी का भुगतान नहीं किया जाएगा। California स्कूल के किसी बच्चे को उपलब्ध~~ *मुफ़्त सार्वजनिक शिक्षा और* अँग्रेजी भाषा ~~का ऐसा शैक्षणिक विकल्प प्रदान करके इस कानून की शर्तों को लागू करने से जान-बूझकर और बार-बार अस्वीकार करने वाले किसी भी स्कूल बोर्ड के सदस्य या अन्य निर्वाचित पदाधिकारी या पब्लिक स्कूल के अध्यापक/अध्यापिका या प्रशासक को शुल्कों और वास्तविक नुकसानी के लिए बच्चे के माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।~~ *में सार्वजनिक शिक्षा दी जाए।*

58

अनुभाग 8. शिक्षा संहिता के अनुभाग 335 को इस प्रकार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया गया है:

335. इस अधिनियम के उपबंध निर्वाचक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाने पर लागू होने वाले कानून या ~~इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति के लिए~~ विधानसभा के प्रत्येक सदन के ~~दो-तिहाई~~ *बहुमत* मतों द्वारा पारित और राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित कानून द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं।

अनुभाग 9. इस अधिनियम सहित अनुभाग 2 से 8 दिनांक 1 जुलाई, 2017 को लागू हो जाएंगी।

प्रस्ताव 59

आगे दर्शाया गया परामर्श प्रश्न 2015–16 के नियमित सत्र के सीनेट विधेयक 254 की अनुभाग 4 (वर्ष 2016 के कानूनों का अध्याय 20) के अनुसार लोगों को प्रस्तुत किया गया है।

परामर्श प्रश्न: "क्या California के निर्वाचित पदाधिकारी अपने समस्त संवैधानिक अधिकार का उपयोग करेंगे जिसमें अमेरिकी संविधान में एक या अधिक ऐसे संशोधनों का प्रस्ताव देना व उनकी अभिपुष्टि करना शामिल है परंतु इसी तक सीमित नहीं है ताकि Citizens United v. Federal Election Commission (2010) 558 U.S. 310 व अन्य लागू न्यायिक पूर्व निर्णयों को पलटा जा सके, ताकि चुनावी अभियानों के अंशदान व व्यय को पूरी तरह विनियमित या सीमित किया जा सके ताकि यह सुनिश्चित हो कि सभी नागरिक, चाहे उनके पास कितना भी धन हो, एक-दूसरे के सामने अपने विचार व्यक्त कर सकें और यह स्पष्ट हो कि कॉरपोरेशन के पास व्यक्तियों के समान संवैधानिक अधिकार नहीं होने चाहिए?"

प्रस्ताव 60

यह पहल संबंधी विधेयक California संविधान के अनुच्छेद II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुपालन में लोगों को पेश किया जाता है।

यह पहल संबंधी विधेयक श्रम संहिता में अनुभाग जोड़ता है; इसलिए, जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधान, यह दर्शाने के लिए कि वे नए हैं, *तिरछे अक्षरों* में छापे गए हैं।

प्रस्तावित कानून

California वयस्क फिल्म उद्योग में सुरक्षित यौन संबंधी अधिनियम

California राज्य के लोग एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं:

अनुभाग 1. शीर्षक।

इस अधिनियम को "California वयस्क फिल्म उद्योग में सुरक्षित यौन संबंधी अधिनियम" ("अधिनियम") के रूप में जाना और उद्धृत किया जा सकता है।

अनुभाग 2. निष्कर्ष और घोषणाएँ।

California राज्य के लोग एतद्वारा निम्नलिखित पाते व घोषित करते हैं:

(a) California में वयस्क फिल्म निर्माण से जुड़े यौन संचारित संक्रमण का व्यापक संचरण को एक या अधिक काउंटी के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों द्वारा प्रलेखित किया गया है। वयस्क फिल्म उद्योग के सभी कर्मी काम पर जाने और बीमार नहीं पड़ने के हकदार हैं। यह महत्वपूर्ण है कि वयस्क फिल्मों के निर्माण में सुरक्षित यौन कार्य-व्यवहार, और खासतौर से कलाकारों के द्वारा कंडोम का उपयोग, आवश्यक है ताकि वयस्क फिल्म उद्योग में एचआईवी/एड्स और अन्य यौन संचारित संक्रमणों के प्रसार को सीमित किया जा सके। न केवल वयस्क फिल्म कलाकारों के बीच एचआईवी/एड्स और अन्य यौन संचारित संक्रमणों का जोखिम तात्कालिक सार्वजनिक चिंता का विषय है, बल्कि वयस्क फिल्म कलाकारों और आम लोगों के बीच एचआईवी/एड्स और अन्य यौन संचारित संक्रमणों का भी खतरा है।

(b) वयस्क फिल्म उद्योग मुनाफे को कर्मियों की सुरक्षा से ऊपर रखता है और चुनिंदा आवश्यक सुरक्षित यौन तरीकों के उपयोग को सक्रिय रूप से रोकता तथा हतोत्साहित करता है। फिलहाल एचआईवी/एड्स और अन्य यौन संचारित संक्रमणों से सम्बन्धित टीकाकरण, परीक्षण, और चिकित्सा निगरानी की लागतें गलत तरीके से वयस्क फिल्म कलाकारों पर डाली जाती हैं, जबकि वयस्क फिल्म निर्माता इन लागतों और जिम्मेदारियों को वहन करने से बचते हैं। यह अधिनियम इन सार्वजनिक चिंताओं का समाधान करने के लिए आवश्यक और उचित है।

अनुभाग 3. उद्देश्य और अभिप्राय।

California राज्य के लोग एतद्वारा इस अधिनियम को बनाने में निम्नलिखित उद्देश्य व अभिप्राय की घोषणा करते हैं:

(a) वयस्क फिल्म उद्योग में कलाकारों की रक्षा करना और California में वयस्क फिल्मों के निर्माण के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले यौन संचारित संक्रमणों के प्रसार को न्यूनतम रखना, इस तरह लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव में कमी लाना और California वासियों की जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करना।

(b) वयस्क फिल्मों के निर्माताओं के लिए अन्य चीजों के अलावा यह आवश्यक करके कानून का पालन करना आवश्यक बनाना कि कलाकारों को कंडोम के उपयोग के द्वारा यौन संचारित संक्रमणों से सुरक्षित किया जाए।

(c) व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का California प्रभाग (Cal/OSHA) और California व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बोर्ड को अधिनियम के प्रवर्तन में उचित कदम उठाने के लिए अधिकृत करना तथा आवश्यक बनाना।

(d) एचआईवी/एड्स और अन्य यौन संचारित संक्रमणों से सम्बन्धित चुनिंदा टीकाकरण, परीक्षण, और चिकित्सा निगरानी की लागतों के भुगतान को वयस्क फिल्म निर्माताओं के लिए आवश्यक बनाना और इस अधिनियम की स्वास्थ्य तथा सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन में फिल्म निर्माताओं की विफलता के कारण आईं आर्थिक या निजी चोट के लिए दीवानी क्षतिपूर्तियां वसूलने के लिए वयस्क फिल्म कलाकारों को एक निजी अधिकार देना।

(e) इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को उत्तरदायी बनाना जिनके भी वयस्क फिल्मों के निर्माण या वितरण में वित्तीय हित हैं।

(f) वयस्क फिल्म निर्माताओं के लिए फिल्मांकन की नोटिस देने, फिल्मांकन से जुड़े कतिपय अभिलेखों को बनाए रखने, निर्दिष्ट दृश्यों के लिए कंडोम के आवश्यक उपयोग के बारे में नोटिस पोस्ट करने, और अतिरिक्त स्वास्थ्य आवश्यकताएं पूरी करने को आवश्यक बनाना।

(g) वयस्क फिल्म निर्माताओं के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक बना करके इस अधिनियम की आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन को हतोत्साहित करना और अनुपालन को प्रोत्साहित करना।

(h) उस समय को बढ़ाना जिसके अंदर California राज्य अधिनियम का उल्लंघन करने वालों का पीछा कर सकता है।

(i) मुखबिरों और निजी नागरिकों को उन मामलों में इस अधिनियम का उल्लंघन करने वालों का पीछा करने में सक्षम बनाना जहां राज्य ऐसा करने में विफल हो जाए।

(j) टैलेंट एजेंटों को जानबूझकर वयस्क फिल्म कलाकारों को ऐसे स्थानों पर भेजने पर प्रतिबंध लगाना जहां वयस्क फिल्म बनाते समय कंडोम का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(k) अधिनियम की उचित कानूनी प्रतिरक्षा के लिए व्यवस्था करना भले ही इसे अपनाया जाए और इसके बाद अदालत में चुनौती दी जाए।

अनुभाग 4. California वयस्क फिल्म उद्योग में सुरक्षित यौन संबंधी अधिनियम को अनुभाग 6720 से 6720.8, सहित, को जोड़कर श्रम संहिता में संहिताबद्ध किया जाएगा।

अनुभाग 4.1. मजदूर संहिता में अनुभाग 6720 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

6720. स्वास्थ्य और रोजगार आवश्यकताएं: वयस्क फिल्म उद्योग।

(a) एक वयस्क फिल्म निर्माता वयस्क फिल्म कलाकारों को खून और किसी अन्य संभावित संक्रामक सामग्री-यौन रूप से संचारित संक्रमण ("OPIM-STI") से बचाने के लिए पर्याप्त इंजीनयरिंग नियंत्रण और कार्य व्यवहार नियंत्रण बनाए रखेगा। इंजीनयरिंग नियंत्रण और कार्य व्यवहार नियंत्रण में शामिल होंगे:

(1) वयस्क फिल्मों के फिल्मांकन के दौरान कंडोम का प्रावधान और इनका आवश्यक उपयोग।

(2) कंडोम का उपयोग सुगम बनाने के लिए कंडोम-सुरक्षित जल-आधारित या सिलिकॉन-आधारित स्नेहकों का प्रावधान।

(3) बोर्ड द्वारा प्रशासनिक नियम-निर्माण प्रक्रिया के ज़रिए अंगीकृत विनियमों के अनुसार आवश्यक कोई अन्य STI रोकथाम इंजीनियरिंग नियंत्रण और कार्य व्यवहार नियंत्रण, जब तक कि ऐसे इंजीनियरिंग नियंत्रण और कार्य व्यवहार नियंत्रण अनुभाग 6720 से 6720.8, सहित, के उद्देश्यों और इरादों के प्रति यथोचित रूप से सार्थक हैं।

(b) किसी व्यक्ति को वयस्क फिल्म कलाकार होने के लिए आवश्यक सभी STI रोकथाम टीकाकरण, सभी STI परीक्षण, और सभी अनुवर्ती चिकित्सा जांचों की लागतें वयस्क फिल्म निर्माता के द्वारा वहन की जाएंगी, न कि वयस्क फिल्म कलाकार के द्वारा।

(c) वयस्क फिल्म निर्माता किसी वयस्क फिल्म कलाकार की किसी भी तरीके से हासिल स्वास्थ्य जानकारी को, जैसा कि कानूनी रूप से आवश्यक है, हर संभव गोपनीय बनाए रखेगा।

(d) किसी व्यक्ति को वयस्क फिल्म कलाकार होने के लिए आवश्यक सभी STI रोकथाम टीकाकरण, सभी STI परीक्षण, या सभी चिकित्सा जांच का प्रस्ताव करने, इसे प्रदान करने, और इसके लिए भुगतान करने, यदि ऐसे टीकाकरण, परीक्षण या जांच के लिए वयस्क फिल्म कलाकार ने सहमति दी है, में किसी वयस्क फिल्म निर्माता की विफलता का परिणाम वयस्क फिल्म निर्माता के खिलाफ जुर्माने के रूप में होगा, जो कि California राज्य को देय होगा, जो कि प्रत्येक STI रोकथाम टीकाकरण, प्रत्येक STI परीक्षण, और प्रत्येक चिकित्सा जांच की लागत के बराबर होगा जिसे वयस्क फिल्म निर्माता उपलब्ध कराने, प्रदान करने, या वयस्क फिल्म कलाकार की ओर से भुगतान करने में विफल रहा है।

(e) कोई भी वयस्क फिल्म कलाकार, कानून के अनुसार अनुमत किसी अन्य उपचारों या क्षतिपूर्तियों के अलावा, पचास हजार डॉलर ($50,000) तक, वार्षिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के अधीन, के एक दीवानी क्षतिपूर्ति अधिनिर्णय की मांग कर सकता है और उसके हक में फैसला दिया जा सकता है, यदि तथ्यान्वेषी (ट्रायर ऑफ फैक्ट): (1) पाता है कि वयस्क फिल्म निर्माता की उपखंड (a), (b), या (c) के अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप वयस्क फिल्म कलाकार को आर्थिक या व्यक्तिगत चोट का सामना करना पड़ा है; (2) एक सकारात्मक निष्कर्ष निकालता है कि वयस्क फिल्म निर्माता की अनुपालन में विफलता लापरवाही, असावधानी, या इरादतन थी; और (3) पाता है कि कोई अधिनिर्णय (अवॉर्ड) उचित है। अदालत किसी मौजूदा वादी को इस उपखंड या उपखंड (f) के अनुसार दायर मुकदमे में लागतें और अटॉर्नी की फीस दिलाएगी। अदालत के द्वारा यह पाए जाने पर कि वादी की मुकदमा चलाने की कार्रवाई नेकनीयती से नहीं थी, किसी मौजूदा प्रतिवादी को अटॉर्नी की उचित फीस दिलाई जा सकती है। ऐसे मामले में जबकि वयस्क फिल्म कलाकार की आर्थिक या व्यक्तिगत चोट के लिए क्षतियां वयस्क फिल्म निर्माता की कर्मियों की क्षतिपूर्ति बीमा के द्वारा कवर की जाती हैं, यह उपखंड लागू नहीं होगा।

(f) उपखंड (e) के अंतर्गत कार्रवाई करने का हकदार कोई भी वयस्क फिल्म कलाकार सभी समान स्थिति वाले वयस्क फिल्म कलाकारों की ओर से भी ऐसी कार्रवाई करने का हकदार है, जो कि किसी अदालत के श्रेणी प्रमाणीकरण के अधीन है।

(g) 1 जनवरी, 2018 से, बोर्ड प्रशासनिक कार्यविधि अधिनियम (अध्याय 3.5 (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के खंड 3 के भाग 1 के अनुभाग 11340से शुरू))के नियम-निर्माण प्रावधानों के अनुसार अनुभाग 6720 से 6720.8, सहित, के प्रावधानों और उद्देश्यों को लागू तथा कार्यान्वित करने के लिए विनियमों को अंगीकार करेगा।

(h) इस खंड का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि किसी वयस्क फिल्म के अंतिम उत्पाद में कंडोम, अवरोधों, या अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का दिखाई देना आवश्यक है। हालांकि, यह एक खंडनीय धारणा (रिबटेबल प्रिजम्पशन) है कि

60

कंडोम के स्पष्ट रूप से दिखे बिना जो भी वयस्क फिल्म California राज्य में किसी भी तरह से वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वितरित की जाती है तो वह इस अनुभाग के उल्लंघन में बनाई गई थी।

(i) वयस्क फिल्म कलाकारों, प्रामाणिक कर्मचारियों, स्वतंत्र करार सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों, या किसी वयस्क फिल्म निर्माता के निर्माण से जुड़े उन स्वयंसेवकों पर अनुभाग 6720 से 6720.8, सहित, के अंतर्गत उत्तरदायित्व लागू नहीं होगा, जो प्रदान की जा रही सामान्य सेवाओं के दायरे में और वयस्क फिल्म निर्माता के निर्देशानुसार काम कर रहे हैं, बशर्ते ऐसे व्यक्तियों का वयस्क फिल्म में कोई वित्तीय हित न हो और वे वयस्क फिल्म निर्माता न हों। ऐसे व्यक्ति अनुभाग 6720 से 6720.8, सहित, के उद्देश्यों के लिए वयस्क फिल्म निर्माता के एजेंट नहीं माने जाएंगे।

(j) अनुभाग 6720 से 6720.8, सहित, में कोई भी किसी राज्य एजेंसी, जैसे कि प्रभाग या बोर्ड, को वयस्क फिल्मों के निर्माण, उत्पादन, वित्तीयन, और वितरण को नियंत्रित करने वाले विनियमों को लागू करने से नहीं रोकेगा, जब तक कि ऐसे विनियम वयस्क फिल्म कलाकारों के लिए कार्यस्थल सुरक्षा संरक्षणों और अधिकारों को बढ़ाते हैं और अनुभाग 6720 से 6720.8, सहित, की आवश्यकताओं को कमजोर नहीं करते हैं।

(k) ऐसे मामले में जहां अनुभाग 6720 से 6720.8, सहित, में निर्धारित कोई मौद्रिक जुर्माने की राशि किसी न्यायालय द्वारा अवैध पाई जाती है, तो प्रभाग को प्रशासनिक नियम-निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे मौद्रिक जुर्माने विकसित करने का अधिकार है और वह ऐसा करेगा, और बोर्ड को अंगीकार करने का अधिकार है और वह ऐसे करेगा, जो उचित राशि के भीतर होंगे और गैर-अनुपालन को रोकने और उन प्रावधानों की आवश्यकताओं के साथ अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त होंगे, जिनमें जुर्मानों का अवैध होना पाया जाता है।

60

अनुभाग 4.2. मजदूर संहिता में अनुभाग 6720.1 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

6720.1. नोटिस एवं प्रकटीकरण।

(a) फिल्मांकन की शुरुआत से 10 दिनों के भीतर, एक वयस्क फिल्म निर्माता को अवश्य ही प्रभाग को निम्नलिखित जानकारी लिखित में, वयस्क फिल्म निर्माता द्वारा झूठी गवाही के दंड के अंतर्गत, प्रकट करनी होगी:

(1) वह पता या वे पते जहां फिल्मांकन हुआ, हो रहा है, या होगा, उनके स्थान में किसी भी प्रकार का बदलाव होने पर प्रभाग को ऐसे परिवर्तन होने के 72 घंटे के भीतर बताना होगा।

(2) जिन तिथि या तिथियों में फिल्मांकन हुआ, हो रहा है, या होगा, फिल्मांकन की किसी भी तिथि या तिथियां बदलने पर प्रभाग को ऐसे बदलाव के 72 घंटे के भीतर बताना होगा।

(3) वयस्क फिल्म निर्माता का नाम और संपर्क जानकारी।

(4) उपखंड (h) की आवश्यकतानुसार नामित अभिलेख अभिरक्षक की संपर्क जानकारी और नाम।

(5) वयस्क फिल्म निर्माता के लिए किसी भी वयस्क फिल्म कलाकार का हवाला देने वाली किसी भी टैलेंट एजेंसी का नाम और संपर्क जानकारी।

(6) वयस्क फिल्म निर्माता द्वारा झूठी गवाही के दंड के अंतर्गत हस्ताक्षरित प्रमाणीकरण कि:

(A) योनि या गुदा मैथुन की गतिविधियों के फिल्मांकन के दौरान पूरे समय कंडोम उपयोग किए जाएंगे या किए गए हैं;

(B) किसी व्यक्ति के एक वयस्क फिल्म कलाकार बनने के लिए आवश्यक सभी STI परीक्षण, STI रोकथाम टीकाकरण और चिकित्सा जांचें व्यक्ति को फिल्मांकन शुरू होने से पहले उसे निशुल्क उपलब्ध कराई गई हों; और

(C) सभी STI परीक्षणों, STI रोकथाम टीकाकरण, और चिकित्सा जांचों पर आने वाली लागतों का भुगतान वयस्क फिल्म निर्माता द्वारा किया जाएगा।

(7) अनुभाग 6720 से 6720.8, सहित, के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रभाग या बोर्ड के लिए आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज या जानकारी।

(b) इस अनुभाग के तहत आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने पर, वयस्क फिल्म निर्माता को अवश्य ही प्रभाग या बोर्ड द्वारा तय शुल्क ऐसी राशि के रूप में अदा करना होगा, जो डेटा सुरक्षा, डेटा भंडारण और इस अनुभाग के अंतर्गत प्रस्तुत सभी जानकारियों को प्राप्त करने, प्रोसेस करने, और बनाए रखने से संबंधित अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए पर्याप्त होगी। जब तक कि प्रभाग या बोर्ड शुल्क तय नहीं करता, यह शुल्क सौ डॉलर ($100) होगा। इस उपखंड के अनुसार एकत्रित शुल्क का उपयोग अनुभाग 6720 से 6720.8, सहित, को लागू कराने की लागत को कवर करने के लिए नहीं किया जाएगा।

(c) किसी वयस्क फिल्म के दो या उससे अधिक वयस्क फिल्म निर्माता होने पर, उनमें से कोई एक वयस्क फिल्म निर्माता सभी वयस्क फिल्म निर्माताओं की ओर से उपखंड (a) के तहत प्रकटीकरण के लिए आवश्यक जानकारी प्रेषित कर सकता है।

(d) किसी वयस्क फिल्म निर्माता के इस अनुभाग के तहत आवश्यक जानकारी प्रभाग को समय से प्रकट करने, या उपखंड (f) की प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यकता, उपखंड (g) की चेतावनी संकेतक आवश्यकता, या उपखंड (h) की अभिलेख रखने की आवश्यकता, के अनुपालन में विफल रहने पर प्रति उल्लंघन कम से कम एक हजार डॉलर ($1,000) और अधिकतम सात हजार डॉलर ($7,000) के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो कि प्रशासनिक प्रवर्तन प्रक्रिया या किसी दीवानी कार्यवाही के माध्यम से निर्धारित होगा। प्रत्येक उल्लंघन दोहराने पर कम से कम सात हजार डॉलर ($7,000) और अधिकतम पंद्रह हजार डॉलर ($15,000) के जुर्माने से दंडनीय होगा, जो कि प्रशासनिक प्रवर्तन प्रक्रिया या किसी दीवानी कार्यवाही के माध्यम से निर्धारित होगा। उपखंड (a) के अनुसार आवश्यक जानकारी का कोई व्यक्तिगत अंश उपलब्ध कराने में विफलता एक अलग उल्लंघन माना जाएगा।

(e) एक ऐसा वयस्क फिल्म निर्माता, जो जानबूझकर उपखंड (a) के अनुपालन में झूठा बयान, अभ्यावेदन, या प्रमाणीकरण करता है, उस पर एक जुर्माने का आकलन किया जाएगा, जो सत्तर हजार डॉलर ($70,000) से अधिक नहीं होगा, जो कि प्रशासनिक प्रवर्तन प्रक्रिया या किसी दीवानी कार्यवाही के माध्यम से निर्धारित होगा।

(f) एक वयस्क फिल्म निर्माता को प्रत्येक वयस्क फिल्म कलाकार और कर्मचारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराना होगा, जो कि बोर्ड द्वारा प्रशासनिक नियम-निर्माण प्रक्रिया के अनुसार अंगीकृत विनियमों के तहत आवश्यक होगा।

(g) जहां कहीं भी वयस्क फिल्म का फिल्मांकन हो रहा है, वहां हर समय पारंपरिक टाइपफेस में एक पठनीय संकेत प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका फोंट आकार 48 प्वाइंट से कम नहीं होगा, जो कि कथित वयस्क फिल्मों में सभी वयस्क फिल्म कलाकारों को स्पष्ट दिखने वाली निम्नलिखित सूचना प्रदान करे:

> *California राज्य में वयस्क फिल्मों के निर्माण के दौरान कलाकारों को यौन संचारित संक्रमण और बीमारियों से बचाने के लिए योनि या गुदा मैथुन की सभी गतिविधियों में कंडोम का उपयोग आवश्यक है।*
>
> *किसी भी वयस्क फिल्म के निर्माण के दौरान होने वाली किसी भी गतिविधि के बारे में कोई भी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं को निर्देशित किया जाना चाहिए:*
>
> _____.

प्रभाग या बोर्ड निर्धारित करेगा, और जनता तथा सभी वयस्क फिल्म निर्माताओं को उपलब्ध कराएगा, इस उपखंड द्वारा आवश्यक संकेत के ऊपर सीधे खाली रेखा के ऊपर भाषा लिखी जाएगी, और सभी वयस्क फिल्म निर्माताओं को संकेत पर खाली रेखा के ऊपर ऐसी भाषा को लिखकर ऐसे निर्णय का पालन करना होगा।

(h) अनुभाग 6720 से 6720.8, सहित, के उद्देश्यों के लिए एक वयस्क फिल्म निर्माता एक अभिलेख अभिरक्षक नामित करेगा। अभिलेखों के अभिरक्षक कम से कम चार वर्षों के लिए बनाए रखेगा:

(1) वयस्क फिल्म निर्माता द्वारा निर्मित, वित्तपोषित या निर्देशित प्रत्येक वयस्क फिल्म की एक मूल और असंपादित प्रति।

(2) उपखंड (a) के तहत आवश्यक प्रकट की जाने वाली जानकारी की एक प्रति।

(3) उपखंड (f) के अनुसार इसका प्रमाण कि वयस्क फिल्म निर्माता द्वारा प्रत्येक वयस्क फिल्म कलाकार और कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया गया था।

(4) उपखंड (f) के अनुसार इसका प्रमाण कि वयस्क फिल्म के फिल्मांकन वाले स्थानों पर पठनीय संकेत प्रदर्शित किया गया था।

(i) 1 जनवरी, 2018 से, विभाग या बोर्ड प्रशासनिक कार्यविधि अधिनियम (अध्याय 3.5 (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के खंड 3 के भाग 1 के अनुभाग 11340 से शुरू)) के नियम-निर्माण प्रावधानों के अनुसार इस अनुभाग और अनुभाग 6720.2 को लागू तथा कार्यान्वित करने के लिए विनियमों को अंगीकार करेगा।

अनुभाग 4.3. मजदूर संहिता में अनुभाग 6720.2 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

6720.2. वयस्क फिल्म निर्माताओं को: लाइसेंस।

(a) एक वयस्क फिल्म का फिल्मांकन शुरू करने के 10 दिनों के अंदर वयस्क फिल्म निर्माता को आवश्यक आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा, विभाग में आवश्यक आवेदन प्रस्तुत करेगा और लाइसेंस हासिल करेगा। फिल्मांकन की शुरूआत से प्रभावी लाइसेंस वाले वयस्क फिल्म निर्माता को नए लाइसेंस के लिए आवेदन और भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी। प्रभाग आवेदन शुल्क प्रशासनिक नियम-निर्माण के माध्यम से तय करेगा, यह राशि इस अनुभाग के प्रशासन पर आने वाली लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। जब तक कि प्रभाग शुल्क तय नहीं करता, यह शुल्क सौ डॉलर ($100) होगा। इस उपखंड के अनुसार एकत्रित शुल्क का उपयोग अनुभाग 6720 से 6720.8, सहित, को लागू कराने की लागत को कवर करने के लिए नहीं किया जाएगा।

(b) प्रभाग को आवेदन और शुल्क प्राप्त होते ही लाइसेंस तत्काल प्रभावी हो जाएगा जब तक कि आवेदन और शुल्क फिल्मांकन शुरू करने के 10 दिन के अंदर प्रभाग को प्रेषित कर दिया जाता है। इसके अलावा, लाइसेंस 10 दिन पीछे की तिथि से प्रभावी हो जाएगा या फिल्मांकन शुरू करने के दिन से प्रभावी हो जाएगा, दोनों में से जो भी पहले हो।

(c) लाइसेंस जारी करना प्रभाग द्वारा किया जाने वाला मंत्रालयी काम होगा। लाइसेंस निलंबित करने की अनुमति किसी वयस्क फिल्म निर्माता द्वारा सिर्फ अनुबंध के आधार पर या फिर प्रभाग की ओर से सुनवाई के लिए चुने जाने वाले किसी पीठासीन अधिकारी को उचित तरीके से बताकर ही होगी, कि लाइसेंसधारी को ऐसी प्रशासनिक प्रवर्तन प्रक्रिया या दीवानी कार्रवाई के तहत अनुभाग 6720 के उपखंड (a) के उल्लंघन को दोषी पाया गया है।

(d) ऐसे किसी भी वयस्क फिल्म निर्माता, जो एक व्यक्ति नहीं है, के लिए कोई भी लाइसेंस तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि ऐसे वयस्क फिल्म निर्माता के सभी मालिक और प्रबंधनकर्ता एजेंट लाइसेंस हासिल नहीं कर लेते।

(e) कोई लाइसेंस दो साल के लिए प्रभावी होगा, बशर्ते प्रभाग ने उसे निलंबित न कर दिया हो। निलंबित करने की अवधि के अंतिम दिन के बाद, प्रभाग को निलंबित लाइसेंसधारी को लाइसेंस बहाली के बारे में सूचित करना होगा।

(f) लाइसेंस से जुड़ीं आवश्यकताएं:

(1) प्रशासनिक प्रवर्तन प्रक्रिया या किसी अदालत द्वारा प्रत्येक आवेदक और लाइसेंसधारी को प्रभाग में आवेदन दाखिल करने के 12 महीने पूर्व या वयस्क फिल्म निर्माता के निलंबन की अवधि, दोनों में जो भी कम हो, अनुभाग 6720 के उपखंड (a) के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए न पाया गया हो। सभी व्यक्तियों को अनुभाग 6720 से 6720.8, सहित, का अनुपालन करने वाला माना जाएगा, जो अनुभाग 6720 से 6720.8, सहित, की प्रभावी तारीख से होगा।

(g) जब भी प्रभाग को यह पता चलता है कि कोई लाइसेंसधारी अनुभाग 6720 के उपखंड (a) के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल हुआ है, तो प्रभाग को लाइसेंसधारी को एक लिखित नोटिस जारी करना होगा। जो भी कमियां मिली हैं, और उन्हें ठीक करने के लिए यदि कोई उपाय हैं, तो अनुभाग 6720 के उपखंड (a) के अनुपालन के लिए आवश्यक बातों को लाइसेंसधारी के लिए नोटिस में शामिल करना होगा, और लाइसेंसधारी को यह सूचित करना होगा कि इसका परिणाम जुर्माने या लाइसेंस निलंबन के रूप में हो सकता है।

(h) अनुपालन के लिए नोटिस जारी किए जाने के 15 दिनों के अंदर लाइसेंसधारी को प्रशासनिक समीक्षा के लिए, या कोई समुचित कारण दिखाने पर लाइसेंस जारी रखने के लिए लिखित अनुरोध अवश्य करना होगा, अन्यथा ऐसी समीक्षा या जारी रखने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है।

(i) सप्ताह के आखिरी दिनों और अवकाशों को छोड़कर प्रशासनिक समीक्षा या छूट के बाद 10 दिनों के भीतर प्रभाग लाइसेंसधारी पर लगाए गए किन्हीं जुर्मानों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को निर्णय का लिखित नोटिस जारी करेगा। निलंबित किए गए लाइसेंसधारियों के लिए निर्णय का नोटिस अनुभाग 6720 से 6720.8, दोनों सहित, के उल्लंघन में शामिल पाए गए कृत्यों या चूकों का उल्लेख करेगा और निलंबित लाइसेंस के मामले में निलंबन की समयावधि और सीमा बताएगा। निर्णय का नोटिस अगर कोई हुईं तो शर्तें भी बताएगा, जिन पर लाइसेंस बहाल या फिर से जारी किया जा सकता है।

(j) अनुभाग 6720 से 6720.8, दोनों सहित, के अनुसार जारी किए गए लाइसेंस को प्रभाग द्वारा यह निर्धारित किए जाने के बाद बहाल किया जा सकता है कि स्थगन की ओर ले जाने वाली दशाएं अब मौजूद नहीं हैं और अनुभाग 6720 से 6720.8 तक के अनुसार लगाए गए जुर्माने अदा किए जा चुके हैं। किसी भी दशा में इस अनुभाग का अर्थ परमादेश की माँग करने या लाइसेंस संबंधी विपरीत निर्णय के विरुद्ध लाइसेंसधारी के अधिकार को सीमित करने वाले के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

(k) बिना लाइसेंस के वयस्क फिल्म निर्माता का काम करने के फलस्वरूप किसी भी ऐसे वयस्क फिल्म निर्माता पर प्रतिदिन पचास डालर ($50) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसे अनुभाग 6720 के उपखण्ड (a) के उल्लंघन का दोषी पाया जा चुका हो। वयस्क फिल्म निर्माता के रूप में योग्यता प्राप्त करने के बाद 10 दिनों के भीतर वयस्क फिल्म निर्माता के रूप में पंजीकृत होने में विफल रहने पर किसी भी वयस्क फिल्म निर्माता को लाइसेंस के बिना वयस्क फिल्म निर्माता का काम करने के लिए पच्चीस डालर ($25) तक का जुर्माना देना होगा।

अनुभाग 4.4. श्रम संहिता में अनुभाग 6720.3 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

6720.3. अधिनियम की सीमाएं।

(a) अनुभाग 6317 के होते हुए भी अनुभाग 6720 से 6720.8, दोनों सहित, या वर्तमान अथवा इसके बाद पारित किए गए किसी वयस्क फिल्म के विनियमों के तहत मुकदमा चलाने की शुरुआत के लिए समय निम्नलिखित के बाद का होगा:

(1) उल्लंघन की तारीख के एक वर्ष बाद।

(2) उल्लंघन का पता चलने के एक वर्ष बाद या तर्कसंगत तत्परता के उपयोग के जरिए, इसका पता लगाया जाना चाहिए।

अनुभाग 4.5. श्रम संहिता में अनुभाग 6720.4 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

6720.4. देयताएं और जिम्मेदारियाँ।

(a) अनुभाग 6423 से 6436, दोनों सहित, में किन्हीं कानूनों प्रावधानों के होते हुए भी प्रत्येक वयस्क फिल्म निर्माता, या वयस्क फिल्म निर्माता के साथ

संबंध रखने वाली एजेंसी के किसी व्यक्ति, जो निम्नलिखित में से कोई काम करता है, का प्रशासनिक या दीवानी मुकदमा में उपखण्ड (b) में दी गयी परिभाषा के अनुसार जुर्माने के लिए आकलन किया जाएगा:

(1) अनुभाग 6720 के उपखण्ड (a), (b) या (c) के किसी प्रावधान का उपेक्षापूर्वक उल्लंघन करता है;

(2) अनुभाग 6720 के उपखण्ड (a), (b) या (c) के किसी प्रावधान का जानबूझकर या बारंबार उल्लंघन करता है;

(3) समाप्ति की किसी अवधि, अनुभाग 6720 के उपखण्ड (a), (b) या (c) के किसी प्रावधान की अधिसूचना और समय-समाप्ति की अधिसूचना के बाद विफल रहता है या अनुपालन करने से इनकार करता है; या

(4) उपखण्ड (a) पैरा (1), (2) या (3) के किसी अधिनियमों को लागू करने में किसी दूसरे को सहायता और प्रोत्साहन।

(b) उपखण्ड (a) के पैरा (1) के किसी भी उल्लंघन पर कम से कम एक हजार डालर ($1,000) और अधिकतम पाँच हजार डॉलर ($5,000) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है; उपखण्ड (a) के पैरा (2) या (3) किसी भी उल्लंघन पर कम से कम पाँच हजार डालर ($5,000) और अधिक सत्तर हजार डॉलर ($70,000) का जुर्माना लगाया जा सकता है; और उपखण्ड (a) के पैरा (4) के किसी उल्लंघन पर कम से कम एक हजार डॉलर ($1,000) और अधिकतम पैंतीस हजार डॉलर ($35,000) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

(c) अनुभाग 6423 से 6436, दोनों सहित, में किन्हीं विपरीत के होने पर भी अनुभाग 6720 के उपखण्ड (a) का जानबूझकर उल्लंघन करने वाले वयस्क फिल्म के किसी निर्माता, जिसके उल्लंघन के कारण वयस्क फिल्म में काम करने वाले की मृत्यु या स्थायी अथवा लंबे समय तक बनी रहने वाली शारीरिक हानि पहुँचती है, को कम से कम एक लाख डॉलर ($100,000) का जुर्माना प्रशासनिक क्रियान्वयन प्रक्रिया या दीवानी मुकदमा के माध्यम से अदा करना होगा। अगर वयस्क फिल्म निर्माता सीमित देयता वाली कंपनी या निगम है तो हो सकता है कि जुर्माना डेढ़ करोड़ डॉलर ($1,500,000) से अधिक जुर्माना नहीं अदा करना पड़े।

अनुभाग 4.6. श्रम संहिता में अनुभाग 6720.5 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

6720.5. नियंत्रण करने वाले एजेंट; सहायता और प्रोत्साहन देने वाले; एक से अधिक उल्लंघन।

(a) अनुभाग 6720 के उपखण्ड (a) का उल्लंघन करके California में फिल्मायी गयी एक या एक अधिक वयस्क फिल्मों में किसी तरह का अधिकार वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए रखता है और जो जानबूझकर या असावधानीपूर्वक अनुभाग 6720 के उपखण्ड (a) का उल्लंघन करते हुए, वितरित करने के इरादे से, California में फिल्मायी गयी एक या अधिक फिल्मों की बिक्री या वितरण के लिए असावधानीपूर्वक भेजता है या भेजे जाने का कारण बनता है, या California में या उसके भीतर लाता है या लाने का कारण बनता है, या जो ऐसी फिल्म को व्यापारिक उद्देश्यों के लिए वितरण करने की पेशकश करता है, या वितरित करता है, उसका निम्नलिखित से अधिक के जुर्माने के लिए आकलन किया जाएगा:

(1) वयस्क फिल्मों में किन्हीं अधिकारों के लिए तबदील वाणिज्यिक प्रयोजन की कुल धनराशि डेढ़ गुने से कम और ढ़ाई गुने से अधिक नहीं होगी।

(2) वयस्क फिल्म को बनाने में कुल खर्च डेढ़ गुने से कम लेकिन अढ़ाई गुने से अधिक नहीं होगा।

(b) उपखण्ड (a) का उल्लंघन करते हुए किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करने वाला कोई भी व्यक्ति उपखण्ड (a) का उल्लंघन करने के लिए जवाबदेह पाया जाएगा।

(c) उपखण्ड (a) का उल्लंघन करने के लिए पहले दोषी पाए जा चुके व्यक्ति (a) का आकलन निम्नलिखित से अधिक की धनराशि के जुर्माने के लिए किया जाएगा:

(1) वयस्क फिल्म में किन्हीं अधिकारों के लिए तबदील वाणिज्यिक प्रयोजन की कुल धनराशि दो गुने से कम और तीन गुने से अधिक नहीं होगी।

(2) वयस्क फिल्म को बनाने में कुल खर्च दो गुने से कम लेकिन तीन गुने से अधिक नहीं होगा।

(d) उपखण्ड (a) का दो या अधिक बार उल्लंघन करने के लिए जवाबदेह पाए जा चुके व्यक्ति (a) का आकलन निम्नलिखित से अधिक की धनराशि के जुर्माने के लिए किया जाएगा:

(1) वयस्क फिल्म में किन्हीं अधिकारों के लिए तबदील वाणिज्यिक प्रयोजन की कुल धनराशि तीन गुने से कम और चार गुने से अधिक नहीं होगी।

(2) वयस्क फिल्म को बनाने में कुल खर्च तीन गुने से कम लेकिन चार गुने से अधिक नहीं होगा।

(e) अनुभाग 6720 से 6720.8, दोनों सहित, चिकित्सकीय, शैक्षणिक पर, वयस्क फिल्मों को पारेषित या वहन करने वाली कंपनियों पर, दंडनीय अपराधों की छानबीन और मुकदमा चलाने में लगीं आपराधिक विधि कार्यान्वयन और अभियोजन एजेंसियों पर और किसी ऐसी फिल्म पर लागू नहीं होगा, जिसका अमेरिका के मोशन पिक्चर एसोसिएशन के द्वारा क्रम-निर्धारित किया गया हो, बशर्ते कि यह वयस्क फिल्म न हो।

अनुभाग 4.7. श्रम संहिता में अनुभाग 6720.6 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

6720.6. क्रियान्वयन; सचेतक; मुकदमा के निजी अधिकार।

(a) अनुभाग 6720 से 6720.8, दोनों सहित, के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति प्रशासनिक क्रियान्वयन प्रक्रिया के जरिए अथवा प्रभाग या उसके नामजद द्वारा शुरू की गयी दीवानी मुकदमा, दीवानी अभियोगकर्ता, अनुभाग 6720 के उल्लंघन से पीड़ित वयस्क फिल्म में काम करने वाला या California राज्य में रहने वाला व्यक्ति। वयस्क फिल्म के किसी कलाकार या व्यक्ति को इस उपखण्ड के अनुरूप दीवानी मुकदमा दायर करने से पहले प्रभाग के समक्ष अवश्य ही लिखित अनुरोध प्रस्तुत करना होगा, जिससे प्रभाग प्रशासनिक क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से अथवा दीवानी कार्रवाई की शुरुआत करके कथित उल्लंघनकर्ता या उल्लंघनकर्ताओं पर मुकदमा कर सके। अनुरोध में यह मानने के आधार का वक्तव्य शामिल होगा कि अनुभाग 6720 से 6720.8, दोनों सहित, का उल्लंघन हुआ है। प्रभाग यह इंगित करते हुए व्यक्ति को लिखित में उत्तर देगा कि क्या वह प्रशासनिक या दीवानी मुकदमा करने जा रहा है या वह कोई कदम नहीं उठाएगा। प्रभाग अगर अनुरोध के प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर जवाब देता है कि वह प्रशासनिक क्रियान्वयन प्रक्रिया या दीवानी मुकदमा के माध्यम से कथित उल्लंघनकर्ता या उल्लंघनकर्ताओं पर मुकदमा करने जा रहा है और अनुरोध के प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर क्रियान्वयन की कार्यवाही शुरू कर देता है अथवा दीवानी मुकदमा दायर करता है तो कोई भी दूसरा नहीं शुरू किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रभाग के मुकदमे को बिना किसी पूर्वाग्रह के त्याग या खारिज कर दिया जाता है। अनुरोध के प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर अगर प्रभाग नहीं में जवाब देता है अथवा जवाब देने में विफल रहता है तो मुकदमे का अनुरोध करने वाला व्यक्ति दीवानी मुकदमा दायर कर सकता है।

(b) उस समयावधि की गणना, जिसके भीतर दीवानी मुकदमा शुरू किया जाना चाहिए, की गणना प्रभाग को अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से अथवा उस तारीख से की जाएगी, जिस तारीख से बिना किसी पूर्वाग्रह के दीवानी मुकदमे को खारिज कर दिया जाता है अथवा या प्रशासनिक क्रियान्वयन मुकदमे का त्याग कर दिया जाता है, इनमें से बाद में जो हो लेकिन अनुरोध करने वाले व्यक्ति के द्वारा शुरू किए गए केवल दीवानी मुकदमे के लिए।

(c) प्रभाग द्वारा अनुभाग 6720 से 6720.8, दोनों सहित, के अनुरूप आदेश जारी करने के बाद अथवा उसी उल्लंघन के लिए उस व्यक्ति के पास से जुर्माना वसूले जाने के बाद अनुभाग 6720 से 6720.8 तक के किसी भी उल्लंघनों के

लिए किसी भी व्यक्ति की बाबत इस अनुभाग के तहत कोई भी दीवानी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। हालाँकि 6720 से 6720.8, दोनों सहित, का अनुभाग 6720 से 6720.8, दोनों सहित, के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कोई भी फौजदारी देयता, कोई भी दीवानी मुकदमा नहीं थोपता, जिसे हो सकता है कि उस दशा में इस अनुभाग के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ दायर किया गया हो, जबकि उसी लेनदेन या घटना की बाबत उसी व्यक्ति के खिलाफ अभियोक्ता फौजदारी मुकदमा बरकरार रखे हुए है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस अनुभाग के तहत अनुभाग 6720 से 6720.8, दोनों सहित, के किसी उल्लंघन विशेष के संबंध में अर्हता के आधार पर एक से अधिक निर्णय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अदालत वादी के तत्परता या सदिच्छा के साथ आगे बढ़ने में विफल रहने पर किसी भी अन्य मुकदमे को बिना पूर्वाग्रह के लंबित मुकदमे को खारिज कर सकती है।

(d) अगर इस अनुभाग के तहत शुरू किए गए मुकदमे में एक या अधिक प्रतिवादियों के विरुद्ध फैसला सुनाया जाता है तो वादी द्वारा प्राप्त किए गए जुर्मानों को इस प्रकार वितरित किया जाएगा: California राज्य को 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत वादी को। अदालत वादी या प्रतिवादी को ऐसी सरकारी एजेंसी से इतर प्रदान कर सकती है, जो अनुभाग 6720 से 6720.8, दोनों सहित, के द्वारा अधिकृत किसी मुकदमे में जो प्रचलित होता है और इस अनुभाग के अनुरूप वकील की तर्कसंगत फीस समेत मुकदमेबाजी के खर्च को प्रस्तुत किया जाता है। हालाँकि, प्रतिवादी को वादी से वकील की फीस पुनःप्राप्त करने के आदेश में अदालत को सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि वादी ने अकारण या बदनीयती के साथ तो मुकदमा नहीं दायर किया था।

अनुभाग 4.8. श्रम संहिता में अनुभाग 6720.7 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

6720.7. टैलेंट एजेंसी की देयता।

(a) किसी भी टैलेंट एजेंसी, जैसा कि यह शब्द अनुभाग 1700.4 के उपखण्ड (a) में परिभाषित किया गया है, के लिए मौद्रिक क्षतिपूर्ति हेतु जानबूझकर किसी भी वयस्क कलाकार को किसी निर्माता या निर्माता के एजेंट के पास गैरकानूनी होगा। इसमें ऐसी वयस्क फिल्मों के कलाकारों का चुनाव करने वाले ऐसे निर्देशक शामिल हैं, जो अनुभाग 6720 के उपखण्ड (a) का अनुपालन नहीं करते, पर यह सूची इन्हीं तक सीमित नहीं है। इस उपखण्ड के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पायी गयी किसी भी टैलेंट एजेंसी को टैलेंट एजेंसी के द्वारा इस अनुभाग का उल्लंघन करके की गयी सिफारिश के फलस्वरूप एजेंसी के द्वारा प्राप्त मौद्रिक क्षतिपूर्ति की मात्रा हेतु और इस उपखण्ड का उल्लंघन करने पर देयता के लिए टैलेंट एजेंसी का सफलतापूर्वक अनुसरण करने से जुड़ी वकील की तर्कसंगत फीस के लिए वयस्क फिल्म कलाकार के प्रति जिम्मेदार होगी।

(b) ऐसी कोई भी टैलेंट एजेंसी जिसने फिल्माने की शुरुआत करने से पहले लिखित अनुमति प्राप्त कर ली हो, वयस्क फिल्म निर्माता के द्वारा झूठे साक्ष्य के जुर्माने के तहत हस्ताक्षर किए हों कि वयस्क फिल्म निर्माता अनुभाग 6720 के उपखण्ड (a) की सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है और अनुपालन करता रहेगा।

(c) इस अनुभाग का उल्लंघन उल्लंघनकर्ता की टैलेंट एजेंसी के लाइसेंस को निलंबित करने या रद्द करने का कारण बन सकता है। ऑक्युपेशनल सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रभाग और श्रम मानक प्रवर्तन प्रभाग इस अनुभाग के क्रियान्वयन के ऊपर समवर्ती न्याय-क्षेत्र बनाए रखेगा।

(d) अनुभाग 6720 के उपखण्ड (a) के उल्लंघनों के लिए देयता का पता चलने पर अनुभाग 6720.1 के उपखण्ड (a) के पैरा (5) की जानकारी को प्रभाग, औद्योगिक संबंध विभाग, श्रम मानक प्रवर्तन प्रभाग या किसी परवर्ती एजेंसी को हस्तांतरित करेगा।

अनुभाग 4.9. श्रम संहिता में अनुभाग 6720.8 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

6720.8. परिभाषाएं।

अनुभाग 6720 से 6720.8, दोनों सहित, के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी:

(a) "वयस्क" फिल्म का अर्थ मैथुन की किसी ऐसी फिल्म, वीडियो, मल्टीमीडिया या अन्य प्रस्तुतियों से है, के किसी रिकार्ड किए गए, प्रवाहित या वास्तविक समय में प्रसारण से है, जिसमें कलाकार लिंग को वास्तव में योनि या गुदा में घुसाया जाता है।

(b) "वयस्क फिल्म कलाकार" का अर्थ ऐसे किसी व्यक्ति से है, जिसका लिंग फिल्माए जाते समय योनि या गुदा को में घुसता है अथवा जिसकी योनि या गुदा में फिल्माए जाते समय लिंग घुसाया जाता है।

(c) "वयस्क फिल्म निर्माता" का अर्थ ऐसे किसी व्यक्ति से है जो California में फिल्मायी गयी एक या अधिक वयस्क फिल्मों को बनाता, निर्माण करता, वित्तपोषित करता या निर्देशित करता है और जो वाणिज्यिक फायदे के लिए इस तरह की वयस्क फिल्म बेचता, बेचने की पेशकश करता या बेचे जाने का कारण बनता है।

(d) "वयस्क फिल्म विनियमन" का अर्थ प्रशासनिक कार्यविधि अधिनियम (अध्याय 3.5) (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के खण्ड 3 के भाग 1 के अनुभाग 11340 के साथ शुरू होने वाला) के विधि-निर्माण प्रावधानों के अनुरूप बोर्ड द्वारा पारित समस्त विनियमनों से है, जो तर्कसंगत रूप से अनुभाग 6720 से 6720.8, दोनों सहित, के उद्देश्यों और आशय को व्यक्त करते हैं।

(e) "सहायता देना और प्रोत्साहित करना" या "सहायता और प्रोत्साहन" का अर्थ किसी व्यक्ति को जानबूझकर या बेपरवाही से उल्लेखनीय सहायता प्रदान करना।

(f) "फिल्माए जाने की शुरुआत" का अर्थ उस बिंदु से है, जहाँ से वयस्क फिल्म के रिकार्ड किए जाने, स्ट्रीम किए जाने या वास्तविक समय में प्रसारित किए जाने की शुरुआत होती है।

(g) "बोर्ड" का अर्थ ऑक्युपेशनल सुरक्षा और स्वास्थ्य मानक बोर्ड है।

(h) "वाणिज्यिक लाभ" का अर्थ वास्तविक या डिजिटल मुद्र या किसी मौजूदा अथवा भावी आय में आकस्मिक अथवा निहित ऐसी किसी मूल्यवान चीज समेत पर यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, किसी भी मूल्यवान चीज से है।

(i) "वाणिज्यिक उद्देश्यों" का अर्थ वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए बेचना, बेचने की पेशकश करना या बेचे जाने का कारण बनना है।

(j) "वितरित करना" अथवा "वितरित किया गया" का अर्थ वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अधिकार को हस्तांतरित करना है।

(k) "प्रभाग" का अर्थ ऑक्युपेशनल सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रभाग है।

(l) "फिल्मायी गयी" और "फिल्माया जाना" का अर्थ किसी वयस्क फिल्म की रिकार्डिंग, स्ट्रीमिंग या वास्तविक समय में प्रसारण है।

(m) "लाइसेंस" का अर्थ वयस्क फिल्म निर्माता स्वास्थ्य लाइसेंस है।

(n) "लाइसेंसधारी" का अर्थ वयस्क फिल्म निर्माता स्वास्थ्य के वैध लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति से है।

(o) "यौन-संचारी-संभावित रूप से संक्रामक अन्य सामग्री" या "OPIM-STI" का अर्थ शरीर के ऐसे द्रवों और अन्य पदार्थों से है, जिनमें रोगजनक हो सकते हैं और यौन संचारी रोगजनकों को हस्तांतरित कर सकते हैं।

(p) "व्यक्ति" का अर्थ ऐसे किसी व्यक्ति, साझीदारी, फर्म, एसोसिएशन, कार्पोरेशन, सीमित दायित्व वाली कंपनी या अन्य कानूनी संस्था है।

(q) "यौन संचरी संक्रमण" या "STI" का अर्थ मैथुन के द्वारा फैला संक्रमण या बीमारी है, जिसमें एचआईवी/एड्स, सूजाक, उपदंश, क्लैमाइडिया, हैपेटाइटिस, योनि का संक्रमण, जननांग मानव पापिलोम विषाणु (HPV) संक्रमण, और जननांग दाद शामिल है, लेकिन इसमें बस इतना ही शामिल नहीं है।

अनुभाग 5. उदार निर्माण।

60

यह अधिनियम California राज्य के लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा के लिए उनकी सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग है, और इसका आशय इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उदारता से समझाया जाएगा।

अनुभाग 6. परस्पर-विरोधी विधेयक।

यह अधिनियम का उद्देश्य व्यापक होना है। California राज्य के लोगों का यह इरादा है कि यदि इसी विषय से संबंधित इस अधिनियम और एक या अधिक विधेयक उसी राज्यव्यापी मतपत्र पर प्रकट होता है, तो अन्य विधेयक या विधेयकों के प्रावधान को इस विधेयक के साथ टकराने वाला माना जाएगा। यदि इस अधिनियम को बड़ी संख्या में सकारात्मक मत मिलेंगे, तो इस अधिनियम के प्रावधान अपनी संपूर्णता में प्रचलित रहेंगे, और दूसरे विधेयक या विधेयकों के सभी प्रावधान अमान्य हो जाएँगे।

अनुभाग 7. प्रस्तावक की जवाबदेही।

California राज्य के लोग इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि इस अधिनियम के प्रस्तावक को उस दशा में दीवानी तौर पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, जबकि इस अधिनियम को संवैधानिक रूप से या वैधानिक तौर पर अस्वीकार्य होने के चलते पारित किए जाने के बाद अदालत द्वारा समूचा या आंशिक तौर पर रद्द कर दिया जाता है। इस प्रकार की संवैधानिक रूप से या वैधानिक तौर पर अस्वीकार्य उपक्रम करदाताओं की निधियों और निर्वाचक संसाधनों तथा अधिनियम के प्रस्तावक का दुरुपयोग है क्योंकि अधिनियम का मसौदा तैयार करने वाले को ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर अवश्य ही जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

उस दशा में जबकि पारित किए जाने के बाद इस अधिनियम को अदालत में संपूर्ण या आंशिक रूप से, संवैधानिक रूप से या वैधानिक तौर पर अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया जाता है और अदालत के आदेश के विरुद्ध अपील करने और उसे बदलने के सभी रास्तों के बंद हो जाने के बाद, प्रस्तावक को संपूर्ण रूप से संवैधानिक या वैधानिक तौर पर स्वीकार्य कानून के उपक्रम का मसौदा तैयार करने में विफल रहने के लिए California राज्य की सामान्य निधि को $10,000 का दीवानी जुर्माना देना होगा। कोई भी पार्टी या निकाय इस दीवानी जुर्माने का माफ नहीं कर सकती।

अनुभाग 8. संशोधन और फिर से अपील।

इस अधिनियम को विधानमंडल में दो-तिहाई (2/3) मतों से पारित और गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित विधान के द्वारा अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आगे और संशोधित किया जा सकता है।

अनुभाग 9. पृथक्करणीयता।

यदि इस अधिनियम के कोई प्रावधान, या इसका भाग, या किसी व्यक्ति या परिस्थितियों के लिए प्रावधान या भाग की प्रयोजनीयता, किसी कारण से अमान्य, या असंवैधानिक पाई जाती है, तो शेष प्रावधान और भाग प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि पूरी शक्ति और प्रभाव से लागू होंगे, और इस अर्थ में इस अधिनियम के प्रावधान और भाग पृथक्करणीय हैं। इसके द्वारा मतदाता घोषणा करते हैं कि इस अधिनियम और प्रत्येक अंश और अंग को पारित कर दिया जाएगा, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक या अधिक प्रावधान या उसके हिस्से अवैध या असंवैधानिक पाए गए हैं।

अनुभाग 10. कानूनी बचाव।

California राज्य के लोगों की इच्छा है कि मतदाताओं ने अगर अधिनियम को मंजूरी प्रदान कर दी है और इसके बाद अदालत में उसे चुनौती दी जाती है तो California राज्य को उसकी पैरवी में आगे आना चाहिए। इस अधिनियम को अमल में लाकर California राज्य के लोग इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि इस अधिनियम के प्रस्तावक का अधिनियम की वैधता की संवैधानिक या वैधानिक चुनौतियों से इस अधिनियम की रक्षा करने में प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत हित है। अटॉर्नी जनरल के इस अधिनियम पैरवी करने में विफल रहने की दशा में; अथवा किसी भी अदालत में संपूर्ण या आंशिक तौर पर संवैधानिक या वैधानिक रूप से इस अधिनियम की स्वीकार्यता के खिलाफ विपरीत फैसले के विरुद्ध अपील करने में उसके विफल रहने पर अधिनियम के प्रस्तावक को किसी भी अदालत में अधिनियम की वैधता की पैरवी करके अपने प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत हित पर जोर देने का हक होगा और निम्नलिखित शर्तों के तहत California राज्य के नागरिकों के एजेंट के रूप में इस अधिनियम के जरिए काम करने के लिए नागरिकों द्वारा समर्थ बनाया जाएगा: (1) प्रस्तावक को California राज्य का "इच्छानुसार" कर्मचारी समझा जाएगा लेकिन विधानमंडल के पास विधानमंडल के प्रत्येक सदन के बहुमत के द्वारा प्रस्तावक को उसकी एजेंसी की भूमिका से हटाने का अधिकार होगा, जबकि ऐसा करने के लिए "श्रेष्ठ ध्येय" मौजूद हो, जैसा कि इस शब्द को California मामले के कानून के द्वारा परिभाषित किया गया है; (2) प्रस्तावक California राज्य के कर्मचारी के रूप में अनुभाग XX के अनुभाग 3 के तहत पद की शपथ लेगा; (3) प्रस्तावक कानून द्वारा निर्धारित सभी, प्रत्ययी नैतिक और कानूनी कर्तव्यों के अधीन होगा; और (4) प्रस्तावक को California राज्य के द्वारा चुनौती दिए गए अधिनियम की वैधता की पैरवी करने में एजेंट के रूप में प्रस्तावक द्वारा उठाए गए तर्कसंगत खर्चों एवं अन्य हानियों के लिए ही क्षतिपूर्ति की जाएगी। भरपाई की दर उस धनराशि से अधिक नहीं होगी जितनी धनराशि स्वयं पैरवी करने में राज्य को खर्च करनी पड़ती।

अनुभाग 11. प्रभावी तारीख।

सिवाय उसके जैसा कि यहाँ दूसरे रूप में मुहैया कराया गया है, यह अधिनियम मतदाताओं द्वारा इसे मंजूरी प्रदान किए जाने के बाद के दिन से ही प्रभावी हो जाएगा।

प्रस्ताव 61

यह पहल सम्बंधी विधेयक California संविधान के अनुच्छेद II की अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुपालन में लोगों को पेश किया जाता है।

यह पहल संबंधी विधेयक वेलफेयर और इंस्टीटयूट कोड में एक अनुभाग जोड़ता है; इसलिए, जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधान, यह दर्शाने के लिए कि वे नए हैं, *तिरछे अक्षरों* में छापे गए हैं।

प्रस्तावित कानून

California औषधि मूल्य राहत अधिनियम

California राज्य के लोग एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं:

अनुभाग 1. शीर्षक।

इस अधिनियम को "California औषधि मूल्य राहत अधिनियम" ("अधिनियम") के रूप में जाना जाएगा और उद्धृत किया जा सकता है।

अनुभाग 2. निष्कर्ष और घोषणाएँ।

California राज्य के लोग एतद्वारा निम्नलिखित पाते व घोषित करते हैं:

(a) California में स्वास्थ्य सेवा की लागतों में तेजी से होने वाली वृद्धि का एक मुख्य कारण प्रिस्क्रिप्शन दवा की लागत रहा है और आगे भी रहेगा।

(b) राष्ट्रीय रूप में, 1990 तथा 2013 के बीच प्रिस्क्रिप्शन दवा पर होने वाले खर्चे में 800 फीसदी से अधिक का इजाफा हुआ, जो स्वास्थ्य सेवा का एक तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बन गया।

(c) विशेष दवाइयों पर खर्च, जैसे कि जिनका इस्तेमाल HIV/AIDS, हेपाटाइटिस सी, तथा कैंसर के लिए किया जाता है, अन्य प्रकार की दवाइयों के तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। अकेले वर्ष 2014 में, विशेष दवाइयों पर होने वाले कुल खर्च में 23 फीसदी से अधिक का इजाफा हुआ।

(d) फार्मास्युटिकल उद्योग द्वारा ड्रग की अत्यधिक कीमत वसूलने के चलन ने फार्मास्युटिकल कंपनी के लाभों को काफी बढ़ाया, जो तेल और निवेश बैंकिंग से कहीं अधिक है।

(e) ड्रग की अत्यधिक कीमतों से ड्रग कंपनियां अपने अधिकारियों को जमकर भुगतान करने लगी हैं।

(f) ड्रग की अत्यधिक कीमतें California के करदाताओं के ऊपर एक अनावश्यक बोझ बनी हुई हैं, जो जरूरतमंद लोगों के लिए स्वास्थ्य उपचार सेवाओं तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की पहुंच में कमी लाता है।

(g) यद्यपि, California प्रिस्क्रिप्शन दवा की कीमतों में कमी करने का प्रयास करता रहा है, जिसके लिए यह छूट देता रहा है, ड्रग निर्माता अभी भी राज्य से अन्य सरकारी भुगतानकर्ताओं की तुलना में अधिक वसूल रही है, जिससे एक गहरा असंतुलन पैदा हो जाता है जिसे दूर करने की जरूरत है।

(h) यदि California प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के लिए उतनी की कीमत अदा करने में सक्षम है, जितनी सेवानिवृत्त सैनिकों के कामकाज सम्बन्धी विभाग द्वारा अदा की जाती है, तो इससे California तथा इसके करदाताओं के धन की काफी बचत होगी। इन सार्वजनिक सरोकारों से निपटने के लिए यह अधिनियम आवश्यक है और उचित भी।

अनुभाग 3. उद्देश्य और अभिप्राय।

California राज्य के लोग एतद्वारा इस अधिनियम को बनाने में निम्नलिखित उद्देश्य व अभिप्राय की घोषणा करते हैं:

(a) California राज्य को प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के लिए उतनी ही कीमत अदा करने में सक्षम बनाने के लिए, जितनी सेवानिवृत्त सैनिकों के कामकाज सम्बन्धी विभाग द्वारा अदा की जाती है, सरकारी भुगतानकर्ताओं के बीच संतुलन लाना जरूरी होगा।

(b) प्रिस्क्रिप्शन दवा के लिए California तथा इसके करदाताओं की लागत की उल्लेखनीय बचत करने से California की तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य सेवा लागतों को कम करने में मदद मिलेगी।

(c) इस अधिनियम के लिए उचित कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करने हेतु, इसे अपनाया जाना चाहिए और उसके बाद इसे अदालत में चुनौती देनी चाहिए।

अनुभाग 4. अनुभाग 14105.32 को वेलफेयर और इंस्टीटयूशंस कोड में शामिल कर, California औषधि मूल्य राहत अधिनियम को संहिताबद्ध किया जाएगा:

14105.32. दवा का मूल्य निर्धारण।

(a) संघीय कानून के तहत जैसा मुनासिब हो, कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, न तो California राज्य, और न ही कोई राज्य प्रशासनिक एजेंसी या अन्य राज्य प्रतिष्ठान, जिसमें शामिल होंगे स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, किसी दवा के निर्माता के साथ किसी प्रिस्क्राइब्ड दवा की खरीद के लिए तबतक कोई समझौता नहीं करेगा, जबतक कि उस दवा की स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज द्वारा निर्धारित शुद्ध लागत, जिसमें छूट, फ्री गुड्स, मात्रा छूट, रिबेट, या कोई अन्य छूट या उधार शामिल हो, उतना ही हो या उससे कम हो जितना सेवानिवृत्त सैनिकों के कामकाज सम्बन्धी विभाग द्वारा उसी दवा के लिए भुगतान किया जाता हो।

(b) उपखण्ड (a) में वर्णित मूल्य सीमा उन सभी कार्यक्रमों पर लागू होगी, जहां California राज्य या कोई राज्य प्रशासनिक एजेंसी अथवा अन्य राज्य प्रतिष्ठान उस दवा के लिए अंतिम भुगतानकर्ता हो, भले ही यह उस दवा को प्रत्यक्ष रूप से न खरीदता हो। इसमें व्यापक रूप से शामिल हैं, California का Medi-Cal फ्री-फॉर-सर्विस आउटपेशंट ड्रग कार्यक्रम तथा California का AIDS ड्रग असिस्टेंस कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए पहले से लागू शुद्ध लागत, किसी नकद छूट, फ्री गुड्स, मात्रा छूट, रिबेट, या कोई अन्य छूट या उधार के अलावा, जिम्मेदार राज्य एजेंसी कीमत में ज्यादा कमी लाने के लिए दवा निर्माता के साथ अतिरिक्त समझौता करेगा, ताकि उस दवा की स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज द्वारा निर्धारित कीमत उतनी ही हो या उससे कम हो जितनी सेवानिवृत्त सैनिकों के कामकाज सम्बन्धी विभाग द्वारा उसी दवा के लिए भुगतान की जाती हो। इस अनुभाग की आवश्यकताएं किसी Medi-Cal प्रबंधित उपचार कार्यक्रम के अनुसार या उसके तहत खरीदी गई अथवा प्राप्त की गई दवा या विकसित दरों पर लागू नहीं होंगी।

(c) California राज्य के लोगों की यह मंशा है कि California राज्य, तथा सभी राज्य एजेंसियां व अन्य राज्य प्रतिष्ठान जो किसी दवा निर्माता के साथ प्रिस्क्राइब्ड दवाओं के लिए एक या एक से अधिक समझौते संपन्न करते हों, वे इस अनुभाग का पालन समयबद्ध तरीके से करेंगे तथा उस लिहाज से California राज्य तथा ऐसी सभी राज्य एजेंसियों व राज्य प्रतिष्ठानों को अधिक से अधिक 1, 2017 तक इस कानून का कार्यांवयन तथा अनुपालन करना होगा।

(d) California राज्य, तथा हरेक व प्रत्येक राज्य प्रशासनिक एजेंसी या अन्य राज्य प्रतिष्ठान इस अनुभाग के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम और विनियमों को अपना सकते हैं और संघीय कानून, नियम तथा विनियमन की किसी ऐसी छूट की मांग कर सकते हैं, जो इस अनुभाग के प्रावधानों के कार्यांवयन के लिए जरूरी हों।

अनुभाग 5. उदार निर्माण।

यह अधिनियम California राज्य के लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा के लिए उनकी सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग है, और इसका आशय इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उदारता से समझाया जाएगा।

अनुभाग 6. परस्पर-विरोधी विधेयक।

यह अधिनियम का उद्देश्य व्यापक होना है। California राज्य के लोगों का यह इरादा है कि यदि इसी विषय से संबंधित इस अधिनियम और एक या अधिक विधेयक उसी राज्यव्यापी मतपत्र पर प्रकट होता है, तो अन्य विधेयक या विधेयकों के प्रावधान को इस विधेयक के साथ टकराने वाला माना जाएगा। यदि इस अधिनियम को बड़ी संख्या में सकारात्मक मत मिलेंगे, तो इस अधिनियम के प्रावधान अपनी संपूर्णता में प्रचलित रहेंगे, और दूसरे विधेयक या विधेयकों के सभी प्रावधान अमान्य हो जाएँगे।

अनुभाग 7. प्रस्तावक की जवाबदेही।

एतद्वारा California राज्य की जनता घोषणा करती है कि इस अधिनियम के पारित होने के बाद, संपूर्ण या आंशिक रूप से, किसी कानूनी अदालत द्वारा इसे संवैधानिक रूप से या वैधानिक रूप से अनुचित माने जाने पर, इस अधिनियम के निष्फल होने के लिए इस अधिनियम के प्रस्तावक को सिविल रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। संवैधानिक रूप से या वैधानिक रूप से अनुचित ऐसे प्रयास करदाता की निधियों तथा निर्वाचक संसाधनों का दुरुपयोग है और इस अधिनियम के मसौदा-लेखक के रूप में, इस ऐक्ट के प्रस्तावक को ऐसी घटना के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है।

ऐसी स्थिति में जब पारित होने के बाद यह अधिनियम किसी कानूनी अदालत में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, असंवैधानिक या वैधानिक रूप से अवैध माने जाने पर निष्फल हो जाता है, तथा अपील करने के सभी मार्गों के बंद हो जाने पर, प्रस्तावक पूरी तरह से संवैधानिक या वैधानिक रूप से अनुमत पहल कानून का मसौदा बनाने और प्रायोजित करने में असफल रहने के लिए California राज्य की सामान्य निधि को $10,000 का एक सिविल जुर्माना देगा, बल्कि इस अधिनियम के संदर्भ में, इससे जुड़े या इससे उपजे किसी व्यक्ति या प्रतिष्ठान के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई पक्ष या प्रतिष्ठान इस सिविल जुर्माने से छूट हासिल नहीं कर सकता है।

अनुभाग 8. संशोधन तथा निरस्त करना।

इस अधिनियम को विधानमंडल द्वारा दो-तिहाई बहुमत से पारित कर और कानून को गवर्नर द्वारा हस्ताक्षित कर आगे संशोधित किया जा सकता है।

अनुभाग 9. पृथक्करणीयता।

यदि इस अधिनियम के कोई प्रावधान, या इसका भाग, या किसी व्यक्ति या परिस्थितियों के लिए प्रावधान या भाग की प्रयोजनीयता, किसी कारण से अमान्य, या असंवैधानिक पाई जाती है, तो शेष प्रावधान और भाग प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि पूरी शक्ति और प्रभाव से लागू होंगे, और इस अर्थ में इस अधिनियम के प्रावधान और भाग पृथक्करणीय हैं। इसके द्वारा मतदाता घोषणा करते हैं कि इस अधिनियम और प्रत्येक अंश और अंग को पारित कर दिया

जाएगा, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक या अधिक प्रावधान या उसके हिस्से अवैध या असंवैधानिक पाए गए हैं।

अनुभाग 10. कानूनी बचाव।

California राज्य के लोगों की इच्छा है कि मतदाताओं ने अगर अधिनियम को मंजूरी प्रदान कर दी है और इसके बाद अदालत में उसे चुनौती दी जाती है तो California राज्य को उसकी पैरवी में आगे आना चाहिए। इस अधिनियम को अमल में लाकर California राज्य के लोग इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि इस अधिनियम के प्रस्तावक का अधिनियम की वैधता की संवैधानिक या वैधानिक चुनौतियों से इस अधिनियम की रक्षा करने में प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत हित है। ऐसी स्थिति में जब अटॉर्नी जेनरल इस अधिनियम का प्रतिवाद करने में विफल रहता है या अटॉर्नी जेनरल इस अधिनियम की संवैधानिकता या वैधानिक अनुज्ञेय के खिलाफ, किसी कानूनी अदालत में, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से एक विपरीत फैसले का अपील करने में विफल रहता है, तो इस अधिनियम का प्रस्तावक किसी कानूनी अदालत में अधिनियम की वैधता का प्रतिवाद कर अपने प्रत्यक्ष तथा निजी हित प्रदर्शित करने का अधिकार रखेगा और नागरिकों द्वारा उसे इस अधिनियम के जरिए California राज्य के नागरिकों के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त बनाया जाएगा, जो निम्नलिखित दशाओं के अधीन होगा: (1) प्रस्तावक को California राज्य का "इच्छा -अनुसार" कर्मचारी नहीं माना जाएगा, पर विधानमंडल के पास तब विधानमंडल के प्रत्येक सदन के एक बहुमत मतदान द्वारा प्रस्तावक को एजेंसी की उनकी भूमिका से हटाने का अधिकार होगा, यदि ऐसा करने के लिए एक "उचित कारण" हो, क्योंकि वह अवधि California केस कानून द्वारा परिभाषित हो; (2) प्रस्तावक California संविधान के अनुच्छेद XX के अनुभाग 3 के तहत California राज्य के एक कर्मचारी के रूप में शपथ लेगा; (3) प्रस्तावक कानून द्वारा प्रस्तावित सभी वैश्वासिक, नैतिक तथा कानूनी कर्तव्यों के अधीन होगा; तथा (4) प्रस्तावक को चुनौती दिए गए अधिनियम की वैधता के प्रतिवाद में, एक एजेंट के रूप में, हुए केवल उचित व्ययों तथा अन्य हानियों के लिए California राज्य द्वारा क्षतिपूर्ति दी जाएगी। क्षतिपूर्ति की दर उस राशि से अधिक नहीं होगी, जो राज्य को खुद के प्रतिवाद में आई लागत की राशि होगी।

अनुभाग 11. प्रभावी तारीख।

सिवाय उसके जैसा कि यहाँ दूसरे रूप में मुहैया कराया गया है, यह अधिनियम मतदाताओं द्वारा इसे मंजूरी प्रदान किए जाने के बाद के दिन से ही प्रभावी हो जाएगा।

61

प्रस्ताव 62

यह पहल सम्बंधी विधेयक California संविधान के अनुच्छेद II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुपालन में लोगों को पेश किया जाता है।

यह पहल विधेयक California दंड संहिता के अनुभागों को संशोधित करता है और निरस्त करता है; इसलिए मिटाने के लिए प्रस्तावित वर्तमान प्रावधानों को ~~काटे हुए अक्षरों~~ में प्रकाशित किया गया है और जोड़ने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *इटैलिक टाईप* में प्रकाशित किया गया है ताकि यह पता चले कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

काम करने वाला न्याय अधिनियम 2016

अनुभाग 1. शीर्षक।

62

इस पहल को "काम करने वाला न्याय अधिनियम 2016" के तौर पर जाना जाएगा एवं उल्लेखित किया जा सकता है।

अनुभाग 2. निष्कर्ष और घोषणाएँ।

California राज्य के लोग एतद्वारा निम्नलिखित समस्त बिंदु पाते व घोषित करते हैं:

1. प्रथम श्रेणी की हत्या के लिए दोषी सिद्ध हुए हिंसक हत्यारों को समाज से अवश्य अलग रखा जाना चाहिए और उन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए।

2. मौजूदा कानून के अनुसार, California में प्रथम श्रेणी की हत्या करने वाले अनेक अपराधियों को मृत्यु दंड दिया जाता है, लेकिन राज्य विरले ही मृत्यु देता है। इसकी बजाए, राज्य करदाताओं की लाखों डॉलर की रकम मृत्यु दंड की प्रतीक्षा कर रहे कैदियों को वकील उपलब्ध कराने पर खर्च करता है, ताकि जिन हत्यारों को राज्य ने मृत्यु दंड दिया है वे कारागार में बूढ़े होकर मर जाएं।

3. वर्ष 1978 से California ने मृत्यु दंड व्यवस्था पर $4 बिलियन खर्च किए हैं, जिसके द्वारा लगभग एक हजार अपराधियों को मृत्यु दंड दिए जाने के आदेश दिए गए हैं लेकिन उनमें से केवल 13 लोगों को ही मृत्यु दंड दिया गया है। हालाँकि 700 से अधिक कैदी मृत्यु दंड दिए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, California ने लगभग ग्यारह वर्षों में किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दिया है।

4. California में जिन हिंसक हत्यारों को परोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है, वे कभी भी परोल के पात्र नहीं होते हैं। वे अपना शेष जीवन कारागार में बिताते हैं और कारागर में उनकी मृत्यु हो जाती है।

5. मृत्यु दंड के आदेश के कार्यान्वयन की प्रतीक्षा कर रहे 1% से भी कम कैदी अपने पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए काम करके अपनी मजदूरी का भुगतान करते हैं। परोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास का दंड पाने वाले हत्यारों को कारागार में काम करना होता है और उनकी कमाई मजदूरी से उनके अपराधों से पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

6. दोषी सिद्ध होने पर परोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास का दंड पाने वाले सभी हत्यारों के लिए कानूनी रूप से यह आवश्यक है कि वे कारावास की अवधि में काम करें और अपनी मजदूरी के 60% भाग का अपने अपराध से पीड़ितों की क्षतिपूर्ति के लिए उन्हें मुआवजा देने हेतु भुगतान करें।

7. हालाँकि कई लोगों का यह मानना है कि हत्यारों को मृत्यु दंड देना उन्हें आजीवन कारागार में रखने से कम खर्चीला है, दरअसल यह कहीं ज्यादा महँगा है। भूतपूर्व मृत्यु दंड अभियोजक और न्यायाधीश, Arthur Alarcon, और कानून के प्राचार्य Paula Mitchell के अनुसार सर्वाधिक कठोर दंड के रूप में परोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास का दंड देने वाली व्यवस्था बनाए रखने की तुलना में मृत्यु दंड व्यवस्था की वार्षिक लागत $100 मिलियन से ज्यादा होती है। मृत्युदंड को पेरोल की संभावना के बगैर उम्रकैद से बदलकर, California करदाता प्रत्येक वर्ष $100 मिलियन से अधिक बचा सकेंगे।

8. मृत्यु दंड एक ऐसा असफल सरकारी कार्यक्रम है, जिस पर करदाताओं के डॉलर खर्च किए जाते हैं और जिसमें घातक गलतियां होती हैं। इस देश में 150 से अधिक निर्दोष लोगों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, और कुछ निर्दोष लोगों को तो वास्तव में मृत्युदंड दिया जा चुका है। गलती से दोषी सिद्ध होने वाले निर्दोष लोगों के जीवन के कई दशक बर्बाद हो जाते हैं, करदाताओं के डॉलर खर्च होते हैं और पीड़ितों के परिवारों को बार-बार सदमा झेलना पड़ता है जबकि वास्तविक हत्यारे फिर से हत्या करने के लिए खुले आम घूम रहे होते हैं।

9. इस अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किए जाने से एक महंगी और निष्प्रभावी पद्धति तत्काल रुक जाएगी और यह सुनिश्चित हो पाएगा की California कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं देगा।

10. California का मृत्युदंड एक खोखला वायदा साबित होता है। मृत्युदंड के मामले कई दशकों तक चलते हैं। परोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास का दंड शोक-संतप्त परिवारों के लिए शीघ्र व सुनिश्चित न्याय है।

11. पेरोल की संभावना के बगैर उम्रकैद की सजा सुनिश्चित करती है कि निकृष्टतम अपराधी भी हमेशा के लिए जेल में रहें और धन बचे। मृत्यु दंड के स्थान पर परोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास के दंड का उपबंध करके हम एक भी कैदी को रिहा किए बिना पाँच वर्षों में राज्य के $1 बिलियन की बचत करेंगे—$1 बिलियन जिसका निवेश अपराध की रोकथाम की कार्यनीतियों, पीड़ितों को दी जाने वाली सेवाओं, शिक्षा और हमारे समुदाय तथा परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे कार्यों में किया जा सकेगा।

अनुभाग 3. उद्देश्य व अभिप्राय।

California राज्य के लोग इस अधिनियम को अधिनियमित करने के लिए अपने उद्देश्य व अभिप्राय को निम्न प्रकार से घोषित करते हैं:

1. California की महंगी और निष्प्रभावी मृत्यु दंड व्यवस्था को समाप्त करके उसके स्थान पर विशेष परिस्थितियों में प्रथम श्रेणी की हत्या के अपराध के लिए दोषी सिद्ध होने वाले व्यक्तियों को परोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास का दंड देने की सहज व्यवस्था को शुरू करने के लिए, ताकि उन अपराधियों को स्थाई रूप से समाज से अलग रखा जाए और उनसे अपने अपराध से पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान करने की अपेक्षा की जाए।

2. प्रथम श्रेणी की हत्या के लिए दोषी सिद्ध होने और परोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास का दंड पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा करने के लिए कि वह अपने कारावास की अवधि में काम करे, और अपराध के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए उपयोग की जाने वाली मजदूरी के भाग को बढ़ाकर 60% करने के लिए।

3. किसी निर्दोष व्यक्ति को मौत की सजा देने के जोखिम को कम करना।

4. दशकों लंबी अपील प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए जिसमें पीड़ित परिवार के सदस्यों को कई बार सुनवाइयों में भाग लेकर अपनी क्षति के सदमे को निरंतर झेलना पड़ता है।

5. इस अधिनियम को पूर्वप्रभावी बनाकर मृत्युदंड को पेरोल की संभावना के बगैर उम्रकैद से बदलकर, सजा देने में निष्पक्षता और एकरूपता हासिल करना।

अनुभाग 4. दंड संहिता में अनुभाग 190 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

190. (a) हत्या के प्रथम श्रेणी अपराध के दोषी प्रत्येक व्यक्ति को ~~मृत्यु~~, राज्य के जेल में पेरोल की संभावना के बगैर उम्रकैद की सजा, या राज्य के जेल में न्यूनतम 25 वर्ष की अवधि के लिए कैद द्वारा दंडित किया जाएगा। लागू किया जाने वाला जुर्माना अनुभाग ~~190.1~~, 190.2, ~~190.3~~, 190.4 और 190.5 के प्रावधानों के अनुसार निश्चित किया जाएगा।

उपखण्ड (b), (c) या (d) में दिए गए प्रावधानों के अतिरिक्त, हत्या के द्वितीय श्रेणी अपराध में दोषी प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के जेल में न्यूनतम 15 वर्ष की अवधि के लिए कैद द्वारा दंडित किया जाएगा।

(b) उपखण्ड (c) के प्रावधानों के अतिरिक्त, हत्या के द्वितीय श्रेणी अपराध में दोषी प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के जेल में न्यूनतम 25 वर्ष की अवधि के लिए कैद द्वारा दंडित किया जाएगा यदि पीड़ित व्यक्ति शांति अधिकारी था जैसा कि अनुभाग 830.1 के उपखण्ड (a), अनुभाग 830.2 के उपखण्ड (a), (b) या (c), अनुभाग 830.33 के उपखण्ड (a) या अनुभाग 830.5 में परिभाषित किया गया है, जो अपना कर्तव्य निभाते हुए मारा गया और प्रतिवादी जानता था, या उसे समुचित कारणों से पता होना चाहिए कि पीड़ित अपने कर्तव्य निभाने वाला एक शांति अधिकारी था।

(c) हत्या के द्वितीय श्रेणी अपराध में दोषी प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के जेल में पेरोल की संभावना के बगैर उम्रकैद की सजा से दंडित किया जाएगा यदि पीड़ित व्यक्ति शांति अधिकारी था जैसा कि अनुभाग 830.1 के उपखण्ड (a), अनुभाग 830.2 के उपखण्ड (a), (b) या (c), अनुभाग 830.33 के उपखण्ड (a) या अनुभाग 830.5 में परिभाषित किया गया है, जो अपना कर्तव्य निभाते हुए मारा गया और प्रतिवादी जानता था, या उसे समुचित कारणों से पता होना चाहिए कि पीड़ित अपने कर्तव्य निभाने वाला एक शांति अधिकारी था, और निम्नलिखित तथ्यों का आरोप लगाया जाता है और इन्हें वास्तविक पाया जाता है:

(1) प्रतिवादी ने विशेष तौर पर शांति अधिकारी को मारा।

(2) प्रतिवादी ने विशेष तौर पर शांति अधिकारी को गंभीर शारीरिक नुकसान, जैसा कि अनुभाग 12022.7 में परिभाषित किया गया है, पहुंचाया।

(3) प्रतिवादी ने अनुभाग 12022 के उपखण्ड (b) का उल्लंघन करते हुए, अपराध करने के लिए खतरनाक या जानलेवा हथियार का व्यक्तिगत उपयोग किया।

(4) प्रतिवादी ने अनुभाग 12022.5 का उल्लंघन करते हुए, अपराध करने के लिए आग्नेयास्त्र का व्यक्तिगत उपयोग किया।

(d) हत्या के द्वितीय श्रेणी अपराध में दोषी प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के जेल में न्यूनतम 20 वर्ष कैद की सजा से दंडित किया जाएगा यदि गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने की मंशा से मोटर वाहन में से आग्नेयास्त्र चलाकर वाहन के बाहर मौजूद अन्य व्यक्ति की जघन्य कृत्य द्वारा जानबूझकर हत्या की गई थी।

(e) भाग 3 के शीर्षक 1 के अध्याय 7 का अनुच्छेद 2.5 (अनुभाग 2930 से आरंभ), इस अनुभाग के अनुसार दी गई सजा की न्यूनतम अवधि कम करने के लिए लागू नहीं होगा। इस अनुभाग के अनुसार सजा सुनाए गए व्यक्ति को इस अनुभाग में निर्दिष्ट कैद की न्यूनतम अवधि पूरी करने से पहले पेरोल पर रिहा नहीं किया जाएगा।

(f) इस अनुभाग के अनुसार हत्या का दोषी पाया गया व सजा प्राप्त या पेरोल की संभावना के बिना फिर से उम्रकैद की सजा प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी कैद की अवधि के दौरान प्रत्येक दिन उच्च सुरक्षा वाले जेल में कई घंटे तक समर्पित श्रम का काम करना होगा जैसा कि अनुभाग 2700 के अनुसार, डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस एंड रिहैबिलिटेशन के नियम व शर्तों के अनुसार निर्धारित किया गया है। ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कैदी को क्षतिपूर्ति जुर्माना चुकाना या क्षतिपूर्ति आदेश पूरा करना है, डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस एंड रिहैबिलिटेशन का सेक्रेट्री कैदी के पारिश्रमिक व ट्रस्ट एकांउट डिपोजिट के धन को घटाएगा और इस फंड को अनुभाग 2085.5 और 2717.8 के अनुसार, डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस एंड रिहैबिलिटेशन के नियम व शर्तों के अनुसार California विक्टिम कम्पेनसेशन एंड गवर्नमेंट क्लेम्स बोर्ड में हस्तांतरित कर देगा।

अनुभाग 5. दंड संहिता के अनुभाग 190.1 को निरस्त किया गया है।

~~190.1. एक मामला जिसमें इस अध्याय के अनुसार मृत्युदंड दिया जा सकता है, पर निम्न प्रकार से पृथक चरणों में विचार किया जाएगा:~~

~~(a) सबसे पहले प्रतिवादी के जुर्म का प्रश्न निश्चित किया जाएगा। यदि तथ्यों पर विचार करने वाला जज प्रतिवादी को हत्या के प्रथम श्रेणी अपराध का दोषी पाता है तो वह उसी समय अनुभाग 190.2 में निर्दिष्ट आरोप लगाई गई सभी विशेष परिस्थितियों की वास्तविकता भी निश्चित करता है सिवाय एक विशेष परिस्थिति के जिसका अनुभाग 190.2 के उपखण्ड (a) के पैरा (2) के अनुसार आरोप लगाया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि प्रतिवादी को हत्या के प्रथम या द्वितीय श्रेणी के अपराध में पिछली कार्यवाही में अपराधी सिद्ध किया गया था।~~

~~(b) यदि प्रतिवादी को प्रथम श्रेणी के अपराध का दोषी पाया जाता है और अनुभाग 190.2 के उपखण्ड (a) के पैरा (2) के अनुसार एक विशेष परिस्थिति को आरोपित किया जाता है जिसमें आरोप लगाया जाता है कि प्रतिवादी को हत्या के प्रथम या द्वितीय श्रेणी के अपराध में पिछली कार्यवाही में अपराधी सिद्ध किया गया था तो उस पर उक्त विशेष परिस्थिति के प्रश्न पर अतिरिक्त कार्यवाही की जाएगी।~~

~~(c) यदि प्रतिवादी को प्रथम श्रेणी के अपराध का दोषी पाया जाता है और अनुभाग 190.2 में निर्दिष्ट एक या अधिक विशेष परिस्थिति को आरोपित किया जाता है और वास्तविक पाया जाता है तो अनुभाग 1026 के तहत विक्षिप्तता के कारण दोषी नहीं होने की किसी भी दलील पर उसके मानसिक स्वास्थ्य को अनुभाग 190.4 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। यदि उसे मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाए जाने के प्रश्न पर अतिरिक्त कार्यवाही होगी। उक्त कार्यवाही अनुभाग 190.3 और 190.4 के प्रावधानों के अनुसार संचालित की जाएगी।~~

अनुभाग 6. दंड संहिता में अनुभाग 190.2 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

62

190.2. (a) हत्या के प्रथम श्रेणी अपराध में दोषी पाये जाने वाले प्रतिवादी के लिए ~~मृत्युदंड या~~ पेरोल की संभावना के बगैर राज्य के जेल में उम्रकैद की सजा है यदि अनुभाग 190.4 के तहत एक या अधिक निम्नलिखित विशेष परिस्थितियां वास्तविक पाई जाती हैं:

(1) हत्या जानबूझकर की गई थी और आर्थिक लाभ पाने के लिए की गई थी।

(2) प्रतिवादी को हत्या के प्रथम या द्वितीय श्रेणी के अपराध में पहले दोषी सिद्ध किया गया था। इस पैरा के उद्देश्यों के लिए, पृथक न्यायाधिकार क्षेत्र में किया गया अपराध जो यदि California में किया जाता तो हत्या के प्रथम या द्वितीय श्रेणी अपराध के तौर पर दंडनीय होता, को हत्या का प्रथम या द्वितीय श्रेणी अपराध माना जाएगा।

(3) इस कार्यवाही में प्रतिवादी हत्या के प्रथम या द्वितीय श्रेणी अपराध के लिए एक से अधिक अपराधों के लिए अपराधी सिद्ध हो चुका है।

(4) हत्या विध्वंसात्मक किसी स्थान, क्षेत्र, निवास, भवन या ढांचे में लगाए गए, छिपे हुए या छिपाए गए उपकरण, बम या विस्फोटक के माध्यम से किया गया था और प्रतिवादी जानता था, या उसे समुचित कारणों से पता होना चाहिए था, कि उसकी कार्रवाई या कार्रवाइयों से एक या अधिक मनुष्यों के जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न होगा।

(5) हत्या कानूनी गिरफ्तारी से बचने या उसे रोकने, या कानूनी हिरासत से बच निकलने के काम को पूरा करने या पूरा करने का प्रयास करने के उद्देश्य से की गई थी।

(6) हत्या विध्वंसात्मक उपकरण, बम या विस्फोटक के माध्यम से की गई थी जिसे प्रतिवादी ने डाक द्वारा भेजा या सुपुर्द किया, डाक द्वारा भेजने या सुपुर्द करने का प्रयास किया, या डाक द्वारा भिजवाया या सुपुर्द करवाया, और प्रतिवादी जानता था, या उसे समुचित कारणों से पता होना चाहिए था कि उसकी कार्रवाई या कार्रवाइयों से एक या अधिक मनुष्यों के जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न होगा।

(7) पीड़ित व्यक्ति शांति अधिकारी था जैसा कि अनुभाग 830.1 830.2, 830.3, 830.31, 830.32, 830.33, 830.34, 830.35, 830.36, 830.37, 830.4, 830.5, 830.6, 830.10, 830.11, या 830.12 में परिभाषित किया गया है, जो अपना कर्तव्य निभाने की प्रक्रिया में जानबूझकर मारा गया और प्रतिवादी जानता था; या उसे समुचित कारणों से पता होना चाहिए कि पीड़ित अपने कर्तव्य निभाने वाला एक शांति अधिकारी था या इनमें से किसी भी अनुभाग के अंतर्गत भूतपूर्व शांति अधिकारी था, और उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने पर बदले की कार्रवाई में जानबूझकर मारा गया।

(8) पीड़ित व्यक्ति संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी या एजेंट था जो, अपना कर्तव्य निभाने की प्रक्रिया में जानबूझकर मारा गया और प्रतिवादी जानता था, या उसे समुचित कारणों से पता होना चाहिए कि पीड़ित अपने कर्तव्य निभाने वाला एक संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी या एजेंट था; या पीड़ित एक संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी या एजेंट था, और उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने पर बदले की कार्रवाई में जानबूझकर मारा गया।

(9) पीड़ित व्यक्ति अग्निशामक कर्मचारी था जैसा कि अनुभाग 245.1 में परिभाषित किया गया है, जो अपना कर्तव्य निभाने की प्रक्रिया में जानबूझकर मारा गया और प्रतिवादी जानता था, या उसे समुचित कारणों से पता होना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति अपने कर्तव्य निभाने वाला एक फायरफाईटर था।

(10) पीड़ित व्यक्ति किसी अपराध का गवाह था जिसे किसी आपराधिक या किशोर अपराध संबंधी कार्यवाही में उसकी गवाही देने से रोकने के उद्देश्य से जानबूझकर मारा गया और हत्या उस अपराध को करने या करने की कोशिश के दौरान नहीं हुई थी जिसका वह गवाह था; या पीड़ित व्यक्ति किसी अपराध का गवाह था जिसे किसी आपराधिक या किशोर अपराध संबंधी कार्यवाही में उसकी गवाही देने पर बदले की कार्रवाई में जानबूझकर मारा गया। जैसा कि इस पैरा में उपयोग किया गया है, "किशोर अपराध संबंधी कार्यवाही" का मतलब ऐसी कार्यवाही से है जिसे वेलफेयर और इंस्टीटयूट कोड के अनुभाग 602 या 707 के अनुसार संचालित किया गया है।

(11) पीड़ित व्यक्ति इस या किसी अन्य राज्य में, किसी भी स्थानीय या राज्य प्रोसिक्यूटर्स के कार्यलय में, या फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस में प्रोसिक्यूटर या सहायक प्रोसिक्यूटर या भूतपूर्व प्रोसिक्यूटर या सहायक प्रोसिक्यूटर था और हत्या पीड़ित व्यक्ति को आधिकारिक कर्तव्य पूरा करने अथवा उससे रोकने के लिए बदले की कार्रवाई में जानबूझकर की गई थी।

(12) पीड़ित व्यक्ति इस या किसी अन्य राज्य में स्थानीय, राज्य या संघीय व्यवस्था में किसी सक्षम न्यायालय में जज या भूतपूर्व जज था और हत्या पीड़ित व्यक्ति को आधिकारिक कर्तव्य पूरा करने अथवा उससे रोकने के लिए बदले की कार्रवाई में जानबूझकर की गई थी।

(13) पीड़ित व्यक्ति संघीय सरकार, अथवा इस या किसी अन्य राज्य में स्थानीय, राज्य सरकार का निर्वाचित या नियुक्त अधिकारी या भूतपूर्व अधिकारी था और हत्या पीड़ित व्यक्ति को आधिकारिक कर्तव्य पूरा करने अथवा उससे रोकने के लिए बदले की कार्रवाई में जानबूझकर की गई थी।

(14) हत्या विशेष तौर पर जघन्य, पाश्विक या क्रूर थी जो असमान्य दुष्टता व्यक्त करती थी। जैसा कि इस अनुभाग में उपयोग किया गया है, "विशेष तौर पर जघन्य, पाश्विक या क्रूर थी जो असमान्य दुष्टता व्यक्त करने वाली" वाक्यांश का मतलब अविवेकपूर्ण या दयाहीन भाव से किए गए अपराध से है जो पीड़ित व्यक्ति के लिए अनावश्यक रूप से अत्यधिक कष्टकारी था।

(15) प्रतिवादी ने पीड़ित व्यक्ति की प्रतीक्षा करते हुए उसे जानबूझकर मारा था।

(16) पीड़ित व्यक्ति की उसकी नस्ल, रंग, धर्म, राष्ट्रीयता या मूल देश की वजह से जानबूझकर हत्या की गई थी।

(17) हत्या उस समय हुई जब प्रतिवादी निम्नलिखित आपराधिक कृत्य करने, या करने की कोशिश के तत्काल बाद हुई लड़ाई लड़ने या लड़ने की कोशिश में शामिल था, या उसमें सहयोगी था:

(A) अनुभाग 211 या 212.5 के उल्लंघन में डकैती।

(B) अनुभाग 207, 209 या 209.5 के उल्लंघन में अपहरण।

(C) अनुभाग 261 के उल्लंघन में बलात्कार।

(D) अनुभाग 286 के उल्लंघन में कुकर्म।

(E) अनुभाग 288 के उल्लंघन में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर दुराचार या लंपटतापूर्ण कार्य करना।

(F) अनुभाग 288a के उल्लंघन में मुख मैथुन।

(G) अनुभाग 460 के उल्लंघन में चोरी का प्रथम या द्वितीय श्रेणी अपराध।

(H) अनुभाग 451 के उपखण्ड (b) के उल्लंघन में आगजनी।

(I) अनुभाग 219 के उल्लंघन में ट्रेन को नुकसान पहुंचाना।

(J) अनुभाग 203 के उल्लंघन में उत्पात मचाना।

(K) अनुभाग 289 के उल्लंघन में यंत्र से बलात्कार।

(L) अनुभाग 215 के उल्लंघन में कार लूटना।

(M) उपखण्ड (B) में अपहरण या उपखण्ड (H) में आगजनी की विशेष परिस्थिति सिद्ध करने के लिए, यदि इसमें हत्या करने की विशिष्ट मंशा शामिल है, केवल इसकी आवश्यकता होती है कि इन आपराधिक कृत्यों के साक्ष्य मौजूद हों। यदि ऐसा सही पाया जाता है तो ये दो विशेष परिस्थितियां साबित हो जाती हैं चाहे अपहरण या आगजनी का आपराधिक कृत्य मुख्य या एकमात्र रूप से हत्या करने के उद्देश्य से किया गया है।

(18) हत्या जानबूझकर की गई थी और इसमें यातना देना शामिल था।

(19) प्रतिवादी ने जहर देकर जानबूझकर पीड़ित व्यक्ति की हत्या की।

(20) पीड़ित व्यक्ति इस या किसी अन्य राज्य में स्थानीय, राज्य या संघीय व्यवस्था में किसी सक्षम न्यायालय में जूरी सदस्य था और हत्या पीड़ित व्यक्ति को आधिकारिक कर्तव्य पूरा करने अथवा उससे रोकने के लिए बदले की कार्रवाई में जानबूझकर की गई थी।

(21) हत्या जानबूझकर की गई थी और यह हत्या करने की मंशा से अन्य व्यक्ति या वाहन के बाहर मौजूद अन्य व्यक्ति पर जानबूझकर मोटर वाहन से आग्नेयास्त्र चलाकर की गई थी। इस पैरा के उद्देश्यों के लिए, "मोटर वाहन" का मतलब व्हीकल कोड के अनुभाग 415 के परिभाषित किसी भी वाहन से है।

(22) प्रतिवादी ने जानबूझकर पीड़ित व्यक्ति की हत्या की जब प्रतिवादी आपराधिक सड़कछाप गिरोह का सक्रिय भागीदार था, जैसा कि अनुभाग 186.22 के उपखण्ड (f) में परिभाषित किया गया है, और हत्या आपराधिक सड़कछाप गिरोह की गतिविधियों को करने के लिए की गई थी।

(b) जब तक कि उपखण्ड (a) में निर्दिष्ट विशेष परिस्थिति के लिए इसके तहत हत्या की मंशा की विशेष तौर पर आवश्यकता नहीं होती है तब तक वास्तविक हत्यारे के पास जिसके लिए अनुभाग 190.4 के तहत विशेष परिस्थिति को वास्तविक पाया जाता है, अपराध करते समय हत्या की मंशा होने की जरूरत नहीं है जो ~~मृत्युदंड या~~ पेरोल की संभावना के बगैर राज्य की जेल में उम्रकैद की सजा पाने के लिए विशेष परिस्थिति का आधार है।

(c) वास्तविक हत्यारा नहीं परंतु प्रत्येक व्यक्ति, जो हत्या की मंशा से हत्या के प्रथम श्रेणी के अपराध करने वाले व्यक्ति को सहायता पहुंचाता है, सलाह देता है, आदेश देता है, उकसाता है, प्रलोभन देता है, अनुरोध करता है या सहायक होता है, उसे ~~मृत्युदंड या~~ पेरोल की संभावना के बगैर राज्य की जेल में उम्रकैद की सजा दी जाएगी यदि उपखण्ड (a) में एक या अधिक विशेष परिस्थिति को अनुभाग 190.4 के तहत वास्तविक पाया जाता है।

(d) उपखण्ड (c) के होते हुए भी, वास्तविक हत्यारा नहीं परंतु प्रत्येक व्यक्ति जो मानवीय जीवन के प्रति अविवेकपूर्ण उदासीनता के साथ, प्रमुख भागीदार के तौर पर उपखण्ड (a) के पैरा (17) में निर्दिष्ट आपराधिक कृत्य करने के लिए उकसाता, प्रलोभन देता है, अनुरोध करता है या सहायक होता है जिसका परिणाम किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु में होता है और जिसे हत्या के प्रथम श्रेणी अपराध का दोषी पाया जाता है, को ~~मृत्युदंड या~~ पेरोल की संभावना के बगैर राज्य की जेल में उम्रकैद की सजा दी जाएगी उपखण्ड (a) के पैरा (17) में निर्दिष्ट विशेष परिस्थिति को अनुभाग 190.4 के अनुसार वास्तविक पाया जाता है।

दंड इस अनुभाग और अनुभाग ~~190.1, 190.3,~~ 190.4~~,~~ और 190.5 के प्रावधानों के अनुसार निश्चित किया जाएगा।

अनुभाग 7. दंड संहिता के अनुभाग 190.3 को निरस्त किया गया है।

~~190.3. यदि प्रतिवादी को हत्या के प्रथम श्रेणी अपराध का दोषी पाया जाता है, और विशेष परिस्थिति का आरोप लगाया जाता है और इसे वास्तविक पाया जाता है या यदि प्रतिवादी संभवत: मिलिटरी एंड वेटरन कोड के अनुभाग 1672 के उपखण्ड (a) या इस कोड के अनुभाग 37, 128, 219 या 4500 का उल्लंघन करने का दोषी पाये जाने के बाद मृत्युदंड के अधीन है, तो तथ्यों पर विचार करने वाला जज यह निश्चित करेगा कि क्या दंड मृत्युदंड या पेरोल की संभावना के बगैर राज्य जेल में उम्रकैद होगी। दंड के प्रश्न पर होने वाली कार्यवाही में लोगों व प्रतिवादी दोनों के द्वारा ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं जो वर्तमान अपराध की प्रकृति व परिस्थितियों, पूर्व मे किसी आपराधिक कृत्य में दोषी सिद्ध होने या कई कृत्यों में दोषी सिद्ध होना, चाहे उक्त दोष सिद्ध होने में हिंसा का अपराध शामिल था या नहीं, प्रतिवादी द्वारा अन्य आपराधिक कार्रवाई की मौजूदगी या अनुपस्थिति जिसमें बल या हिंसा का प्रयोग या प्रयोग करने की कोशिश शामिल थी या जिसमें बल या हिंसा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धमकी शामिल थी, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं कोई भी मामला जो भड़काने, शांत करने और सजा सुनाए जाने और प्रतिवादी के चरित्र, पृष्ठभूमि, इतिहास, मानसिक स्थिति व शारीरिक स्थिति से संबंधित हैं।~~

~~लेकिन, प्रतिवादी द्वारा अन्य आपराधिक कार्रवाई के संबंध में कोई सबूत दाखिल नहीं किया जाएगा जिसमें बल प्रयोग या बलप्रयोग की कोशिश शामिल नहीं थी या हिंसा या बल अथवा हिंसा के उपयोग की स्पष्ट या छिपी हुई धमकी शामिल नहीं थी। जैसा कि इस खंड में इस्तेमाल किया गया है, आपराधिक गतिविधि के लिए दोषसिद्धि की आवश्यकता नहीं होती है।~~

~~हालांकि, किसी भी स्थिति में पिछली आपराधिक कार्रवाई के साक्ष्य को उस अपराध के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा जिसके लिए प्रतिवादी पर अभियोग लगाया गया था और बरी किया गया था। इस साक्ष्य के उपयोग पर पाबंदी लगाने का अभिप्राय केवल इस अनुभाग के अनुसार कार्यवाही पर इसे लागू करना है और इसका अभिप्राय उन वैधानिक या निर्णय संबंधी कानून को प्रभावित करना नहीं है जो इस साक्ष्य को किसी भी अन्य कार्यवाही में उपयोग करने की अनुमति देते हैं।~~

~~अपराध या विशेष परिस्थिति के सबूत के तौर पर पेश साक्ष्य के अतिरिक्त जो प्रतिवादी को मृत्युदंड के अधीन लाते हैं, अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी साक्ष्य को क्रोधपूर्वक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है जब तक पेश किए जाने वाले साक्ष्य की सूचना समुचित अवधि के भीतर, सुनवाई से पहले प्रतिवादी को दी गई जैसा कि न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। उस साक्ष्य का खंड करते हुए सूचना के बगैर ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिन्हें प्रतिवादी द्वारा अपराध की गंभीरता कम करने के लिए प्रस्तुत किया है।~~

~~तथ्यों पर विचार करने वाले जज को निर्देश दिए जाएंगे कि पेरोल की संभावना के बगैर राज्य जेल में उम्रकैद की सजा भविष्य में सजा लागू करने के बाद, ऐसी सजा में रूपांतरित या संशोधित की जा सकती है जिसमें California राज्य के गर्वनर द्वारा पेरोल पर छोड़ने की संभावना शामिल होती है।~~

~~सजा निश्चित करते हुए, तथ्यों पर विचार करने वाला जज निम्नलिखित कारणों पर गौर करेगा यदि ये उपयोगी हैं:~~

~~(a) अपराध की परिस्थितियां जिनके लिए प्रतिवादी को वर्तमान कार्यवाही में दोषी ठहराया गया और किसी विशेष परिस्थिति की मौजूदगी जो अनुभाग 190.1 के अनुसार वास्तविक पाई जाती हैं।~~

~~(b) प्रतिवादी द्वारा की गई आपराधिक कार्रवाई की मौजूदगी या अनुपस्थिति जिसमें बल प्रयोग या बलप्रयोग की कोशिश या हिंसा या बल अथवा हिंसा के उपयोग की स्पष्ट या छिपी हुई धमकी शामिल होती है।~~

~~(c) पिछले आपराधिक कृत्य में दोषी सिद्ध होने की मौजूदगी या अनुपस्थिति।~~

~~(d) क्या अपराध उस किया गया था या नहीं जब प्रतिवादी अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक परेशानी के प्रभाव में था।~~

~~(e) क्या पीड़ित व्यक्ति प्रतिवादी के हत्या संबंधी आचरण में शामिल था या नहीं या उसने हत्या के लिए सहमति दी थी या नहीं।~~

~~(f) क्या अपराध उन परिस्थितियों में किया गया था या नहीं जिसके लिए प्रतिवादी का समुचित रूप से मानना है कि यह उसके आचरण का नैतिक औचित्य या न्यूनीकरण था।~~

~~(g) क्या प्रतिवादी ने अत्यधिक दबाव या अन्य व्यक्ति के पर्याप्त वर्चस्व के तहत कार्रवाई की या नहीं।~~

~~(h) क्या अपराध करते समय प्रतिवादी की क्षमता उसके आचरण को आपराधिक साबित करने या कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप उसका आचरण होने के लिए मानसिक रोग या गड़बड़ी, या नशीले पदार्थ के प्रभाव के फलस्वरूप कमजोर हो गई थी या नहीं।~~

~~(i) अपराध के समय प्रतिवादी की आयु।~~

~~(j) क्या प्रतिवादी अपराध में एक सहयोगी था या नहीं और अपराध करने में उसकी भागीदारी सापेक्षिक रूप से कम थी या नहीं।~~

~~(k) कोई अन्य परिस्थिति जो अपराध की गंभीरता को न्यून करती है हालांकि यह अपराध के लिए कोई कानूनी बहाना नहीं है।~~

62

~~समस्त साक्ष्यों को सुनने और प्राप्त करने के बाद, और वकीलों की दलीलें सुनने और उन पर विचार करने के बाद, तथ्यों पर विचार करने वाले जज इस अनुभाग में बताई गई मामला भड़काने व शांत करने वाली परिस्थितियों पर गौर करते हुए और उनसे मार्गदर्शन लेते हुए, यदि तथ्यों पर विचार करने वाला जज निष्कर्ष निकालता है कि मामले की गंभीरता बढ़ाने वाली स्थितियां मामले की गंभीरता कम करने वाली स्थितियों पर भारी पड़ीं तो वह मृत्यु की सजा सुनाएगा। यदि तथ्यों पर विचार करने वाला निश्चित करता है कि मामले की गंभीरता कम करने वाली स्थितियां मामले की गंभीरता बढ़ाने वाली स्थितियां पर भारी पड़ीं तो तथ्यों पर विचार करने वाला जज पेरोल की संभावना के बगैर राज्य जेल में उम्रकैद की सजा सुनाएगा।~~

अनुभाग 8. दंड संहिता में अनुभाग 190.4 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

190.4. (a) जब कभी अनुभाग 190.2 में निर्दिष्ट विशेष परिस्थितियों का आरोप लगाया जाता है और जज प्रतिवादी को हत्या के प्रथम श्रेणी अपराध का दोषी पाता है तो जज प्रत्येक आरोपित विशेष परिस्थिति की वास्तविकता पर भी विशेष निष्कर्ष निकालेगा। किसी भी या समस्त विशेष परिस्थितियों की वास्तविकता का निर्धारण जज द्वारा सुनवाई में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ~~या अनुभाग 190.1 के उपखंड (b) के अनुसार की गई सुनवाई में किया जाएगा।~~

इस बारे में समुचित संदेह होने पर कि क्या विशेष परिस्थिति वास्तविक है, प्रतिवादी वह निष्कर्ष निकाले जाने का पात्र है जो वास्तविक नहीं है। तथ्यों पर विचार करने वाला जज एक विशेष निष्कर्ष निकालेगा कि आरोप लगाए गए प्रत्येक विशेष परिस्थिति वास्तविक है या नहीं। जब कभी विशेष परिस्थिति के लिए अपराध करने या करने की कोशिश के सबूत की जरूरत होती है तो उक्त अपराध आरोपित किया जाएगा और मुकदमे व अपराध का दोष सिद्ध होने पर लागू होने वाले सामान्य कानून के अनुसार सिद्ध किया जाएगा।

यदि जूरी के बगैर संचालित न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को दोषी सिद्ध किया जाता है, तो तथ्यों पर विचार करने वाला जज जूरी होगा जब तक कि प्रतिवादी और लोगों द्वारा जूरी का अधित्याग नहीं किया जाता है जिस स्थिति में जज न्यायालय होगा। यदि प्रतिवादी दोषी ठहराने की दलील द्वारा दोषी सिद्ध हुआ था तो तथ्यों पर विचार करने वाला जज जूरी होगा जब तक कि प्रतिवादी और लोगों द्वारा जूरी का अधित्याग नहीं किया जाता है।

यदि जज पाता है कि अनुभाग 190.2 में निर्दिष्ट एक या अधिक विशेष परिस्थितियां आरोपों के अनुसार वास्तविक हैं, तो ~~पृथक सजा के लिए सुनवाई होगी~~ *प्रतिवादी को पेरोल की संभावना के बगैर राज्य जेल में उम्रकैद का दंड दिया जाएगा,* ~~और जब न तो निष्कर्ष है कि आरोपित बची हुई कोई भी विशेष परिस्थिति वास्तविक नहीं है और न ही जज जूरी है, तो वास्तविकता या अवास्तविकता के मामले पर सहमत होने की जूरी की अक्षमता की वजह से पृथक सजा सुनाए जाने की सुनवाई रुक जाएगी।~~

~~किसी भी मामले में प्रतिवादी को जूरी द्वारा दोषी पाया जाता है और जूरी सर्वसम्मत फैसले पर पहुंचने में विफल रहती है कि आरोपित एक या अधिक विशेष परिस्थितियां वास्तविक हैं, और इस सर्वसम्मत फैसले पर नहीं पहुंचती हैं कि आरोपित सभी विशेष परिस्थितियां वास्तविक नहीं हैं तो न्यायालय जूरी को भंग कर देगा और मामलों पर विचार करने के लिए एक नई जूरी बनाने का आदेश देगा, लेकिन न तो दोषी ठहराए जाने के मामले पर उक्त जूरी द्वारा विचार किया जाएगा और न ही उक्त जूरी ऐसी किसी भी विशेष परिस्थिति की वास्तविकता के मामले पर पुन: विचार करेगी जिसे पिछली जूरी द्वारा सर्वसम्मत फैसले से अवास्तविक पाया गया था। यदि नई जूरी सर्वसम्मत फैसले पर पहुंचने में विफल रहती है कि एक या अधिक विशेष परिस्थितियां जिन पर वह विचार कर रही है वास्तविक हैं, तो न्यायालय जूरी को भंग कर देगा और न्यायालय अपने स्वविवेक से या तो मामले पर विचार करने के लिए नई जूरी बनाने का आदेश देगा जिन पर पिछली जूरी सर्वसम्मत फैसले से पहुंचने में विफल रही थी या राज्य जेल में 25 वर्ष की कैद की सजा सुनाएगा।~~

~~(b) यदि जूरी के बगैर संचालित न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को दोषी सिद्ध किया जाता है, तो तथ्यों पर विचार करने वाला जज जूरी होगा जब तक कि प्रतिवादी और लोगों द्वारा जूरी का अधित्याग नहीं किया जाता है जिस स्थिति में जज न्यायालय होगा। यदि प्रतिवादी दोषी ठहराने की दलील द्वारा दोषी सिद्ध हुआ था तो तथ्यों पर विचार करने वाला जज जूरी होगा जब तक कि प्रतिवादी और लोगों द्वारा जूरी का अधित्याग नहीं किया जाता है।~~

~~यदि तथ्यों पर विचार करने वाला जज जूरी है और वह इस बारे में सर्वसम्मत फैसले पर नहीं पहुंच पाता है कि सजा क्या होगी, तो न्यायालय जूरी को भंग कर देगा और मामले पर विचार करने के लिए एक नई जूरी बनाने का आदेश देगा कि सजा क्या होगी। यदि यह नई जूरी सर्वसम्मत फैसले पर पहुंचने में विफल रहती है कि सजा क्या होगी तो न्यायालय अपने स्वविवेक से या तो नई जूरी बनाने का आदेश देगा या पेरोल की संभावना के बगैर राज्य जेल में उम्रकैद की सजा सुनाएगा।~~

~~(c)~~ *(b)* यदि जज जो प्रतिवादी को उस अपराध के लिए दोषी सिद्ध करता है जिसके लिए उसे *पेरोल की संभावना के बगैर राज्य जेल में उम्रकैद* ~~मृत्युदंड~~ दी जा सकती है जूरी था, तो यही जूरी अनुभाग 1026 के तहत विक्षिप्तता के कारण दोषी नहीं होने की किसी भी दलील, *और* विशेष परिस्थिति की वास्तविकता जिसका आरोप लगाया जा सकता है ~~और दी जाने वाली सजा~~ पर विचार करेगी जब तक कि न्यायालय को दिखाए गए किसी उचित कारण की वजह से न्यायालय उस जूरी को सेवामुक्त कर देता है जिस स्थिति में नई जूरी बनाई जाएगी। न्यायालय रिकॉर्ड में उचित कारण के निष्कर्ष के समर्थन में तथ्यों का उल्लेख करेगा और उन्हें कार्य विवरण में दर्ज कराएगा।

~~(d) कोई भी मामला जिसमें प्रतिवादी को मृत्युदंड दिया जा सकता है, अनुभाग 1026 के तहत विक्षिप्तता के कारण दोषी नहीं होने की किसी भी दलील के तहत होने वाली कार्यवाही सहित सुनवाई के पिछले चरण में पेश किए गए साक्ष्य पर सुनवाई के बाद के चरण में विचार किया जाएगा यदि पिछले चरण का जज बाद वाले चरण का भी जज है।~~

~~(e) ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें जज ने मृत्युदंड देने वाले फैसले या निष्कर्ष को वापिस कर दिया है, अनुभाग 11 के उपखंड 7 के अनुसार उक्त फैसले या निष्कर्ष के संशोधन के लिए प्रतिवादी द्वारा आवेदन करना माना जाएगा। आवेदन पर निर्णय करते हुए, जज साक्ष्य की समीक्षा करेगा, उस पर विचार, गौर करेगा और अनुभाग 190.3 में दी गई मामले की गंभीरता बढ़ाने वाली और कम करने वाली स्थितियों से मार्गदर्शन लेगा और यह निर्धारित करेगा कि क्या जूरी का निष्कर्ष और फैसला कि मामले की गंभीरता बढ़ाने वाली स्थितियां मामले की गंभीरता कम करने वाली स्थितियों पर भारी पड़ीं, कानून या प्रस्तुत साक्ष्य के विपरीत हैं। जज अपने निषकर्षों के कारणों को रिकॉर्ड में दर्ज करेगा।~~

~~जज आवेदन पर अपने निर्णय के कारण निर्धारित करेगा और निर्देश देगा कि उन्हें क्लर्क के कार्य विवरण में दर्ज किया जा सकता है। अनुभाग 1181 के उपखण्ड (7) के अनुसार मृत्युदंड के फैसले में संशोधन को अस्वीकार करने पर अनुभाग 1239 के उपखण्ड (b) के अनुसार प्रतिवादी की स्वत: अपील पर समीक्षा की जाएगी। आवेदन करने की अनुमति देने की समीक्षा पैरा (6) के अनुसार लोगों की अपील पर की जाएगी।~~

अनुभाग 9. दंड संहिता में अनुभाग 2085.5 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

2085.5. (a) *(1)* ऐसे किसी भी मामले में जिसमें एक कैदी पर 29 सितंबर, 1994 से पहले प्रचलन में सरकारी संहिता के अनुभाग 13967 के उपखंड (a), कल्याण एवं संस्था संहिता के अनुभाग 730.6 के उपखंड (b) या अनुभाग 1202.4 के उपखंड (b) के अनुसरण में लगाया गया प्रत्यानयन जुर्माना बकाया है, सचिव, सुधार एवं पुनर्वास विभाग न्यूनतम 20 प्रतिशत या जुर्माना राशि का बकाया शेष, जो भी कम हो काटेगा, जिसकी अधिकतम सीमा किसी कैदी की मजदूरी और ट्रस्ट खाता जमाओं से अधिकतम 50 प्रतिशत तक हो सकती है, जब तक संघीय कानून द्वारा ऐसा करना निषिद्ध न हो, और उस राशि को राज्य कोषागार में प्रत्यानयन निधि में जमा करने के लिए California पीड़ित मुआवजा बोर्ड को स्थानांतरित करेगा। काटी गई राशि को जुर्माने की बकाया राशि में क्रेडिट किया जाएगा। दंडादेश देने वाले न्यायालय को भुगतान के रिकॉर्ड उपलब्ध करवाए जाएँगे।

62

(2) ऐसे किसी भी मामले में जिसमें कोई कैदी, जिसे इस संहिता की प्रभावी तारीख को या उसके बाद परोल की संभावना के बिना उम्र कैद की सजा दी जाती है, या दोबारा सजा दी जाती है, और जिस पर 29 सितंबर, 1994 से पहले प्रचलन में सरकारी संहिता के अनुभाग 13967 के उपखंड (a), कल्याण एवं संस्था संहिता के अनुभाग 730.6 के उपखंड (b) या अनुभाग 1202.4 के उपखंड (b) के अनुसरण में लगाया गया प्रत्यानयन जुर्माना बकाया है, सचिव, सुधार एवं पुनर्वास विभाग न्यूनतम 20 प्रतिशत या जुर्माना राशि का बकाया शेष, जो भी कम हो काटेगा, जिसकी अधिकतम सीमा किसी कैदी की मजदूरी और ट्रस्ट खाता जमाओं से अधिकतम 60 प्रतिशत और कैदी की मजदूरी और ट्रस्ट खाता जमाओं से अधिकतम 50 प्रतिशत तक हो सकती है, जब तक संघीय कानून द्वारा ऐसा करना निषिद्ध न हो, और उस राशि को राज्य कोषागार में प्रत्यानयन निधि में जमा करने के लिए California पीड़ित मुआवजा बोर्ड को स्थानांतरित करेगा। काटी गई राशि को जुर्माने की बकाया राशि में क्रेडिट किया जाएगा। दंडादेश देने वाले न्यायालय को भुगतान के रिकॉर्ड उपलब्ध करवाए जाएँगे।

(b) (1) जब किसी कैदी को अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसार काउंटी जेल में कैद सजा दी जाती है, ऐसे किसी भी मामले में जिसमें एक कैदी पर 29 सितंबर, 1994 से पहले प्रचलन में सरकारी संहिता के अनुभाग 13967 के उपखंड (a), कल्याण एवं संस्था संहिता के अनुभाग 730.6 के उपखंड (b) या अनुभाग 1202.4 के उपखंड (b) के अनुसरण में लगाया गया प्रत्यानयन जुर्माना बकाया है, तो उस काउंटी में जहां कैदी को जेल में रखा जाता है, पर्यवेक्षकों के बोर्ड द्वारा नामित एजेंसी को न्यूनतम 20 प्रतिशत या जुर्माना राशि का बकाया शेष, जो भी कम हो काटेगा, जिसकी अधिकतम सीमा किसी कैदी की मजदूरी और ट्रस्ट खाता जमाओं से काउंटी जेल की बराबर की राशि से अधिकतम 50 प्रतिशत तक हो सकती है, जब तक संघीय कानून द्वारा ऐसा करना निषिद्ध न हो, और उस राशि को राज्य कोषागार में प्रत्यानयन निधि में जमा करने के लिए California पीड़ित मुआवजा बोर्ड को स्थानांतरित करेगा। काटी गई राशि को जुर्माने की बकाया राशि में क्रेडिट किया जाएगा। दंडादेश देने वाले न्यायालय को भुगतान के रिकॉर्ड उपलब्ध करवाए जाएँगे।

(2) यदि पर्यवेक्षकों का मंडल काउंटी शेरिफ़ को संग्रहण एजेंसी के रूप में नामित करता है, तो पर्यवेक्षक मंडल को काउंटी शेरिफ़ की सहमति लेनी होगी।

(c) *(1)* ऐसे किसी भी मामले में जिसमें एक कैदी पर 29 सितंबर, 1994 से पहले प्रचलन में सरकारी संहिता के अनुभाग 13967 के उपखंड (c), कल्याण एवं संस्था संहिता के अनुभाग 730.6 के उपखंड (h) या अनुभाग 1202.4 के उपखंड (f) के अनुसरण में लगाया गया प्रत्यानयन आदेश बकाया है, सचिव, सुधार एवं पुनर्वास विभाग न्यूनतम 20 प्रतिशत या आदेश की राशि का बकाया शेष, जो भी कम हो काटेगा, जिसकी अधिकतम सीमा किसी कैदी की मजदूरी और ट्रस्ट खाता जमाओं से अधिकतम 50 प्रतिशत तक हो सकती है, जब तक संघीय कानून द्वारा ऐसा करना निषिद्ध न हो। पीड़ित को प्रत्यक्ष भुगतान के लिए सचिव उस राशि को California पीड़ित मुआवजा बोर्ड को स्थानांतरित कर देगा या भुगतान उस सीमा तक प्रत्यानयन निधि को किया जाएगा जितनी पीड़ित ने उस कार्यक्रम के अधीन सहायता प्राप्त की है। पीड़ित को किए गए भुगतानों और इस उपखंड के अधीन प्रत्यानयन निधि में जमा किए गए भुगतानों का एक रिकॉर्ड दंडादेश देने वाले न्यायालय को उपलब्ध करवाया जाएगा।

(2) ऐसे किसी भी मामले में जिसमें कोई कैदी, जिसे इस संहिता की प्रभावी तारीख को या उसके बाद परोल की संभावना के बिना उम्र कैद की सजा दी जाती है, या दोबारा सजा दी जाती है, और जिस पर 29 सितंबर, 1994 से पहले प्रचलन में सरकारी संहिता के अनुभाग 13967 के उपखंड (c), कल्याण एवं संस्था संहिता के अनुभाग 730.6 के उपखंड (h) या अनुभाग 1202.4 के उपखंड (f) के अनुसरण में लगाया गया प्रत्यानयन जुर्माना बकाया है, सचिव, सुधार एवं पुनर्वास विभाग न्यूनतम 20 प्रतिशत या आदेश राशि का बकाया शेष, जो भी कम हो काटेगा, जिसकी अधिकतम सीमा किसी कैदी की मजदूरी और ट्रस्ट खाता जमाओं से अधिकतम 60 प्रतिशत और कैदी की मजदूरी और ट्रस्ट खाता जमाओं से अधिकतम 50 प्रतिशत तक हो सकती है, जब तक संघीय कानून द्वारा ऐसा करना निषिद्ध न हो। पीड़ित को प्रत्यक्ष भुगतान के लिए सचिव उस राशि को California पीड़ित मुआवजा बोर्ड को स्थानांतरित कर देगा या भुगतान उस सीमा तक प्रत्यानयन निधि को किया जाएगा जितनी पीड़ित ने उस कार्यक्रम के अधीन सहायता प्राप्त की है। पीड़ित को किए गए भुगतानों और इस उपखंड के अधीन प्रत्यानयन निधि में जमा किए गए भुगतानों का एक रिकॉर्ड दंडादेश देने वाले न्यायालय को उपलब्ध करवाया जाएगा।

(d) जब किसी कैदी को अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसार काउंटी जेल में कैद सजा दी जाती है, ऐसे किसी भी मामले में जिसमें एक कैदी पर 29 सितंबर, 1994 से पहले प्रचलन में सरकारी संहिता के अनुभाग 13967 के उपखंड (c), कल्याण एवं संस्था संहिता के अनुभाग 730.6 के उपखंड (h) या अनुभाग 1202.4 के उपखंड (b) के अनुसरण में लगाया गया प्रत्यानयन आदेश बकाया है, तो उस काउंटी में जहां कैदी को जेल में रखा जाता है, पर्यवेक्षकों के बोर्ड द्वारा नामित एजेंसी को न्यूनतम 20 प्रतिशत या आदेश राशि का बकाया शेष, जो भी कम हो काटेगा, जिसकी अधिकतम सीमा किसी कैदी की मजदूरी और ट्रस्ट खाता जमाओं से काउंटी जेल की बराबर की राशि से अधिकतम 50 प्रतिशत तक हो सकती है, जब तक संघीय कानून द्वारा ऐसा करना निषिद्ध न हो। पीड़ित को प्रत्यक्ष भुगतान के लिए एजेंसी उस राशि को California पीड़ित मुआवजा बोर्ड को स्थानांतरित कर देगा या भुगतान उस सीमा तक प्रत्यानयन निधि को किया जाएगा जितनी पीड़ित ने उस कार्यक्रम के अधीन सहायता प्राप्त की है, या पीड़ित को सीधा भुगतान कर सकता है। पीड़ित को किए गए भुगतानों और इस उपखंड के अधीन प्रत्यानयन निधि में जमा किए गए भुगतानों का एक रिकॉर्ड दंडादेश देने वाले न्यायालय को उपलब्ध करवाया जाएगा।

(e) जब तक कि संघीय कानून द्वारा निषिद्ध न हो, सचिव कैदी के मजदूरी एवं ट्रस्ट खाता जमाओं से एक प्रशासनिक शुल्क की कटौती करेगा और रखेगा, जिसकी कुल राशि उपखंड (a) या (c) के अनुसरण में California पीड़ित मुआवजा बोर्ड को स्थानांतरित किसी भी राशि का 10 प्रतिशत होगी। किसी भी कैदी निपटारे या अभियोजन अवार्ड से सचिव एक प्रशासनिक शुल्क की कटौती करेगा और रखेगा जिसका कुल योग उपखंड (n) के अनुसरण में बकाया प्रत्यानयन आदेश या जुर्माने या अवार्ड से भुगतान की गई किसी भी राशि का 5 प्रतिशत होता है, जब तक संघीय कानून द्वारा निषिद्ध न हो। सचिव प्रशासनिक शुल्क की राशि को एक विशेष जमा खाते में जमा करता है ताकि सुधार एवं पुनर्वास विभाग के प्रत्यानयन कार्यक्रम के प्रशासनिक और सहायता खर्च का पुनर्भरण किया जा सके। अपने विवेक से, सचिव किसी भी अतिरिक्त धन को भविष्य में विभाग के प्रत्यानयन कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक और सहायता खर्चों के पुनर्भरण के लिए विशेष जमा खाते में रख सकता है या पूरी अतिरिक्त राशि या उसके किसी भाग को प्रत्यानयन निधि में जमा करने के लिए स्थानांतरित कर सकता है।

(f) जब किसी कैदी को अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसरण में, किसी काउंटी जेल में कारावास की सजा दी गई है, तो जिस काउंटी में कैदी को कैद किया गया है उसके लिए पर्यवेक्षक मंडल द्वारा नामित एजेंसी, जब तक संघीय कानून द्वारा निषिद्ध न हो, कैदी की मजदूरी और ट्रस्ट खाता जमा से काउंटी जेल की बराबर की राशि का प्रशासनिक शुल्क काट सकता है और रख सकता है, जिसका कुल योग उपखंड (b) या (d) के अनुसरण में California पीड़ित मुआवजा बोर्ड को स्थानांतरित की गई किसी भी राशि का 10 प्रतिशत होता है। किसी कैदी निपटारे या अभियोजन अवार्ड से एजेंसी को एक प्रशासनिक शुल्क की कटौती करने और रखने का अधिकार होगा, जिसका कुल योग उपखंड (n) के अनुसरण में किसी बकाया प्रत्यानयन आदेश या जुर्माने या अवार्ड से भुगतान की गई राशि का 5 प्रतिशत होता है, जब तक संघीय कानून द्वारा निषिद्ध न हो। हिरासत से रिहा होने पर अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसरण में, तो संग्रहण के वास्तविक प्रशासनिक खर्च, जो कुल संग्रहीत राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता, को शामिल करने के लिए एक शुल्क वसूल करने के लिए प्राधिकृत है। एजेंसी प्रशासनिक शुल्क की राशि को एक विशेष जमा खाते में जमा करती है ताकि एजेंसी के प्रत्यानयन कार्यक्रम के प्रशासनिक और सहायता खर्च का पुनर्भरण किया जा सके। एजेंसी को किसी भी अतिरिक्त धन को भविष्य में एजेंसी के प्रत्यानयन कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक और सहायता खर्चों के पुनर्भरण के लिए विशेष जमा खाते में रख सकता है या पूरी अतिरिक्त राशि या उसके

किसी भाग को प्रत्यानयन निधि में जमा करने के लिए स्थानांतरित कर सकता है।

(g) किसी भी ऐसे मामले में जिसमें पैरोल पर रिहा कैदी पर, 29 सितंबर 1994 से पूर्व लागू सरकारी संहिता के अनुभाग 13967 के उपखंड (a), के अनुसरण में लगाए गए प्रत्यानयन जुर्माने की राशि बकाया है कल्याण एवं संस्था संहिता के अनुभाग 730.6 के उपखंड (b) या अनुभाग 1202.4 के उपखंड (b) के अनुसरण में लगाए गए प्रत्यानयन जुर्माने की राशि बकाया है, तो सचिव, अथवा, किसी कैदी को अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसरण में काउंटी जेल में कारावास की सजा दी गई है, तो जिस काउंटी ने कैदी को कैद रखा गया है, उस काउंटी में पर्यवेक्षक मंडल द्वारा नामित एजेंसी पैरोल पर रिहा हुए कैदी से या, अनुभाग 2085.6 के अनुसरण में, जब तक संघीय कानून द्वारा निषिद्ध न हो, काउंटी जेल में पूर्व में कैद की सजा पाए किसी कैदी से प्रत्यानयन जुर्माने की बकाया किसी भी राशि का संग्रहण कर सकता है। सचिव या एजेंसी उस राशि को राज्य के कोषागार में जमा करने के लिए California पीड़ित मुआवजा बोर्ड को स्थानांतरित कर सकती है। काटी गई राशि को जुर्माने की बकाया राशि में क्रेडिट किया जाएगा। दंडादेश देने वाले न्यायालय को भुगतान के रिकॉर्ड उपलब्ध करवाए जाएँगे।

(h) किसी भी ऐसे मामले में जिसमें पैरोल पर रिहा कैदी पर, 29 सितंबर 1994 से पूर्व लागू सरकारी संहिता के अनुभाग 13967 के उपखंड (c), के अनुसरण में लगाए गए प्रत्यानयन के सीधे आदेश की राशि बकाया है कल्याण एवं संस्था संहिता के अनुभाग 730.6 के उपखंड (h), या अनुभाग 1202.4 के उपखंड (a) पैरा (3) के अनुसरण में लगाए गए प्रत्यानयन जुर्माने की राशि बकाया है, तो सचिव, अथवा, किसी कैदी को अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसरण में काउंटी जेल में कारावास की सजा दी गई है, तो जिस काउंटी ने कैदी को कैद में रखा गया है उस काउंटी में पर्यवेक्षक मंडल द्वारा नामित एजेंसी या स्थानीय संग्रहण कार्यक्रम, पैरोल पर रिहा हुए कैदी से या, अनुभाग 2085.6 के अनुसरण में, जब तक संघीय कानून द्वारा निषिद्ध न हो, काउंटी जेल में पूर्व में कैद की सजा पाए किसी कैदी से बकाया पैसे का संग्रहण कर सकता है। पीड़ित को प्रत्यक्ष भुगतान के लिए सचिव या एजेंसी उस राशि को California पीड़ित मुआवजा बोर्ड को स्थानांतरित कर देगा या भुगतान उस सीमा तक प्रत्यानयन निधि को किया जाएगा जितनी पीड़ित ने उस कार्यक्रम के अधीन सहायता प्राप्त की है, या एजेंसी पीड़ित को सीधा भुगतान कर सकती है। अपराधी द्वारा इस उपखंड के अनुसरण में किए गए भुगतानों का एक रिकॉर्ड दंडादेश देने वाले न्यायालय को उपलब्ध करवाया जाएगा।

(i) सचिव, या जब किसी कैदी को अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसरण में, किसी काउंटी जेल में कारावास की सजा दी गई है, तो जिस काउंटी में कैदी को कैद किया गया है उसके लिए पर्यवेक्षक मंडल द्वारा नामित एजेंसी, पैरोल पर रिहा या पहले काउंटी जेल में रखे गए व्यक्ति से एकत्रित किए गए पैसे से एक प्रशासनिक शुल्क काट सकती है और रख सकती है, जिसका कुल योग उपखंड (g) या (h) के अनुसरण में California पीड़ित मुआवजा बोर्ड को स्थानांतरित की गई किसी भी राशि का 10 प्रतिशत होता है, जब तक संघीय कानून द्वारा निषिद्ध न हो। सचिव किसी पैरोल पर रिहा कैदी के किसी भी निपटारे या अभियोजन अवार्ड से एक प्रशासनिक शुल्क की कटौती करेगा और रखेगा जिसका कुल योग उपखंड (n) के अनुसरण में बकाया प्रत्यानयन आदेश या जुर्माने या अवार्ड से भुगतान की गई किसी राशि का 5 प्रतिशत होता है, जब तक संघीय कानून द्वारा निषिद्ध न हो। एजेंसी को पहले काउंटी जेल में सजा दिए गए किसी व्यक्ति के किसी भी निपटारे या अभियोजन अवार्ड से एक प्रशासनिक शुल्क की कटौती और रखने करने का अधिकार है \ जिसका कुल योग उपखंड (n) के अनुसरण में बकाया प्रत्यानयन आदेश या जुर्माने या अवार्ड से भुगतान की गई किसी राशि का 5 प्रतिशत होता है। सचिव या एजेंसी प्रशासनिक शुल्क की राशि को एक विशेष जमा खाते में जमा करता है ताकि सुधार एवं पुनर्वास विभाग या एजेंसी, जैसा लागू होता हो, के प्रत्यानयन कार्यक्रम के प्रशासनिक और सहायता खर्च का पुनर्भरण किया जा सके। अपने विवेक से, सचिव, या एजेंसी किसी भी अतिरिक्त धन को भविष्य में विभाग या एजेंसी के प्रत्यानयन कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक और सहायता खर्चों के पुनर्भरण के लिए विशेष जमा खाते में रख सकता है या पूरी अतिरिक्त राशि या उसके किसी भाग को प्रत्यानयन निधि में जमा करने के लिए स्थानांतरित कर सकते हैं।

(j) जब किसी कैदी के किसी प्रत्यानयन जुर्माने और दंडादेश देने वाले न्यायालय से किसी प्रत्यानयन आदेश, दोनों हैं, तो उपखंड (c) के अनुसरण में सुधार और पुनर्वास विभाग द्वारा पहले प्रत्यानयन आदेश का संग्रह किया जाएगा।

(k) किसी कैदी को अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसरण में काउंटी जेल में कारावास की सजा दी गई है और कैदी के प्रत्यानयन जुर्माने और दंडादेश देने वाले न्यायालय से किसी प्रत्यानयन आदेश दोनों हैं, यदि जिस काउंटी में कैदी को कैद रखा गया है उसमें पर्यवेक्षक मंडल द्वारा नामित एजेंसी जुर्माने और आदेश का संग्रहण करती है, तो एजेंसी उपखंड (d) के अनुसरण में पहले प्रत्यानयन आदेश का संग्रहण करेगी।

(*l*) जब पैरोल पर रिहा हुए किसी कैदी के प्रत्यानयन जुर्माने और दंडादेश देने वाले न्यायालय से किसी प्रत्यानयन आदेश दोनों हैं, तो सुधार एवं पुनर्वास विभाग, या जब कैदी को the अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसरण में किसी काउंटी जेल में कारावास की सजा दी गई है, तो जिस काउंटी में कैदी को कैद रखा गया है उसमें पर्यवेक्षक मंडल द्वारा नामित एजेंसी, उपखंड (h) के अनुसरण में पहले प्रत्यानयन आदेश को संग्रहीत कर सकती है।

(m) यदि किसी कैदी को एक ऐसी संस्था में रखा गया है जहाँ गैर-पर्यवेक्षित रात्रि मुलाकातों के लिए संस्था के कैंटीन से भोजन खरीदना होता है और यदि इस भोजन की खरीद के लिए धनराशि कैदी की मजदूरी के अलावा किसी अन्य निधि से प्राप्त होती है, तो उस धनराशि को प्रत्यानयन कटौती से छूट प्राप्त होगी। यह छूट मुलाकात के लिए भोजन पर खर्च की गई वास्तविक राशि पर लागू होगी जो अधिकतम पचास डॉलर ($50) प्रति मुलाकात होगी जिसमें कैदी और मुलाकाती शामिल हैं, सत्तर डॉलर ($70) उन मुलाकातों के लिए जिनमें कैदी और दो या तीन मुलाकाती शामिल हैं और अस्सी डॉलर ($80) उन मुलाकातों के लिए जिनमें कैदी और चार या अधिक मुलाकाती शामिल हैं।

(n) अनुभाग 3451 के अनुसरण में अभियोजन या निपटारे द्वारा किसी कैदी, पैरोल पर रिहा कैदी, रिहाई के बाद सामुदायिक पर्यवेक्षण में रखे गए व्यक्ति, या अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के पैरा (5) के उपपैरा (B) के अनुसरण में लागू की गई अनिवार्य निगरानी में बचावकर्ता को किसी संघीय, राज्य, या स्थानीय जेल, कारागार, या सुधारात्मक सुविधा, या किसी अधिकारी या उसके एजेंट के विरुद्ध दायर किए गए किसी दीवानी मुकदमे में दी गई क्षतिपूर्ति या दंडात्मक क्षतिपूर्ति का भुगतान, वकील की उचित फीस और न्यायालय द्वारा अनुमोदित वाद खर्च का भुगतान करने के बाद, उस व्यक्ति के विरुद्ध बकाया प्रत्यानयन आदेशों या प्रत्यानयन जुर्मानों की पूर्ति के लिए सीधे भुगतान किया जाएगा। उपखंडों (e) और (i) के अंतर्गत अवार्ड के शेष को सभी बकाया प्रत्यानयन आदेशों और प्रत्यानयन जुर्मानों के पूर्ण भुगतान के बाद प्राप्तकर्ता को अग्रेषित किया जाएगा। सुधार एवं पुनर्वास विभाग किसी क्षतिपूर्ति या दंडात्मक क्षतिपूर्ति के बकाया भुगतान के संबंध में जिस व्यक्ति को सजा मिली है उसके लिए अपराध के पीड़ितों को सूचित करने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करेगा। अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसरण में किसी काउंटी जेल में कारावास से दंडित किसी कैदी के लिए, प्राधिकृत एजेंसी पीड़ित को जिस अपराध में उसे सजा हुई है, किसी क्षतिपूर्ति या दंडात्मक क्षतिपूर्ति के बकाया भुगतान से संबंधित उस अपराध की सूचना देने के लिए सभी उपयुक्त प्रयास करेगी।

(o) (1) प्रत्यानयन के प्रत्यक्ष आदेशों के भुगतान के लिए California पीड़ित मुआवजा बोर्ड को स्थानांतरित की गई राशि का California पीड़ित मुआवजा बोर्ड द्वारा प्रत्यानयन आय प्राप्त होने की तारीख से 60 दिन के भीतर पीड़ित को भुगतान किया जाएगा। यदि किसी पीड़ित को प्रत्यानयन भुगतान पच्चीस डॉलर ($25) से कम है तो भुगतान को पीड़ित को अग्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि भुगतान पच्चीस डॉलर ($25) न पहुँच जाए या जब पीड़ित कम राशि के भुगतान का अनुरोध न करे।

(2) यदि किसी पीड़ित का पता नहीं लगाया जा सकता है, तो California पीड़ित मुआवजा बोर्ड द्वारा पीड़ित की ओर से प्राप्त की गई प्रत्यानयन आय को प्रत्यानयन निधि में जिस वित्त वर्ष में राशि जमा की गई थी उसके बाद वाले

वित्त वर्ष के अंत तक या उस समय तक जब पीड़ित पते की वर्तमान जानकारी प्रदान करता है, जो जल्दी हो, तब तक विश्वास में रखा जाएगा। समय की निर्दिष्ट अवधी के अंत में ट्रस्ट में शेष रहने वाली राशि वापस प्रत्यानयन निधि में चली जाएगी।

(3) (A) पैरा (2) में निर्दिष्ट समय की अवधि के भीतर वर्तमान पता प्रदान करने में विफल रहने वाला कोई पीड़ित सुधार एवं पुनर्वास विभाग को दस्तावेज प्रदान कर सकता है, जो स्त्यापित करेगा कि पीड़ित की ओर से धन राशि संग्रहीत की गई थी। सुधार एवं पुनर्वास विभाग से सत्यापित जानकारी प्राप्त होने पर, California पीड़ित मुआवजा बोर्ड उपखंड (c) या (h) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्यानयन राशि को पीड़ित को भेज देगा।

(B) पैरा (2) में निर्दिष्ट समय की अवधि के भीतर वर्तमान पता प्रदान करने में विफल रहने वाला कोई पीड़ित अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसरण में जिस काउंटी जेल में कैदी को कारावास की सजा दी गई है उस काउंटी में पर्यवेक्षक मंडल द्वारा नामित एजेंसी को दस्तावेज प्रदान कर सकता है, जो सत्यापित कर सकती है कि धनराशि पीड़ित की ओर से एकत्रित की गई थी। एजेंसी से सत्यापित जानकारी प्राप्त होने पर, California पीड़ित मुआवजा बोर्ड उपखंड (d) या (h) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्यानयन राशि को पीड़ित को भेज देगा।

अनुभाग 10. अधिनियम को पूर्व प्रभाव से लागू करना।

(a) अनुभाग 3 के प्रावधानों के अनुसार इस अधिनियम के उद्देश्य हासिल करने के लिए और सजा सुनाने में निष्पक्षता, समानता व एकरूपता हासिल करने के लिए, इस अधिनियम को पूर्वप्रभावी किया जाएगा।

(b) ऐसे किसी भी मामले में जिसमें प्रतिवादी या कैदी को इस अधिनियम की प्रभावी तिथि से पहले मृत्युदंड सुनाया गया था, इस अधिनियम के नियम व शर्तों के अनुसार यह सजा स्वत: ही पेरोल की संभावना के बगैर राज्य जेल में उम्रकैद की सजा में बदल जाएगी। California राज्य इस अधिनियम की प्रभावी तिथि के बाद मौत की कोई सजा नहीं देगा।

(c) इस अधिनियम की प्रभावी तिथि के बाद, सुप्रीम कोर्ट अपने समक्ष लंबित पड़ी मृत्युदंड की समस्त अपीलों व बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को, सुप्रीम कोर्ट के स्वविवेक से अपील न्यायालय के किसी भी जिले या उच्चतर न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है।

अनुभाग 11. प्रभावी तारीख।

यह अधिनियम California संविधान के अनुच्छेद II के अनुभाग 10 के उपखंड (a) के अनुसार उस चुनाव के अगले दिन प्रभावी हो जाएगा, जिसमें इसे अनुमोदित किया गया था।

अनुभाग 12. पृथक्करणीयता।

इस अधिनियम के प्रावधान पृथक्करणीय हैं। यदि इस अधिनियम का कोई भी प्रावधान या इनका अनुप्रयोग अनुभाग 10 सहित परंतु इसी तक सीमित नहीं के अनुसार अमान्य माना जाता है तो यह अमान्यता अन्य प्रावधानों या अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करेगी जिन्हें अमान्य प्रावधान या अनुप्रयोग के बगैर प्रभावी बनाया जा सकता है।

प्रस्ताव 63

यह पहल सम्बंधी विधेयक California संविधान के अनुच्छेद II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुपालन में लोगों को पेश किया जाता है।

यह पहल विधेयक दंड संहिता के अनुभागों को संशोधित करता है, निरस्त करता है अनुभाग जोड़ता है; इसलिए मिटाने के लिए प्रस्तावित वर्तमान प्रावधानों को ~~काटे हुए अक्षरों~~ में प्रकाशित किया गया है और जोड़ने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *इटैलिक टाईप* में प्रकाशित किया गया है ताकि यह पता चले कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

सभी के लिए सुरक्षा अधिनियम 2016

अनुभाग 1. शीर्षक।

इस प्रयास को "सभी के लिए सुरक्षा अधिनियम 2016" के तौर पर जाना जाएगा एवं उल्लेखित किया जा सकता है।

अनुभाग 2. निष्कर्ष और घोषणाएँ।

California राज्य के लोग यह पाते हैं और घोषित करते हैं:

1. बंदूक की हिंसा लोगों की जिंदगियों, परिवारों और समुदायों का विनाश कर देती है। वर्ष 2002 से 2013 तक, California ने बंदूक की हिंसा के कारण 38,576 लोगों को खोया। यह आंकड़ा इराक तथा अफगानिस्तान युद्धों के दौरान मारी गई अमेरिकी फौज की संख्या से सात गुना अधिक है। इसी अवधि के दौरान, California में बंदूक की गोलियों से 2,258 बच्चे बारे गए। Sandy Hook प्राथमिक स्कूल हत्याकांड में मारे गए बच्चों की जितनी संख्या है, इस राज्य में उतनी ही संख्या में बच्चे हर 39 दिनों में बंदूक की गोलियों से मारे जाते हैं।

2. वर्ष 2013 में, 2,900 California वासियों को मौत के घाट उतारने के लिए बंदूकों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें 251 बच्चे तथा किशोर थे। उस वर्ष, कम से कम 6,035 अन्य लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए या गैर-जानलेवा बंदूक के हमले के लिए आपातकाल कक्षों में उपचार कराए गए, जिनमें 1,275 बच्चे तथा किशोर शामिल थे।

3. बंदूकों का इस्तेमाल प्रायः अपराधियों द्वारा किया जाता है। California के न्याय विभाग के अनुसार, वर्ष 2014 में California में अग्नेयास्त्रों से 1,169 लोग मारे गए थे, 13,546 सशत्र डकैतियों में एक अग्नेयास्त्र शामिल था तथा 15,801 उत्तेजित हमलों में अग्नेयास्त्र पाया गया था।

4. यह त्रासद हिंसा हमारे समाज पर अहम आर्थिक बोझ बढ़ाती है। अनुसंधानकर्ता दकियानूसी तरीके से आंकलन करते हैं कि बंदूक से होने वाली हिंसा से अमेरिका में हर वर्ष कम से कम $229 बिलियन की लागत आती है, या प्रति अमेरिकी नागरिक हर वर्ष $700 से अधिक की लागत आती है। अकेले वर्ष 2013 में, California में बंदूक के हमले में हुई मौतों तथा जख्मों से मेडिकल लागत पर $83 मिलियन का बोझ पड़ा और उत्पादकता के घटने से $4.24 बिलियन का आर्थिक बोझ पड़ा।

5. California बेहतर कर सकता है। यथोचित, सहज बुद्धि-युक्त बंदूक कानून बंदूक से होने वाली मौतों और जख्मों को कम करते हैं, अपराधियों से बंदूकों को दूर रखते हैं और अवैध बंदूक तस्करी से मुकाबला करते हैं। यद्यपि, California ने देश को बंदूक सुरक्षा कानूनों के क्षेत्र में नेतृत्व किया है, पर उन कानूनों में अभी भी कई ऐसे बचाव के रास्ते हैं, जो समूचे राज्य के समुदायों को बंदूक की हिंसा और सामूहिक गोलीकांड को लेकर कमजोर बनाते हैं। California के कानून के पाबंद, जिम्मेदार वासियों के लिए आत्म-रक्षा, शिकार तथा मनोरंजन के लिए अपनी बंदूकें रखने के अधिकार की रक्षा करने के साथ-साथ हम इन बचाव के रास्तों को बंद कर सकते हैं।

6. हम जानते हैं पृष्ठभूमि की जांच करना कारगर होता है। संघीय पृष्ठभूमि जांच पहले ही घोषित अपराधियों और अन्य अवैध खरीददारों के लिए 2.4 मिलियन बंदूक बिक्रियों पर लगाम लगा चुकी है। अकेले वर्ष 2012 में, पृष्ठभूमि जांच ने अवैध खरीददारों के लिए अग्नेयास्त्रों की 192,043 बिक्री को प्रतिबंधित किया, जिनमें खरीद के 82,000 प्रयास घोर अपराधियों द्वारा किए गए थे। इसका अर्थ है कि पृष्ठभूमि जांच ने हर दिन 225 घोर अपराधियों को अग्नेयास्त्र खरीदने से रोका। तब भी California के कानून के अनुसार केवल उन्हीं लोगों की पृष्ठभूमि की जांच करना आवश्यक माना जाता है, जो अग्नेयास्त्र खरीदते हैं, न कि ऐसे लोगों के लिए जो गोलाबारूद खरीदते हैं। हमें बचाव के उन रास्तों को बंद कर देना चाहिए।

7. वर्तमान में, कोई भी हिंसक घोर अपराधी या खतरनाक रूप से मानसिक बीमार व्यक्ति California खेल-कूद के सामान के स्टोर या गन शॉप में जाकर गोलाबारूद खरीद सकता है, जिसके लिए उससे कोई पूछताछ नहीं की जाती

है। यह बदलना चाहिए। हमें बंदूक की बिक्री की तरह ही गोलेबारूद की बिक्री के लिए भी पृष्ठभूमि जांच और उन दोनों को खतरनाक लोगों के हाथ लगने से रोकने की आवश्यकता है।

8. मौजूदा कानून के तहत, जो स्टोर्स गोलाबारूद बेचते हैं, उन्हें गोलाबारूद के गायब होने या चोरी हो जाने पर कानून प्रवर्तन को सूचित करने की आवश्यकता नहीं होती। स्टोरों को अपने गोलाबारूदों के गायब होने या चोरी की जानकारी मिलने के 48 घंटों के भीतर रिपोर्ट लिखानी चाहिए, ताकि कानून प्रवर्तन इस बात को लेकर कदम उठा सके कि वे गोलाबारूद तस्करी के माध्यम से खतरनाक व्यक्तियों के हाथ में न चले जाएं।

9. California वासियों को आज गायब हुई या चोरी हुई बंदूकों के लिए कानून प्रवर्तन के सामने रिपोर्ट लिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे कानून प्रवर्तन के लिए चुराई हुई बंदूकों से किए हुए अपराधों की जांच करना, बंदूक तस्करी गिरोहों को पकड़ना और बंदूकों को उनके कानूनी मालिकों को सौंपना कठिन हो जाता है। हमें गायब हुई या चोरी हुई बंदूकों के लिए कानून प्रवर्तन के समक्ष रिपोर्ट लिखानी चाहिए।

10. मौजूदा कानून के तहत, घोर अपराध और गंभीर अपराध करने वाले लोगों के पास अग्नेयास्त्र रखने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद, मौजूदा कानून ऐसे लोगों के लिए उनकी बंदूकें छोड़ने की कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं प्रस्तुत करता है, जब वे दोषी होने के समय प्रतिबंधित हो जाते हैं। परिणामस्वरूप, वर्ष 2014 में, न्याय विभाग ने 17,000 से अधिक लोगों की पहचान की, जिनके पास अवैध रूप से 34,000 से अधिक बंदूकें पाई गईं, जिनमें 1,400 हमला करने वाले हथियार भी शामिल थे। हमें बचने के इस खतरनाक रास्ते को बंद करना होगा, जिसके लिए न केवल प्रतिबंधित लोगों को बंदूकों से दूर रखना होगा, बल्कि वाकई ऐसा सुनिश्चित करना होगा।

11. सेना के अंदाज में बड़ी क्षमता के असलहा मैगेजिन—कुछ में तो 100 राउंड से अधिक की क्षमता होती है—किसी शूटर्स की अल्प समय में बहुत अधिक लोगों की हत्या करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। यही कारण है, कि बड़ी क्षमता के ये असलहा मैगजिनें अमेरिका के कई बड़े खौफनाक नरसंहार में मौजूद रहे हैं, जैसे कि 1993 में San Francisco के 101 California Street के हत्याकांड से लेकर 1999 में Columbine हाई स्कूल की घटना तथा वर्ष 2012 में Newtown, Connecticut में Sandy Hook एलमेन्ट्री स्कूल के हत्याकांड में इनकी मौजूदगी देखी गयी थी।

12. आज California का कानून सैनिक अंदाज वाले बड़ी क्षमता के असलहा मैगजिनों के निर्माण पर, मंगाने तथा बिक्री करने पर पाबंदी लगाता है, पर आम लोगों द्वारा उन्हें अपने पास रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। हमें बचाव के उन रास्तों को बंद कर देना चाहिए। प्रशिक्षित कानून प्रवर्तन के सिवा किसी और के पास ये खतरनाक असलहा मैग्जिंस नहीं होने चाहिए।

13. यद्यपि, California राज्य बंदूक के उन खरीददारों पर पृष्ठभूमि की जांच संचालित करता है, जो California में रहते हैं, हमें अन्य कहीं रहने वाले लोगों द्वारा बंदूक खरीदने पर पृष्ठभूमि की जांच के लिए अन्य राज्यों तथा FBI पर भरोसा करना होता है। हमें California के बाहर पृष्ठभूमि जांच को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए, जिसके लिए इस राज्य को संघीय पृष्ठभूमि जांच प्रणाली को निरंतर रूप से यह बताना होगा कि किन व्यक्तियों को अग्नेयास्त्र रखने से प्रतिबंधित किया जा चुका है।

14. किसी बंदूक की चोरी एक गंभीर तथा संभावित रूप से हिंसक अपराध है। हमें यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि ऐसे अपराधों पर घोर अपराध का आरोप लगाना चाहिए और ऐसे अपराधों के दोषी लोगों को अग्नेयास्त्र रखने से रोकना चाहिए।

अनुभाग 3. उद्देश्य और मंशा।

California राज्य के लोगों ने "सभी के लिए सुरक्षा अधिनियम 2016" ("अधिनियम") बनाने के अपने उद्देश्य व अभिप्राय की घोषणा निम्नानुसार की है:

1. California के बंदूक सुरक्षा कानूनों को देश में सबसे कड़ा बनाने के लिए यथोचित सहज बुद्धियुक्त सुधार को लागू करना होगा, जबकि कानून के पाबंद, सभी जिम्मेदार California निवासियों के द्वितीय संशोधन के अधिकार की सुरक्षा भी देनी होगी।

2. घोषित घोर अपराधियों, खतरनाक रूप से मानसिक बीमार व्यक्तियों तथा अग्नेयास्त्रों व गोलाबारूद रखने के लिए कानूनी रूप से प्रतिबंधित लोगों के हाथों से बंदूकों और गोलाबारूद को दूर रखना होगा।

3. यह सुनिश्चित करना कि California में जो लोग गोलाबारूद खरीदते हैं, उनकी भी ऐसी ही पृष्ठभूमि जांच होनी चाहिए जो अग्नेयास्त्र रखने वालों की होती है।

4. गोलाबारूद बेचने वाले ऐसे सभी स्टोरों को किसी खो गए या चोरी हुए गोलाबारूद की सूचना, ऐसी घटना की जानकारी मिलने के 48 घंटे के भीतर लिखानी होगी।

5. यह सुनिश्चित करना होगा कि California संघीय कानून प्रवर्तन को अहम सूचना साझा करें, जिसके लिए संघीय पृष्ठभूमि जांच प्रणाली को निरंतर रूप से यह बताया जाना चाहिए कि किन-किन व्यक्तियों को अग्नेयास्त्र रखने से प्रतिबंधित किया जा चुका है।

6. कानून प्रवर्तन के सामने गायब हुई या चोरी हुई बंदूकों की रिपोर्ट लिखानी होगी।

7. ऐसे कानूनों का बेहतर प्रवर्तन करना होगा, जो लोगों को ऐसे अपराध का दोषी साबित होने पर उन्हें बंदूक छोड़ने को कहता है, जो उन्हें अग्नेयास्त्र रखने के लिए अयोग्य करार देता है।

8. California में सैनिक अंदाज वाले, बड़ी क्षमता के उन असलहा मैगजिनों को रखना अवैध बनाना होगा, जिन्होंने Sandy Hook एलमेन्ट्री स्कूल; Aurora, Colorado में एक मूवी थिएटर में; Columbine हाई स्कूल; तथा San Francisco, California में 101 California Street एक कार्यालय भवन में हुए नरसंहार को संभव बनाया।

9. किसी अग्नेयास्त्र की चोरी के दोषी लोगों को अग्नेयास्त्र रखने से प्रतिबंधित करना होगा तथा प्रस्ताव 47 के आशय को लागू करना होगा कि किसी अग्नेयास्त्र की चोरी को घोर अपराध माना जाए, चाहे दंड संहिता की धारा 25400 तथा 1192.7 के अनुरूप अग्नेयास्त्र का कोई भी मूल्य क्यों न हो।

अनुभाग 4. खोए हुए या चोरी हुए अग्नेयास्त्र।

अनुभाग 4.1. खण्ड 4.5 (अनुभाग 25250 के साथ शुरू करते हुए) को दंड संहिता के भाग 6 के शीर्षक 4 में जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

खण्ड 4.5. खोए हुए या चोरी हुए अग्नेयास्त्र

25250. (a) 1 जुलाई 2017 से आरंभ के साथ, हर वह व्यक्ति जिसके स्वामित्व या अधिकार में रहने वाला अग्नेयास्त्र चोरी हो गया हो या खो गया हो, उस समय से पांच दिनों के भीतर जब उसे चोरी या खो जाने की जानकारी मिली या उचित रूप से जानकारी होनी चाहिए थी, चोरी होने या खो जाने की घटना के न्यायाधिकार क्षेत्र में मौजूद किसी स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी को सूचना देगा।

(b) हर उस व्यक्ति को जिसने अग्नेयास्त्र के चोरी होने या खो जाने की सूचना दर्ज कराई हो हुई हो, यदि बाद में वह अग्नेयास्त्र मिल जाता है तो पांच दिनों के भीतर उस न्यायाधिकार क्षेत्र में जिसमें चोरी या खोने की घटना घटी हो, उपखंड (a) के तहत स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी को इसकी सूचना देगा।

(c) उपखंड (a) के बावजूद, किसी व्यक्ति को उस अग्नेयास्त्र की चोरी या गुम होने की रिपोर्ट नहीं लिखानी होगी, जिसे अनुभाग 16170 के उपखंड (c) के अर्थ के दायरे में एक प्राचीन अग्नेयास्त्र माना जाता हो।

25255. अनुभाग 25250 निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा:

(a) कोई कानून प्रवर्तन एजेंसी या पीस ऑफिसर, जो उस कार्यवाही तथा अपनी नौकरी के प्रयोजन अथवा आधिकारिक कर्तव्यों के भीतर कार्य कर रहा हो, यदि

अपनी नियोक्ता एजेंसी को चोरी या गुम होने की सूचना दर्ज कराता हो।

(b) कोई युनाइटेड स्टेट्स मार्शल या आर्म्ड फोर्सेस ऑफ दि युनाइटेड स्टेट्स अथवा नेशनल गार्ड्स का कोई सदस्य अपने आधिकारिक कर्तव्यों में शामिल हो।

(c) कोई व्यक्ति, जो युनाइटेड स्टेट्स कोड के शीर्षक 18 के अध्याय 44 (जो अनुभाग 921 से आरंभ होता है) तथा उसके अधीन जारी किए गए विनियमनों के अंतर्गत लाइसेंसशुदा हो और जो युनाइटेड स्टेट्स कोड के शीर्षक 18 के अनुभाग 923(g)(6) के तहत या उसके उत्तरवर्ती प्रावधान व उसे जारी किए गए प्रयोज्य विनियमों के अनुरूप चोरी या गुम होने की सूचना दर्ज करवाता है।

(d) कोई व्यक्ति जिसका अग्नेयास्त्र 1 जुलाई 2017 से पहले गुम हुआ या चोरी हुआ हो।

25260. अनुभाग 11108 के अनुसार, प्रत्येक शेरिफ या पुलिस चीफ गुम होने या चोरी होने की सूचना लिखवाए गए हरेक अग्नेयास्त्र का एक विवरण सीधा न्याय विभाग की स्वचालित आग्नेयास्त्र प्रणाली को सौंपेगा।

25265. (a) प्रत्येक व्यक्ति, जो अनुभाग 25250 का उल्लंघन करता है, और उस उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर, उसे पहले उल्लंघन के लिए अधिकतम एक सौ डॉलर ($100) का जुर्माना भरना होगा।

(b) प्रत्येक व्यक्ति, जो अनुभाग 25250 का दूसरी बार उल्लंघन करता है, और उस उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर, उसे अधिकतम एक हजार डॉलर ($1,000) का जुर्माना भरना होगा।

(c) प्रत्येक व्यक्ति, जो अनुभाग 25250 का तीसरी बार या उससे अधिक मर्तबा उल्लंघन करता है, और उस उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर, उसे काउंटी जेल में अधिकतम छह महीने की कैद सजा काटनी होगी अथवा अधिकतम एक हजार डॉलर ($1,000) का जुर्माना भरना होगा, या वह व्यक्ति उस जुर्माने और कैद की सजा, दोनों का भागीदार होगा।

25270. प्रत्येक व्यक्ति, जो अनुभाग 25250 के तहत अग्नेयास्त्र की कंपनी, मॉडल और क्रम संख्या को दर्ज कराता है, जिसकी उसे जानकारी हो, या कोई अन्य संबद्ध सूचना दर्ज कराता हो, जिसकी आवश्यकता रिपोर्ट लेने वाली स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी को हो।

25275. (a) कोई व्यक्ति किसी स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी को किसी अग्नेयास्त्र के खोने या चोरी होने की सूचना नहीं देगा, जबकि उसे पता हो कि यह सूचना गलत है। इस अनुभाग का कोई उल्लंघन ऐसा अपराध है, जिसके लिए अधिकतम दो सौ पचास डॉलर ($250) का जुर्माना, और दूसरी या उससे अधिक बार उल्लंघन करने पर अधिकतम एक हजार डॉलर ($1,000) का जुर्माना लगाया जाएगा।

(b) यह अनुभाग किसी अन्य कानून के तहत मुकदमा चलाने को प्रतिबंधित नहीं करेगा।

अनुभाग 4.2. दंड संहिता में अनुभाग 26835 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

26835. एक लाइसेंसधारी व्यक्ति स्पष्ट रूप से लाइसेंसशुदा परिसरों के भीतर निम्नांकित चेतावनियों को बड़े अक्षरों में पोस्ट करेगा, जिसकी ऊंचाई कम से कम एक इंच होनी चाहिए:

(a) "यदि आप एक लोडेड अग्नेयास्त्र को किसी परिसरों के भीतर अपने पास या अपने नियंत्रण में रखते हैं, और 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति इसे हासिल कर लेता है और उसका इस्तेमाल करता है, जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह घायल हो जाता है, अथवा उसे वह सार्वजनिक स्थलों पर ले जाता है, तब आप उस स्थिति में एक दुष्कर्म या एक घोर अपराध के दोषी माने जा सकते हैं, यदि आपने उस अग्नेयास्त्र को एक लॉक किए हुए डब्बे में न रखा हो अथवा उस अग्नेयास्त्र को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने के लिए एक लॉकिंग डिवाइस के साथ लॉक न किया हो।"

(b) "यदि आप अपने साथ छुपा कर रखने लायक एक पिस्तौल, रिवॉल्वर, या अन्य अग्नेयास्त्र को किन्हीं परिसरों के भीतर अपने पास या अपने नियंत्रण में रखते हैं, और 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति इसे हासिल कर लेता है और उसे उस परिसर से बाहर लेकर जाता है, तो आप एक दुष्कर्म के दोषी माने जा सकते हैं, जब आपने उस अग्नेयास्त्र को एक लॉक किए हुए डब्बे में न रखा हो अथवा उस अग्नेयास्त्र को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने के लिए एक लॉकिंग डिवाइस के साथ लॉक न किया हो।"

(c) "यदि आप किसी परिसर में अपने पास या अपने नियंत्रण में कोई अग्नेयास्त्र रखते हैं, और 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति इसे हासिल कर लेता है और उसे उस परिसर से बाहर किसी स्कूल या स्कूल-प्रायोजित कार्यक्रम में लेकर जाता है, तो आप उस स्थिति में एक दुष्कर्म के दोषी माने जा सकते हैं, जब आपने उस अग्नेयास्त्र को एक लॉक किए हुए डब्बे में न रखा हो अथवा उस अग्नेयास्त्र को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने के लिए एक लॉकिंग डिवाइस के साथ लॉक न किया हो, और इसके लिए आप पांच हजार डॉलर ($5,000) के जुर्माने के भागी बनेंगे।"

(d) "यदि आप किसी परिसर में अपने पास या अपने नियंत्रण में कोई अग्नेयास्त्र लापरवाह तरीके से रखते हैं या छोड़ देते हैं, जहां 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति द्वारा उसे हासिल करने की संभावना हो सकती हो, तो आप उस स्थिति में एक दुष्कर्म के दोषी माने जा सकते हैं, जब आपने उस अग्नेयास्त्र को एक लॉक किए हुए डब्बे में न रखा हो अथवा उस अग्नेयास्त्र को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने के लिए एक लॉकिंग डिवाइस के साथ लॉक न किया हो, और इसके लिए आप एक हजार डॉलर ($1,000) के जुर्माने के भागी बनेंगे।"

(e) "अग्नेयास्त्रों को किसी अपर्याप्त रूप से वायु-संचार वाले क्षेत्र में रखने, अग्नेयास्त्रों की सफाई करने या गोलाबारूदों को संभालने से आपका शरीर सीसे के संपर्क में आ सकता है, जिसे जन्म की विकृतियों के लिए जिम्मेदार जाना जाता है, साथ ही यह पदार्थ प्रजनन हानि तथा अन्य गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है। हर वक्त पर्याप्त वायु-संचार बनाए रखें। संपर्क में आने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोएं।"

(f) "संघीय विनियमन यह प्रावधान करता है कि यदि आप उस अग्नेयास्त्र का वास्तविक स्वामित्व नहीं लेते हैं, जिसे आप आरंभिक पृष्ठभूमि जांच के बाद 30 दिनों के भीतर हासिल कर रहे हैं, तो आपको उस अग्नेयास्त्र को अपने पास हासिल करने के लिए दूसरी बार पृष्ठभूमि जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा।"

(g) "30 दिनों की किसी अवधि के भीतर कोई व्यक्ति अपने पास छुपाकर रखे जाने योग्य एक से अधिक पिस्तौल, रिवॉल्वर या अन्य अग्नेयास्त्र की खरीद के लिए आवेदन नहीं करेगा और 30 दिनों की किसी अवधि के भीतर, किसी व्यक्ति को ऐसे हथियारों की आपूर्ति नहीं की जाएगी जिसने अपने पास छुपाकर रखे जाने योग्य एक से अधिक पिस्तौल, रिवॉल्वर या अन्य अग्नेयास्त्र की खरीद के लिए आवेदन किया है।"

(h) "यदि आपके स्वामित्व या अधिकार वाला कोई अग्नेयास्त्र चोरी हुआ हो या खो गया हो, तो आपको उस समय के पांच दिनों के भीतर, जब आपको चोरी होने या खो जाने की जानकारी मिली या उचित तौर पर जानकारी होनी चाहिए थी, चोरी या गुम होने की घटना के घटित होने वाले न्यायाधिकार क्षेत्र में मौजूद किसी स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी को चोरी होने या खो जाने की सूचना देनी होगी।"

अनुभाग 5. राष्ट्रीय त्वरित आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच प्रणाली को सशक्त बनाना।

अनुभाग 5.1. दंड संहिता में अनुभाग 28220 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

28220. (a) अग्नेयास्त्र खरीददार की सूचना सौंपे जाने पर, न्याय विभाग इसके रिकॉर्डों और उन रिकॉर्डों की जांच करेगा, जिन्हें यह वेलफेयर और इंस्टीटयूट कोड के अनुभाग 8104 के तहत, राज्य अस्पतालों के राज्य विभाग से अनुरोध करने का अधिकार रखता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वह खरीददार अनुभाग 27535 के उपखंड (a) के अनुसार वर्णित कोई व्यक्ति है अथवा वह व्यक्ति हो जिसे अपने पास एक अग्नेयास्त्र रखने, प्राप्त करने, या खरीद करने के लिए राज्य या संघीय कानून द्वारा प्रतिबंधित है।

63

(b) ~~निश्चिकरण के उपलब्ध रहने की सीमा तक,~~ न्याय विभाग राष्ट्रीय त्वरित आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच प्रणाली (NICS) में भाग ~~ले सकता है~~ *लेगा*, जैसा कि युनाइटेड स्टेट्स संहिता में शीर्षक 18 के अनुभाग 922 के उपखंड (t) के तहत वर्णित है, तथा~~, यदि उस भागीदारी को लागू किया जाता है,~~ तो उसकी सूचना डीलर और शहर के पुलिस विभाग को या उस शहर और काउंटी को दी जाएगी जिसमें वह बिक्री संपन्न की गई हो, अथवा यदि वह बिक्री किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में संपन्न की गई हो, जिसमें कोई म्युनिसिपल पुलिस विभाग न हो, तो वहां काउंटी के शेरिफ को सूचित किया जाएगा कि वह खरीददार एक ऐसा व्यक्ति है जो संघीय कानून के तहत अग्नेयास्त्र रखने के लिए प्रतिबंधित है।

(c) यदि विभाग यह निर्धारित कर लेता है कि वह खरीददार राज्य या संघीय कानून द्वारा एक अग्नेयास्त्र रखने, प्राप्त करने, उसका मालिक होने या उसकी खरीद करने के लिए प्रतिबंधित है या वह अनुभाग 27535 के उपखंड (a) में वर्णित एक व्यक्ति है, तो यह तुरंत उसकी सूचना डीलर और शहर के पुलिस विभाग को या उस शहर या काउंटी को देगा जिसमें वह बिक्री संपन्न की गई हो, अथवा यदि वह बिक्री एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में संपन्न की गई हो, जिसमें कोई म्युनिसिपल पुलिस विभाग न हो, तो वहां उसकी सूचना काउंटी के शेरिफ को दी जाएगी कि वह खरीददार एक ऐसा व्यक्ति है जो संघीय कानून के तहत अग्नेयास्त्र रखने के लिए प्रतिबंधित है।

(d) यदि विभाग यह निर्धारित करता है कि अनुभाग 28210 के उपखंड (d) के अधीन उसे सौंपी गई रजिस्टर की कॉपी में कोई स्थान खाली हो या उसमें कोई गलत, अवैध, अथवा अधूरी जानकारी मौजूद हो, जो उस खरीददार या हैंडगन अथवा खरीद किए जाने वाले किसी अन्य अग्नेयास्त्र की पहचान को बाधित करते हों या डीलर द्वारा रजिस्टर की प्रतिलिपियों के साथ अनुभाग 28225 के तहत कोई आवश्यक शुल्क न अदा किया गया हो, तो विभाग डीलर को उस तथ्य की सूचना दे सकता है। विभाग द्वारा सूचना मिलने पर, डीलर विभाग को रजिस्टर की सही प्रतिलिपियां सौंपेगा, या अनुभाग 28225 के तहत आवश्यक कोई शुल्क अदा करेगा, अथवा उचित प्रतीत होने पर दोनों ही कार्य संपन्न करेगा, यदि विभाग द्वारा डीलर को वह सूचना खरीद किए जाने वाले अग्नेयास्त्र की आपूर्ति से पूर्व मिलती है, तो डीलर अनुभाग 26815 तथा 27540 में वर्णित प्रतीक्षा अवधि के समाप्त होने तक उस आपूर्ति को रोक देगा।

(e) यदि विभाग यह निर्धारित करता है कि अनुभाग 28215 के अधीन उसे हस्तांतरित की गई सूचना में कोई गलत या अधूरी जानकारी मौजूद हो, जो उस खरीददार, खरीद किए जाने वाले हैंडगन या किसी अन्य अग्नेयास्त्र की पहचान को बाधित करते हों, या डीलर द्वारा हस्तांतरित इलेक्ट्रॉनिक या टेलीफोनिक रिकॉर्ड के साथ अनुभाग 28225 के तहत कोई आवश्यक शुल्क न अदा किया गया है, तो विभाग डीलर को उस तथ्य की सूचना दे सकता है। विभाग द्वारा सूचना मिलने पर, डीलर विभाग को सही इलेक्ट्रॉनिक या टेलीफोनिक हस्तांतरण के रिकॉर्ड को दुरुस्त करेगा, या अनुभाग 28225 के तहत आवश्यक कोई शुल्क अदा करेगा, अथवा उचित प्रतीत होने पर दोनों ही कार्य संपन्न करेगा, और यदि विभाग द्वारा डीलर को वह सूचना खरीद किए जाने वाले अग्नेयास्त्र की आपूर्ति से पूर्व मिलती है, तो डीलर अनुभाग 26815 तथा 27540 में वर्णित प्रतीक्षा अवधि के समाप्त होने तक उस आपूर्ति को रोक देगा।

(f) (1) (A) विभाग तुरंत उस खरीददार को अग्नेयास्त्र की आपूर्ति को रोकने को कहेगा, यदि विभाग के रिकॉर्डों या विभाग के पास उपलब्ध राष्ट्रीय त्वरित आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच प्रणाली के रिकॉर्डों में निम्नलिखित बातों का संकेत हो:

(i) उस खरीददार को हिरासत में लिया जा चुका है और उसे मानसिक स्वास्थ्य उपचार और मूल्यांकन वाली किसी इकाई में रखा जा चुका है अथवा वह वेलफेयर और इंस्टीटयूट कोड के अनुभाग 8100 या 8103 के तहत वर्णित एक व्यक्ति हो सकता है और यदि विभाग अनुभाग 26815 तथा 27540 में वर्णित प्रतीक्षा अवधि के समाप्त होने से पूर्व यह सुनिश्चित करने में विफल रहता है कि क्या वह खरीददार ऐसा व्यक्ति है, जो वेलफेयर और इंस्टीटयूट कोड के अनुभाग 8100 या 8103 के तहत एक अग्नेयास्त्र रखने, प्राप्त करने, उसका स्वामित्व रखने या उसकी खरीद करने के लिए प्रतिबंधित है।

(ii) उस खरीददार को हिरासत में लिया जा चुका है या उसपर एक ऐसे अपराध का आरोप लगा हो जिसके सिद्ध हो जाने पर, उस व्यक्ति को राज्य या संघीय कानून द्वारा एक अग्नेयास्त्र रखने, प्राप्त करने, उसका स्वामित्व रखने या उसकी खरीद करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है और विभाग अनुभाग 26815 तथा 27540 में वर्णित प्रतीक्षा अवधि के समाप्त होने से पूर्व यह सुनिश्चित करने में विफल रहता है कि क्या वह खरीददार ऐसा व्यक्ति है जिसपर उस अपराध का दोष साबित हो चुका है।

(iii) खरीददार अनुभाग 27535 के उपखंड (a) के तहत वर्णित एक व्यक्ति हो सकता है और विभाग अनुभाग 26815 तथा 27540 में वर्णित प्रतीक्षा अवधि के समाप्त होने से पूर्व यह सुनिश्चित करने में विफल रहता है कि क्या वह खरीदार वास्तव में अनुभाग 27535 के उपखंड (a) के अनुरूप वर्णित एक व्यक्ति है।

(B) डीलर खरीददार को उस तरीके के बारे में सूचित करेगा जिसमें वह उप-पैरा (A) में वर्णित विलम्ब के बारे में विभाग से संपर्क कर सकता है।

(2) विभाग उस विलम्ब के लिए डीलर को मेल द्वारा सूचित करेगा और उस प्रक्रिया को बताएगा जिसके द्वारा खरीददार आपराधिक या मानसिक स्वास्थ्य के रिकॉर्ड की वह कॉपी प्राप्त कर सकता है, जो विभाग के पास खरीददार के लिए फाइल में मौजूद होती है। आपराधिक या मानसिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्राप्त होने पर, खरीददार विभाग को एक स्वीकृत फॉर्म में किसी असत्यता या अधूरेपन की सूचना भेजेगा।

(3) यदि विभाग अनुभाग 26815 तथा 27540 में वर्णित प्रतीक्षा अवधि के समाप्त होने के बाद हिरासत में लिए जाने या आपराधिक आरोपों, या मानसिक स्वास्थ्य या मूल्यांकन के नतीजे या पैरा (1) में वर्णित अनुसार खरीददार की अग्नेयास्त्र खरीदने की योग्यता की पुष्टि कर लेता है, तो विभाग को इस अनुभाग के तहत डीलर द्वारा खरीददार से संबधित सूचनाओं की मूल सुपुर्दगी के 30 दिनों के भीतर विभाग निम्नलिखित कार्यवाही करेगा:

(A) खरीददार यदि अनुभाग 27535 के उपखंड (a) में वर्णित व्यक्ति नहीं है, तथा उसे राज्य या संघीय कानून द्वारा अथवा वेलफेयर और इंस्टीटयूट कोड के अनुभाग 8100 या 8103 इत्यादि द्वारा किसी अग्नेयास्त्र को अपने पास रखने, प्राप्त करने, अपने स्वामित्व में रखने या उसकी खरीद करने के लिए प्रतिबंधित न किया गया हो, तो विभाग डीलर को सूचित करेगा कि वह खरीददार को तुरंत अग्नेयास्त्र की आपूर्ति कर दे, जहां रजिस्टर पर डीलर के रिकॉर्डिंग पर या इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के रिकॉर्ड पर अंकित तिथि जिसपर अग्नेयास्त्र हस्तांतरित किया जाता है, डीलर रजिस्टर या इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करेगा और उस खरीददार को अग्नेयास्त्र की आपूर्ति का संकेत देगा और खरीददार उस रजिस्टर या इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करेगा जो उसी तिथि पर उस अग्नेयास्त्र की प्राप्ति का संकेत करेगा, जिस तिथि पर उसे उस अग्नेयास्त्र की आपूर्ति की गई थी।

(B) खरीददार यदि अनुभाग 27535 के उपखंड (a) में वर्णित व्यक्ति है, या उसे राज्य या संघीय कानून, जिसमें वेलफेयर और इंस्टीटयूट कोड के अनुभाग 8100 या 8103 शामिल हैं लेकिन इन तक ही सीमित नहीं है, द्वारा किसी अग्नेयास्त्र को अपने पास रखने, प्राप्त करने, अपने स्वामित्व में रखने या उसकी खरीद करने के लिए प्रतिबंधित किया गया हो, तो विभाग तुरंत उसकी सूचना डीलर और शहर के पुलिस विभाग के प्रमुख को या उस शहर और काउंटी को देगा जिसमें वह बिक्री संपन्न की गई हो, अथवा यदि वह बिक्री किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में संपन्न की गई थी जिसमें कोई म्युनिसिपल पुलिस विभाग न हो, तो वहां इस तथ्य की सूचना अनुभाग 28220 के उपखंड (c) के अनुरूप काउंटी के शेरिफ को दी जाएगी।

(4) यदि विभाग इस अनुभाग के अनुसार डीलर द्वारा खरीददार दी जानकारी को मूल रूप से जमा किए जाने के 30 दिनों के अंदर, खरीददार के हिरासत में लिए जाने या आपराधिक आरोपों, या मानसिक स्वास्थ्य या मूल्यांकन के नतीजे या पैरा (1) में वर्णित अनुसार खरीददार की अग्नेयास्त्र खरीदने की योग्यता की पुष्टि करने में सक्षम नहीं रहता है, तो विभाग डीलर को तुरंत इसकी सूचना देगा और डीलर तब तुरंत उस अग्नेयास्त्र को खरीददार को हस्तांतरित कर सकता है,

जहां रजिस्टर पर डीलर के रिकॉर्डिंग पर या इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के रिकॉर्ड पर अंकित तिथि जिसपर अग्नेयास्त्र हस्तांतरित किया जाता है, डीलर रजिस्टर या इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करेगा और उस खरीददार को अग्नेयास्त्र की आपूर्ति का संकेत देगा और खरीददार उस रजिस्टर या इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करेगा जो उसी तिथि पर उस अग्नेयास्त्र की प्राप्ति का संकेत करेगा, जिस तिथि पर उसे उस अग्नेयास्त्र की आपूर्ति की गई थी।

(g) 1 जुलाई 2017 से प्रारंभ पर, ऐसी जानकारी के प्राप्त होने पर कि किसी व्यक्ति को संघीय या राज्य कानून के तहत अग्नेयास्त्र रखने से प्रतिबंधित किया गया है, विभाग उस व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि तथा उसका शारीरिक विवरण राष्ट्रीय त्वरित आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच प्रणाली सूचक, निषेध व्यक्तियों की फ़ाइल को भेजेगा। प्रदान की गई सूचना को विशेषाधिकार-युक्त तथा गोपनीय रखा जाएगा और उसे संघीय या राज्य अग्नेयास्त्र कानूनों के प्रवर्तन के उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रकट नहीं किया जाएगा।

अनुभाग 6. ज्यादा क्षमता वाली मैगज़ीन रखना।

अनुभाग 6.1. दंड संहिता में अनुभाग 32310 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

32310. (a) इस अध्याय के अनुच्छेद 2 (अनुभाग 32400 से आरंभ होते हुए) और शीर्षक 2 के खण्ड 2 के अध्याय 1 (अनुभाग 17700 से आरंभ होते हुए) में किए गए प्रावधान के सिवाय, जो कि ~~1 जनवरी, 2000 से शुरू हो रहे~~ हैं, इस राज्य में जो कोई भी व्यक्ति किसी भी ज्यादा क्षमता वाली मैगज़ीन का निर्माण करता है या करवाता है, राज्य में उसका आयात करता है, उसे बिक्री के लिए रखता है, या उसका प्रस्ताव करता है या बिक्री के लिए उसका प्रदर्शन करता है, या जो ऐसी मैगज़ीन को देता है, उधार देता है, खरीदता है या प्राप्त करता है, वह काउंटी कारागार में अधिकतम एक वर्ष के कारावास या अनुभाग 1170 के उप-खण्ड (h) के अनुसार कारावास के दंड का भागी है।

(b) इस अनुभाग के प्रयोजनार्थ "विनिर्माण" में कोई मैगज़ीन बनाना और उसके पुर्जे जोड़कर मैगज़ीन तैयार करना शामिल हैं, जिनमें बॉडी, स्प्रिंग, फोलोअर और फ्लोर प्लेट या एंड प्लेट इत्यादि शामिल हैं, जिनसे पूरी तरह काम करने वाली ज्यादा क्षमता वाली मैगज़ीन बन जाती है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(c) इस अध्याय के अनुच्छेद 2 (अनुभाग 32400 से आरंभ होते हुए) और शीर्षक 2 के खण्ड 2 के अध्याय 1 (अनुभाग 17700 से आरंभ होते हुए) में किए गए प्रावधान के सिवाय, जो कि 1 जनवरी 2017 से आरंभ हो रहे हैं, इस राज्य में जो कोई भी व्यक्ति ज्यादा क्षमता वाली कोई भी मैगज़ीन रखता है, चाहे वह मैगज़ीन किसी भी तारीख को प्राप्त की गई हो, वह उल्लंघन करने का दोषी है, जिसके कारण वह ज्यादा क्षमता वाली प्रत्येक मैगज़ीन के लिए अधिकतम एक सौ डॉलर ($100) के आर्थिक दंड का भागी है, या सामान्य अपराध का दोषी है, जिसके कारण वह ज्यादा क्षमता वाली प्रत्येक मैगज़ीन के लिए अधिकतम एक सौ डॉलर ($100) के आर्थिक दंड, काउंटी कारागार में अधिकतम एक वर्ष के कारावास या कारावास एवं आर्थिक दंड दोनों का भागी है।

(d) जिस किसी भी व्यक्ति ने 1 जुलाई, 2017 से, 1 जुलाई, 2017 के पूर्व ज्यादा क्षमता वाली मैगज़ीन कानूनी तरीके से न रखी हो:

(1) ज्यादा क्षमता वाली उस मैगज़ीन को राज्य से हटा दिया हो;

(2) ज्यादा क्षमता वाली मैगज़ीन को किसी लाइसेंसधारी हथियार डीलर को बेच दिया हो; या

(3) ज्यादा क्षमता वाली मैगज़ीन को नष्ट करने के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी को सौंप दिया हो।

अनुभाग 6.2. दंड संहिता में अनुभाग 32400 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

32400. अनुभाग 32310 किसी भी संघीय, राज्य, काउंटी, नगर और काउंटी, या नगर की ऐसी एजेंसी द्वारा या उक्त एजेंसी को एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा अपने सरकारी दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रयोग के लिए, चाहे वे ड्यूटी पर हों या न हों, और जहाँ उस उपयोग को एजेंसी द्वारा प्राधिकृत किया गया है और वह उपयोग उनके दायित्वों की प्रक्रिया और दायरे में शामिल है, किसी भी ज्यादा क्षमता वाली मैगजीन को इस राज्य में बेचने, देने, उधार देने, *कब्ज़े में रखने,* आयात करने, या खरीदने पर लागू नहीं होती है, जो एजेंसी किसी कानून के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है।

अनुभाग 6.3. दंड संहिता में अनुभाग 32405 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

32405. अनुभाग 32310 भाग 2 के शीर्षक 3 के अध्याय 4.5 (अनुभाग 830 से आरंभ होते हुए) में यथा परिभाषित शपथ ले चुके शांति अधिकारी *या शपथ ले चुके किसी संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी,* जिसे एजेंसी ने उसके दायित्वों की प्रक्रिया और दायरे में हथियार रखने के लिए प्राधिकृत किया हो, द्वारा किसी भी ज्यादा क्षमता वाली मैगजीन को इस राज्य में बेचने, उधार देने, हस्तांतरित करने, खरीदने, प्राप्त करने, *रखने,* या आयात करने पर लागू नहीं होती है।

अनुभाग 6.4. दंड संहिता में अनुभाग 32406 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

32406. अनुभाग 32310 का उप-खण्ड (c) भाग 2 के शीर्षक 3 के अध्याय 4.5 (अनुभाग 830 से आरंभ होते हुए) में यथा परिभाषित शपथ ले चुके सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त शांति अधिकारी या शपथ ले चुके सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त किसी संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी, जिसे उसके दायित्वों की प्रक्रिया और दायरे में हथियार रखने के लिए प्राधिकृत किया गया था पर लागू नहीं होता है। "सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त" का वही अर्थ होगा, जो कि अनुभाग 16690 में उपबंधित है।

अनुभाग 6.5. दंड संहिता में अनुभाग 32410 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

32410. अनुभाग 26700 से 26915 तक, समावेशी, के अनुसार लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति द्वारा या को किसी भी ज्यादा क्षमता वाली मैगज़ीन को बेचने, ~~या~~ खरीदने, *या रखने* पर अनुभाग 32310 लागू नहीं होती है।

अनुभाग 6.6. दंड संहिता के अनुभाग 32420 को निरस्त किया गया है।

~~32420. 1 जनवरी, 2000 से पूर्व कानूनी रूप से राज्य में ज्यादा क्षमता वाली मैगज़ीन रखने वाले किसी भी ऐसे व्यक्ति पर, जो कि कानूनी तरीके से इसे राज्य से बाहर ले गया, और उसी ज्यादा क्षमता वाली मैगज़ीन के साथ राज्य में लौट रहा है, पर ज्यादा क्षमता वाली मैगज़ीन के आयात के लिए अनुभाग 32310 लागू नहीं होती है।~~

अनुभाग 6.7. दंड संहिता में अनुभाग 32425 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

32425. अनुभाग 32310 निम्नलिखित में से किसी ~~एक~~ *भी* पर भी लागू नहीं होती है:

(a) कोई भी ज्यादा क्षमता वाली मैगज़ीन, अनुभाग 26700 से 26915 तक, दोनों सहित, के अनुसार लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को, या बंदूक बनाने वाले को रखरखाव, मरम्मत या संशोधन के लिए उधार देना या देना।

(b) उप-खण्ड (a) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उप-खण्ड (a) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा कोई ज्यादा क्षमता वाली मैगज़ीन रखना।

~~(b)~~ *(c)* उप-खण्ड (a) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा कोई ज्यादा क्षमता वाली मैगज़ीन उसके स्वामी को लौटाना।

अनुभाग 6.8. दंड संहिता में अनुभाग 32435 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

32435. अनुभाग 32310 निम्नलिखित में से किसी पर लागू नहीं होता है:

63

(a) इस राज्य के कानूनों के अनुसार बख्तरबंद वाहन कारोबार करने वाले किसी प्रतिष्ठान को या उसके द्वारा किसी ज्यादा क्षमता वाली मैगज़ीन को इस राज्य में बेचना, देना, उधार देना, *रखना,* आयात करना, या खरीदना।

(b) उप-खण्ड (a) में विनिर्दिष्ट किसी प्रतिष्ठान द्वारा कोई ज्यादा क्षमता वाली मैगज़ीन अपने बख्तरबंद वाहन कारोबार से संबंधित प्रयोजनों के लिए अपने प्राधिकृत कर्मचारियों को उनके रोजगार की प्रक्रिया और दायरे में रहते हुए देना।

(c) उप-खण्ड (a) में विनिर्दिष्ट किसी प्रतिष्ठान के प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा उस प्रतिष्ठान के बख्तरबंद वाहन कारोबार से संबंधित प्रयोजनों के लिए ज्यादा क्षमता वाली मैगज़ीन रखना।

~~(c)~~ *(d)* उप-खण्ड (a) में विनिर्दिष्ट किसी प्रतिष्ठान को उप-खण्ड (b) में विनिर्दिष्ट कर्मचारियों द्वारा वे ज्यादा क्षमता वाली मैगज़ीनें लौटाना।

अनुभाग 6.9. दंड संहिता में अनुभाग 32450 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

32450. अनुभाग 31000, 32650 या 33300 या शीर्षक 2 के खण्ड 5 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 3 (अनुभाग 18900 से आरंभ होते हुए), या इस खण्ड के अध्याय 6 के अनुच्छेद 4 (अनुभाग 32700 से आरंभ होते हुए) के अनुसार, आगे दर्शाए गए किसी भी प्रयोजन से, जारी विशेष हथियार परमिट के धारक द्वारा ज्यादा क्षमता वाली मैगज़ीन खरीदने *या रखने* के लिए अनुभाग 32310 लागू नहीं होती है:

(a) केवल किसी चलचित्र, टेलीविज़न या वीडियो निर्माण में इस्तेमाल के लिए।

(b) संघीय विनियमों के अनुसार निर्यात के लिए।

(c) लागू संघीय विनियमों के अनुसार कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सरकारी एजेंसियों, या सेना को दोबारा बिक्री के लिए।

अनुभाग 7. हथियार डीलर।

अनुभाग 7.1. दंड संहिता में अनुभाग 26885 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

26885. (a) अनुभाग 26805 के उप-खण्ड (b) और (c) में किए गए प्रावधान के सिवाय, लाइसेंसधारी की सूची में उल्लिखित सभी हथियार लाइसेंस-प्राप्त स्थल पर रखे जाएंगे।

(b) आगे दर्शाई गई वस्तुओं में से किसी के भी खो जाने या चोरी होने का पता चलने पर लाइसेंसधारी 48 घंटों में नगर, काउंटी, या उस नगर या काउंटी में उपयुक्त कानून प्रवर्तन एजेंसी को वह वस्तु खो जाने या चोरी होने की रिपोर्ट करेगा:

(1) ऐसा कोई हथियार *या गोला-बारूद* जो लाइसेंसधारी का माल है।

(2) कोई ऐसा हथियार *या गोला-बारूद* जिसे लाइसेंसधारी अध्याय 5 (अनुभाग 28050 से आरंभ होते हुए*), या अनुभाग 30312 के अनुसार अपने पास रखता है*।

(3) लाइसेंसधारी के कारोबार-स्थल पर रखा कोई हथियार *या गोला-बारूद*।

अनुभाग 7.2. दंड संहिता में अनुभाग 26915 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

26915. (a) *1 जनवरी, 2018 से शुरू करते हुए* हथियार डीलर को ऐसे एजेंट *या कर्मचारी* की आवश्यकता ~~हो सकती है~~ *होगी*, जो कि अनुभाग 26710 के अनुसार न्याय विभाग से पात्रता का प्रमाणपत्र प्राप्त करने और डीलर को प्रस्तुत के लिए हथियार की साज-संभाल करता है, बेचता है, या प्रदान करता है। प्रमाणपत्र के लिए आवेदन में एजेंट या कर्मचारी को उस हथियार डीलर का नाम और California हथियार डीलर संख्या का उल्लेख करना होगा, जिसके द्वारा उसे नियुक्त किया गया है।

(b) विभाग हथियार डीलर को तब सूचित करेगा, यदि पात्रता प्रमाणपत्र धारक एजेंट या कर्मचारी को हथियार रखने से मना कर दिया जाए या वह इसके लिए मनाही के अंतर्गत आ जाता है।

(c) यदि स्थानीय क्षेत्राधिकार के लिए किसी हथियार डीलर के एजेंटों या कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जाँच करना आवश्यक हो, तो एजेंट या कर्मचारी उप-खण्ड (a) के अनुसार पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगे।

(d) (1) इस अनुभाग में किसी भी बात का अर्थ यह नहीं माना जाएगा कि इसमें स्थानीय क्षेत्राधिकार को अनुभाग 11105 के अनुसार अतिरिक्त पृष्ठभूमि जाँच करने से रोका गया है। संभव है कि स्थानीय क्षेत्राधिकार आपराधिक इतिवृत्त की अतिरिक्त जाँच के लिए शुल्क न ले।

(2) इस अनुभाग में किसी भी बात का अर्थ यह नहीं माना जाएगा कि इसमें स्थानीय क्षेत्राधिकार को पात्रता प्रमाणपत्र की प्राप्ति का हिस्सा न प्रतीत होने वाले आपराधिक इतिवृत्त के आधार पर नियुक्ति को निषिद्ध करने से रोका गया है।

(e) लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे एजेंट को किसी असुरक्षित हथियार और उप-खण्ड (g) में किसी वर्णित लॉकिंग डिवाइस को खोलने वाली चाबी, संयोजन, कोड या अन्य किसी साधन के संपर्क में आने से मना कर सकता है, जिस एजेंट के विषय में लाइसेंसधारी यह जानता हो या उसे ऐसा यथोचित रूप से जानना चाहिए कि वह इस शीर्षक के खण्ड 9 के अध्याय 2 (अनुभाग 29800 से आरंभ होते हुए) या अध्याय 3 (अनुभाग 29900 से आरंभ होते हुए) या कल्याण एवं संस्थाएं संहिता के अनुभाग 8100 या 8103 के अनुसार हथियार रखने से मना किए गए व्यक्तियों की श्रेणी में आता है।

(f) इस अनुभाग में किसी भी बात का अर्थ यह नहीं माना जाएगा कि इसमें स्थानीय सरकार को एजेंटों *या कर्मचारियों* के विषय में लाइसेंसधारियों के संबंध में अतिरिक्त शर्तें निर्धारित करने वाले अध्यादेश का अधिनियमन करने से रोका गया है।

(g) इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ "सुरक्षित" का अर्थ ऐसा हथियार है, जिसे आगे दर्शाए गए एक या अधिक तरीकों से चलाए न जा सकने योग्य बना दिया गया हो:

(1) हथियार को चलाए न जा सकने योग्य बना दिया गया है क्योंकि उसे अनुभाग 23655 के उप-खण्ड (d) के अनुसार अनुमोदित हथियार सुरक्षा डिवाइसों की इस विभाग की सूची में उल्लिखित हथियार सुरक्षा डिवाइस से सुरक्षित किया गया है।

(2) हथियार ऐसी तालाबंद गन सेफ या लॉंग गन सेफ में रखा गया है जो कि अनुभाग 23650 में वर्णित विभाग द्वारा अनुमोदित गन सेफ के मानकों की पूर्ति करती हों।

(3) हथियार एक विशिष्ट तालाबंद कमरे या भवन के ऐसे क्षेत्र में रखा है, जिसका इस्तेमाल हथियारों के भंडारण के लिए किया जाता है, जिसे केवल चाबी, संयोजन, या इसी प्रकार के साधनों से खोला जा सकता है।

(4) हथियार को हथियार के ट्रिगर गार्ड के माध्यम से स्टील की सख्त रॉड या तार से सुरक्षित किया गया है, जिसका घेरा कम से कम एक इंच का आठवां भाग है। स्टील की रॉड या तार को जंजीर वाले स्टील के सख्त ताले से सुरक्षित किया जाएगा। ताले और जंजीर को बोल्टकटर के इस्तेमाल से संरक्षित या सुरक्षित किया जाएगा और रॉड या तार को इस प्रकार अटकाया जाएगा कि हथियार को परिसर से हटाया न जा सके।

अनुभाग 8. गोला-बारूद की बिक्री।

अनुभाग 8.1. ~~दंड संहिता में~~ अनुभाग 16150 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

16150. (a) ~~अनुभाग 30300 में किए गए प्रयोग के अनुसार "गोला-बारूद" का अर्थ हैंडगन का ऐसा गोला-बारूद है जैसा कि अनुभाग 16650 में परिभाषित है।~~ *जैसा कि इस भाग में प्रयोग किया गया है, अनुभाग 30305 के उप-खण्ड (a) और अनुभाग 30306 के सिवाय, "गोला-बारूद" का अर्थ प्राइम किया हुआ खोल, प्रणोदक और एक या एक से अधिक प्रक्षेप्यों के साथ लोड किए*

हुए एक या एक से अधिक कारतूस हैं। "गोला-बारूद" में खाली कारतूस शामिल नहीं हैं।

(b) जैसा कि अनुभाग 30305 के उप-खण्ड (a) और अनुभाग 30306 में प्रयोग किया गया है, "गोला-बारूद" में कोई गोली, कारतूस, मैगज़ीन, क्लिप, स्पीड लोडर, ऑटोलोडर या घातक परिणामों के साथ किसी हथियार से दागे जाने में सक्षम प्रक्षेप्य इत्यादि शामिल हैं। "गोला-बारूद" में खाली कारतूस शामिल नहीं हैं।

अनुभाग 8.2. दंड संहिता में अनुभाग 16151 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

16151. (a) जैसा कि इस भाग में प्रयुक्त किया गया है, 1 जनवरी, 2018 से आरंभ करते हुए, "गोला-बारूद विक्रेता" का अर्थ कोई ऐसा व्यक्ति, फर्म, निगम, या अन्य व्यावसायिक उद्यम है जिसके पास अनुभाग 30385 के अनुसार गोला-बारूद विक्रेता का मौजूदा लाइसेंस हो।

(b) 1 जनवरी, 2018 से आरंभ करते हुए, अनुभाग 26700 से 26915 तक सभी अनुभागों के अनुसार लाइसेंस-प्राप्त हथियार डीलर को स्वतः लाइसेंसधारी विक्रेता माना जाएगा, बशर्ते कि डीलर शीर्षक 4 के खण्ड 10 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 2 (अनुभाग 30300 से आरंभ होते हुए) और 3 (अनुभाग 30342 से आरंभ होते हुए) की अपेक्षाओं का पालन करता हो।

अनुभाग 8.3. दंड संहिता के अनुभाग 16662 को निरस्त किया गया है।

~~16662. जैसा कि इस भाग में प्रयोग किया गया है, "हैंडगन के गोला-बारूद के विक्रेता" का अर्थ कोई ऐसा व्यक्ति, फर्म, निगम, डीलर, या अन्य कोई व्यावसायिक उद्यम है जो किसी हैंडगन के गोला-बारूद की खुदरा बिक्री में संलग्न हो, या स्वयं को किसी हैंडगन के गोला-बारूद की ब्रिकी के व्यवसाय में संलग्न ठहराता हो।~~

अनुभाग 8.4. दंड संहिता में अनुभाग 17315 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

17315. जैसा कि शीर्षक 4 के खण्ड 10 के अध्याय 1 के ~~अनुच्छेद 3 (अनुभाग 30345 से आरंभ करते हुए)~~ *अनुच्छेद 2 से 5* तक में प्रयोग किया गया है, "विक्रेता" का अर्थ ~~किसी~~ *किसी* ~~हैंडगन के~~ गोला-बारूद का विक्रेता है।

अनुभाग 8.5. दंड संहिता में अनुभाग 30306 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

30306. (a) कोई ऐसा व्यक्ति, निगम, ~~या~~ फर्म, *या कोई अन्य व्यावसायिक उद्यम* जो किसी ऐसे व्यक्ति को किसी गोला-बारूद की आपूर्ति करता है, सुपुर्दगी करता है, बेचता है, अथवा कब्ज़ा या नियंत्रण देता है जिसे वह जानता है कि या उसे उचित समझ-बूझ के प्रयोग से जानना चाहिए, उसके लिए अनुभाग 30305 के उप-खण्ड (a) या (b) के अनुसार किसी गोला-बारूद या पुनः लोड किए जाने वाले बारूद को अपने स्वामित्व में रखना, कब्ज़े में रखना, अथवा अभिरक्षा या नियंत्रण में रखना मना है, तो ऐसा व्यक्ति, निगम, फर्म, या अन्य कोई व्यावसायिक उद्यम सामान्य अपराध का दोषी है जो काउंटी की जेल में एक वर्ष तक के कारावास, या एक हजार डॉलर ($1,000) तक अनधिक के जुर्माने, अथवा जुर्माने और कारावास दोनों के दण्ड का भागी होगा।

(b) कोई ऐसा व्यक्ति, निगम, फर्म, या अन्य कोई व्यावसायिक उद्यम जो किसी ऐसे व्यक्ति को कोई गोला-बारूद की आपूर्ति करता है, सुपुर्दगी करता है, बेचता है, अथवा कब्ज़ा या नियंत्रण देता है जिसे वह व्यक्ति, निगम, फर्म, या अन्य कोई व्यावसायिक उद्यम जानता है कि या ऐसा विश्वास करने का कारण रखता है कि वह गोला-बारूद का असली खरीददार या हस्तांतरण प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं है और उसे यह ज्ञान है या उसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है यह गोला-बारूद बाद में किसी ऐसे व्यक्ति को बेचा या हस्तांतरित किया जाना है जिसके लिए अनुभाग 30305 के उप-खण्ड (a) या (b) के अनुसार किसी गोला-बारूद या पुनः लोड किए जाने वाले गोला-बारूद को अपने स्वामित्व में रखना, कब्ज़े में रखना, अथवा अभिरक्षा या नियंत्रण में रखना मना है, तो ऐसा व्यक्ति, निगम, फर्म, या अन्य कोई व्यावसायिक उद्यम सामान्य अपराध का दोषी है, जो काउंटी की जेल में एक वर्ष तक के कारावास, या एक हजार डॉलर ($1,000) तक के जुर्माने, अथवा जुर्माने और कारावास, दोनों के दण्ड का भागी होगा।

~~(b)~~ *(c)* इस अनुभाग के प्रावधान संचयी हैं तथा किसी अन्य कानून के लागू किए जाने को प्रतिबंधित करने वाले नहीं माने जाएंगे। फिर भी, इस अनुभाग और कानून के किसी अन्य प्रावधान द्वारा अलग-अलग तरीकों से दण्डनीय किसी कृत्य या चूक को एक से अधिक प्रावधान के अधीन दण्डित नहीं किया जाएगा।

अनुभाग 8.6. दंड संहिता में अनुभाग 30312 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

30312. (a) ~~1 फरवरी, 2011 से आरंभ करते हुए,~~ *(1) 1 जनवरी, 2018 से आरंभ करते हुए, किसी पक्ष द्वारा गोला-बारूद की बिक्री लाइसेंसधारी गोला-बारूद विक्रेता द्वारा की जाएगी या उसके माध्यम से कार्रवाई की जाएगी।*

(2) यदि गोला-बारूद की बिक्री का कोई भी पक्ष लाइसेंसधारी गोला-बारूद विक्रेता नहीं है, तो बेचने वाला लेन-देन की कार्रवाई करने के लिए बारूद को विक्रेता के सुपुर्द करेगा। यदि बिक्री मना न हो, तो गोला-बारूद विक्रेता इसके बाद तुरंत और उचित रूप से गोला-बारूद को खरीददार के सुपुर्द कर देगा, मानो वह गोला-बारूद विक्रेता का अपना माल था। यदि गोला-बारूद विक्रेता गोला-बारूद को कानूनी तौर पर खरीददार के सुपुर्द नहीं कर सकता है, तो विक्रेता गोला-बारूद को तुरंत बेचने वाले को लौटा देगा। गोला-बारूद विक्रेता लेन-देन की कार्रवाई करने के लिए इस शीर्षक के प्रावधानों के अनुसार लगाए जा सकने वाले किसी लागू शुल्कों के अतिरिक्त, न्याय विभाग द्वारा नियत राशि में, खरीददार से प्रशासनिक शुल्क ले सकता है।

(b) 1 जनवरी, 2018 से आरंभ करते हुए, किसी भी पक्ष द्वारा ~~हैंडगन के~~ गोला-बारूद *की बिक्री,* सुपुर्दगी या स्वामित्व का अंतरण केवल *बेचने वाले,* सुपुर्द करने वाले, या हस्तांतरण करने वाले के ~~खरीददार या अन्य हस्तांतरिती से पहचान के वास्तविक प्रमाण होने के नाते~~ साथ आमने-सामने के लेन-देन में ही किया जा सकता है, *फिर भी, इस शर्त पर कि इंटरनेट पर या दूरस्थ आदेश प्रणाली के अन्य माध्यमों से गोला-बारूद तभी खरीदा या प्राप्त किया जा सकता है यदि गोला-बारूद का लाइसेंसधारी विक्रेता पहले गोला-बारूद प्राप्त करे तथा इस अनुभाग और इस भाग के शीर्षक 4 के खण्ड 10 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 3 (अनुभाग 30342 से आरंभ होते हुए) का पालन करते हुए लेन-देन की कार्रवाई करे।*

~~(b)~~ *(c)* ~~उप-खण्ड~~ *उप-खण्ड* (a) *और (b) निम्नलिखित में से किसी को* ~~हैंडगन~~ के बारूद की बिक्री, सुपुर्दगी, या हस्तांतरण पर लागू नहीं होंगे ~~या इन्हें प्रभावित नहीं करेंगे~~*:*

(1) किसी नगर, काउंटी, नगर और काउंटी, अथवा राज्य या संघीय सरकार का अधिकृत कानून प्रवर्तन प्रतिनिधि, यदि बिक्री, सुपुर्दगी, या हस्तांतरण उस सरकारी एजेन्सी द्वारा खास तौर पर उपयोग किए जाने के लिए हो, तथा हैंडगन के बारूद की बिक्री, सुपुर्दगी, या हस्तांतरण से पूर्व खरीददार या हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति को नियोजित करने वाली एजेन्सी के प्रमुख से लिखित अधिकार, कर्मचारी की पहचान लेन-देन करने के लिए अधिकृत व्यक्ति के रूप में करते हुए, तथा व्यक्ति को नियोजित करने वाली एजेन्सी के खास उपयोग के लिए लेन-देन को अधिकृत करते हुए, लिया गया हो।

(2) शपथबद्ध शांति अधिकारी, जैसा कि भाग 2 के शीर्षक 3 के अध्याय 4.5 (अनुभाग 830 से आरंभ होते हुए) में यथा परिभाषित *या शपथबद्ध संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी,* जो अधिकारी के कर्तव्यों के दौरान और कार्य-क्षेत्र में हथियार लेकर चलने के लिए अधिकृत हो।

(3) ~~हैंडगन के~~ गोला-बारूद या हथियारों का निर्यातक या विनिर्माता जो अमेरिकी संहिता के शीर्षक 18 के अध्याय 44 (अनुभाग 921 से आरंभ होते हुए) तथा इसके अनुसार जारी विनियमों के अनुसार कारोबार करने के लिए लाइसेंसधारक हो।

(4) ऐसा व्यक्ति जो इस शीर्षक के खण्ड 6 के अध्याय 6 के अनुच्छेद 6 (अनुभाग 28450 से आरंभ होते हुए) के अनुसार न्याय विभाग द्वारा *अनुरक्षित*

छूट प्राप्त संघीय हथियारों के लाइसेंसधारी व्यक्तियों की केन्द्रीकृत सूची पर दर्ज हो।

(5) ऐसा व्यक्ति जिसके लाइसेंसयुक्त परिसर इस राज्य के बाहर हों तथा जो अमेरिकी संहिता के शीर्षक 18 के अध्याय 44 (अनुभाग 921 से आरंभ होते हुए) तथा इसके अनुसार जारी विनियमों के अनुसार हथियारों के डीलर या संग्राहक के रूप में लाइसेंसधारक हो।

63

(6) ऐसा व्यक्ति जो अमेरिकी संहिता के शीर्षक 18 के अध्याय 44 (अनुभाग 921 से आरंभ होते हुए) तथा इसके अनुसार जारी विनियमों के अनुसार हथियारों के संग्राहक के रूप में लाइसेंसधारक हो, जिसके लाइसेंसकृत परिसर इस राज्य के भीतर हों, तथा जिसके पास अनुभाग 26710 के अनुसार न्याय विभाग द्वारा जारी किया गया नवीनतम पात्रता प्रमाण-पत्र हो।

(7) ~~हैंडगन के~~ कोई गोला-बारूद विक्रेता।

(8) परामर्शदाता-मूल्याँकनकर्ता।

(9) ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यावसायिक या अन्य विनियामक लाइसेंस रखने वाले लक्षित सुविधा-केन्द्र में गोला-बारूद खरीदता है या प्राप्त करता है, बशर्ते कि गोला-बारूद सुविधा-केन्द्र के परिसर में हमेशा उपलब्ध रहता हो।

(10) ऐसा व्यक्ति जो अनुभाग 16720 में यथा परिभाषित पत्नी/पति, पंजीकृत घरेलू संगी, या परिवार के करीबी सदस्य से गोला-बारूद खरीदता है या प्राप्त करता है।

~~(c)~~ *(d)* इस अनुभाग का उल्लंघन करना खराब आचरण है।

अनुभाग 8.7. दंड संहिता में अनुभाग 30314 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

30314. (a) 1 जनवरी, 2018 से आरंभ करते हुए, इस राज्य का निवासी इस राज्य में ऐसा कोई गोला-बारूद नहीं लाएगा या पहुँचाएगा जिसे उसने इस राज्य के बार खरीदा हो या अन्यथा प्राप्त किया हो जब तक कि उसने वह बारूद अनुभाग 30312 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सुपुर्दगी हेतु लाइसेंसधारी गोला-बारूद विक्रेता के सुपुर्द न किया हो।

(b) उपखण्ड (a) निम्नलिखित में से किसी पर लागू नहीं होता है:

(1) गोला-बारूद विक्रेता।

(2) शपथबद्ध शांति अधिकारी, जैसा कि भाग 2 के शीर्षक 3 के अध्याय 4.5 (अनुभाग 830 से आरंभ होते हुए) में यथा परिभाषित है, अथवा शपथबद्ध संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी, जो अधिकारी के कर्तव्यों के दौरान और कार्य-क्षेत्र में बंदूक रखने के लिए अधिकृत हो।

(3) गोला-बारूद या हथियारों का ऐसा आयातकर्ता या विनिर्माता जो अमेरिकी संहिता के शीर्षक 18 के अध्याय 44 (अनुभाग 921 से आरंभ होते हुए) के अनुसार तथा इसके अनुसरण में जारी विनियमों के अनुसार कारोबार करने के लिए लाइसेंसधारक हो।

(4) ऐसा व्यक्ति जो इस खण्ड 6 के अध्याय 6 के अनुच्छेद 6 (अनुभाग 28450 से आरंभ होते हुए) के अनुसार न्याय विभाग द्वारा अनुरक्षित हथियारों के संघीय छूट प्राप्त लाइसेंसधारियों की केन्द्रीकृत सूची पर दर्ज हो।

(5) ऐसा व्यक्ति जो अमेरिकी संहिता के शीर्षक 18 के अध्याय 44 (अनुभाग 921 से आरंभ होते हुए) तथा इसके अनुसार जारी विनियमों के अनुसार हथियारों के संग्राहक के रूप में लाइसेंसधारक हो जिसका लाइसेंसकृत परिसर इस राज्य के भीतर हो, तथा जिसके पास अनुभाग 26710 के अनुसार न्याय विभाग द्वारा जारी किया गया नवीनतम पात्रता प्रमाण-पत्र हो।

(6) ऐसा व्यक्ति जिसने अनुभाग 16720 में यथा परिभाषित पत्नी/पति, पंजीकृत घरेलू संगी, या परिवार के करीबी सदस्य से गोला-बारूद प्राप्त किया है।

(c) इस अनुभाग का उल्लंघन प्रथम बार किए गए किसी अपराध के लिए उल्लंघन है, तथा बाद में किए जाने वाले किसी अपराध के लिए या तो उल्लंघन है या सामान्य अपराध है।

अनुभाग 8.8. दंड संहिता के भाग 6 के शीर्षक 4 के खण्ड 10 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 3 (अनुभाग 30342 के साथ शुरू होते हुए) के सिरनामा को संशोधित किया गया है, जो इस प्रकार है:

अनुच्छेद 3. ~~हैंडगन के~~ गोला-बारूद के विक्रेता

अनुभाग 8.9. अनुभाग 30345 के तुरंत पूर्व दण्ड संहिता में अनुभाग 30342 जोड़ी गई है, जो इस प्रकार पठित है:

30342. (a) 1 जनवरी, 2018 से आरंभ करते हुए, किसी व्यक्ति, फर्म, निगम, या अन्य व्यावसायिक उद्यम को 30-दिन की किसी अवधि में गोला-बारूद के 500 से अधिक राउंड बेचने के लिए गोला-बारूद बेचने के विक्रेता के लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी।

(b) इस अनुभाग का उल्लंघन करना खराब आचरण है।

अनुभाग 8.10. दंड संहिता में अनुभाग 30347 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

30347. *(a) किसी गोला-बारूद की साज-संभाल करने, बिक्री करने, सुपुर्दगी करने, या अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में रखने वाले किसी एजेन्ट या कर्मचारी से गोला-बारूद के विक्रेता की अपेक्षा होगी कि वह अनुभाग 26710 के अनुसार न्याय विभाग से जारी पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करे और विक्रेता को प्रदान करे। प्रमाण-पत्र का आवेदन करने पर, एजेन्ट या कर्मचारी गोला-बारूद के उस विक्रेता का नाम और पता देगा जिसके साथ व्यक्ति नियोजित है, अथवा यदि लागू हो, तो गोला-बारूद के विक्रेता का नाम और California के हथियारों के डीलर की संख्या प्रदान करेगा।*

(b) विभाग गोला-बारूद विक्रेता को ऐसी स्थिति में सूचित करेगा जब पात्रता प्रमाण-पत्र धारक एजेन्ट या कर्मचारी के लिए अनुभाग 30305 के उप-खण्ड (a) या संघीय कानून के अंतर्गत बारूद रखना मना हो या हो जाता हो।

(c) ~~कोई~~ *कोई गोला-बारूद विक्रेता* इस शीर्षक के खण्ड 9 के अध्याय 2 (अनुभाग 29800 से आरंभ होते हुए) या अध्याय 3 (अनुभाग 29900 से आरंभ होते हुए) में अथवा कल्याणकारी और संस्थागत संहिता के अनुभाग 8100 या 8103 में वर्णित किसी ऐसे *एजेन्ट या* कर्मचारी को रोजगार के दौरान या कार्य-क्षेत्र में किसी ~~हैंडगन के~~ *गोला-बारूद रखने, बेचने,* ~~या~~ सुपुर्द करने, *अथवा अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में रखने* की अनुमति नहीं देगा जिसे विक्रेता जानता है या उसे तर्कसंगत रूप से उसे जानना चाहिए।

अनुभाग 8.11. दंड संहिता में अनुभाग 30348 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

30348. (a) उप-खण्ड (b) में किए गए प्रावधान के सिवाए, लाइसेंसधारी विक्रेता द्वारा गोला-बारूद की बिक्री लाइसेंस में उल्लिखित स्थान पर की जाएगी।

(b) विक्रेता गोला-बारूद की बिक्री किसी गन शो या समारोह में कर सकता है यदि गन शो या समारोह किसी मोटर-वाहन या खींचकर ले जाने वाले वाहन से आयोजित न किया गया हो।

(c) इस अनुभाग के उद्देश्य से, "गन शो या समारोह" का अर्थ कोई ऐसा समारोह है जो हथियारों के संग्रहण, प्रतियोग उपयोग, या खेल-कूद के अन्य उपयोग को समर्पित किसी राष्ट्रीय, राज्य, या स्थानीय संगठन द्वारा प्रायोजित हो, अथवा किसी ऐसे संगठन या एसोसिएशन द्वारा प्रायोजित हो जो समुदाय में बंदूकों के संग्रहण, प्रतियोगी उपयोग, या खेलकूद के अन्य उपयोग को समर्पित समारोहों को प्रायोजित करता हो।

(d) गन शो या समारोह में गोला-बारूद की बिक्रियाँ अनुभाग 30347, 30350, 30352, और 30360 सहित सभी लागू कानूनों का पालन करते हुए की जाएंगी।

अनुभाग 8.12. दंड संहिता में अनुभाग 30350 को जोड़ा गया है, जिसे इस

प्रकार पढ़ा जाए:

30350. ~~कोई~~ *कोई गोला-बारूद* विक्रेता किसी ~~हैंडगन के~~ गोला-बारूद का स्वामित्व नहीं बेचेगा या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेगा, स्वामित्व की बिक्री की पेशकश नहीं करेगा या अन्यथा हस्तांतरण की पेशकश नहीं करेगा, या इस प्रकार स्वामित्व की बिक्री के लिए प्रदर्शित नहीं करेगा या हस्तांतरण के लिए प्रदर्शित नहीं करेगा जिससे कि वह गोला-बारूद विक्रेता या विक्रेता के किसी कर्मचारी की सहायता के बिना खरीददार या हस्तांतरित किए गए व्यक्ति की पहुँच में आ सके।

अनुभाग 8.13. दंड संहिता में अनुभाग 30352 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

30352. (a) ~~1 फरवरी 2011~~ *1 जुलाई, 2019 से आरंभ करते हुए, गोला-बारूद* विक्रेता *न्याय विभाग द्वारा यथा निर्धारित फॉर्म* पर निम्नलिखित सूचना सुपुर्दगी के समय स्पष्ट रूप से रिकार्ड किए बिना किसी ~~हैंडगन के~~ गोला-बारूद का स्वामित्व नहीं बेचेगा या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेगा।

(1) बिक्री या अन्य ~~लेन-देन~~ *हस्तांतरण* की तारीख।

(2) खरीददार का या हस्तांतरित किए गए व्यक्ति का वाहन चालक लाइसेंस या पहचान की अन्य संख्या तथा वह राज्य जिसमें यह जारी किया गया था।

(3) बेचे गए या अन्यथा हस्तांतरित किए गए गोला-बारूद का ब्रांड, किस्म, और मात्रा।

(4) खरीददार का या हस्तांतरित किए गए व्यक्ति का *पूरा नाम और* हस्ताक्षर।

(5) बिक्री या लेन-देन की अन्य कार्रवाई करने वाले बिक्री कर्मी का नाम।

~~(6) उपर्युक्त फॉर्म पर खरीददार के या हस्तांतरित किए गए व्यक्ति के दाएं हाथ के अंगूठे की छाप।~~

~~(7)~~ *(6)* खरीददार का या हस्तांतरित किए गए व्यक्ति का पूरा आवासीय पता और टेलीफोन नंबर।

~~(8)~~ *(7)* खरीददार की या हस्तांतरित किए गए व्यक्ति की जन्म-तिथि।

(b) 1 जुलाई, 2019 से आरंभ करते हुए, गोला-बारूद विक्रेता बारूद के स्वामित्व की सभी बिक्रियों और हस्तांतरणों के लिए उप-खण्ड (a) द्वारा अपेक्षित सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से विभाग को प्रेषित करेगा। विभाग इस सूचना को डेटाबेस में संजोकर रखेगा जिसे गोला-बारूद की खरीद के रिकार्डों की फाइल के रूप में जाना जाता है। यह सूचना गोपनीय रहेगी तथा California कानून प्रवर्तन दूर-संचार प्रणाली के माध्यम से, केवल कानून के प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए विभाग द्वारा और अनुभाग 11105 के उप-खण्ड (b) या (c) में उल्लिखित, और के अनुसार प्रतिष्ठानों द्वारा प्रयोग की जा सकेगी। गोला-बारूद विक्रेता खरीददार या हस्तांतरित किए गए व्यक्ति की व्यक्त लिखित सहमति के बिना इस उप-खण्ड द्वारा अपेक्षित प्रस्तुति के सिवाए किसी अन्य उद्देश्य के लिए ऐसी सूचना का प्रयोग, बिक्री, प्रकटीकरण, या इसे साझा नहीं करेगा।

(c) 1 जुलाई 2019 से प्रारंभ होकर, केवल इस उपखंड में सूचीबद्द व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति या प्रतिष्ठान जो उपखंड (e) में सूचीबद्ध हों, गोला-बारूद खरीदने के लिए अधिकृत होंगे। किसी गोला-बारूद की आपूर्ति से पूर्व, किसी गोला-बारूद विक्रेता को इस तथ्य का उपयुक्त साक्ष्य रखना होगा कि जो व्यक्ति गोला-बारूद प्राप्त कर रहा है, वह उपखंड (e) में सूचीबद्ध व्यक्ति या प्रतिष्ठान है अथवा निम्नलिखित है:

(1) कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनुभाग 30370 के तहत गोला-बारूद खरीद करने के लिए अधिकृत है।

(2) कोई ऐसा व्यक्ति जिसे विभाग द्वारा अनुभाग 28220 के तहत किसी गोला-बारूद विक्रेता से गोला-बारूद प्राप्त करने के लिए स्वीकृत किया गया हो, बशर्ते कि वह विक्रेता लाइसेंसशुदा अग्नेयास्त्र डीलर हो, और उस व्यक्ति को गोला-बारूद की आपूर्ति अग्नेयास्त्र वाले लेन-देन में ही की जाती हो।

(d) 1 जुलाई 2019 से आरंभ के साथ, गोला-बारूद विक्रेता, विभाग द्वारा वर्णित तरीके से, विभाग के साथ इस बात का सत्यापन करेगा कि वह व्यक्ति गोला-बारूद खरीद करने के लिए अधिकृत हो, जिसके लिए उस व्यक्ति के गोला-बारूद खरीद प्राधिकार संख्या की तुलना गोला-बारूद के अधिकृत खरीददार की केंद्रीकृत सूची से की जाएगी। यदि वह व्यक्ति अधिकृत खरीददार की केंद्रीकृत सूची में शामिल नहीं है तो विक्रेता उसे बेचने से इनकार या मना कर देगा।

~~(b)~~ *(e)* ~~उपखंड~~ *उपखंड* (a) *तथा (d)* ~~हैंडगन~~ गोला-बारूद विक्रेता द्वारा ~~हैंडगन~~ गोला-बारूद के स्वामित्व की बिक्री या अन्य हस्तांतरण पर लागू नहीं होगा ~~या प्रभावित नहीं करेगा,~~ यदि अच्छी तरह से पहचाना गया हो:

~~(1) अनुभाग 26700 से 26915 के तहत कोई ऐसा लाइसेंसशुदा व्यक्ति शामिल हो।~~

~~(2)~~ *(1)* ~~कोई हैंडगन~~ *कोई* गोला-बारूद विक्रेता।

~~(3)~~ *(2)* कोई व्यक्ति जो *मुक्त संघीय अग्नेयास्त्र लाइसेंसधारकों* की केंद्रीकृत सूची में शामिल हो, जिसे इस शीर्षक के खंड 6 के अध्याय 6 के अनुच्छेद 6 (अनुभाग 28450 से आरंभ होता है) के अंतर्गत विभाग द्वारा बनाए रखा जाता है।

~~(4)~~ *(3)* कोई ~~लक्षित इकाई, जिसके पास कोई व्यापारिक या विनियामक लाइसेंस हो~~ *व्यक्ति मौजूद हो, जो एक व्यापार या अन्य विनियामक लाइसेंस धारण करने वाली इकाई में गोला-बारूद की खरीद या प्राप्ति करता हो, बशर्ते कि सभी गोला-बारूद हर समय उस इकाई के भीतर रखा हो।*

~~(5)~~ *(4)* कोई बन्दूक बनाने वाला।

~~(6)~~ *(5)* कोई थोकविक्रेता।

~~(7)~~ *(6)* कोई अग्नेयास्त्रों *या गोला-बारूद* का निर्माता या आयातक, जो युनाइटेड स्टेट्स कोड के शीर्ष 18 के अध्याय 44 के अधीन (अनुभाग 921 से आरंभ करते हुए) तथा उसे जारी विनियमनों के अधीन लाइसेंस प्राप्त हो।

~~(8)~~ *(7)* किसी शहर, काउंटी, शहर तथा काउंटी, अथवा राज्य या संघीय सरकार का कोई अधिकृत कानून प्रवर्तन प्रतिनिधि, यदि स्वामित्व की बिक्री या अन्य हस्तांतरण उस सरकारी एजेंसी द्वारा विशेष इस्तेमाल के लिए हो, और, ~~हैंडगन~~ गोला-बारूद, की बिक्री, आपूर्ति या हस्तांतरण के पूर्व, उस लेनदेन की प्राधिकार एजेंसी के प्रमुख से उस व्यक्ति को कोई लिखित प्राधिकार मिलता हो, जिससे वह खरीद, आपूर्ति, या हस्तांतरण संपन्न किया जा रहा हो। उपयुक्त लिखित प्राधिकरण, उस एजेंसी के प्रमुख से प्राप्त सत्यापन योग्य लिखित प्रमाणपत्र माना जाता है, जिसके द्वारा खरीददार, स्थानांतरणकर्ता या स्वामित्व हासिल करने वाला अन्य व्यक्ति रोजगार प्राप्त हो, और उस कर्मचारी को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचान करता हो, जो लेनदेन के संचालन के लिए अधिकृत हो तथा उस एजेंसी के विशेष इस्तेमाल के लिए लेनदेन को प्राधिकृत करता हो, जिसके द्वारा उस व्यक्ति को रोजगार मिली हो।

(8) कोई उचित रूप से चिह्नित शपथबद्ध पीस ऑफिसर, जो भाग 2 के शीर्ष 3 के अध्याय 4.5 (अनुभाग 830 से आरंभ होता है) के रूप में वर्णित हो, या उचित रूप से चिह्नित शपथबद्ध संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी, जो अधिकारी के कर्तव्यों के दौरान तथा उस प्रयोजन से कोई अग्नेयास्त्र रखने के लिए अधिकृत हो।

(f) (1) उपयुक्त पहचान को, उस एजेंसी के प्रमुख से प्राप्त सत्यापन योग्य लिखित प्रमाणपत्र के रूप में माना जाता है, जिसके द्वारा खरीददार, या स्थानांतरणकर्ता रोजगार प्राप्त हो और उस खरीददार, या स्थानांतरणकर्ता की किसी पूर्णकालिक पीस ऑफिसर के रूप में पहचान करता हो, जो अधिकारी के कर्तव्यों के दौरान तथा उस प्रयोजन से कोई अग्नेयास्त्र रखने के लिए अधिकृत हो।

(2) विक्रेता को प्रमाणीकरण खरीद या स्थानांतरण के समय दिया जाएगा और खरीददार या स्थानांतरणकर्ता उपयुक्त प्रमाण प्रदान करेगा जो इस बात की पुष्टि करेगा कि वह व्यक्ति प्रमाणीकरण में अधिकृत है।

(3) विक्रेता उस प्रमाणीकरण को बिक्री के रिकॉर्ड के साथ रखेगा तथा वह प्रमाणीकरण विभाग को सौंपेगा।

(g) विभाग को इस अनुभाग के प्रावधानों को लागू करने के लिए विनियमों को अपनाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

63

अनुभाग 8.14. दंड संहिता में अनुभाग 30363 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

30363. पता चलने के 48 घंटों के भीतर, कोई गोला-बारूद विक्रेता निम्नलिखित में से किसी वस्तु के गुम होने या चोरी होने की सूचना उस शहर, काउंटी या शहर तथा काउंटी में उचित कानून प्रवर्तन एजेंसी को देगा, जहां विक्रेता के व्यापारिक परिसर स्थित हों:

(1) कोई गोला-बारूद जिसका वह विक्रेता व्यापारी हो।

(2) कोई गोला-बारूद जिसे अनुभाग 30312 के तहत विक्रेता अपने पास रखता हो।

(3) कोई गोला-बारूद जो विक्रेता के व्यापार स्थल पर रखा हो।

अनुभाग 8.15. दंड संहिता के भाग 6 के शीर्षक 4 के खण्ड 10 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 4 (अनुभाग 30370 से आरंभ) जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

अनुच्छेद 4. गोला-बारूद खरीद प्राधिकार

30370. (a) (1) 1 जनवरी 2019 से आरंभ के साथ, कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु का या उससे अधिक की आयु का हो, वह न्याय विभाग के पास किसी गोला-बारूद खरीद प्राधिकार के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) गोला-बारूद खरीद प्राधिकार का इस्तेमाल अधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी गोला-बारूद विक्रेता से गोला-बारूद के स्वामित्व की खरीद या हस्तांतरण के लिए किया जा सकता है, जैसा कि अनुभाग 16151 में परिभाषित हो, और कोई अन्य बल या प्रभाव नहीं लागू होगा।

(3) गोला-बारूद खरीद प्राधिकार 1 जुलाई 2019 से, अथवा जारी करने की तिथि से, जो भी बाद में हो, के बाद चार वर्षों के लिए वैध होगा, जबतक कि इसे विभाग द्वारा उपखंड (b) के तहत रद्द न किया जाए।

(b) किसी ऐसी घटना के घटित होने पर, जो इस अनुभाग के तहत धारक को गोला-बारूद खरीद प्राधिकार जारी करने से अयोग्य ठहराता हो, विभाग द्वारा गोला-बारूद खरीद प्राधिकार को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। यदि किसी प्राधिकार को रद्द किया जाता है, तो ऐसा करने के लिए धारक के राज्य के लिखित अनुरोध पर, विभाग धारक को उस निरस्तीकरण को चुनौती देने के लिए एक अपील प्रक्रिया प्रदान करेगा।

(c) विभाग ऐसे सभी लोगों की एक आंतरिक केंद्रीकृत सूची तैयार करेगा और उसे बनाए रखेगा, जो गोला-बारूद की खरीद करने के लिए अधिकृत हैं और उस सूची से उस व्यक्ति को तत्काल हटाएगा जिसके प्राधिकार को इस अनुभाग के तहत विभाग द्वारा रद्द कर दिया गया हो। विभाग उस सूची की पहुंच गोला-बारूद विक्रेता को देगा, ताकि वह गोला-बारूद की बिक्री या अन्य हस्तांतरणों के उद्देश्यों को पूरा कर सके, और उस सूची की पहुंच कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रदान करेगा ताकि ऐसी एजेंसियां कानून के प्रवर्तन के उद्देश्यों को पूरा कर सके।

(d) विभाग आवेदक को एक गोला-बारूद खरीद प्राधिकार जारी करेगा, यदि निम्नांकित में से सभी दशाओं को पूरा कर लिया जाता है:

(1) आवेदक 18 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु का हो।

(2) आवेदक अनुभाग 30305 के उपखंड (a) या संघीय कानून के तहत गोला-बारूद हासिल करने या रखने के लिए प्रतिबंधित न हो।

(3) आवेदक उपखंड (g) में वर्णित अनुसार शुल्क का भुगतान करता हो।

(e) (1) एक आरंभिक या नवीकरण आवेदन प्राप्त होने पर, विभाग इसके रिकॉर्ड्स और उन रिकॉर्डों की जांच करेगा, जिन्हें यह वेलफेयर और इंस्टीटयूट कोड के अनुभाग 8104 के तहत, राज्य अस्पतालों के राज्य विभाग से अनुरोध करने का अधिकार रखता है, और यदि अधिकृत किया जाता है, तब युनाइटेड स्टेट्स कोड के शीर्षक 18 के अनुभाग 922(t) के तहत वर्णित अनुसार नेशनल इंस्टैंट क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक सिस्टम यह निर्धारित करने के क्रम में कि वह आवेदक अनुभाग 30305के उपखंड (a) अथवा संघीय कानून अपने पास गोला-बारूद रखने, या हासिल करने के लिए प्रतिबंधित है।

(2) विभाग के समक्ष आवेदन सौंपने के 30 दिनों के भीतर आवेदक को मंजूरी प्रदान की जाएगी या उसे इंकार कर दिया जाएगा। यदि आवेदन को रद्द किया जाता है, तो विभाग ऐसा करने का कारण बताएगा और आवेदक को उस अस्वीकार को चुनौती देने के लिए एक अपील प्रक्रिया प्रदान करेगा।

(3) यदि विभाग आवेदक की सुपुर्दगी के 30 दिनों के भीतर आवेदन की अंतिम स्थिति को सुनिश्चित करने में असमर्थ रहता है, तब विभाग उसे आवेदन के लिए प्राधिकार की मंजूरी देगा।

(4) गोला-बारूद खरीद प्राधिकार संख्या वही होनी चाहिए जो व्यक्ति द्वारा उपयुक्त पहचान प्रमाण के रूप में पेश किए दस्तावेज पर मौजूद होती है।

(f) विभाग, अवधि के समाप्त होने से पहले किसी व्यक्ति के गोला-बारूद खरीद प्राधिकार को नवीनीकृत करेगा, बशर्ते कि विभाग यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदक अनुभाग 30305 के उपखंड (a) के तहत अथवा संघीय कानून द्वारा अपने पास गोला-बारूद रखने, या हासिल करने के लिए प्रतिबंधित न हो और आवेदक ने उपखंड (g) में वर्णित अनुसार नवीकरण शुल्क को समय पर अदा कर दिया हो।

(g) गोला-बारूद खरीद प्राधिकार जारी करने या एक नवीनीकृत प्राधिकार जारी करने के लिए विभाग अधिकतम पचास डॉलर ($50) तक का शुल्क वसूल सकता है, हालांकि विभाग उचित, अनुमानित लागतों की भरपाई के लिए इस अनुभाग में तथा अनुभाग 30352में प्रदत्त गोला-बारूद प्राधिकार कार्यक्रम को निधि प्रदान करने हेतु इन शुल्कों को आवश्यकता से अधिक नहीं बढ़ाएगा, जिसमें इस कार्यक्रम का प्रवर्तन तथा इस कार्यक्रम से जुड़ी किन्हीं डेटा प्रणालियों को बनाए रखना शामिल है।

(h) एतद्द्वारा, गोला-बारूद सुरक्षा और प्रवर्तन विशेष फंड का सृजन राज्य कोषागार द्वारा किया जाता है। इस अनुभाग के तहत प्राप्त सभी शुल्कों को गोला-बारूद सुरक्षा और प्रवर्तन विशेष फंड ऑफ जेनरल फंड में जमा किया जाएगा और सरकारी संहिता के अनुभाग 13340 के बावजूद, उनका इस अनुभाग में तथा अनुभाग 30352 में प्रदत्त गोला-बारूद प्राधिकार कार्यक्रम के कार्यान्वियन, परिचालन तथा प्रवर्तन के उद्देश्यों के लिए तथा अनुभाग 30371 में प्रदत्त स्टार्ट-अप ऋण को चुकाने के लिए निरंतर रूप से निर्दिष्ट उपयोग किया जाता है।

(i) विभाग, उपखंड (g) में मुद्रास्फीति के लिए वर्णित सभी शुल्कों को वार्षिक रूप से समीक्षा करेगा।

(j) विभाग इस अनुभाग के प्रावधानों के कार्यांवयन के लिए विनियमनों को अपनाने के लिए अधिकृत है।

30371. (a) अनुभाग 30352 तथा 30370 में प्रदत्त गोला-बारूद प्राधिकार कार्यक्रम के प्रावधानों के कार्यांवयन, परिचालन तथा प्रवर्तन की स्टार्ट-अप लागतों के लिए एतद्द्वारा एक ऋण के रूप में सामान्य निधि से पच्चीस मिलियन डॉलर ($25,000,000) का निर्दिष्ट उपयोग किया जाता है।

(b) अनुभाग 30352 तथा 30370 में प्रदत्त गोला-बारूद प्राधिकार कार्यक्रम के प्रावधानों के कार्यांवयन, परिचालन तथा प्रवर्तन के लिए आवश्यक धन के संवितरण के बाद, ऋण चुकाने के लिए कंट्रोलर, इस अनुभाग द्वारा प्रदत्त ऋण की राशि जितनी गोला-बारूद सुरक्षा और प्रवर्तन विशेष फंड तथा प्रवर्तन विशेष फंड द्वारा प्राप्त सभी धनराशियों को, एकत्रित धन निवेश खाता दर पर ब्याज समेत, सामान्य निधि में जमा करा देगा।

अनुभाग 8.16. दंड संहिता के भाग 6 के शीर्षक 5 के खण्ड 10 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 4 (अनुभाग 30385 से आरंभ) जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

अनुच्छेद 5. गोला-बारूद विक्रेता लाइसेंस

30385. (a) न्याय विभाग इस अनुच्छेद के तहत गोला-बारूद विक्रेता लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत होता है। यह विभाग, 1 जुलाई 2017 से आरंभ के साथ, गोला-बारूद विक्रेता लाइसेंसों के लिए आवेदनों को स्वीकार

करना आरंभ करेगा। यदि किसी आवेदन को रद्द किया जाता है, तो विभाग लिखित रूप में आवेदक को ऐसा करने का कारण बताएगा।

(b) गोला-बारूद विक्रेता लाइसेंस विभाग द्वारा वर्णित फॉर्म में जारी किया जाएगा, और यह एक वर्ष की अवधि तक वैध होगा। विभाग, आवेदन तथा इस अनुच्छेद के प्रावधानों को प्रशासित करने के लिए विनियमनों को अपना सकता है। यह लाइसेंस लाइसेंसधारक व्यक्ति को लाइसेंस में वर्णित स्थान पर या अनुभाग 30348 के तहत निर्धारित गन शो या ईवेंट में गोला-बारूद बेचने की अनुमति देगा।

(c) (1) किसी स्वाभाविक व्यक्ति से इतर किसी प्रतिष्ठान की स्थिति में, विभाग उस प्रतिष्ठान को लाइसेंस जारी करेगा, पर इसके अनुसार अनुभाग 30395 के तहत एक जिम्मेदार व्यक्ति को पृष्ठभूमि जांच पूरी करनी होगी।

(2) इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए, "जिम्मेदार व्यक्ति" का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास गोला-बारूद से जुड़े प्रतिष्ठान की प्रबंधन, नीतियों तथा प्रथाओं को निर्देशित करने की शक्ति हो।

(d) 1 जनवरी 2018 से आरंभ के साथ, किसी अग्नेयास्त्र डीलर को अनुभाग 26700 से 26915 के बीच, स्वतः ही एक लाइसेंसशुदा गोला-बारूद विक्रेता माना जाएगा, बशर्ते कि वह डीलर अनुच्छेद 2 (अनुभाग 30300 से आरंभ के साथ) तथा अनुच्छेद 3 (अनुभाग 30342 से आरंभ के साथ) की आवश्यकताओं का पालन करता हो।

30390. (a) न्याय विभाग गोला-बारूद विक्रेता लाइसेंस आवेदकों से एक उचित शुल्क वसूल सकता है, जो लाइसेंस कार्यक्रम के प्रशासन की उचित अनुमानित लागतों के संवितरण के लिए यथोचित हो, जिसमें इस कार्यक्रम का प्रवर्तन तथा गोला-बारूद विक्रेता ों की रजिस्ट्री का रखरखाव भी शामिल होगा।

(b) इस अनुच्छेद के तहत विभाग द्वारा प्राप्त शुल्क को गोला-बारूद विक्रेता स्पेशल द्वारा सृजित खाते में जमा करा दिया जाएगा। सरकारी संहिता के अनुभाग 13340 के बावजूद, फंड के राजस्व को निरंतर रूप से इस अनुच्छेद के प्रावधानों के कार्यांवयन, प्रशासन तथा प्रवर्तन के उद्देश्य से तथा अनुभाग 30352 के तहत सौंपी गई सूचना के संग्रह तथा रखरखाव के लिए विभाग द्वारा निर्दिष्ट उपयोग किया जाता है।

(c) फायरआर्म्स सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट स्पेशल फंड का राजस्व, इस अनुच्छेद के प्रावधानों के कार्यांवयन तथा प्रवर्तन के उद्देश्य के लिए विभाग द्वारा निर्दिष्ट उपयोग हेतु उपलब्ध होगा।

30395. (a) न्याय विभाग ऐसे आवेदकों को गोला-बारूद विक्रेता लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत होता है, जिसे विभाग ने एक व्यक्ति के रूप में या एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में माना हो, जिन्हें अनुभाग 30305 या संघीय कानून द्वारा उपखंड (a) के तहत गोला-बारूद को रखने, प्राप्त करने, स्वामित्व में रखने, या खरीद करने के लिए प्रतिबंधित न किया गया हो और जो स्थानीय सरकार द्वारा आवश्यक कोई विनियामक या व्यापार लाइसेंस की एक प्रति, स्टेट बोर्ड ऑफ ईक्वलाइज़ेशन द्वारा जारी एक वैध विक्रेता परमिट, यदि व्यक्ति संघीय रूप से लाइसेंसशुदा हो, तो एक संघीय अग्नेयास्त्र लाइसेंस तथा विभाग द्वारा जारी एक योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान करता हो।

(b) यह विभाग सभी लाइसेंसशुदा गोला-बारूद विक्रेताओं की एक रजिस्ट्री रखेगा। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कानून प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए रजिस्ट्री की पहुंच प्रदान करेगा।

(c) कोई गोला-बारूद विक्रेता लाइसेंस अनुच्छेद 2 (अनुभाग 30300 से आरंभ होता है) या अनुच्छेद 3 (अनुभाग 30342 से आरंभ होता है) के निषेधों तथा आवश्यकताओं के किसी उल्लंघन के लिए जब्ती के अधीन होता है।

अनुभाग 9. इस अधिनियम की कोई चीज किसी स्थानीय अध्यादेश का निवारण नहीं करता या उसका स्थान नहीं लेता है, जो गोला-बारूद की बिक्री या स्थानांतरण के संदर्भ में अतिरिक्त दंड या आवश्यकताओं को आरोपित करता हो।

अनुभाग 10. प्रतिबंधित व्यक्तियों से अग्नेयास्त्रों को सुरक्षित रखना।

अनुभाग 10.1. दंड संहिता में अनुभाग 1524 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

1524. (a) निम्नांकित में से किसी आधार पर एक सर्च वारंट जारी किया जा सकता है:

(1) जब प्रॉपर्टी की चोरी हो गई हो या उसका ग़बन कर लिया गया हो।

(2) जब प्रॉपर्टी या चीजों का इस्तेमाल एक घोर अपराध को अंजाम देने में किया गया हो।

(3) जब प्रॉपर्टी या चीजें किसी ऐसे व्यक्ति के अधिकार में हो, जो उसका इस्तेमाल किसी सार्वजनिक अपराध को अंजाम देने के साधन के रूप में करने का लक्ष्य रखता हो, या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार में हो, जिसे उसने छुपाने के लिए या पता न चलने से बचाने के लिए दिया हो।

(4) जब जब्त की जाने वाली प्रॉपर्टी या चीजों में एक ऐसा मद हो या ऐसा साक्ष्य मौजूद हो जो यह बताए कि एक घोर अपराध को अंजाम दिया गया है, या यह बताने की प्रवृत्ति रखता हो कि एक व्यक्ति विशेष ने एक घोर अपराध किया है।

(5) जब जब्त की जाने वाली प्रॉपर्टी या चीजों में एक ऐसा साक्ष्य मौजूद हो जो यह बताए कि अनुभाग 311.3 के उल्लंघन के रूप में किसी बच्चे का यौन शोषण किया गया है या किया जा रहा है, या ऐसा मामला शामिल हो जो बताता हो कि अनुभाग 311.11 के उल्लंघन के रूप में किसी 18 वर्ष से कम की आयु वाले व्यक्ति ने यौनाचार किया हो।

(6) जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का वारंट हो।

(7) जब किसी इलैक्ट्रॉनिक संचार सेवा या रिमोट कम्यूटिंग सेवा प्रदाता के पास अनुभाग 1524.3 में वर्णित कोई रिकॉर्ड्स या साक्ष्य हो, जो यह दिखाए कि प्रॉपर्टी की चोरी हुई थी या ग़बन किया गया था जो कि एक छोटा अपराध है, अथवा वह प्रॉपर्टी या चीजें किसी ऐसे व्यक्ति के अधिकार में हो, जो उनका इस्तेमाल किसी छोटे सार्वजनिक अपराध को अंजाम देने के साधन के रूप में करने का लक्ष्य रखता हो, या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार में हो, जिसे उसने छुपाने के लिए या पता न चलने से बचाने के लिए दिया हो।

(8) जब जब्त की जाने वाली प्रॉपर्टी या चीजों में एक ऐसा मद हो या ऐसा साक्ष्य मौजूद हो जो मजदूर संहिता के अनुभाग 3700.5 का उल्लंघन को दिखाता हो अथवा यह दिखाता हो कि किसी व्यक्ति विशेष ने मजदूर संहिता के अनुभाग 3700.5 का उल्लंघन किया है।

(9) जब घटना स्थल पर या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिग्रहित या नियंत्रण वाले परिसरों से, जिसे किसी घरेलू हिंसा के लिए गिरफ्तार किया गया हो, जिसमें मानव जीवन पर खतरा उत्पन्न हुआ हो अथवा अनुभाग 18250 में वर्णित रूप में एक शारीरिक हमला किया गया हो, जब्त की जाने वाली प्रॉपर्टी या चीजों में एक अग्नेयास्त्र शामिल हो या कोई अन्य खतरनाक हथियार शामिल हो। यह अनुभाग अनुभाग 18250 द्वारा प्राधिकृत वारंट के बिना जब्ती को अन्य रूप से प्रभावित नहीं करता है।

(10) जब जब्त की जाने वाली प्रॉपर्टी या चीजों में एक अग्नेयास्त्र शामिल हो या कोई अन्य खतरनाक हथियार शामिल हो, जिसे वेलफेयर और इंस्टीटयूट कोड के उपखंड (a) अनुभाग 8102 में वर्णित व्यक्ति द्वारा स्वामित्व में रखा जाता हो, या उसके कब्ज़े में, अथवा उसकी निगरानी अथवा नियंत्रण में हो।

(11) जब जब्त की जाने वाली प्रॉपर्टी या चीजों में एक अग्नेयास्त्र शामिल हो या कोई अन्य खतरनाक हथियार शामिल हो, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा स्वामित्व में रखा जाता हो, या उसके हिरासत अथवा उसके नियंत्रण में हो, जो फैमिली कोड के अनुभाग 6389 के तहत अग्नेयास्त्रों के लिए प्रतिबंधित हो, यदि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा एक प्रतिबंधित अग्नेयास्त्र रखा जाता हो, उसके स्वामित्व में पाया जाता हो अथवा उसके हिरासत में पाया जाता हो जिसके खिलाफ फैमिली कोड अनुभाग 6218 के तहत रक्षात्मक आदेश जारी किया गया हो, उस व्यक्ति

ने कानून सम्मत रूप से उस आदेश का पालन किया हो तथा वह व्यक्ति कानून की आवश्यकता के अनुसार अग्नेयास्त्र छोड़ने में विफल रहता है।

(12) जब ट्रेकिंग डिवाइस के इस्तेमाल से प्राप्त सूचना में ऐसा साक्ष्य मौजूद हो जो दर्शाता है कि फिश एंड गेम कोड के उल्लंघन का या तो एक घोर अपराध किया गया हो या एक दुष्कृत्य किया गया हो, अथवा सार्वजनिक संसाधन संहिता का एक दुष्कृत्य वाला उल्लंघन किया गया हो, या किया जा रहा हो, यह बताता हो कि किसी व्यक्ति विशेष ने फिश एंड गेम कोड के उल्लंघन का एक घोर अपराध किया गया है, एक दुष्कृत्य किया गया हो, अथवा सार्वजनिक संसाधन संहिता का एक दुष्कृत्य वाला उल्लंघन किया गया हो, या एक घोर अपराध कर रहा हो, अथवा फिश एंड गेम कोड के उल्लंघन का एक दुष्कृत्य किया गया हो, अथवा सार्वजनिक संसाधन संहिता का एक दुष्कृत्य वाला उल्लंघन किया गया हो, या किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान करने में मदद करेगा जिसने फिश एंड गेम कोड के उल्लंघन का एक दुष्कृत्य किया हो, अथवा सार्वजनिक संसाधन संहिता का दुष्कृत्य वाला उल्लंघन किया हो। इस पैरा के तहत जारी किया गया एक ट्रैकिंग डिवाइस सर्च वारंट को एक ऐसे तरीके से लागू किया जाएगा जो अनुभाग 1534 के उपखंड (b) में वर्णित आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

(13) जब किसी व्यक्ति के रक्त नमूने में ऐसा साक्ष्य मौजूद हो जो वाहन संहिता के अनुभाग 23140, 23152, या 23153 का उल्लंघन को दर्शाता है और जिस व्यक्ति से रक्त नमूना लिया जाने वाला हो उसने वाहन संहिता के अनुभाग 23612 के तहत आवश्यक रक्त नमूना सौंपने या पूरा करने के लिए किसी अधिकारी के अनुरोध को खारिज कर दिया हो, और तब वह नमूना उस व्यक्ति से किसी यथोचित, चिकित्सीय रूप से स्वीकृत तरीके से लिया जाएगा। यह पैरा मामला-दर-मामला के आधार पर किसी सर्च वारंट को जारी करने की योग्यता के निर्धारण के किसी अदालत के आदेश को निरस्त करने की मंशा नहीं रखता है।

(14) 1 जनवरी 2016 से आरंभ के साथ, जब्त की जाने वाली प्रॉपर्टी या चीज अग्नेयास्त्र या गोला-बारूद अथवा दोनों हों, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अपने स्वामित्व में रखा जाता हो, या उसकी निगरानी अथवा उसके नियंत्रण में हो, जो (अनुभाग 18100 से आरंभ के साथ) के भाग 6 के शीर्ष 2 के खंड 3.2 के तहत बंदूक हिंसा संयमकारी आदेश प्राप्त किया हो, यदि एक प्रतिबंधित अग्नेयास्त्र या गोला-बारूद अथवा दोनों किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा रखा जाता हो, उसके स्वामित्व में पाया जाता हो अथवा उसकी निगरानी में हो जिसके खिलाफ एक बंदूक हिंसा संयमकारी आदेश जारी किया जा चुका हो, उस व्यक्ति ने कानून सम्मत रूप से उस आदेश का पालन किया हो तथा वह व्यक्ति कानून की आवश्यकता के अनुसार अग्नेयास्त्र छोड़ने में विफल रहता है।

(15) 1 जनवरी 2018 से आरंभ के साथ, जब्त की जाने वाली प्रॉपर्टी या चीजों में कोई अग्नेयास्त्र शामिल हो जो किसी ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व में हो, या उसके पास हो, या उसकी निगरानी अथवा उसके नियंत्रण में हो, जो अनुभाग 29800 या 29805 के तहत अग्नेयास्त्रों के लिए प्रतिबंधित हो, तथा अदालत ने अनुभाग 29810 के उपखंड (c) के पैरा (3) के तहत यह निर्धारित किया हो वह व्यक्ति कानून की आवश्यकता के अनुसार अग्नेयास्त्र छोड़ने में विफल रहा है।

~~(15)~~ *(16)* जब जब्त की जाने वाली प्रॉपर्टी या चीज एक नियंत्रित पदार्थ या एक उपकरण, मशीन, इंस्ट्रूमेंट, अथवा पाराफर्नेलिया हो, जिसका इस्तेमाल स्वास्थ्य तथा सुरक्षा संहिता के अनुभाग 11472 में वर्णित प्राधिकार के तहत किसी नियंत्रित पदार्थ के इस्तेमाल या उपयोग के लिए अवैध रूप से किया जाता हो।

~~(16)~~ *(17)* (A) जब निम्नांकित में से सारे लागू होते हों:

(i) किसी व्यक्ति के रक्त नमूने में ऐसा साक्ष्य मौजूद हो, जो बंदरगाह तथा नेविगेशन कोड के अनुभाग 655 के उपखंड (b), (c), (d), (e), या (f) का उल्लंघन करता हो।

(ii) ऐसा व्यक्ति जिससे रक्त नमूना लिया जाने वाला हो, और उसने बंदरगाह तथा नेविगेशन संहिता के अनुभाग 655.1 के तहत आवश्यक रक्त नमूना सौंपने के लिए किसी अधिकारी के अनुरोध को खारिज कर दिया हो, या उसे पूरा करने में विफल रहा हो।

(iii) उस व्यक्ति से रक्त नमूना एक यथोचित, चिकित्सीय रूप से स्वीकृत तरीके से लिया जाएगा।

(B) यह पैरा मामला-दर-मामला के आधार पर किसी सर्च वारंट को जारी करने की योग्यता के निर्धारण के किसी अदालत के आदेश को निरस्त करने की मंशा नहीं रखता है।

(b) उपखंड (a) में वर्णित प्रॉपर्टी, चीजों, व्यक्ति, या एकाधिक व्यक्तियों को किसी स्थान से या किसी अन्य व्यक्ति से जिसके अधिकार में प्रॉपर्टी या चीज हो सकती हैं, वारंट पर लिया जा सकता है।

(c) उपखंड (a) या (b) के बावजूद, कोई वारंट किसी ऐसे प्रलेखित साक्ष्य के लिए नहीं जारी किया जाएगा, जो ऐसे व्यक्ति के पास हो या उसके नियंत्रण में हो जो साक्ष्य संहिता के अनुभाग 950 के तहत वर्णित कोई वकील हो, साक्ष्य संहिता के अनुभाग 990 में वर्णित कोई चिकित्सक हो, साक्ष्य संहिता के अनुभाग 1010 के तहत कोई मनोचिकित्सक हो, या साक्ष्य संहिता के अनुभाग 1030 पादरी समूह का एक सदस्य हो, और जिनपर यथोचित रूप से उस प्रलेखित साक्ष्य से जुडी आपराधिक गतिविधि में लिप्त हो या शामिल हो, जिसके लिए एक वारंट का अनुरोध किया गया, जबतक कि निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी न कर ली गई हो:

(1) वारंट जारी करते समय, अदालत उपखंड (d) के अनुरूप वारंट पाने वाले व्यक्ति के लिए एक विशेष मास्टर नियुक्त करेगा। वारंट की सेवा पर, वह विशेष मास्टर विशेष मदों के अधीन स्थित पक्ष को उन मदों के अनुरोध के बारे में सूचित करेगा और उस पक्ष के पास अनुरोध किए मदों को प्रदान करने का अवसर होगा। यदि विशेष मास्टर की राय में वह पक्ष अनुरोध किए मद को प्रदान करने में विफल रहता है, तो वह विशेष मास्टर सर्च वारंट में संकेत किए मदों वाले क्षेत्रों में उस मद की खोज संचालित करेगा।

(2) (A) यह पक्ष जो राज्यों को सुझाया हो कि किसी मद या मदों को प्रकट न किया जाए, उन्हें विशेष मास्टर द्वारा सील कर दिया जाएगा और अदालत में सुनवाई के लिए ले जाया जाएगा।

(B) सुनवाई के समय, खोज किया गया पक्ष किसी ऐसे मुद्दे को उठाने का अधिकार रखेगा जो अनुभाग 1538.5 के तहत उठाया जा सकता है और साथ ही ऐसा दावा कर सकता है कि वह मद या एकाधिक मद विशेषाधिकारयुक्त और कानून द्वारा प्रदत्त हो। सुनवाई वरिष्ठ न्यायालय द्वारा की जाएगी। अदालत पक्षों को सलाहकार हासिल करने के लिए तथा प्रस्ताव तैयार करने या साक्ष्य पेश करने के लिए पर्याप्त समय देगी। सुनवाई वारंट की सेवा के तीन दिनों के भीतर संपन्न की जाएगी, जबतक कि अदालत यह राय न कायम कर ले कि शीघ्र सुनवाई व्यवहार्य है। वैसी स्थिति में, मास्टर की सुनवाई जल्द से जल्द की जाएगी।

(C) यदि किसी मद या मदों को सुनवाई के लिए अदालत में ले जाया जाता है, तो जब्ती के समय भाग 2 के शीर्षक 3 के अध्याय 2 (अनुभाग 799 से आरंभ होता है) में वर्णित कोई समय सीमा लगाई जाएगी, जबतक कि सुनवाई का अंतिम निष्कर्ष न आ जाए, जिसमें कोई सहयोगी रिट या अपील सुनने वाली कार्यवाही भी शामिल हो।

(3) जब कभी भी व्यवहार्य हो, वह वारंट सामान्य व्यवसाय घंटों के दौरान दिया जाए। इसके अलावा, वारंट को उस पार्टी को भेजा जाएगा जिसके अधिकार या नियंत्रण में वह वांछित मद रहता है। यदि, यथोचित प्रयासों के बाद, वारंट झेलने वाला पक्ष उस व्यक्ति की पहचान करने में असमर्थ रहता हो, तब विशेष मास्टर अदालत को किसी मद के निर्धारण के लिए सील कर वापस लौटाएगा, जो कानून द्वारा विशेषाधिकारयुक्त प्रतीत होता हो।

(d) (1) जैसा कि इस अनुभाग में प्रयुक्त है, एक "स्पेशल मास्टर" एक अटॉर्नी होता है जो California स्टेट बार का एक सदस्य होता है और जिसे योग्य अटॉर्नियों की सूची से चुना गया हो, जिसे स्टेट बार द्वारा विशेष कर इस अनुभाग में वर्णित खोजों के संचालन के उद्देश्यों के लिए बनाए रखा जाता है। ये अटॉर्नी बिना मुआवजा के सेवा देंगे। एक विशेष मास्टर को एक सार्वजनिक कर्मचारी माना जाएगा, तथा सरकारी प्रतिष्ठान जिसने सर्च वारंट को जारी

करवाया, विशेष मास्टर और प्रयोज्य सार्वजनिक प्रतिष्ठान का नियोक्ता माना जाएगा, जो सरकारी संहिता के शीर्षक 1 के खंड 3.6 (अनुभाग 810 से आरंभ के साथ) के उद्देश्य के अनुरूप सार्वजनिक प्रतिष्ठानों तथा सार्वजनिक कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाहियों तथा दावों से जुड़ा होगा। विशेष मास्टर के चयन में, अदालत यह सुनिश्चित करने का हर संभव उचित प्रयास करेगी कि चयनित व्यक्ति का लंबित मामले में शामिल किन्हीं पक्षों से कोई संबंध न हो। विशेष मास्टर द्वारा प्राप्त सूचना गोपनीय होगी तथा अदालत द्वारा पूछताछ के प्रत्यक्ष अनुक्रिया के अलावा प्रकट नहीं की जा सकती है।

(2) कोई भी मामला जिसमें मजिस्ट्रेट निर्धारित करता है कि, एक विशेष मास्टर हासिल करने के लिए उचित प्रयास किए जाने के बाद, कोई विशेष मास्टर उपलब्ध नहीं है और पर्याप्त समयावधि में उपलब्ध नहीं होगा, इस अनुभाग में वर्णित विशेष मास्टर के बदले मजिस्ट्रेट पार्टी को पेश करने के लिए जांच करने का आदेश जारी कर सकता है।

(e) एक विशेष मास्टर द्वारा इस अनुभाग के अनुसार की गई कोई भी जांच ऐसे तरीके से संचालित हो सकती है, जो पार्टी को उसके या उसके पदनामित को वारंट जारी करने का अधिकार देती है, विशेष मास्टर का साथ देने के लिए, जिसने उसके या उसकी जांच की है। हालांकि, पार्टी या उसके या उसकी पदनामित न तो जांच में हिस्सा ले सकते हैं और न ही विशेष मास्टर द्वारा जांचे गए किसी भी मद की छानबीन कर सकते हैं, पार्टी के उस करार को छोड़कर जिस पर वारंट जारी किया गया है।

(f) इस अनुभाग में प्रयुक्त रूप, "दस्तावेजी साक्ष्यों" में लेखन, दस्तावेज, ब्लूप्रिंट, चित्रों, तस्वीरों, कंप्यूटर प्रिंटआउट, माइक्रोफिल्में, एक्स-रे, फाइलें, डायग्राम, लेजर, किताबें, टेपें, ऑडियो और वीडियो रिकार्डिंगें, फिल्में और किसी भी प्रकार के कागजात या विवरण शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

(g) साक्ष्य संहिता के अनुभाग 1070 में वर्णित किसी मद या मदों के लिए कोई वारंट जारी नहीं किया जाएगा।

(h) किसी भी अन्य कानून के होते हुए, सिविल कार्यविधियों की संहिता के भाग 4 के शीर्षक 4 के अध्याय 4 (अनुभाग 2018.010 के साथ शुरू करते हुए) में वर्णित अटॉर्नी का प्रबंध कार्य का कोई दावा अनवरत रहेगा, जहां पर विश्वास करने का संभावित कारण है, कि वकील दस्तावेजी साक्ष्य से संबंधित आपराधिक गतिविधियों में लग रहा है या लगा हुआ है, जिसके लिए वारंट का अनुरोध किया जाता है, जब तक कि वारंट के अंतर्गत जब्त किए गए दस्तावेजी साक्ष्य के संबंध में सुनवाई में यह नहीं साबित हो जाए कि उस वकील की सेवाएं, कोई धोखाधड़ी या अपराध करने या उसकी योजना बनाने में किसी की मदद या उसे सक्षम करने के लिए नहीं मांगी अथवा ली गईं थीं।

(i) इस अनुभाग में एक अटॉर्नी का एक बंद कमरे में सुनवाई की मांग का अधिकार लोग बनाम सुप्रीम कोर्ट (Laff) (2001) 25 Cal.4th 703 में California के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के अनुसार, सीमित करने का इरादा नहीं है।

(j) एक मजिस्ट्रेट को किसी दूसरे काउंटी के किसी व्यक्ति या संपत्ति के लिए वारंट जारी करने की अनुमति देने वाली वैसी किसी अन्य परिस्थिति के अतिरिक्त, जब संपत्ति या किसी चीज से तैयार वस्तुएं जब्त हो सकती हैं, या साक्ष्य का गठन अनुभाग 530.5 का उल्लंघन होता दिखता है, मजिस्ट्रेट किसी दूसरी काउंटी के किसी व्यक्ति या वहां स्थित संपत्ति की जांच के लिए वारंट जारी कर सकता है बशर्ते वह व्यक्ति जिसकी पहचान की जानकारी उसी काउंटी में ली या इस्तेमाल की गई है, वहीं का निवासी है जहां की अदालत ने जारी किया है।

(k) यह अनुभाग किसी भी विदेशी या California कॉर्पोरेशन के अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों, या अन्य निर्दिष्ट लोगों के स्थान की सूचना उपलब्ध कराने के लिए उनके खिलाफ वाद हेतुक बनाने के लिए नहीं लगाई जा सकेगी।

अनुभाग 10.2. दंड संहिता में अनुभाग 27930 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

27930. अनुभाग 27545 निम्नलिखित में से किसी के अनुसार की जाने वाली आग्नेयास्त्रों की डिलीवरी, स्थानांतरण, या वापसी के लिए लागू नहीं होगी:

(a) अनुभाग 18000 और 18005 ।

(b) शीर्षक 2 का खंड 4 (अनुभाग 18250 के साथ शुरू करते हुए)।

(c) खंड 11 का अध्याय 2 (अनुभाग 33850 के साथ शुरू करते हुए)।

(d) अनुभाग 34005 और 34010 ।

(e) अनुभाग 29810 ।

अनुभाग 10.3. दंड संहिता में अनुभाग 29810 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

29810. (a) कोई भी व्यक्ति जो अनुभाग 29800 या 29805 के अधीन हो, फैसला सुनाए जाने के समय अदालत उसे न्याय विभाग की ओर से प्रदान किए जाने वाले फॉर्म पर एक नोटिस देगी कि इस अध्याय के अंतर्गत प्रतिवादी के स्वामित्व, खरीदारी, प्राप्ति, आधिपत्य, या अभिरक्षण या नियंत्रण में कोई आग्नेयास्त्र रखना निषिद्ध होगा। नोटिस प्रतिवादी को आग्नेयास्त्रों से जुड़े निषेध के बारे में सूचित करेगा और इसमें आग्नेयास्त्रों के स्थानांतरण को सुविधा देने के लिए एक फॉर्म शामिल होगा। यदि अदालत के आदेश के अनुसार निर्दिष्ट तारीख को किसी आग्नेयास्त्र के स्वामित्व या आधिपत्य पर निषेध समाप्त होगा, तो फॉर्म को प्रतिवादी को सूचित करना होगा कि वह अनुभाग 29830 के अनुसार अपने आग्नेयास्त्र को लाइसेंसधारी आग्नेयास्त्र डीलर को स्थानांतरित करना चुन सकता है।

(b) उपखंड (a) में वर्णित नोटिस देने में असफल होना इस अध्याय के उल्लंघन से बचाव नहीं है।

(c) 1 जनवरी, 2018 से यह अनुभाग निरस्त कर दिया जाएगा।

अनुभाग 10.4. दंड संहिता में अनुभाग 29810 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

29810. (a) (1) अनुभाग 29800 या अनुभाग 29805 के तहत आने वाले किसी भी अपराध साबित होने पर, व्यक्ति इस अनुभाग के अनुसार अपने स्वामित्व, आधिपत्य, या अभिरक्षण या नियंत्रण में आने वाली सभी आग्नेयास्त्रों को छोड़ेगा।

(2) प्रतिवादी के उपखंड (a) में वर्णित अपराध का दोषी साबित होने पर अदालत उसे किसी भी आग्नेयास्त्र, गोली-बारूद और गोली-बारूद भरने वाले उपकरण, जिनमें मैगज़ीन शामिल है, लेकिन इसी तक सीमित नहीं है, के स्वामित्व, खरीदारी, प्राप्ति, आधिपत्य, या अपने अभिरक्षण या नियंत्रण में रखने से निषेध के निर्देश देगी, और इस अनुभाग के तहत प्रतिवादी को सभी तरह के आग्नेयास्त्रों को छोड़ने का आदेश देगी। अदालत प्रतिवादी को न्याय विभाग द्वारा तैयार निषिद्ध व्यक्तियों के लिए त्याग फॉर्म भी प्रदान करेगी।

(3) निषिद्ध व्यक्तियों के लिए त्याग फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए प्रतिवादी पदनामित के लिए एक नाम देगा और पदनामित को किसी भी आग्नेयास्त्र के स्थानांतरण या बेचने के उद्देश्य से पॉवर ऑफ अटॉर्नी प्रदान करेगा। पदनामित या तो कोई स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी या अनुमोदित तीसरा पक्ष होगा जो राज्य या संघीय कानून के तहत आग्नेयास्त्र रखने के लिए निषिद्ध नहीं है। अनुभाग 29830 के अनुसार पदनामित उपखंड (d) और (e) में निर्दिष्ट की गई समयावधि में आग्नेयास्त्रों को स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी के नियंत्रण में सौंपेगा, आग्नेयास्त्रों को लाइसेंसधारी आग्नेयास्त्र डीलर को बेचेगा, या आग्नेयास्त्रों को डीलर के गोदाम में रखने के लिए स्थानांतरित करेगा।

(b) निषिद्ध व्यक्तियों के लिए त्याग फॉर्म सभी निम्नलिखित कार्य करेगा:

(1) अनुभाग 29830 के अनुसार प्रतिवादी को सूचित करना कि उसे आग्नेयास्त्रों, गोली-बारूद, और गोली-बारूद भरने वाले उपकरण, जिनमें मैगज़ीन शामिल है, लेकिन इसी तक सीमित नहीं हैं, के स्वामित्व, खरीदारी, प्राप्ति, आधिपत्य, या अपने अभिरक्षण या नियंत्रण में लेने के लिए निषिद्ध किया गया है, और वह ऐसा उपखंड (d) या (e) में आगे तय की गई समयावधि के भीतर

63

सभी आग्नेयास्त्रों को पदनामित के माध्यम से स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी के नियंत्रण में सौंप कर, लाइसेंसधारी आग्नेयास्त्र डीलर को बेचकर, या आग्नेयास्त्रों के डीलर के गोदाम में रखने के लिए स्थानांतरित करके करेगा।

(2) प्रतिवादी को सूचित करना कि प्रतिवादी के साथ रहने वाला कोई भी जिसके पास आग्नेयास्त्र है, वह उन आग्नेयास्त्रों को अनुभाग 25135 के अनुसार ही रखे।

(3) प्रतिवादी के लिए आवश्यक है कि वह अपने स्वामित्व, आधिपत्य, या अपने अभिरक्षा या नियंत्रण में रखे गए आग्नेयास्त्रों के बारे में घोषित करे, और प्रतिवादी के लिए आवश्यक है कि आग्नेयास्त्रों के बारे में बताए और उससे जुड़ी सभी ज़रूरी सूचना, आग्नेयास्त्रों को रखे जाने के स्थान के बारे में जानकारी दे ताकि पदनामित या कानून प्रवर्तन अधिकारी आग्नेयास्त्रों की स्थिति का पता लगा सकें।

(4) यदि प्रतिवादी यह घोषणा करता है कि अपराध सिद्धि के समय उसके स्वामित्व, आधिपत्य, या अभिरक्षण या नियंत्रण में उसके पास किसी भी तरह का आग्नेयास्त्र था, तो उसके लिए आवश्यक है कि किसी को पदनामित का नाम दे, और पदनामित को सभी आग्नेयास्त्रों के स्थानांतरण या निपटारे के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी दे।

(5) उस पदनामित को छोड़कर जो कि एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है, पदनामित के लिए आवश्यक है कि वह अपनी नियुक्ति पर सहमति दर्शाए और, झूठी गवाही के दंड के तहत यह घोषित करे कि वह राज्य या संघीय कानून के तहत किसी भी तरह के आग्नेयास्त्रों को रखने के लिए निषिद्ध नहीं है।

(6) पदनामित के लिए आवश्यक है कि वह प्रत्येक आग्नेयास्त्र को छोड़ने की तारीख और उस पक्ष का नाम जिसके लिए इसे छोड़ा गया है, का नाम बताए, और कानून उस प्रवर्तन अधिकारी या लाइसेंसधारी आग्नेयास्त्र डीलर से प्राप्त रसीद संलग्न करे, जिसने छोड़े गए आग्नेयास्त्र को अपने अधिकार में लिया है।

(7) प्रतिवादी को सूचित करना तथा दायित्व के पदनामित पूर्ण रूप से भरे निषिद्ध व्यक्तियों के लिए त्याग फॉर्म को उपखंड (d) और (e) में वर्णित निश्चित अवधि के भीतर निर्दिष्ट परिवीक्षा अधिकारी के पास जमा करना।

(c) (1) जब कोई प्रतिवादी उपखंड (a) में वर्णित किसी अपराध में दोषी सिद्ध होता है, तो अदालत तत्काल मामले को इस जांच के लिए परिवीक्षा अधिकारी को सौंप देगी कि क्या स्वचालित आग्नेयास्त्र प्रणाली या अन्य विश्वसनीय जानकारी, जैसे कि पुलिस रिपोर्ट, में ज़ाहिर होता है कि प्रतिवादी किसी आग्नेयास्त्र का स्वामित्व है, या आग्नेयास्त्र उसके पास या निगरानी या नियंत्रण में है। निर्दिष्ट परिवीक्षा अधिकारी प्रतिवादी अथवा प्रतिवादी के पदनामित से निषिद्ध व्यक्तियों के लिए त्याग फॉर्म प्राप्त करेगा, जो भी लागू हो, और सुनिश्चित करेगा कि स्वचालित आग्नेयास्त्र प्रणाली यह दिखाने के लिए कि प्रतिवादी ने उन आग्नेयास्त्रों का त्याग कर दिया है, ठीक ढंग से अपडेट की गई है।

(2) मुकदमे में अंतिम स्थिति या फैसला सुनाने से पहले निर्दिष्ट परिवीक्षा अधिकारी अदालत को रिपोर्ट देगा कि क्या प्रतिवादी ने परिवीक्षा अधिकारी की जांच में चिन्हित या प्रतिवादी द्वारा निषिद्ध व्यक्तियों के लिए त्याग फॉर्म में घोषित सभी आग्नेयास्त्रों को त्याग करके और पूर्णरूप से भरे गए निषिद्ध व्यक्तियों के लिए त्याग फॉर्म को समय से जमा करके इस अनुभाग की आवश्यकताओं का उचित रूप से अनुपालन किया है। परिवीक्षा अधिकारी विभाग द्वारा तैयार फार्म पर न्याय विभाग को यह भी रिपोर्ट देगा कि क्या यह दिखाने के लिए स्वचालित आग्नेयास्त्र प्रणाली को अपडेट किया गया है कि कौन से आग्नेयास्त्रों को प्रतिवादी ने छोड़ा है।

(3) मुकदमे की अंतिम स्थिति या फैसला सुनाने से पहले, अदालत परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में इंगित विषयों के आधार पर निष्कर्ष निकालेगी कि क्या प्रतिवादी ने सभी आग्नेयास्त्रों का त्याग कर दिया गया है, तथा क्या अदालत ने उपखंड (d) के पैरा (1) में या उपखंड (e) के पैरा (1) में वर्णित पावतियों के साथ पूर्णरूप से भरा निषिद्ध व्यक्तियों के लिए त्याग फॉर्म प्राप्त किया है। अदालत सुनिश्चित करेगी कि निर्णय के सार में ये निष्कर्ष शामिल किए गए हैं। यदि फैसला सुनाने में देरी से बचना जरूरी है, तो अदालत सजा सुनाने के 14 दिनों के भीतर इन निष्कर्षों को तैयार और दाखिल कर सकती है।

(4) यदि अदालत संभावित कारण पता कर लेती है कि प्रतिवादी आवश्यक आग्नेयास्त्रों को त्यागने में विफल रहा है, तो ऐसे में न्यायाधीश को जहां कहीं भी इसकी संभावना लगेगी कि प्रतिवादी के आग्नेयास्त्र रखे हुए हैं, अदालत वहां किसी भी जगह में किसी भी आग्नेयास्त्र को ढूंढने तथा वहां से हटाने के लिए आदेश देगी। अदालत आदेश में जांच और जब्ती के लिए कारण तथा उनका दायरा खासतौर पर बताएगी।

(5) निर्दिष्ट परिवीक्षा अधिकारी के पास प्रतिवादी द्वारा पूर्ण रूप से भरा निषिद्ध व्यक्तियों के लिए त्याग फॉर्म समय पर जमा नहीं करना, एक उल्लंघन होगा, जो अधिकतम सौ डॉलर ($100) के जुर्माने से दंडनीय होगा।

(d) निम्नलिखित कार्यविधियां किसी भी प्रतिवादी पर लागू होंगी, जो उपखंड (a) के पैरा (1) के आशय अनुसार प्रतिबंधित व्यक्ति है, जो दोषी ठहराए जाने के बाद पांच दिनों के भीतर किसी भी अवसर पर हिरासत में नहीं रहा है:

(1) पदनामित, प्रतिवादी के स्वामित्व, आधिपत्य, या उसके अभिरक्षण या नियंत्रण वाले किसी भी आग्नेयास्त्र को, दोषी ठहराये जाने के पांच दिनों के भीतर किसी स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी के नियंत्रण में रखने के लिए आग्नेयास्त्रों को समर्पण करना होगा, लाइसेंसधारी आग्नेयास्त्रों के डीलर को बेचना होगा, या अनुभाग 29830 के अनुसार आग्नेयास्त्र डीलर को रखने के लिए आग्नेयास्त्रों को प्रतिवादी की इच्छा के अनुसार स्थानांतरित करना होगा। आग्नेयास्त्रों की बिक्री से प्राप्त कोई भी आय प्रतिवादी की संपत्ति बन जाएगी। इस उपखंड के अनुसार किसी आग्नेयास्त्र का आधिपत्य लेने वाला कानून प्रवर्तन अधिकारी या लाइसेंसधारी डीलर पदनामित को एक रसीद जारी करेगा, जिसमें आग्नेयास्त्रों का विवरण होगा और समर्पण के समय आग्नेयास्त्रों पर कोई सीरियल नंबर या अन्य पहचान संबंधी सूचीबद्धता होगी।

(2) यदि प्रतिवादी के पास त्यागने के लिए किसी आग्नेयास्त्र का स्वामित्व, आधिपत्य है, या अभिरक्षण या नियंत्रण है, तो दोषी ठहराए जाने के पांच दिनों के भीतर प्रतिवादी का पदनामित पूर्णरूप से भरा निषिद्ध व्यक्तियों के लिए त्याग फॉर्म परिवीक्षा अधिकारी के पास जमा करेगा, इसके साथ उपखंड (d) के पैरा (1) में वर्णित प्रतिवादी के स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी को समर्पित या लाइसेंसधारी आग्नेयास्त्र डीलर को बेचे या स्थानांतरित किए गए आग्नेयास्त्रों को दर्शाने वाली रसीदें भी होंगी।

(3) यदि प्रतिवादी के पास त्यागने के लिए किसी आग्नेयास्त्र का स्वामित्व, आधिपत्य, या अभिरक्षण या नियंत्रण नहीं है, तो दोषी ठहराए जाने के पांच दिनों के भीतर, वह पूर्णरूप से भरा निषिद्ध व्यक्तियों के लिए त्याग फॉर्म, इस पुष्टि वाले बयान के साथ कि समर्पण के लिए उसके पास कोई आग्नेयास्त्र नहीं है, परिवीक्षा अधिकारी के पास जमा करेगा।

(e) निम्नलिखित कार्यविधियां किसी भी प्रतिवादी पर लागू होंगी, जो उपखंड (a) के पैरा (1) के आशय अनुसार प्रतिबंधित व्यक्ति है, जो दोषी ठहराए जाने के बाद पांच दिनों के भीतर किसी भी अवसर पर हिरासत में रहा है:

(1) अनुभाग 29830 के अनुसार पदनामित, प्रतिवादी के स्वामित्व, आधिपत्य, या उसके अभिरक्षण या नियंत्रण वाले किसी भी आग्नेयास्त्र का, दोषी ठहराये जाने के 14 दिनों के भीतर किसी स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी के नियंत्रण में रखने के लिए आग्नेयास्त्र को समर्पित करके, लाइसेंसधारी आग्नेयास्त्र डीलर को आग्नेयास्त्र बेच करके, या प्रतिवादी की इच्छा के अनुसार आग्नेयास्त्र डीलर को आग्नेयास्त्र स्थानांतरित करके, निपटारा करेगा। आग्नेयास्त्रों की बिक्री से प्राप्त कोई भी आय प्रतिवादी की संपत्ति बन जाएगी। इस उपखंड के अनुसार किसी आग्नेयास्त्र का आधिपत्य लेने वाला कानून प्रवर्तन अधिकारी या लाइसेंसधारी डीलर पदनामित को एक रसीद जारी करेगा, जिसमें आग्नेयास्त्रों का विवरण होगा और समर्पण के समय आग्नेयास्त्रों पर कोई सीरियल नंबर या अन्य पहचान संबंधी सूचीबद्धता होगी।

(2) यदि प्रतिवादी के पास छोड़ने वाले किसी भी आग्नेयास्त्र का स्वामित्व, आधिपत्य, या अभिरक्षण या नियंत्रण है, तो प्रतिवादी का पदनामित पूर्णरूप से भरा हुआ निषिद्ध व्यक्तियों के लिए त्याग फॉर्म निर्दिष्ट परिवीक्षा अधिकारी को

दोषी ठहराए जाने के 14 दिनों के भीतर जमा करेगा, इसके साथ वह रसीद भी जमा करेगा जिसमें उपखंड (e) के पैरा (1) के अनुसार दर्शाया गया हो कि प्रतिवादी के आग्नेयास्त्रों को स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी को समर्पित किया गया या लाइसेंसधारी आग्नेयास्त्र डीलर को बेचा अथवा स्थानांतरित किया गया।

(3) यदि प्रतिवादी के पास छोड़ने वाले किसी भी आग्नेयास्त्र का स्वामित्व, आधिपत्य, या अभिरक्षण या नियंत्रण नहीं है, तो वह निर्दिष्ट परिवीक्षा अधिकारी को निषिद्ध व्यक्तियों के लिए त्याग फॉर्म दोषी ठहराये जाने के 14 दिनों के भीतर ऐसे बयान के साथ जमा करेगा, जो पुष्टि करे कि उसके पास त्यागने के लिए कोई भी आग्नेयास्त्र नहीं है।

(4) यदि प्रतिवादी दोषी ठहराये जाने के बाद 14 दिनों के दौरान अभिरक्षा से रिहा हो गया है और पदनामित ने छोड़े जाने वाले प्रत्येक आग्नेयास्त्र का अस्थायी आधिपत्य अभी तक नहीं लिया है जैसा कि उपर बताया गया है, तो उपखंड (d) के पैरा (1) के अनुसार प्रतिवादी अपनी रिहाई के पांच दिनों के भीतर छोड़े जाने वाले प्रत्येक आग्नेयास्त्रों का त्याग करेगा।

(f) अच्छे कारण के लिए, अदालत उपखंड (d) और (e) में निर्दिष्ट समयावधि को घटा या बढ़ा सकती है, उपखंड (c) के पैरा (3) के अनुसार समयावधि बढ़ा सकती है, या त्यागने के किसी दूसरे विकल्प की अनुमति दे सकती है।

(g) यदि आग्नेयास्त्रों को त्याग दिया गया है जैसा कि अपेक्षित था, तो प्रतिवादी निषिद्ध व्यक्तियों के लिए त्याग फॉर्म में घोषित आग्नेयास्त्रों के गैरकानूनी आधिपत्य के अभियोग के अधीन नहीं होगा।

(h) कोई भी आग्नेयास्त्र जो कि अन्यथा प्रतिवादी द्वारा इस अनुभाग के तहत त्यागने के अधीन हैं, लेकिन जो कानूनन प्रतिवादी के साथ रहने वाले द्वारा खरीदे गये हों, तो वे त्यागे जाने से मुक्त रहेंगे, बशर्ते प्रतिवादी को सूचित किया गया हो कि साथ रहने वाले को अनुभाग 25135के अनुसार ही आग्नेयास्त्र को रखना होगा।

(i) कोई कानून प्रवर्तन एजेंसी किसी भी उस आग्नेयास्त्र को दर्शाने के लिए स्वचालित आग्नेयास्त्र प्रणाली को अपडेट करेगी जो एजेंसी के पास इस अनुभाग के अनुसार त्यागे गए हैं। इस अनुभाग के अनुसार छोड़े गए आग्नेयास्त्र को त्यागे जाने के दिन से कानून प्रवर्तन एजेंसी आग्नेयास्त्र को 30 दिनों तक रखेगी। 30-दिन की अवधि समाप्त हो जाने के बाद आग्नेयास्त्र नष्ट किए जाने, बनाए रखने, बिक्री या एजेंसी द्वारा किसी अन्य को स्थानांतरित करने के अधीन हैं, बशर्ते किसी अभिलेख न्यायालय के जज, या काउंटी के ड्रिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के प्रमाण पत्र के अनुसार, आग्नेयास्त्र को बनाए रखना न्याय के लिए ज़रूरी या सही है, या यदि प्रतिवादी एक लिखित नोटिस देता है कि उसकी इच्छा उपखंड (a) में बताए गए अपराध के खिलाफ़ अपील करने की है, या स्वचालित आग्नेयास्त्र प्रणाली इंगित करती है कि कानून सम्मत स्वामी द्वारा आग्नेयास्त्र खोने या चोरी जाने की सूचना दी गई थी। यदि आग्नेयास्त्र के खोने या चोरी होने की सूचना दी गई थी, तो आग्नेयास्त्र का साक्ष्य के रूप में जितना जल्दी उपयोग हो जाए, कानून सम्मत स्वामी के हथियार की पहचान और स्वामित्व के साक्ष्य देने पर, और कानून प्रवर्तन एजेंसी ने शीर्षक 4 के प्रभाग 11 के अध्याय 2 (अनुभाग 33850 से शुरू करते हुए) का अनुपालन कर लिया हो, आग्नेयास्त्र को उसके कानून सम्मत स्वामी के पास लौटाना होगा। एजेंसी न्याय विभाग को अनुभाग 34010 के अनुपालन में त्यागे गए आग्नेयास्त्रों की स्थिति के बारे में सूचित करेगी।

(j) एक शहर, काउंटी, या शहर और काउंटी, या किसी राज्य की एजेंसी अनुभाग 33880 के अनुसार आग्नेयास्त्र की जब्ती, कुर्की, भंडारण या छोड़ने की अपनी प्रशासनिक लागत के बराबर ही शुल्क लगाने का अध्यादेश, अधिनियम या संकल्प पारित कर सकती है।

(k) यह अनुभाग 1 जनवरी, 2018 को प्रभावी हो जाएगा।

अनुभाग 11. आग्नेयास्त्रों की चोरी।

अनुभाग 11.1. दंड संहिता में अनुभाग 490.2 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

(a) अनुभाग 487 या किसी बड़ी चोरी को परिभाषित करने वाले कानून के किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, चोरी से कोई संपत्ति प्राप्त करना, जहाँ लिए गए पैसे, मजदूरी, वास्तविक या व्यक्तिगत संपत्ति का मूल्य नौ सौ पचास डॉलर ($950) से अधिक नहीं है, छोटी-मोटी चोरी मानी जाएगी और दुष्कर्म के रूप में दण्डित किया जाएगा, सिवाय इसके कि ऐसे व्यक्ति को इसके बजाय अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसार दण्डित किया जा सकता है यदि वह व्यक्ति अनुभाग 667 के उपखंड (e) के पैरा (2) के उपपैरा (C) के वाक्यांश (iv) में उल्लिखित अपराध के लिए या अनुभाग 290 के उपखंड (c) के अनुसार पंजीकरण की आवश्यकता वाले अपराध के लिए पहले एक या एक से अधिक अपराध सिद्ध हो गए हों।

(b) यह अनुभाग किसी चोरी पर लागू नहीं होगी जिसे कानून के किसी अन्य प्रावधान के अनुसार एक अतिक्रमण के रूप में देखा जा सकता है।

(c) यह अनुभाग किसी आग्नेयास्त्र के चोरी जाने के मामले में लागू नहीं होगी।

अनुभाग 11.2. दंड संहिता में अनुभाग 29805 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

29805. सिवाय अनुभाग 29855 या अनुभाग 29800 के उपखंड (a) में दिए गए अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसे अनुभाग 71, 76, 136.1, 136.5, या 140, अनुभाग 148, अनुभाग 171b के उपखंड (d), अनुभाग 171c के उपखंड (a) के पैरा (1), 171d, 186.28, 240, 241, 242, 243, 243.4, 244.5, 245, 245.5, 246.3, 247, 273.5, 273.6, 417, 417.6, 422, 626.9, 646.9, या 830.95, पूर्व अनुभाग 12100 के उपखंड (a) के मामूली उल्लंघनों का दोषी ठहराया गया हो, जैसा कि वह अनुभाग तब से किसी भी समय पठित जब यह 1988 के विधान के अध्याय 1386 के अनुभाग 3 के द्वारा अधिनियमित की गई थी, से लेकर जब इसे 1994 के विधान के अध्याय 23 के अनुभाग 18 के द्वारा निरसित कर दिया गया था, अनुभाग 17500, 17510, 25300, 25800, 30315, या 32625, अनुभाग 26100 का उपखंड (b) या (d), या अनुभाग 27510, या अनुभाग 8100, वेलफेयर और इंस्टीट्यूशन्स कोड की 8101 या 8103, या वेलफेयर और इंस्टीट्यूशन्स कोड के अनुभाग 871.5 और 1001.5 के अनुसार कोई आग्नेयास्त्र-संबंधी अपराध, *अनुभाग 490.2 यदि ली गई संपत्ति आग्नेयास्त्र थी*, या अनुभाग 27590 के उपखंड (c) में दंडित कदाचार, और जो, 10 साल की दोषसिद्धि के भीतर, किसी आग्नेयास्त्र का स्वामित्व रखता, खरीदता या अपना अभिरक्षण या नियंत्रण रखता है, वह सार्वजनिक अपराध का दोषी है, जो कि किसी काउंटी जेल या राज्य कारागार में एक साल की कैद, अधिकतम एक हजार डॉलर के जुर्माने ($1,000), अथवा दोनों यानी कैद और जुर्माने से दंडनीय है। इस अनुभाग के अधीन अदालत, न्याय विभाग द्वारा निर्धारित फॉर्मों पर, व्यक्तियों के विभाग को सूचित करेगी। हालांकि, इस अनुभाग में निषेध घटाया, समाप्त, या सशर्त किया जा सकता है जैसा कि अनुभाग 29855 या 29860 में प्रदान किया गया है।

अनुभाग 12. अंतरिम मानक।

प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम (APA) के होने पर भी, और सभी के लिए सुरक्षा अधिनियम 2016 के शीघ्र क्रियान्वयन को सुगम बनाने के लिए California न्याय विभाग APA में तय प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन के बिना अंतरिम मानकों को अपना सकता है। अंतरिम मानक अधिकतम दो साल तक प्रभावी रहेंगे, और APA के अनुसार अपनाये गए विनियमों के द्वारा पहले भी अधिक्रमित किए जा सकते हैं। "अंतरिम मानकों" का आशय उन अस्थायी मानकों से है जो प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के खंड 3 के भाग 1 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 11340 के साथ शुरू करते हुए)) के अंतर्गत "आपात विनियमों" के समान ही कार्य करते हैं, इसके अलावा स्थायी विनियमों हेतु सार्वजनिक टिप्पणी के लिए अधिक अवसर प्रदान करने के लिए, अंतरिम मानक 180 दिनों की बजाय दो साल तक प्रभाव में बने रह सकते हैं।

अनुभाग 13. मापन में संशोधन करना।

इस अधिनियम का मोटे तौर पर आशय अपने प्रयोजनों को हासिल करना माना जाएगा। इस विधेयक के प्रावधान विधानमंडल के प्रत्येक सदन के सदस्यों के 55

प्रतिशत वोट द्वारा और गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर के बाद संशोधित किए जा सकते हैं बशर्ते कि ऐसे संशोधन इस अधिनियम के साथ सुसंगत और उसकी मंशा को आगे बढ़ाने के लिए हो।

अनुभाग 14. परस्पर-विरोधी विधेयक।

(a) उस स्थिति में जबकि यह विधेयक और इसी विषय-वस्तु पर कोई अन्य विधेयक, जिसमें आग्नेयास्त्रों या गोली-बारूद की बिक्री या आधिपत्य के अधिनियम शामिल है लेकिन इस तक ही सीमित नहीं है, एक ही राज्यस्तरीय मतपत्र पर दिखाई देंगे तो अन्य विधेयक या विधेयकों के प्रावधानों को इस विधेयक के साथ परस्पर टकराव वाला माना जाएगा। उस स्थिति में कि इस विधेयक को इसके साथ टकराव वाले विधेयक की तुलना में अधिक संख्या में सकारात्मक मत प्राप्त होते हैं तो इस विधेयक के प्रावधान अपनी संपूर्णता में उपस्थित रहेंगे, और अन्य विधेयक या विधेयकों को अकृत एवं शून्य माना जाएगा।

(b) यदि इस विधेयक को मतदाता अनुमोदित करें लेकिन उसी चुनाव में मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किसी अन्य परस्पर-विरोधी विधेयक द्वारा कानूनन अधिक्रमण किया जाए, और बाद में टकराव वाला विधेयक अमान्य मान लिया जाए, तो यह विधेयक स्वतः निष्पादित होगा और पूरी तरह प्रचलित और प्रभावी होगा।

अनुभाग 15. पृथक्करणीयता।

यदि इस विधेयक के कोई प्रावधान, या इस विधेयक का भाग, या किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए प्रावधान या भाग की प्रयोजनीयता, किसी कारण से अमान्य या असंवैधानिक ठहराई जाती है, तो शेष प्रावधान, या प्रावधानों की प्रयोजनीयता प्रभावित नहीं होगी, बल्कि पूरी शक्ति और प्रभाव से लागू होगी, और इस अर्थ में इस विधेयक के प्रावधान पृथक्करणीय हैं।

अनुभाग 16. प्रस्तावक की स्थिति।

कानून के किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, यदि राज्य, सरकारी एजेन्सी, या इसका कोई अन्य अधिकारी इस अधिनियम की संवैधानिकता की रक्षा करने में विफल रहता है, तो मतदाताओं द्वारा इसकी मंज़ूरी के बाद किसी अन्य सरकारी नियोक्ता, प्रस्तावक, या उनकी अनुपस्थिति में, इस राज्य के किसी नागरिक को अधिकार होगा कि वह इस अधिनियम की संवैधानिकता का रक्षा करने के उद्देश्य से इस अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली किसी न्यायालयी कार्रवाई में हस्तक्षेप करे, चाहे यह कार्रवाई किसी परीक्षण न्यायालय में अपील पर हो, या California के सर्वोच्च न्यायालय अथवा संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विवेकाधीन समीक्षा पर हो। कार्रवाई के बचाव संबंधी उचित शुल्क और खर्च न्याय विभाग के लिए रखी गई निधियों पर लगाए जाएंगे, जो तुरंत अदा किए जाएंगे।

प्रस्ताव 64

यह पहल संबंधी विधेयक California संविधान के अनुच्छेद II के अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुपालन में लोगों को पेश किया जाता है।

यह पहल सम्बंधी विधेयक व्यापार और व्यवसाय संहिता, खाद्य एवं कृषि संहिता, स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता, श्रम संहिता, राजस्व और कराधान संहिता, और जल संहिता में अनुभागों को संशोधित करता है, निरस्त करता है और जोड़ता है; इसलिए मिटाने के लिए प्रस्तावित वर्तमान प्रावधानों को ~~काटे हुए अक्षरों~~ में प्रकाशित किया गया है और जोड़ने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *इटैलिक टाईप* में प्रकाशित किया गया है ताकि यह पता चले कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. शीर्षक।

इस उपाय को वयस्कों द्वारा मरिवाना के सेवन पर नियंत्रण, विनियमन और टैक्स अधिनियम ("वयस्कों द्वारा मरिवाना का सेवन अधिनियम") के रूप में जाना जाएगा और इसी रूप में इसका उल्लेख किया जाएगा।

अनुभाग 2. निष्कर्ष और घोषणाएँ।

A. इस समय California में, गैर चिकित्सीय मरिवाना का प्रयोग अविनियमित व बिना टैक्स के किया जाता है और यह बिना किसी प्रकार के उपभोक्ता अथवा पर्यावरणीय बचाव के होता है। वयस्कों द्वारा मरिवाना के सेवन पर नियंत्रण, विनियमन और टैक्स अधिनियम मरिवाना को 21 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए कानूनी बनाएगा, बच्चों का बचाव करेगा और मरिवाना की खेती, वितरण, बिक्री एवं प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाएगा व California वासियों तथा पर्यावरण को संभावित खतरों से बचाएगा। इसने मरिवाना उद्योग को नियंत्रित करने व लाइसेंस देने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग में मरिवाना नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया है।

B. इस समय हमारे राज्य में मरिवाना चिकित्सीय प्रयोग के लिए वैध है और गैर चिकित्सीय प्रयोग के लिए अवैध है। California में चिकित्सीय मरिवाना प्रणाली का दुरुपयोग लंबे समय से व्यापक रूप से हो रहा है, लेकिन गवर्नर Jerry Brown द्वारा हाल ही में हस्ताक्षर किया गया द्विदलीय विधान चिकित्सीय मरिवाना के लिए एक व्यापक नियंत्रक योजना स्थापित कर रहा है। वयस्कों द्वारा मरिवाना के सेवन पर नियंत्रण, विनियमन और टैक्स अधिनियम (इसके बाद इसे वयस्कों द्वारा मरिवाना का सेवन अधिनियम कहा जाएगा) गैर-चिकित्सीय एवं चिकित्सीय मरिवाना दोनों के लिए एक अधिनियम एवं करारोपण को मजबूत व कारगर बनाएगा।

C. इस समय, मरिवाना की पैदावार एवं बिक्री पर California राज्य द्वारा टैक्स नहीं लगाया जाता, जिसका अर्थ है कि हमारा राज्य प्रत्येक वर्ष संभावित टैक्स राजस्व में कई सौ मिलियन डॉलर गंवा रहा है। मरिवाना का वयस्कों द्वारा सेवन अधिनियम से वार्षिक तौर पर कई सौ मिलियन डॉलर प्राप्त करने के लिए मरिवाना की पैदावार एवं बिक्री दोनों पर टैक्स लगेगा। राजस्व नए कानून को प्रभाव में लाने की लागत को पूरा करेगा और इनके लिए फंड प्रदान करेगा: उन सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों में निवेश, जो युवाओं को नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन से रोकने एवं उनका इलाज करने के लिए जानकारी देते हैं; DUI एन्फोर्समेंट पर ध्यान केंद्रित करने के साथ नए कानून को लागू करने के लिए स्थानीय लॉ एन्फोर्समेंट को प्रशिक्षित करना; अवैध बाज़ार को कम करने और नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए समुदायों में निवेश; और अवैध मरिवाना की खेती से क्षतिग्रस्त की हुई सरकारी भूमि के पर्यावरणीय शुद्धिकरण एवं नवीनीकरण के लिए फंड प्रदान करना।

D. इस समय, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वयस्कों की भांति ही ब्लैक मार्केट से आसानी से मरिवाना खरीद सकते हैं। मरिवाना को कानूनी बनाकर, मरिवाना का वयस्कों द्वारा सेवन अधिनियम ब्लैक मार्केट को अशक्त बना देगा और मरिवाना की खरीद को बच्चों की पहुंच से दूर कड़ी सुरक्षा के साथ कानूनी संरचना में बदल देगा। मरिवाना का वयस्कों द्वारा सेवन अधिनियम 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को गैर चिकित्सीय मरिवाना बेचने पर रोक लगाता है और यह युवाओं को नशीले पदार्थों के सेवन के विरुद्ध जानकारी देने तथा नए कानून को लागू करने के लिए स्थानीय लॉ एन्फोर्समेंट को प्रशिक्षित करने के लिए नए संसाधन प्रदान करता है। यह स्कूलों एवं उन अन्य क्षेत्रों के 600 फुट के अंदर, जहां बच्चे एकत्र होते हैं, मरिवाना के व्यापार को रोकता है। यह मरिवाना एवं मरिवाना के उत्पादों के लिए आवश्यक व कड़ी पैकेजिंग और लेबल लगाने की शर्तें बनाता है। इसके अलावा यह आदेश देता है कि बच्चों की तरफ से या बच्चों के लिए मरिवाना एवं मरिवाना के उत्पादों के न तो विज्ञापन बनाए जा सकते हैं व न ही इसकी मार्केटिंग की जा सकती है।

E. इस समय यह सुनिश्चित करने के लिए मरिवाना के वयस्कों द्वारा सेवन के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून नहीं है कि वे California के मौजूदा कानूनों के अनुसार व्यापार करें। मरिवाना के वयस्कों द्वारा सेवन के लिए केवल अनियंत्रित अवैध बाजार से ही पहुंच हो सकती है। मरिवाना का वयस्कों द्वारा सेवन अधिनियम राज्य स्तर पर मरिवाना के व्यापार को नियंत्रित करने वाली एक व्यापक प्रणाली स्थापित करता है और मरिवाना के व्यापार को क्षेत्रीकरण एवं अनुमति देने की शर्तों के अधीन रखने के लिए व किसी स्थान में लोगों के वोट द्वारा मरिवाना के व्यापार पर रोक लगाने के लिए स्थानीय

सरकारों को मरिवाना-संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करने की अनुमति देते हुए स्थानीय नियंत्रण को सुरक्षित करता है।

F. इस समय, अवैध मरिवाना के उत्पादक बिना किसी जवाबदेही के पानी के कई मिलियन गैलनों की चोरी करते हैं अथवा उसे दूसरे कामों में लगाते हैं। मरिवाना का वयस्कों द्वारा सेवन अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण संबंधी नए विनियम बनाएगा कि मरिवाना को कीटनाशकों के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए, पानी की बर्बादी को रोकने के लिए और पानी के इस्तेमाल को कम करने के लिए निपुणता से एवं वैध रूप से उगाया जाता है। मरिवाना का वयस्कों द्वारा सेवन अधिनियम उस भूमि, जो अवैध मरिवाना उगाने से क्षतिग्रस्त हुई है, का नवीनीकरण करने हेतु फंड प्रदान करते हुए पानी के अवैध प्रयोग को सीमित करेगा और गलत काम करने वालों को दंड देगा। यदि कोई व्यवसायी यह प्रमाणित नहीं करता कि वह पानी के इस्तेमाल एवं पर्यावरण संबंधी लागू कानूनों का पूरी तरह से पालन कर रहा है, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

G. इस समय, अदालतों पर नशीले पदार्थों के गैर-हिंसक अपराधों के मामलों का काफी बोझ है। मरिवाना को कानूनी बनाकर, मरिवाना का वयस्कों द्वारा सेवन अधिनियम अदालतों पर मौजूदा दबाव को कम करेगा, लेकिन मरिवाना-संबंधी मामूली अपराधों के लिए दंड को कम करते हुए, अभियोग पक्ष के वकीलों को मरिवाना-संबंधी सबसे अधिक गंभीर अपराधों को घोर अपराधों के तौर पर दोषी ठहराने की अनुमति देना जारी रखेगा, जैसा कि अधिनियम में दिया गया है।

H. मरिवाना को एक नियंत्रक एवं वैध बाज़ार में लाकर, मरिवाना का वयस्कों द्वारा सेवन अधिनियम एक पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रणाली उत्पन्न करता है। यह पुलिस की भूमिगत ब्लैक मार्केट पर सख्ती बरतने में सहायता करेगा, जो इस समय नशीले पदार्थों के उन उत्पादक संघों एवं अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों को लाभ पहुंचाता है, जो मरिवाना की तस्करी से कई बिलियन की कमाई करते हैं और लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं।

I. मरिवाना का वयस्कों द्वारा सेवन अधिनियम एक व्यापक नियंत्रक संरचना उत्पन्न करता है, जिसमें मरिवाना के प्रत्येक व्यवसायी का निरीक्षण संबंधित विशेषज्ञता वाली किसी विशेषीकृत एजेंसी द्वारा किया जाता है। मरिवाना नियंत्रण ब्यूरो, जो उपभोक्ता मामलों के विभाग में स्थित है, पूरी प्रणाली का निरीक्षण करेगा तथा 2018 के शुरूआत में जारी किए गए लाइसेंस के साथ, कानूनी बाज़ार के सुचारू परिवर्तन को सुनिश्चित करेगा। उपभोक्ता मामलों का विभाग मरिवाना के खुदरा व्यापारियों, वितरकों एवं छोटे व्यवसायियों को लाइसेंस भी देगा व उनका निरीक्षण भी करेगा। खाद्य एवं कृषि विभाग यह सुनिश्चित करते हुए मरिवाना की खेती के लिए लाइसेंस देगा व इसका निरीक्षण करेगा कि यह पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित है। राज्य का सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करते हुए कि उपभोक्ता एक सुरक्षित उत्पाद प्राप्त करते हैं, उत्पादन एवं परीक्षण को लाइसेंस देगा व इनका निरीक्षण करेगा। स्टेट बोर्ड ऑफ इक्विलाइज़ेशन विशेष मरिवाना टैक्स एकत्र करेगा एवं नियंत्रक नए कानूनों को प्रभाव में लाने एवं आवश्यक निवेश के लिए फंड प्रदान करने के लिए राजस्व आवंटित करेगा।

J. मरिवाना का वयस्कों द्वारा सेवन अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि California में गैर चिकित्सीय मरिवाना उद्योग पहले पांच वर्षों के लिए बड़े-पैमाने की खेती करने के लाइसेंसों का निषेध करके छोटे एवं मध्यम आकार की व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। मरिवाना का वयस्कों द्वारा सेवन अधिनियम उपभोक्ताओं एवं छोटे व्यवसायियों को उन व्यापारों के लिए एकाधिकार-विरोधी सख्त प्रतिबंध लागू करके भी सुरक्षित करता है, जो गैर चिकित्सीय मरिवाना उद्योग में भागीदारी निभाते हैं।

अनुभाग 3. उद्देश्य व अभिप्राय।

मरिवाना का वयस्कों द्वारा सेवन अधिनियम का उद्देश्य मरिवाना के उत्पादों सहित, गैर चिकित्सीय मरिवाना की खेती, प्रोसेसिंग, उत्पादन, वितरण, परीक्षण एवं बिक्री को 21 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के लोगों द्वारा प्रयोग के लिए कानूनी बनाने, नियंत्रित करने और नियमानुसार करने के लिए, तथा मरिवाना की व्यवसायिक पैदावार एवं खुदरा बिक्री पर टैक्स लगाने के लिए एक व्यापक प्रणाली स्थापित करना है। इस कार्य में कानून बनाने वाले लोगों का उद्देश्य निम्न को कार्यान्वित करना है:

(a) गैर चिकित्सीय मरिवाना के उत्पादन एवं बिक्री को अवैध बाजार से निकालना और उसे एक ऐसी नियंत्रक संरचना के अंतर्गत लाना, जो नाबालिगों तक पहुंच को रोकती है और लोगों की सुरक्षा, लोगों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की रक्षा करती है।

(b) राज्य की लाइसेंसिंग, नियंत्रण एवं एन्फोर्समेंट प्रणाली के माध्यम से गैर चिकित्सीय मरिवाना की खेती, प्रोसेसिंग, उत्पादन, वितरण, परीक्षण एवं बिक्री पर सख्ती से नियंत्रण पाना।

(c) स्थानीय सरकारों को गैर चिकित्सीय मरिवाना के व्यवसायियों के लिए राज्य के कानूनों एवं विनियमों को लागू करने व गैर चिकित्सीय मरिवाना के व्यवसायियों के लिए अतिरिक्त स्थानीय शर्तें लगाने की अनुमति देना, लेकिन यह मांग नहीं करना कि वे राज्य लाइसेंस जारी करने के लिए गैर चिकित्सीय मरिवाना का व्यवसाय करने और राज्य के कानून के अतंर्गत इसे कानूनी बनाने के लिए ऐसा करें।

(d) स्थानीय सरकारों को गैर चिकित्सीय मरिवाना का व्यवसाय करने की अनुमति देना जैसा कि इस अधिनियम में दिया गया है।

(e) गैर चिकित्सीय मरिवाना का खेती से बिक्री तक का पता लगाने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस प्रबंधन प्रक्रियाओं करने की शर्त रखना।

(f) गैर चिकित्सीय मरिवाना को लाइसेंसशुदा व्यवसायियों द्वारा बेचे जाने से पहले संदूषित पदार्थों, फफूंदी एवं कीटनाशकों सहित, की मौजूदगी के लिए स्वतंत्र परीक्षण द्वारा व्यापक रूप से जांच की शर्त रखना।

(g) लाइसेंसशुदा व्यवसायियों द्वारा बेची जाने वाली गैर चिकित्सीय मरिवाना की पैकिंग बाल-प्रतिरोधी डिब्बों में किए जाने और लेबल लगाए जाने की शर्त रखना ताकि उपभोक्ता गैर चिकित्सीय मरिवाना की प्रबलता व इसे खाने के प्रभावों से पूरी तरह से सूचित हों।

(h) गैर चिकित्सीय मरिवाना के लाइसेंसशुदा व्यवसायियों के लिए उनके लाइसेंस को बनाए रखने की शर्त के तौर पर पर्यावरण संबंधी एवं उत्पाद की सुरक्षा संबंधी कड़े मानकों का पालन करने की शर्त रखना।

(i) उन व्यवसायियों द्वारा गैर चिकित्सीय मरिवाना की बिक्री पर रोक लगाना, जो अल्कोहल अथवा तम्बाकू भी बेचते हैं।

(j) 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए अथवा स्कूलों के नजदीक अथवा अन्य स्थानों पर, जहां बच्चे मौजूद हों, पर गैर चिकित्सीय मरिवाना की मार्केटिंग व प्रचार को रोकना।

(k) अपेक्षित रोगियों द्वारा 1 जनवरी, 2018 तक उनके चिकित्सक से एक नई सिफारिश प्राप्त करने के लिए, जो 2015 में गवर्नर द्वारा कानूनी रूप से हस्ताक्षर किए गए कड़े मानकों को पूरा करती हो और उन रोगियों के लिए नए गोपनीयता बचाव प्रदान करके, जिन्हें चिकित्सीय मरिवाना पहचान कार्ड प्राप्त हैं, राज्य की मौजूदा चिकित्सीय मरिवाना प्रणाली को मजबूत बनाना जैसा कि इस अधिनियम में दिया गया है।

(*l*) 21 वर्ष के वयस्कों व उनसे अधिक उम्र के लोगों को गैर चिकित्सीय मरिवाना का प्रयोग करने, इसे रखने, खरीदने एवं 21 वर्ष के वयस्कों व उनसे अधिक उम्र के लोगों द्वारा प्रयोग के लिए तय सीमाओं के अंदर गैर चिकित्सीय मरिवाना उगाने की अनुमति देना, जैसा कि इस अधिनियम में दिया गया है।

(m) स्थानीय सरकारों को क्षेत्रीकरण एवं अन्य स्थानीय कानूनों के माध्यम से 21 वर्ष के वयस्कों व उनसे अधिक उम्र के लोगों द्वारा निजी प्रयोग के लिए गैर चिकित्सीय मरिवाना की खेती को उचित रूप से नियंत्रित करने और केवल बाहरी खेती को रोकने की अनुमति देना जैसा कि इस अधिनियम में दिया गया है।

(n) 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को मरिवाना की पहुंच से वंचित करना, जो चिकित्सीय मरिवाना रोगी नहीं हैं।

(o) किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर मरिवाना का सेवन करने पर रोक लगाना, जो ऐसे प्रयोग के लिए लाइसेंसशुदा न हो, K–12 स्कूलों व उन अन्य क्षेत्रों सहित, जहां बच्चे मौजूद हों।

(p) मरिवाना के प्रभाव में होने के समय परिवहन के लिए प्रयोग की जाने वाली किसी कार अथवा अन्य वाहन चलाने को गैरकानूनी बनाकर मौजूदा कानूनों का कायम रखना।

(q) सरकारी भूमि पर अथवा निजी भूमि पर अनधिकार प्रवेश करते हुए मरिवाना की खेती पर रोक लगाना।

(r) सरकारी और निजी कर्मचारियों को मरिवाना से संबंधित कार्यस्थल की नीतियां बनाने एवं उन्हें लागू करने की अनुमति देना।

(s) मरिवाना की पैदावार एवं बिक्री पर इस प्रकार से टैक्स लगाना कि इससे मरिवाना के लिए अवैध बाज़ार को बाहर निकाला जा सके।

(t) पर्यावरण, युवा उपचार एवं बचाव, सामुदायिक निवेश व लॉ एन्फोर्समेंट का नवीनीकरण करने व उसे ठीक करने के लिए वार्षिक रूप से राज्य के नए राजस्व में कई सौ मिलियन डॉलर प्राप्त करना।

(u) मरिवाना के अवैध उत्पादन अथवा वितरण को रोकना।

(v) California से अन्य राज्यों अथवा देशों अथवा अवैध बाज़ार में मरिवाना के अवैध परिवर्तन को रोकना।

(w) हिंसक अपराध को रोकने और उसके लिए मुकदमा चलाने के लिए अपर्याप्त लॉ एन्फोर्समेंट संसाधनों को बचाना।

(x) कानूनी, नियंत्रक बाज़ार में प्रवेश के लिए बाधाओं को कम करना।

(y) जो नाबालिग मरिवाना-संबंधी अपराध करते हैं, उनके लिए नशीले पदार्थों के सेवन से बचाव जानकारी अथवा काउंसलिंग व सामुदायिक सेवा पूरा करने की शर्त रखना।

(z) अदालतों को उन व्यक्तियों को दुबारा सजा देने, जो इस समय उन अपराधों के लिए सजा भुगत रहे हैं, जिनके लिए अधिनियम के अनुसार सजा को कम किया गया है, क्योंकि व्यक्ति लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न नहीं करता, और उन अपराधों को उन व्यक्तियों के आपराधिक रिकॉर्डों से दुबारा निर्दिष्ट करने अथवा रद्द करने का अधिकार देना, जिन्होंने अपनी सजा पूरी की है जैसा कि इस अधिनियम में दिया गया है।

(aa) औद्योगिक भांग को एक कृषि संबंधी उत्पाद के तौर पर और कृषि संबंधी अथवा अकादमिक शोध के लिए और उच्च डेल्टा-9 टेट्राहाइड्रोकैनाबाइनोल सान्द्रता के साथ भांग की नस्ल से अलग नियंत्रक के तौर पर उगाए जाने की अनुमति देना।

अनुभाग 4. व्यक्तिगत उपयोग।

अनुभाग 4.1. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता का अनुभाग 11018 संशोधित किया गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

11018. *मरिवाना।*

"मरिवाना" का अर्थ है भांग सत्व L. के पौधे के सभी भाग, चाहे उगाए गए हों या नहीं; उनके बीज; पौधे के किसी भी भाग से निकाली गई गंधराल; और पौधे, इसके बीजों अथवा गंधराल का प्रत्येक यौगिक पदार्थ, उत्पादन, नमक, यौगिक, मिश्रण अथवा औषधि मिश्रण। इसमें ~~पौधे की पके हुए डंठल, डंठलों से उत्पन्न हुआ रेशा, पौधे के बीजों से बनाया तेल अथवा केक, पके हुए डंठलों के कोई अन्य यौगिक पदार्थ, उत्पादन, नमक, यौगिक, मिश्रण अथवा औषधि मिश्रण (उनसे निकाली गई गंधराल को छोड़कर), रेशा, तेल अथवा केक अथवा पौधे के निष्कीटित बीज शामिल नहीं हैं, जो अंकुरण में असमर्थ हैं:~~

(a) औद्योगिक भांग जैसा कि अनुभाग 11018.5 में परिभाषित किया गया है; अथवा

(b) स्थानीय अथवा मुंह से दवाई, भोजन, पेय पदार्थ अथवा अन्य उत्पाद तैयार करने के लिए मरिवाना के साथ संयुक्त किसी भी अन्य सामग्री का वजन।

अनुभाग 4.2. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में अनुभाग 11018.1 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

11018.1. मरिवाना के उत्पाद।

"मरिवाना के उत्पाद" का अर्थ है वह मरिवाना, जिसके साथ ऐसी प्रक्रिया की गई है, जिसमें पौधे की सामग्री को सांद्र में बदला गया हो, इनके सहित, लेकिन इन तक सीमित नहीं, संकेंद्रित भांग अथवा मरिवाना वाला कोई खाने योग्य अथवा स्थानीय उत्पाद हो अथवा संकेंद्रित भांग और अन्य सामग्रियां।

अनुभाग 4.3. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में अनुभाग 11018.2 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

11018.2. मरिवाना संबंधी सामान।

"मरिवाना संबंधी सामान" का अर्थ है कोई भी वह उपकरण, उत्पाद अथवा किसी प्रकार की सामग्री, जो मरिवाना को बोने, उगाने, इसकी खेती करने, इसे विकसित करने, कटाई करने, उत्पादन करने, मिश्रित करने, परिवर्तित करने, उत्पादन करने, प्रक्रिया करने, औषधि मिश्रण बनाने, परीक्षण करने, विश्लेषण करने, पैकिंग करने, दुबारा पैकिंग करने, भंडारण करने, धुआं उठाने, वाष्पित करने, अथवा मरिवाना शामिल करने, अथवा खिलाने, सांस से अंदर लेने, अथवा अन्य प्रकार से मरिवाना अथवा मरिवाना के उत्पादों को मानव शरीर में पहुंचाने के लिए प्रयोग की जाती है, प्रयोग के उद्देश्य के लिए होती है अथवा इसके प्रयोग के लिए तैयार की जाती है।

अनुभाग 4.4. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में अनुभाग 11362.1 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

11362.1. (a) अनुभागों 11362.2, 11362.3, 11362.4 और 11362.45 के अधीन, लेकिन कानून की किसी अन्य शर्त के होने के बावजूद, 21 वर्ष या इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए यह करना राज्य एवं स्थानीय कानून के अंतर्गत कानूनी होगा और राज्य अथवा स्थानीय कानून का उल्लंघन नहीं होगा:

(1) 21 वर्ष या इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए बिना किसी मुआवजे के 28.5 ग्राम तक मरिवाना, जिसमें सान्द्रित भांग का कोई भी प्रकार न हो, रखना, इसकी प्रक्रिया करना, इसे लाना-ले जाना, खरीदना, प्राप्त करना या देना;

(2) 21 वर्ष या इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए बिना किसी मुआवजे के आठ ग्राम तक मरिवाना, जिसमें सान्द्रित भांग का कोई भी प्रकार न हो, रखना, इसकी प्रक्रिया करना, इसे लाना-ले जाना, खरीदना, प्राप्त करना या देना; उस सहित जैसे मरिवाना के उत्पादों में शामिल किया गया है;

(3) मरिवाना के केवल छह सजीव पौधे रखना, उन्हें बोना, उनकी खेती करना, कटाई करना, सुखाना अथवा प्रक्रिया करना और पौधों से पैदा हुई मरिवाना रखना;

(4) मरिवाना अथवा मरिवाना के उत्पादों का धूम्रपान करना या इन्हें खाना; और

(5) 21 वर्ष या इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए बिना किसी मुआवजे के मरिवाना का सामान रखना, लाना-ले जाना, खरीदना, प्राप्त करना, प्रयोग करना, उत्पादन करना अथवा देना।

(b) उपखंड (a) का पैरा (5), मरिवाना के सामान के उत्पादन, उसे रखने अथवा वितरित करने के लिए इस अनुभाग के अनुपालन में किसी व्यक्ति को राज्य के कानून के अंतर्गत अधिकार देकर यूनाइटेड स्टेट्स कोड के (21 U.S.C. अनुभाग 863(f)) के शीर्षक 21 के अनुभाग 863 के उप-अनुभाग (f) की शर्तों को पूरा करने के उद्देश्य के लिए है।

(c) इस अनुभाग के अनुसार गैरकानूनी माने गए आचरण के साथ किसी भी

प्रकार से शामिल मरिवाना और मरिवाना के उत्पाद वर्जित माल नहीं हैं व न ही जब्ती के अधीन है और इस अनुभाग के अनुसार माने गए किसी भी ऐसे आचरण को कैद, खोज अथवा गिरफ्तारी के लिए आधार नहीं बनाया जाएगा।

अनुभाग 4.5. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में अनुभाग 11362.2 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

11362.2. (a) अनुभाग 11362.1 के उपखंड (a) के पैरा (3) के अतंर्गत मरिवाना की निजी खेती निम्न प्रतिबंधों के अधीन है:

(1) कोई व्यक्ति उपखंड (b) के अनुसार अपनाए गए स्थानीय अध्यादेशों, यदि कोई हैं, के अनुसार पौधों को उगाएगा, उनकी खेती करेगा, कटाई करेगा, सुखाएगा अथवा प्रक्रिया करेगा।

(2) सजीव पौधों और पौधों से पैदा की गई कोई भी 28.5 ग्राम से अधिक की मरिवाना को व्यक्ति के निजी निवास के अंदर अथवा उस निजी निवास की मंजिलों पर रखा जाता है (उदाहरण के लिए किसी बाहरी बाग वाले क्षेत्र में), किसी बंद स्थान पर और यह किसी सार्वजनिक स्थान से सामान्य सहायता रहित दृष्टि से दिखाई नहीं देनी चाहिए।

(3) छह सजीव पौधों से अधिक को एक बार में, किसी एकल निजी निवास अथवा उस निजी निवास की मंजिलों पर बोया नहीं जा सकता, इसकी खेती, कटाई नहीं की जा सकती, इसे सुखाया अथवा इसकी प्रक्रिया नहीं की जा सकती।

(b) (1) कोई शहर, काउंटी अथवा शहर और काउंटी अनुभाग 11362.1 के उपखंड (a) के पैरा (3) में कार्यों और आचरण को उचित रूप से नियंत्रित करने के लिए उचित विनियम बना सकता है एवं उन्हें लागू कर सकता है।

(2) पैरा (1) के होने के बावजूद, कोई भी शहर, काउंटी अथवा शहर अनुभाग 11362.1 के उपखंड (a) के पैरा (3) के अंतर्गत किसी निजी निवास के अंदर, अथवा किसी निजी निवास की मंजिलों पर स्थित किसी निजी निवास की किसी सहायक संरचना के अंदर कार्यों एवं आचरण में शामिल होने वाले व्यक्तियों को पूरी तरह से नहीं रोक सकता।

(3) अनुभाग 11362.1 के उपखंड (a) के पैरा (3) के बावजूद, कोई शहर, काउंटी अथवा शहर और काउंटी अनुभाग 11362.1 के उपखंड (a) के पैरा (3) के अंतर्गत किसी निजी निवास की मंजिलों पर व्यक्तियों को किसी कार्यों एवं आचरण में शामिल होने से पूरी तरह नहीं रोक सकता।

(4) पैरा (3) California अटॉर्नी जनरल के एक निर्णय पर अप्रभावी हो जाएगा कि मरिवाना का गैर चिकित्सीय प्रयोग संघीय कानून के अंतर्गत California राज्य में वैध है और पैरा (3) के अंतर्गत किसी शहर, काउंटी अथवा शहर और काउंटी द्वारा की गई कार्रवाई को अटॉर्नी जनरल के उस निर्णय की तारीख पर रद्द माना जाएगा।

(5) इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए, "निजी निवास" का अर्थ है कोई घर, कोई अपार्टमेंट यूनिट, कोई मोबाइल होम अथवा अन्य समान आवास।

अनुभाग 4.6. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में अनुभाग 11362.3 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

11362.3. (a) अनुभाग 11362.1 में किसी भी तथ्य का अर्थ किसी व्यक्ति को निम्न करने के लिए अनुमति देना नहीं है:

(1) किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मरिवाना अथवा मरिवाना के उत्पादों का धूम्रपान करना अथवा इन्हें खाना, व्यापार और व्यवसाय संहिता के अनुभाग 26200 के अनुसार होने को छोड़कर।

(2) किसी ऐसे स्थान पर मरिवाना अथवा मरिवाना के उत्पादों का धूम्रपान करना, जहां तम्बाकू पीना निषिद्ध है।

(3) किसी स्कूल, डे केयर सेंटर अथवा यूथ सेंटर, जब बच्चे उस स्कूल, डे केयर सेंटर अथवा यूथ सेंटर में मौजूद हों, उसके 1,000 फुट के अंदर मरिवाना अथवा मरिवाना के उत्पादों का धूम्रपान करना, निजी निवास की मंजिलों में अथवा इन पर होने को छोड़कर अथवा अनुभाग 26200 के अनुसार अथवा व्यापार और व्यवसाय संहिता के खंड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 के साथ शुरू करना) के अनुसार होने को छोड़कर और केवल तभी, अगर वह धूम्रपान ऐसे किसी स्कूल, डे केयर सेंटर अथवा यूथ सेंटर की भूमि पर बच्चों के मौजूद होने के समय अन्य द्वारा पता लगाने योग्य न हो।

(4) परिवहन के लिए प्रयोग किए जाने वाले किसी मोटर वाहन, किश्ती, पानी का जहाज, वायुयान अथवा अन्य वाहन की यात्री सीट अथवा कम्पार्टमेंट में ड्राइविंग, संचालन करने अथवा सवार होने के दौरान मरिवाना अथवा मरिवाना के उत्पादों का कोई खुला डिब्बा अथवा खुला पैकेज रखना।

(5) किसी स्कूल, डे केयर सेंटर अथवा यूथ सेंटर में या इसकी भूमि पर बच्चों के मौजूद होने के दौरान मरिवाना अथवा मरिवाना के उत्पाद रखना, इनका धूम्रपान करना अथवा इन्हें खाना।

(6) वाष्पशील विलायक द्रव का प्रयोग करते हुए सान्द्रित भांग का उत्पादन करना, जब तक कि व्यापार और व्यवसाय संहिता के खंड 8 अथवा खंड 10 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 से शुरू करना) के अंतर्गत एक लाइसेंस के अनुसार न किया जाए।

(7) परिवहन के लिए प्रयोग किए जाने वाले किसी मोटर वाहन, किश्ती, पानी का जहाज, वायुयान अथवा अन्य वाहन को चलाने, संचालित करने के दौरान मरिवाना अथवा मरिवाना के उत्पादों का धूम्रपान करना अथवा इन्हें खाना।

(8) परिवहन के लिए प्रयोग किए जाने वाले किसी मोटर वाहन, किश्ती, पानी का जहाज, वायुयान अथवा अन्य वाहन की यात्री सीट अथवा कम्पार्टमेंट में सवार होने के दौरान मरिवाना अथवा मरिवाना के उत्पादों का धूम्रपान करना अथवा इन्हें खाना, व्यापार और व्यवसाय संहिता के अनुभाग 26200 के अनुसार परिचालित किए जाने वाले परिवहन के लिए प्रयोग किए जाने वाले किसी मोटर वाहन, किश्ती, पानी का जहाज, वायुयान अथवा अन्य वाहन को छोड़कर और जब 21 वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति मौजूद न हो।

(b) इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए, "डे केयर सेंटर" का वही अर्थ है जैसा कि अनुभाग 1596.76 में दिया गया है।

(c) इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए, "धूम्रपान करने" का अर्थ है, किसी भी प्रकार से या किसी भी रूप में कश खींचने के उद्देश्य से, चाहे प्राकृतिक या सिंथेटिक, कोई भी प्रकाशित अथवा गर्म यंत्र या पाइप, या कोई अन्य प्रकाशित अथवा गर्म मरिवाना अथवा मरिवाना के उत्पाद से सांस खींचना, सांस छोड़ना, जलाना अथवा साथ रखना। "धूम्रपान करने" में किसी ऐसे इलेक्ट्रोनिक धूम्रपान यंत्र का प्रयोग करना, जो किसी भी प्रकार से या किसी भी रूप में एयरोसोल अथवा वाष्प उत्पन्न करता है अथवा किसी स्थान पर धूम्रपान के निषेध को नाकाम बनाने के उद्देश्य से किसी मौखिक धूम्रपान यंत्र का प्रयोग करना, शामिल है।

(d) इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए, "वाष्पशील विलायक द्रव" का अर्थ है वाष्पशील जैव यौगिक पदार्थ, जिनमें शामिल हैं: (1) विस्फोटक गैसें, जैसे ब्यूटेन, प्रोपेन, ज़ाइलीन, स्टाईरीन, गैसोलीन, केरोसीन, O_2 अथवा H_2; और (2) खतरनाक ज़हर, विष अथवा कैंसरकारी तत्व, जैसे कि मेथानोल, आइसो-प्रोपाइल, अल्कोहल, मेथीलीन क्लोराइड, ऐसिटोन, बैंज़ीन, टोल्यूनि और ट्राई-क्लोरो-एथीलीन।

(e) इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए, "यूथ सेंटर" का वही अर्थ है जैसा कि अनुभाग 11353.1 में दिया गया है।

(f) इस अनुभाग में किसी भी तथ्य का अर्थ 1996 के अनुकम्पा उपयोग अधिनियम से संबंधित कानूनों का संशोधन करने, इन्हें रद्द करने, प्रभावित करने, प्रतिबंधित करने अथवा रोकने के तौर पर नहीं लगाया जाएगा या इस रूप में इसकी व्याख्या नहीं की जाएगी।

अनुभाग 4.7. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में अनुभाग 11362.4 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

11362.4. (a) जो व्यक्ति, अनुभाग 11362.3 के उपखंड (a) के पैरा (1)

में वर्णित आचरण में शामिल होता है, उसे दंड योग्य उल्लंघन का दोषी माना जाता है और उस पर एक सौ डॉलर ($100) तक का जुर्माने लगाया जाता है; अगर वे व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र के हैं तो उनके लिए इसकी बजाय चार घंटे का नशीले पदार्थों संबंधी जानकारी कार्यक्रम अथवा काउंसलिंग 10 घंटे तक की सामुदायिक सेवा पूरी करने की शर्त रखी जाएगी, जब उस व्यक्ति के लिए नशीले पदार्थों संबंधी जानकारी कार्यक्रम अथवा काउंसलिंग और सामुदायिक सेवा उपलब्ध कराई जाती है, तब से 60 दिनों की अवधि के अंदर, इससे अधिक नहीं।

(b) जो व्यक्ति अनुभाग 11362.3 के उपखंड (a) के पैरा (2) से (4) में वर्णित आचरण में शामिल होता है, उसे दंड योग्य उल्लंघन का दोषी माना जाता है और उस पर दो-सौ-पचास-डॉलर ($250) तक का जुर्माना लगाया जाता है, जब तक उस गतिविधि के लिए किसी अन्य प्रकार से राज्य एवं स्थानीय कानून द्वारा अनुमति न दी गई है; अगर वे व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र के हैं तो उनके लिए इसकी बजाय चार घंटे की नशीले पदार्थों संबंधी जानकारी अथवा काउंसलिंग 20 घंटे तक की सामुदायिक सेवा पूरी करने की शर्त रखी जाएगी, जब उस व्यक्ति के लिए नशीले पदार्थों संबंधी जानकारी कार्यक्रम अथवा काउंसलिंग और सामुदायिक सेवा उपलब्ध कराई जाती है, तब से 90 दिनों की अवधि के अंदर, इससे अधिक नहीं।

(c) जो व्यक्ति अनुभाग 11362.3 के उपखंड (a) के पैरा (5) में वर्णित आचरण में शामिल होता है, वह उसी दंड के अधीन होता है, जैसा कि अनुभाग 11357 के उपखंड (c) अथवा (d) के अंतर्गत दिया गया है।

64

(d) जो व्यक्ति अनुभाग 11362.3 के उपखंड (a) के पैरा (6) में वर्णित आचरण में शामिल होता है, वह अनुभाग 11379.6 के अंतर्गत दंड के अधीन होता है।

(e) जो व्यक्ति अनुभाग 11362.2 के उपखंड (a) में लागू प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है, उसे दंड योग्य उल्लंघन का दोषी माना जाता है व उस पर दो-सौ-पचास डॉलर ($250) तक का जुर्माना लगाया जाता है।

(f) उपखंड (e) होने के बावजूद, 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी उस व्यक्ति, जो अनुभाग 11362.2 के उपखंड (a) में लागू प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है, को अनुभाग 11358 के उपखंड (a) के अंतर्गत दंड दिया जाएगा।

(g) (1) इस अनुभाग की शर्त के अनुसार नशीले पदार्थों संबंधी जानकारी कार्यक्रम अथवा काउंसलिंग के घंटे आवश्यक होंगे, जब तक कि अदालत कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं देती कि वह कार्यक्रम अथवा काउंसलिंग उस व्यक्ति के लिए अनावश्यक है या यह कि नशीले पदार्थों संबंधी जानकारी कार्यक्रम अथवा काउंसलिंग उपलब्ध नहीं है।

(2) इस अनुभाग के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए आवश्यक नशीले पदार्थों संबंधी जानकारी कार्यक्रम भागीदारों के लिए निशुल्क होना जरूरी है और यह भी जरूरी है कि इनमें मरिवाना व अन्य नियंत्रक नशीले पदार्थों के प्रयोग एवं अत्यधिक सेवन के लिए विशेष विज्ञान एवं प्रमाण-आधारित सिद्धांतों व पद्धतियों के आधार पर सामूहिक चर्चा अथवा शिक्षण के चार घंटे प्रदान किए जाएं।

(h) उचित कारण के निष्कर्ष पर, अदालत किसी व्यक्ति के लिए इस अनुभाग के अंतर्गत आवश्यक नशीले पदार्थों के सेवन संबंधी जानकारी अथवा काउंसलिंग और सामुदायिक सेवा को पूरा करने के लिए अवधि को बढ़ा सकती है।

अनुभाग 4.8. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में अनुभाग 11362.45 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

11362.45. अनुभाग 11362.1 में किसी भी तथ्य का अर्थ निम्न को संशोधित करने, इन्हें रद्द करने, प्रभावित करने, प्रतिबंधित करने अथवा रोकने के तौर पर नहीं लगाया जाएगा या इस रूप में इसकी व्याख्या नहीं की जाएगी:

(a) कानून मरिवाना अथवा मरिवाना के उत्पादों का धूम्रपान करने, उसे खाने अथवा उसके प्रभाव में होने के दौरान किसी वाहन, किश्ती, पानी के जहाज अथवा वायुयान को चलाने या परिचालित करने को गैरकानूनी बनाते हैं, इसमें शामिल है, लेकिन इस तक सीमित नहीं है, व्हीकल कोड के अनुभाग 23152 का उपखंड (e) अथवा उन कानूनों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड।

(b) कानून 21 वर्ष से कम उम्र किसी भी व्यक्ति को मरिवाना, मरिवाना के उत्पादों या मरिवाना के सामान की बिक्री करने, उन्हें खिलाने, उन तक पहुंचाने या उन्हें देने अथवा मरिवाना, मरिवाना के उत्पादों या मरिवाना के सामान को बेचने, खिलाने, पहुंचाने या देने की पेशकश करने पर रोक लगाते हैं।

(c) कानून 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के अनुभाग 11362.1 के अंतर्गत किसी अन्य प्रकार से अनुमति प्राप्त किसी भी कार्यों अथवा आचरण में शामिल होने पर रोक लगाते हैं।

(d) सुधार एवं पुनर्वास विभाग अथवा किशोर न्याय के खंड के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी केंद्र अथवा संस्थान की भूमि पर या इनके अंदर अथवा इन पीनल कोड के अनुभाग 4573 में उल्लिखित किसी भी केंद्र अथवा संस्थान की भूमि पर या इनके अंदर मरिवाना अथवा मरिवाना के उत्पादों का धूम्रपान करने या इन्हें खाने संबंधी कानून।

(e) कानूनों के अनुसार मरिवाना अथवा मरिवाना के उत्पादों का धूम्रपान करने या इन्हें खाने के प्रभाव में होने के दौरान किसी भी कार्य का उत्तरदायित्व लेने को लापरवाही अथवा पेशेवर अनाचार माना जाएगा।

(f) ड्रग एवं अल्कोहल मुक्त कार्यस्थल बनाए रखने के लिए सरकारी व निजी नियोक्ताओं के अधिकार एवं जिम्मेदारियां अथवा किसी नियोक्ता को कार्यस्थल में मरिवाना के प्रयोग, उपभोग, इसे रखने, स्थानांतरित करने, प्रदर्शित करने, लाने-ले जाने, बिक्री करने अथवा इसको उगाने की अनुमति देने या इस्तेमाल करने के लिए अनुकूल बनाने की ज़रूरत रखनी अथवा कर्मचारियों एवं भावी कर्मचारियों द्वारा मरिवाना के प्रयोग पर रोक लगाने वाली नीतियां बनाने की नियोक्ताओं की क्षमता को प्रभावित करना अथवा नियोक्ताओं को राज्य अथवा संघीय कानून का पालन करने से रोकना।

(g) राज्य अथवा स्थानीय सरकारी एजेंसी के स्वामित्व वाली, पट्टे पर ली गई अथवा अधिकृत किसी इमारत के अंदर अनुभाग 11362.1 के अंतर्गत किसी अन्य प्रकार से अनुमति प्राप्त किसी भी कार्य अथवा आचरण पर रोक लगाने या प्रतिबंधित करने की राज्य अथवा स्थानीय सरकारी एजेंसी की क्षमता।

(h) व्यक्ति की अथवा संस्था के निजी स्वामित्व वाली जायदाद पर अनुभाग 11362.1 के अंतर्गत किसी अन्य प्रकार से अनुमति प्राप्त किसी भी कार्य अथवा आचरण पर रोक लगाने या प्रतिबंधित करने की किसी व्यक्ति अथवा निजी संस्था की क्षमता।

(i) 1996 के अनुकम्पा उपभोग अधिनियम से संबंधित कानून।

अनुभाग 5. चिकित्सीय प्रयोजनों से मरिवाना का प्रयोग।

अनुभाग 5.1. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में अनुभाग 11362.712 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

11362.712. (a) 1 जनवरी, 2018 से, किसी अर्हता-प्राप्त रोगी के पास चिकित्सक की सिफारिश अवश्य होनी चाहिए जो व्यवसाय और पेशा संहिता के खण्ड 2 के अध्याय 5 के अनुच्छेद 25 (अनुभाग 2525 से शुरू करते हुए) के अनुरूप हो। फिर भी, इस अपेक्षा को पूरा न करने से रोगियों को अथवा उनके प्राथमिक देखभालकर्ताओं को अनुभाग 11362.5 द्वारा प्रदान किया गया कोई भी संरक्षण प्रभावित नहीं होगा।

(b) कोई काउंटी स्वास्थ्य विभाग या काउंटी का मनोनीत व्यक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकोल बनाएगा कि 1 जनवरी, 2018 से अनुभाग 11362.71 के अनुसार जारी सभी पहचान पत्रों पर किसी चिकित्सक की ऐसी सिफारिश होनी चाहिए जो व्यवसाय और पेशा संहिता के खण्ड 2 के अध्याय 5 के अनुच्छेद 25 (अनुभाग 2525 से शुरू करते हुए) के अनुरूप हो।

अनुभाग 5.2. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में अनुभाग 11362.713 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

11362.713. (a) राज्य जन स्वास्थ्य विभाग और किसी काउंटी के जन स्वास्थ्य विभाग में प्राप्त और उनके रिकॉर्डों में विहित रोगियों के नामों, पतों,

अथवा सामाजिक सुरक्षा नंबरों की पहचान करने वाली जानकारी, उनकी चिकित्सीय दशाओं, अथवा उनके प्राथमिक देखभालकर्ताओं के नामों को इसके द्वारा चिकित्सा सूचना की गोपनीयता अधिनियम (नागरिक संहिता के खण्ड 1 का भाग 2.6 (अनुभाग 56 से शुरू करते हुए)) के मायनों में "चिकित्सा सूचना" माना जाता है और चिकित्सा सूचना की गोपनीयता अधिनियम के तहत व्यक्तिगत रूप से पहचानने योग्य सूचना के प्रकटीकरण पर लगाए गए प्रतिबंधों के अनुसार सूचना को छोड़कर, इसका विभाग द्वारा अथवा किसी काउंटी के जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा।

(b) किसी रोगी के नाम, पते, अथवा सामाजिक सुरक्षा नंबर, उसकी चिकित्सीय दशाओं, अथवा उसके प्राथमिक देखभालकर्ता के नाम का खुलासा करने का अनुरोध प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर, राज्य जन स्वास्थ्य विभाग अथवा कोई काउंटी जन स्वास्थ्य एजेंसी रोगी से संपर्क करेगी और उसे उस अनुरोध के बारे में जानकारी देगी और यदि अनुरोध लिखित रूप में किया गया हो तो उसकी प्रतिलिपि देगी।

(c) नागरिक संहिता के अनुभाग 56.10 के होते हुए भी, न तो राज्य जन स्वास्थ्य विभाग और न ही कोई काउंटी जन स्वास्थ्य एजेंसी रोगियों के नामों, पतों, अथवा सामाजिक सुरक्षा नंबरों अथवा उनकी चिकित्सीय दशाओं, अथवा उनके प्राथमिक देखभालकर्ताओं के नामों को 10वें दिन से पहले, न तो प्रकट करेगी न ही उन्हें किसी एजेंसी अथवा कोर्ट द्वारा प्रकट करने का आदेश दिया जा सकेगा जिसके बाद जिस रोगी के रिकॉर्डों का प्रकटीकरण करने की मांग की गई है उससे संपर्क किया गया है।

(d) अनुभाग 11362.71 में किए गए प्रावधान के अनुसार, राज्य जन स्वास्थ्य विभाग अथवा किसी काउंटी के जन स्वास्थ्य विभाग अथवा काउंटी के मनोनीत व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त अथवा अनुरक्षित किसी पहचान-पत्र आवेदन सिस्टम अथवा डाटाबेस में किसी अर्हता-प्राप्त रोगी की कोई व्यक्तिगत जानकारी मौजूद नहीं रहेगी, जिसमें रोगी का नाम, पता, सामाजिक सुरक्षा नंबर, चिकित्सा दशाएं, अथवा उसके प्राथमिक देखभालकर्ताओं के नाम शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। ऐसे किसी आवेदन सिस्टम अथवा डाटाबेस में केवल अनन्य प्रयोक्ता पहचान संख्या हो सकती है और जब उस नंबर की प्रविष्टि की जाए तब प्रदान की जा सकने वाली जानकारी केवल यह होगी कि वह कार्ड वैध है अथवा अवैध।

अनुभाग 5.3. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता का अनुभाग 11362.755 संशोधित किया गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

11362.755. (a) ~~विभाग पहचान-पत्र प्राप्त करने अथवा उसका नवीनीकरण करवाने वाले व्यक्तियों के लिए आवेदन एवं नवीनीकरण शुल्क तय करेगा जो विभाग द्वारा किए जाने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो, जिसमें स्टार्टअप लागत, उप-खण्ड (b) के अनुसार Medi-Cal लाभार्थियों के लिए कम किए गए शुल्क की लागत, एक किफायती इंटरनेट वेब-आधारित सिस्टम की पहचान कर विकसित करने की लागत तथा 24-घंटे का एक टोल-फ्री टेलीफोन नंबर चलाने की लागत शामिल है।~~ प्रत्येक काउंटी स्वास्थ्य विभाग अथवा काउंटी का मनोनीत व्यक्ति इस अनुच्छेद के अनुसार कार्यक्रम को लागू करने के लिए काउंटी अथवा काउंटी के मनोनीत व्यक्ति द्वारा वहन की जाने वाली सभी लागतों के लिए ~~एक अतिरिक्त~~ एक शुल्क वसूल कर सकते हैं।

(b) किसी काउंटी स्वास्थ्य विभाग द्वारा वसूले गए शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में प्रति आवेदन अथवा प्रति नवीनीकरण एक सौ डॉलर ($100) से अधिक नहीं होगी।

~~(b)~~ *(c)* Medi-Cal कार्यक्रम में भागीदारी एवं पात्रता के संतोषजनक प्रमाण के बाद, Medi-Cal लाभार्थी को इस अनुभाग के अनुसार तय किए गए शुल्कों में 50 प्रतिशत की कटौती प्राप्त होगी।

(d) इस बात के संतोषजनक प्रमाण के बाद कि एक अर्हता-प्राप्त रोगी अथवा 18 वर्ष से कम आयु के अर्हता-प्राप्त रोगी का कानूनी संरक्षक चिकित्सीय रूप से निर्धन वयस्क है और काउंटी चिकित्सा सेवाएं कार्यक्रम के लिए और उनमें भाग लेने के लिए पात्र हैं, इस अनुभाग के अनुसार तय किए गए शुल्क से छूट दी जाएगी।

(e) यदि किसी काउंटी स्वास्थ्य विभाग द्वारा वसूला गया और एकत्र किया गया शुल्क अनिवार्य पहचान-पत्र सिस्टम संबंधी काउंटी स्वास्थ्य विभाग के कर्त्तव्यों का निर्वाह करने में आई प्रशासनिक लागतों के लिए भुगतान करने हेतु पर्याप्त न हो, तो काउंटी स्वास्थ्य विभाग के अनुरोध पर विधानमंडल, काउंटी स्वास्थ्य विभाग द्वारा वसूले गए और एकत्र किए गये शुल्क के अतिरिक्त उन तर्कसंगत प्रशासनिक लागतों के लिए काउंटी स्वास्थ्य विभाग को धन-वापसी करेगी।

अनुभाग 5.4. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में अनुभाग 11362.84 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

11362.84. अनुकंपा उपयोग अधिनियम के अनुसार कार्य करने वाले अहर्ता-प्राप्त रोगी की स्थिति और आचरण का, परिवार अथवा किशोर न्यायालय के क्षेत्राधिकार के तहत किसी कार्रवाई अथवा कार्यवाही में अवयस्क बच्चों के संरक्षण अथवा मातृ-पैतृक अधिकारों को सीमित अथवा कम करने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

अनुभाग 5.5. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में अनुभाग 11362.85 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

11362.85. California अटॉर्नी जनरल द्वारा यह निश्चय किए जाने पर कि नियंत्रित पदार्थों की संघीय अनुसूची को मरिवाना को पुनर्वर्गीकृत अथवा विवर्गीकृत करने के लिए संशोधित किया गया है, विधानमंडल, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के प्रावधानों को, राज्य कानून को संघीय कानून में ऐसे बदलावों के अनुरूप बनाने हेतु, आवश्यकता के अनुसार, संशोधित या रद्द कर सकता है।

अनुभाग 6. मरिवाना विनियमन एवं सुरक्षा।

अनुभाग 6.1. व्यापार और व्यवसाय संहिता में खंड 10 (अनुभाग 26000 से शुरू होकर) जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

खंड 10. मरिवाना

अध्याय 1. सामान्य प्रावधान एवं परिभाषाएं

26000. (a) इस खण्ड का प्रयोजन एवं मंशा 21 वर्ष और उससे अधिक की आयु के वयस्कों के लिए गैर-चिकित्सीय मरिवाना एवं मरिवाना उत्पादों की खेती, वितरण, परिवहन, भंडारण, विनिर्माण, प्रसंस्करण एवं विक्रय को नियंत्रित और विनियमित करने हेतु एक व्यापक तंत्र स्थापित करना है।

(b) उप-खण्ड (a) के क्रम में, यह खण्ड वाणिज्यिक गैर-चिकित्सीय मरिवाना उद्योग का नियंत्रण एवं विनियमन करने के लिए शक्ति और कर्तव्य को सम्मिलित करने के लिए खण्ड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 से शुरू करते हुए) के तहत मेडिकल भांग उद्योग का नियंत्रण एवं विनियमन करने के लिए उत्तरदायी मौजूदा राज्य एजेंसियों की शक्ति एवं कर्तव्यों का दायरा बढ़ाता है।

(c) इस खण्ड को लागू करने के लिए विधानमंडल, बहुमत वोट से, कानून बना सकता है, बशर्ते ऐसे कानून वयस्कों द्वारा मरिवाना के सेवन पर नियंत्रण, विनियमन और टैक्स अधिनियम के प्रयोजन एवं मंशा के अनुरूप हों।

26001. इस खण्ड के उद्देश्यों के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी:

(a) "आवेदक" का आशय निम्नलिखित है:

(1) प्रस्तावित लाइसेंसधारी का अथवा के मालिक। "मालिक" का आशय उन सभी व्यक्तियों से है जो (A) लाइसेंसधारी में 20 प्रतिशत अथवा उससे अधिक का सकल मालिकाना हित (प्रतिभूति हित, धारणाधिकार अथवा भार को छोड़कर) रखते हों और (B) लाइसेंसधारी के प्रबंधन अथवा नियंत्रण हेतु निदेश देने अथवा निदेश दिलवाने की शक्ति रखते हों।

(2) यदि आवेदक एक सार्वजनिक व्यावसायिक कंपनी है, तो "मालिक" में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक मंडल का कोई भी सदस्य और कंपनी में 20 प्रतिशत अथवा उससे अधिक का सकल मालिकाना हित रखने वाला कोई व्यक्ति अथवा संस्था शामिल है। यदि आवेदक एक लाभ-निरपेक्ष संस्था हो, तो "मालिक" का आशय मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक मंडल का कोई भी

64

सदस्य है।

(b) "ब्यूरो" का आशय उपभोक्ता मामले विभाग के तहत मरिवाना नियंत्रण ब्यूरो से है।

(c) "बाल प्रतिरोधी" का आशय है - पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए खोलना पर्याप्त रूप से कठिन बनाने के लिए अभिकल्पित या विनिर्मित, और सामान्य वयस्कों द्वारा उपयुक्त ढंग से उपयोग करने में कठिन न होना।

(d) "वाणिज्यिक मरिवाना क्रियाकलाप" में इस खण्ड में किए गए प्रावधान के अनुसार, मरिवाना और मरिवाना उत्पादों की खेती, रखना, विनिर्माण, वितरण, प्रसंस्करण, भंडारण, प्रयोगशाला परीक्षण, लेबल लगाना, परिवहन, वितरण, सुपुर्दगी अथवा बिक्री शामिल हैं।

(e) "खेती" से आशय उस क्रियाकलाप से है जिसमें मरिवाना का पौधारोपण, उगाना, कटाई, सुखाना, उपचार, वर्गीकरण अथवा छंटाई शामिल हो।

(f) "ग्राहक" से आशय 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के सामान्य व्यक्ति से है।

(g) "दिवस देखभाल केंद्र" का आशय वही होगा जो स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के अनुभाग 1596.76 में है।

(h) "सुपुर्दगी" का आशय मरिवाना अथवा मरिवाना उत्पादों का किसी उपभोक्ता को वाणिज्यिक हस्तांतरण करने से है। "सुपुर्दगी" में खुदरा विक्रेता के स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन, अथवा इस खण्ड के तहत स्वतंत्र रूप से लाइसेंसधारी किसी प्रौद्योगिकीय प्लेटफॉर्म के खुदरा विक्रेता द्वारा प्रयोग भी शामिल है, जिससे ग्राहक मरिवाना अथवा मरिवाना उत्पादों का एक लाइसेंसधारी खुदरा विक्रेता द्वारा वाणिज्यिक अंतरण करने की व्यवस्था करने अथवा करवाने में सक्षम होते हैं।

(i) "निदेशक" का आशय उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक से है।

(j) "वितरण" का आशय मरिवाना और मरिवाना उत्पादों का इस खण्ड के अनुसार लाइसेंस प्रदान की गई संस्थाओं के बीच अधिप्राप्ति, विक्रय एवं परिवहन से है।

(k) "निधि" का आशय अनुभाग 26210 के अनुसार स्थापित मरिवाना नियंत्रण निधि से है।

(l) "किस्म" का आशय विशेष मरिवाना प्रकार अथवा मरिवाना उत्पाद के प्रकार के संबंध में लागू प्रकार अथवा नाम से है, जिसमें किस्म का नाम अथवा अन्य उत्पादक ट्रेडमार्क, अथवा उगाने के क्षेत्र का नाम शामिल हैं।

(m) "लाइसेंस" का आशय इस खण्ड के तहत जारी किसी राज्य लाइसेंस से है।

(n) "लाइसेंसधारी" का आशय इस खण्ड के तहत लाइसेंस धारक किसी व्यक्ति अथवा संस्था से है।

(o) "लाइसेंसिंग प्राधिकरण" का आशय लाइसेंस जारी करने, नवीकृत करने अथवा पुनः बहाल करने के लिए उत्तरदायी राज्य एजेंसी, अथवा लाइसेंसधारक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत राज्य एजेंसी से है।

(p) "स्थानीय न्याय-क्षेत्र" का आशय किसी शहर, काउंटी, अथवा शहर और काउंटी से है।

(q) "विनिर्माण" का आशय मरिवाना उत्पाद का यौगिक बनाने, मिश्रण तैयार करने, सत्व निकालने, मिलाने अथवा अन्य प्रकार से मरिवाना उत्पाद बनाने अथवा तैयार करने से है।

(r) "विनिर्माता" का आशय उस व्यक्ति से है जो या तो किसी निश्चित स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या सत्व निकालने की विधियों से या रासायनिक संश्लेषण द्वारा स्वतंत्र रूप से या सत्व निकालने एवं रासायनिक संश्लेषण दोनों के मेल से मरिवाना अथवा मरिवाना उत्पादों के उत्पादन, तैयार किए जाने, प्रसार करने, अथवा यौगिक बनाने का कार्य संचालित करता है, जो मरिवाना अथवा मरिवाना उत्पादों की पैकेजिंग अथवा रिपैकेजिंग करता है अथवा उनके डिब्बों पर लेबल लगाता है अथवा दोबारा लेबल लगाता है, जो इस खण्ड के अनुसार एक राज्य लाइसेंस रखता है।

(s) "मरिवाना" का आशय वही है जो स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के अनुभाग 11018 में है, सिवाय इसके कि इसमें वह मरिवाना शामिल नहीं है जिसकी खण्ड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 से लागू) के तहत चिकित्सा प्रयोजनों से खेती, प्रसंस्करण, परिवहन, वितरण अथवा बिक्री की जाती है।

(t) "मरिवाना के उप-साधन" का आशय वही है जो स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के अनुभाग 11018.2 में है।

(u) "मरिवाना उत्पादों" का आशय वही है जो स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के अनुभाग 11018.1 में है, सिवाय इसके कि इसमें वे मरिवाना उत्पाद शामिल नहीं हैं जिनका खण्ड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 से शुरू करते हुए) के तहत चिकित्सा प्रयोजनों से विनिर्माण, प्रसंस्करण, परिवहन, वितरण अथवा बिक्री की जाती है।

(v) "नर्सरी" का आशय उस लाइसेंसधारी से है जो विशिष्ट रूप से मरिवाना के पौधारोपण, प्रसार एवं खेती के लिए प्रयुक्त क्लोनों, अपरिपक्व पौधों, बीजों और अन्य कृषि उत्पादों का ही उत्पादन करता है।

(w) "प्रचालन" का आशय उस किसी कार्य से है जिसके लिए इस खण्ड के प्रावधानों के तहत लाइसेंस का विनियमन अपेक्षित हो, अथवा मरिवाना या मरिवाना उत्पादों के किसी वाणिज्यिक अंतरण से है।

(x) "पैकेज" से आशय मरिवाना अथवा मरिवाना उत्पादों को रखने के लिए प्रयुक्त किसी डिब्बे अथवा पात्र से है।

(y) "व्यक्ति" में कोई व्यक्ति विशेष, फर्म, सह-भागीदारी, संयुक्त उपक्रम, संघ, निगम, सीमित देयता वाली कंपनी, संपदा, न्यास, व्यावसायिक न्यास, आदाता, व्यवसाय-संघ, अथवा किसी इकाई के रूप में और मिलकर और अकेले काम करने वाला कोई अन्य समूह अथवा संयोजन शामिल हैं।

(z) "खरीददार" से आशय उस ग्राहक से है जो मरिवाना या मरिवाना उत्पाद प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी लाइसेंसधारी के साथ लेन-देन में संलग्न है।

(aa) "बेचना," "बिक्री," और "बेचने के लिए" में ऐसा कोई लेन-देन सम्मिलित है जिसके द्वारा, किसी प्रतिफल के लिए, मरिवाना का अधिकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित किया जाता है, और इसमें मरिवाना की खरीद के लिए दिया गया आदेश और इसके लिए आदेश माँगने या प्राप्त करने अनुसार मरिवाना या मरिवाना उत्पादों की सुपुर्दगी सम्मिलित है, लेकिन इसमें किसी लाइसेंसधारी द्वारा उस लाइसेंसधारी को मरिवाना या मरिवाना उत्पादों की वापसी सम्मिलित नहीं है जिससे मरिवाना या मरिवाना उत्पाद खरीदा गया था।

(bb) "परीक्षण सेवा" से आशय राज्य में उस प्रयोगशाला, सुविधा-केन्द्र या संस्था से है जो मरिवाना या मरिवाना उत्पादों के परीक्षणों की पेशकश करते हैं या करते हैं, जिसमें ऐसी प्रयोगशाला, सुविधा-केन्द्र या संस्था द्वारा प्रदान किया गया ऐसा उपकरण सम्मिलित है, और जो निम्नलिखित दोनों के लिए है:

(1) किसी ऐसी प्रत्यायन संस्था द्वारा प्रत्यायित जो राज्य में वाणिज्यिक मरिवाना के कार्यकलाप में संलग्न सभी अन्य व्यक्तियों से स्वतंत्र है।

(2) राज्य जन स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पंजीकृत।

(cc) "अनन्य पहचानकर्ता" से आशय ऐसे अल्फान्यूमेरिक कोड या पदनाम से है जिसका किसी लाइसेंसशुदा परिसर पर किसी विशेष संयंत्र के संदर्भ में उपयोग किया जाता है।

(dd) "अनुचित रूप से अव्यवहार्य" से यह आशय है कि विनियमों का पालन करने के लिए आवश्यक उपाय के लिए जोखिम, धन, समय या किसी अन्य संसाधन या संपत्ति का इतना उच्च निवेश अपेक्षित है, कि किसी मरिवाना प्रतिष्ठान का प्रचालन किसी तर्कसंगत रूप से विवेकशील व्यावसायिक व्यक्ति द्वारा व्यवहार में संचालित किए जाने योग्य नहीं है।

(ee) "युवा केंद्र" का आशय वही होगा जो स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के अनुभाग 11353.1 में है।

अध्याय 2. प्रशासन

26010. (a) अनुभाग 19302 में स्थापित चिकित्सा मरिवाना विनियमन ब्यूरो का इसके द्वारा नाम बदलकर मरिवाना नियंत्रण ब्यूरो रखा जाता है। निदेशक खंड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 से शुरू करते हुए) के प्रावधानों के अतिरिक्त इस खण्ड के प्रावधानों को प्रशासित और लागू करेगा। निदेशक के पास वही शक्ति और प्राधिकार होगा जो इस खण्ड के उद्देश्यों के लिए अनुभाग 19302.1 के उप-खण्डों (b) और (c) द्वारा प्रदान किया गया है।

(b) ब्यूरो और निदेशक खण्ड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 से शुरू करते हुए) के अंतर्गत चिकित्सा मरिवाना विनियमन बोर्ड में निहित सभी कर्त्तव्य, शक्तियाँ, उद्देश्य, उत्तरदायित्व और अधिकार-क्षेत्र प्राप्त करेंगे और उनमें ये निहित होंगे।

(c) उप-खण्ड (b) में संदर्भित शक्तियों, कर्त्तव्यों, उद्देश्यों, उत्तरदायित्वों और अधिकार-क्षेत्र के अतिरिक्त, ब्यूरो के पास इसके द्वारा इस खण्ड में किए गए प्रावधान के अनुसार वाणिज्यिक मरिवाना कार्यकलाप का विनियमन करने की शक्ति, कर्त्तव्य, उद्देश्य, उत्तरदायित्व और अधिकार-क्षेत्र होंगे।

(d) इस खंड के लागू होने की तारीख पर, जब कभी भी कानून, विनियम, या अनुबंध या किसी अन्य संहिता में "चिकित्सीय मरिवाना विनियमन ब्यूरो" आता है, तब इसका अर्थ ब्यूरो के रूप में लगाया जाएगा।

26011. न तो ब्यूरो का प्रमुख और न ही अनुभाग 26040 के अंतर्गत स्थापित मरिवाना नियंत्रण अपील पैनल का कोई सदस्य निम्नलिखित में से कुछ करेगा:

(a) इस खण्ड या खण्ड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 से शुरू करते हुए) के अंतर्गत किसी लाइसेंस या परमिट के लिए आवेदन करने वाले या प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी कमीशन या लाभ प्राप्त करना।

(b) किसी लाइसेंसधारी के व्यवसाय या परिसर को कवर करने वाली बिक्री या किसी बीमे में संलग्न होना या कोई हित रखना।

(c) किसी वाणिज्यिक मरिवाना कार्यकलाप में संलग्न किसी लाइसेंसधारी के परिसर पर उपयोग के लिए उपकरण की बिक्री में संलग्न होना या कोई हित रखना।

(d) किसी लाइसेंसधारी से लाभों या लाभों के लिए अंशदान के लिए टिकटों की खरीद के लिए जान-बूझकर आग्रह करना।

(e) किसी भी व्यक्ति के लाभ के लिए, किसी लाइसेंसधारी से धन या किसी मूल्यवान चीज़ का दान करने या प्राप्त करने के लिए जान-बूझकर अनुरोध करना।

26012. (a) इसके राज्य-व्यापी चिंता का मामला होने के नाते, इस खण्ड में अन्यथा प्राधिकृत किए जाने के सिवाय:

(1) उपभोक्ता कार्य विभाग के पास राज्य के भीतर मरिवाना के विनिर्माण कार्यकलापों, वितरण और बिक्री से असंबंधित परिवहन, भंडारण के लिए लाइसेंस उत्पन्न करने, जारी करने, नवीकरण करने, अनुशासित करने, निलंबित करने या रद्द करने का विशेष अधिकार होगा।

(2) खाद्य और कृषि विभाग मरिवाना की खेती से संबंधित और संबद्ध इस खण्ड के प्रावधानों को प्रशासित करेगा। खाद्य और कृषि विभाग के पास इस खण्ड के उल्लंघनों के लिए खेती लाइसेंस उत्पन्न करने, जारी करने, और निलंबित या रद्द करने का अधिकार होगा।

(3) राज्य जन स्वास्थ्य विभाग मरिवाना के विनिर्माण और परीक्षण से संबंधित और संबद्ध इस खण्ड के प्रावधानों को प्रशासित करेगा। राज्य जन स्वास्थ्य विभाग के पास इस खण्ड के उल्लंघनों के लिए विनिर्माण और परीक्षण लाइसेंस उत्पन्न करने, जारी करने, और निलंबित या रद्द करने का अधिकार होगा।

(b) लाइसेंसिग प्राधिकारी और ब्यूरो के पास उन कार्यकलापों के संबंध में शुल्क एकत्र करने का अधिकार होगा जिनका वे मरिवाना के संबंध में विनियमन करते हैं। ब्यूरो इस खंड में अभिज्ञात लाइसेंसों के अतिरिक्त ऐसे लाइसेंस उत्पन्न कर सकता है जो ब्यूरो इस खंड के तहत अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझता है।

(c) लाइसेंसिंग प्राधिकारी 1 जनवरी, 2018 तक इस खण्ड के अंतर्गत लाइसेंस जारी करना आरंभ करेंगे।

26013. (a) लाइसेंसिंग प्राधिकारी ऐसे तर्कसंगत नियम और विनियम बनाएंगे और निर्धारित करेंगे जो सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के खण्ड 3 के भाग 1 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 11340 से शुरू करते हुए) के अनुसार इस खण्ड के अंतर्गत उनके संबंधित कर्त्तव्यों को लागू, प्रशासित और प्रवृत्त करने के लिए आवश्यक हो सकते है। ऐसे नियम और विनियम वयस्कों द्वारा मरिवाना के सेवन पर नियंत्रण, विनियमन और टैक्स अधिनियम के प्रयोजन एवं मंशा के अनुरूप होंगे।

(b) लाइसेंसिंग प्राधिकारी ऐसे आपातकालीन विनियमों को निर्धारित कर सकते हैं, अपना सकते हैं और प्रवृत्त कर सकते हैं जो इस खण्ड के अंतर्गत उनके संबंधित कर्त्तव्यों को लागू, प्रशासित और प्रवृत्त करने के लिए आवश्यक हों। इस खण्ड के अनुसार निर्धारित, अपनाया या प्रवृत्त किया जाने वाला कोई आपातकालीन विनियम सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के खण्ड 3 के भाग 1 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 11340 से शुरू करते हुए) के अनुसार अपनाया जाएगा और इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए, सरकारी संहिता के अनुभाग 11349.6 के सहित, विनियम का अपनाया जाना एक आपात स्थिति है और प्रशासनिक कानून कार्यालय इसे जन शांति, स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा सामान्य कल्याण को तत्काल बनाए रखने के लिए आवश्यक मानेगा।

(c) इस खण्ड के अंतर्गत जारी विनियम सर्वोत्तम उपलब्ध प्रमाण के आधार पर आवश्यक होंगे और केवल वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी, या अन्य अपेक्षाओं को अनिवार्य बनाएंगे और समान स्थाई अपेक्षाएं प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक प्रक्रियाओं या प्रौद्योगिकी के विकास को अनुचित रूप से सीमित नहीं करेंगे या नहीं रोकेंगे, और न ही ऐसे विनियम अनुपालन को अनुचित रूप से अव्यवहार्य बनाएंगे।

26014. (a) ब्यूरो इस खण्ड के अनुसार मानकों और विनियमों के विकास के संबंध में ब्यूरो और लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को सलाह देने के लिए एक परामर्शी समिति का आयोजन करेगा जिसमें ऐसी बेहतरीन पद्धतियाँ और दिशानिर्देश सम्मिलित हैं जो उस वाणिज्यिक मरिवाना कार्यकलाप के लिए विनियमित वातावरण सुनिश्चित करते हुए जन स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करते हैं जो मरिवाना के अवैध विपणन को कम और समाप्त करने की बजाय इसे बनाए रखने के लिए ऐसे अनुचित रूप से अव्यवहार्य अवरोध नहीं थोपता है।

(b) परामर्शी समिति के सदस्यों में वयस्कों द्वारा नशे के पदार्थों के उपयोग के लिए वाणिज्यिक कार्यकलाप को विनियमित करने में विशेषज्ञता वाला अल्कोहल वाले पेय का नियंत्रण संबंधी विभाग से प्रतिनिधियों सहित मरिवाना उद्योग, श्रम संगठनों के प्रतिनिधि, उपयुक्त राज्य और स्थानीय एजेंसियाँ, जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और अन्य विषय-वस्तु के विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। परामर्शी समिति के सदस्य निदेशक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

(c) 1 जनवरी, 2019 से आरंभ करते हुए, परामर्शी समिति अपने कार्यकलापों का वर्णन करते हुए वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेगी जिसमें पिछले वर्ष से ठीक पहले के कैलेंडर वर्ष के दौरान ब्यूरो और लाइसेंसिंग प्राधिकरण को की गई परामर्शी समिति की सिफारिशें और यह सम्मिलित है कि क्या वे सिफारिशें ब्यूरो या लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा लागू की गई थीं।

26015. कोई लाइसेंसिंग प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसी जाँच-पड़ताल कर सकता है या करवा सकता है जो वह इस खण्ड के अंतर्गत अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करने के लिए आवश्यक समझता है।

26016. अध्याय 4 (अनुभाग 26040 से शुरू करते हुए) के अंतर्गत आयोजित किसी सुनवाई के सिवाए, इस खण्ड के अनुसार आयोजित किसी सुनवाई के लिए, कोई लाइसेंसिंग प्राधिकारी किसी प्रशासनिक कानून न्यायाधीश को सुनवाई करने और निर्णय करने की शक्ति सौंप सकता है। किसी प्रशासनिक

कानून न्यायाधीश के समक्ष कोई सुनवाई सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के खण्ड 3 के भाग 1 के अध्याय 5 (अनुभाग 11500 से शुरू करते हुए) में निर्धारित प्रक्रियाओं, नियमों और सीमाओं के अनुसार होगी।

26017. इस खण्ड के अनुसार किसी लाइसेंसिंग प्राधिकारी के समक्ष किसी सुनवाई में लाइसेंसिंग प्राधिकारी किसी सम्मन के अनुसरण में लाइसेंसिंग प्राधिकारी के अनुरोध पर सुनवाई में गवाह के रूप में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को उसके वास्तविक, आवश्यक और तर्कसंगत यात्रा, भोजन और रहने के व्ययों का भुगतान कर सकता है जो राज्य कर्मचारियों के लिए अधिकृत धनराशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

26018. कोई लाइसेंसिंग प्राधिकारी किसी दंड आकलन को लागू करने से पहले, और किन्हीं अतिरिक्त कार्यवाहियों के बिना किसी भी समय स्वयं प्रस्ताव ला सकता है लेकिन ऐसी समीक्षा इसकी कटौती तक सीमित होगी।

अध्याय 3. लागूकरण

26030. अनुशासनिक कार्रवाई के आधारों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(a) इस खण्ड के प्रावधानों या इस खण्ड के अनुसार अपनाए गए किसी नियम या विनियम का पालन करने में विफलता।

(b) ऐसा आचरण जो खण्ड 1.5 के अध्याय 3 (अनुभाग 490 से शुरू करते हुए) के अनुसार लाइसेंस देने की मनाही के लिए आधार होता है।

64

(c) इस खण्ड के अनुसार किसी लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए विनियमों में मौजूद कोई अन्य आधार।

(d) इस खण्ड या California के अन्य कानून में की गई व्यवस्था के सिवाए राजस्व और कराधान संहिता के अंतर्गत अपेक्षित करों के भुगतान सहित राज्य के किसी कानून का पालन करने में विफल रहना, लेकिन इसी तक सीमित नहीं है।

(e) किसी लाइसेंसधारी के कर्मचारियों पर कर्मचारी संरक्षण या कानूनी अधिकार देने वाले किसी राज्य या स्थानीय कानून, अध्यादेश, या विनियम का जान-बूझकर उल्लंघन।

(f) वाणिज्यिक मरिवाना कार्यकलाप को विनियमित करने वाले किसी स्थानीय अध्यादेश की अपेक्षा का पालन करने में विफलता।

(g) किसी लाइसेंसधारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को मरिवाना या मरिवाना उत्पादों की इरादतन और जान-बूझकर बिक्री जो इसे खरीदने या अपने पास रखने के लिए निर्धारित कानूनी आयु से कम आयु का है।

26031. प्रत्येक लाइसेंसिंग प्राधिकारी उस स्थिति में लाइसेंसधारी को उपयुक्त नोटिस देने और सुनवाई करने के बाद लाइसेंसों को निलंबित या रद्द कर सकता है यदि यह पाया जाता है कि लाइसेंसधारी ने कोई ऐसा कार्य या भूल की है जो अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए आधार है। इस अध्याय के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियाँ सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के खण्ड 3 के भाग 1 के अध्याय 5 (अनुभाग 11500 से शुरू करते हुए) के अनुसार की जाएंगी और प्रत्येक लाइसेंसिंग प्राधिकरण के निदेशक के पास इसमें प्रदान की गई सारी शक्तियाँ होंगी।

26032. प्रत्येक लाइसेंसिंग प्राधिकरण तब इस खण्ड के किसी उल्लंघन के लिए किसी लाइसेंसधारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई कर सकता है जब उल्लंघन लाइसेंसधारी के एजेंट या कर्मचारी द्वारा लाइसेंसधारी की ओर से कार्य करते हुए या वाणिज्यिक मरिवाना कार्यकलाप में संलग्न रहते हुए किया गया था।

26033. किसी लाइसेंस को निलंबित या रद्द किए जाने पर, लाइसेंसिंग प्राधिकारी ब्यूरो को सूचित करेगा। इसके बाद ब्यूरो सभी अन्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को सूचित करेगा।

26034. इस खण्ड के अंतर्गत लाइसेंसधारियों के विरुद्ध आरोप उन्हीं समय-सीमाओं के भीतर दाखिल किए जाएंगे जैसा कि अनुभाग 19314 में उल्लेख किया गया है या कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान किया गया है।

26035. निदेशक इस खण्ड के प्रशासन और प्रवर्तन के उद्देश्यों के लिए उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा नियोजित व्यक्तियों को मनोनीत करेगा। निदेशक यह सुनिश्चित करेगा कि पर्याप्त संख्या में कर्मचारी इस खण्ड का प्रवर्तन करने के उद्देश्य से अर्हता-प्राप्त शांति अधिकारी हों।

26036. इस खण्ड में किसी भी बात को राज्य एजेंसियों का स्थान लेने या इन्हें अपने प्रवर्तन अधिकारों का प्रयोग करने को सीमित करने वाला नहीं माना जाएगा जिनमें मछली और खेल संहिता, खाद्य और खेती संबंधी संहिता, सरकारी संहिता, स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता, जन संसाधन संहिता, जल संहिता के अंतर्गत प्राधिकार या इन कानूनों का अनुप्रयोग सम्मिलित है, लेकिन इन्हीं तक ही सीमित नहीं है।

26037. (a) किसी लाइसेंसधारी, उसके कर्मचारियों और इसके एजेंटों के ऐसे कार्य (1) जिनकी इस खण्ड और किसी लागू स्थानीय अध्यादेश के अंतर्गत जारी किसी लाइसेंस के तहत अनुमति है और (2) जिन्हें इस खण्ड की अपेक्षाओं और इस खण्ड के अनुसरण में अपनाए गए विनियमों के अनुसार संचालित किया जाता है, राज्य कानून के अंतर्गत गैर-कानूनी नहीं हैं और राज्य के कानून के अंतर्गत गिरफ्तारी, अभियोजन या अन्य प्रतिबंध के अधीन कोई अपराध नहीं होंगे या इनके लिए दीवानी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा या संपत्तियों पर कब्ज़ा किए जाने या इन्हें ज़ब्त किए जाने के लिए आधार नहीं होंगे।

(b) किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य राज्य कानून के अंतर्गत गैर-कानूनी नहीं हैं जो नेकनीयत से राज्य के लाइसेंस और किन्हीं लागू अध्यादेशों के अनुसरण में अनुमत किसी लाइसेंसधारी, उसके कर्मचारियों और इसके एजेंटों के द्वारा अपनी संपत्ति का उपयोग किए जाने की अनुमति देता है और ये राज्य के कानून के अंतर्गत गिरफ्तारी, अभियोजन या अन्य प्रतिबंध के अधीन कोई अपराध नहीं होंगे या इनके लिए दीवानी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा या संपत्तियों पर कब्ज़ा किए जाने या इन्हें ज़ब्त किए जाने के लिए आधार नहीं होंगे।

26038. (a) इस खण्ड द्वारा अपेक्षित किसी लाइसेंस के बिना वाणिज्यिक मरिवाना कार्यकलाप में संलग्न किसी व्यक्ति पर प्रत्येक उल्लंघन के लिए लाइसेंस शुल्क की राशि के तीन गुना तक दीवानी जुर्माने लगाए जाएंगे और न्यायालय स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 11479 के अनुसार उस उल्लंघन से संबंधित मरिवाना को नष्ट करने का आदेश दे सकता है। प्रचालन का प्रत्येक दिन इस खण्ड का अलग उल्लंघन होगा। किसी लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इस खण्ड के अनुसरण में लगाए गए और एकत्रित सारे दीवानी जुर्माने उप-खण्ड (b) में किए गए प्रावधान के सिवाए सामान्य निधि में जमा किए जाएंगे।

(b) यदि लोगों की ओर से अटॉर्नी जनरल द्वारा इस खण्ड के अनुसरण में किसी लाइसेंसधारी के विरुद्ध दीवानी जुर्मानों के लिए कोई कार्रवाई लाई जाती है, तो एकत्र किया गया दंड सामान्य निधि में जमा कर दिया जाएगा। यदि कार्रवाई किसी ज़िला अटॉर्नी या काउंटी के वकील द्वारा लाई जाती है, तो दंड का उपयोग पहले दीवानी जुर्मानों के लिए कार्रवाई लाने की लागतों के लिए ज़िला अटॉर्नी या काउंटी के वकील को धन-वापसी करने के लिए किया जाएगा और शेष धनराशि, यदि कोई हो, को सामान्य निधि में जमा कर दिया जाएगा। यदि कार्रवाई किसी नगर अटॉर्नी या नगर के अभियोजक द्वारा लाई जाती है, तो एकत्रित दंड का उपयोग पहले दीवानी जुर्मानों के लिए कार्रवाई लाने की लागतों के लिए नगर अटॉर्नी या नगर के अभियोजक को धन-वापसी करने के लिए किया जाएगा और शेष धनराशि, यदि कोई हो, को सामान्य निधि में जमा कर दिया जाएगा।

(c) उप-खण्ड (a) के होते हुए भी, आपराधिक दंड किसी ऐसे लाइसेंस-रहित व्यक्ति पर लगाए जाते रहेंगे जो इस खण्ड के उल्लंघन में किसी वाणिज्यिक मरिवाना कार्यकलाप में संलग्न होता है।

अध्याय 4. अपीलें

26040. (a) राज्य सरकार में एक मरिवाना नियंत्रण अपील पैनल बनाया गया है, जिसमें गवर्नर द्वारा नियुक्त तीन सदस्य हैं और यह सीनेट के लिए चुने गए सभी सदस्यों के पूर्ण बहुमत वोट से पुष्टि के अधीन है। प्रत्येक सदस्य, अपनी आरंभिक मुलाकात के समय, उस काउंटी से अलग किसी काउंटी का निवासी होगा, जिसमें अन्य सदस्यों में से कोई एक रहता हो। पैनल के सदस्य सरकारी

संहिता के शीर्षक 2 के खंड 3 के भाग 1 के अध्याय 6 (अनुभाग 11550 के साथ शुरू करते हुए) के अनुसार प्रदान किया गया वार्षिक वेतन प्राप्त करेंगे।

(b) पैनल के सदस्यों को गर्वनर द्वारा कार्यालय से हटाया जा सकता है और विधानमंडल के पास प्रत्येक सदन के लिए चुने गए सभी सदस्यों के पूर्ण बहुमत वोट से, ड्युटी की लापरवाही, भ्रष्टाचार अथवा क्षमता के अभाव के लिए किसी भी सदस्य को कार्यालय से हटाने का अधिकार होगा।

(c) पैनल के किसी भी सदस्य को हटाने के लिए समवर्ती समाधान विधानमंडल में केवल तभी पेश किया जा सकता है, यदि सीनेट के 5 सदस्य अथवा सदन के 10 सदस्य लेखक के रूप में शामिल हों।

26041. पैनल के सभी कर्मचारियों को राज्य की सिविल सेवा शर्तों के अनुकूल पैनल द्वारा नियुक्त, भर्ती, निर्देशित व नियंत्रित किया जाएगा। निदेशक पैनल की अधिकृत गतिविधियों के लिए आवश्यक उपकरण, सामान एवं आवास जुटाएगा और प्रशासन की वे अन्य प्रक्रियाएं वैसे ही करेगा, जैसे पैनल एवं निदेशक सहमत होंगे।

26042. व्यापार और व्यवसाय संहिता कोड के खंड 9 के अध्याय 1.5 के आर्टिकल 3 (अनुभाग 23075 के साथ शुरू करते हुए) और आर्टिकल 4 (अनुभाग 23080 के साथ शुरू करते हुए) में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं के समान ही अपीलों के लिए प्रक्रियाएं स्वीकार करेगा। वे प्रक्रियाएं प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के खंड 3 के भाग 1 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 11340 के साथ शुरू करते हुए)) के अनुसार ही स्वीकार की जाएंगी।

26043. (a) जब कोई व्यक्ति ब्यूरो अथवा अन्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी के किसी निर्णय से असंतुष्ट हो, जिसमें इस खंड के अंतर्गत प्रदान किए गए किसी भी लाइसेंस के लिए दंड निर्धारण, इसे जारी करने, अस्वीकार करने, ट्रांसफर करने, शर्त रखने, स्थगित करने अथवा रद्द करने का आदेश दिया गया हो, तो पैनल उन सीमाओं के अधीन निर्णय की समीक्षा करेगा, जैसा कि विधानमंडल द्वारा लागू किया हो सकता है। ऐसे मामलों में, पैनल ब्यूरो अथवा लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा विचार किए गए प्रमाण के अलावा कोई और प्रमाण प्राप्त नहीं करेगा।

(b) ब्यूरो अथवा लाइसेंसिंग अथॉरिटी के निर्णय की पैनल द्वारा समीक्षा को निम्न सवालों तक सीमित किया जाएगा:

(1) यह कि क्या ब्यूरो अथवा लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने अपने क्षेत्राधिकार के बिना अथवा इससे अधिक प्रक्रिया की है।

(2) क्या ब्यूरो अथवा किसी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कानून द्वारा आवश्यक बनाए गए ढंग से प्रक्रिया की है।

(3) यह कि क्या निर्णय निष्कर्षों के अनुसार लिया गया है।

(4) यह कि क्या निष्कर्ष संपूर्ण रिकॉर्ड की सहायता से वास्तविक प्रमाण के अनुसार हैं।

26044. (a) उन अपीलों में, जहां पैनल यह पाता है कि ऐसा उपयुक्त प्रमाण है जो, उचित मूल्यांकन की प्रक्रिया में पेश किया गया हो सकता है अथवा जो गलत ढंग से ब्यूरो या लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सामने सुनवाई के दौरान पेश न किया गया हो, तो उस प्रमाण की सहायता से ब्यूरो अथवा लाइसेंसिंग अथॉरिटी को मामले को पुनर्विचार के लिए वापस लौटाने का ऑर्डर दर्ज कर सकता है।

(b) जैसा कि उपखंड (a) में दिया गया है, उसे छोड़कर, सभी अपीलों में, पैनल ब्यूरो अथवा लाइसेंसिंग अथॉरिटी के निर्णय को प्रमाणित करने या पूरी तरह से बदलने का एक ऑर्डर दर्ज कर सकता है। जब ऑर्डर ब्यूरो अथवा लाइसेंसिंग अथॉरिटी के निर्णय को पूरी तरह से बदल देता है, तो बोर्ड इसके ऑर्डर की सहायता से मामले के पुनर्विचार का निर्देश दे सकता है और ब्यूरो अथवा लाइसेंसिंग अथॉरिटी को वह अगली कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है जो कानून द्वारा खास तौर पर इस पर लागू की गई है, लेकिन ऑर्डर ब्यूरो अथवा लाइसेंसिंग अथॉरिटी में कानून द्वारा निहित विचार को किसी भी प्रकार से सीमित अथवा नियंत्रित नहीं करेगा।

26045. पैनल के ऑर्डर उस ऑर्डर से असंतुष्ट ब्यूरो अथवा लाइसेंसिंग अथॉरिटी या किसी पक्ष द्वारा दी गई याचिका पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अनुभाग 1094.5 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे।

अध्याय 5. लाइसेंसिंग

26050. (a) इस खंड के अनुसार लाइसेंस वर्गीकरण, न्यूनतम स्तर पर, निम्न प्रकार से होगा:

(1) प्रकार 1—खेती; विशिष्टता बाहरी; छोटा।

(2) प्रकार 1A—खेती; विशिष्टता भीतरी; छोटा।

(3) प्रकार 1B—खेती; विशिष्टता मिश्रित प्रकाश; छोटा।

(4) प्रकार 2—खेती; बाहरी; छोटा।

(5) प्रकार 2A—खेती; भीतरी; छोटा।

(6) प्रकार 2B—खेती; मिश्रित प्रकाश; छोटा।

(7) प्रकार 3—खेती; बाहरी; मध्यम।

(8) प्रकार 3A—खेती; भीतरी; मध्यम।

(9) प्रकार 3B—खेती; मिश्रित प्रकाश; मध्यम।

(10) प्रकार 4—खेती; नर्सरी।

(11) प्रकार 5—खेती; बाहरी; बड़े स्तर पर।

(12) प्रकार 5A—खेती; भीतरी; बड़ा।

(13) प्रकार 5B—खेती; मिश्रित प्रकाश; बड़ा।

(14) प्रकार 6—निर्माता 1।

(15) प्रकार 7—निर्माता 2।

(16) प्रकार 8—परीक्षण।

(17) प्रकार 10—खुदरा व्यापारी।

(18) प्रकार 11—वितरक।

(19) प्रकार 12—माइक्रोबिजनेस।

(b) इस खंड के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी लाइसेंसों पर यह दर्शाते हुए एक स्पष्ट संकेत लिखा जाएगा कि लाइसेंस व्यावसायिक मरिवाना गतिविधि के लिए है, जो खंड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 के साथ शुरू करते हुए) के अंतर्गत लाइसेंसशुदा व्यावसायिक चिकित्सीय भांग गतिविधि से भिन्न है। उस संकेत के उदाहरणों में शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं है, "प्रकार 1—गैर चिकित्सीय" अथवा "प्रकार 1NM"।

(c) इस खंड के अनुसार जारी किया गया लाइसेंस जारी करने की तारीख से लेकर 12 महीने तक वैध होगा। लाइसेंस का हर वर्ष नवीनीकरण करवाया जा सकता है।

(d) प्रत्येक लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंसों को जारी करने और उनका नवीनीकरण करने के लिए प्रक्रियाएं तैयार करेगी।

(e) उपखंड (c) होने के बावजूद, कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी 12 महीने से कम समय की अवधि के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी कर सकती है। इस उपखंड के प्रभावी होने की अवधि 1 जनवरी, 2019 को समाप्त हो जाएगी।

26051. (a) यह निर्धारित करने में कि इस खंड के अंतर्गत अधिकृत कोई लाइसेंस देना है, अस्वीकार करना या उसका नवीनीकरण करना है या नहीं, लाइसेंसिंग अथॉरिटी निर्णय से संबंधित उचित कारणों पर विचार करेगी, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं, क्या उचित रूप से कोई ऐसी संभावना प्रतीत हो रही है कि लाइसेंस को जारी करने, अस्वीकार करने अथवा इसका नवीनीकरण करने से निम्न हो सकता है:

(1) गैरकानूनी एकाधिकार का अधिकार बनाकर अथवा इनका निर्वाह करके प्रतिस्पर्द्धा पर अनुचित प्रतिबंधों की अनुमति देना;

(2) राज्य में अथवा राज्य के बाहर मरिवाना या मरिवाना के उत्पादों के लिए अवैध बाज़ार की मौजूदगी को स्थायी बनाना;

(3) मरिवाना या मरिवाना के उत्पादों का नाबालिगों द्वारा प्रयोग या वयस्कों द्वारा दुरुपयोग अथवा मरिवाना या मरिवाना के उत्पादों को अवैध रूप से राज्य से बाहर भेजना;

(4) परिणामस्वरूप किसी निर्धारित शहर, काउंटी अथवा दोनों में लाइसेंसों का अत्यधिक संकेंद्रण होना;

(5) नाबालिगों का मरिवाना या मरिवाना के उत्पादों के संपर्क में आने का अनुचित जोखिम पेश करना; अथवा

(6) परिणामस्वरूप किसी भी पर्यावरण संबंधी सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन होना।

(b) लाइसेंसिंग अथॉरिटी उपखंड (a) में दिए गए कारणों के आधार पर लाइसेंस देने या किसी लाइसेंस का नवीनीकरण करने से इन्कार कर सकती है।

(c) इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए, "अत्यधिक संकेंद्रण" का अर्थ है, जब अनुभाग 26070.5 के अंतर्गत जारी किए गए किसी रिटेल लाइसेंस, माइक्रोबिजनेस लाइसेंस अथवा किसी लाइसेंस के लिए परिसर किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित हो, जहां निम्न में से कोई भी शर्तें लागू हों:

(1) जनगणना क्षेत्र अथवा जनगणना खंड, जिसमें आवेदक परिसर स्थित हैं, लोगों के लाइसेंस का अनुपात, उस देश के लोगों के लाइसेंसों के अनुपात से अधिक है, जिस देश में आवेदक परिसर स्थित हैं, जब तक कि आवेदन पत्र की अस्वीकृति वैध बाज़ार के विकास को अनुचित रूप से सीमित न करे ताकि मरिवाना या मरिवाना के उत्पादों के लिए अवैध बाज़ार को स्थायी बनाया जा सके।

(2) जनसंख्या क्षेत्र, खंड अथवा अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए अनुभाग 26070.5 के अंतर्गत रिटेल लाइसेंस, माइक्रोबिजनेस लाइसेंस अथवा लाइसेंसों का अनुपात अनुभाग 26200 के अंतर्गत अपनाए गए स्थानीय अध्यादेश के अनुसार मान्य अनुपात से अधिक हो।

26052. (a) किसी भी लाइसेंस का प्रयोग करके निम्न में से कोई भी कार्य नहीं किए जाएंगे अथवा उस लाइसेंसधारी के किसी भी कर्मचारी, एजेंट अथवा कॉन्ट्रैक्टर को ये कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

(1) अनुभाग 16600 का उल्लंघन करते हुए व्यापार की रोक होते हुए भी कोई संविदा बनाना;

(2) अनुभाग 16720 का उल्लंघन करते हुए व्यापार की रोक होते हुए भी कोई ट्रस्ट अथवा अन्य निषिद्ध संगठन बनाना;

(3) मरिवाना या मरिवाना के उत्पादों की बिक्री के लिए अथवा उसके लिए वसूल की जाने वाली कीमत तय करने के लिए या उस कीमत से छूट पाने या उस पर कटौती करने के लिए इस शर्त, अनुबंध अथवा सहमति पर कोई बिक्री करना या संविदा बनाना कि उसका उपभोक्ता या खरीदार उस विक्रेता के प्रतिस्पर्द्धी या प्रतिस्पर्द्धियों का माल, उत्पाद, मशीनरी, सामान, सामग्रियां या सेवाओं का प्रयोग नहीं करेगा या इनका सौदा नहीं करेगा, जहां उस बिक्री, संविदा, शर्त, अनुबंध अथवा सहमति का प्रभाव व्यापार या व्यवसाय के किसी भी क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा को काफी हद तक कम करने के लिए या एकाधिकार उत्पन्न करने पर हो सकता है;

(4) मरिवाना या मरिवाना के उत्पादों को प्रतिस्पर्द्धियों को नुकसान पहुंचाने, प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त करने या खरीदारों या भावी खरीदारों को भटकाने या धोखा देने के उद्देश्य के लिए कम कीमत पर बेचना;

(5) इस राज्य में भिन्न वर्गों, समुदायों या शहरों या उनके भागों के बीच अथवा उन वर्गों, समुदायों, या शहरों या उनके भागों में भिन्न स्थानों के बीच, मरिवाना या मरिवाना के उत्पादों को प्रतिस्पर्द्धियों को नुकसान पहुंचाने, प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त करने के उद्देश्य से, एक वर्ग, समुदाय या शहर या उसके किसी भाग में या वर्ग, समुदाय या शहर या उसके किसी भाग में किसी स्थान पर दूसरे के मुकाबले कम कीमत पर बेचना या देना; अथवा

(6) मरिवाना या मरिवाना के उत्पादों को प्रतिस्पर्द्धियों को नुकसान पहुंचाने या प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त करने के उद्देश्य से उस विक्रेता को कम कीमत पर बेचना, या उसे कोई वस्तु या उत्पाद देना।

(b) कोई भी व्यक्ति, जो किसी फर्म या कार्पोरेशन के निदेशक, अधिकारी या एजेंट के रूप में, या फिर किसी व्यक्ति के एजेंट के रूप में इस अध्याय की शर्तों का उल्लंघन करता है, इस तरह के उल्लंघन में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, सहायता या मदद करता है, वह उसके लिए उस व्यक्ति, फर्म या कार्पोरेशन, जिसके लिए वह व्यक्ति काम करता है, के समान ही जिम्मेदार है।

(c) लाइसेंसिंग अथॉरिटी उपयुक्त विनियम के अनुसार इस अनुभाग को लागू कर सकती है।

(d) कोई भी व्यक्ति अथवा व्यावसायिक एसोसिएशन क्षति की पूर्ति करने के लिए इस अनुभाग के किसी भी उल्लंघन पर रोक लगाने और इसे नियंत्रित करने के लिए मुकदमा दायर कर सकती है।

26053. (a) ब्यूरो एवं लाइसेंसिंग अथॉरिटियां उन व्यक्तियों या संस्थाओं को इस खंड के अंतर्गत लाइसेंस जारी कर सकती हैं, जिनके पास खंड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 के साथ शुरू करते हुए) के अंतर्गत लाइसेंस हैं।

(b) उपखंड (a) होने के बावजूद, कोई व्यक्ति या संस्था, जिसके पास इस खंड या खंड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 के साथ शुरू करते हुए) के अंतर्गत एक राज्य परीक्षण लाइसेंस है, उसे परीक्षण के अलावा, जैसा कि इस खंड के अंतर्गत अधिकृत किया गया है, किसी भी अन्य गतिविधि के लिए लाइसेंस देने पर रोक लगाई जाती है।

(c) इसके अलावा जैसा कि उपखंड (b) में दिया गया है, कोई व्यक्ति या संस्था इस खंड के अंतर्गत एक से अधिक लाइसेंसों के लिए आवेदन कर सकती है और उसे लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं।

26054. (a) किसी लाइसेंसधारी को खंड 9 (अनुभाग 23000 के साथ शुरू करते हुए) के अंतर्गत अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थों या तम्बाकू उत्पादों के खुदरा व्यापारी के तौर पर भी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

(b) इस खंड के अंतर्गत कोई भी लाइसेंसधारी किंडरगार्टन में या 1 से 12 तक के किसी भी ग्रेड में शिक्षा प्रदान करने वाले किसी स्कूल, डे केयर सेंटर या यूथ सेंटर, जो लाइसेंस जारी करने के समय मौजूद हो, के दायरे में 600-फुट के अंदर मौजूद नहीं होगा, जब तक कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी या स्थानीय अधिकार क्षेत्र किसी भिन्न दायरे की शर्त नहीं रखता। इस अनुभाग में निर्दिष्ट दूरी उसी प्रकार से मापी जाएगी जैसा कि स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 11362.768 के उपखंड (c) में बताया गया है, जब तक कि कानून द्वारा अन्य प्रकार से नहीं बताया जाता।

(c) यह राज्य एवं स्थानीय कानून के अंतर्गत वैध होगा और राज्य एवं स्थानीय कानून का उल्लंघन नहीं होगा कि मरिवाना के सामान के उत्पादन में शामिल कोई व्यापारी थोड़ी मात्रा में मरिवाना या मरिवाना के उत्पाद रखे, उनका परिवहन करे, खरीदे या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त करें, जोकि मरिवाना के उस सामान से संबंधित शोध एवं विकास करने के लिए जरूरी हो, बशर्ते कि वह मरिवाना या मरिवाना के उत्पाद उस व्यक्ति या संस्था से प्राप्त किए जाएं, जिसके पास इस खंड या खंड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 के साथ शुरू करते हुए) के अंतर्गत उस मरिवाना या मरिवाना के उत्पादों को प्रदान करने अथवा वितरित करने के लिए अनुमति प्रदान करने वाला लाइसेंस हो।

26054.1. (a) कोई भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी किसी ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस जारी नहीं करेगी या लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करेगी, जो 1 जनवरी, 2015 से या इससे पहले California में निरंतर रिहायश को प्रमाणित नहीं कर सकता। यदि कोई आवेदक या लाइसेंसधारी, जो एक संस्था है, तो संस्था को

निवासी नहीं माना जाएगा, यदि संस्था को नियंत्रित करने वाला कोई व्यक्ति 1 जनवरी, 2015 से और उससे पहले California में निरंतर रिहायश को प्रमाणित नहीं कर करता।

(b) उपखंड (a) के प्रभावी होने की अवधि 31 दिसम्बर, 2019 तक समाप्त हो जाएगी, जब तक कि विधानमंडल द्वारा उससे पहले इसे दुबारा नहीं बनाया जाता।

26054.2. (a) लाइसेंसिंग अथॉरिटी इस खंड के अंतर्गत उन आवेदकों को लाइसेंस जारी करने में प्राथमिकता देगी, जो अथॉरिटी की संतुष्टि के लिए यह दर्शा सकते हैं कि आवेदक ने 1 सितम्बर, 2016 से पहले अनुकम्पा उपयोग अधिनियम एवं इसके लागू कानूनों के अनुपालन व्यापार किया है अथवा इस समय खंड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 के साथ शुरू करते हुए) के अनुपालन में व्यापार करता है।

(b) ब्यूरो यह मांग करेगा कि स्थानीय अधिकार क्षेत्र ब्यूरो के लिए राज्य के कानून, जिसमें शामिल हैं अनुकम्पा उपयोग अधिनियम एवं इसके लागू कानून और अन्य लागू कानून, के अनुपालन में स्थानीय अधिकार क्षेत्र में आवेदकों के पूर्व व्यापार के आधार पर लाइसेंस देने के लिए भावी आवेदकों की पहचान करे। ब्यूरो लाइसेंसिंग अथॉरिटियों को मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराएगा।

(c) उपखंड (b) में वर्णित जानकारी के अलावा या इसके बदले, आवेदक अनुकम्पा उपयोग अधिनियम या खंड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 के साथ शुरू करते हुए) के अनुपालन में व्यापार को दर्शाने के लिए अन्य प्रमाण दे सकता है। ब्यूरो एवं लाइसेंसिंग अथॉरिटियां उपखंड (a) में व्यवस्था की गई प्राथमिकता के लिए पात्रता दर्शाने के लिए उस प्रमाण को स्वीकार कर सकती हैं।

(d) इस अनुभाग के प्रभावी होने की अवधि 31 दिसम्बर, 2019 तक समाप्त हो जाएगी, जब तक कि कानून द्वारा अन्य प्रकार से नहीं बताया जाता।

26055. (a) लाइसेंसिंग अथॉरिटियां केवल योग्य आवेदकों को ही राज्य लाइसेंस जारी कर सकती हैं।

(b) इस खंड के अंतर्गत जारी किए गए राज्य लाइसेंस के खंडन से लाइसेंसधारी California के अंदर व्यापार नहीं कर पाएगा, जब तक लाइसेंसिंग अथॉरिटी राज्य लाइसेंस को बहाल नहीं करती या दुबारा जारी नहीं करती।

(c) एक से अधिक स्थान रखने वाले किसी भी लाइसेंसधारी के प्रत्येक परिसर के लिए अलग-अलग लाइसेंस जारी किए जाएंगे, यदि कानून या विनियम द्वारा किसी अन्य प्रकार से अधिकृत न किया गया हो।

(d) लाइसेंस जारी करने या ट्रांसफर करने के बाद, कोई भी लाइसेंसधारी इस प्रकार से परिसर बदल या परिवर्तित नहीं करेगा, जिससे परिसर, परिसर का प्रयोग, या परिसर में किए जाने वाले व्यवसाय संबंधी कार्य का तरीका या स्वरूप आवेदन पत्र के साथ लगाई गई फाइल पर दिए गए रेखाचित्र में दी गई योजना से, वास्तव में या काफी हद तक बदल जाएं, जब तक लाइसेंसिंग अथॉरिटी या ब्यूरो की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त न की गई हो। इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए, परिसरों के या परिसरों के प्रयोग में वास्तविक या मूल भौतिक बदलावों में शामिल होंगे, लेकिन ये इन तक सीमित नहीं होंगे, पहले रेखाचित्र बनाए गए लाइसेंसधारी परिसरों के पूरे क्षेत्र में मूल वृद्धि या कटाई या कोई और भौतिक संशोधन, जिससे व्यवसाय संचालन की किसी विधि या स्वरूप में मूल बदलाव हो।

(e) लाइसेंसिंग अथॉरिटियां इस खंड के अंतर्गत किसी राज्य लाइसेंस के लिए किसी आवेदन पत्र को मंजूर नहीं करेंगी, यदि राज्य लाइसेंस की मंजूरी अनुभाग 26200 के अनुसार अपनाए गए किसी भी स्थानीय अध्यादेश या विनियम की शर्तों का उल्लंघन करेगी।

26056. इस खंड के अनुसार जारी किए गए राज्य लाइसेंस के किसी भी प्रकार के लिए आवेदक उन्हीं शर्तों का पालन करेगा, जो अनुभाग 19322 में दी गई हैं, जब तक कि कानून द्वारा अन्य प्रकार से न बताया गया हो, इसमें शामिल है अंगुली के निशानों के चित्रों की इलेक्ट्रोनिक प्रस्तुति और कानून या लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा लागू की गई कोई अन्य शर्तें, निम्न को छोड़कर:

(a) अनुभाग 19322 के उपखंड (a) के पैरा (2) होने के बावजूद, आवेदक को वह दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होती, जो प्रमाणित करता हो कि आवेदक ने उस स्थानीय अधिकार क्षेत्र से व्यापार करने के लिए लाइसेंस, परमिट या अन्य अधिकार प्राप्त किया हो, जिसमें आवेदक व्यापार करना चाहता है;

(b) इस खंड के अंतर्गत लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र में यह प्रमाण शामिल होगा कि प्रस्तावित स्थान अनुभाग 26054 के उपखंड (b) में दी गई सीमा को पूरा करता है; और

(c) गैर चिकित्सीय मरिवाना या मरिवाना के उत्पादों की खेती करने, उन्हें वितरित करने या उनका उत्पादन करने के लिए लाइसेंस चाहने वाले आवेदकों के लिए, आवेदन पत्र में निम्न में से सभी के लिए आवेदक की संचालन प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण भी शामिल होगा, जैसा कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा शर्त रखी गई है:

(1) खेती।

(2) सत निकालने एवं अर्क निकालने की विधियां।

(3) लाने व ले जाने की प्रक्रिया।

(4) सूची बनाने की प्रक्रिया।

(5) गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाएं।

(6) पानी का या के स्रोत, जिन्हें आवेदक लाइसेंसधारी गतिविधियों के लिए प्रयोग करेगा, जिसमें एक प्रमाणीकरण शामिल है कि आवेदक राज्य कानून के अंतर्गत वैध रूप से उस पानी का प्रयोग कर सकता है।

(d) आवेदक परिसरों की सीमाओं, सभी सीमाएं दिखाते हुए, आयामों, प्रवेश द्वारों एवं निकास द्वारों, अंदरूनी विभाजनों, दीवारों, कमरों व आम या साझे प्रवेशद्वारों के तैयार निर्धारण को सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त विशेषता के साथ प्रस्तावित परिसरों का एक पूरा विस्तृत रेखाचित्र प्रदान करेगा, जहां लाइसेंस के विशेषाधिकारों का इस्तेमाल किया जाएगा और वहां की जाने वाली मुख्य गतिविधि के संक्षिप्त वक्तव्य या वर्णन शामिल करेगा और खेती, नियोजित कैनोपी के माप की अनुमति देने वाले लाइसेंसों के लिए, जिसमें अलग खेती वाले क्षेत्रों के कुल वर्ग फुट और अलग-अलग वर्ग फुट शामिल है, यदि कोई हैं।

26056.5. ब्यूरो प्रोटोकॉल बनाएगा जिन्हें प्रत्येक लाइसेंसिंग अथॉरिटी पर्यावरण संबंधी प्रभावों, प्राकृतिक संसाधन बचाव, पानी की किस्म, पानी की आपूर्ति, हानिकारक सामग्रियों से संबंधित राज्य के कानूनों एवं विनियमों के अनुपालन व विनियमों के अनुसार कीटनाशक प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए लागू करेगी, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं, California पर्यावरण गुणवत्ता कानून (सार्वजनिक संसाधन संहिता के खंड 13 (अनुभाग 21000 के साथ शुरू करते हुए)), California विलुप्तप्राय प्रजाति कानून (मछली और जंगली जानवर संहिता के खंड 3 के अध्याय 1.5 (अनुभाग 2050 के साथ शुरू करते हुए)) झील या नदीतल में फेरबदल अनुबंध (मछली और जंगली जानवर संहिता के खंड 2 के अध्याय 6 (अनुभाग 1600 के साथ शुरू करते हुए)), साफ पानी अधिनियम (33 U.S.C. अनुभाग 1251 और उससे आगे), पोर्टर-कोलोन जल नियंत्रण गुणवत्ता नियन्त्रण अधिनियम (जल संहिता का खंड 7 (अनुभाग 13000 के साथ शुरू करते हुए)), इमारती लकड़ी के निर्माण वाले क्षेत्र, अपशिष्ट पानी के निपटान संबंधी शर्तें और पानी को दूसरे काम में लाने के लिए आवश्यक कोई भी परमिट अथवा अधिकार।

26057. (a) लाइसेंसिंग अथॉरिटी तब किसी आवेदन पत्र को अस्वीकार करेगी, यदि आवेदक अथवा परिसर, जिसके लिए राज्य लाइसेंस का आवेदन किया गया है, इस खंड के अंतर्गत लाइसेंस देने के लिए योग्य सिद्ध नहीं होता।

(b) लाइसेंसिंग अथॉरिटी राज्य लाइसेंस को जारी करने या उसका नवीनीकरण करने के लिए आवेदन पत्र को अस्वीकार कर सकती है, यदि निम्न शर्तें लागू होती हैं:

(1) इस खंड की शर्तों, इस खंड के अनुसार अपनाए गए किसी भी नियम या विनियम या प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए लागू की गई किसी भी

64

शर्त का पालन करने में असफल होना, जिसमें शामिल है, लेकिन इस तक सीमित नहीं है, नदी में प्रवाह व पानी की किस्म के लिए बचाव।

(2) आचरण, जो खंड 1.5 के अध्याय 2 (अनुभाग 480 के साथ शुरू करते हुए) के अंतर्गत लाइसेंस देने की अस्वीकृति के लिए आधार बनाता है, इस अनुभाग और अनुभाग 26059 में अन्य प्रकार से निर्दिष्ट किए होने के अलावा।

(3) लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने में असफल होना।

(4) आवेदक या लाइसेंसधारी को एक ऐसे अपराध का दोषी सिद्ध किया गया है, जो मूल रूप से उस व्यवसाय या पेशे की योग्यताओं, कार्यों या कर्तव्यों से संबंधित है, जिसके लिए आवेदन किया गया है, इसके अलावा कि यदि लाइसेंसिंग अथॉरिटी यह निर्धारित करती है कि आवेदक या लाइसेंसधारी किसी अन्य प्रकार से लाइसेंस जारी किए जाने के योग्य है और लाइसेंस देने से लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी आवेदक के अपराध, दोषसिद्धि, परिस्थितियों के प्रकार और पुनरूद्धार के प्रमाण की पूर्ण समीक्षा करेगी और समीक्षा के माध्यम से प्राप्त प्रमाण के आधार पर लाइसेंस जारी करने की आवेदक या लाइसेंसधारी की योग्यता का मूल्यांकन करेगी। यह निर्धारित करने में कि कौन-से अपराध मूल रूप से उस व्यवसाय अथवा पेशे की योग्यताओं, कार्यों या कर्तव्यों से संबंधित हैं, जिसके लिए आवेदन किया गया है, लाइसेंस अथॉरिटी निम्न को शामिल करेगी, लेकिन यह इन तक सीमित नहीं होगा:

(A) एक हिंसक आपराधिक कार्य की दोषसिद्धि, जैसा कि पीनल कोड के अनुभाग 667.5 के उपखंड (c) में निर्दिष्ट है।

(B) एक गंभीर आपराधिक कार्य की दोषसिद्धि, जैसा कि पीनल कोड के अनुभाग 1192.7 के उपखंड (c) में निर्दिष्ट है।

(C) धोखाधड़ी, छल या गबन शामिल होने वाले एक आपराधिक कार्य की दोषसिद्धि।

(D) किसी नाबालिग को किसी नियंत्रित नशीले पदार्थ को लाने-ले जाने, साथ में रखने, बेचने, देने, बिक्री के लिए तैयार करने में या किसी नाबालिग को माल बेचने के लिए काम पर रखने, नियुक्त करने या उसका इस्तेमाल करने के लिए; या किसी नाबालिग को कोई नशीला पदार्थ बेचने, बेचने की पेशकश करने, पहुंचाने, पहुंचाने की पेशकश करने, खिलाने या देने के लिए आपराधिक कार्य की दोषसिद्धि।

(E) अनुभाग 11370.4 अथवा 11379.8 के अनुसार वृद्धि के साथ नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के लिए एक आपराधिक कार्य की दोषसिद्धि।

(5) इसके अलावा जैसा कि पैरा (4) के उपपैरा (D) एवं (E) में बताया गया है और खंड 1.5 के अध्याय 2 (अनुभाग 480 के साथ शुरू करते हुए) होने के बावजूद, कोई पूर्व दोषसिद्धि, जहां किसी नियंत्रित नशीले पदार्थ को रखने, बिक्री के लिए रखने, बेचने, उत्पादन करने, लाने-ले जाने, या खेती करने के लिए सजा, परिवीक्षा, कैद, या निगरानी के अंतर्गत रिहाई की किसी भी अवधि सहित, पूरी की गई है, को मूल रूप से संबंधित नहीं माना जाता और यह लाइसेंस को अस्वीकार करने के लिए एकमात्र आधार नहीं होगा। लाइसेंस देने के बाद किसी नियंत्रित नशीले पदार्थ के अपराध की दोषसिद्धि लाइसेंस को रद्द करने या लाइसेंस के नवीनीकरण को अस्वीकार करने का आधार होगी।

(6) आवेदक या इसके किसी अधिकारियों, निदेशकों या मालिकों को फिश एंड गेम कोड के अनुभाग 12025 अथवा 12025.1 के अनुसार किसी सरकारी या निजी भूमि पर किसी नियंत्रित नशीले पदार्थ की खेती या उत्पादन के लिए जुर्मानों अथवा दंड के अधीन पाया गया है।

(7) आवेदक या इसके किसी अधिकारियों, निदेशकों या मालिकों को किसी लाइसेंसिंग अथॉरिटी या किसी शहर, काउंटी या शहर व काउंटी द्वारा अनधिकृत व्यावसायिक मरिवाना गतिविधियों या व्यावसायिक चिकित्सीय भांग गतिविधियों के लिए दंड दिया गया है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास आवेदन पत्र दर्ज करने की तारीख से तुरंत पहले तीन वर्षों में इस खंड या खंड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 के साथ शुरू करते हुए) के अंतर्गत लाइसेंस रद्द किया गया हो या फिश एंड गेम कोड के अनुभाग 12025 अथवा 12025.1 के अंतर्गत दंड दिया गया हो।

(8) राजस्व और कराधान संहिता के खंड 2 के भाग 1 (अनुभाग 6001 के साथ शुरू करते हुए) के अनुसार आवश्यक कोई वैध विक्रेता परमिट प्राप्त करने और इसे कायम रखने में असफल होना।

(9) कानून में निर्दिष्ट कोई अन्य शर्त।

26058. लाइसेंस के लिए किसी आवेदन पत्र को अस्वीकार करने पर, लाइसेंसिंग अथॉरिटी आवेदक को लिखित में सूचित करेगी।

26059. किसी आवेदक के लिए राज्य लाइसेंस को अस्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि अस्वीकृति केवल निम्न में से किसी पर आधारित है:

(a) कोई दोषसिद्धि या कार्य, जो मूल रूप से उस व्यवसाय अथवा पेशे की योग्यताओं, कार्यों या कर्तव्यों से संबंधित हैं, जिसके लिए आवेदन किया गया है, जिसके लिए आवेदक या लाइसेंसधारी ने पीनल कोड के भाग 3 के शीर्षक 6 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 4852.01 के साथ शुरू करते हुए) के अनुसार पुनरूद्धार का सर्टीफिकेट प्राप्त किया है।

(b) एक दोषसिद्धि, जिसे पीनल कोड के अनुभाग 1203.4, 1203.4a अथवा 1203.41 या दोषसिद्धि को खारिज करने की अनुमति देने वाली किसी अन्य शर्त के अनुसार मूल रूप से खारिज किया गया था।

अध्याय 6. लाइसेंसधारी खेती के स्थान

26060. (a) अंदरूनी, बाहरी व मिश्रित-प्रकाश वाले खेती के स्थानों के लाइसेंस देने को संचालित करने वाले खाद्य एवं कृषि विभाग द्वारा जारी किए गए विनियम इस खंड के अंतर्गत लाइसेंसधारी किसानों पर लागू होंगे।

(b) कीटनाशक विनियमन विभाग द्वारा खाद्य एवं कृषि विभाग से परामर्श करके खेती में कीटनाशकों के प्रयोग के लिए और कीटनाशकों के लिए अधिकतम सहनशीलता व काटी गई भांग की फसल में अन्य बाहरी वस्तुओं के अवशिष्टों के लिए विकसित किए गए मानक इस खंड के अंतर्गत लाइसेंसधारी किसानों पर लागू होंगे।

(c) खाद्य एवं कृषि विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए मछली और वन्य जीव विभाग व स्टेट वाटर रिसोर्सिज कंट्रोल बोर्ड द्वारा मांगे जाने वाले प्रत्येक लाइसेंस में शर्तें शामिल करेगा कि खेती से जुड़े पानी के पथांतरण और निपटान के अलग-अलग एवं संचयी प्रभाव मछलियों की वंश-वृद्धि करने, उनके प्रवास एवं पालन-पोषण के लिए आवश्यक नदी के प्रवाह और प्राकृतिक प्रवाह परिवर्तनशीलता को कायम रखने के लिए आवश्यक प्रवाह को और मछली, वन्यजीवन, मछली एवं वन्यजीवन निवास स्थान को अन्य प्रकार से सुरक्षित करने को प्रभावित नहीं करते।

(d) इस खंड के अंतर्गत खाद्य एवं कृषि विभाग द्वारा लागू किए गए विनियमों में व्यावसायिक मरिवाना गतिविधि अनुभाग 19332 के उपखंड (e) में वर्णित उन्हीं मामलों के संबंध में न्यूनतम स्तर पर विचार किया जाता है।

(e) कीटनाशक विनियमन विभाग ने स्टेट वाटर रिसोर्सिज कंट्रोल बोर्ड ऐसे विनियम लागू करेगा, जिनमें यह शर्त रखी जाएगी कि मरिवाना की अंदरूनी, बाहरी, या मिश्रित-प्रकाश वाली खेती के संबंध में कीटनाशकों या अन्य कीट नियंत्रण का इस्तेमाल खाद्य एवं कृषि विभाग के खंड 6 (अनुभाग 11401 के साथ शुरू करते हुए) व इसके लागू किए जाने वाले विनियमों के समतुल्य मानकों को पूरा करता है।

26061. (a) इस खंड के अंतर्गत खाद्य एवं कृषि विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले राज्य खेती लाइसेंस प्रकारों में शामिल हैं प्रकार 1, प्रकार 1A, प्रकार 1B, प्रकार 2, प्रकार 2A, प्रकार 2B, प्रकार 3, प्रकार 3A, प्रकार 3B, प्रकार 4 व प्रकार 5, प्रकार 5A और प्रकार 5B, जब तक कि कानून द्वारा अन्य प्रकार से न बताया गया हो।

(b) इसके अलावा कि कानून द्वारा अन्य प्रकार से बताया गया हो, प्रकार 1, प्रकार 1A, प्रकार 1B, प्रकार 2, प्रकार 2A, प्रकार 2B, प्रकार 3, प्रकार 3A,

प्रकार 3B व प्रकार 4 के लाइसेंस चिकित्सीय भांग की खेती के लिए लाइसेंस प्रकार के समान ही उसी मात्रा में मरिवाना की खेती को संभव बनाएंगे, जैसा कि अनुभाग 19332 के उपखंड (g) में निर्दिष्ट है।

(c) इसके अलावा कि कानून द्वारा अन्य प्रकार से बताया गया हो:

(1) प्रकार 5 अथवा "बाहरी" का अर्थ है, एक परिसर पर कुल भांग के आकार को मिलाते हुए, एक एकड़ से अधिक कोई अप्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग न करते हुए बाहरी खेती करना।

(2) प्रकार 5A अथवा "अंदरूनी" का अर्थ है, एक परिसर पर कुल भांग के आकार को मिलाते हुए, 22,000 वर्ग फुट से अधिक पूरी तरह से अप्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग करते हुए अंदरूनी खेती करना।

(3) प्रकार 5B अथवा "मिश्रित-प्रकाश" का अर्थ है, एक परिसर पर कुल भांग के प्रकार को मिलाते हुए, 22,000 वर्ग फुट से अधिक, लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा निर्धारित की जाने वाली अधिकतम सीमा पर प्राकृतिक व पूरक अप्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था को मिलाकर प्रयोग करते हुए खेती करना।

(d) प्रकार 5, प्रकार 5A अथवा प्रकार 5B खेती लाइसेंस 1 जनवरी, 2023 से पहले जारी नहीं किए जा सकते।

(e) 1 जनवरी, 2023 को शुरू करते हुए, प्रकार 5, प्रकार 5A अथवा प्रकार 5B लाइसेंसधारी प्रकार 6 या प्रकार 7 लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है और इसे रख सकता है व प्रकार 10 लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है और इसे रख सकता है। प्रकार 5, प्रकार 5A अथवा प्रकार 5B लाइसेंसधारी प्रकार 8, प्रकार 11 या प्रकार 12 के लाइसेंस के लिए आवेदन करने या इसे रखने के लिए पात्र नहीं होगा।

26062. खाद्य एवं कृषि विभाग, ब्यूरो के साथ मिलकर, अनुभाग 19332.5 में बताए गए अनुसार उसी ढंग से मरिवाना व मरिवाना के उत्पादों के लिए एक प्रमाणित जैव प्रयोजन और जैव प्रमाणीकरण कार्यक्रम तैयार करेगा।

26063. (a) ब्यूरो California में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उगाई गई या विकसित की गई मरिवाना के लिए लागू मूल के एक विशेष नाम की पहचान के लिए मानक तय करेगा।

(b) California काउंटी में उगाए जाने के तौर पर मरिवाना की मार्केटिंग नहीं होगी, इस पर लेबल नहीं लगाया जाएगा या यह बेची नहीं जाएगी, जब मरिवाना उस देश में नहीं उगाई गई थी।

(c) California काउंटी का नाम मरिवाना के उत्पादों पर लेबल लगाने, इनकी मार्केटिंग करने या पैकेजिंग में प्रयोग नहीं किया जाएगा, यदि उत्पाद में शामिल मरिवाना उस देश में नहीं उगाई गई थी।

26064. प्रत्येक लाइसेंसधारी किसान यह सुनिश्चित करेगा कि लाइसेंसधारी परिसर आग या दहन का अनुचित जोखिम उत्पन्न नहीं करता। प्रत्येक किसान यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रकाश व्यवस्था, तारें, विद्युत और यांत्रिक उपकरण, या अन्य संबंधित संपत्ति को सावधानी से संभाला जाता है ताकि संपत्ति या अन्य लोगों को अनुचित या खतरनाक जोखिम से बचाया जा सके।

26065. इस खंड के अंतर्गत मरिवाना की खेती में शामिल कोई कर्मचारी औद्योगिक कल्याण आयोग के मजदूरी आदेश संख्या 4-2001 के अधीन होगा।

26066. इस खंड के अंतर्गत व्यक्तियों व संस्थाओं द्वारा मरिवाना की अंदरूनी एवं बाहरी खेती भूमि रूपांतरण, श्रेणीकरण, बिजली के उपयोग, पानी के उपयोग, पानी की किस्म, जंगली भूमि और तटवर्ती निवास स्थान सुरक्षा, कृषि संबंधी निपटान और समान मामलों से संबंधित राज्य एवं स्थानीय कानूनों के अनुसार की जाएगी। राज्य एजेंसियां, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं, वानिकी और अग्नि सुरक्षा का राज्य बोर्ड, मछली और वन्य जीव विभाग, स्टेट वाटर रिसोर्सिज कंट्रोल बोर्ड, California क्षेत्रीय पानी किस्म नियंत्रण बोर्ड, पारंपरिक राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां, मरिवाना की खेती के पर्यावरणीय प्रभावों का पता लगाएंगी और जब उचित हो तो प्रवर्तन प्रयासों में शहरों एवं काउंटियों तथा उनकी लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ समन्वय करेंगी।

26067. (a) खाद्य एवं कृषि विभाग, खाद्य एवं कृषि सचिव द्वारा लागू करने के लिए एक मरिवाना खेती कार्यक्रम तैयार करेगा। सचिव इस अनुभाग को प्रभाव में लाएगा क्योंकि यह मरिवाना की खेती से संबंध रखता है। इस खंड के उद्देश्यों के लिए, मरिवाना एक कृषि संबंधी उत्पाद है।

(b) कोई व्यक्ति या संस्था पहले इस अनुभाग के अनुसार विभाग द्वारा जारी किया राज्य लाइसेंस प्राप्त किए बिना मरिवाना की खेती नहीं करेगी।

(c) (1) विभाग, ब्यूरो, स्टेट वाटर रिसोर्सिज कंट्रोल बोर्ड व मछली और वन्य जीव विभाग, लेकिन इन तक सीमित नहीं, के साथ परामर्श करके मरिवाना के लिए एक विशिष्ट पहचान कार्यक्रम लागू करेगा। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में, विभाग समस्याओं पर विचार करेगा, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं, पानी का प्रयोग और पर्यावरण संबंधी प्रभाव। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में, विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि:

(A) खेती से जुड़े पानी के पथांतरण और निपटान के व्यक्तिगत एवं संचयी प्रभाव मछलियों की वंश-वृद्धि करने, उनके प्रवास एवं पालन-पोषण के लिए आवश्यक नदी के प्रवाह और प्राकृतिक प्रवाह परिवर्तनशीलता को कायम रखने के लिए आवश्यक प्रवाह को प्रभावित नहीं करते। यदि कोई जलविभाजक अतिरिक्त खेती का सहयोग नहीं कर सकता, उस जलविभाजक के लिए कोई नए पौधा अभिज्ञापक नहीं जारी किए जाएंगे।

(B) खेती नकारात्मक रूप से झरनों, तटवर्ती आद्र प्रदेशों व जलीय निवास स्थानों को प्रभावित नहीं करेगी।

(2) विभाग खेती की अवधि के दौरान खेती स्थल पर अनुमति प्राप्त मरिवाना के पौधों की पहचान के लिए एक कार्यक्रम तैयार करेगा। विशिष्ट अभिज्ञापक मरिवाना के प्रत्येक पौधे के लिए जारी किया जाएगा। विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि विशिष्ट अभिज्ञापक इस खंड के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द जारी किए जाते हैं। विशिष्ट अभिज्ञापक प्रत्येक पौधे की जड़ पर लगाया जाएगा या जैसा कि कानून अथवा विनियम द्वारा अन्य प्रकार से शर्त रखी गई हो।

(A) विशिष्ट अभिज्ञापक केवल उन व्यक्तियों के लिए जारी किए जाएंगे, जो इस अनुभाग के अनुसार ठीक प्रकार से लाइसेंसधारी हैं।

(B) निर्धारित किए गए विशिष्ट अभिज्ञापक और लाइसेंसधारी से जुड़ी जानकारी अनुभाग 26170 में निर्दिष्ट ट्रेस एंड ट्रैक प्रोग्राम में शामिल की जाएगी।

(C) विभाग विशिष्ट अभिज्ञापक जारी करने और मरिवाना के प्रत्येक पौधे का निरीक्षण करने, उस पर नज़र रखने और उसकी जांच करने की उचित लागतों को पूरा करने के लिए फीस ले सकता है।

(D) विभाग इस अनुभाग को लागू करने के लिए विनियम लागू कर सकता है।

(3) विभाग धोखाधड़ी वाले अद्वितीय पहचानकर्ताओं से सुरक्षा स्थापित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा और लाइसेंस रहित व्यक्तियों के लिए अद्वितीय पहचानकर्ताओं के अवैध पथांतरण को सीमित करेगा।

(d) स्थानीय अधिकार क्षेत्रों द्वारा दी गई अद्वितीय पहचानकर्ताओं एवं इससे जुड़ी पहचान वाली जानकारी विभाग द्वारा तय की गई शर्तों के अनुसार होगी और विभाग द्वारा दी गई जानकारी के समान होगी।

(e) (1) यह अनुभाग स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता या अनुकम्पा उपयोग अधिनियम के अनुभाग 11362.1 के अनुसार मरिवाना की खेती पर लागू नहीं होता।

(2) उपखंड (b) अनुभाग 26070 के उपखंड (a) के पैरा (3) के या अनुभाग 26070.5 के उपखंड (b) अंतर्गत लाइसेंसधारी व्यक्तियों या संस्थाओं पर लागू नहीं होता।

(f) इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए "विभाग" का अर्थ खाद्य एवं कृषि विभाग है।

अध्याय 7. खुदरा विक्रेता और वितरक

64

26070. खुदरा विक्रेता और वितरक।

(a) उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले राज्य लाइसेंस निम्नानुसार हैं:

(1) "खुदरा विक्रेता," ग्राहकों को मरिवाना या मरिवाना उत्पादों की खुदरा बिक्री और सुपुर्दगी के लिए।

(2) "वितरक", मरिवाना और मरिवाना उत्पादों के वितरण के लिए। किसी वितरक का लाइसेंस, लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किसी न्यूनतम स्तर पर अनुबंधित और बीमाकृत किया जाएगा।

(3) "सूक्ष्म व्यवसाय", 10,000 वर्ग फीट से कम के क्षेत्र पर मरिवाना की खेती के लिए और इस खण्ड के अंतर्गत लाइसेंसप्राप्त वितरक, स्तर 1 के विनिर्माता और खुदरा विक्रेता के रूप में काम करने के लिए, बर्शते ऐसा लाइसेंसधारी उस सीमा तक लाइसेंसप्राप्त किसानों, वितरकों, स्तर 1 के विनिर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं पर थोपी गई सारी अपेक्षाओं का पालन करता हो जिस तक लाइसेंसधारी ऐसे कार्यकलापों में संलग्न होता है। मरिवाना की खेती को प्राधिकृत करने वाले सूक्ष्म व्यवसाय लाइसेंसों में यह सुनिश्चित करने के लिए मछली और वन्यजीवन विभाग और राज्य जल संसाधन नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुरोध की गई शर्तें शामिल होंगी कि खेती से संबंधित जल के विपथन और स्राव के वैयक्तिक और संचयी प्रभाव मछली द्वारा अंडे देने, दूसरे स्थान पर जाने और पालन-पोषण करने के लिए आवश्यक जल के आंतरिक प्रवाह, और प्रवाह की परिवर्तनशीलता को बरकरार रखने के लिए आवश्यक प्रवाह को प्रभावित न करें और मछली, वन्य-जीवन और मछली तथा वन्य-जीवन पर्यवास और जल की गुणवत्ता की अन्यथा रक्षा करें।

(b) ब्यूरो मरिवाना और मरिवाना उत्पादों के वाणिज्यिक वितरण और सुपुर्दगी के लिए न्यूनतम सुरक्षा और परिवहन सुरक्षा अपेक्षाएं स्थापित करेगा। ब्यूरो द्वारा स्थापित परिवहन सुरक्षा मानकों में उन वाहनों के प्रकारों को विनियमित करने वाले न्यूनतम मानक शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं तक ही सीमित नहीं हैं जिनमें मरिवाना और मरिवाना उत्पादों को वितरित और सुपुर्द किया जा सकता है और साथ ही इसमें ऐसे वाहनों को चलाने के लिए योग्य व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताएं भी शामिल होंगी।

(c) अनुभाग 26070.5 के अंतर्गत लाइसेंसप्राप्त खुदरा विक्रेता और सूक्ष्म व्यवसाय और लाइसेंसप्राप्त लाभ-निरपेक्ष संगठन मरिवाना या मरिवाना उत्पादों के क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश और परिसरों से मरिवाना या मरिवाना उत्पादों की चोरी को रोकने के लिए तर्कसंगत रूप से निर्मित सुरक्षा उपायों को लागू करेंगे। इन सुरक्षा उपायों में निम्नलिखित सभी बातें शामिल होंगी, लेकिन इन तक ही सीमित नहीं है:

(1) व्यक्तियों को तब लाइसेंसधारी के परिसर पर होने से मना करना यदि वे डिस्पेंसरी के प्रचालनों से स्पष्ट रूप से संबंधित कार्यकलाप में संलग्न नहीं हैं।

(2) ऐसे सीमित संपर्क क्षेत्रों को निर्धारित करना जहाँ केवल प्राधिकृत कर्मचारी जा सकते हैं।

(3) प्रदर्शन के प्रयोजनों, नमूनों, या तत्काल बिक्री के लिए इस्तेमाल मरिवाना की सीमित मात्राओं के सिवाय, किसी सुरक्षित और तालाबंद कमरे, तिजोरी, या वॉल्ट में सभी तैयार मरिवाना और मरिवाना उत्पादों का भंडारण करना, और इसे विपथन, चोरी और हानि रोकने के लिए तर्कसंगत रूप से निर्मित तरीके से करना।

26070.5. (a) ब्यूरो 1 जनवरी, 2018 तक इस अनुभाग के अंतर्गत गैर-लाभ लाइसेंसों के एक या अधिक वर्गीकरण सृजित करने की व्यवहार्यता की जाँच-पड़ताल करेगा। व्यवहार्यता का निर्धारण संगत लाइसेंसिंग एजेंसियों और उन स्थानीय अधिकार-क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के परामर्श के किया जाएगा जो उप-खण्ड (b) के अनुसरण में अस्थाई लाइसेंस जारी करते हैं। ब्यूरो निम्नलिखित सहित कारकों पर विचार करेगा, लेकिन ये इन तक ही सीमित नहीं हैं:

(1) क्या लाभ-निरपेक्ष लाइसेंसधारियों को इस खण्ड में अन्य लाइसेंसों पर लागू किसी या सभी राज्य करों, लाइसेंस शुल्कों और विनियामक प्रावधानों से छूट दी जानी चाहिए?

(2) क्या लाभ-निरपेक्ष लाइसेंसधारियों को कम कीमत पर या मुफ्त में व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने के लिए इस खण्ड के अंतर्गत अन्य लाइसेंस प्रदान किए गए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तपोषण प्रोत्साहन सृजित किए जाने चाहिए?

(3) क्या लाभ-निरपेक्ष लाइसेंस उन संगठनों तक सीमित होने चाहिए या उनका प्राथमिकता निर्धारण किया जाना चाहिए जो पहले कम आय वाले व्यक्तियों को प्रमुख रूप से पूर्ण-पौधा मरिवाना और मरिवाना उत्पाद और विविध प्रकार के मरिवाना प्रकार और बीज प्रदान करने के लिए लाभ न कमाने के आधार पर काम कर रहे थे?

(b) कोई भी स्थानीय अधिकार-क्षेत्र उन लाभ-निरपेक्ष संगठनों को अस्थाई स्थानीय लाइसेंस जारी कर सकता है जो कम आय वाले व्यक्तियों को प्रमुख रूप से पूर्ण-पौधा मरिवाना और मरिवाना उत्पाद और विविध प्रकार के मरिवाना प्रकार और बीज प्रदान कर रहे हैं जब तक स्थानीय अधिकार-क्षेत्र:

(1) लाइसेंस के आवेदक का दर्जा California के अटॉर्नी जनरल की धर्मार्थ ट्रस्ट की रजिस्ट्री के यहाँ पंजीकृत लाभ-निरपेक्ष संगठन होने के रूप में और इसकी पुष्टि करता है कि आवेदक लाभ-निरपेक्ष संगठनों पर लागू होने वाली सभी राज्य अपेक्षाओं के संबंध में अच्छी स्थिति में है;

(2) किसी ऐसे संगठन को जन स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करने के लिए लाइसेंस देता है और उसका विनियमन करता है और जिससे इस खण्ड की सभी पर्यावरणीय अपेक्षाओं के अनुपालन की अपेक्षा की जा सके;

(3) जारी किए गए किसी ऐसे स्थानीय लाइसेंस के ब्यूरो को नोटिस प्रदान करता है जिसमें किसी ऐसे लाइसेंसप्राप्त संगठन का नाम और स्थान और लाइसेंसप्राप्त संगठन के प्रचालन पर लागू होने वाले सभी स्थानीय विनियम शामिल हैं, और;

(4) ब्यूरो को यह प्रमाणित करता है कि कोई ऐसा लाइसेंसप्राप्त संगठन दो मिलियन डॉलर ($2,000,000) से अधिक वार्षिक सकल राजस्व नहीं कमाएगा।

(c) उप-खण्ड (b) के अंतर्गत अधिकृत अस्थाई स्थानीय लाइसेंसों की मियाद 12 महीने के बाद तब समाप्त हो जाएगी यदि स्थानीय अधिकार-क्षेत्र द्वारा नवीकरण न किया जाए।

(d) ब्यूरो उप-खण्ड (b) के अंतर्गत प्राधिकृत स्थानीय लाइसेंसों पर तर्कसंगत अतिरिक्त अपेक्षाएं थोप सकता है।

(e) (1) कोई नए अस्थाई स्थानीय लाइसेंस उस तारीख के बाद इस खण्ड के अनुसरण में जारी नहीं किए जाएंगे जब ब्यूरो निर्धारित करता है कि इस खण्ड के तहत गैर-लाभ लाइसेंसों का सृजन व्यवहार्य नहीं है, या अगर ब्यूरो किसी लाइसेंसिंग एजेंसी द्वारा राज्य गैर-लाभ लाइसेंस जारी करना आरंभ करने की तारीख के बाद यह निर्धारित करता है ऐसे लाइसेंस व्यवहार्य हैं।

(2) यदि ब्यूरो यह निर्धारित करता है कि ऐसे लाइसेंस व्यवहार्य हैं, तो उप-खण्ड (b) के अंतर्गत जारी किसी भी अस्थाई लाइसेंस का उस तारीख के बाद नवीकरण नहीं किया जाएगा या उसकी अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी जिस पर कोई लाइसेंसिंग एजेंसी राज्य गैर-लाभ लाइसेंस जारी करना आरंभ करती है।

(3) यदि ब्यूरो यह निर्धारित करता है कि इस खण्ड के अंतर्गत गैर-लाभ लाइसेंसों का सृजन व्यवहार्य नहीं है, तो ब्यूरो उन सभी स्थानीय अधिकार-क्षेत्रों को इस निर्धारण का नोटिस प्रदान करेगा जिन्होंने उप-खण्ड (b) के अंतर्गत अस्थाई लाइसेंस जारी किए हैं। ब्यूरो अपने विवेक के अनुसार किसी ऐसे स्थानीय अधिकार-क्षेत्र को किसी ऐसे अस्थाई लाइसेंस का वार्षिक आधार पर नवीकरण करने या इसकी अवधि बढ़ाने की अनुमति दे सकता है जिसे पहले उप-खण्ड (b) के अंतर्गत जारी किया गया था।

अध्याय 8. वितरण और परिवहन

26080. (a) इस खण्ड का अर्थ किसी लाइसेंसधारी को तब तक राज्य

से बाहर मरिवाना या मरिवाना उत्पादों का परिवहन या वितरण करने या परिवहन या वितरण करवाने के लिए अधिकृत करना या अनुमति देना नहीं माना जाएगा जब तक संघीय कानून द्वारा अधिकृत न हो।

(b) कोई स्थानीय अधिकार-क्षेत्र इस खण्ड के अनुपालन में मरिवाना या मरिवाना उत्पादों का परिवहन करने वाले किसी लाइसेंसधारी द्वारा सार्वजनिक मार्गों पर मरिवाना या मरिवाना उत्पादों के परिवहन को नहीं रोकेगा।

अध्याय 9. सुपुर्दगी

26090. (a) इस खण्ड में परिभाषित किए अनुसार, सुपुर्दगियाँ अनुभाग 26070.5 के अंतर्गत केवल किसी लाइसेंसप्राप्त खुदरा विक्रेता या सूक्ष्म व्यवसाय या किसी लाइसेंसप्राप्त गैर-लाभ संगठन द्वारा की जा सकती हैं।

(b) सुपुर्दगी का अनुरोध करने वाला कोई ग्राहक सुपुर्दगी अनुरोध की भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक प्रति रखेगा और लाइसेंसिंग प्राधिकारी और कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर इसे उपलब्ध कराएगा।

(c) कोई स्थानीय अधिकार-क्षेत्र इस खण्ड और अनुभाग 26200 के तहत अपनाए गए स्थानीय कानून के अनुपालन में कार्य करने वाले किसी लाइसेंसधारी द्वारा सार्वजनिक मार्गों पर मरिवाना या मरिवाना उत्पादों की सुपुर्दगी नहीं रोकेगा।

अध्याय 10. विनिर्माता और परीक्षण प्रयोगशालाएं

26100. राज्य जन स्वास्थ्य विभाग मरिवाना के विनिर्माण और परीक्षण प्रयोगशालाओं को लाइसेंसिंग दिए जाने पर लागू होने वाले विनियमों की घोषणा करेगा। लाइसेंसों को निम्नानुसार जारी किया जाना है:

(a) "विनिर्माण स्तर 1" उन कार्यस्थलों के लिए जो स्थिर विलायकों का प्रयोग करते हुए या बिना किसी विलायक के मरिवाना उत्पादों का विनिर्माण करते हैं।

(b) "विनिर्माण स्तर 2" उन कार्यस्थलों के लिए जो स्थिर विलायकों का प्रयोग करते हुए मरिवाना उत्पादों का विनिर्माण करते हैं।

(c) "परीक्षण", मरिवाना और मरिवाना उत्पादों के परीक्षण के लिए। परीक्षण लाइसेंसधारियों के सुविधा-केन्द्रों या उपकरणों के लिए विभाग द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। कोई परीक्षण लाइसेंसधारी इस खण्ड की किसी अन्य लाइसेंस श्रेणी में अपने पास लाइसेंस नहीं रखेगा और इस खण्ड के अनुसरण में किसी गैर-परीक्षण सुविधा-केन्द्र में स्वामित्व या स्वामित्व हित नहीं रखेगा।

(d) इस खण्ड के उद्देश्यों के लिए "अस्थिर विलायक" का तब तक वही अर्थ होगा जो स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 11362.3 के उप-खण्ड (d) में है जब तक कानून या विनियम द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया हो।

26101. (a) कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान किए जाने के सिवाए, इस खण्ड के अंतर्गत प्रदान किए गए लाइसेंस के अनुसरण में कोई मरिवाना या मरिवाना उत्पाद बेचा नहीं जा सकता जब तक कि ऐसे मरिवाना या मरिवाना उत्पाद के किसी प्रतिनिधि नमूने का यह निर्धारित करने के लिए किसी प्रमाणित परीक्षण सेवा द्वारा परीक्षण न कर लिया गया हो:

(1) क्या नमूने का रासायनिक विवरण यौगिक की लेबल पर लिखी गई मात्रा के अनुरूप है जिसमें निम्नलिखित सभी शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक ही सीमित नहीं हैं:

(A) टेट्राहाइड्रोकेन्नाबिनोल (THC)।

(B) टेट्राहाइड्रोकेन्नाबिनोलिक एसिड (THCA)।

(C) केन्नाबिडिओल (CBD)।

(D) केन्नाबिडिओलिक एसिड (CBDA)।

(E) अमेरिकन हर्बल फार्माकोपोइया द्वारा प्रकाशित केन्नाबीस इनफ्लोरेंस मोनोग्राफ के सबसे हालिया संस्करण में वर्णित टेरपीन।

(F) केन्नाबिजेरोल (CBG)।

(G) केन्नाबिनोल (CBN)।

(2) कि संदूषकों की मौजूदगी अमेरिकन हर्बल फार्माकोपोइया के सबसे हालिया संस्करण में वर्णित स्तरों से अधिक न हो। इस पैरा के उद्देश्यों के लिए, संदूषकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं, लेकिन इन तक ही सीमित नहीं है:

(A) अवशिष्ट विलायक या प्रोसेसिंग रसायन जिनमें ब्यूटेन, प्रोपेन, O_2 या H_2 जैसी विस्फोटक गैसें, और मेथानॉल, आईसो-प्रोपाइल अल्कोहल, मिथाइलीन क्लोराइड, एसिटोन, बैंज़ीन, टोल्यून और ट्राई-क्लोरो-इथाइलीन जैसे ज़हर, विष या कार्सिनोजेन शामिल हैं।

(B) बाहरी सामग्रियाँ जिनमें बाल, कीट, या समान या संबंधित मिलावटें शामिल हैं, पर ये इन तक ही सीमित नहीं हैं।

(C) जीवाणुतत्व-संबंधी अशुद्धता, जिसमें कुल ऐरोबिक माइक्रोबायल गणना, कुल खमीर फफूँद गणना, P. aeruginosa, aspergillus spp., s. aureus, aflatoxin B1, B2, G1, या G2, या ochratoxin A शामिल हैं।

(b) अस्थिर कार्बनिक यौगिकों के अवशिष्ट स्तर संयुक्त राज्य फार्माकोपोइया (U.S.P. अध्याय 467) द्वारा स्थापित केन्नाबीस इनफ्लोरेंस मोनोग्राफ के मानकों को पूरा करेंगे।

(c) पैरा (a) द्वारा अपेक्षित परीक्षण उस मरिवाना और उन मरिवाना उत्पादों का परीक्षण करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा स्थापित मानक तरीकों, विशेष रूप से ISO/IEC 17020 और ISO/IEC 17025 का उपयोग करते हुए नमूनाकरण सहित परीक्षण और अंशांकन की सक्षमता के लिए सामान्य अपेक्षाओं के साथ संगत तरीके से सम्पन्न किए जाएंगे जो किसी ऐसे प्रत्यायन संगठन द्वारा अनुमोदित हैं जिसने अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग पारस्परिक मान्यता करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(d) इस खण्ड के अनुसरण में मरिवाना उत्पादों का कोई बिक्री-पूर्व निरीक्षण, परीक्षण अंतरण, या परिवहन अभिरक्षा के प्रोटोकॉल की विनिर्दिष्ट शृंखला और इस खण्ड के अंतर्गत थोपी गई किन्हीं अन्य अपेक्षाओं को अनुरूप होगा।

26102. कोई लाइसेंसप्राप्त परीक्षण सेवा तब तक मरिवाना या मरिवाना उत्पादों की साज-संभाल, परीक्षण या विश्लेषण नहीं करेगी जब तक लाइसेंसप्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला अनुभाग 19343 की अपेक्षाओं को पूरा न करती हो या जब तक कानून में प्रावधान न हो।

26103. कोई लाइसेंसप्राप्त परीक्षण सेवा अनुभाग 19344 में अपेक्षित समान सूचना को सूचित करने के लिए, या जब तक कानून में अन्यथा प्रावधान न हो, सहायक डेटा के साथ प्रत्येक खेप के लिए विश्लेषण का प्रमाणपत्र जारी करेगी।

26104. (a) कोई लाइसेंसप्राप्त परीक्षण सेवा, मरिवाना और मरिवाना उत्पादों से संबंधित कार्यकलाप करने के लिए, लागू कानून और विनियमों में निर्धारित अपेक्षाओं और सीमाओं का पालन करेगी।

(b) राज्य जन स्वास्थ्य विभाग निम्नलिखित के लिए प्रक्रियाएं विकसित करेगा:

(1) यह सुनिश्चित करना कि मरिवाना और मरिवाना उत्पादों का परीक्षण अनुभाग 26070.5 के अंतर्गत लाइसेंसप्राप्त खुदरा विक्रेताओं, सूक्ष्म व्यवसायों या गैर-लाभकारी संगठनों को वितरण से पहले किया जाए;

(2) यह विनिर्दिष्ट करना कि लाइसेंसधारी कितनी बार मरिवाना और मरिवाना उत्पादों का परीक्षण करेंगे और यह कि मरिवाना का परीक्षण करने की लागत लाइसेंसप्राप्त किसानों द्वारा वहन की जाएगी और मरिवाना उत्पादों का परीक्षण करने की लागत लाइसेंसप्राप्त विनिर्माताओं द्वारा वहन की जाएगी, और मरिवाना और मरिवाना उत्पादों का परीक्षण करने की लागत अनुभाग 26070.5 के अंतर्गत किसी गैर-लाभकारी लाइसेंसप्राप्त संगठन द्वारा वहन की जाएगी; और

(3) काटी गई फसलों की ऐसी खेपों को तब तक नष्ट करने की अपेक्षा करना जिनके परीक्षण नमूने राज्य जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा घोषित स्वास्थ्य और

सुरक्षा मानकों का गैर-अनुपालन इंगित करते हों, जब तक कि उपचारात्मक उपाय मरिवाना या मरिवाना उत्पादों को राज्य जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा घोषित गुणवत्ता आश्वासन मानकों के अनुपालन के अंतर्गत न ला सकते हों।

26105. विनिर्माण स्तर 2 के लाइसेंसधारी अस्थिर विलायकों के विस्फोट, दहन या इनके द्वारा जन सुरक्षा के लिए उत्पन्न किसी अन्य अतर्कसंगत रूप से खतरनाक जोखिम पर काबू पाने या इसे अन्यथा सीमित करने के लिए पर्याप्त तरीके या प्रक्रियाएं तैयार करेंगे। राज्य जन स्वास्थ्य विभाग, स्तर 2 के लाइसेंसधारियों के लिए ऐसे तरीकों और प्रक्रियाओं से संबंधित न्यूनतम मानक निर्धारित करेगा।

26106. राज्य जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी मरिवाना उत्पादों के उत्पादन और लेबलिंग के लिए विकसित मानक तब तक अनुभाग 26070.5 के अंतर्गत लाइसेंसप्राप्त विनिर्माताओं और सूक्ष्म व्यवसायों और गैर-लाभकारी संगठनों पर लागू होंगे जब तक राज्य जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा अन्यथा उल्लेख न किया हो।

अध्याय 11. गुणवत्ता आश्वासन, निरीक्षण और परीक्षण

26110. (a) सारा मरिवाना और मरिवाना उत्पाद गुणवत्ता आश्वासन, निरीक्षण और परीक्षण के अधीन होंगे।

(b) सारे मरिवाना और मरिवाना उत्पादों का उसी प्रकार गुणवत्ता आश्वासन, निरीक्षण और परीक्षण किया जाएगा जैसा कि इस खण्ड में या कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान करने के सिवाए अनुभाग 19326 में प्रावधान किया गया है।

64

अध्याय 12. पैक करना और लेबल लगाना

26120. (a) किसी खुदरा विक्रेता के यहाँ सुपुर्दगी या बिक्री से पहले, मरिवाना और मरिवाना उत्पादों पर लेबल लगाया जाएगा और फिर से बिक्री करने योग्य, बच्चों से सुरक्षित पैकेज में रखा जाएगा।

(b) पैकेज और लेबल बच्चों के लिए आकर्षक नहीं बनाए जाएंगे।

(c) सारे मरिवाना और मरिवाना उत्पाद लेबल और भीतरी सामग्रियों में निम्नलिखित सूचना शामिल होगी जिसे ब्यूरो या राज्य जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित फाँट आकार सहित अपेक्षाओं के अनुसार स्पष्ट और पढ़ने योग्य तरीके से साफ तौर पर प्रकट किया जाएगा:

(1) विनिर्माण की तारीख और स्रोत।

(2) निम्नलिखित कथन, बड़े प्रिंट में:

(A) मरिवाना के लिए: "सरकारी चेतावनी: इस पैकेज में मरिवाना है जो अनुसूची I नियंत्रित पदार्थ है। बच्चों और जानवरों की पहुँच से बाहर रखें। मरिवाना को तब तक केवल 21 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों द्वारा रखा जा सकता है या इसका सेवन किया जा सकता है जब तक व्यक्ति अर्हता-प्राप्त रोगी न हो। गर्भवती होने या स्तनपान कराने के दौरान मरिवाना का प्रयोग हानिकारक हो सकता है। मरिवाना का सेवा वाहन चलाने और मशीनरी को प्रचालित करने की आपकी योग्यता में कमी लाता है। कृपया बेहद सावधानी बरतें।"

(B) मरिवाना के उत्पादों के लिए: "सरकारी चेतावनी: इस उत्पाद में मरिवाना है जो अनुसूची I नियंत्रित पदार्थ है। बच्चों और जानवरों की पहुँच से बाहर रखें। मरिवाना उत्पादों को तब तक 21 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों द्वारा रखा जा सकता है या इसका सेवन किया जा सकता है जब तक व्यक्ति अर्हता-प्राप्त रोगी न हो। मरिवाना उत्पादों के नशे के प्रभावों में दो घंटों तक की देरी हो सकती है। गर्भवती होने या स्तनपान कराने के दौरान मरिवाना का प्रयोग हानिकारक हो सकता है। मरिवाना उत्पादों का सेवा वाहन चलाने और मशीनरी को प्रचालित करने की आपकी योग्यता में कमी लाता है। कृपया बेहद सावधानी बरतें।"

(3) केवल सूखे फूल वाले पैकेजों के लिए, पैकेज में मरिवाना का निवल वज़न।

(4) खेती का स्रोत और तारीख, मरिवाना या मरिवाना उत्पाद के प्रकार और विनिर्माण और पैकेजिंग की तारीख की पहचान।

(5) उद्गम का नाम, यदि कोई हो।

(6) औषध विज्ञान रूप से सक्रिय अवयवों की सूची जिसमें प्रति मिली ग्राम प्रति खुराक, प्रति पैकेज खुराक में टेट्राहाइड्रोकेन्नाबिनोल (THC), केन्नाबिडिओल (CBD), और अन्य केन्नाबिनॉयड अंतर्वस्तु, और कुल पैकेज के लिए मिली ग्राम में THC और अन्य केन्नाबिनॉयड मात्रा, प्रति पैकेज खुराक, और पैकेज में कुल THC और अन्य केन्नाबिनॉयड की मिलीग्राम में मात्रा, और प्रत्येक खुराक में टेट्राहाइड्रोकेन्नाबिनोल और केन्नाबिडिओल की मात्रा के संदर्भ द्वारा मरिवाना या मरिवाना उत्पाद की प्रबलता शामिल है, लेकिन इन तक ही सीमित नहीं है।

(7) मरिवाना उत्पादों के लिए, सभी अवयवों की सूची और संघीय विनियम संहिता के शीर्षक 21 के अनुभाग 101.9 में संघीय पोषण-संबंधी लेबलिंग अपेक्षाओं जैसे तरीके में पोषण संबंधी सूचना का प्रकटन।

(8) किन्हीं ऐसे विलायकों, गैर-कार्बनिक कीटनाशकों, तृणनाशकों और उर्वरकों की सूची जिनका ऐसे मरिवाना या मरिवाना उत्पाद की खेती, उत्पादन और विनिर्माण में उपयोग किया गया था।

(9) यदि गिरीदार फलों या अन्य ज्ञात अलर्जनों का प्रयोग किया जाता है, तो चेतावनी।

(10) खाद्य और कृषि विभाग द्वारा जारी अनन्य पहचान से जुड़ी सूचना।

(11) ब्यूरो या राज्य जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोई अन्य अपेक्षा।

(d) खाने योग्य मरिवाना उत्पादों में सामग्रियों का वर्णन करने के लिए केवल सामान्य खाद्य नामों का प्रयोग किया जा सकता है।

(e) यदि ब्यूरो यह निर्धारित करता है कि मरिवाना संघीय कानून के अंतर्गत अब अनुसूची I नियंत्रित पदार्थ नहीं है, तो उप-खण्ड (c) में निर्धारित लेबल में आगे ऐसे कथन की ज़रूरत नहीं होगी कि मरिवाना अनुसूची I नियंत्रित उत्पाद है।

अध्याय 13. मरिवाना उत्पाद

26130. (a) मरिवाना के उत्पाद:

(1) बच्चों के लिए आकर्षक या आसानी से, भूलवश वाणिज्यिक रूप से बेची जाने वाली कैंडी या ऐसे खाद्यों के रूप में नहीं बनाए जाएंगे जिनमें मरिवाना नहीं होता।

(2) प्रति खुराक दस (10) मिली ग्राम टेट्राहाइड्रोकेन्नाबिनोल (THC) से कम केन्नाबिनॉयड की मानकीकृत खुराक के साथ उत्पादित किए जाएंगे और बेचे जाएंगे।

(3) उस स्थिति में मानकीकृत खुराक आकारों में वर्णन किया जाएगा या हिसाब रखा जाएगा यदि मरिवाना उत्पाद में एक से अधिक खुराक हो और यह ठोस रूप में खाने योग्य मरिवाना उत्पाद हो।

(4) पूरे उत्पाद में केन्नाबिनॉयडों का समरूप वितरण सुनिश्चित करने के लिए समान किया जाएगा।

(5) खाद्य उत्पादों की तैयारी, भंडारण, साज-संभाल और बिक्री के लिए ब्यूरो के परामर्श से राज्य जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित स्वच्छता मानकों के अंतर्गत विनिर्मित और बेचा जाएगा।

(6) ग्राहकों को पर्याप्त सूचना के साथ प्रदान किया जाएगा जिससे ऐसे उत्पाद की सोची-समझी खपत की जा सके जिसमें मरिवाना उत्पाद के संभावित प्रभाव और आवश्यकता के अनुसार मरिवाना उत्पाद का सेवन करने के तरीके के बारे में निर्देश शामिल हैं।

(b) कानून के अनुपालन में विनिर्मित किसी मरिवाना उत्पाद में शामिल संघनित भाग समेत मरिवाना को राज्य के कानून के अंतर्गत मिलावटी पदार्थ नहीं माना जाता है।

अध्याय 14. अवयस्कों की रक्षा

26140. (a) कोई भी लाइसेंसधारी:

(1) 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मरिवाना या मरिवाना उत्पाद नहीं बेचेगा।

(2) 21 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को अपने परिसर पर आने की अनुमति नहीं देगा।

(3) 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को नौकरी नहीं देगा या नहीं रखेगा।

(4) मरिवाना या मरिवाना उत्पादों की तब तक बिक्री नहीं करेगा या उनका स्थानांतरण नहीं करेगा जब तक कि वह व्यक्ति जिसे मरिवाना या मरिवाना उत्पाद की बिक्री की जानी है, पहले ऐसा दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं करता है जो तर्कसंगत रूप से सरकार द्वारा जारी मान्य पहचान-पत्र प्रतीत होता है जिसमें यह दर्शाया जाता है कि व्यक्ति की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक है।

(b) 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति शांति अधिकारियों द्वारा इस खण्ड को लागू करने में और ऐसे लाइसेंसधारियों, या लाइसेंसधारियों के कर्मचारियों या एजेन्टों या अन्य व्यक्तियों को पकड़ने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं जो अवयस्कों को मरिवाना बेचते हैं या उनके सामने इसे प्रस्तुत करते हैं। कानून के किसी प्रावधान के होते हुए भी, 21 वर्ष से कम आयु को कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी शांति अधिकारी के निर्देश के अंतर्गत कोई मरिवाना खरीदता है या खरीदने का प्रयास करता है, वह मरिवाना की उस खरीद या खरीद के प्रयास के लिए मुकदमा चलाए जाने से सुरक्षित है। 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के फंसाने वाले व्यक्तियों के रूप में प्रयोग के संबंध में दिशानिर्देश प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम (सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के खण्ड 3 के भाग 1 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 11340 से शुरू करते हुए)) के नियम बनाने वाले भाग के अनुसार ब्यूरो द्वारा अपनाए जाएंगे और प्रकाशित किए जाएंगे।

(c) उप-खण्ड (a) के होते हुए भी, कोई ऐसा लाइसेंसधारी जो खण्ड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 से शुरू करते हुए) के अंतर्गत लाइसेंसप्राप्त डिस्पेंसरी भी है, वह:

(1) 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के किसी व्यक्ति को परिसर पर मौजूद रहने की अनुमति दे सकता है जिसके पास स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 11362.71 के अंतर्गत कोई मान्य पहचान-पत्र और सरकार द्वारा जारी कोई मान्य पहचान-पत्र हो;

(2) 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के किसी व्यक्ति को मरिवाना, मरिवाना उत्पाद और मरिवाना उप-साधन बेच सकता है जिसके पास स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 11362.71 के अंतर्गत कोई मान्य पहचान-पत्र और सरकार द्वारा जारी कोई मान्य पहचान-पत्र हो।

अध्याय 15. विज्ञापन और विपणन संबंधी सीमाएं

26150. इस अध्याय के उद्देश्य के लिए:

(a) "विज्ञापित करना" का अर्थ किसी विज्ञापन का प्रकाशन या प्रचार-प्रसार है।

(b) "विज्ञापन" में ऐसा कोई लिखित या मौखिक कथन, चित्र, या वर्णन जिसे मरिवाना या मरिवाना उत्पादों की बिक्री को प्रेरित करने वाला माना जाता है, जिसमें लिखित, मुद्रित, ग्राफिक, या अन्य सामग्री, बिलबोर्ड, सूचनापट्ट, या अन्य बाहरी डिस्पले, पब्लिक ट्रांज़िट कार्ड, अन्य आवधिक साहित्य, प्रकाशन, या कोई रेडियो या टेलीविज़न प्रसारण, या कोई भी अन्य मीडिया शामिल है; सिवाए इसके कि ऐसे शब्द में ये शामिल नहीं होंगे:

(1) मरिवाना या मरिवाना के किसी उत्पाद, या अलग-अलग कवरिंग, कार्टन, या ऐसे पात्र के अन्य रैपरों पर लगाया गया कोई लेबल जो इस खण्ड के प्रावधानों के अंतर्गत लेबलिंग का भाग होता है।

(2) किसी पत्रिका या प्रकाशन या समाचार-पत्र में कोई संपादकीय या अन्य अध्ययन सामग्री (जैसे समाचार विज्ञप्ति) जिसके प्रकाशन के लिए किसी लाइसेंसधारी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी धन या मूल्यवान प्रतिफल का भुगतान नहीं किया जाता है या वचन नहीं दिया जाता है और जिसे लाइसेंसधारी द्वारा या उसके निदेश पर नहीं लिखा जाता है।

(c) "विज्ञापन सूचनापट्ट" ऐसा कोई भी सूचनापट्ट, पोस्टर, डिस्पले, बिलबोर्ड या अन्य कोई स्थिर या स्थाई रूप से लगाया गया विज्ञापन है जो मरिवाना या ऐसे मरिवाना उत्पादों की बिक्री का प्रचार करता है जिनकी उसी लॉट पर खेती, विनिर्माण, वितरण या बिक्री नहीं की जाती है।

(d) "स्वास्थ्य-संबंधी विवरण" का अर्थ ऐसा कोई भी विवरण है जो स्वास्थ्य से संबंधित होता है और जिसमें उपचारात्मक या चिकित्सीय प्रकृति के ऐसे विवरण शामिल होते हैं जो व्यक्त रूप से या अंतर्निहित रूप से मरिवाना या मरिवाना उत्पादों की खपत और स्वास्थ्य संबंधी लाभों या स्वास्थ्य पर प्रभावों के बीच संबंध बताते हैं।

(e) "विपणन करना" या "विपणन" का अर्थ मरिवाना या मरिवाना उत्पादों का प्रचार या बिक्री करने का कोई ऐसा कार्य या प्रक्रिया है जिसमें खेल समारोहों का प्रायोजन, बिक्री स्थल का विज्ञापन और निश्चित जनसंख्याओं को लुभाने के लिए विशेष रूप से निर्मित उत्पादों का विकास शामिल है लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

26151. (a) सारे विज्ञापन और विपणन उस लाइसेंसधारी की सटीक रूप से और स्पष्टता से पहचान कराएंगे जो इसकी विषय-वस्तु के लिए उत्तरदायी है।

(b) प्रसारण, केबल, रेडियो, प्रिंट और डिजिटल संचार पर प्रस्तुत कोई भी विज्ञापन या विपणन केवल वहीं प्रदर्शित किया जाएगा जहाँ विश्वसनीय, नवीनतम दर्शक संघटन डेटा द्वारा निर्धारित कम से कम 71.6 प्रतिशत दर्शक तर्कसंगत रूप से 21 वर्ष या इससे अधिक के होने की संभावना है।

(c) लाइसेंसधारी द्वारा नियंत्रित प्रत्यक्ष, वैयक्तिककृत संचार या संवाद से संबंधित कोई विज्ञापन या विपणन यह सत्यापन करने के लिए आयु की पुष्टि के तरीके का उपयोग करेगा कि लाइसेंसधारी द्वारा नियंत्रित ऐसे संचार या संवाद में संलग्न होने से पहले प्राप्तकर्ता की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक है। इस खंड के उद्देश्यों के लिए, आयु की पुष्टि के ऐसे तरीके में प्रयोक्ता पुष्टि, जन्म की तिथि का प्रकटन या अन्य समान पंजीकरण तरीका शामिल हो सकता है।

(d) सारा विज्ञापन सत्य होगा और उपयुक्त रूप से सिद्ध किया जाएगा।

26152. कोई भी लाइसेंसधारी:

(a) किसी ऐसे तरीके से विज्ञापन नहीं देगा या विपणन नहीं करेगा जो किसी सामग्री विशेष में झूठा या असत्य हो, या जिसमें, असत्यता, प्रत्यक्ष रूप से, या अस्पष्टता, चूक, या निष्कर्ष द्वारा, या असंगत, वैज्ञानिक या तकनीकी सामग्री की वृद्धि द्वारा कोई भ्रामक छाप छोड़ने की प्रवृत्ति हो;

(b) ऐसे विज्ञापन या विपणन का प्रकाशन या प्रचार-प्रसार नहीं करेगा जिसमें किसी ऐसे ब्रांड या उत्पाद से संबंधित कोई कथन हो जो इसके लेबल पर किसी कथन से असंगत हो;

(c) ऐसे विज्ञापन या विपणन का तब तक प्रकाशन या प्रचार-प्रसार नहीं करेगा जिसमें कोई ऐसा कथन, डिज़ाइन, उपकरण या वर्णन हो जिसमें ऐसी छाप छोड़ने की प्रवृत्ति हो कि मरिवाना की उत्पत्ति किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में हुई है, जब तक कि विज्ञापित उत्पाद के लेबल पर उत्पत्ति का नाम न हो, और जब तक उत्पत्ति का ऐसा नाम विज्ञापन में प्रस्तुत न हो;

(d) किसी ऐसे अंतर-राज्यीय राजमार्ग या राज्य राजमार्ग पर स्थित किसी बिलबोर्ड या समान विज्ञापन साधन पर विज्ञापन नहीं देगा या विपणन नहीं करेगा जो किसी अन्य राज्य की सीमा पार करता हो;

(e) किसी ऐसे तरीके से मरिवाना या मरिवाना उत्पादों का विज्ञापन या विपणन नहीं करेगा जिसका इरादा 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मरिवाना या मरिवाना उत्पादों का सेवन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना हो;

(f) ऐसा प्रकाशन या विज्ञापन का प्रचार-प्रसार या विपणन नहीं करेगा जिसमें ऐसे चिन्ह, भाषा, संगीत, इशारे, कार्टून चरित्र या अन्य विषयवस्तु तत्व हों जो मुख्य रूप से सेवन करने की कानूनी आयु से कम आयु के व्यक्तियों को लुभाने के लिए हों; या

(g) किसी डे केयर सेंटर, किंडरगार्टन में या ग्रेड 1 से 12 तक को पढ़ाने वाले

स्कूल, खेल के मैदान या युवा केन्द्र के 1,000 फीट के भीतर किसी विज्ञापन सूचनापट्ट पर मरिवाना या मरिवाना उत्पादों का विज्ञापन या विपणन नहीं करेगा।

26153. कोई भी लाइसेंसधारी किसी व्यावसायिक प्रचार या अन्य वाणिज्यिक गतिविधि के भागस्वरूप मरिवाना या मरिवाना उत्पादों, या किसी मरिवाना उप-साधन की कोई मात्रा प्रदान नहीं करेगा।

26154. कोई भी लाइसेंसधारी ऐसा विज्ञापन या विपणन प्रकाशित नहीं करेगा या इसका प्रचार-प्रसार नहीं करेगा जिसमें स्वास्थ्य संबंधी कोई ऐसा कथन हो जो किसी विशेष तरीके से असत्य हो या जिसमें मरिवाना के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में भ्रामक छाप छोड़ने की प्रवृत्ति हो।

26155. (a) अनुभाग 26152 के उप-खण्ड (g) के प्रावधान किसी लाइसेंसप्राप्त परिसर के भीतर विज्ञापन के सूचनापट्टों के लगाए जाने और उन पर लागू नहीं होंगे जिन्हें किसी सार्वजनिक स्थान से सामान्य बिना सहायता की दृष्टि से न देखा जा सकता हो, बशर्ते कि ऐसे विज्ञापन सूचनापट्ट मरिवाना या मरिवाना उत्पादों का विज्ञापन ऐसे तरीके से न करें जिसका इरादा 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मरिवाना या मरिवाना उत्पादों का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित करना हो।

(b) यह अध्याय किसी गैर-वाणिज्यिक भाषण पर लागू नहीं होता है।

अध्याय 16. रिकार्ड

64

26160. (a) कोई लाइसेंसधारी मरिवाना की वाणिज्यिक गतिविधि का सटीक रिकॉर्ड रखेगा।

(b) लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जैसा निर्धारित किया गया है, मरिवाना की वाणिज्यिक गतिविधि से संबंधित सभी रिकॉर्ड कम से कम सात वर्ष तक रखे जाएँगे।

(c) ब्यूरो किसी लाइसेंसधारी की पुस्तिकाओं और रिकॉर्ड की जाँच कर सकता है और लाइसेंसिंग प्राधिकरण, या एक राज्य या स्थानीय एजेंसी के रूप में लाइसेंसधारी के परिसर का निरीक्षण कर सकता है, यदि इस खंड के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए ऐसा करना जरूरी हो। सभी निरीक्षण लाइसेंसशुदा सुविधा के मानक कार्य घंटों के दौरान या किसी अन्य उपयुक्त समय पर आयोजित किए जाएँगे।

(d) लाइसेंसधारी लाइसेंसशुदा स्थान के परिसरों में लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी द्वारा पहचाने गए रिकॉर्ड को संभाल कर रखेगा। लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी किसी भी लाइसेंसधारी के किसी भी रिकॉर्ड की कोई भी जाँच कर सकते हैं। लाइसेंसधारी अनुरोध किए जाने पर लाइसेंस देने वाली एजेंसी को दस्तावेज प्रदान करेंगे और उनकी प्रतिलिपियाँ सौंपेंगे।

(e) लाइसेंसधारी या उसका एजेंट या कर्मचारी जो इस अनुभाग के अनुसार लाइसेंसधारी के परिसरों या रिकॉर्ड के निरीक्षण से इंकार करता है, बाधा उत्पन्न करता है, रोकता है या हस्तक्षेप करता है, इस खंड के उल्लंघन में शामिल होता है।

(f) यदि कोई लाइसेंसधारी, या किसी लाइसेंसधारी का कोई एजेंट या कर्मचारी इस खंड के अनुसरण में आवश्यक रिकॉर्ड को संभाल कर रखने या प्रदान करने में असफल होता है, तो लाइसेंसधारी के विरुद्ध एक प्रविष्टि और प्रत्येक उल्लंघन के लिए तीस हजार डॉलर ($30,000) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

26161. (a) किसी एक लाइसेंसधारी से दूसरे लाइसेंसधारी को मरिवाना या मरिवाना उत्पादों की बिक्री या परिवहन को किसी बिक्री इनवॉइस या रसीद पर दर्ज करना होगा। बिक्री इनवॉइसों और रसीदों को इलेक्ट्रोनिक रूप से रखा जा सकता है और इसे इस प्रकार से फ़ाइल किया जाएगा ताकि यह ब्यूरो या समतुल्यीकरण मंडल के कर्मचारियों द्वारा जाँच के लिए आसानी से उपलब्ध हो सके और इसे अन्य वस्तुओं की इनवॉइसों के साथ मिलाया नहीं जाएगा।

(b) उस प्रत्येक इनवॉइस में जो उपखंड (a) के द्वारा आवश्यक है, विक्रेता का नाम और पता शामिल होगा और निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी:

(1) क्रेता का नाम और पता।

(2) बिक्री की तारीख और इनवॉइस नंबर।

(3) विक्रय किए गए मरिवाना या मरिवाना उत्पाद के पैकेट का प्रकार, मात्रा, आकार और क्षमता।

(4) क्रेता के लिए कीमत के साथ-साथ इनवॉइस में दिखाए अनुसार मूल्य में दी गई कोई भी छूट।

(5) वह स्थान जहाँ से मरिवाना या मरिवाना उत्पाद का परिवहन किया गया था, जब तक लाइसेंसधारी के परिसर से परिवहन नहीं किया गया हो।

(6) ब्यूरो या लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कोई भी अन्य जानकारी।

अध्याय 17. ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली

26170. (a) ब्यूरो और राज्य बोर्ड ऑफ ईक्वलाइज़ेशन से परामर्श कर, खाद्य एवं कृषि विभाग पूरी वितरण शृंखला में मरिवाना और मरिवाना उत्पादों के परिवहन की सूचना देने को शामिल करने के लिए, और कम से कम, मरिवाना और मरिवाना उत्पादों के बारे में उसी स्तर की जानकारी प्रदान करने के लिए जो चिकित्सीय भांग और चिकित्सीय भांग के उत्पादों के लिए सूचना देने की आवश्यक होता है, खंड 8 के अध्याय 3.5 के अनुच्छेद 7.5 (अनुभाग 19335 के साथ प्रारंभ) के अधीन प्रविधित ट्रैक एवं ट्रेस प्रोग्राम का विस्तार करेगा, इसके अलावा राजस्व एवं कराधान संहिता के खंड 2 के भाग 14.5 (अनुभाग 34010 से प्रारंभ) के अनुसरण में देय कृषि कर को भी शामिल किया जाएगा। विस्तारित ट्रैक एवं ट्रेस प्रोग्राम में खेती, फसल कटाई, प्रसंस्करण, वितरण, माल सूची और बिक्री को शामिल करते हुए लेकिन इन तक ही सीमित नहीं, वाणिज्यिक गतिविधि के विभिन्न स्तरों के लिए डेटा बिंदुयों की सहायता से सॉफ़्टवेयर ट्रैकिंग प्रणाली बेचने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सीड शामिल किया जाएगा।

(b) संपूर्ण वितरण शृंखला में मरिवाना और मरिवाना उत्पादों की गतिविधि की सूचना देने और कानून द्वारा जैसा अपेक्षित हो, लाइसेंस देने वाली एजेंसियों को ऐसी जानकारी संचारित करने के लिए उपखंड (a) में वर्णित विस्तारित ट्रैक एवं ट्रेस प्रोग्राम की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, ब्यूरो के साथ परामर्श कर के, विभाग सुनिश्चित करेगा कि इस खंड के अधीन लाइसेंसधारकों को तृतीय-पक्ष अनुप्रयोगों, प्रोग्रामों और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है।

(c) विस्तारित ट्रैक एवं ट्रेस प्रोग्राम को लागू करने के लिए विभाग द्वारा प्रयुक्त कोई भी सॉफ़्टवेयर, डेटाबेस या अन्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली तृतीय-पक्ष चिकित्सीय भांग व्यापार सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशनों के साथ अंतरसंक्रियता का समर्थन करेगा और लाइसेंसधारी-उन्मुख प्रणाली की सभी गतिविधियों का निष्पादन एक सुरक्षित एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API) या उसके समान प्रमाणित और उपयुक्त क्रेडेंशियल युक्त अच्छी तरह से प्रलेखित, द्वि-विमीय और किसी भी तृतीय पक्ष एप्लिकेशन के लिए एक्सेस योग्य समतुल्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से निष्पादित किए जाने की अनुमति देगा। API या समतुल्य प्रौद्योगिकी में संस्करण नियंत्रण होगा और वह तृतीय-पक्ष एप्लिकेशनों के लिए अपडेट की पर्याप्त सूचना प्रदान करेगी। प्रणाली को उत्पादन वातावरण की प्रतिकृति बनाने वाली पहुँच के लिए तृतीय-पक्ष एप्लिकेशनों के लिए एक परीक्षण वातावरण प्रदान करना चाहिए।

अध्याय 18. लाइसेंस शुल्क

26180. प्रत्येक लाइसेंसिंग प्राधिकरण इस खंड के प्रवर्तन के खर्च के आधार पर एप्लिकेशन, लाइसेंस और नवीनीकरण शुल्कों का एक पैमाना स्थापित करेगा, जो इस प्रकार है:

(a) प्रत्येक लाइसेंसिंग प्राधिकरण प्रत्येक लाइसेंसधारी से एक लाइसेंस और नवीनीकरण शुल्क वसूल करेगा, जैसा प्रयोज्य हो। लाइसेंस और नवीनीकरण शुल्क की गणना इस खंड के व्यवस्थापन के खर्च को शामिल करने के लिए की जाएगी। विभिन्न लाइसेंस गतिविधियों की प्रकृति और दायरे से संबंधित बोने

के कारण इस खंड की विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं को लागू करने से संबद्ध परिवर्तनशील खर्चों के आधार पर लाइसेंस शुल्क अलग- हो सकता है, जिनमें अनुभाग 26170 के अनुसरण में आवश्यक ट्रैक एवं ट्रेस प्रोग्राम शामिल है लेकिन उस तक ही सीमित नहीं है, लेकिन लाइसेंसिंग प्राधिकरण के उपयुक्त विनियामक खर्चों से अधिक नहीं होगा।

(b) इस खंड के अनुसरण में आकलित कुल शुल्क को एक ऐसी राशि पर तय किया जाएगा जो इस खंड को लागू करने के खर्च को पूरी तरह से शामिल करने के लिए उचित रूप से और आनुपातिक रूप से पर्याप्त कुल राजस्व जनित करेगा।

(c) सभी लाइसेंस शुल्क लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा व्यवसाय पर निर्भर करते हुए एक पैमाने के आधार पर निर्धारित किए जाएँगे।

(d) लाइसेंसिंग प्राधिकरण संग्रहीत किए गए समस्त शुल्कों को उस लाइसेंसिंग प्राधिकरण के लिए विशिष्ट एक मुक्त खाते में जमा करेगा, जिसे मरिवाना नियंत्रण निधि मे स्थापित किया जाएगा। विधायिका द्वारा अनुदान के बाद, निर्दिष्ट लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा लाइसेंसिंग प्राधिकरण शुल्क खाते में धनराशि का उपयोग इस खंड के व्यवस्थापन के लिए उपयोग किया जाएगा।

26181. राज्य जल संसाधन नियंत्रण मंडल, मत्स्य एवं वन्यजीव विभाग और अन्य एजेंसियाँ अपने मरिवाना विनियामक प्रोग्रामों के खर्च को शामिल करने के लिए शुल्क स्थापित कर सकते हैं।

अध्याय 19. वार्षिक रिपोर्ट, कार्यप्रदर्शन ऑडिट

26190. 1 मार्च, 2020, और उसके बाद प्रति वर्ष 1 मार्च को या उसके पहले, प्रत्येक लाइसेंसिंग प्राधिकरण मरिवाना की वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित प्राधिकरण की गतिविधियों पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और विधायिका को प्रस्तुत करेगा तथा रिपोर्ट को प्राधिकरण की वेब साइट पर पोस्ट करेगा। रिपोर्ट में, अनुभाग 19353 में निर्दिष्ट समान प्रकार की जानकारी, और विनियामक राहत के लिए याचिकाओं की विस्तृत सूची या इस खंड के अंतर्गत नियमों के प्रवर्तन के संशोधनों का अनुरोध करते हुए लाइसेंसधारकों से प्राप्त नियमनिर्माता परिवर्तन शामिल होंगे लेकिन उसी तक सीमित नहीं रहेंगे।

26191. (a) 1 जनवरी, 2019 से आरंभ करके, और उसके बाद प्रति वर्ष 1 जनवरी तक, California राज्य के लेखापरीक्षक का कार्यालय इस खंड के अधीन ब्यूरो की गतिविधियों का एक निष्पादन लेखा परीक्षण आयोजित करेगा और उसी वर्ष की 1 जुलाई तक अपने निष्कर्षों को ब्यूरो और विधायिका को सूचित करेगा। रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन उसी तक सीमित नहीं होंगे:

(1) प्रोग्राम का वास्तविक खर्च।

(2) प्रवर्तन कार्यक्रमों की समग्र प्रभावकारिता।

(3) इस खंड के अनुसरण में प्रस्तुत की गई कोई भी रिपोर्ट सरकारी संहिता की अनुभाग 9795 के अनुपालन में होगी।

(b) विधायिका इस अनुभाग द्वारा अपेक्षित वार्षिक लेखा परीक्षण को आयोजित करने के लिए California राज्य लेखापरीक्षक के कार्यालय को पर्याप्त धनराशि प्रदान करेगी।

अध्याय 20. स्थानीय नियंत्रण

26200. (a) इस खंड में किसी भी चीज की व्याख्या, इस खंड के अधीन लाइसेंसशुदा व्यवसायों को विनियमित करने के लिए स्थानीय अध्यादेशों को अपनाने और लागू करने के लिए स्थानीय क्षेत्राधिकार के प्राधिकार को अधिक्रमित करने या सीमित करने के लिए, नहीं की जाएगी, जिसमें शामिल हैं, किंतु इन तक ही सीमित नहीं हैं, स्थानीय क्षेत्रीकरण और भू-उपयोग आवश्यकताएँ, व्यवसाय लाइसेंस आवश्यकताएँ, और दूसरे दर्जे धुएं के संपर्क को कम करने, या स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर इस खंड के अधीन लाइसेंसशुदा व्यवसायों के एक या अधिक प्रकारों की स्थापना या संचालन को पूरी तरह से निषिद्ध करने से संबंधित आवश्यकताएँ।

(b) इस खंड में किसी भी चीज की व्याख्या किसी लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा स्थानीय कानून के प्रवर्तन की जिम्मेदारियाँ लेने, स्थानीय क्षेत्रीकरण आवश्यकताओं का प्रवर्तन करने या स्थानीय लाइसेंस देने से संबंधित आवश्यकताओं का प्रवर्तन करने के रूप में नहीं किया जाएगा।

(c) कोई स्थानीय क्षेत्राधिकार, स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर मरिवाना की वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल होने के लिए किसी लाइसेंसधारी के लिए किसी स्थानीय लाइसेंस, परमिट या प्राधिकरण के निरसन पर ब्यूरो को सूचित करेगा। अधिसूचना के 10 दिन के भीतर, ब्यूरो संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सूचित करेगा। ब्यूरो द्वारा ऐसा सूचित किए जाने के10 दिन के भीतर, संबंधित लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी यह निर्धारित करने के लिए कि क्या लाइसेंसधारी को जारी किए गए लाइसेंस को निलंबित या निरस्त कर देना चाहिए, अध्याय 3 (अनुभाग 26030 से प्रारंभ) के अधीन कार्रवाई प्रारंभ करेगा।

(d) स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता की अनुभाग 11362.3 के उपखंड (a) के पैरा (1) के बावजूद, कोई स्थानीय क्षेत्राधिकार इस खंड के अधीन लाइसेंसशुदा किसी खुदरा या माइक्रो व्यापार के बहाने से मरिवाना या मरिवाना उत्पादों का धूम्रपान करने, वाष्पीकरण करने, और निगलने की अनुमति दे सकता है, यदि:

(1) जिस क्षेत्र में मरिवाना के सेवन की अनुमति दी गई है उस क्षेत्र तक पहुँच 21 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए प्रतिबंधित है;

(2) मरिवाना का सेवन किसी सार्वजनिक स्थान या गैर-आयु प्रतिबंधित क्षेत्र से दिखाई नहीं देता है; और

(3) परिसर में अल्कोहल या तंबाकू की बिक्री या सेवन की अनुमति नहीं दी गई है।

26201. राज्य द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, परीक्षण, सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और श्रमिक संरक्षण के संबंध में स्थापित कोई भी मानक, आवश्यकता और विनियमन पूरे राज्य में इस खंड के अधीन सभी लाइसेंसधारकों के लिए न्यूनतम मानक होंगे। कोई स्थानीय क्षेत्राधिकार अतिरिक्त मानक, आवश्यकताएं और विनियमन स्थापित कर सकता है।

26202. (a) एक स्थानीय क्षेत्राधिकार इस खंड को और ब्यूरो या किसी लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा लागू किए गए विनियमों का प्रवर्तन कर सकता है, यदि उसे ब्यूरो या किसी लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने की अनुमति दी गई है।

(b) ब्यूरो या कोई लाइसेंस देने वाला प्राधिकरण उपखंड (a) में ब्यूरो या लाइसेंस देने वाला प्राधिकरण और वह स्थानीय क्षेत्राधिकार जिसको प्रवर्तन प्राधिकारी द्वारा प्रत्यावर्तित किया जाना है, के बीच में एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से प्रवर्तन प्राधिकारी के प्रत्यावर्तन को क्रियान्वित करेगा।

अध्याय 21. वित्तपोषण

26210. (a) अनुभाग 19351 में स्थापित चिकित्सीय भांग विनियमन एवं सुरक्षा अधिनियम कोष का नाम एतद्वारा मरिवाना नियंत्रण कोष पुनःनामित किया जाता है।

(b) इस अनुभाग की प्रभावी तिथि को, जब भी "चिकित्सीय भांग और सुरक्षा अधिनियम कोष" किसी विधान, विनियमन, या संविदा, या किसी अन्य संहिता में प्रकट होता है, तो इसे मरिवाना नियंत्रण कोष माना जाएगा।

26211. (a) उपखंड (c) में वर्णित सार्वजनिक सूचना प्रोग्राम सहित, इस खंड के अधीन नियामक गतिविधियों की आरंभिक स्थापना और समर्थन के लिए कोष और 1 जुलाई 2017 तक या 2017 तक राजस्व एवं कराधान संहिता के खंड 2के भाग 14.5 (अनुभाग 34010 से आरंभ), अधिनियमित बजट अधिनियम, जो भी बाद में होता है, सामान्य कोष से अग्रिम दिया जाएगा और उसका पुनर्भुगतान इस खंड, अपनाए गए किसी नियम या विनियम के अनुसरण में एकत्रित शुल्कों, या से आरंभिक प्राप्ति द्वारा किया जाएगा जनवरी 1, 2025 तक राजस्व एवं कराधान संहिता की अनुभागों 34011 एवं 34012 द्वारा लगाए गए कर से एकत्रित राजस्व से किया जाएगा।

(1) इस उपखंड के अनुसरण में अग्रिम दिए गए कोष ब्यूरो को आवंटित किए

64

जाएंगे, जो इस खंड के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए जैसा जरूरी हो, धनराशि को उपयुक्त लाइसेंस देने वाले प्राधिकरणों, और राजस्व एवं कराधान संहिता के खंड 2 के भाग 14.5 (अनुभाग 34010 से प्रारंभ) के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए जरूरी होने पर समतुल्यीकरण मंडल को आवंटित करेगा।

(2) इस अनुभाग के सक्रिय होने के 45 दिन के भीतर:

(A) निदेशक वित्त सामान्य कोष से मरिवाना नियंत्रण कोष को आरंभिक अग्रिम की एक राशि निर्धारित करेंगे, जो तीस मिलियन डॉलर ($30,000,000) से अधिक नहीं होनी चाहिए; और

(B) पाँच लाख डॉलर ($5,000,000) की एक अग्रिम राशि सामान्य कोष से राज्य के स्वास्थ्य देखभाल सेवा विभाग को उपखंड (c) में वर्णित सार्वजनिक सूचना प्रोग्राम के लिए प्रदान की जाएगी।

(b) उपखंड (a) के निरपेक्ष, विधायिका मरिवाना नियंत्रण निधि को ब्यूरो, इस खंड के अधीन राज्य लाइसेंस देने वाले प्राधिकरणों और राजस्व एवं कराधान संहिता के खंड 2 के भाग 14.5 (अनुभाग 34010 से प्रारंभ) के अधीन इसकी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए समतुल्यीकरण मंडल को पर्याप्त धनराशि प्रदान करेगा। यह अनुमान लगाया है कि यह वित्तपोषण 1 जुलाई, 2017 से आरंभ कर के वार्षिक रूप से प्रदान किया जाएगा।

(c) राज्य स्वास्थ्य सेवा विभाग 1 सितंबर, 2017 से पूर्व एक जनसूचना कार्यक्रम की स्थापना एवं इसका कार्यान्वयन करेगा। यह जन सूचना कार्यक्रम वयस्कों द्वारा मरिवाना के कम से कम उपयोग हेतु मरिवाना अधिनियम 2016 के नियंत्रण, नियमन एवं कर लगाने के प्रावधानों का वर्णन करेगा, 21 वर्ष की आयु से कम के व्यक्तियों की मरिवाना एवं मरिवाना उत्पादों तक की पहुँच को प्रतिबंधित करने के वैज्ञानिक आधार का वर्णन करेगा, 21 वर्ष की आयु से कम के व्यक्तियों की मरिवाना एवं मरिवाना उत्पादों तक पहुँच प्रदान करने पर जुर्मानों का वर्णन करेगा, मरिवाना उपयोग के कारण दुर्बल अवस्था में मोटर वाहन, नाव, यान, विमान, या परिवहन के लिए उपयोग किए जा रहे अन्य वाहन चलाने के खतरों के, गर्भावस्था या स्तनपान कराने के दौरान मरिवाना उपयोग से संभावित क्षतियों के एवं मरिवाना या मरिवाना उत्पादों के अतिशय उपयोग से संभावित क्षतियों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।

64

अनुभाग 6.2. श्रम संहिता में अनुभाग 147.6 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

147.6. (a) व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य खंड 1 मार्च, 2018 से पहले एक परामर्श समिति बुलाएगी ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि क्या व्यवसाय एवं पेशा संहिता के खंड 10 (अनुभाग 26000 से आरंभ करते हुए) के अंतर्गत लाइसेंस की गतिविधियों से संबंधित उद्योग-विशिष्ट नियमों को विकसित करने की आवश्यकता है, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन तक ही सीमित नहीं हैं, क्या उन सुविधाओं में जहाँ कर्मचारियों द्वारा व्यवसाय एवं पेशा संहिता के अनुभाग 26200 के उपखंड (d) के अंतर्गत मरिवाना का सेवन स्वीकृत है, दूसरों से प्राप्त किए गए मरिवाना धुएँ से संपर्क पर ध्यान देने के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं की आवश्यकता है, एवं ज्वलन अन्तःश्वसन, सशस्त्र डकैतियों, एवं पुनरावृत्तीय तनाव के कारण चोटों के संभावित जोखिमों पर ध्यान देने के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं की आवश्यकता है या नहीं।

(b) परामर्श समिति 1 अक्टूबर, 2018 तक, बोर्ड के समक्ष सोच-विचार के लिए अपने निष्कर्ष एवं सुझाव प्रस्तुत करेगी। बोर्ड 1 अक्टूबर, 2018 तक इस अनुभाग के अनुसार उद्योग-विशिष्ट नियमों के अभिग्रहण के संबंध में एक निर्णय प्रस्तुत करेगा।

अनुभाग 6.3. जल संहिता में अनुभाग 13276 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

13276. (a) भांग की खेती के पर्यावरणीय प्रभावों को संबोधित करने के लिए बहु-एजेंसी कार्यबल, मत्स्य एवं वन्य-जीव विभाग तथा राज्य जल संसाधन नियंत्रण बोर्ड पायलट परियोजना, जिसे California में सार्वजनिक तथा भूमियों पर मरिवाना खेती के कारण होने वाली क्षतियों के लिए नियत किया गया था, स्थायी आधार पर अपने प्रवर्तन प्रयासों को जारी रखेगी एवं उन्हें राज्यव्यापी स्तर पर विस्तारित करेगी ताकि राज्यभर में जल की गुणवत्ता एवं मत्स्य तथा वन्य-जीवों पर मरिवाना कृषि के प्रतिकूल प्रभावों में कमी लाना सुनिश्चित किया जा सके।

(b) प्रत्येक प्रांतीय बोर्ड अनिवार्य रूप से, एवं राज्य जल संसाधन नियंत्रण बोर्ड संभवित रूप से, अपशिष्ट को छोड़े जाने पर ध्यान देंगे, जो चिकित्सीय मरिवाना कृषि *और व्यापार तथा पेशा संहिता के खंड 10 के अंतर्गत वाणिज्यिक मरिवाना कृषि* एवं संबंधित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होता है, जिसमें सामान्य परमिट अपनाना, अपशिष्ट छोड़ेजाने की आवश्यकताओं की स्थापना करना, या अनुभाग 13269 के अनुसार कार्यवाही करना शामिल है। इन निर्वाहों को संबोधित करने में प्रत्येक प्रांतीय बोर्ड उन वस्तुओं को संबोधित करने के लिए प्रतिबन्ध शामिल करेगा जिनमें निम्नलिखित में से सभी शामिल हैं परन्तु ये इन तक सीमित नहीं हैं:

(1) स्थल का विकास एवं रखरखाव, अपक्षरण नियंत्रण, एवं जलनिकासी विशेषताएं।

(2) अनुभाग को पार करती हुई स्थापना एवं रखरखाव।

(3) नदी तट एवं आद्रभूमि सुरक्षा तथा प्रबंधन।

(4) मृदा निपटान।

(5) जल भंडारण एवं उपयोग।

(6) सिंचाई अपवाह।

(7) उर्वरक और मृदा।

(8) कीटनाशक एवं तृणनाशक।

(9) पेट्रोलियम उत्पाद एवं अन्य रसायन।

(10) कृषि-संबंधी अपशिष्ट।

(11) कूड़ा-करकट एवं मानव अपशिष्ट।

(12) परिमार्जन, पुनरुद्धार एवं अल्पीकरण।

अनुभाग 7. मरिवाना कर।

अनुभाग 7.1. भाग 14.5 (अनुभाग 34010 के साथ शुरू करते हुए) राजस्व और कराधान संहिता के खंड 2 में जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

भाग 14.5. मरिवाना कर

34010. इस भाग के उद्देश्यों के लिए:

(a) "बोर्ड" कर अर्थ समकरण बोर्ड या उसकी उत्तराधिकारी एजेंसी होगा।

(b) "ब्यूरो" का अर्थ उपभोक्ता मामला विभाग में मरिवाना नियंत्रण ब्यूरो होगा।

(c) "कर निधि" का अर्थ है अनुभाग 34018 द्वारा निर्मित California मरिवाना कर निधि।

(d) "मरिवाना" का अर्थ स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता की अनुभाग 11018 में निर्धारित के समान होगा एवं इसका अर्थ चिकित्सीय भांग भी होगा।

(e) "मरिवाना उत्पाद" का अर्थ स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता की अनुभाग 11018.1 में निर्धारित के समान होगा एवं इसका अर्थ चिकित्सीय सारकृत द्रव्यों तथा चिकित्सीय भांग उत्पाद भी होगा।

(f) "मरिवाना पुष्प" से अभिप्राय बोर्ड के द्वारा परिभाषित मरिवाना पौधे के सुखाये गए फूलों से होगा।

(g) "मरिवाना पत्तियाँ" का अर्थ मरिवाना के फूलों को छोड़कर मरिवाना के पौधे के सभी भाग होंगे जिन्हें बेचा जाता है या जिनका सेवन किया जाता है।

(h) "सकल पावतियाँ" का अर्थ अनुभाग 6012 में निर्धारित के समान होगा।

(i) "रिटेल बिक्री" का अर्थ अनुभाग 6007 में निर्धारित के समान होगा।

(j) "व्यक्ति" का अर्थ अनुभाग 6005 में निर्धारित के समान होगा।

(k) "माइक्रोबिज़नेस" का अर्थ व्यवसाय एवं पेशा संहिता की अनुभाग 26070 के उपखंड (a) के पैरा (3) में निर्धारित के समान होगा।

(l) "लाभ-निरपेक्ष" का अर्थ व्यवसाय एवं पेशा संहिता की अनुभाग 26070.5 में निर्धारित के समान होगा।

34011. (a) 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी, इस राज्य में बेचे जाने वाले मरिवाना या मरिवाना उत्पादों के खरीदारों पर किसी भी डिस्पेंसरी या अन्य व्यक्ति, जिसे व्यापार एवं पेशा संहिता के खंड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 के साथ आरंभ करते हुए) के अनुसार लाइसेंसशुदा होने की आवश्यकता है या कोई रिटेलर, माइक्रोबिज़नेस, लाभनिरपेक्ष या अन्य व्यक्ति जिसे किसी खरीदार को प्रत्यक्ष रूप से मरिवाना एवं मरिवाना उत्पाद बेचने के लिए व्यापार एवं पेशा संहिता के खंड 10 (अनुभाग 26000 के साथ आरंभ करते हुए) के अनुसार लाइसेंसशुदा होने की आवश्यकता है, के द्वारा किसी भी रिटेल बिक्री की सकल पावती पर 15 प्रतिशत की दर पर एक मरिवाना उत्पाद कर लगाया जाएगा।

(b) नियमों द्वारा प्रदत्त अन्यथा को छोड़कर, इस अनुभाग के अंतर्गत कर, मरिवाना या मरिवाना उत्पाद दोनों को तथा कोई भी अन्य अन्यथा विशिष्ट एवं पहचानने-योग्य माल या सेवाओं को, तथा किसी भी माल या सेवा के मूल्य को शामिल करने वाले किसी भी लेन-देन के सम्पूर्ण मूल्य, यदि गैर मदवार उल्लेखित है, पर लागू होगा, यदि मरिवाना या मरिवाना उत्पादों के मूल्य में घटाव उस माल या सेवाओं की खरीद पर आकस्मिक है।

(c) किसी डिस्पेंसरी या अन्य व्यक्ति जिसे व्यवसाय एवं पेशा संहिता के खंड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 एक साथ आरंभ करते हुए) के अनुसार लाइसेंसशुदा होना आवश्यक हो या कोई रिटेलर, माइक्रोबिज़नेस, लाभ-निरपेक्ष, या अन्य व्यक्ति जिसे व्यवसाय एवं पेशा संहिता के खंड 10 (अनुभाग 26000 एक साथ आरंभ करते हुए) के अनुसार लाइसेंसशुदा होना आवश्यक हो, कानून तथा बोर्ड के द्वारा स्वीकृत किसी भी नियम के अंतर्गत स्थापित नियमों एवं कार्यपद्धतियों के अनुसार कर संग्रह करने एवं इसे बोर्ड को सौंपने के लिए उत्तरदायी होगा।

(d) इस अनुभाग के द्वारा लगाया गया उत्पाद कर राज्य एवं स्थानीय सरकारों द्वारा लगाए गए बिक्री एवं उपयोग कर के साथ अतिरिक्त होगा।

(e) इस खंड के भाग 1 के अंतर्गत बिक्री एवं उपयोग कर के मूल्यांकन के उद्देश्यों के लिए मरिवाना या मरिवाना उत्पादों की बिक्री से सकल पावतियों में इस खंड के अनुसार लगाया गया कर शामिल होगा।

(f) किसी भी खरीदार को मरिवाना या मरिवाना उत्पाद तब तक नहीं बेचा जाना चाहिए जब तक बिक्री के समय खरीदार आवश्यक उत्पाद कर का भुगतान न करे।

(g) भाग 1 (अनुभाग 6001 के साथ आरंभ करते हुए) के द्वारा बिक्री एवं उपयोग कर चिकित्सीय भांग, चिकित्सीय भांग सारकृत द्रव्य, भोज्य चिकित्सीय भांग उत्पाद, या उष्णदेशीय भांग की रिटेल बिक्री पर लागू नहीं होगा क्योंकि ये पद व्यवसाय एवं पेशा संहिता के खंड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 के साथ शुरू करते हुए) में परिभाषित हैं, जब एक योग्य रोगी या किसी योग्य रोगी का प्राथमिक देखभालकर्ता स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता की अनुभाग 11362.71 के अंतर्गत जारी अपना कार्ड तथा सरकार के द्वारा जारी मान्य पहचान कार्ड प्रस्तुत करता या करती है।

34012. (a) 1 जनवरी, 2018 से प्रभावी, एतद्वारा उन सभी कटाई किए गए उस मरिवाना पर कृषि कर लगाया जाता है जो उन व्यक्तियों जिनका मरिवाना उगाने के लिए व्यवसाय एवं पेशा संहिता के खंड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 के साथ आरंभ करते हुए) या व्यवसाय एवं पेशा संहिता के खंड 10 (अनुभाग 26000 के साथ आरंभ करते हुए) के अनुसार लाइसेंसशुदा होना आवश्यक है, पर वाणिज्यिक बाज़ार में प्रवेश करता है। यह कर मरिवाना की कटाई के बाद देय होगा।

(1) मरिवाना पुष्पों के लिए कर नौ डॉलर एवं पच्चीस सेंट ($9.25) प्रति शुष्क-भार औंस होगा।

(2) मरिवाना पत्तियों के लिए कर दो डॉलर एवं पचहत्तर सेंट ($2.75) प्रति शुष्क-भार औंस पर निर्धारित किया जाएगा।

(b) बोर्ड वार्षिक रूप से मरिवाना पत्तियों के लिए कर की दर को समायोजित कर सकता है ताकि मरिवाना फूलों से मरिवाना पत्तियों के आपेक्षिक मूल्य में उतार-चढ़ाव को प्रतिबिंबित किया जा सके।

(c) बोर्ड समय-समय पर कटाई किए गए मरिवाना के अन्य वर्गों की, असंसाधित या जमाए गए मरिवाना या अपरिपक्व पौधों या निर्माताओं तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंचाए गए मरिवाना के लिए वर्गों की स्थापना कर सकता है। इन वर्गों पर कर मरिवाना पुष्पों की तुलना में इनके आपेक्षिक मूल्य पर लगाया जाएगा।

(d) बोर्ड नियमन के द्वारा कृषि कर के भुगतान के लिए एक विधि एवं रूप नियत करेगा जो कर मुहरों या राज्य द्वारा जारी किए गए उत्पाद थैलों का उपयोग करता है जो यह सूचित करता है कि जिस उत्पाद पर कर की मुहर लगी है या जिसमें मरिवाना की पैकिंग की गई है, उस पर सभी आवश्यक करों का भुगतान किया जा चुका है ।

(e) कर की मुहरों एवं उत्पाद थैलों के डिज़ाइन, विनिर्देश एवं नामकरण वही होंगे जो बोर्ड के द्वारा निर्धारित किए गए हों, तथा किसी भी लाइसेंसधारी द्वारा व्यवसाय एवं पेशा संहिता के खंड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 के साथ आरंभ करते हुए) के अंतर्गत या व्यवसाय एवं पेशा संहिता के खंड 10 (अनुभाग 26000 के साथ आरंभ करते हुए) के अंतर्गत खरीदे जा सकते हैं।

(f) कर मुहर कार्यक्रम की स्थापना के उपरांत, बोर्ड नियमन के द्वारा यह प्रदान कर सकता है कि किसी भी लाइसेंसशुदा कृषि सुविधा से मरिवाना को हटाया नहीं जा सकता है या सार्वजनिक राजमार्ग पर परिवहन किया जा सकता है जब तक इसे राज्य के द्वारा जारी किए गए उचित नामकरण युक्त कर की मुहर लगे थैले में न रखा गया हो।

(g) कर मुहर एवं उत्पाद थैले स्कैनिंग या इसी प्रकार के उपकरण द्वारा पढ़े जाने योग्य होने चाहिए तथा व्यवसाय एवं पेशा संहिता की अनुभाग 26170 के अनुसार ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली के उपयोग द्वारा पता लगाने योग्य होने चाहिए।

(h) व्यक्ति जिन्हें मरिवाना उगाने के लिए व्यवसाय एवं पेशा संहिता के खंड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 से आरंभ करते हुए) या व्यवसाय एवं पेशा संहिता के खंड 10 (अनुभाग 26000 के साथ आरंभ करते हुए) के अनुसार लाइसेंसशुदा होना आवश्यक है, वे बोर्ड के द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार कर भुगतान हेतु उत्तरदायी होंगे। किसी भी मात्रा में मरिवाना की बिक्री नहीं की जा सकती जब तक कि इस भाग में प्रदत्त के अनुसार कर का भुगतान न किया जाए।

(i) किसान के परिसर से हटाये गए समस्त मरिवाना, वनस्पति अपशिष्ट को छोड़कर, को बिका हुआ अनुमानित किया जाएगा एवं फलस्वरूप इस अनुभाग के अंतर्गत वह कराधेय होगा।

(j) इस अनुभाग के द्वारा लगाया गया कर बोर्ड द्वारा लागू किए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार राज्य में उगाए गए समस्त मरिवाना पर लगाया जाएगा, परन्तु यह कर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के अनुभाग 11362.1 के अंतर्गत व्यक्तिगत उपयोग हेतु उगाए गए या अनुकम्पा उपयोग अधिनियम के अनुसार किसी योग्य रोगी या प्राथमिक देखभालकर्ता द्वारा उगाए गए मरिवाना पर लागू नहीं होगा।

(k) 1 जनवरी, 2020 से आरंभ होते हुए, उपखंड (a), (b) एवं (c) में निर्धारित दरों को इसके बाद से बोर्ड के द्वारा मुद्रास्फीति हेतु वार्षिक रूप से समायोजित किया जाएगा।

34013. (a) बोर्ड इस भाग के द्वारा शुल्क संग्रहण कार्यपद्धति कानून (खंड 2 के भाग 30 (अनुभाग 55001 से आरंभ करते हुए)) के अनुसार लगाए गए करों की व्यवस्था करेगा एवं उन्हें संग्रहीत करेगा। इस भाग के उद्देश्यों के लिए, शुल्क संग्रहण कार्यपद्धति कानून में "शुल्क" के लिए संदर्भों में इस भाग द्वारा लगाए गए कर शामिल होंगे, एवं "शुल्क भुगतानकर्ता" के लिए संदर्भों में वह व्यक्ति शामिल होगा जिसके लिए इस भाग के द्वारा लगाए गए कर का भुगतान करना या उसका संग्रहण करना आवश्यक है।

(b) बोर्ड इस भाग के प्रशासन एवं प्रवर्तन से संबंधित उन नियमों को निर्धारित, स्वीकृत, एवं लागू कर सकता है जिनमें संग्रहण, प्रतिवेदन, धन-वापसी, तथा पुनरावेदन शामिल हैं, परन्तु ये इन तक सीमित नहीं हैं।

(c) बोर्ड इस भाग में करों की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक नियमों एवं विनियमों का अभिग्रहण करेगा। इस प्रकार के नियमों एवं विनियमों में मरिवाना या मरिवाना के उत्पादों पर या उनके पैकेज पर नाम-पत्र लगाने के लिए विधियाँ या कार्यपद्धतियाँ शामिल हो सकती हैं ताकि पूर्व कर भुगतान को निर्दिष्ट किया जा सके।

(d) बोर्ड इस खंड के अंतर्गत अपने कर्तव्यों को कार्यान्वित करने, उनकी व्यवस्था करने एवं उन्हें लागू करने के लिए जैसा आवश्यक हो कोई भी आपातकालीन विनियम निर्धारित, स्वीकृत, तथा उन्हें लागू कर सकता है। इस अनुभाग के अनुसार नियत, स्वीकृत या लागू किया गया कोई भी आपातकालीन नियम सरकारी संहिता के शीर्षक 2 के खंड 3 के भाग 1 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 11340 से आरंभ करते हुए) के अनुसार अपनाया जाएगा एवं उस अध्याय के उद्देश्यों के लिए सरकारी संहिता की अनुभाग 11349.6 सहित इस नियम का स्वीकरण एक आपातकाल है एवं इसे जन शांति, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, तथा सामान्य कल्याण के तुरंत संरक्षण हेतु, जैसी आवश्यकता हो, प्रशासनिक विधि के कार्यालय के द्वारा विचार किया जा सकता है। कानून के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, बोर्ड के द्वारा अपनाये गए आपातकालीन नियम अपनाये जाने के दो वर्षों की अवधि के लिए व्यवहार में रह सकते हैं।

(e) जो भी व्यक्ति इस भाग के अंतर्गत लगाए गए करों का भुगतान करने में असफल होगा, वह भुगतान न किए गए करों के अतिरिक्त भुगतान न किए गए करों की राशि के कम से कम आधी राशि के जुर्माने के अधीन होगा, एवं व्यापार एवं पेशा संहिता की अनुभाग 26031 के या व्यापार एवं पेशा संहिता के खंड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 से आरंभ करते हुए) के अनुसार लाइसेंस रद्द किए जाने के अधीन होगा।

(f) बोर्ड ऐसी विधिक कार्यवाहियाँ कर सकता है जो भुगतान हेतु आवश्यक कर में किसी भी प्रकार की कमी को संग्रहीत करने के लिए आवश्यक हों, एवं बोर्ड के अनुरोध पर अटॉर्नी जनरल इन कार्यवाहियों को करेंगे।

34014. (a) जिन लोगों को मरिवाना या मरिवाना उत्पादों की खेती और खुदरा-विक्रय के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है, उन सबके लिए बोर्ड द्वारा स्वीकृत विनियमों के अनुसार बोर्ड से पृथक पर्मिट लेना अनिवार्य है । इस लाइसेंस को जारी करने के लिए किसी भी व्यक्ति से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा । कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए पर्मिट प्राप्त करना आवश्यक हो, और जो व्यापार एवं व्यवसाय संहिता के खंड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 से शुरू करते हुए) अथवा खंड 10 (अनुभाग 26000 से शुरू करते हुए) के अनुसार किसान, औषधालय, खुदरा व्यापारी, सूक्ष्म व्यापार अथवा लाभ-निरपेक्ष संगठन के रूप में बिना पर्मिट के अथवा पर्मिट के रद्द, निलंबित या निरस्त किये जाने के बाद व्यवसाय करता है, और इस प्रकार का व्यापार करने वाले किसी भी निगम का प्रत्येक अधिकारी छोटे अपराध का दोषी है।

(b) बोर्ड प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त औषधालय, किसान, सूक्ष्म व्यापार, लाभ-निरपेक्ष संगठन या अन्य व्यक्ति, जिसके लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है, को किसान, सूक्ष्म व्यापार, लाभ-निरपेक्ष संगठन या अन्य व्यक्ति द्वारा उगायी या प्राप्त की गई मरिवाना पर राज्य के मरिवाना से संबंधित कानून द्वारा लगाए गए टैक्स की देयता हेतु, बोर्ड द्वारा लागू की गईं प्रक्रियाओं के अनुसार सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुरक्षा कवर प्रदान करने की मांग कर सकता है। इसमें इसके विपरीत अर्थ वाली लिखी गई किसी भी ऐसी बात के बावजूद, बोर्ड इस द्वारा लगाई गई किसी भी सुरक्षा आवश्यकता का उपयुक्त कारण के लिए त्याग कर सकती है, जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है। "उपयुक्त कारण" में लाइसेंस प्राप्त करने की ज़रूरत वाले कृषक, सूक्ष्म व्यापार, लाभ-निरपेक्ष संगठन अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा सेवा प्रदाताओं कि कमी के कारण या सेवा प्रदाताओं की ऐसी नीतियों के कारण जो मरिवाना कारोबार को सेवा देने से मना करती है, लाइसेंस प्राप्त करने में अक्षमता शामिल है, लेकिन यह इस तक ही सीमित नहीं है। कोई व्यक्ति मरिवाना की खेती से संबंधित कोई भी व्यापार अथवा कार्य तब तक शुरू नहीं कर सकता या जारी नहीं रख सकता जब तक बोर्ड द्वारा व्यापार अथवा कार्य के संबंध में ज़रूरी किसी भी प्रतिभूति को इस भाग के अंतर्गत उचित प्रकार से तैयार, निष्पादित एवं प्रस्तुत न किया गया हो।

(c) बोर्ड द्वारा अनिवार्य किसी भी प्रतिभूति की राशि तय करते समय, बोर्ड उपलब्ध प्रतिभूति प्रदान करने वालों की किसी भी कमी के कारण लाइसेंसधारियों के समक्ष आने वाली उन सभी वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखेगा जिनका उन्हें सामना करना पड़ सकता है।

34015. (a) इस भाग द्वारा लागू किए गए मरिवाना उत्पाद कर एवं कृषि कर बोर्ड को त्रैमासिक आधार पर देय हैं व इनका भुगतान प्रत्येक तिमाही अवधि के बाद वाले महीने के अंतिम दिन को या उससे पहले किया जाना चहिए। प्रत्येक तिमाही के बाद वाले महीने के अंतिम दिन को या उससे पहले, प्रत्येक उस व्यक्ति को, जिसके लिए व्यापार एवं व्यवसाय संहिता के खंड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 से शुरू करते हुए) या खंड 10 (अनुभाग 26000 से शुरू करते हुए) के अंतर्गत कृषि अथवा खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करते हुए बोर्ड के समक्ष पिछली तिमाही का रिटर्न दायर करना होगा। रिटर्नों का सत्यापन एक फॉर्म में किया जाएगा या बोर्ड द्वारा सुझाई विधियों के अनुसार किया जाएगा। यदि अनुभाग 34012 के उपखंड (d) के अनुसार कृषि कर मुद्रांक द्वारा चुकाया जाता है तो विनियम अनुसार बोर्ड यह सुनिश्चित कर सकता है कि कर का भुगतान कब और कैसे किया जाएगा।

(b) बोर्ड मरिवाना व मरिवाना-उत्पादों की खेती, वितरण या खुदरा बिक्री से जुड़े उस प्रत्येक व्यक्ति से, जिसके लिए व्यापार एवं व्यवसाय संहिता के खंड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 से शुरू करते हुए) या खंड 10 (अनुभाग 26000 से शुरू करते हुए) के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है, से प्रत्येक महीने की 25 तारीख को या उससे पहले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करते हुए, पिछले महीने की वस्तुसूची, क्रय, एवं विक्रय और इस भाग के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बोर्ड द्वारा ज़रूरी कोई भी अन्य जानकारी की रिपोर्ट दायर करने की मांग कर सकता है। रिपोर्टों का सत्यापन एक फॉर्म में किया जाएगा या बोर्ड द्वारा सुझाई विधियों के अनुसार किया जाएगा।

34016. (a) बोर्ड का कोई भी शांति अधिकारी अथवा बोर्ड का कोई भी ऐसा कर्मचारी जिसे दंड संहिता के अनुभाग 830.11 के उपखंड (a) के पैरा (6) के अनुसार शांति अधिकारी का सीमित पद प्रदान किया गया है, को उपयुक्त परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर, पैरा (3) में बताये गए अनुसार किसी भी स्थान में दाखिल होने एवं इससे अगले पैरों में दिए गए अनुसार का निरीक्षण करने का अधिकार है।

(1) निरीक्षण एक यथोचित ढंग से एवं ऐसे समयों पर, जो परिस्थितियों के उपयुक्त हों और जिस स्थान में दाखिल होना है उसके आम कारोबारी समय को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे।

(2) निरीक्षण किसी भी ऐसे स्थान पर किए जा सकते हैं जहाँ मरिवाना अथवा मरिवाना के उत्पाद खरीदारों को बेचे जाते हैं, उगाये जाते है अथवा संभाल कर रखे जाते हैं या ऐसी किसी भी जगह पर किए जा सकते हैं जहां कर चोरी की गतिविधियों का सबूत मिल सकता है।

(3) निरीक्षणों का आग्रह किया जाएगा अथवा 24-घंटों में एक बार से अधिक नहीं किए जाएँगे।

(b) ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निरीक्षण करने की अनुमति देने असफल रहता है अथवा निरीक्षण करने की अनुमति देने से इन्कार करता है एक छोटे अपराध का

दोषी होगा। प्रत्येक अपराध के लिए अधिकतम पाँच हज़ार डॉलर ($5,000) के जुर्माना का दंड लगाया जा सकता है, अथवा किसी काउंटी जेल में अधिकतम एक वर्ष की कैद हो सकती है, अथवा जुर्माना व कैद दोनों हो सकते हैं। अदालत निर्धारित किए गए किसी भी जुर्माना को California मरिवाना टैक्स फंड में जमा कराने का आदेश दे सकती है।

(c) बोर्ड अथवा किसी कानून प्रवर्तन संस्था को यह पता लगने पर कि कोई लाइसेंसधारी अथवा कोई भी अन्य व्यक्ति जिसके पास मरिवाना अथवा मरिवाना-उत्पाद हों, जो इन्हें संभाल कर रखता हो, इनका मालिक हो अथवा जिसने इनका खुदरा-विक्रय किया हो, जिसके पास कर की अदायगी का सबूत हो या इन्हें सुरक्षित पैकेजिंग में बंद किया गया हो तो बोर्ड अथवा कानून प्रवर्तन एजेंसी को मरिवाना या मरिवाना-उत्पाद जब्त करने की अनुमति दी जाएगी। कानून प्रवर्तन एजेंसी या बोर्ड द्वारा पकड़ी गई मरिवाना अथवा मरिवाना उत्पाद को सात दिन के अंदर जब्त कर लिया गया मान लिया जाएगा और बोर्ड अनुभाग 30436 से लेकर 30449 तक, दोनों सहित, में दी गई प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

(d) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो झूठी अथवा कपटपूर्ण रिपोर्ट जमा कराता है, एक छोटे अपराध का दोषी है और प्रत्येक अपराध के लिए अधिकतम एक हज़ार डॉलर ($1,000) के जुर्माना के अंतर्गत आएगा।

(e) इस भाग के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन, बशर्ते इस विषय में कोई और प्रावधान न हो, एक छोटा अपराध है एवं इसके लिए इसी अनुसार दंड दिया जा सकता है।

(f) इस भाग के अंतर्गत बोर्ड को दिया गया पूरा धन California मरिवाना टैक्स फंड के खाते में जाएगा।

34017. विधायी विश्लेषक का कार्यालय 1 जनवरी 2020 तक विधानमंडल को एक रिपोर्ट जमा कराएगा जिसमें अवैध बाज़ार के मूल्यों को नीचे गिराने एवं 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा उपयोग को रोकने के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कर की दर के समायोजन हेतु, और साथ ही यह सुनिश्चित करते हुए कि अनुभाग 34019 में पहचाने गए कार्यक्रमों उनके लिए पर्याप्त राजस्व पैदा किया जाए, सुझाव शामिल होंगे।

34018. (a) एतद्वारा राज्य कोष में California मरिवाना टैक्स फंड बनाया जाता है। टैक्स फंड में सभी कर, ब्याज, जुर्माने और इस भाग के अनुसार बोर्ड द्वारा एकत्रित की गईं अन्य राशियां शामिल होंगी, जिनमें से धन वापसियों को घटा दिया जाएगा।

(b) किसी अन्य कानून के बावजूद, California का मरिवाना टैक्स फंड एक विशेष व्यापार ट्रस्ट फंड है जिसे केवल वयस्कों द्वारा मरिवाना के सेवन पर नियंत्रण, विनियमन और टैक्स अधिनियम के उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया है, और फंड द्वारा कमाए गए ब्याज अथवा लाभांश के साथ, कर फंड में जमा किए गए सभी राजस्व, वित्तीय वर्ष पर ध्यान दिए बिना, एतद्वारा वयस्कों द्वारा मरिवाना के सेवन पर नियंत्रण, विनियमन और टैक्स अधिनियम के उद्देश्यों के लिए लगातार विनियोजन किए जाते हैं और इन्हें केवल इस भाग के प्रावधानों और इसके उद्देश्यों के अनुसार ही खर्च किया जाएगा।

(c) किसी भी अन्य कानून के बावजूद, इस भाग द्वारा लागू किए गए करों एवं उससे होने वाली आय, जिसमें निवेश पर मिलने वाला ब्याज शामिल है, को सामान्य फंड का हिस्सा नहीं माना जाएगा जैसा कि इस पद को सरकारी संहिता के खंड 4 के भाग 2 के अध्याय 1 (अनुभाग 16300 से शुरू करते हुए) में इस्तेमाल किया गया है, California संविधान के अनुच्छेद XVI के अनुभाग 8 के उद्देश्यों के लिए सामान्य फंड नहीं माना जाएगा, और California संविधान के अनुच्छेद XVI के अनुभाग 8 के उपखंड (a) व (b) व इसके लागू करने वाले कानूनों के उद्देश्यों हेतु इन्हें "धन" नहीं माना जाएगा।

34019. (a) वित्तीय वर्ष 2017-2018 से शुरू करते हुए वित्त विभाग अनुभाग 34011 और 34012 के अनुसार प्राप्त होने वाले राजस्व का अनुमान लगाएगा और यह अनुमान प्रत्येक वर्ष के 15 जून तक नियंत्रक को प्रदान करेगा। नियंत्रक इस धारा के अनुसार इन निधियों का व्यय करते समय इन अनुमानों का उपयोग करेगा। इस अनुभाग के उपखंडों (b), (c), (d), और (e) के अनुसार फंड को संवितरित करने से पहले नियंत्रक वित्त-वर्ष पर ध्यान दिए बिना कर फंड से निम्नलिखित को उपयुक्त खाते में संवितरित करेगा:

(1) इस भाग के अनुसार लगाए गए टैक्स देने व एकत्र करने के लिए बोर्ड द्वारा उठाए गए उचित खर्च; बशर्ते कि, वे खर्च प्राप्त किए गए टैक्स राजस्व के 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(2) व्यापार एवं व्यवसाय संहिता के खंड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 से शुरू करते हुए) और व्यापार एवं व्यवसाय संहिता के खंड 10 (अनुभाग 26000 से शुरू करते हुए) के कार्यान्वयन, इसे प्रभाव में लाने और लागू करने के लिए ब्यूरो, उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं कृषि विभाग और राज्य जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा उस मात्रा तक उठाए गए उचित खर्च, जिन खर्चों के लिए व्यापार एवं व्यवसाय संहिता के अनुभाग 26180 के अनुसार अथवा व्यापार एवं व्यवसाय संहिता के खंड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 से शुरू करते हुए) के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता। यह पैरा वित्त वर्ष 2022–2023 में प्रभावी रहेगा।

(3) व्यापार एवं व्यवसाय संहिता के खंड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 से शुरू करते हुए) अथवा खंड 10 (अनुभाग 26000 से शुरू करते हुए) के अंतर्गत मत्स्य एवं वन्यजीव विभाग, राज्य जल संसाधन नियंत्रण बोर्ड और कीटनाशक विनियमन विभाग द्वारा अपने विशेष कार्य करने के लिए उस मात्रा तक उठाए गए उचित खर्च, जिनके लिए अन्य प्रकार से भुगतान नहीं किया जाता।

(4) वयस्कों द्वारा मरिवाना के सेवन पर नियंत्रण, विनियमन और टैक्स अधिनियम के अनुसार लागू किए गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए नियंत्रक द्वारा उठाए गए उचित खर्च, अनुभाग 34020 द्वारा आवश्यक ऑडिट सहित।

(5) व्यापार एवं व्यवसाय संहिता अनुभाग 26191 के अनुसार प्रदर्शन ऑडिट करने के लिए राज्य लेखा परीक्षक द्वारा उठाए गए उचित खर्च।

(6) अनुभाग 34017 द्वारा लागू किए गए प्रदर्शन करों के लिए विधायी विश्लेषक कार्यालय द्वारा उठाए गए उचित खर्च।

(7) व्यापार एवं व्यवसाय संहिता के खंड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 से शुरू करते हुए) और खंड 10 (अनुभाग 26000 से शुरू करते हुए) के अंतर्गत लाइसेंसधारियों के लिए राज्य मजदूर कानून को प्रयोग में लाने व इसे लागू करने के खर्चों के लिए श्रम मानक प्रवर्तन प्रभाग तथा औद्योगिक संबंध विभाग के अंदर व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रभाग तथा रोजगार विकास विभाग को भुगतान करने के लिए पर्याप्त फंड।

(b) वयस्कों द्वारा मरिवाना के सेवन पर नियंत्रण, विनियमन और टैक्स अधिनियम को प्रभाव में लाने और लागू करने के संबंध में शोध एवं मूल्यांकन करने के लिए वित्त वर्ष 2018–2019 से शुरू करते हुए वित्त वर्ष 2028–2029 तक वार्षिक रूप से California में सरकारी यूनिवर्सिटी अथवा यूनिवर्सिटियों को दस मिलियन डॉलर ($10,000,000) की राशि का अगला भुगतान करेगा और यदि उचित हो, तो वयस्कों द्वारा मरिवाना के सेवन पर नियंत्रण, विनियमन और टैक्स अधिनियम में संभव संशोधन करने के संबंध में विधानमंडल और गवर्नर को सिफारिशें करेगा। इन फंडों के प्राप्तकर्ता कम से कम प्रत्येक दो वर्ष में अपने निष्कर्षों पर रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगे और जनता के लिए रिपोर्टें उपलब्ध कराएंगे। ब्यूरो उन यूनिवर्सिटियों का चयन करेगा, जिन्हें फंड दिया जाना है। इस उपखंड के अनुसार वित्तपोषित शोध में निम्न शामिल होगा, लेकिन आवश्यक रूप से इस तक सीमित नहीं होगा:

(1) मरिवाना के प्रयोग से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव, इससे जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खर्चों सहित, साथ ही यह कि मरिवाना का प्रयोग अल्कोहल अथवा अन्य नशीले पदार्थों के प्रयोग के बढ़ने या घटने से तो जुड़ा हुआ नहीं है।

(2) मरिवाना के गलती से अनुकूल प्रयोग का प्रभाव और भिन्न इलाज कार्यक्रमों की प्रभावकारिता।

(3) मरिवाना के प्रयोग से संबंधित लोगों की सुरक्षा संबंधी मुद्दे, मरिवाना व

64

मरिवाना के उत्पादों तक नाबालिगों की पहुंच और इनके प्रयोग को रोकने पर बनाए गए अधिनियम में दी गईं पैकेजिंग और लेबल लगाने की शर्तें व विज्ञापन एवं मार्केटिंग प्रतिबंधों की प्रभावकारिता की जांच-पड़ताल करने और मरिवाना व मरिवाना के उत्पादों के भिन्न प्रबलता स्तरों के उपयोगकर्ताओं में स्वास्थ्य-संबंधी प्रभावों की जांच-पड़ताल करने सहित।

(4) वयस्कों एवं युवाओं की मरिवाना के प्रयोग की दर, गलती से अनुकूल प्रयोग की दर और मरिवाना-संबंधी नशीले पदार्थों के प्रयोग के विकारों की निदान दर।

(5) मरिवाना की बाज़ार में कीमत, अवैध बाज़ार में कीमत, टैक्स स्वरूप एवं दर, इस मूल्यांकन सहित कि मरिवाना की प्रबलता व लाइसेंसधारी मरिवाना के व्यवसायियों की संरचना व कार्यों के आधार पर मरिवाना पर बेहतर ढंग से टैक्स कैसे लगाया जाए।

(6) क्या गैर चिकित्सीय मरिवाना उद्योग में अवैध एकाधिकार अथवा प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी व्यवहार को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है और, यदि हां, तो उस व्यवहार को रोकने के लिए सबसे अधिक प्रभावी उपायों संबंधी सिफारिशें।

(7) निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में आर्थिक प्रभाव, जिनमें शामिल हैं, लेकिन आवश्यक रूप से इन तक सीमित नहीं हैं, नौकरी के अवसर उत्पन्न करना, कार्यस्थल की सुरक्षा, राजस्व, राज्य एवं स्थानीय बजट के लिए उत्पन्न किए गए टैक्स और आपराधिक न्याय प्रभाव, जिनमें शामिल हैं, लेकिन आवश्यक रूप से इन तक सीमित नहीं हैं, लॉ एन्फोर्समेंट एवं सरकारी संसाधनों पर प्रभाव, आपराधिक न्याय प्रणाली में शामिल होने के छोटी व लंबी अवधि के परिणाम और राज्य एवं स्थानीय सरकारी एजेंसी प्रशासनीय खर्च व राजस्व।

(8) क्या वयस्कों द्वारा मरिवाना के सेवन पर नियंत्रण, विनियमन और टैक्स अधिनियम को प्रभाव में लाने और लागू करने के लिए काम करने वाली नियामक एजेंसियां ऐसा अधिनियम के उद्देश्यों के अनुसार कर रही हैं, और क्या भिन्न एजेंसियां ऐसा अधिक प्रभावी रूप से कर सकती हैं।

(9) मरिवाना के उत्पादन एवं मरिवाना की आपराधिक रोक संबंधी पर्यावरणीय मुद्दे।

(10) लाइसेंसधारी मरिवाना के व्यवसायियों के भौगोलिक स्थान, संरचना व कार्य और जनसांख्यिकी संबंधी डेटा, जिसमें शामिल है लाइसेंस धारकों की जाति, जातीयता और लिंग।

(11) मरिवाना-संबंधी अपराधों के लिए वयस्कों द्वारा मरिवाना के सेवन पर नियंत्रण, विनियमन और टैक्स अधिनियम के अंतर्गत दिए गए आपराधिक दंड में बदलाव करके प्राप्त नतीजे और नाबालिग न्याय प्रणाली के नतीजे, विशेषकर, परिवीक्षा-आधारित इलाज और अवैध रूप से मरिवाना या मरिवाना के उत्पाद रखने के किसी गंभीर अपराध के लिए बार-बार अतिरिक्त चार्ज लगाना।

(c) नियंत्रक यह निर्धारित करने के लिए कि कब कोई ड्राइवर नशे के प्रभाव में होने के दौरान किसी वाहन को चला रहा होता है, मरिवाना या मरिवाना के उत्पादों के प्रयोग के प्रभाव में होने सहित, प्रोटोकॉल स्थापित करने व उन्हें अपनाने के लिए तथा लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसियों की सहायता के लिए बेहतर विधियों में दिए गए प्रोटोकॉल स्थापित करने व उन्हें अपनाने के लिए वित्त वर्ष 2018–2019 से शुरू करते हुए वित्त वर्ष 2022–2023 तक वार्षिक रूप से California हाईवे पैट्रोल विभाग को तीन मिलियन डॉलर ($3,000,000) की राशि का अगला भुगतान करेगा। विभाग इस उपखंड में निर्दिष्ट प्रोटोकॉल स्थापित करने के लिए कर्मचारियों को काम पर रख सकता है। इसके अलावा, विभाग यह निर्धारित करने के लिए तकनीक विकसित करने के उद्देश्य के लिए सरकारी एवं निजी शोध संस्थानों को अनुदान दे सकता है कि कब कोई ड्राइवर नशे के प्रभाव में होने के दौरान किसी वाहन को चला रहा होता है, मरिवाना या मरिवाना के उत्पादों के प्रयोग के प्रभाव में होने सहित।

(d) नियंत्रक स्थानीय स्वास्थ्य विभागों को एक समुदाय पुर्ननिवेश अनुदान कार्यक्रम को प्रभाव में लाने के लिए और कम से कम 50 प्रतिशत योग्य समुदाय-आधारित गैर लाभ संस्थाओं को नौकरी प्लेसमेंट, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इलाज, नशीले पदार्थों का सेवन विकार के इलाज, प्रणाली संचालन सेवाओं, दुबारा प्रवेश की बाधाओं का पता लगाने के लिए कानूनी सेवाओं और पिछली संघीय एवं राज्य की नशीले पदार्थों संबंधी नीतियों से अनुपातहीन रूप से प्रभावित समुदायों के लिए चिकित्सीय देखभाल के लिए संयोजनों में सहयोग के लिए, श्रम और कार्यबल विकास एजेंसी और राज्य के सामाजिक सेवा विभाग के साथ परामर्श करके, गवर्नर का व्यापार और आर्थिक विकास के कार्यालय को, वित्त वर्ष 2018–2019 से शुरू करते हुए दस मिलियन डॉलर ($10,000,000) और उसके बाद वित्त वर्ष 2022–2023 तक प्रत्येक वित्त वर्ष को लगातार दस मिलियन डॉलर ($10,000,000) की राशि का अगला भुगतान करेगा, उस समय में उसके बाद प्रत्येक वर्ष भुगतान की राशि पचास मिलियन डॉलर ($50,000,000) हो जाएगी। कार्यालय अनुदान कार्यक्रम की व्यवस्था के संबंध में संबंधित विशेषज्ञता वाली सामुदाय-आधारित नौकरी कुशलताओं, नौकरी प्लेसमेंट और कानूनी सेवा प्रदाताओं से सहयोग की मांग करेगा। इसके अलावा, कार्यालय समय-समय पर कार्यक्रमों की प्रभावकारिता को निर्धारित करने के लिए उन कार्यक्रमों का मूल्यांकन करेगा, जिन्हें यह फंड देता है, यह कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, मूल्यांकन और निगरानी से संबंधित प्रशासकीय खर्चों के लिए 4 प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं करेगा और वार्षिक रूप से अनुदान प्रदान करेगा, जो 1 जनवरी, 2020 तक शुरू होगा।

(e) नियंत्रक फार्माकोलॉजिकल एजेंट के रूप में मरिवाना की प्रभावकारिता और प्रतिकूल प्रभावों की बढ़ी हुई जानकारी सहित केंद्र के उद्देश्यों को आगे ले जाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ California के San Diego औषधीय भांग अनुसंधान के लिए केंद्र को वार्षिक रूप से दो मिलियन डॉलर ($2,000,000) की राशि का अगला भुगतान करेगा।

(f) वित्त वर्ष 2018–2019 से शुरू करते हुए प्रत्येक वित्त वर्ष की 15 जुलाई तक, नियंत्रक उपखंडों (a), (b), (c), (d) एवं (e) के अनुसार फंडों का भुगतान करने के बाद, सब-ट्रस्ट खातों में पिछले वित्त वर्ष के दौरान के टैक्स फंड में जमा फंडों का भुगतान करेगा, जो यहां निम्न प्रकार से बनाए गए हैं:

(1) साठ प्रतिशत राशि युवा शिक्षा, रोकथाम, जल्दी हस्तक्षेप और इलाज खाते में जमा की जाएगी और नियंत्रक द्वारा युवाओं हेतु उन कार्यक्रमों के लिए राज्य स्वास्थ्य देखभाल सेवा विभाग को दी जाएगी, जो उन्हें नशीले पदार्थों का सेवन विकारों के बारे में जानकारी देने और उनकी रोकथाम करने के लिए और नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए तैयार किए गए हैं। राज्य स्वास्थ्य देखभाल सेवा विभाग इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन व प्रबंध करने के लिए राज्य जन स्वास्थ्य विभाग और राज्य शिक्षा विभाग के साथ कई एजेंसियों के साथ अनुबंध करेगा। कार्यक्रमों में युवाओं, उनके परिवार और उनके देखभालकर्ताओं के लिए सही जानकारी, प्रभावी रोकथाम, जल्दी हस्तक्षेप, उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जारी रखने और समय पर इलाज सेवाओं पर ज़ोर दिया जाएगा। कार्यक्रमों में निम्न तत्व शामिल होंगे, लेकिन ये इन तक सीमित नहीं हैं:

(A) रोकथाम एवं जल्दी हस्तक्षेप सेवाओं में शामिल हैं नशीले पदार्थों के सेवन संबंधी जोखिमों और समस्यात्मक सेवन के आरंभिक संकेतों व नशीले पदार्थों का सेवन विकारों की पहचान और उन्हें कम करने के लिए युवाओं, उनके परिवारों, देखभालकर्ताओं, स्कूलों, प्राइमरी देखभाल स्वास्थ्य प्रदाताओं, व्यवहार संबंधी स्वास्थ्य एवं नशीले पदार्थों का सेवन विकार सेवा प्रदाताओं, सामुदायिक और विश्वास-आधारित संस्थाओं, पालन पोषण संबंधी देखभाल प्रदाताओं, नाबालिग एवं पारिवारिक न्यायालयों और अन्य तक पहुंच, जोखिम सर्वेक्षण व जानकारी।

(B) उन विद्यार्थियों को सहयोग करके, जो स्कूल छोड़ने के जोखिम पर हैं और निलंबन अथवा निकाले जाने के लिए विकल्पों को बढ़ावा देकर, जो स्कूल अवरोधन, इलाज और पेशेवर देखभाल पर केंद्रित हों, नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने व कम करने के लिए और स्कूल अवरोधन एवं प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए तैयार किए गएविद्यार्थी सहायता कार्यक्रम अथवा अन्य ऐसे ही कार्यक्रमों को विकसित करने व सहयोग देने के लिए स्कूलों को अनुदान। जिन स्कूलों में बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर औसत से अधिक है, उन्हें प्राथमिक रूप से अनुदान दिया जाएगा।

(C) नशीले पदार्थों के विकारों वाले बेघर युवाओं व स्कूल-न-जाने वाले युवाओं

के लिए पहुंच, शिक्षा व इलाज के लिए कार्यक्रमों हेतु अनुदान।

(D) उन युवाओं और उनके परिवारों व देखभालकर्ताओं के लिए काउंटी के व्यवहार संबंधी स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा प्रदान की जाने वाली देखभाल तक पहुंच एवं संयोजन, जिन्हें नशीले पदार्थों का सेवन विकार है या जिन्हें नशीले पदार्थों का सेवन विकार विकसित होने का जोखिम है।

(E) युवा-केंद्रित नशीले पदार्थों का सेवन विकार का इलाज कार्यक्रम, जो सांस्कृतिक और लिंग सक्षम हैं, मानसिक आघात के बारे में सूचित करते हैं, प्रमाण-आधारित हैं और निरंतर देखभाल प्रदान करते हैं, जिसमें शामिल है, स्क्रीनिंग व मूल्यांकन (नशीले पदार्थों का सेवन विकार के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य), जल्दी हस्तक्षेप, सक्रिय इलाज, परिवार की भागीदारी, केस प्रबंधन, ज़रूरत से अधिक खुराक की रोकथाम, नशीले पदार्थों के सेवन संबंधी संक्रामक रोगों की रोकथाम, नशीले पदार्थों के सेवन के लिए पूर्व अवस्था प्राप्त करने हेतु प्रबंधन और अन्य सहवर्ती व्यवहार संबंधी स्वास्थ्य विकार, व्यावसायिक सेवाएं, साक्षरता सेवाएं, परवरिश कक्षाएं, पारिवारिक थेरेपी और काउंसलिंग सेवाएं, दवाई-सहायता प्राप्त इलाज, मनोचिकित्सा दवाई और साइकोथेरेपी। जब सूचित किया गया हो, तो अन्य प्रदाताओं को रेफरल किए जाने आवश्यक हैं।

(F) कानून द्वारा अनुमति दिए होने की सीमा तक और जहां सूचित किया गया है, हस्तक्षेप में युवाओं व वयस्कों का एक साथ इलाज करने की क्षमता के साथ नशीले पदार्थों का सेवन विकारों का पता लगाने के लिए एक दो-पीढ़ी दृष्टिकोण का उपयोग किया जाएगा। इसमें परिवार-आधारित हस्तक्षेप के विकास को सहयोग करना शामिल होगा, जो परिवारों, जिनमें शामिल हैं माता-पिता, परवरिश करने वाले माता-पिता, देखभालकर्ता एवं उनके सभी बच्चे, के संदर्भ में नशीले पदार्थों का सेवन विकार और संबंधित समस्याओं का पता लगाता है।

(G) नशीले पदार्थों का सेवन विकार का निदान होने या नशीले पदार्थों का सेवन विकार संबंधी सेवाओं की खोज करने सहित नशीले पदार्थों के सेवन से जुड़े कलंक को कम करने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं के साथ-साथ उनके परिवारों और दोस्तों की सहायता के लिए कार्यक्रम। इसमें कलंक को कम करने के लिए समकक्ष व्यक्तियों द्वारा संचालित पहुंच एवं जानकारी, कलंक-विरोधी अभियान और सामुदायिक बहाली नेटवर्क शामिल हैं।

(H) कार्यबल प्रशिक्षण और मजदूरी संरचनाएं, जो नशीले पदार्थों का सेवन विकार की रोकथाम और इलाज विशेषज्ञता के साथ व्यवहार संबंधी स्वास्थ्य स्टाफ के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाती हैं। निरंतर शिक्षा एवं कोचिंग प्रदान करना, जो नशीले पदार्थों का सेवन के इलाज प्रदाताओं की मुख्य क्षमताओं को बढ़ाती है और प्रदाताओं को आशाजनक एवं प्रमाण-आधारित पद्धतियों पर प्रशिक्षण देती है।

(I) समुदाय-आधारित युवा इलाज केंद्रों का निर्माण।

(J) विभाग सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रत्येक काउंटी के व्यवहार संबंधी स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ अनुबंध कर सकते हैं।

(K) काउंटियों को फंडों का आवंटन दर्शाई गई आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा, जिसमें शामिल है काउंटी में युवाओं की संख्या, वयस्कों में नशीले पदार्थों का सेवन विकारों की व्यापकता और जनसांख्यिकीय संबंधी डेटा, विधिमान्य मूल्यांकनों अथवा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के माध्यम से पुष्टि, जो लागू काउंटी द्वारा आवश्यकता को दर्शाने और प्रमाणिक बनाने के लिए तैयार की गई थीं।

(L) विभाग समय-समय पर कार्यक्रमों की प्रभावकारिता को निर्धारित करने के लिए उन कार्यक्रमों का समय-समय पर मूल्यांकन करेंगे, जिन्हें वे फंड दे रहे हैं।

(M) विभाग कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, मूल्यांकन और निरीक्षण से संबंधित प्रशासकीय खर्चों के लिए युवा शिक्षा, रोकथाम, जल्दी हस्तक्षेप और इलाज खाते को आवंटित किए गए धन की 4 प्रतिशत तक की राशि का प्रयोग कर सकता है।

(N) यदि वित्त विभाग कभी भी यह निर्धारित करता है कि मरिवाना टैक्सेशन के अनुसार फंडिंग राज्य में युवा निवारण और इलाज सेवाओं के लिए मांग से अधिक है, तो विभाग वयस्कों के साथ-साथ इन फंडों का प्रयोग करने वाले युवाओं के लिए इलाज सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्त विभाग के लिए एक योजना प्रदान करेंगे।

(O) विभाग इस पैरा के अनुसार किए गए किसी भी अनुदान के इस्तेमाल के संबंध में स्वैच्छिक स्वास्थ्य संस्थाओं, उन चिकित्सकों, जो व्यसन का इलाज करते हैं, इलाज शोधकर्ताओं, पारिवारिक थेरेपी एवं काउंसलिंग प्रदाताओं व संबंधित विशेषज्ञता वाली पेशेवर शिक्षा एसोसिएशनों से सहयोग की मांग करेगा।

(2) बीस प्रतिशत राशि पर्यावरण बहाली और सुरक्षा खाते में जमा की जाएगी और नियंत्रक द्वारा निम्न प्रकार से दी जाएगी:

(A) मरिवाना की खेती और संबंधित गतिविधियों, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं, वह क्षति, जो इस भाग के अधिनियमन से पहले हुई, से प्रभावित जलविभाजकों में पर्यावरण संबंधी क्षति के शुद्धिकरण, इलाज एवं बहाली के लिए मत्स्य एवं वन्यजीव विभाग और पार्क एवं मनोरंजन विभाग को इस उद्देश्य के लिए स्थानीय साझेदारों को सहयोग देने के लिए। मत्स्य एवं वन्यजीव विभाग और पार्क एवं मनोरंजन विभाग इस पैरा में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुदान के माध्यम से पर्यावरण बहाली और सुरक्षा खाते से प्राप्त होने वाले फंड के एक भाग का वितरण कर सकता है।

(B) राज्य के स्वामित्व वाले वन्यजीवन निवास क्षेत्रों और राज्य की पार्क इकाइयों के प्रबंधन और संचालन के लिए इस विधि से, जो सरकारी भूमि पर मरिवाना या मरिवाना उत्पादों की अवैध खेती, उत्पादन, बिक्री और प्रयोग को समर्थन देने से इन्कार करती है रोकती है और सरकारी भूमि पर मरिवाना और उसके उत्पादों की अवैध खेती, उत्पादन, बिक्री और प्रयोग की जांच, प्रवर्तन और फौजदारी के मुकदमे की सुविधा प्रदान करने के लिए मत्स्य एवं वन्यजीव विभाग और पार्क एवं मनोरंजन विभाग को।

(C) इन अपराधों की जांच, प्रवर्तन और फौजदारी के मुकदमे की सुविधा प्रदान करने के लिए और संपूर्ण राज्य में मछली तथा वन्यजीवन निवास पर मरिवाना की खेती, उत्पादन, बिक्री एवं प्रयोग के प्रतिकूल प्रभावों की कमी को सुनिश्चित करने के लिए मछली और जंगली जानवर संहिता के अनुभाग 12029 के उपखंडों (b) एवं (c) के अनुसार स्थापित जलविभाजक प्रवर्तन कार्यक्रम और बहुएजेंसी कार्यदल को फंड देने में सहायता करने के लिए मत्स्य एवं वन्यजीव विभाग को।

(D) इस पैरा के उद्देश्यों के लिए, नेचुरल रिसोर्सिज एजेंसी का सेक्रेटरी विभागों के बीच राजस्व का आवंटन निर्धारित करेगा। कार्यान्वयन के पहले पांच वर्षों के दौरान, पहला मुआवजा उपपैरा (A) में निर्दिष्ट फंडिंग उद्देश्यों के लिए दिया जाएगा।

(E) इस पैरा के अनुसार आवंटित किए गए फंड उपपैरा (A), (B) एवं (C) में वर्णित गतिविधियों की प्रगति एवं उन्हें बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाएंगे और इन उद्देश्यों के लिए अन्य फंडिंग के आवंटन में नहीं बदले जाएंगे। इसके अनुसार, मत्स्य एवं वन्यजीव विभाग व पार्क एवं मनोरंजन विभाग के लिए वार्षिक जनरल फंड विनियोजन में 2014 के बजट एक्ट (2014 के अधिनियम के अध्याय 25) में दिए गए स्तरों से नीचे कटौती नहीं की जाएगी।

(3) बीस प्रतिशत राशि स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट लॉ एन्फोर्समेंट अकाउंट में जमा की जाएगी और नियंत्रक द्वारा निम्न प्रकार से दी जाएगी:

(A) अल्कोहल एवं अन्य नशीले पदार्थों के प्रभाव में होने पर ड्राइविंग, मरिवाना के प्रभाव में होने पर ड्राइविंग करने सहित, का पता लगाने, परीक्षण करने और कानून लागू करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम करने हेतु California हाईवे पैट्रोल विभाग को। विभाग इस पैरा में निर्दिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम करने के लिए कर्मचारियों को काम पर रख सकता है।

(B) अल्कोहल एवं अन्य नशीले पदार्थों, मरिवाना सहित, के प्रभाव में होने पर ड्राइविंग से संबंधित जानकारी, रोकथाम एवं कानून लागू करने के लिए अंदरूनी California हाईवे पैट्रोल कार्यक्रमों को फंड देने के लिए और योग्य गैर लाभ संस्थाओं व स्थानीय सरकारों को अनुदान देने के लिए; उन कार्यक्रमों को, जो ट्रैफिक कानूनों को लागू करने, लोगों को ट्रैफिक सुरक्षा के बारे में जानकारी देने, टक्कर लगने से मृत्यु, चोटों और आर्थिक हानि को कम करने के भिन्न एवं प्रभावी

साधन प्रदान करने में सहायता करते हैं; और अल्कोहल एवं अन्य नशीले पदार्थों, मरिवाना सहित, के प्रभाव में होने पर ड्राइविंग से संबंधित कानूनों को लागू करने संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए California हाईवे पैट्रोल विभाग को।

(C) वयस्कों द्वारा मरिवाना के सेवन पर नियंत्रण, विनियमन और टैक्स अधिनियम के कार्यान्वयन से जुड़ी लोगों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर ध्यान देने वाली लॉ एन्फोर्समेंट, आग से सुरक्षा अथवा अन्य स्थानीय कार्यक्रमों की सहायता के लिए स्थानीय सरकारों को अनुदान देने के लिए राज्य और समुदाय सुधार मंडल बोर्ड को। बोर्ड उन स्थानीय सरकारों को अनुदान नहीं देगा, जिन्होंने खेती पर रोक लगाई है, हेल्थ एंड सेफ्टी कोड के अनुभाग 11362.2 के उपखंड (b) के पैरा (3) के अंतर्गत निजी खेती अथवा व्यापार एवं व्यवसाय संहिता के या जैसा कि कानून द्वारा अन्य प्रकार से दिया गया हो, के अनुभाग 26200 के अनुसार मरिवाना या मरिवाना के उत्पादों की खुदरा बिक्री सहित।

(D) इस पैरा के उद्देश्यों के लिए, वित्त विभाग एजेंसियों के बीच राजस्व के आवंटन को निर्धारित करेगा; बशर्ते कि, वित्त वर्ष 2022–2023 की शुरूआत में, उपपैरा (A) के अनुसार आवंटित की गई राशि वार्षिक रूप से दस मिलियन डॉलर ($10,000,000) से कम नहीं होगी और उपपैरा (B) के अनुसार आवंटित की गई राशि वार्षिक रूप से चालीस मिलियन डॉलर ($40,000,000) से कम नहीं होगी। इस पैरा के अनुसार, वित्त वर्ष 2022–2023 से पहले आवंटित की जाने वाली निर्धारित करने में, वित्त विभाग उपपैरा (A) के लिए आरंभिक प्राथमिकता बताएगा।

64

(g) उपखंड (f) के अनुसार आवंटित किए गए फंडों का प्रयोग कार्यक्रमों की फंडिंग को बढ़ाने और पहचाने गए उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और इन उद्देश्यों के लिए अन्य फंडिंग के आवंटन को बदलने के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(h) 1 जुलाई, 2028 से प्रभावी, विधानमंडल इस अनुभाग में वयस्कों द्वारा मरिवाना के सेवन पर नियंत्रण, विनियमन और टैक्स अधिनियम के उद्देश्यों को आगे ले जाने के लिए पूर्ण बहुमत वोट द्वारा संशोधन कर सकता है, उपखंडों (d) एवं (f) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों के अलावा अन्य कार्यक्रमों को फंड आवंटित करने सहित। इस उपखंड के अनुसार किसी भी संशोधन के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2027–2028 में प्रत्येक खाते को आवंटित की गई राशि से किसी भी बाद वाले वर्ष में उपखंडों (d) एवं (f) के अनुसार निर्धारित खातों में फंड को कम नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई, 2028 से पहले, विधानमंडल उपखंडों (d) एवं (f) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों के लिए निर्धारित राशियों में बदलाव नहीं कर सकता।

34020. नियंत्रक यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर टैक्स फंड को ऑडिट करेगा कि फंड इस भाग, जैसा कि कानून द्वारा अन्य प्रकार से शर्त रखी गई है, के अनुसार और उसी तरीके से प्रयोग किए जाते हैं व उसी प्रकार से उनका हिसाब दिया जाता है।

34021. इस भाग के अनुसार लागू किए गए टैक्स किसी शहर, काउंटी अथवा शहर व काउंटी द्वारा लागू किए गए किसी अन्य टैक्स के अलावा होंगे।

34021.5. (a) (1) कोई काउंटी व्यापार एवं पेशा संहिता के खंड 8 के अध्याय 3.5 (अनुभाग 19300 से शुरू करते हुए) या खंड 10 (अनुभाग 26000 से शुरू करते हुए) के तहत काम करने वाले किसी लाइसेंसधारक द्वारा मरिवाना या मरिवाना उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, तैयारी, भंडारण, उपलब्ध कराने, दान करने, बिक्री, या वितरण करने के विशेषाधिकार पर एक कर लगा सकती है।

(2) बोर्ड ऑफ सुपरवाईजर्स कर का प्रस्ताव देने वाले अध्यादेश में टैक्स के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों, लागू दर या दरों, विभाजन का तरीका, अगर आवश्यक हो, और कर को एकत्र करने के तरीके का ब्यौरा देगा। कर सामान्य सरकारी उद्देश्यों या बोर्ड ऑफ सुपरवाईजर्स द्वारा अध्यादेश में दिए गए उद्देश्यों के लिए लागू किया जा सकता है।

(3) कानून द्वारा अधिकृत एकत्र करने के किसी अन्य तरीके के अतिरिक्त, बोर्ड ऑफ सुपरवाईजर्स इस अनुभाग के अनुसार लागू किए गए कर को, काउंटी द्वारा एकत्र किए जाने वाले अन्य शुल्कों और करों के समान तरीके से एकत्र करने का प्रावधान कर सकता है, और यह उन्हीं के समान धारणाधिकार के जुर्मानों और प्राथमिकता के अंतर्गत होगा। इस अनुभाग के अनुसार लगाया गया कर एक कर है और कोई फीस या विशेष आकलन नहीं है। बोर्ड ऑफ सुपरवाईजर्स यह उल्लेख करेगा कि क्या कर पूरी काउंटी में लागू होगा या काउंटी के अनिगमित क्षेत्र के अंदर।

(4) इस अनुभाग के अनुसार अधिकृत कर पैरा (1) में निर्धारित किसी या सभी गतिविधियों पर लागू किया जा सकता है, जैसा कि अध्यादेश में उल्लेखित है, चाहे गतिविधि व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रुप से, या सहकारिता से की जा रही हो, और इस पर ध्यान दिए बिना कि क्या गतिविधि हर्जाने के लिए है या अकारण, जैसा बोर्ड ऑफ सुपरवाईजर्स ने तय किया है।

(b) इस अनुभाग के अनुसार लागू किया गया कर कानून द्वारा लगाई गई लागू मतदाता स्वीकृति आवश्यक्ताओं के अंतर्गत है।

(c) यह अनुभाग वर्तमान कानून का घोषणात्मक है और जैसा अन्य प्रकार से कानून द्वारा उपलब्ध कराया गया है उपखंड (a) में निर्धारित, या उससे संबंधित, गतिविधियों पर किसी अन्य फीस, शुल्क, या कर, या कोई लाइसेंस या सर्विस फीस या उस पर लगाए शुल्क, की उगाही या एकत्रीकरण पर सीमा या रोक नहीं लगाता। इस अनुभाग का अर्थ कानून द्वारा प्रावधान के अनुसार किसी काउंटी के कर लगाने वाले प्राधिकरण पर एक सीमा के रूप में नहीं लगाया जाएगा।

(d) इस अनुभाग का अर्थ किसी काउंटी को राजस्व और कराधान संहिता के अनुभाग 7202 और 7203 के प्रावधानों का पालन करने वाले किसी अध्यादेश के तहत लगाए गए बिक्री और उपयोग कर के अतिरिक्त कोई बिक्री या उपयोग कर लगाने के लिए अधिकृत नहीं करता।

अनुभाग 8. फौजदारी अपराध, रिकॉर्ड, और पुनः फैसला।

अनुभाग 8.1. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता का अनुभाग 11357 संशोधित किया गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

11357. *कब्जा।* ~~(a) कानून द्वारा दी गयी अनुमति को छोड़कर, प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास गाढ़ा भांग है, एक काउंटी जेल में कैद की सजा होगी जो एक साल से ज्यादा की नहीं होगी या जुर्माना लगाया जाएगा जो पांच सौ डॉलर ($500) से ज्यादा का नहीं होगा, या जुर्माना और कैद दोनों हो सकती है, सिवाय इसके कि ऐसे व्यक्ति को दंड संहिता के अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसार सजा हो सकती है यदि उस व्यक्ति की दंड संहिता के अनुभाग 667 के उपखंड (e) के पैरा (2) के उपपैरा (C) के वाक्यांश (iv) में उल्लिखित अपराध के लिए या दंड संहिता के अनुभाग 290 के उपखंड (c) के अनुसार पंजीकरण की आवश्यकता वाले अपराध के लिए पहले एक या एक से अधिक दोषसिद्धियां हैं।~~

~~(b)~~ *(a)* कानून द्वारा दी गयी अनुमति को छोड़कर, ~~प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास~~ 28.5 ग्राम तक का मरिवाना, *या चार ग्राम तक* गाढ़ा भांग, *या दोनों रखने के* ~~अलावा, वह उल्लंघन की सजा पाने का दोषी है जो एक सौ डॉलर ($100) से अधिक नहीं होगी।~~ *के लिए निम्नलिखित के अनुसार सज़ा दी जाएगी या फैसला सुनाया जाएगा:*

(1) 18 की आयु से कम के व्यक्ति एक उल्लंघण के दोषी होंगे और उनके लिए आवश्यक होगा:

(A) यह पता चलने पर कि पहला अपराध किया गया है, चार घंटे की नशीले पदार्थों से जुड़ी शिक्षा, या परामर्श और 60 दिनों तक की एक अवधि के दौरान 10 घंटे तक की सामुदायिक सेवा पूरी करना।

(B) यह पता चलने पर कि दूसरा अपराध या परवर्ती अपराध किया गया है, छह घंटे की नशीले पदार्थों से जुड़ी शिक्षा या परामर्श और 90 दिनों तक की एक अवधि के दौरान 20 घंटे तक की सामुदायिक सेवा पूरी करना।

(2) कम से कम 18 वर्ष की आयु लेकिन 21 वर्ष की आयु से कम के व्यक्ति एक उल्लंघण के दोषी होंगे और उन्हें सौ डॉलर ($100) तक के एक जुर्माने की सजा दी जाएगी।

~~(c)~~ *(b)* कानून द्वारा दी गयी अनुमति को छोड़कर, ~~प्रत्येक व्यक्ति~~ जिसके पास

28.5 ग्राम से अधिक का मरिवाना, *या चार ग्राम से अधिक* ~~गाढ़ा भांग,~~ *रखने के लिए निम्नलिखित के अनुसार* सज़ा दी जाएगी:

(1) 28.5 ग्राम मरिवाना या चार ग्राम से अधिक गाढ़ी भांग, या दोनों, रखने वाले 18 वर्ष से कम आयु के लोग एक उल्लंघण के दोषी होंगे और उनके लिए आवश्यक होगा:

(A) यह पता चलने पर कि पहला अपराध किया गया है, आठ घंटे की नशीले पदार्थों से जुड़ी शिक्षा या परामर्श और 90 दिनों तक की एक अवधि के दौरान 40 घंटे तक की सामुदायिक सेवा पूरी करना।

(B) यह पता चलने पर कि दूसरा या परवर्ती अपराध किया गया है, 10 घंटे की नशीले पदार्थों से जुड़ी शिक्षा या परामर्श और 120 दिनों तक की एक अवधि के दौरान 60 घंटे तक की सामुदायिक सेवा पूरी करना।

(2) 18 साल या अधिक आयु के व्यक्ति जिनके पास 28.5 ग्राम से ज्यादा मरिवाना, या चार ग्राम से अधिक गाढ़ा भांग, या दोनों है, को काउंटी जेल में कैद की सजा दी जाएगी जो छः महीने से ज्यादा की नहीं होगी या जुर्माने की सजा दी जाएगी जो पांच सौ डॉलर ($500) से ज्यादा नहीं होगा, या जुर्माना और कैद दोनों की सजा दी जाएगी।

~~(d)~~ *(c)* कानून द्वारा दी गयी अनुमति को छोड़कर, 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास, स्कूल के खुले रहने के दौरान या स्कूल सम्बन्धी कार्यक्रम चलने के दौरान किंडरगार्टन में या कक्षा 1 से लेकर 12 तक किसी भी कक्षा में शिक्षा देने वाले किसी भी स्कूल के मैदान पर, या उसके भीतर, 28.5 ग्राम तक मरिवाना ~~के अलावा~~ *या चार ग्राम तक* गाढ़ा भांग है, एक छोटे अपराध का दोषी है और उसे निम्नलिखित ~~द्वारा~~ *अनुसार* सजा दी जाएगी:

(1) यह पता चलने पर कि पहला अपराध किया गया है, जुर्माना दो सौ पचास डॉलर ($250) से ज्यादा नहीं होगा।

(2) यह पता चलने पर कि दूसरा या परवर्ती अपराध किया गया है, जुर्माना पांच सौ डॉलर ($500) से ज्यादा नहीं होगा, या किसी काउंटी जेल में अधिक 10 दिन तक की कैद, या दोनों की सजा दी जाएगी।

~~(e)~~ *(d)* कानून द्वारा दी गयी अनुमति को छोड़कर, 18 साल से कम उम्र का प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास, स्कूल के खुले रहने के दौरान या स्कूल सम्बन्धी कार्यक्रम चलने के दौरान किंडरगार्टन में या कक्षा 1 से लेकर 12 तक किसी भी कक्षा में शिक्षा देने वाले किसी भी स्कूल के मैदान पर, या उसके भीतर, 28.5 ग्राम तक मरिवाना ~~के अलावा~~ *या चार ग्राम तक* गाढ़ा भांग है, एक ~~छोटे अपराध~~ *उल्लंघन* का दोषी होगा और *उसे उपखंड (b) के पैरा (1) में दिए गए तरीके से सजा दी जाएगी।* ~~निम्नलिखित कार्यवाही के अधीन होगा:~~

~~(1) यह पता चलने पर कि पहला अपराध किया गया है, जुर्माना दो सौ पचास डॉलर ($250) से ज्यादा नहीं होगा।~~

~~(2) यह पता चलने पर कि दूसरा या परवर्ती अपराध किया गया है, जुर्माना पांच सौ डॉलर ($500) से ज्यादा नहीं होगा, या किसी जुवेनाइल हॉल, रैंच, कैम्प, फोरेस्ट्री कैम्प, या सिक्योर जुवेनाइल होम के लिए प्रतिबद्धता जो 10 दिन से ज्यादा समयावधि के लिए नहीं होगी, या दोनों।~~

अनुभाग 8.2. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता का अनुभाग 11358 संशोधित किया गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

11358. *रोपाई, कटाई, या प्रसंस्करण।*

~~किसी भी~~ मरिवाना *पौधों,* या उनके किसी हिस्से को रोपने, उगाने, काटने, सुखाने या प्रसंस्करण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, कानून के द्वारा प्रावधान के अन्यथा के अनुसार छोड़कर, *निम्नलिखित के अनुसार सजा दी जाएगी:*

(a) किन्हीं भी मरिवाना पौधों को रोपने, उगाने, काटने, सुखाने या प्रसंस्करण करने वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को अनुभाग 11357 के उपखंड (b) के पैरा (1) में दिए गए तरीके के समान सजा दी जाएगी।

(b) छह जीवित मरिवाना पौधों तक को रोपने, उगाने, काटने, सुखाने या प्रसंस्करण करने वाले कम से कम 18 वर्ष की आयु लेकिन 21 वर्ष की आयु से कम वाला प्रत्येक व्यक्ति एक उल्लंघण का दोषी होगा और उस पर सौ डॉलर ($100) तक का जुर्माना लगेगा।

(c) 18 साल या अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति जो छह से अधिक सजीव पौधों को बोता, खेती करता, कटाई करता, सुखाता, या प्रसंस्करण करता है, को काउंटी जेल में कैद की सजा दी जाएगी जो छह महीने से ज्यादा की नहीं होगी या जुर्माने की सजा दी जाएगी जो पांच सौ डॉलर ($500) से ज्यादा नहीं होगा, या जुर्माना और कैद दोनों की सजा दी जाएगी।

(d) उपखंड (c) के बावजूद, छह से अधिक जीवित मरिवाना पौधों, या उनके किसी हिस्से को, रोपने, उगाने, सुखाने, या प्रसंस्करण करने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक के आयु वाले व्यक्ति को, कानून के द्वारा प्रावधान के अन्यथा के अनुसार छोड़कर दंड संहिता के अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसार कैद की भी सजा दी ~~जाएगी~~ *जा सकती है अगर:*

(1) व्यक्ति के खिलाफ़ दंड संहिता के अनुभाग 667 के उपखंड (e) के पैरा (2) के उप-पैराग्राफ (C) के अनुभाग (iv) में निर्दिष्ट अपराध के लिए या दंड संहिता के अनुभाग 290 के उपखंड (c) के अनुसरण में पंजीकरण अपेक्षित अपराध के लिए एक या अनेक पूर्व दोषसिद्धियां हों;

(2) व्यक्ति की उपखंड (c) के तहत पूर्व में दो या अधिक दोषसिद्धियां हों; या

(3) अपराध का परिणाम निम्नलिखित में से कोई हो:

(A) पानी के अवैध पथांतरण के संबंध में जल संहिता के अनुभाग 1052 का उल्लंघन;

(B) अपशिष्ट छोड़े जाने के संबंध में जल संहिता के अनुभाग 13260, 13264, 13272 या 13387 का उल्लंघन;

(C) राज्य के पानी के संबंध में मछली और जंगली जानवर संहिता के अनुभाग 5650 या मछली और जंगली जानवर संहिता के अनुभाग 5652 का उल्लंघन;

(D) नदियों, धाराओं और झीलों के संबंध में मछली और जंगली जानवर संहिता के अनुभाग 1602 का उल्लंघन;

(E) खतरनाक पदार्थों के संबंध में दंड संहिता के अनुभाग 374.8 या खतरनाक कचरे के संबंध में स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभाग 25189.5, 25189.6, या 25189.7 का उल्लंघन;

(F) विलुप्तप्राय और खतरे में पड़ी प्रजातियों के संबंध में मछली और जंगली जानवर संहिता के अनुभाग 2080 या प्रवासी पक्षी संधि अधिनियम के संबंध में मछली और जंगली जानवर संहिता के अनुभाग 3513 का उल्लंघन; या

(G) सार्वजनिक जमीनों या अन्य सार्वजनिक संसाधनों को जान बूझकर या घोर लापरवाही से बड़ा पर्यावरणीय नुकसान पहुंचना।

अनुभाग 8.3. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता का अनुभाग 11359 संशोधित किया गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

11359. *बिक्री के लिए रखना।*

किसी भी मरिवाना को बिक्री के लिए रखने वाले व्यक्ति को, सिवाय उसके जहाँ कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान दिया गया है, *निम्नलिखित अनुसार* सजा दी जाएगी:

(a) बिक्री के लिए मरिवाना रखने वाले 18 वर्ष की आयु से कम के प्रत्येक व्यक्ति को अनुभाग 11357 के उपखंड (b) के पैरा (1) में उपलब्ध कराए गए तरीके के समान सजा दी जाएगी।

(b) 18 साल या अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति जो बिक्री के लिए मरिवाना का प्रसंस्करण करता है, को काउंटी जेल में कैद की सजा दी जाएगी जो छः महीने से ज्यादा की नहीं होगी या जुर्माने की सजा दी जाएगी जो पांच सौ डॉलर ($500) से ज्यादा नहीं होगा, या जुर्माना और कैद दोनों की सजा दी जाएगी।

(c) उपखंड (b) के बावजूद, बिक्री के लिए मरिवाना रखने वाले 18 वर्ष या

उससे अधिक आयु के व्यक्ति को दंड संहिता के अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसार कैद *की सजा दी जा सकती है अगर:*

(1) व्यक्ति के खिलाफ़ दंड संहिता के अनुभाग 667 के उपखंड (e) के पैरा (2) के उप-पैराग्राफ (C) के अनुभाग (iv) में निर्दिष्ट अपराध के लिए या दंड संहिता के अनुभाग 290 के उपखंड (c) के अनुसरण में पंजीकरण अपेक्षित अपराध के लिए एक या अनेक पूर्व दोषसिद्धियां हों;

(2) व्यक्ति की उपखंड (b) के तहत पहले दो या अधिक दोषसिद्धियां हो; या

(3) 18 वर्ष से आयु से कम के व्यक्ति को बिक्री की जानकारी या बिक्री की कोशिश के संबंध में अपराध।

(d) उपखंड (b) के बावजूद, बिक्री के लिए मरिवाना रखने वाले 21 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति को दंड संहिता के अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसार कैद की सजा दी जा सकती है अगर अपराध में किसी मरिवाना को गैर कानूनी तरीके से उगाने, ट्रांसपोर्ट करने, रखने, बिक्री करने, बिक्री की पेशकश करने, देने, बिक्री के लिए तैयार करने, या घूमकर बेचने के लिए 20 वर्ष या कम आयु के व्यक्ति को जानबूझ कर काम पर रखने, रोजगार देने या उपयोग करने से जुड़ा अपराध शामिल हो।

अनुभाग 8.4. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता का अनुभाग 11360 संशोधित किया गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

64

11360. *गैर कानूनी परिवहन, आयात, बिक्री या उपहार।*

(a) सिवाय उसके जैसा अन्यथा इस अनुभाग द्वारा प्रावधान किया गया है या जैसा कानून द्वारा अधिकृत है, इस राज्य में किसी मरिवाना का परिवहन करने, आयात करने, बेचने, पहुंचाने, प्रबंध करने या देने, या इस राज्य में परिवहन करने, आयात करने, बेचने, पहुंचाने, प्रबंध करने, या देने की पेशकश करने, या इस राज्य में आयात या परिवहन करने की कोशिश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को *निम्नलिखित के अनुसार* सजा दी जाएगी:

(1) 18 वर्ष की आयु से कम के व्यक्तियों को उसी तरीके से सजा दी जाएगी जैसा अनुभाग 11357 के उपखंड (b) के पैरा (1) में दिया गया है।

(2) 18 साल या अधिक आयु के व्यक्ति को काउंटी जेल में कैद की सजा दी जाएगी जो छः महीने से ज्यादा की नहीं होगी या जुर्माने की सजा दी जाएगी जो पांच सौ डॉलर ($500) से ज्यादा नहीं होगा, या जुर्माना और कैद दोनों की सजा दी जाएगी।

(3) पैरा (2) के बावजूद, 18 वर्ष की आयु या उससे अधिक के व्यक्ति को दंड संहिता के अनुभाग 1170 के उपखंड (h) के अनुसार दो, तीन या चार वर्षों की कैद की सजा दी जा सकती है *अगर:*

(A) व्यक्ति के खिलाफ़ दंड संहिता के अनुभाग 667 के उपखंड (e) के पैरा (2) के उप-पैराग्राफ (C) के अनुभाग (iv) में निर्दिष्ट अपराध के लिए या दंड संहिता के अनुभाग 290 के उपखंड (c) के अनुसरण में पंजीकरण अपेक्षित अपराध के लिए एक या अनेक पूर्व दोषसिद्धियां हों;

(B) पैरा (2) के तहत व्यक्ति की पहले दो या अधिक दोषसिद्धियां हो;

(C) 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मरिवाना की जानकारी वाली बिक्री, बिक्री की कोशिश, या बिक्री करने, पहुंचाने, प्रबंध करने या देने की जानकारी वाली पेशकश से जुड़ा अपराध; या

(D) 28.5 ग्राम से अधिक मरिवाना या चार ग्राम से अधिक गाढ़ी भांग के इस राज्य में आयात करने, आयात करने की पेशकश या आयात की कोशिश, या इस राज्य से बिक्री के लिए परिवहन की पेशकश, या बिक्री के लिए परिवहन की कोशिश से जुड़ा अपराध।

(b) कानून द्वारा दी गयी अनुमति को छोड़कर, प्रत्येक व्यक्ति जो गाढ़ा भांग के अलावा, 28.5 ग्राम तक की मरिवाना किसी को देता है, देने की पेशकश करता है, परिवहन करता है, परिवहन करने की पेशकश या परिवहन करने की कोशिश करता है, वह उल्लंघन ~~छोटे अपराध~~ की सजा पाने का दोषी है जो एक सौ डॉलर ($100) से अधिक नहीं होगी। इस उपखंड के उल्लंघन के किसी भी मामले में गिरफ्तार व्यक्ति और उसे एक मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की मांग नहीं होने पर, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा पहचान का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने और अदालत में पेश होने का उसकी ओर से लिखित वादा मिलने पर रिहा किया जाएगा, जैसा दंड संहिता के अनुभाग 853.6 में प्रावधान है, और यह दर्ज करने का विषय नहीं होगा।

(c) इस अनुभाग के उद्देश्य के लिए, "परिवहन" का अर्थ बिक्री के लिए परिवहन है।

(d) यह अनुभाग सहायता करने और उकसाने या षडयंत्र के किन्हीं भी अपराधों को मुकदमा चलाने को प्रतिबंधित या सीमित नहीं करता है।

अनुभाग 8.5. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में अनुभाग 11361.1 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

11361.1. (a) अनुभाग 11357, 11358, 11359 और 11360 के तहत नशीले पदार्थों से जुड़ी शिक्षा और परामर्श होंगे:

(1) अनिवार्य, जब तक अदालत यह नहीं माने कि ऐसी नशीले पदार्थों से जुड़ी शिक्षा या परामर्श व्यक्ति के लिए अनावश्यक हैं, या नशीले पदार्थों से जुड़ी शिक्षा या परामर्श कार्यक्रम उपलब्ध नहीं है;

(2) भागीदारों के लिए निशुल्क, और नशीले पदार्थों के बारे में शिक्षा में मरिवाना व अन्य नियंत्रक नशीले पदार्थों के प्रयोग एवं अत्यधिक सेवन के लिए विशेष विज्ञान एवं प्रमाण-आधारित सिद्धांतों व पद्धतियों के आधार पर सामूहिक चर्चा अथवा शिक्षण के चार घंटे प्रदान किए जाएं।

(b) अच्छे कारण के लिए, अदालत अनुभाग 11357, 11358, 11359 और 11360 के तहत आवश्यक नशीले पदार्थों से जुड़ी शिक्षा और परामर्श के लिए समय 30 दिनों तक बढ़ाने की एक अनुमति दे सकती है।

अनुभाग 8.6. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता का अनुभाग 11361.5 संशोधित किया गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

11361.5. *गिरफ्तारी और दोषसिद्धि के रिकॉर्डों को नष्ट करना; प्रक्रिया; अपवाद।*

(a) इस राज्य की किसी भी अदालत के, दंड संहिता के अनुभाग 1000.2 के तहत निर्दिष्ट करने पर सेवाएं उपलब्ध कराने वाली किसी सरकारी या निजी एजेंसी के, या अनुभाग 11357 ~~के उपखंड (b), (c), (d), या (e)~~ या अनुभाग 11360 के उपखंड (b) के उल्लंघन के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या अपराधी ठहराए जाने से संबंधित कोई राज्य एजेंसी के, *या अनुभाग 11357.5 को छोड़कर इस अनुच्छेद के किसी प्रावधान के एक उल्लंघन के लिए 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या दोषसिद्धियों से संबंधित,* रिकॉर्ड दोषसिद्धि की तिथि के दो वर्ष के बाद, या अगर अपराधी नहीं ठहराया गया हो तो गिरफ्तारी की तिथि, अनुभाग 11357 के उपखंड ~~(e)~~ *(d)* के एक उल्लंघन से संबंधित को छोड़कर, *या 18 वर्ष से कम आयु के एक व्यक्ति द्वारा किसी स्कूल, के मैदानों या उसके अंदर होने वाले किसी अन्य उल्लंघन, स्कूल के कक्षाओं या स्कूल-संबंधित कार्यक्रमों के लिए खुला रहने के घंटों के दौरान किसी स्कूल के किंडरगार्टन या 1 से 12 तक ग्रेड के लिए निर्देश उपलब्ध कराने पर,* रिकॉर्ड अपराधी के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक बरकरार रखे जाएंगे, उस समय रिकॉर्ड को इस अनुभाग में उपलब्ध कराए गए तरीके के अनुसार नष्ट किया जाएगा। रिकॉर्ड रखने वाली कोई भी अदालत या एजेंसी, *राज्य भर के आपराधिक डेटाबेस सहित,* उपखंड (c) के अनुसार रिकॉर्ड को समय पर नष्ट कराएंगे, *और ऐसे रिकॉर्ड राज्य भर के आपराधिक डेटाबेस से भी हटाए जाएंगे। इस उपखंड में उपयोग किए गए के अनुसार "गिरफ्तारी या दोषसिद्धि से संबंधित रिकॉर्ड" में आपराधिक कार्यवाही के परिणाम वाली गिरफ्तारियों के रिकॉर्ड और अभियोग लगाने वाली प्रार्थना में लगाए गए अन्य अपराधों से संबंधित रिकॉर्ड शामिल होंगे, चाहे प्रतिवादी को बरी किया गया था या आरोप खारिज किए गए थे। इस उपखंड के अनुसार दो वर्ष की अवधि जिसके बाद रिकॉर्ड नहीं रखे जाएंगे, ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो, इस उपखंड के अनुसार रिकॉर्ड नष्ट*

करने के समय पर इस उपखंड के विषय वाले एक अपराध के लिए कैद में हो। ऐसे व्यक्तियों के लिए, दो वर्ष की अवधि व्यक्ति के कैद से रिहा होने की तिथि से शुरू होगी। इस उपखंड की आवश्यक्ताएं 1 जनवरी, 1976 से पहले किसी दोषसिद्धि के रिकॉर्ड, या उस तिथि से पहले किसी गिरफ्तारी जिसके बाद दोषसिद्धि न हुई हो के रिकॉर्ड, *या दंड संहिता के अनुभाग 1192.7 के उपखंड (c), या अनुभाग 667.5 के उपखंड (c) में उल्लेखित किसी अपराध के लिए गिरफ्तारी के रिकॉर्ड के लिए लागू नहीं होंगी।*

(b) निम्नलिखित में से किसी भी अपराध के लिए, यह उपखंड 1 जनवरी, 1976 से पहले दोषसिद्धि और गिरफ्तारी के बाद दोषसिद्धि न होने के रिकॉर्ड के लिए लागू होती है:

(1) अनुभाग 11357 का कोई उल्लंघन या उसके कोई कानूनी पूर्ववर्ती।

(2) अनुभाग 11364 के उल्लंघन में, गैर कानूनी रूप से मरिवाना धूम्रपान करने के लिए उपयोग किया गया कोई उपकरण, तरीका, यंत्र या सामान गैरकानूनी तरीके से रखने, जैसा वह 1 जनवरी, 1976 से पहले मौजूद हो, या उसका कोई कानूनी पूर्ववर्ती।

(3) अनुभाग 11365 के उल्लंघन में, मरिवाना के गैरकानूनी धूम्रपान या उपयोग वाले किसी कमरे या स्थान में गैरकानूनी तरीके से जाना या मौजूदगी, जैसा वह 1 जनवरी, 1976 से पहले मौजूद हो, या उसका कोई कानूनी पूर्ववर्ती।

(4) अनुभाग 11550 के उल्लंघन में, मरिवाना का गैरकानूनी उपयोग या उसके प्रभाव में होना, जैसा वह 1 जनवरी, 1976 से पहले मौजूद हो, या उसका कोई कानूनी पूर्ववर्ती।

इन अपराधों के लिए गिरफ्तारी या दोषसिद्धि के अंतर्गत कोई व्यक्ति दोषसिद्धि की तिथि से या अगर दोषसिद्धि न हुई हो तो गिरफ्तारी की तिथि से दो या अधिक वर्ष बीतने पर न्याय विभाग को गिरफ्तारी या अपराधी ठहराए जाने से संबंधित रिकॉर्ड नष्ट करने के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन न्याय विभाग द्वारा दिए गए एक फॉर्म पर जमा किया जाएगा और उसके साथ एक फीस होगी, जो विभाग उस राशि में तय करेगा जो इस उपखंड के प्रशासन की लागत और उपखंड (c) के तहत राज्य की लागत पूरी करने के लिए होगी, लेकिन जो सैंतीस डॉलर और पचास सेंट ($37.50) से अधिक नहीं होगी। आवेदन फॉर्म प्रत्येक स्थानीय पुलिस या शेरिफ के विभाग पर और न्याय विभाग से उपलब्ध कराया जा सकता है और इसमें उस जानकारी की आवश्यकता हो सकती है जो पहचान के उद्देश्यों के लिए विभाग निर्धारित करता है।

विभाग निवेदन कर सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं होगा, आवेदनकर्ता आवेदन पर अपनी ओर से लिए गए उंगलियों के निशान शामिल करे। अगर विभाग उंगलियों के निशान के बिना या अतिरिक्त उंगलियों के निशान के बिना इस उपखंड के उद्देश्यों के लिए आवेदनकर्ता की पर्याप्त पहचान करने में अक्षम है, तो वह इसकी सूचना आवेदनकर्ता को देगा और आवेदनकर्ता से पहचान साबित करने के लिए आवश्यक हो सकने वाले किन्हीं उंगलियों के निशान को जमा करने का निवेदन करेगा, इनमें अगर आवश्यक हो तो एक पूरा सेट, या वैकल्पिक रूप से, आवेदन को रद्द करने और आवेदन के साथ जमा की गई पूरी फीस या उसके एक हिस्से की वापसी के लिए निवेदन करना, जैसा इस अनुभाग में उपलब्ध कराया गया है। अगर आवेदनकर्ता विभाग द्वारा तय किए गए एक उचित समय के अंदर विभाग के निवेदन के अनुसार उंगलियों के निशान जमा करने में असफल रता है या इनकार करता है, या अगर आवेदनकर्ता फीस की वापसी का निवेदन करता है, विभाग आवेदन में उल्लेखित पते पर या आवेदनकर्ता द्वारा उल्लेखित किए जा सकने वाले किसी अन्य पते पर तुरंत एक फीस वापसी करेगा। लेकिन, अगर विभाग ने आवेदनकर्ता को सूचित किया है कि आवेदन को रद्द करने का चुनाव करने के परिणाम स्वरूप फीस के एक हिस्से वाली एक उल्लेखित राशि को जब्त किया जा सकता है, तो विभाग फीस का एक हिस्सा रख सकता है जो विभाग आवेदन पर काम करने की वास्तविक लागत पूरी करने के लिए तय करता है, रखे गए हिस्से की राशि दस डॉलर ($10) से अधिक नहीं होगी।

एक उचित आवेदन मिलने पर, न्याय विभाग गिरफ्तारी या विभाग के दोषसिद्धि से संबंधित रिकॉर्ड, अगर कोई हैं, उपखंड (c) में निर्धारित तरीके से नष्ट करेगा और आवेदनकर्ता को गिरफ्तार करने वाली कानून प्रवर्तन एजेंसी, फेडरल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन, और, अगर आवेदनकर्ता को अपराधी ठहराया गया था, तो आवेदनकर्ता की जांच करने वाले प्रोबेशन डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स को सूचना देगा।

(c) उपखंड (a) या (b) के अनुसार गिरफ्तारी या दोषसिद्धि के रिकॉर्ड को नष्ट करने के साथ गिरफ्तारी या दोषसिद्धि से संबंधित रिकॉर्ड पर सभी प्रविष्टियां या टिप्पणियां नष्ट करने के साथ होगा, और रिकॉर्ड को दोबारा तैयार किया जाएगा जिससे यह दिखे कि गिरफ्तारी या अपराधी ठहराया जाना कभी नहीं हुआ था। लेकिन, जहां अन्य रिकॉर्ड को नष्ट करने पर आवश्यक रूप से प्रभाव डाले बिना (1) गिरफ्तारी या दोषसिद्धि से संबंधित रिकॉर्ड पर केवल प्रविष्टियों और (2) रिकॉर्ड को नष्ट किया जा सकता है, तब रिकॉर्ड वाले दस्तावेज को हाथ से नष्ट किया जाएगा।

(d) उपखंड (a) या (b) के बावजूद, अदालत की कार्यवाही में मौखिक गवाही की लिखित प्रतिलिपि और प्रकाशित न्यायिक अपीलीय रिपोर्टें इस अनुभाग का विषय नहीं हैं। इसके अलावा, उपखंड (a) के अनुसार कोई रिकॉर्ड नष्ट नहीं किए जाएंगे अगर प्रतिवादी या एक सह-प्रतिवादी ने शांति अधिकारियों या गिरफ्तारी करने वाले या अभियोजन शुरू करने वाले कानून प्रवर्तन अधिकार क्षेत्र के खिलाफ कोई दीवानी मुकदमा दायर किया है और अगर उन रिकॉर्ड को रखने वाली एजेंसी को दीवानी मुकदमे में शिकायत की एक प्रमाणीकृत प्रति प्राप्त हुई है, जब तक दीवानी मुकदमे का अंतिम निपटारा नहीं हो जाता। दीवानी मुकदमे के अंतिम निपटारे के तुरंत बाद, उपखंड (a) के विषय वाले रिकॉर्ड उपखंड (c) के अनुसार नष्ट किए जाएंगे अगर दोषसिद्धि या बिना अपराधी ठहराए जाने के गिरफ्तारी की तिथि से दो वर्ष से अधिक बीत गए हैं।

अनुभाग 8.7. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में अनुभाग 11361.8 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये :

11361.8. (a) वर्तमान में किसी दोषसिद्धि के लिए सज़ा भुगत रहा कोई व्यक्ति, भले ही यह मुक़दमे के द्वारा हो या फिर खुले या सौदेबाज़ी वाले अधिवचन के द्वारा, जो अगर अपराध के समय वयस्कों द्वारा मरिवाना के सेवन पर नियंत्रण, विनियमन और टैक्स अधिनियम प्रभावी होता तो, किसी अपराध के लिए दोषी न होता या होती, या जो किसी छोटे अपराध के लिए दोषी होता या होती, तो वह अनुभाग 11357, 11358, 11359, 11360, 11362.1, 11362.2, 11362.3, और 11362.4 के अनुसार फिर से सज़ा दिए जाने या सज़ा को खारिज किए जाने के लिए उस ट्रायल कोर्ट के समक्ष जिसने उसके मामले में अपराधी ठहराने का निर्णय लिया था, वापस बुलाने या सज़ा को खारिज करने के लिए पटिशन दे सकता है, क्योंकि इन अनुभागों को इस अधिनियम द्वारा संशोधित कर दिया गया है या इनमें और अनुभाग जोड़ दिए गए हैं।

(b) उपखंड (a) के तहत कोई याचिका प्राप्त होने पर, अदालत यह मान लेगी कि याचिकाकर्ता उपखंड (a) के मानकों को पूरा करता है, जब तक कि याचिका का विरोध करने वाला पक्ष स्पष्ट और विश्वास करने लायक साक्ष्य से यह साबित नहीं कर देता कि याचिकाकर्ता मानदंड को पूरा नहीं करता। याचिकाकर्ता अगर उपखंड (a), के मानदंड को पूरा करता है तो अदालत याचिका को फैसले को वापस लेने या फैसले को खारिज करने का अधिकार प्रदान करेगी, क्योंकि यह कानूनन अवैध है, बशर्ते कि अदालत यह न तय कर दे कि याचिका को मंजूरी देने से सार्वजनिक सुरक्षा के लिए अकारण खतरा उत्पन्न हो जाएगा।

(1) अपने विवेकाधिकार का उपयोग में लाते हुए अदालत विचार कर सकती है, लेकिन दंड संहिता की अनुभाग 1170.18 के उपखंड (b) में इसके लिए मुहैया कराये गए साक्ष्य तक सीमित नहीं रहेगी।

(2) जैसा कि इस अनुभाग में उल्लेख किया गया है, "सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरे का अकारण जोखिम" का वही अर्थ होगा, जो कि दंड संहिता की अनुभाग 1170.18 के उपखंड (c) में बताया गया है।

(c) सजा काट रहे किसी व्यक्ति को अगर उपखंड (b) के अनुसार फिर से सजा

64

दी जाती है तो जो सजा वह पहले ही काट चुका है उसका उसे क्रेडिट प्रदान किया जाएगा और वह हिरासत में अपने समय के पूरा होने के बाद एक वर्ष के लिए निगरानी के अधीन होगा अथवा उतनी निगरानी अवधि के अधीन होगा, रिहाई के बाद वह अन्यथा होता, इनमें से जो भी कम हो, जब तक कि अदालत फिर से सजा सुनाने के अंग के रूप में स्व-विवेक से निगरानी से व्यक्ति को मुक्त न कर दे। निरीक्षण को रद्द करने की याचिकाओं पर सुनवाई और हिरासत में रखने की अवधि अधिरोपित करने के प्रयोजन से, ऐसा व्यक्ति नामित एजेंसी और उस काउंटी में अदालत के क्षेत्राधिकार के द्वारा जिसमें अपराधी जो छोड़ा गया है या जहां वह रहता है, या जिसमें कथित तौर पर निरीक्षण का उल्लंघन हुआ है, दंड संहिता के अनुभाग 3000.08 के तहत पेरोल निरीक्षण या दंड संहिता के अनुभाग 3451 के उपखंड (a) के तहत रिहाई के बाद समुदाय में निरीक्षण के अधीन होता है।

(d) किसी भी परिस्थिति में इस अनुभाग के अंतर्गत पुनः सज़ा सुनाए जाने के परिणामस्वरूप मूल सज़ा से लंबी अवधि अधिरोपित न हो, या सौदेबाज़ी वाले दलील समझौते के अनुसार खारिज किए गए दोषों को दोबारा न लगाया जाए।

(e) कोई व्यक्ति जिसने अनुभाग 11357, 11358, 11359 और 11360 के तहत किसी दोषसिद्धि के लिए अपनी सज़ा पूरी कर ली है, भले ही यह मुक़दमे के द्वारा हो या फिर खुले या सौदेबाज़ी वाले अधिवचन दे द्वारा, जो अगर अपराध के समय वयस्कों द्वारा मरिवाना के सेवन पर नियंत्रण, विनियमन और टैक्स अधिनियम प्रभावी होता तो, किसी अपराध के लिए दोषी न होता, या जो किसी छोटे अपराध के लिए दोषी होता, तो वह उस ट्रायल कोर्ट के समक्ष जिसने उसके मामले में अपराधी ठहराने का निर्णय लिया था, सज़ा को खारिज किए जाने और सील कर दिए जाने के लिए आवेदन दायर कर सकता या सकती है, क्योंकि अनुभाग 11357, 11358, 11359, 11360, 11362.1, 11362.2, 11362.3, और 11362.4 के अनुसार पिछली सज़ा अब अमान्य है या इसे किसी छोटे अपराध या उल्लंघन के रूप में पुन:निर्दिष्ट कर दिया गया है, क्योंकि इन अनुभागों को इस अधिनियम द्वारा संशोधित कर दिया गया है या इनमें और अनुभाग जोड़ दिए गए हैं।

(f) अदालत यह मान लेगी कि याचिकाकर्ता उपखंड (e) के मानकों को पूरा करता है, जब तक कि आवेदन का विरोध करने वाला पक्ष स्पष्ट और विश्वास करने लायक साक्ष्य से यह साबित न कर दे कि याचिकाकर्ता उपखंड (e) के मानदंड को पूरा नहीं करता। एक बार जब आवेदनकर्ता उपखंड (e) के मानदंड को पूरा करता हो तो अदालत दोष-सिद्धि को किसी छोटे अपराध या उल्लंघन के रूप में फिर से नामित करेगी अथवा दोष-सिद्धि को कानूनन अवैध करार देते हुए खारिज करके उस पर मुहर लगा देगी, जैसा कि अब वयस्कों द्वारा मरिवाना के सेवन पर नियंत्रण, विनियमन और टैक्स अधिनियम के तहत स्थापित है।

(g) उपखंड (e) के अधीन दायर आवेदन को मंजूर या नामंजूर करने के लिए किसी सुनवाई की ज़रूरत नहीं, बशर्ते की आवेदक इसके लिए अनुरोध करे।

(h) ऐसे किसी भी गंभीर अपराध की दोष-सिद्धि जिसे उपखंड (b) के तहत उलट दिया जाता है और फिर से सजा सुनायी जाती है या उपखंड (f) के तहत किसी छोटे अपराध या उल्लंघन के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, सभी उद्देश्यों के लिए छोटा अपराध या उल्लंघन समझा जाएगा। ऐसे कोई भी छोटे अपराध की दोष-सिद्धि जिसे उपखंड (b) के तहत उलट दिया जाता है और फिर से सजा सुनायी जाती है या उपखंड (f) के तहत उल्लंघन के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, सभी उद्देश्यों के लिए उल्लंघन समझा जाएगा।

(i) यदि याचिकाकर्ता को मूलतः सज़ा सुनाने वाली अदालत उपलब्ध नहीं है, तो पीठासीन जज याचिका या आवेदन पर निर्णय सुनाने के लिए किसी अन्य जज को निर्दिष्ट कर सकता है।

(j) इस अनुभाग में कुछ भी याचिकाकर्ता या आवेदक को अन्यथा उपलब्ध किसी अधिकार या उपचार को कम करने या रद्द करने के इरादे से नहीं है।

(k) इसमें और संबंधित अनुभागों में कुछ भी वयस्कों द्वारा मरिवाना के सेवन पर नियंत्रण, विनियमन और टैक्स अधिनियम के दायरे के अंतर्गत किसी भी प्रकार के निर्णय की निश्चयात्मकता कम करने या रद्द करने के इरादे से नहीं है।

(l) वयस्कों द्वारा मरिवाना के सेवन पर नियंत्रण, विनियमन और टैक्स अधिनियम के तहत आदेशित पुनर्दंडादेश की सुनवाई California संविधान (Marsy का कानून) के अनुच्छेद I के अनुभाग 28 के उपखंड (b) के पैरा (7) के तहत "अपराधी ठहराने के बाद रिहाई की कार्यवाही" बनती है।

(m) इस अधिनियम के प्रावधान कल्याण एवं संस्था संहिता के अनुभाग 602 के तहत बाल अपराध अधिनिर्णयों और प्रबंधों पर भी उतने ही लागू होंगें, बशर्ते कि किशोर अपराध का दोषी न रहा हो अथवा वयस्कों द्वारा मरिवाना के सेवन पर नियंत्रण, विनियमन और टैक्स अधिनियम के तहत कमतर अपराध का दोषी पाया गया हो।

(n) न्यायिक परिषद इस अनुभाग में मुहैया कराई गई याचिकाओं और आवेदनों के दाखिले को सक्षम बनाने के लिए समस्त आवश्यक प्रपत्रों को लागू करेगी और उपलब्ध कराएगी।

अनुभाग 9. औद्योगिक भांग।

अनुभाग 9.1. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता का अनुभाग 11018.5 संशोधित किया गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

11018.5. *औद्योगिक भांग।*

(a) "औद्योगिक भांग" का अर्थ फाइबर या तिलहन की फसल या दोनों ही होता है, जो भांग के स्टाइवा एल. पौधे के ~~गैर-साइकोएक्टिव~~ प्रकारों ~~और इससे तैयार किए गए बीज~~, पुष्पण के ऊपर के सूखे हुए हिस्से में निहित 1 प्रतिशत टेट्राहाइड्रोकैनाबिवोल (THC) के तीन बटे दस से अधिक नहीं होता है, *चाहे उग रहा हो या नहीं;* ~~और जिसे विशेष रूप से पौधे के परिपक्व डंठलों, डंठलों से तैयार होने वाला फाइबर,~~ पौधे के बीजों*;* ~~से निर्मित तेल या टिकिया को तैयार करने के उद्देश्य से ही उगाया और संसाधित किया जाता है,~~ *पौधे के किसी भी हिस्से से निकाला गया रेसिन; और* ~~अथवा कोई अन्य~~ *प्रत्येक* यौगिक, विनिर्माण, साल्ट, व्युत्पादित, मिश्रण, या *पौधे* ~~परिपक्व डंठलों~~ की सामग्री या ~~सिवाय उससे निकाले गए~~ *तैयार किया गया* रेसिन ~~या पुष्पण के ऊपरी हिस्से को छोड़कर, फाइबर, तेल या टिकिया अथवा वंध्यीकृत बीज अथवा बीज का कोई घटक, ऐसे पौधे का घटक जो अंकुरित होने में अक्षम है~~ तक सीमित है।

(b) औद्योगिक भांग का धारण, उपयोग, खरीद, बिक्री, उत्पादन, प्रसंस्करण, निर्माण, पैकेजिंग, लेबलिंग, परिवहन, भंडारण, वितरण, उपयोग और स्थानांतरण इस खंड के प्रावधानों या व्यवसाय एवं पेशा संहिता के खंड 10 (अनुभाग 26000 से शुरू करते हुए) के अधीन नहीं होगा, बल्कि इसकी बजाय खाद्य एवं कृषि संहिता के (अनुभाग 81000 से शुरू करते हुए) खंड 24 के प्रावधानों के अनुरूप खाद्य एवं कृषि विभाग के द्वारा विनियमित होगा।

अनुभाग 9.2. खाद्य और खेती संहिता का अनुभाग 81000 संशोधित किया गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

81000. *परिभाषाएं।*

इस खंड के उद्देश्य के लिए, निम्न शब्दों के निम्न अर्थ है:

(a) "बोर्ड" का अर्थ औद्योगिक भांग सलाहकार बोर्ड है।

(b) "कमिश्नर" का अर्थ काउंटी के कृषि से जुड़े कमिश्नर से है।

(c) "स्थापित कृषि अनुसंधान संस्थान" का अर्थ ~~कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, कृषि अनुसंधान केंद्रों और संरक्षण अनुसंधान केंद्रों समेत ऐसे सार्वजनिक या निजी संस्थान या संगठन से है, जो कृषि अनुसंधान के लिए जमीन का रखरखाव करते हैं।~~ *ऐसे किसी संस्थान से है जो या तो:*

(1) कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, कृषि अनुसंधान केंद्रों और संरक्षण अनुसंधान केंद्रों समेत ऐसे सार्वजनिक या निजी संस्थान या संगठन से है, जो कृषि अनुसंधान के लिए जमीन या सुविधाओं का रखरखाव करते हैं; या

(2) ऐसा उच्च शिक्षा संस्थान (जैसा कि 1965 के उच्च शिक्षा अधिनियम (20 U.S.C. 1001) के अनुभाग 1001 में परिभाषित किया गया है), जो कृषि से जुड़े प्रायोगिक कार्यक्रम या अन्य कृषि अथवा शैक्षणिक अनुसंधान के तहत

आयोजित अनुसंधान के उद्देश्य से औद्योगिक भांग को उगाता, खेती या विनिर्माण करता है।

(d) "औद्योगिक भांग" का आशय वही है जैसा कि स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के अनुभाग 11018.5 में इस शब्द को पारिभाषित किया गया है।

(e) "सचिव" का अर्थ खाद्य एवं कृषि सचिव से है।

(f) "बीज संवर्धक" का अर्थ ऐसे व्यक्ति या सार्वजनिक या निजी संस्थान या संगठन से है, जो बिक्री या अनुसंधान के लिए लक्षित बीज की किस्में विकसित करने के लिए कमिश्नर के पास पंजीकृत है।

(g) "बीज की किस्म" का अर्थ औद्योगिक भांग की किस्म है।

(h) "बीज विकास योजना" का अर्थ औद्योगिक भांग के लिए नये किस्म का बीज उगाने या विकसित करने के लिए अपने नियोजित दृष्टिकोण का विवरण देते हुए बीज प्रजनक या बीज प्रजनक आवेदनकर्ता द्वारा तैयार की गयी रणनीति है।

अनुभाग 9.3. खाद्य और खेती संहिता का अनुभाग 81006 संशोधित किया गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

81006. *औद्योगिक भांग की वृद्धि की सीमाएं; निषेध; आयात; प्रयोगशाला परीक्षण।*

(a) (1) सिवाय उस स्थिति को छोड़कर जबकि इसे स्थापित कृषि अनुसंधान संस्थान या पंजीकृत बीज संवर्धक के द्वारा उगाया जाता है, औद्योगिक भांग को केवल एक ही समय में कम से कम ~~पाँच एकड़~~ *एकड़ के दसवाँ भाग* के रकबे में सघन तरीके से आरोपित किए गए फाइबर या तिलहन की फसल या दोनों के रूप में ही उगाया जाएगा ~~और औद्योगिक भांग के रकबे के किसी भी हिस्से में समीपस्थ एक एकड़ से कम के भूखंडों को सम्मिलित नहीं करेगा~~।

(2) बीज उत्पादन के उद्देश्यों के लिए पंजीकृत बीज संवर्धक ही एक ही समय में कम से कम *एकड़ के दसवाँ भाग* ~~दो एकड़~~ के रकबे में सघन तरीके से लगायी गयी फसल के रूप में औद्योगिक भांग को उगाएगा ~~और औद्योगिक भांग के रकबे के किसी भी हिस्से में समीपस्थ एक एकड़ से कम के भूखंडों को सम्मिलित नहीं करेगा~~।

(3) California के नई किस्म के बीज को विकसित करने के उद्देश्यों के लिए पंजीकृत बीज संवर्धक कम से कम एक एकड़ के *दसवें हिस्से* के समर्पित रकबे में यथासंभव सघन रूप में और बीज विकास योजना के अनुरूप औद्योगिक भांग उगाएगा। यह जरूरी नहीं है कि समर्पित रकबे की समूची जगह का उपयोग खासकर नयी किस्म के बीज को उपजाने के लिए किया जाए।

(b) सजावटी और अवैध औद्योगिक भांग की खेती निषिद्ध है। सभी भूखंडों में यह इंगित करने वाले पर्याप्त संकेतक लगे होंगे कि वे औद्योगिक भांग हैं।

(c) औद्योगिक भांग के एक-एक पौधों की कटाई-छँटाई और देखभाल निषिद्ध है, सिवाय इसके जब इसका उत्पादन स्थापित कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जाता है या जब इस खंड में वर्णित किए गए टेट्राहाइड्रोकैनाबिवोल (THC) के परीक्षण को निष्पन्न करने के लिए यह करना जरूरी हो।

(d) औद्योगिक भांग को बीनने की मनाही है, सिवाय इसके जब इसका उत्पादन स्थापित कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जाता है, जब इस खंड में वर्णित किए गए THC परीक्षण को निष्पन्न करने अथवा पंजीकृत बीज संवर्धक द्वारा बीज के उत्पादन और विकास के उद्देश्यों के लिए के लिए ऐसा करना जरूरी हो।

(e) औद्योगिक भांग में अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार आयोग की अमेरिका की संगत टैरिफ अनुसूची (2013) के तहत आयात किए गए उत्पाद शामिल होंगे, इसमें भांग के बीज, प्रति उप-शीर्षक 1207.99.03, भांग तेल, प्रति उप-शीर्षक 1515.90.80, तेल की टिकिया, प्रति उप-शीर्षक 2306.90.01, असली भांग, प्रति शीर्षक 5302, भांग का असली धागा, प्रति उप-शीर्षक 5308.20.00 और भांग के असली रेशों से बुने गए कपड़े, प्रति उप-शीर्षक 5311.00.40।

(f) सिवाय तब के जब औद्योगिक भांग को स्थापित कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा उगाया जाता है, इस अनुभाग के तहत औद्योगिक भांग को उगाने वाला रजिस्ट्रार प्रत्येक फसल की कटाई से पहले, जैसा कि नीचे बताया गया है, उपजायी गयी औद्योगिक भांग के ऊपर के शुष्क पुष्पण के बेतरतीब नमूना चयन के THC स्तर को इंगित करते हुए प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करेगा।

(1) नमूना-चयन जितनी जल्दी मुमकिन होगा किया जाएगा, जब बीजों के आसपास पत्तियों में THC की मात्रा अपने शिखर पर होगी और बीजों के परिपक्व होते जाने के साथ ही इसकी शुरुआत होगी, जिस समय पौधों के तकरीबन 50 प्रतिशत शुरुआती बीज दबाव प्रतिरोधी होते हों।

(2) बीजों समेत पौधे के फल को धारण करने वाले सभी अंग नमूने के रूप में उपयोग में लाये जाएंगे। नमूना कटौती सीधे पौधे के एक-तिहाई हिस्से में सबसे ऊपर पाये जाने वाले पुष्पवृंत के नीचे की जाएगी।

(3) THC परीक्षण के लिए एकत्रित किए गए नमूने के साथ निम्नलिखित प्रलेखन नत्थी होगा:

(A) पंजीकरण का रजिस्ट्रार का साक्ष्य।

(B) उपयोग में लाये गए नए बीजों के लिए बीज प्रमाणन प्रलेखन।

(C) उपयोग में लाए गए प्रत्येक प्रमाणित नए बीजों के लिए THC परीक्षण रिपोर्ट।

(4) प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट संघीय औषधि प्रवर्तन प्रशासन में पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा जारी की जाएगी और THC की मात्रा की प्रतिशतता बताएगी, लिये गए नमूने की तारीख और जगह बताएगी और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के निर्देशांक तथा फसल का कुल रकबा बताएगी। प्रयोगशाला परीक्षण की रिपोर्ट अगर THC की मात्रा के ऐसे प्रतिशत का संकेत देती है, जो 1 प्रतिशत के बराबर या उसके तीन बटे दस से कम है तो "CALIFORNIA औद्योगिक भांग के रूप में सफल" शब्द प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट पर या उसके ऊपर दिखायी देगी। प्रयोगशाला परीक्षण की रिपोर्ट अगर THC की मात्रा के ऐसे प्रतिशत का संकेत देती है, जो 1 प्रतिशत के तीन बटे दस से अधिक है तो "CALIFORNIA औद्योगिक भांग के रूप में विफल" शब्द प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट पर या उसके ऊपर दिखायी देगी।

(5) प्रयोगशाला परीक्षण की रिपोर्ट अगर THC की मात्रा की ऐसी प्रतिशतता को इंगित करती है जो 1 प्रतिशत के तीन बटे दस के बराबर या उससे कम है तो प्रयोगशाला परीक्षण का अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रयोगशाला द्वारा अधिकृत कर्मचारी के हस्ताक्षर वाली कम से कम 10 मूल प्रतियाँ मुहैया कराएगी और नमूना-चयन की अपनी तारीख से कम से कम दो वर्षों के लिए प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट की एक या अधिक मूल प्रतियाँ अपने पास रखेगी।

(6) प्रयोगशाला परीक्षण की रिपोर्ट अगर THC की मात्रा के ऐसे प्रतिशत को इंगित करती है, जो 1 प्रतिशत के तीन बटे दस से अधिक है और 1 प्रतिशत से अधिक नहीं पाया जाता तो औद्योगिक भांग को उगाने वाला रजिस्ट्रार उगाये गए औद्योगिक भांग के परीक्षण के लिए अतिरिक्त नमूनों को प्रस्तुत करेगा।

(7) औद्योगिक भांग को उगाने वाला रजिस्ट्रार इस बात को इंगित करने वाली प्रयोगशाला परीक्षण की पहली रिपोर्ट के प्राप्त होने पर उगाये गए औद्योगिक भांग को नष्ट कर देगा, जो इस बात को इंगित करती है कि THC का प्रतिशत 1 प्रतिशत से अधिक है अथवा पैरा (6) के अनुरूप प्रयोगशाला परीक्षण की दूसरी रिपोर्ट, जो THC की मात्रा के ऐसे प्रतिशत के बारे में बताती है जो 1 प्रतिशत के तीन बटे दस से अधिक लेकिन 1 प्रतिशत से कम है। THC की मात्रा का प्रतिशत अगर 1 प्रतिशत से अधिक होता है तो प्रयोगशाला परीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर नष्ट किए जाने का काम संपन्न कर दिया जाएगा। प्रयोगशाला परीक्षण की दूसरी रिपोर्ट में अगर THC की मात्रा का प्रतिशत 1 प्रतिशत के तीन बटे दस से अधिक लेकिन 1 प्रतिशत से कम होता है तो नष्ट करने का काम यथासंभव शीघ्रतापूर्वक कर दिया जाएगा लेकिन इस काम को दूसरी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 45 दिनों में करना होगा।

(8) औद्योगिक भांग उगाने का इरादा रखने वाले रजिस्ट्रार और इस अनुभाग का अनुपालन करने वाले व्यक्ति पर प्रयोगशाला परीक्षण की ऐसी रिपोर्ट के

फलस्वरूप भांग को उपजाने या उसे अपने पास रखने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, जो THC की मात्रा के ऐसे प्रतिशत को इंगित करती है जो 1 प्रतिशत के तीन बटे दस से अधिक है लेकिन 1 प्रतिशत की सीमा को पार नहीं करता।

(9) स्थापित कृषि अनुसंधान संस्थानों को प्रयोगशाला परीक्षण की ऐसी रिपोर्ट के आने पर औद्योगिक भांग को उपजाने या उसे अपने पास रखने की इजाजत प्रदान की जाएगी, जो THC की मात्रा के ऐसे प्रतिशत को इंगित करती है जो 1 प्रतिशत के तीन बटा दस से अधिक है, बशर्ते कि उसकी खेती करने या उसे अपने पास रखने से औद्योगिक भांग के ऐसे प्रकारों के विकास में योगदान दे, जो इस खंड में स्थापित THC की 1 प्रतिशत के तीन बटे दसवें भाग की सीमा का अनुपालन करेगा।

(10) स्थापित कृषि अनुसंधान संस्थान के लिए को छोड़कर औद्योगिक भांग का उत्पादन करने वाला रजिस्ट्रार प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट की मूल हस्ताक्षरित प्रति को उसके नमूना-चयन की तारीख से दो वर्षों के लिए अपने पास बनाए रखेगा, विभाग, कमिश्नर या विधि प्रवर्तन अधिकारियों या अनुरोध पर नामित व्यक्तियों के पास उपलब्ध प्रयोगशाला परीक्षण मूल हस्ताक्षरित प्रति बनाएगा और औद्योगिक भांग, फाइबर, तेल, टिकिया अथवा बीज या पौधे के बीज के किसी भी घटक को खरीदने वाले, ढुलाई करने वाले या अन्यथा रजिस्ट्रार के पास से प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औद्योगिक परीक्षण रिपोर्ट की मूल प्रति मुहैया कराएगा।

64

(g) अगर इस खंड में जोड़े गए अधिनियम के अनुभाग 8 के अनुरूप जारी की गयी अटॉर्नी जनरल की राय से यह निर्धारित होता है कि इस अनुभाग के प्रावधान संघीय कानून का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो बोर्ड के साथ परामर्श करके विभाग संघीय कानून की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले इस खंड के लिए कार्यविधियों को स्थापित करेगा।

अनुभाग 9.4. खाद्य और खेती संहिता के अनुभाग 81007 को निरस्त कर दिया गया है।

~~81007. (a) सिवाय इसके जैसा कि उपखंड (b) में मुहैया कराया गया है या अनुभाग 81006 के उपखंड (f) के अनुरूप परीक्षण को निष्पन्न करने के लिए जैसा आवश्यक हो, वैध खेती की फील्ड के बाहर रेसिन, ऊपर के पुष्पण या ऐसी पत्तियों को अपने पास रखना निषिद्ध है, जिस भांग के पौधे से अलग कर दिया गया है।~~

~~(b) भांग की गाँठों में भांग की पत्तियों की या पुष्पण के ऊपरी हिस्सों की न्यूनतम मात्रा, या तुच्छ संख्या की मौजूदगी, जो औद्योगिक भांग के सामान्य एवं उपयुक्त संसाधन के फलस्वरूप आती है, को भांग रखना नहीं माना जाएगा।~~

अनुभाग 9.5. खाद्य और खेती संहिता का अनुभाग 81008 संशोधित किया गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

81008. *अटॉर्नी जनरल की रिपोर्टें; अपेक्षाएं।*

(a) 1 जनवरी 2019 ~~या संघीय कानून के तहत इस खंड के प्रावधानों के अधिकृत होने के बाद पाँच साल में, जो भी बाद में आता हो,~~ तक अटॉर्नी जनरल कृषि पर असेंबली और सीनेट की समितियों और सार्वजनिक सुरक्षा पर असेंबली और सीनेट की समितियों को सूचित की गयी घटनाओं को रिपोर्ट करेगा, निम्नलिखित में से अगर कोई हैं:

(1) भांग की खेती को छिपाने के लिए उपयोग में लायी जा रही औद्योगिक भांग की फील्ड।

(2) उन लोगों को छोड़कर व्यक्तियों द्वारा अदालती सुनवाई में दावे, जिन्हें अनुभाग 81006 के उपखंड (f) में छूट मिली हुई है कि मरिवाना औद्योगिक भांग है।

(b) उपखंड (a) के अनुरूप प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट सरकारी संहिता के अनुभाग 9795 के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी।

(c) सरकारी संहिता के अनुभाग 10231.5 के अनुरूप इस अनुभाग को 1 जनवरी 2023 को या उस तारीख के चार वर्षों बाद रद्द कर दिया जाएगा, जिस तारीख को रिपोर्ट आनी है, इनमें से जो भी बाद में आता हो।

अनुभाग 9.6. खाद्य और खेती संहिता का अनुभाग 81010 संशोधित किया गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

81010. *खंड का प्रचालन।*

(a) यह खंड और अनुभाग 221 1 जनवरी 2017 को सक्रिय हो जाएगा। ~~उस समय तक नहीं होगा, जब तक उसे संघीय कानून के तहत अधिकृत न कर दिया जाए।~~

(b) औद्योगिक भांग का धारण, उपयोग, खरीद, बिक्री, उत्पादन, निर्माण, पैकेजिंग, लेबलिंग, ढुलाई, भंडारण, वितरण, उपयोग और हस्तांतरण इस खंड के अनुरूप विनियमित किया जाएगा। मरिवाना नियंत्रण ब्यूरो के पास ऐसे पौधों और उत्पादों को विनियमित और नियंत्रित करने का अधिकार है, जो औद्योगिक भांग की परिभाषा के भीतर फिट बैठते हों लेकिन जो व्यवसाय एवं पेशा संहिता के खंड 10 (अनुभाग 26000 से शुरू होने वाली) के तहत जारी किए गए लाइसेंस के अनुरूप तैयार, संसाधित, विनिर्मित, परीक्षित और सुपुर्द की जाती है या अन्यथा सँभाली जाती है।

अनुभाग 10. संशोधन।

इस अधिनियम को इसके उद्देश्यों और अनुभाग में वर्णित अभिप्राय को पूरा करने के लिए व्यापक अर्थों में समझा जाएगा, जैसा कि अनुभाग 3 में बताया गया है। विधानमंडल अनुभाग 5 से लेकर 5.5 और अनुभाग 6 से लेकर 6.3 तक के मूल उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए उनमें निहित इस अधिनियम के प्रावधानों को बहुमत से संशोधित कर सकता है, बशर्ते कि इस तरह के संशोधन सुसंगत हों और इस अधिनियम के उद्देश्यों और अभिप्राय को आगे बढ़ाते हों, जैसा कि अनुभाग 3 में बताया गया है। इस अधिनियम के अनुभाग 6 से लेकर 6.3 तक के तहत कर्मचारियों और लाइसेंसधारियों के अन्य श्रमिकों के लिए कानून बनाने वाले इस अधिनियम में संशोधनों को, जो इस अधिनियम में उनके लिए मुहैया कराये गए संरक्षणों के अतिरिक्त हैं अथवा जो अन्यथा इस तरह के कर्मचारियों या लाइसेंसधारकों के श्रमिकों के अधिकारों को इस अधिनियम के अनुभाग 6 से लेकर 6.3 तक के तहत विस्तारित करते हैं, इस अधिनियम के उद्देश्यों और अभिप्राय के अनुरूप और उसे आगे ले जाने वाला समझा जाएगा। विधानमंडल इस अधिनियम द्वारा संबोधित किन्हीं अपराधों को और कम करने के लिए किन्हीं प्रावधानों को बहुमत से संशोधित, परिवर्धित, या निरस्त कर सकता है। सिवाय उसके जैसा कि अन्यथा मुहैया कराया गया है, अधिनियम के प्रावधानों को इस अधिनियम के उद्देश्यों और अभिप्राय को आगे बढ़ाने के लिए दो-तिहाई मतों से संशोधित किया जा सकता है।

अनुभाग 11. निर्माण और व्याख्या।

इस अधिनियम के प्रावधानों को वयस्कों द्वारा मरिवाना के सेवन पर नियंत्रण, विनियमन और टैक्स अधिनियम के उद्देश्यों और अभिप्राय को क्रियान्वित करने के लिए उदारतापूर्वक समझा जाएगा; तथापि, बशर्ते कि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या प्रावधानों की व्याख्या या उसका अर्थ इस तरह से न निकाला जाए, जिससे संघ सरकार के नियंत्रित पदार्थ अधिनियम समत संघीय कानून सकारात्मक टकराव न हो, इस प्रकार से कि इस अधिनियम के या के प्रावधान और संघीय कानून एक साथ सुसंगत रूप से नहीं बने रह सकते।

अनुभाग 12. पृथक्करणीयता।

यदि इस अधिनियम में कोई प्रावधान, या इसका भाग, या किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए किसी प्रावधान या भाग की प्रयोजनीयता, किसी कारण से अमान्य, या असंवैधानिक पाई जाती है, तो शेष प्रावधान और भाग प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि पूरी शक्ति और प्रभाव से लागू होंगे, और इस अर्थ में इस अधिनियम के प्रावधान पृथक्करणीय हैं।

अनुभाग 13. परस्पर-विरोधी पहलें।

उस स्थिति में जबकि यह विधेयक और मरिवाना, चिकित्सीय मरिवाना, या

औद्योगिक भांग के नियंत्रण, विनियमन और कर निर्धारण के संबंध में कोई अन्य विधेयक एक ही राज्यस्तरीय चुनाव मतपत्र पर दिखाई देंगे तो अन्य विधेयक या विधेयकों के प्रावधानों को इस विधेयक के साथ परस्पर टकराव वाला माना जाएगा। यदि इस विधेयक को बड़ी संख्या में सकारात्मक मत मिलेंगे, तो इस विधेयक के प्रावधान अपनी संपूर्णता में प्रचलित रहेंगे, और दूसरे विधेयक के प्रावधान अमान्य हो जाएँगे।

प्रस्ताव 65

यह पहल सम्बंधी विधेयक California संविधान के अनुच्छेद II की अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुपालन में लोगों को पेश किया जाता है।

यह पहल संबंधी विधेयक सार्वजनिक संसाधन संहिता में अनुभाग जोड़ता है; इसलिए, जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधान, यह दर्शाने के लिए कि वे नए हैं, *तिरछे अक्षरों* में छापे गए हैं।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. शीर्षक।

इस अधिनियम को पर्यावरण शुल्क सुरक्षा अधिनियम के रूप में जाना जाएगा और उद्धृत किया जा सकता है।

अनुभाग 2. निष्कर्ष और घोषणाएँ।

California राज्य के लोग निम्न निष्कर्ष देते हैं और घोषणा करते हैं:

(a) 2014 में, California राज्य विधानमंडल ने California ग्रोसर्स एसोसिएशन सहित विशेष हितों की लॉबिंग के बाद प्लास्टिक कैरीआउट बैग पर प्रतिबंध लगाया था।

(b) आगे चलकर कानून में और संशोधन किया गया कि स्टोर्स द्वारा ग्राहक को न्यूनतम 10 सेंट की राशि में कागज या रियूजेबल कैरीआउट बैग की बिक्री की जाएगी। स्टोर्स द्वारा आवश्यक समझे जाने पर इसके लिए और अभी अधिक शुल्क लिया जा सकता है और पंसारी तथा खुदरा व्यापारियों के लिए विशेष रूप से कानूनन यह अनुमति होगी कि वे इस अतिरिक्त शुल्क को अपनी प्राप्ति के रूप में अपने पास रखें।

(c) कैरीआउट बैग पर लगे राजकीय कानून द्वारा आवश्यक शुल्क की राशि में से कुछ भी पर्यावरण संबंधी कामों पर खर्च नहीं किया जाएगा। विधानमंडल ने कानून का निर्माण इस तरह किया कि ये अतिरिक्त बिक्री शुल्क पंसारी और खुदरा व्यापारियों के पार उनके लाभ के रूप में रहें।

(d) इस विशेष हित सौदा से पंसारी और खुदरा व्यापारियों को $400 मिलियन से अधिक की राशि California के ग्राहकों के व्यय से और बिना पर्यावरण को थोड़ा या कोई भी लाभ पहुंचाए बिना अतिरिक्त प्राप्ति के रूप में प्राप्त हो जाएगा।

(e) California के लोगों को यह पूरा अधिकार है कि वे कैरीआउट बैग की बिक्री पर लगने वाले किसी भी शुल्क की राशि राजकीय कानून के तहत पर्यावरण पर हित में खर्च किए जाने की अपेक्षा करें, बजाए कॉरपोरेशनों की जेब में जाने के।

अनुभाग 3. उद्देश्य का ब्यान।

पर्यावरण शुल्क सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य है यह अनिवार्य करते हुए California के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना कि कैरीआउट बैग पर लगने वाला कोई भी शुल्क जो प्लास्टिक बैग पर रोक लगाने, या इसे आगे बढ़ाने, के संबंध में लगाया गया हो, सूखा से निबटने, रिसाइक्लिंग, पेयजल की आपूर्ति को शुद्ध करने, पार्कों, समुद्रतट की सफाई, कचरा निस्तारण और वन्यजीव के पर्यावास की पुनर्स्थापना के कार्यों पर व्यय किया जाए।

अनुभाग 4. अध्याय 5.2 (अनुभाग 42270 के साथ शुरू करते हुए) को सार्वजनिक संसाधन संहिता के खंड 30 के भाग 3 में जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

अध्याय 5.2. कैरीआउट बैग शुल्क: पर्यावरण सुरक्षा और समुन्नयन

42270. इस अध्याय को पर्यावरण शुल्क सुरक्षा अधिनियम के रूप में जाना जाएगा और उद्धृत किया जा सकता है।

42271. (a) कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, किसी भी प्रकार के कैरीआउट बैग के मुफ्त वितरण पर रोक लगाने तथा किसी अन्य प्रकार के कैरीआउट बैग की बिक्री को अनिवार्य करने के उद्देश्य से स्टोर द्वारा पैदा की गई या एकत्र की गई समस्त राशि पर्यावरण सुरक्षा और समुन्नयन कोष में जमा की जाएगी जिसकी स्थापना राजकीय कोष में की गई है और जिसका संचालन वन्यजीव संरक्षण बोर्ड द्वारा अनुभाग 42272 के तहत किया जाता है।

(b) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए:

(1) "स्टोर" का अर्थ है कोई खुदरा प्रतिष्ठान जो निम्नलिखित किसी भी आवश्यकता को पूरा करता हो:

(A) फुल-लाइन स्व-सेवा खुदरा स्टोर जिसकी वार्षिक बिक्री दो मिलियन डॉलर ($2,000,000) या उससे अधिक हो जो अनेक प्रकार की सूखा किराने का सामान, डिब्बाबंद वस्तुएं अथवा गैरखाद्य वस्तुओं और खराब हो सकने वाली कुछ वस्तुओं की बिक्री करता हो।

(B) उसके पास कम से कम 10,000 वर्ग फीट की जगह हो जो बिक्री करता हो अथवा ब्रैडली-बर्न्स यूनिफॉर्म लोकल सेल्स तथा यूज टैक्स लॉ (भाग 1.5 (जिसकी शुरुआत होती है अनुभाग 7200 से) राजस्व और कराधान संहिता के भाग 2) के अनुरूप कर का इस्तेमाल करता हो और जिसके पास बिजनेस एंड प्रोफेशन कोड के भाग 2 के अध्याय 9 (जिसकी शुरुआत होती है अनुभाग 4000 से) के अनुरूप फार्मेसी लाइसेंस हो।

(C) वह कोई सुविधाजनक फूड स्टोर, फूड मार्ट, या अन्य कोई प्रतिष्ठान हो जो सीमित प्रकार की वस्तुओं की खुदरा बिक्री करता हो, जिसमें सामान्यतः शामिल होते हैं दूध, ब्रेड, सोडा और स्नैक्स खाद्य तथा जिसके पास डिपार्टमेंट ऑफ अल्कोहलिक बेवरीजेज कंट्रोल द्वारा जारी किया गया टाइप 20 या टाइप 21 लाइसेंस हो।

(D) वह कोई सुविधाजनक फूड स्टोर, फूड मार्ट, या अन्य कोई प्रतिष्ठान हो जो ऐसी वस्तुओं की खुदरा बिक्री करता हो, जिनका उपभोग परिसर से बाहर जाकर किया जाना हो, तथा जिसके पास डिपार्टमेंट ऑफ अल्कोहलिक बेवरीजेज कंट्रोल द्वारा जारी किया गया टाइप 20 या टाइप 21 लाइसेंस हो।

(2) "राजकीय कानून" का अर्थ किसी भी संविधि, कानून, नियमन अथवा अन्य वैधानिक प्राधिकार से है जिसे California सरकार द्वारा अथवा उसके किसी भी एजेंसी या विभाग द्वारा इस अनुभाग के प्रभावी होने की तिथि से पहले या बाद में अंगीकृत, कार्यान्वित या अधिनियमित किया गया हो।

(3) "कैरीआउट बैग" का अर्थ है एकल इस्तेमाल वाले कैरीआउट बैग, पेपर बैग, रिसाइकल किए हुए पेपर बैग, प्लास्टिक बैग, रिसाइकल किए हुए प्लास्टिक बैग, रियूजेबल प्लास्टिक बैग, कंपोस्टेबल बैग, रियूजेबल किराने के सामान का बैग या अन्य किसी भी प्रकार के बैग जिसका इस्तेमाल स्टोर से खरीदी गई वस्तुओं को ले जाने के लिए होता है।

(c) (1) वन्यजीवन संरक्षण मंडल द्वारा ऐसे नियमन अपनाए जा सकते हैं और ऐसे संदर्भों में राज्य अथवा स्थानीय निकायों के साथ समन्वयन या संपर्क किया जा सकता है जो उपखण्ड (a) इस अनुभाग, अनुभाग 42272, तथा अनुभाग 42273 के क्रियान्वयन और संचालन के अनुरूप हो।

(2) कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, पांच सौ हजार डॉलर ($500,000) की राशि का ऋण इसके द्वारा सुरक्षित पेय जल, जल की गुणवत्ता और आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, 2006 के नदी और तटीय सुरक्षा कोष (अनुभाग 75009) से वन्यजीवन संरक्षण मंडल को उपखण्ड (a) इस अनुभाग, अनुभाग 42272, तथा अनुभाग 42273 के नियमों के क्रियान्वयन और संचालन के उद्देश्य से दिया जाएगा। यदि सुरक्षित पेयजल, जल की गुणवत्ता और आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, 2006 के नदी और तटीय सुरक्षा कोष की राशि यदि इस

64

65

पैरा द्वारा आवश्यक ऋण के लिए अपर्याप्त है 2014 के जल की गुणवत्ता, आपूर्ति और अवसंरचना विकास कोष (अनुभाग 79715 वाटर कोड) से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पर्यावरण सुरक्षा और समुन्नयन कोष में जमा समस्त राशि का इस्तेमाल सबसे पहले कुल ऋण के चुकता होने तक ऋण को चुकाते जाने में किया जाएगा। कंट्रोलर और सभी अन्य जिम्मेदार राजकीय अधिकारियों द्वारा इस पैरा के अनिवार्य ऋण कार्यान्वियन के लिए जरूरी कार्यवाही के जाएगी।

42272. (a) पर्यावरण सुरक्षा और समुन्नयन कोष की स्थापना एतद्वारा राजकीय कोष में की गई है।

(b) कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, पर्यावरण सुरक्षा और समुन्नयन कोष एक ट्रस्ट निधि है जिसकी स्थापना केवल इस अध्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया है। सरकारी संहिता की अनुभाग 13340 के बावजूद, कोष में जमा समस्त राशि और साथ में कोष द्वारा अर्जित ब्याज एतद्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष में वन्यजीवन संरक्षण मंडल को केवल उपखण्ड (c) में निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही व्यय किया जाएगा।

(c) वन्यजीवन संरक्षण मंडल इस धन का उपयोग पर्यावरण सुरक्षा एवं समुन्नयन कोष में तथा पर्यावरण सुरक्षा और समुन्नयन अनुदानों को धन मुहैया करने में करेगा। अनुदान के लिए योग्य परियोजनाएं और कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

(1) सूखे से निबटने की परियोजनाएं जिसमें अन्य बातों के अलावा शामिल हैं सूखा-प्रभावित वन हेतु निदान और वे परियोजनाएं जो आर्द्रभूमियों, मत्स्य पर्यावासों या जलमुर्गी के पर्यावासों का विस्तार या पुनर्स्थापना करती हैं।

(2) रिसाइक्लिंग।

(3) स्वच्छ पेयजल आपूर्ति।

(4) राज्य के, क्षेत्रीय और स्थानीय पार्क।

(5) समुद्र तट की सफाई।

(6) कचरा निस्तारण।

(7) वन्यजीवों के पर्यावास की पुनर्स्थापना।

(d) वन्यजीवन संरक्षण मंडल द्वारा इस राशि के अधिकतम 2 प्रतिशत का इस्तेमाल पर्यावरण सुरक्षा और समुन्नयन कोष में प्रशासकीय व्ययों के लिए किया जाएगा। अनुदान पाने वालों द्वारा प्रशासकीय व्ययों के लिए प्राप्त किसी भी धन का 5 प्रतिशत से अधिक भाग व्यय नहीं किया जा सकता।

65

(e) कोई भी अनुदान संवितरित करने से पहले इस अध्याय के अनुरूप वन्यजीवन संरक्षण मंडल द्वारा परियोजना अनुरोध और मूल्यांकन दिशानिर्देश विकसित किया जाएगा। इस दिशानिर्देश में प्रदान किए जाने वाले अनुदानों की डॉलर राशि पर सीमा हो सकती है। दिशानिर्देशों के अंतिम रूप दिए जाने से पहले वन्यजीवन संरक्षण मंडल द्वारा इंटरनेट वेबसाइट पर दिशानिर्देश का प्रारूप पोस्ट किया जाएगा और लोगों की राय जानने के लिए तीन सार्वजनिक सुनवाइयों का आयोजन किया जाएगा। पहली सार्वजनिक सुनवाई का अयोजन उत्तरी California में किया जाएगा, एक सुनवाई सेंट्रल वैली में और एक दक्षिणी California में आयोजित की जाएगी।

(f) (1) गैर-दलीय California स्टेट ऑडिटर द्वारा इस अध्याय के अनुरूप कोष पाने वाले कार्यक्रमों का एक द्विवार्षिक स्वतंत्र वित्तीय ऑडिट कराया जाएगा। California स्टेट ऑडिटर द्वारा अपनी रिपोर्ट गवर्नर तथा विधानमंडल के दोनों सदनों को सौंपी जाएगी और इंटरनेट वेब साइट पर सार्वजनिक किया जाएगा।

(2) (A) California स्टेट ऑडिटर द्वारा उपखण्ड में आवश्यक द्विवार्षिक ऑडिट कराने में आने वाली वास्तविक लागतों के लिए पर्यावरण सुरक्षा और समुन्नयन कोष में धन मुहैया कराया जाएगा जो चार सौ हजार डॉलर ($400,000) प्रति ऑडिट से अधिक नहीं हो सकता।

(B) चार सौ हजार डॉलर ($400,000) प्रति ऑडिट की अधिकतम सीमा को ऑल अर्बन कंज्यूमर्स (CPI-U) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापित मुद्रास्फीति में वृद्धि या कमी के लिए द्विवार्षिक रूप से समायोजित किया जाएगा। कोषाध्यक्ष कार्यालय इस पैरा द्वारा आवश्यक समायोजनों की गणना करेगा एवं इन्हें प्रकाशित करेगा।

42273. (a) कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, स्थानीय सरकारों द्वारा यह आवश्यक किया जा सकता है कि किसी भी स्थानीय कानून के अनुरूप किसी भी प्रकार के कैरीआउट बैग के मुफ्त वितरण पर रोक लगाने तथा किसी अन्य प्रकार के कैरीआउट बैग की बिक्री को अनिवार्य करने के उद्देश्य से स्टोर द्वारा कमाई या एकत्र की गई समस्त राशि पर्यावरण सुरक्षा और समुन्नयन कोष में जमा की जाए और उसका इस्तेमाल अनुभाग 42272 में विनिर्धारित उद्देश्यों के लिए किया जाए।

(b) इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए, "स्थानीय कानून" का अर्थ है ऐसा कोई भी अध्यादेश, प्रस्ताव, कानून, विनियमन, अथवा अन्य कोई भी वैध प्राधिकार जो किसी भी महानगर, काउंटी, महानगर और काउंटी, चार्टर महानगर, चार्टर काउंटी, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, कम्युनिटी कॉलेज या अन्य स्थानीय अथवा क्षेत्रीय सरकारी निकाय द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित या कार्यान्वित किया गया हो।

अनुभाग 5. उदार निर्माण।

अपने प्रयोजनों को पूरा करने के लिए इस अधिनियम को उदारतापूर्वक बनाया जाएगा।

अनुभाग 6. परस्पर-विरोधी विधेयक।

(a) उस परिस्थिति में जबकि किसी भी प्रकार या सभी प्रकार के कैरीआउट बैगों के मुफ्त वितरण पर रोक लगाने वाले और उनकी बिक्री की अनुमति देने वाले कानून के अनुरूप स्टोर्स द्वारा अर्जित या एकत्रित धनराशि के उपयोग से संबंधित यह विधेयक और कोई दूसरा या दूसरे विधेयक इसी राज्यव्यापी चुनाव मतपत्र पर उल्लेखित हों, तो अन्य विधेयक या विधेयकों को इस विधेयक के विरुद्ध माना जाएगा। यदि इस विधेयक को बड़ी संख्या में सकारात्मक मत मिलेंगे, तो इस विधेयक के प्रावधान अपनी संपूर्णता में प्रचलित रहेंगे, और दूसरे विधेयक या विधेयकों के प्रावधान अमान्य हो जाएँगे।

(b) यदि इस विधेयक को मतदाता अनुमोदित करें लेकिन उसी चुनाव में मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किसी अन्य परस्पर-विरोधी पहल द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से इसकी जगह ले ली जाती है, और बाद में ऐसे टकराव वाले विधेयक को अमान्य कर दिया जाता है, तो यह विधेयक स्वतः निष्पादित होगा और इसे पूरी ताकत और प्रभाव दिया जाएगा।

अनुभाग 7. पृथक्करणीयता।

इस अधिनियम के प्रावधान पृथक्करणीय हैं। यदि इस अधिनियम के किसी भी हिस्से, अनुभाग, उपखण्ड, पैरा, धारा, वाक्य, वाक्यांश, शब्द अथवा अर्जी को किसी भी कारण से किसी भी सक्षम न्यायिक अदालत के किसी निर्णय द्वारा अवैध पाया जाता है, तो वह निर्णय इस अधिनियम के शेष हिस्सों की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। इस प्रकार से California राज्य के लोग यह घोषणा करते हैं कि उन्होंने इस अधिनियम को स्वीकार कर लिया होता और इसके प्रत्येक हिस्से, अनुभाग, उपखण्ड, पैरा, धारा, वाक्य, वाक्यांश, शब्द, और अनुप्रयोग को अवैध अथवा असंवैधानिक घोषित नहीं किया होता, इस पर विचार किए बिना कि क्या इस अधिनियम अथवा इसके अनुप्रयोग के किसी हिस्से को बाद में अवैध घोषित किया जाएगा।

अनुभाग 8. कानूनी बचाव।

यदि यह अधिनियम California राज्य के मतदाताओं द्वारा मंजूर किया गया है और उसके बाद संघीय कानून के उल्लंघन का दोष लगाते हुए किसी कानूनी चुनौती के अधीन होता है और गर्वनर एवं अटार्नी जनरल इस अधिनियम का बचाव करने के लिए इन्कार कर देते हैं, तो निम्न कार्रवाईयां की जाएंगी:

(a) सरकारी संहिता अथवा किसी भी अन्य कानून के टाइटल 2 के खंड 3 के भाग 2 के अध्याय 6 (अनुभाग 12500 के साथ शुरू करते हुए) में कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, अटार्नी जनरल California राज्य की ओर से इस

अधिनियम का बचाव करने के लिए विश्वसनीय ढंग से और प्रबलता से स्वतंत्र वकील नियुक्त करेगा।

(b) स्वतंत्र वकील को नियुक्त करने से पहले या उसके बाद उसे बदलने से पहले, अटार्नी जनरल स्वतंत्र वकील की योग्यताओं का निर्धारण करने में उचित मूल्यांकन का इस्तेमाल करेगा और स्वतंत्र वकील से लिखित प्रतिज्ञा प्राप्त करेगा कि स्वतंत्र वकील इस अधिनियम का बचाव विश्वसनीय ढंग से और प्रबलता से करेगा। लिखित प्रतिज्ञा मांग पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

(c) इस प्रकार से California राज्य की ओर से इस अधिनियम का विश्वसनीय ढंग से और प्रबलता से बचाव करने के लिए स्वतंत्र वकील को रखने की लागत को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि में, वित्तीय वर्षों पर विचार किए बिना, सामान्य निधि से कंट्रोलर तक एक निरंतर विनियोजन किया गया है।

प्रस्ताव 66

यह पहल सम्बंधी विधेयक California संविधान के अनुच्छेद II की अनुभाग 8 के प्रावधानों के अनुपालन में लोगों को पेश किया जाता है।

यह पहल विधेयक सरकारी संहिता और दंड संहिता के अनुभागों को संशोधित करता है और जोड़ता है; इसलिए मिटाने के लिए प्रस्तावित वर्तमान प्रावधानों को ~~काटे हुए अक्षरों~~ में प्रकाशित किया गया है और जोड़ने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधानों को *इटैलिक टाईप* में प्रकाशित किया गया है ताकि यह पता चले कि वे नए हैं।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. लघु शीर्षक।

इस अधिनियम को मृत्यु दंड सुधार और बचत अधिनियम 2016 के तौर पर जाना जाएगा एवं उल्लेखित किया जा सकता है।

अनुभाग 2. निष्कर्ष और घोषणाएँ।

1. California की मृत्यु दंड प्रणाली बर्बादी, देरी और अकुशलताओं के कारण प्रभावहीन है। इसे ठीक करने से California के करदाताओं के प्रति वर्ष कई मिलियन डॉलर बचेंगे। करदाताओं के इन बर्बाद हुए डॉलरों का बेहतर प्रयोग अपराध की रोकथाम, शिक्षा और वृद्धों और विकलांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

2. हत्या के पीड़ित और उनके परिवारों को न्याय और उचित प्रक्रिया प्राप्त करने का अधिकार है। मृत्यु दंड की प्रतीक्षा कर रहे हत्यारों ने 1,000 से अधिक पीड़ितों की हत्या की है जिनमें 229 बच्चे और 43 पुलिस अधिकारी थे; 235 पीड़ितों से बलात्कार किया गया और 90 पीड़ितों को यातना दी गई।

3. हत्या के पीड़ितों के परिवारों को न्याय के लिए दशकों तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। ये देरी उन परिवारों को और अधिक पीड़ा देती है जो न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अनेक व्यक्तियों का हत्यारा Robert Rhoades जिसने 8 वर्ष की आयु के Michael Lyons का अपहरण और बलात्कार किया, उसे यातना दी और उसकी हत्या की और जिसने बे एरिया हाई स्कूल की विद्यार्थी Julie Connell से भी बलात्कार किया और उसकी हत्या की, वह 16 से अधिक वर्षों से मृत्यु दंड की प्रतीक्षा कर रहा है। सैंकड़ों हत्यारे 20 से अधिक वर्षों से मृत्यु दंड की प्रतीक्षा करते रहे हैं।

4. 2012 में, विधायी विश्लेषक के कार्यालय ने यह पाया कि मृत्यु दंड की प्रतीक्षा कर रहे हत्यारों के लिए विशेष आवास समाप्त करने से प्रति वर्ष दसियों मिलियन डॉलर बचेंगे। इन बचतों का हमारे स्कूलों, कानून को लागू करने और हमें सुरक्षित रखने के लिए समुदायों में निवेश किया जा सकता है।

5. मृत्यु दंड की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों से जेलों में काम करना और पीड़ितों का अधिकार विधेयक (Marsy का कानून) के अनुरूप उनके पीड़ित परिवारों को मुआवज़े का भुगतान करना अपेक्षित होना चाहिए। काम करने और मुआवज़े का भुगतान करने से मना करने के परिणामस्वरूप विशेष अधिकार छीन लिए जाने चाहिए।

6. मृत्यु दंड के मामलों के लिए मौजूदा प्रभावहीन अपील प्रक्रिया में सुधार करने से प्रतिवादियों और पीड़ितों - दोनों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। ठीक इस समय, मृत्यु दंड के प्रतिवादी अपने अपील संबंधी वकील की नियुक्ति के लिए पाँच वर्ष या इससे अधिक समय तक प्रतीक्षा करते हैं। वकीलों को तुरंत नियुक्त करके, प्रतिवादियों के दावे जल्दी सुने जाएंगे।

7. किसी प्रतिवादी का वास्तविक निर्दोषता से संबंधित दावा सीमित नहीं होना चाहिए, लेकिन ओछे और अनावश्यक दावों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इन तरकीबों से करदाताओं के डॉलरों की बर्बादी हुई है और दशकों तक न्याय में देरी हुई है।

8. वह राज्य एजेंसी जिससे मृत्यु दंड के मामलों की सहायक समीक्षा में तेज़ी लाना अपेक्षित होता है, किसी कारगर निगरानी के बिना काम कर रही है जिससे लंबी अवधि के विलंब हो रहे हैं और करदाताओं के डॉलर बर्बाद हो रहे हैं। California के उच्चतम न्यायालय द्वारा इस राज्य एजेंसी की निगरानी से जवाबदेही सुनिश्चित करेगी।

9. नौकरशाही के विनियमों ने मृत्यु दंड के निर्णयों को लागू करने में अनावश्यक रूप से देरी की है। इन विनियमों पर बार-बार की चुनौतियों पर बर्बादी वाला खर्च समाप्त करने के फलस्वरूप न्याय को निष्पक्ष और कारगर रूप से लागू किया जा सकेगा।

10. California का संविधान अपराध के पीड़ितों को समय पर न्याय का अधिकार प्रदान करता है। मृत्यु दंड के किसी मामले की राज्य और संघीय न्यायालय, दोनों द्वारा दस वर्ष के भीतर पूर्ण और निष्पक्ष रूप से समीक्षा की जा सकती है। राज्य के नियमों और प्रक्रियाओं को अपनाकर, पीड़ित समय पर न्याय प्राप्त करेंगे और करदाता सैंकड़ों मिलियन डॉलर बचा पाएंगे।

11. California में मृत्यु दंड की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों में अनेक व्यक्तियों की हत्या करने वाले हत्यारे, पुलिसकर्मियों के हत्यारे, बच्चों के हत्यारे, जन हत्यारे और घृणा अपराध के हत्यारे सम्मिलित हैं। मृत्यु दंड की प्रणाली टूटी हुई है लेकिन इसे दुरुस्त किया जा सकता है और ऐसा किया जाना चाहिए। यह पहल पीड़ितों और प्रतिवादियों - दोनों के लिए न्याय सुनिश्चित करेगी और करदाताओं के सैंकड़ों मिलियन डॉलर बचाएगी।

अनुभाग 3. दंड संहिता में अनुभाग 190.6 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

190.6. (a) विधानमंडल ने यह पाया है कि मृत्यु दंड के सभी मामलों में सज़ा तुरंत दी जानी चाहिए।

(b) इसलिए, ऐसे सभी मामलों में जिनमें 1 जनवरी, 1997 को या इसके बाद मृत्यु दंड की सज़ा दी गई है, राज्य के उच्चतम न्यायालय को अपील में अपील संबंधी आरंभिक विवरण अनुभाग 190.8 के उपखंड (d) के अंतर्गत पूर्णता के लिए रिकॉर्ड के प्रमाणन के बाद सात महीनों के भीतर या अपीलकर्ता के वकील द्वारा पूरे किए गए रिकॉर्ड की प्राप्ति पर, जो कोई भी बाद में हो, उपयुक्त कारण के सिवाए, दाखिल किया जाएगा। फिर भी, उन मामलों में जहाँ परीक्षण का आलेख 10,000 पृष्ठों से अधिक हो, वहाँ विवरण को समय-सीमाओं के भीतर और न्यायिक परिषद् द्वारा अपनाए गए न्यायालय के नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसरण में पूरा किया जाएगा।

(c) ऐसे सभी मामलों में जिनमें 1 जनवरी, 1997 को या इसके बाद मृत्यु दंड की सज़ा दी गई है, उनमें विधानमंडल का यह लक्ष्य है कि विवरण प्रदान करना पूर्ण होने के 210 दिनों के भीतर अपील पर निर्णय लिया जाना चाहिए और गुण-दोषों को व्यक्त करने वाली राय दाखिल की जानी चाहिए। फिर भी, जहाँ अपील और बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के लिए याचिका की साथ-साथ सुनवाई होती है, वहाँ याचिका के लिए विवरण देना पूरा होने के 210 दिनों के भीतर याचिका पर निर्णय लिया जाना चाहिए और गुण-दोषों को व्यक्त करने वाली राय दाखिल की जानी चाहिए।

(d) California संविधान के अनुच्छेद I के अनुभाग 28 के उपखंड (b) के पैरा (9) में किए गए प्रावधान के अनुसार अपराध के पीड़ित व्यक्तियों के तेज़ और

65

66

अंतिम निष्कर्ष संबंधी अधिकार में तर्कसंगत समय के भीतर मृत्यु दंड के निर्णयों को लागू करवाने का अधिकार सम्मिलित है। इस पहल की प्रभावी तारीख के 18 महीनों के भीतर, न्यायिक परिषद् मृत्यु दंड की अपीलों और राज्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण समीक्षा पर कार्रवाई करने में तेज़ी लाने के लिए निर्मित प्रशासन के आरंभिक नियम और मानक अपनाएगी। आरंभिक नियमों को अपनाने या निर्णय की प्रविष्टि के पाँच वर्ष के भीतर, जो कोई भी बाद में हो, राज्य के न्यायालय मृत्यु दंड के मामलों में राज्य की अपीलों और आरंभिक राज्य बंदी प्रत्यक्षीकरण समीक्षा को पूरा करेंगे। न्यायिक परिषद् मृत्यु दंड के मामलों की समीक्षा की सामयिकता की सतत रूप से निगरानी करेगी और इस उपखंड में प्रदान की गई पाँच वर्ष की अवधि के भीतर राज्य की अपील और आरंभिक राज्य बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए आवश्यक नियमों और मानकों में संशोधन करेगी।

~~(d)~~ *(e)* पक्षों या ~~उच्चतम न्यायालय द्वारा इस अनुभाग द्वारा प्रदान की गई समय-सीमा को पूरा करने या इसका अनुपालन करने में विफल रहना दोषसिद्धि के किसी निर्णय या मृत्यु दंड की सज़ा से राहत प्रदान करने के लिए आधार नहीं होगा~~ *किसी न्यायालय द्वारा उपखंड (b) में दी गई समय-सीमा का पालन करने में विफल रहने से निर्णय की वैधता प्रभावित नहीं होगी या किसी अपील या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को बर्खास्त करने की अपेक्षा नहीं होगी। यदि कोई न्यायालय देरी को उचित ठहराते हुए असामान्य और बाध्यकारी कारणों के बिना पालन करने में विफल रहता है, तो कोई भी पक्ष या अपराध का पीड़ित अधिदेश की रिट के लिए याचिका द्वारा राहत की माँग कर सकता है। जिस न्यायालय में याचिका दाखिल की जाती है, वह इसे दाखिल किए जाने के 60 दिनों के भीतर कार्रवाई करेगा।* ~~पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों को लागू करने के लिए खड़े होने से संबंधित California के संविधान के~~ *अनुच्छेद I के अनुभाग 28 के उपखंड (c) का पैरा (1) इस उपखंड और उपखंड (d)* पर लागू होता है।

अनुभाग 4. दंड संहिता में अनुभाग 1227 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

1227. *(a)* यदि इस संहिता की अनुभाग 1239 के उपखंड (b) के अनुसरण में किसी अपील के लंबित रहने के सिवाय किसी अन्य कारण से, मृत्यु दंड के किसी निर्णय को लागू नहीं किया गया है, और यह प्रवृत्त रहता है, तो वह न्यायालय जिसमें दोष सिद्ध हुआ था, ज़िला अटॉर्नी के आवेदन पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर ~~किसी तारीख को तय करते हुए~~ *10 दिन की अवधि निर्दिष्ट करते हुए* ~~जो ऐसा आदेश देने के 30 दिन से कम और 60 दिन से अधिक कतई नहीं होनी चाहिए~~ कोई आदेश दे सकता है और ऐसे आदेश को दर्ज करवा सकता है जिस पर किसी निर्णय को लागू किया जाएगा।*-10 दिन की अवधि आदेश देने के कम से कम 30 दिन बाद शुरू होगी से आदेश दिए जाने के कम और 60 दिन बाद समाप्त होगी। आदेश दिए जाने के तुरंत बाद,* ~~ऐसे~~ आदेश की सत्यापित प्रति,जो क्लर्क द्वारा अभिप्रमाणित होगी, न्यायालय की मुहर के अंतर्गत लागू किए जाने के उद्देश्य से राज्य की जेल के उस वार्डन को पंजीकृत डाक से भेजी जाएगी जिसके पास प्रतिवादी की अभिरक्षा होगी; बशर्ते कि यदि प्रतिवादी फरार हो गया हो, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जा सकता है और गिरफ्तार किए जाने के बाद, उसे न्यायालय के सामने लाया जाएगा, जिस पर न्यायालय आदेश देगा जिसमें राज्य के जेल के उस वार्डन को निर्देश दिया जाएगा जिसे शेरिफ को ~~किसी निर्धारित समय पर~~ *10 दिन की अवधि के अंदर* निर्णय को लागू करने के लिए प्रतिवादी को सुपुर्द करने का अनुदेश दिया जाता है, जो ऐसा आदेश दिए जाने के समय से 30 दिन से कम *पर शुरू नहीं होनी चाहिए* और न ही 60 दिन से अधिक *पर समाप्त* होनी चाहिए।

(b) इसमें किए गए प्रावधान के अनुसार ऐसे निर्णय को लागू करने के लिए समय निर्धारित करने और इसके लिए निर्देश देने के आदेश से, कोई अपील नहीं की जाएगी।

अनुभाग 5. दंड संहिता में अनुभाग 1239.1 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

1239.1. (a) मृत्यु दंड के किसी मामले में मामले की समीक्षा में तेज़ी लाना उच्चतम न्यायालय का कर्त्तव्य है। न्यायालय किसी गरीब अपीलकर्ता के लिए जल्दी से जल्दी वकील नियुक्त करेगा। न्यायालय केवल बाध्यकारी या असाधारण कारणों के लिए विवरण देने के लिए समय बढ़ाने को स्वीकृति देगा।

(b) जब मृत्यु दंड के मामलों में वकील की नियुक्ति में व्यापक बैकलॉग को हटाना आवश्यक हो, तब उच्चतम न्यायालय उन वकीलों, जो सबसे गंभीर गैर-मृत्यु दंड अपीलों के लिए नियुक्त किए जाने के लिए योग्य हैं और जो मृत्यु दंड के मामलों में नियुक्ति स्वीकार करने के लिए मृत्यु दंड की अपीलों के लिए योग्यताओं को पूरा करते हैं, के न्यायालय की नियुक्ति सूची पर बने रहने की अपेक्षा करेगा। कोई "व्यापक बैकलॉग" तब इस उद्देश्य के लिए मौजूद होता है जब मुकदमा न्यायालय में निर्णय की प्रविष्टि से अपील के लिए वकील की नियुक्त तक का समय 12 लगातार महीनों की अवधि में 6 महीनों से अधिक होता है।

अनुभाग 6. दंड संहिता में अनुभाग 1509 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

1509. (a) यह अनुभाग, मृत्यु दंड के निर्णय के अनुसरण में हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जाने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के लिए किसी याचिका पर लागू होती है। इस अनुभाग के अनुसरण में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट मृत्यु दंड के किसी निर्णय पर संपार्श्विक हमले के लिए विशिष्ट प्रक्रिया है। सज़ा देने वाले न्यायालय के सिवाय किसी भी न्यायालय में दाखिल की गई याचिका उस न्यायालय को तुरंत अंतरित की जानी चाहिए जब तक कि याचिका की किसी अन्य न्यायालय द्वारा सुनवाई किए जाने के लिए उपयुक्त कारण न दर्शाया जाए। सज़ा देने वाले न्यायालय में दाखिल या इसे स्थानांतरित कोई याचिका तब तक मूल मुकदमा न्यायाधीश को सौंपी जाएगी जब तक न्यायाधीश अनुपलब्ध न हो या किसी अन्य न्यायाधीश को मामला सौंपने का अन्य उपयुक्त कारण न हो।

(b) मुकदमे के न्यायालय में मृत्यु के निर्णय की प्रविष्टि के बाद, वह न्यायालय सरकारी संहिता का अनुभाग 68662 में किए गए प्रावधान के अनुसार कैदियों को वकील की पेशकश करेगा।

(c) उपखंड (d) और (g) में किए गए प्रावधान के सिवाय, आरंभिक याचिका सरकारी संहिता का अनुभाग 68662 के अंतर्गत प्रविष्ट आदेश के एक वर्ष के भीतर अवश्य दाखिल की जानी चाहिए।

(d) कोई आरंभिक याचिका जो उपखंड (c) के अंतर्गत असामयिक है या कभी भी दाखिल की गई कोई बाद की याचिका को तब तक रद्द कर दिया जाएगा जब तक कि न्यायालय सभी उपलब्ध प्रमाणों, चाहे मुकदमे में स्वीकार्य हो या नहीं, की प्रचुरता द्वारा यह निष्कर्ष न निकाले कि प्रतिवादी वास्तव में उस अपराध के लिए निर्दोष है जिसके लिए उसका दोष सिद्ध किया गया था या सज़ा के लिए पात्र नहीं है। किसी बाद की या असामयिक याचिका पर विचार करने के उद्देश्य के लिए लागू किए जाने पर तब तक रोक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक न्यायालय यह निष्कर्ष न निकाले कि याचिकाकर्ता का वास्तविक निर्दोषता या अपात्रता का व्यापक दावा है। "मृत्यु की सज़ा के लिए पात्र नहीं" का यह अर्थ है कि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो उस सज़ा को सज़ा देने वाले के विवेक की सीमा से बाहर रखती हैं। अपात्रता के दावों में ऐसा दावा सम्मिलित है कि अनुभाग 190.2 के उपखंड (a) में कोई भी विशेष परिस्थिति सच नहीं है, ऐसा दावा कि अपराध के समय प्रतिवादी की आयु 18 वर्ष से कम थी, या ऐसा दावा कि प्रतिवादी में कोई बौद्धिक असमर्थता है जैसा कि अनुभाग 1376 में परिभाषित किया गया है। अनुभाग 190.3 के अंतर्गत सज़ा देने के निर्णय से संबंधित कोई दावा इस अनुभाग के उद्देश्य के लिए वास्तविक निर्दोषता या अपात्रता का दावा नहीं है।

(e) उपखंड (d) के तहत निर्दोषता या अपात्रता का दावा करने वाला कोई याचिकाकर्ता स्वयं के या स्वयं के वर्तमान या पूर्व वकील के कब्ज़े में दोष या अपात्रता से संबंधित सारी महत्वपूर्ण सूचना प्रकट करेगा। यदि याचिकाकर्ता इस उपखंड द्वारा अपेक्षित खुलासा करने और वकील द्वारा खुलासा अधिकृत करने में जान-बूझकर विफल रहता है, तो याचिका को बर्खास्त किया जा सकता है।

(f) इस अनुभाग के अंतर्गत कार्यवाहियाँ किसी निष्पक्ष न्याय-निर्णय के अनुरूप यथासंभव तेज़ी से संचालित की जाएंगी। वरिष्ठ न्यायालय आरंभिक याचिका को

तब तक दाखिल किए जाने के एक वर्ष के भीतर निपटा देगा जब तक न्यायालय यह न पा ले कि वास्तविक निर्दोषता के व्यापक दावे का समाधान करने के लिए देरी आवश्यक है, लेकिन किसी भी मामले में न्यायालय याचिका को निपटाने के लिए दो वर्ष से अधिक का समय नहीं लेगा। आरंभिक याचिका के निर्णय पर, न्यायालय अपने निर्णय के लिए तथ्यात्मक और कानूनी आधार बताते हुए निर्णय का विवरण जारी करेगा।

(g) यदि इस अनुभाग के लागू होने की तारीख पर कोई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लंबित है, तो न्यायालय याचिका को उस न्यायालय में अंतरित कर सकता है जिसने सज़ा दी थी। किसी ऐसे मामले में जिसमें मृत्यु दंड का फैसला इस अनुभाग के लागू होने की तारीख से पहले सुनाया गया था, लेकिन इस अनुभाग के लागू होने की तारीख से पहले कोई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल नहीं की गई है, तो ऐसी याचिका जो अन्यथा उपखंड (c) द्वारा बाधित कर दी जाएगी, इस अनुभाग की प्रभावी तारीख के एक वर्ष के भीतर या पूर्व कानून के अंतर्गत अनुमत समय, जो कोई भी पहले हो, में दाखिल की जा सकती है।

अनुभाग 7. दंड संहिता में अनुभाग 1509.1 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

1509.1. (a) कोई भी पक्ष अनुभाग 1509 के अंतर्गत किसी आरंभिक याचिका पर किसी वरिष्ठ न्यायालय के निर्णय के संबंध में अपील न्यायालय में अपील कर सकता है। कोई अपील बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार करने या मना करने के न्यायालय के निर्णय के 30 दिनों के भीतर वरिष्ठ न्यायालय में अपील का नोटिस दाखिल करने के द्वारा ली जाएगी। किसी बाद की याचिका का प्रयोग बंदी प्रत्यक्षीकरण राहत की मनाही की समीक्षा करने के साधन के रूप में नहीं किया जाएगा।

(b) उपखंड (a) के अंतर्गत किसी अपील पर विचार किए गए मुद्दे वरिष्ठ न्यायालय में किए गए दावों तक सीमित होंगे, सिवाय इसके कि अपील न्यायालय उस स्थिति में मुकदमा वकील की प्रभावहीन सहायता के दावे पर भी विचार कर सकता है यदि वरिष्ठ न्यायालय के समक्ष उस दावे को प्रस्तुत करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण वकील की विफलता को प्रभावहीन सहायता माना जाता है। यदि तथ्य के अतिरिक्त निष्कर्षों की आवश्यकता हो, तो अपील न्यायालय दावे पर विचार करने के लिए वरिष्ठ न्यायालय के समक्ष सीमित रिमांड प्रस्तुत कर सकता है।

(c) लोग किसी बाद की याचिका पर राहत देने के संबंध में वरिष्ठ न्यायालय के निर्णय के संबंध में अपील कर सकते हैं। याचिकाकर्ता किसी बाद की याचिका पर राहत देने से मना करने के वरिष्ठ न्यायालय के निर्णय के संबंध में तभी अपील कर सकता है यदि वरिष्ठ न्यायालय या अपील न्यायालय अपील करने की योग्यता का प्रमाणपत्र प्रदान करता है। इस उपखंड के तहत अपील करने की योग्यता का प्रमाणपत्र तभी जारी किया जा सकता है यदि याचिकाकर्ता ने राहत के लिए व्यापक दावा, जिसे प्रमाणपत्र में इंगित किया जाएगा और एक ऐसा व्यापक दावा दर्शाया हो कि अनुभाग 1509 के उपखंड (d) की अपेक्षाएं पूरी की गई हैं। इस उपखंड के अंतर्गत कोई अपील, न्यायालय के निर्णय के 30 दिनों के भीतर वरिष्ठ न्यायालय में अपील का नोटिस दाखिल करने के द्वारा ली जाएगी। वरिष्ठ न्यायालय याचिका पर राहत देना मना करते हुए किसी निर्णय के साथ अपील करने की योग्यता का प्रमाणपत्र प्रदान करेगा या मना करेगा। अपील न्यायालय किसी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन के 10 दिनों के भीतर अपील करने की योग्यता का प्रमाणपत्र प्रदान करेगा या मना करेगा। अपील के न्यायालय का अधिकारक्षेत्र प्रमाणपत्र में अभिज्ञात दावों और अपील के नोटिस के 60 दिनों के भीतर अपील के न्यायालय द्वारा जोड़े गए किन्हीं अतिरिक्त दावों तक सीमित है। इस उपखंड के अंतर्गत किसी अपील को सभी अन्य मामलों पर प्राथमिकता दी जाएगी और इस संबंध में यथाशीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

अनुभाग 8. दंड संहिता में अनुभाग 2700.1 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

2700.1. अनुभाग 2700 इस अनुभाग में अन्यथा प्रावधान किए गए के सिवाए मृत्यु दंड पाए हुए कैदियों पर लागू होती है।

हत्या का दोषी पाया गया, मृत्यु दंड की सज़ा पाने वाला और अनुभाग 3600 से 3602 के अनुसरण में सुधार और पुनर्वास विभाग द्वारा हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति से उसे हिरासत में रखे गए प्रत्येक घंटे के लिए उतने घंटों तक निष्ठापूर्वक श्रमिक के रूप में काम करना अपेक्षित होगा जैसा विभाग के नियमों और विनियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा।

शारीरिक शिक्षा और शारीरिक तंदुरुस्ती कार्यक्रम इस अनुभाग के उद्देश्यों के लिए कार्य नहीं माने जाएंगे। सुधार और पुनर्वास विभाग किसी ऐसे दंडित कैदी के विशेष अधिकारों को रद्द कर सकता है जो इस अनुभाग की अपेक्षा के अनुसार काम करने से मना कर देता है।

ऐसे किसी भी मामले में जिसमें दंड प्राप्त कैदी को क्षतिपूर्ति जुर्माना चुकाना या क्षतिपूर्ति आदेश पूरा करना है, सुधार एवं पुनर्वास विभाग का सचिव दंड प्राप्त कैदी के पारिश्रमिक व ट्रस्ट खाता जमा से 70 प्रतिशत या बकाया देय, जो भी कम हो, काटेगा या काटेगी, चाहे आय का स्रोत कोई भी हो, और उस फंड को अनुभाग 2085.5 और 2717.8 के अनुसार, सुधार एवं पुनर्वास विभाग के नियम व शर्तों के अनुसार California पीड़ित मुआवजा और सरकारी दावा बोर्ड में हस्तांतरित कर देगा।

अनुभाग 9. दंड संहिता में अनुभाग 3600 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

3600. ~~(a)~~ ऐसे प्रत्येक पुरुष जिसे मृत्यु दंड सुनाया गया है, को मृत्यु दंड देने के लिए विभाग द्वारा निर्धारित California राज्य के जेल के वार्डन को सौंप दिया जाएगा, ~~उसे वहाँ उपखंड (b) में किए गए प्रावधान के सिवाए निर्णय को लागू किए जाने तक रखा जाएगा।~~ *कैदी को निर्णय को लागू किए जाने तक California के किसी जेल में रखा जाएगा। विभाग कैदी को किसी ऐसे अन्य जेल में स्थानांतरित कर सकता है जिसे वह उस कैदी के लिए सुरक्षा का पर्याप्त स्तर प्रदान करने के लिए निर्धारित करता है। मृत्यु दंड देने की तारीख तय कर दिए जाने के बाद कैदी को मृत्यु दंड देने के लिए निर्धारित जैल में वापस भेज दिया जाएगा।*

~~(b) कानून के किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी:~~

~~(1) कोई दंडित कैदी, जो जेल में होने के दौरान निम्नलिखित में से कोई अपराध करता है, या जो किसी गिरोह या बाधाकारी समूह का सदस्य होने के रूप में, अन्यों को इनमें से कोई अपराध करने का आदेश देता है, सुधार विभाग द्वारा स्थापित विनियमों के अनुसरण में San Quentin राज्य जेल में अनुशासनिक प्रतिबंधों और वर्गीकरण कार्रवाइयों के बाद California राज्य जेल, Sacramento में सुधार निदेशक द्वारा निर्धारित दंडित व्यक्तियों के सुरक्षित आवास में रखा जा सकता है:~~

~~(A) मानव की हत्या।~~

~~(B) किसी हथियार या शारीरिक बल से हमला करना जिससे गंभीर या घातक चोट लग सकती हो।~~

~~(C) ज़बरदस्ती भागना या ज़बरदस्ती भागने का प्रयास करना।~~

~~(D) नियमों का बार-बार गंभीर उल्लंघन जो सुरक्षा या संरक्षा को व्यापक रूप से खतरे में डालता है।~~

~~(2) California राज्य जेल, Sacramento में दंडित व्यक्ति का आवास कार्यक्रम किसी दंडित कैदी के स्थानांतरण से पहले पूरी तरह लागू रहेगा।~~

~~(3) दंडित कैदियों की निगरानी करने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रोटोकॉल California राज्य के जेल, Sacramento में उन लाइन स्टाफ और सुपरवाइज़रों को प्रदान किए जाएंगे जो दंडित कैदियों की नियमित आधार पर निगरानी करते हैं।~~

~~(4) कोई ऐसा कैदी जिसकी चिकित्सीय या मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताएं इतनी महत्वपूर्ण हैं कि जिससे कैदी या अन्यों को खतरा हो सकता है, सुधार विभाग द्वारा स्थापित विनियमों के अनुसरण में चिकित्सीय या मानसिक स्वास्थ्य~~

66

~~उपचार के लिए California चिकित्सा सुविधा-केंद्र या अन्य उपयुक्त संस्थान में रखा जा सकता है। जब दशा का पर्याप्त रूप से उपचार कर दिया गया है या इसमें सुधार हो रहा है, तो कैदी को उस संस्थान में वापस भेज दिया जाएगा जहाँ से कैदी को स्थानांतरित किया गया था।~~

~~(c) जब उपखंड (b) के अनुसरण में रखा गया हो, तब निम्नलिखित लागू होंगे:~~

~~(1) San Quentin राज्य जेल में ग्रेड B दंडित कैदियों को प्रदान किए गए विशेषाधिकारों और वर्गीकरण प्रक्रियाओं से संबंधित वे स्थानीय प्रक्रियाएं अनुभाग 3600 के उपखंड (b) के पैरा (1) के अनुसरण में रखे गए दंडित कैदियों के लिए California राज्य जेल, Sacramento में समान रूप से आरम्भ की जाएंगी। उन वर्गीकरण प्रक्रियाओं में प्रत्येक 90 दिनों तक किसी वर्गीकरण की समीक्षा करने का अधिकार और San Quentin राज्य जेल में लौटने के लिए याचिका देने का अवसर सम्मिलित होगा।~~

~~(2) समान अटॉर्नी-क्लाइंट पहुँच प्रक्रियाएं जो San Quentin राज्य जेल में रखे गए दंडित कैदियों को प्रदान की जाती हैं, California राज्य जेल, Sacramento में सुधार निदेशक द्वारा निर्धारित दंडित व्यक्तियों के सुरक्षित आवास में रखे गए दंडित अपराधियों को प्रदान की जाएंगी। चिकित्सीय या मानसिक स्वास्थ्य उपचार के लिए किसी संस्थान में रखे गए दंडित कैदियों के लिए अटॉर्नी-क्लाइंट पहुँच संस्थान के दौरा करने की प्रक्रियाओं और उपयुक्त उपचार प्रोटोकॉलों के अनुरूप होंगी।~~

~~(3) उपखंड (b) के अनुसरण में सुरक्षित दंडित आवास में रखे गए किसी दंडित कैदी को उसे सज़ा देने की निर्धारित तारीख से कम से कम 60 दिन पहले San Quentin राज्य जेल में लौटा दिया जाएगा।~~

~~(4) 15 से कम दंडित कैदी उपखंड (b) के पैरा (1) के अनुसरण में फिर से रखे जा सकते हैं।~~

~~(d) दंड पाने की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों के San Quentin राज्य जेल से किसी स्थान परिवर्तन से पहले, चाहे कानून के माध्यम से या किसी अन्य साधन द्वारा प्रस्तावित हो, विद्युतीकृत घेरे के साथ सारे अधिकतम सुरक्षा स्तर IV, 180-डिग्री आवास इकाई सुविधा-केंद्रों का सुधार विभाग द्वारा, दंडित कैदियों के सुरक्षित आवास और दंड के लिए उपयुक्तता के लिए मूल्यांकन किया जाएगा।~~

अनुभाग 10. दंड संहिता में अनुभाग 3604 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

3604. (a) मौत की सजा सुधार *और पुनर्वास* विभाग के दिशा-निर्देश तहत स्थापित मानदंडों के अनुसार घातक गैस के प्रयोग या मौत होने के लिए पर्याप्त मात्रा में घातक पदार्थ या पदार्थों का नस में इंजेक्शन देकर दी जाएगी।

(b) मौत की सजा पाए लोगों के पास इस उपखंड की क्रियात्मक तारीख से पहले या बाद में यह चुनने का अवसर होगा कि उन्हें घातक गैस या घातक इंजेक्शन के द्वारा सजा दी जाए। यह चुनाव लिखित में किया जाएगा और सुधार *और पुनर्वास* विभाग द्वारा स्थापित विनियमों के अनुसार वार्डन के पास प्रस्तुत किया जाएगा। मौत की सजा पाया व्यक्ति अगर इस उपखंड की क्रियात्मक तारीख के बाद जारी फाँसी वारंट की कैदी पर वार्डन की सर्विस के बाद 10 दिनों के भीतर घातक गैस अथवा घातक इंजेक्शन में से किसी का चुनाव नहीं करता है तो फाँसी की सजा घातक इंजेक्शन के द्वारा दी जाएगी।

(c) जहाँ मौत की सजा पाए व्यक्ति को इसके क्रियान्वयन के लिए तय तारीख पर सजा नहीं दी जाती है और इसके बाद क्रियान्वयन की नयी तारीख तय की जाती है तो कैदी के पास फिर से उपखंड (b) में निर्धारित कार्यविधियों के अनुसार यह चsुनने का अवसर होगा कि उसे दंड घातक गैस के द्वारा दिया जाए अथवा घातक इंजेक्शन के द्वारा।

(d) उपखंड (b) के होते हुए भी अगर उपखंड (a) में वर्णित क्रियान्वयन के दोनों तरीके अवैध ठहरा दिए जाते हैं तो मौत की सजा उपखंड (a) में निर्दिष्ट वैकल्पिक तरीकों के द्वारा दी जाएगी।

(e) सुधार और पुनर्वास विभाग या मौत के फैसले के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी लेने वाली कोई परवर्ती एजेंसी हर इस तरह के फैसलों को क्रियान्वित करने का अधिकार बरकरार रखेगी।

अनुभाग 11. दंड संहिता में अनुभाग 3604.1 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

3604.1. (a) प्रशासनिक कार्यविधि अधिनियम अनुभाग 3604 के अनुरूप लागू किए गए मानदंडों, कार्यविधियों या विनियमों पर लागू नहीं होंगे। विभाग जनता और के लिए और मौत की सजा पाए कैदियों के लिए उपलब्ध उस अनुभाग के उपखंड (a) के तहत अपनाए गए मानकों को तय करेगा। विभाग ऐसे किसी कैदी के लिए अटॉर्नी जनरल, स्टेट पब्लिक डिफेंडर और उसके वकील को तुरंत सूचित करेगा, जिसके लिए क्रियान्वयन की तारीख निर्धारित की जा चुकी है अथवा जिसके लिए मानदंडों का कोई अंगीकरण अथवा संशोधन की क्रियान्वयन की तारीख लंबित है। इस उपखंड का अनुपालन मौत की सजा को अंजाम देने के विरुद्ध घातक गैस या घातक इंजेक्शन के क्रियान्वयन को रोकने का आधार नहीं है, जब तक कि अनुपालन ने मानदंड को चुनौती के कैदी अधिकार को वास्तव में पूर्वाग्रही न किया हो और उस स्थिति में निलंबन अधिकतम 10 दिनों तक सीमित रहेगा।

(b) अनुभाग 3604 के उपखंड (a) के होते हुए भी घातक इंजेक्शन द्वारा मौत की सजा को नस के अलावा इंजेक्शन के जरिए दी जा सकती है, बशर्ते कि वार्डन यह निर्धारित करे कि कैदी को देखते हुए अंतःशिरा इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता।

(c) मौत की सजा सुनाने वाली अदालत के पास दंडित कैदी के द्वारा पेश किए गए किसी भी दावे की सुनवाई करने का अनन्य अधिकार है कि मौत की सजा का तरीका असंवैधानिक या दूसरे रूप में अवैध है। इस प्रकार के दावों को उस सूरत में खारिज कर दिया जाएगा जब अदालत यह पाए कि इसकी प्रस्तुति में बिना किसी समुचित कारण के विलंब किया गया। पद्धति को अगर गलत पाया जाता है तो अदालत मौत की सजा के वैध तरीके का उपयोग करने का आदेश देगी। अगर मौत की सजा देने के तरीके पर संघीय अदालत रोक लगाती है तो सुधार और पुनर्वास विभाग 90 दिनों के भीतर ऐसा तरीका अपनाएगा जो संघीय अपेक्षाओं के अनुरूप हो, जैसा कि अदालत द्वारा पाया गया हो। विभाग अगर फैसले को क्रियान्वित करने हेतु उसे सक्षम बनाने के लिए जरूरी किसी कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहता है तो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या अटॉर्नी जनरल के प्रस्ताव पर अथवा अपराध से पीड़ित किसी व्यक्ति पर प्रस्ताव पर मौत की सजा सुनाने वाली अदालत अपने स्वयं के प्रस्ताव में उस कर्तव्य का निर्वहन करने का उसे आदेश देगी, जैसा कि California के संविधान के अनुच्छेद I के अनुभाग 28 के उपखंड (e) में परिभाषित किया गया है।

अनुभाग 12. दंड संहिता में अनुभाग 3604.3 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

3604.3. (a) फिजिशियन मौत की घोषणा करने के उद्देश्य से क्रियान्वयन के समय उपस्थित रह सकता है और कैदी को होने वाले दर्द को कम से कम करने के लिए क्रियान्वयन प्रोटोकोल को विकसित करने के उद्देश्य के लिए विभाग को सलाह दे सकता है।

(b) मौत की सजा को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक दवाओं, चिकित्सा आपूर्तियों या चिकित्सा उपकरण की खरीद व्यवसाय एवं पेशा संहिता के खंड 2 के चैप्टर 9 (अनुभाग 4000 के साथ शुरू होने वाले) के प्रावधानों के अधीन रहेगी, और नुस्खे के बिना इस चैप्टर के प्रावधानों के क्रियान्वित करने के लिए कोई भी फार्मासिस्ट या आपूर्तिकर्ता, कंपाउंडर या फार्मास्यूटिकल्स का विनिर्माता औषधियों को तैयार करने और सचिव अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति के पास आपूर्तियों को भेजने के लिए अधिकृत है।

(c) लाइसेंस प्रदान करने वाला कोई भी बोर्ड, विभाग या प्रमाणन एजेंसी जो स्वास्थ्य सेवा की परिपाटी की निगरानी या उसे विनियमित करती है अथवा प्रमाणित करती है या स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को लाइसेंस प्रदान करती है, इस अनुभाग द्वारा अधिकृत किसी कार्रवाई के लिए लाइसेंस-प्राप्त किसी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर के खिलाफ लाइसेंस या प्रमाणन से इनकार या उसे रद्द कर सकती है,

सेंसर लगा सकती है, फटकार सकती है या कोई अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है।

अनुभाग 13. सरकारी संहिता में अनुभाग 68660.5 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

68660.5. इस चैप्टर के उद्देश्य मृत्यु-दंड के मामलों में राज्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यविधियों के निपटाव को गति देने के लिए और मौत की सजा पाए कैदियों के लिए राज्य बंदी प्रत्यक्षीकरण में स्तरीय प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स कोड के टाइटल 28 के चैप्टर 154 के तहत संघीय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं के निपटान के लिए California राज्य को योग्य ठहराना है। इस चैप्टर को उपर्युक्त उद्देश्यों के हिसाब से सुसंगत समझा और अमल में लाया जाएगा।

अनुभाग 14. दंड संहिता में अनुभाग 68661 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

68661. यहाँ इसके द्वारा राज्य सरकार की न्यायिक शाखा में California बंदी-प्रत्यक्षीकरण केंद्र बनाया गया है, जिसके पास समस्त निम्नलिखित आम अधिकार और कर्तव्य होंगे:

(a) 34 अटॉर्नियों तक की सेवा लेने, जिन्हें इस राज्य में दोषी ठहराए गए और मौत की सजा पाए ऐसे किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए ~~सुप्रीम कोर्ट द्वारा~~ *अनुभाग 68662 के अनुसार* नियुक्त किया जा सकता है, जिसके पास वकील नहीं है और जिसे सक्षम अधिकार-क्षेत्र की अदालत के द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ दिए गए फैसले या सजा की वैधता को चुनौती देते हुए राज्य एवं संघीय अदालतों में ~~दोषसिद्धि के बाद की कार्यवाहियों~~ *बंदी-प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं* को गठित करने और अनुसरण करने के उद्देश्यों के लिए, *अनुभाग 68661.1 की सीमाओं के तहत* और क्षमादान के लिए याचिकाओं को तैयार करने के लिए मोहताज करार दिया जाता है। ~~कोई~~ *इस तरह की कोई* नियुक्ति California के संविधान के अनुच्छेद VI के अनुभाग 11 के तहत सीधी अपील के उद्देश्यों के लिए स्टेट पब्लिक डिफेंडर या अन्य वकील की नियुक्ति की समवर्ती हो सकती है।

(b) संघीय अदालतों में मोहताज व्यक्तियों के लिए प्रतिनिधित्व प्रदान करते समय यूनाइटेड स्टेट्स कोड के टाइटल 18 के अनुभाग 3006A के अनुरूप प्रतिनिधित्व और खर्चों हेतु प्रतिपूर्ति के लिए कहने और फेडरल ट्रस्ट फंड के माध्यम से उन भुगतानों को संसाधित करने के लिए।

(c) मृत्यु-दंड बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले की नियुक्तियों को स्वीकार करने हेतु प्राइवेट बार के सदस्यों की भर्ती करने में ~~सुप्रीम कोर्ट~~ *अदालतों* के साथ काम करने के लिए।

(d) मृत्यु-दंड वाले मामलों में ~~दोषसिद्धि के बाद की~~ *बंदी प्रत्यक्षीकरण* कार्यवाहियों में वकील के रूप में पात्र अटॉर्नियों की नामावली ~~को स्थापित करना और समय-समय पर अपडेट करना~~ *में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नियों की अनुशंसा करना, बशर्ते कि नामावली में क्या अटॉर्नी को शामिल करना है, इसका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाए न कि केंद्र के लिए प्रत्यायुक्त किया जाए।*

(e) ऐसे अनुभवी छानबीनकर्ताओं और विशेषज्ञों की नामावली को स्थापित करने और नियतकालिक रूप से अपडेट करने के लिए, जो मृत्यु-दंड के मामलों में ~~दोष-सिद्धि के बाद की~~ *बंदी प्रत्यक्षीकरण* कार्यवाहियों में वकील की सहायता करने के योग्य हैं।

(f) वकील के अनुरोध पर नियुक्त वकील को सेवाएं मुहैया कराने के लिए स्टाफ के रूप में छानबीनकर्ताओं और विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए, बशर्ते कि जब उन सेवाओं का प्रावधान ~~सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ति के तहत~~ निजी वकील के लिए है तो वे सेवाएं नियुक्त वकील और केंद्र के बीच के अनुबंध के अनुरूप होंगी।

(g) ~~दोष-सिद्धि के बाद की~~ *बंदी प्रत्यक्षीकरण* कार्यवाहियों में नियुक्त वकील को कानूनी या अन्य सेवाएं प्रदान करने अथवा, ~~उस हद तक जो अन्यथा उपलब्ध नहीं है, कोई अन्य सहायता~~ करने के लिए, जैसा उचित हो, जब कानून द्वारा मना न हो।

(h) मृत्यु-दंड के मामलों में ~~दोष-सिद्धि के बाद की~~ *बंदी प्रत्यक्षीकरण* कार्यवाहियों में उत्पन्न होने वाले ऐसे महत्वपूर्ण, पुनरावर्ती मुद्दों पर बहसों और संबंधित सामग्रियों के संक्षिप्त संकलन को विकसित करने और उन संक्षिप्त संकलनों को नियुक्त वकील को मुहैया कराने के लिए।

(i) मामलों का मूल्यांकन करने उपयुक्त अटॉर्नियों की अदालत के द्वारा निर्दिष्टीकरण की अनुशंसा करने के लिए।

(j) जरूरत के अनुसार सहायता प्रदान करने और मुकदमे की प्रगति की निगरानी करने के लिए।

(k) मुकदमे में बिल भेजने और कोर्ट को निजी बार के सदस्यों की प्रतिपूर्ति की अनुशंसा करने के लिए।

(*l*) केंद्र मृत्यु-दंड के मामलों में ~~दोष-सिद्धि के बाद की~~ *बंदी प्रत्यक्षीकरण* में मोहताज व्यक्तियों के लिए वकील की नियुक्ति की स्थिति पर और केंद्र के संचालन पर वार्षिक रूप से *जनता*, विधानमंडल, गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगा। ~~1 जनवरी 2000 को या उससे पहले विधायी विश्लेषक कार्यालय उपलब्ध रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा।~~ *रिपोर्ट में ऐसे सभी मामले सूचीबद्ध होंगे, जिनमें केंद्र प्रतिनिधित्व प्रदान कर रहा होगा। किसी भी कोर्ट में एक से अधिक वर्ष से लंबित प्रत्येक मुकदमे के लिए रिपोर्ट विलंब का कारण बताएगी और मुकदमे के निपटाव के लिए केंद्र द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देगी।*

अनुभाग 15. सरकारी संहिता में अनुभाग 68661.1 जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

68661.1. (a) केंद्र संघीय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर मौत की सजा पाए व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर सकता है, एकमात्र इस शर्त पर कि (1) केंद्र को राज्य के बंदी प्रत्यक्षीकरण पर उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया हो, (2) संघीय अदालत द्वारा केंद्र को उस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया गया हो, और (3) कार्यकारी निर्देशक यह निर्धारित करे कि संघीय अदालत के पास से प्रतिपूर्ति प्रतिनिधित्व के खर्च की पूरी रकम अदा हो जाएगी। राज्यों के पास से निधियों को प्राप्त करने वाला केंद्र और न ही कोई अन्य व्यक्ति अथवा संस्था मृत्यु-दंड के मामले में California की अदालत के किसी भी फैसले को संघीय अदालत में चुनौती देने के लिए राज्य की निधियों को खर्च नहीं कर सकेगा, सिवाय यूनाइटेड स्टेट्स कोड के टाइटल 28 के अनुभाग 1257 के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा को छोड़कर।

(b) बंदी प्रत्यक्षीकरण को छोड़कर किसी भी कार्रवाई में किसी भी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत नहीं है, जो फैसले का संपार्श्विक विरोध करने के समान है अथवा उसके क्रियान्वयन में विलंब करने या उसे रोकने का प्रयास करता है। केंद्र किसी अन्य मुकदमेबाजी में नहीं उलझेगा अथवा पैरवी के किसी भी रूप के लिए धन नहीं खर्च करेगा, सिवाय जैसा कि इस अनुभाग या अनुभाग 68661 के द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत किया गया हो।

अनुभाग 16. दंड संहिता में अनुभाग 68662 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

68662. ~~सुप्रीम कोर्ट~~ *सजा सुनाने वाला सर्वोच्च न्यायालय* राज्य की दोष-सिद्धि के उपरांत की कार्यविधियों के उद्देश्यों के लिए मृत्यु-दंड के तहत राज्य के ~~सभी~~ *किसी* ~~कैदियों~~ *कैदी* का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील की नियुक्ति की पेशकश करेगा और ऐसे आदेश में शामिल होगा, जिसमें निम्नलिखित में से कोई एक शामिल होगा:

(a) यह पता चलने के बाद कि व्यक्ति मोहताज है और वकील नियुक्त करने की पेशकश को स्वीकार कर लिया है अथवा कुशलतापूर्वक या निर्णय लेने में अक्षम है कि उस पेशकश को स्वीकार किया जाए या नहीं *दंड संहिता के अनुभाग 1509 के अनुरूप* ~~दोष-सिद्धि के बाद राज्य की~~ कार्यवाहियों में कैदी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक या अधिक वकील की नियुक्ति।

(b) आवश्यक होने पर सुनवाई के बाद यह पता चलने पर कि कैदी ने वकील नियुक्त करने की कोशिश को खारिज कर दिया है और इस निर्णय के कानूनी परिणामों पूरी तरह समझते हुए यह निर्णय लिया है।

(c) यह पता चलने पर वकील नियुक्त करने से इनकार कि व्यक्ति मोहताज नहीं है।

अनुभाग 17. दंड संहिता में अनुभाग 68664 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

68664. (a) केंद्र की व्यवस्था एक कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाएगी, जो केंद्र के दैनंदिन के परिचालनों के लिए जिम्मेदार होगा।

(b) कार्यकारी निदेशक का चुनाव ~~पाँच सदस्यीय निदेशक मंडल करेगा और सीनेट द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी। प्रत्येक अपीलीय परियोजना एक बोर्ड सदस्य की नियुक्ति करेगी, जिनमें से सभी अटॉर्नी होंगे। तथापि, जज, अभियोक्ता अथवा विधि प्रवर्तन क्षमता में नियुक्त होने वाला कोई भी अटॉर्नी बोर्ड में काम करने के लिए पात्र नहीं होगा। कार्यकारी निदेशक बोर्ड की इच्छा पर काम करेगा~~ *सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा।* कार्यकारी निदेशक ~~बोर्ड~~ *सुप्रीम कोर्ट* की इच्छा पर काम करेगा।

(c) ~~बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को चार वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा और रिक्त स्थानों को उसी तरह से भरा जाएगा जिस तरह से मूल नियुक्ति को भरा जाता है। बोर्ड के सदस्य कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं प्राप्त करेंगे लेकिन अपने कर्तव्यों से जुड़े समस्त तर्कसंगत और आवश्यक खर्चों के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करेंगे। बोर्ड के शुरुआती सदस्यों की नियुक्ति 1 फरवरी 1998 तक कर ही जानी चाहिए।~~ *कार्यकारी निदेशक यह सुनिश्चित करेगा कि केंद्र द्वारा प्रतिनिधित्व मुहैया कराए जाने वाले सभी मामले प्रभावी प्रतिनिधित्व के साथ सुसंगत रूप से यथासंभव त्वरित गति से पूरे हों।*

(d) कार्यकारी निदेशक अनुभाग 15400 में उल्लिखित स्टेट पब्लिक डिफेंडर की नियुक्ति की अर्हताओं को पूरा करेगा।

(e) कार्यकारी निदेशक वेतन प्राप्त करेगा, जिसका उल्लेख टाइटल 2 के डिवीजन 3 के भाग 1 के चैप्टर 6 (अनुभाग 11550 के साथ शुरू होने वाले) में ~~कार्यकारी निदेशक~~ *स्टेट पब्लिक डिफेंडर* के लिए निर्दिष्ट प्रावधान में किया गया है। *केंद्र द्वारा काम पर लगाए गए समस्त अटॉर्नियो को सरकारी वकील के कार्यालय में तुलनीय पदों के स्तर पर प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।*

अनुभाग 18. दंड संहिता में अनुभाग 68665 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

68665. *(a)* न्यायिक परिषद और सुप्रीम कोर्ट मौत की सजा के मामले में सीधी अपीलों और बंदी-प्रत्यक्षीकरण कार्यविधियों में वकील की नियुक्ति के लिए कोर्ट के नियमानुसार बाध्यकारी और अनिवार्य सक्षमता मानदंडों को पारित करेगी। *और वे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होने पर मानदंडों का फिर से मूल्यांकन करेंगे कि वे उपखंड (b)* के मानदंड को पूरा करें।

(b) मानदंडों को स्थापित करने और उनका फिर से मूल्यांकन करने के लिए न्यायिक परिषद और सुप्रीम कोर्ट सक्षम प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक अर्हताओं, अटॉर्नियों की उपलब्ध सूची को अनावश्यक रूप को अनुचित रूप से सीमित करने पर विचार करेगी, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स कोड के टाइटल 28 के चैप्टर 154 के लिए पात्र होने हेतु समय पर नियुक्ति की जा सके। अनुभव की अपेक्षाएं अनुभव के बचाव तक सीमित नहीं रहेंगी।

अनुभाग 19. प्रभावी तारीख। सिवाय उसे छोड़कर जैसा इस अधिनियम में अधिक विशिष्टता के साथ बताया गया है, इस अधिनियम के सभी अनुभाग अधिनियमन पर तुरंत प्रभावी होंगे और प्रभावी तारीख को या उसके बाद आयोजित की गयी समस्त कार्यविधियों पर लागू होंगे।

अनुभाग 20. संशोधन। इस अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों को विधानमंडल के द्वारा संशोधित नहीं किया जाएगा सिवाय प्रत्येक सदन में सहमत तीन चौथाई सदस्यता द्वारा दैनिकी में दर्ज बोलकर डाले जाने वाले मत द्वारा, प्रत्येक सदन में पारित की गई संविधि के, या उस संविधि के द्वारा जो केवल मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किए जाने पर प्रभावी बनता है।

अनुभाग 21. पृथक्करणीयता/परस्पर-विरोधी विधेयक/स्थायी। यदि इस अधिनियम के कोई प्रावधान, या प्रावधान का कोई भी भाग, या किसी व्यक्ति या परिस्थितियों के लिए इसकी प्रयोजनीयता, किसी कारण से अमान्य, या असंवैधानिक पाई जाती है, तो शेष प्रावधान और भाग जिन्हें अमान्य या असंवैधानिक प्रावधान या प्रयोजनीयता के बिना प्रभावी बनाया जा सकता है, प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि पूरी शक्ति और प्रभाव से लागू होंगे, और इस अर्थ में इस अधिनियम के प्रावधान पृथक्करणीय हैं।

यह उपाय विस्तृत होने के उद्देश्य से है। लोगों का यह इरादा है कि यदि मृत्यु-दंड से संबंधित यह विधेयक उसी राज्यव्यापी चुनाव मतपत्र पर प्रकट होता है या होते हैं, तो अन्य विधेयक या विधेयकों के प्रावधान को इस विधेयक के साथ टकराने वाला माना जाएगा। यदि इस विधेयक को बड़ी संख्या में सकारात्मक मत मिलेंगे, तो इस विधेयक के प्रावधान अपनी संपूर्णता में प्रचलित रहेंगे, और दूसरे विधेयक या विधेयकों के सभी प्रावधान अमान्य हो जाएँगे।

California राज्य के लोग घोषणा करते हैं कि इस अधिनियम के प्रस्तावक का इस अधिनियम की हिमायत करने में प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत हित है और किसी भी कानूनी कार्यविधि में इस अधिनियम की हिमायत करने के लिए प्रस्तावक को औपचारिक अधिकार प्रदान करते हैं, फिर वह इस काम को चाहे इस तरह की कानूनी कार्यविधि में हस्तक्षेप करके करे अथवा उस सूरत में लोगों और राज्य की तरफ से अधिनियम की हिमायत करके, जबकि राज्य अधिनियम की हिमायत करने से या अधिनियम के खिलाफ विपरीत फैसले पर अपील करने से इनकार कर देता है। उस दशा में जबकि प्रस्ताव कानूनी कार्यविधि में इस अधिनियम की हिमायत इसलिए कर रहा है कि राज्य ने उसकी हिमायत करने या उसके खिलाफ विपरीत फैसले पर अपील करने से इनकार कर दिया है, प्रस्तावक जनता और राज्य के एजेंट के रूप में काम करेगा; इस तरह की कानूनी कार्यविधियों में इस तरह के पक्षों पर लागू समस्त नैतिक, कानूनी और प्रत्ययी न्यायी कर्तव्यों के अधीन होगा; इस तरह की कानूनी कार्यविधि में जनता और राज्य की तरफ से काम करने के सीमित उद्देश्य के लिए California के संविधान के अनुच्छेद XX के अनुभाग 3 के द्वारा निर्धारित पद की शपथ लेगा और उसके अधीन रहेगा; और राज्य के पास से तर्कसंगत कानूनी फीस और संबंधित खर्चों की भरपाई को प्राप्त करने का हकदार होगा।

प्रस्ताव 67

2013–2014 नियमित सत्र (अध्याय 850, 2014 के कानून) के सीनेट बिल 270 द्वारा प्रस्तावित यह विधेयक, California संविधान के अनुच्छेद II की अनुभाग 9 के प्रावधानों के अनुसार एक जनमत संग्रह के रूप में लोगों को प्रस्तुत किया जाता है।

यह प्रस्तावित कानून सार्वजनिक संसाधन संहिता में अनुभाग जोड़ता है; इसलिए, जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नए प्रावधान, यह दर्शाने के लिए कि वे नए हैं, *तिरछे अक्षरों* में छापे गए हैं।

प्रस्तावित कानून

अनुभाग 1. अध्याय 5.3 (अनुभाग 42280 के साथ शुरू करते हुए) को सार्वजनिक संसाधन संहिता के खंड 30 के भाग 3 में जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

अध्याय 5.3. एक-बार इस्तेमाल किए जाने वाले कैरीआउट बैग

अनुच्छेद 1. परिभाषाएं

42280. (a) "विभाग" का अर्थ संसाधनों का पुन:चक्रण और पुन:प्राप्ति विभाग है।

(b) "उपभोग पश्चात पुन:चक्रित सामग्री" का अर्थ वह सामग्री है जिसका इसके इरादतन अंतिम इस्तेमाल और उत्पाद के जीवन-चक्र को पूरा करने पर, अन्यथा पुष्ट अपशिष्ट निपटान किया जाएगा। उपभोग पश्चात पुन:चक्रित सामग्री में मूल विनिर्माण और निर्माण की प्रक्रिया से उत्पादित, तथा सामान्य रूप से इनके भीतर पुन:प्रयुक्त सामग्रियाँ और सह-उत्पाद शामिल नहीं हैं।

(c) "पुन:चक्रित कागज के बैग" का अर्थ बिक्री के स्थान पर किसी स्टोर द्वारा

ग्राहक को दिया गया कागज का ऐसा कैरीआउट बैग है जो निम्नलिखित सभी अपेक्षाएं पूरी करता है:

(1) (A) उप-पैरा (B) में किए गए प्रावधान के सिवाय, इसमें कम-से-कम 40 प्रतिशत उपभोग पश्चात पुन:चक्रित सामग्रियाँ हों।

(B) आठ पाउण्ड या इससे छोटे पुन:चक्रित कागज के बैग में कम-से-कम 20 प्रतिशत उपभोग पश्चात पुन:चक्रित सामग्री होगी।

(2) राज्य में मार्ग के किनारे के पुन:चक्रण कार्यक्रमों तक पहुँच रखने वाले अधिकतर घरों में मार्ग के किनारे के कार्यक्रमों में पुन:चक्रण के लिए स्वीकृत हो।

(3) बैग पर विनिर्माता का नाम, बैग का विनिर्माण करने वाले देश, तथा उपभोग पश्चात विषय-वस्तु का न्यूनतम प्रतिशत छपा हो।

(d) "पुन:उपयोग योग्य किराने का बैग" का अर्थ अनुभाग 42281 की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला ऐसा बैग है जो बिक्री के समय किसी स्टोर द्वारा ग्राहक को दिया जाता है।

(e) (1) "पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग का निर्माता" का अर्थ वह व्यक्ति या निकाय है जो निम्नलिखित में से कोई काम करती है:

(A) किसी स्टोर में बिक्री या वितरण के लिए पुन:उपयोग योग्य किराने के बैगों का विनिर्माण करता है।

(B) किसी स्टोर में बिक्री या वितरण के लिए, इस राज्य में पुन:उपयोग योग्य किराने का बैगों का आयात करता है।

(C) पुन:उपयोग योग्य बैगों को किसी स्टोर को बेचता या वितरित करता है।

(2) "पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग का निर्माता" में पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग के संबंध में ऐसा कोई स्टोर शामिल नहीं है जिसका कोई विनिर्माता या आयातक हो, जैसा कि पैरा (1) के उप-पैरा (A) या (B) में उल्लिखित है।

(f) (1) "एक-बार इस्तेमाल वाले कैरीआउट बैग" का अर्थ प्लास्टिक, कागज़, या अन्य सामग्री से बना ऐसा बैग है जो बिक्री के स्थान पर किसी स्टोर द्वारा ग्राहक को दिया जाता है तथा जो अनुभाग 42281 की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले पुन:चक्रित कागज़ का बैग या पुन:उपयोग योग्य किराने का बैग नहीं होता है।

(2) एक-बार इस्तेमाल वाले बैग में निम्नलिखित में से कोई शामिल नहीं है:

(A) नुस्खे की दवा खरीदने वाले ग्राहक को व्यवसाय एवं पेशा संहिता के खण्ड 2 के अध्याय 9 (अनुभाग 4000 के साथ लागू) के अनुसरण में फार्मेसी द्वारा दिया गया बैग।

(B) किसी खरीदी गई वस्तु को पुन:चक्रित कागज़ के बैग, पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग, या सम्मिश्रित प्लास्टिक बैग में रखे जाने पर क्षतिग्रस्त होने या खरीदी गई अन्य वस्तुओं को दूषित करने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया हैंडल रहित बैग।

(C) खुली हुई खाद्य वस्तु को रखने के लिए दिया गया बैग।

(D) हैंगर पर टंगे हुए कपड़ों पर रखे जाने के लिए तैयार किया गया हैंडल रहित बैग।

(g) "स्टोर" का अर्थ है कोई खुदरा प्रतिष्ठान जो निम्नलिखित किसी भी आवश्यकता को पूरा करता हो:

(1) फुल-लाइन स्व-सेवा खुदरा स्टोर जिसकी वार्षिक बिक्री दो मिलियन डॉलर ($2,000,000) या उससे अधिक हो जो अनेक प्रकार की सूखा किराने का सामान, डिब्बाबंद वस्तुएं अथवा गैरखाद्य वस्तुओं और खराब हो सकने वाली कुछ वस्तुओं की बिक्री करता हो।

(2) उसके पास कम से कम 10,000 वर्ग फीट की जगह हो जो बिक्री करता हो अथवा Bradley-Burns यूनिफॉर्म लोकल सेल्स तथा यूज टैक्स लॉ (भाग 1.5 (जिसकी शुरुआत होती है अनुभाग 7200 से) राजस्व और कराधान संहिता के भाग 2) के अनुरूप कर का इस्तेमाल करता हो और जिसके पास व्यवसाय एवं पेशा संहिता के भाग 2 के अध्याय 9 (जिसकी शुरुआत होती है अनुभाग 4000 से) के अनुरूप फार्मेसी लाइसेंस हो।

(3) वह कोई सुविधाजनक फूड स्टोर, फूड मार्ट, या अन्य कोई प्रतिष्ठान हो जो सीमित प्रकार की वस्तुओं की खुदरा बिक्री करता हो, जिसमें सामान्यतः शामिल होते हैं दूध, ब्रेड, सोडा और स्नैक्स खाद्य तथा जिसके पास मादक पेय नियंत्रण विभाग द्वारा जारी किया गया टाइप 20 या टाइप 21 लाइसेंस हो।

(4) वह कोई सुविधाजनक फूड स्टोर, फूड मार्ट, या अन्य कोई प्रतिष्ठान हो जो ऐसी वस्तुओं की खुदरा बिक्री करता हो, जिनका उपभोग परिसर से बाहर जाकर किया जाना हो, तथा जिसके पास मादक पेय नियंत्रण विभाग द्वारा जारी किया गया टाइप 20 या टाइप 21 लाइसेंस हो।

(5) पैरा (1), (2), (3) या (4) के अन्यथा अधीन नहीं हो, यदि खुदरा प्रतिष्ठान इस अध्याय के अनुसरण में स्टोर पर लागू की गई अपेक्षाओं का पालन करने के लिए स्वैच्छिक रूप से सहमत है, इस अध्याय के अनुसरण में स्टोर पर लागू की गई अपेक्षाओं का पालन करने के अपने इरादे की विभाग को अटल रूप से सूचना देता है, तथा अनुभाग 42284 के अनुसरण में स्थापित अपेक्षाओं का पालन करता है।

अनुच्छेद 2. पुन:उपयोग योग्य किराने का बैग

42281. (a) 1 जुलाई, 2015 को और इसके बाद, अनुभाग 42280 के उप-खण्ड (g) के पैरा (1) या (2) में यथा परिभाषित रूप में कोई स्टोर बिक्री के स्थान पर ग्राहक को पुन:उपयोग योग्य किराने का बैग उस स्थिति में बेच या वितरित कर सकता है यदि पुन:उपयोग योग्य बैग निम्नलिखित सभी अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु इस अनुच्छेद के अनुसरण में प्रमाणित निर्माता द्वारा बनाया गया हो:

(1) इस अनुच्छेद में किए गए प्रावधान के अनुसार इसमें एक हैंडल हो तथा कम-से-कम 125 उपयोगों के लिए तैयार किया गया हो।

(2) इसमें कम-से-कम 15 लीटर की धारण क्षमता हो।

(3) मशीन से धुलाई योग्य है या ऐसी सामग्री का बना है जिसे साफ और विसंक्रमित किया जा सकता है।

(4) बैग पर, या बैग पर लगे टैग पर जो हटाने के लिए न हो, तथा उपभोक्ता को दिखाई देने के रूप में निम्नलिखित सारी सूचना छपी हो:

(A) विनिर्माता का नाम।

(B) बैग का विनिर्माण करने वाले देश का नाम।

(C) यह कथन कि बैग पुन:उपयोग योग्य बैग है तथा कम-से-कम 125 उपयोगों के लिए तैयार किया गया है।

(D) यदि बैग राज्य में पुन:चक्रण योग्य है, तो बैग को पुन:चक्रण हेतु स्टोर को या किसी अन्य समुचित पुन:चक्रण स्थल को लौटाने के अनुदेश। यदि यह राज्य में पुन:चक्रण योग्य हो, तो बैग में पीछा करने वाला तीर, पुन:चक्रण का प्रतीक या "पुन:चक्रण योग्य" शब्द, उस शब्द के उपयोग के नवीनतम रूप में, संघीय व्यापार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शामिल होंगे।

(5) इसमें सीसा, कैडमियम, या अन्य कोई ऐसी विषैली सामग्री नहीं है जो जन स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकती हो। पुन:उपयोग योग्य बैग का विनिर्माता संघीय खाद्य एवं दवा प्रशासन से अनापत्ति पत्र प्राप्त करके इस अपेक्षा के अनुपालन का प्रदर्शन कर सकता है। यह अपेक्षा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के खण्ड 20 के अध्याय 6.5 के अनुच्छेद 14 (अनुभाग 25251 के साथ लागू) के अनुसरण में विषैला पदार्थ नियंत्रण विभाग के किसी प्राधिकार को प्रभावित नहीं करेगी तथा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता की अनुभाग 25257.1 के उप-खण्ड (c) के होते हुए भी, पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग पर पहले से विनियमित या विनियम के अधीन उत्पाद वर्ग के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।

(6) यदि पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग का निर्माता यह दावा करता है कि पुन:उपयोग योग्य किराने का बैग पुन:चक्रण योग्य है, तो पुन:चक्रण योग्य दावों

67

से संबंधित संघीय विनियम संहिता के शीर्षक 16 के भाग 260 की अनुभाग 260.12 का पालन करता हो।

(b) (1) उप-खण्ड (a) में दी गई अपेक्षाओं के अलावा, प्लास्टिक फिल्म से बने पुन:उपयोग योग्य किराने का बैग निम्नलिखित सभी अपेक्षाओं को पूरा किया जाएगा:

(A) 1 जनवरी, 2016 को और इसके बाद, यह कम-से-कम 20 प्रतिशत उपभोग पश्चात पुन:चक्रित सामग्री से बनाया जाएगा।

(B) 1 जनवरी, 2020 को और इसके बाद, यह कम-से-कम 40 प्रतिशत उपभोग पश्चात पुन:चक्रित सामग्री से बनाया जाएगा।

(C) यह इस राज्य में पुन:चक्रण योग्य होगा, तथा पुन:चक्रण हेतु स्टोर पर उपलब्ध पुन:चक्रण कार्यक्रम (अध्याय 5.1 (अनुभाग 42250 के साथ लागू)) के अधीन स्टोरों में लौटाने के लिए स्वीकार्य होगा।

(D) इसमें उप-खण्ड (a) के पैरा (4) के अनुसरण में बैग या टैग पर छापे जाने के लिए अपेक्षित सूचना के अलावा एक कथन शामिल होगा कि यह बैग आंशिक या पूर्ण रूप से उपभोग पश्चात पुन:चक्रित सामग्री से बनाया गया है तथा यथा स्वीकार्य रूप में उपभोग पश्चात पुन:चक्रित सामग्री की अंर्त-वस्तु के प्रतिशत का उल्लेख शामिल होगा।

(E) यह अमेरिकी परीक्षण एवं सामग्री सोसायटी (ASTM) के मानक D6988-13 के अनुसार मापे जाने पर कम-से-कम 125 उपयोगों के लिए 175 फीट की दूरी तक 22 पाउण्ड वजन ले जाने में समर्थ होगा तथा कम-से-कम 2.25 मिल्स मोटा होगा।

(2) प्लास्टिक की फिल्म से बनाया गया पुन:उपयोग योग्य किराने का बैग जो कम्पोस्ट करने योग्य प्लास्टिक D6400 हेतु अमेरिकी परीक्षण एवं सामग्री सोसायटी (ASTM) की अंतर्राष्ट्रीय मानक विशिष्टता की नवीनतम विशेषताओं को पूरा करता हो, से अपेक्षित नहीं है कि वह पैरा (1) के उप-पैरा (A) या (B) का अपेक्षाओं को पूरा करे, लेकिन कम्पोस्ट करने योग्य प्लास्टिक के संबंध में लागू राज्य के कानून के अनुसार इस पर लेबल लगाया जाएगा।

(c) उप-खण्ड (a) की अपेक्षाओं के अलावा, प्लास्टिक फिल्म से न बनाया गया तथा बुने या गैर-बुने नायलॉन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीथायलीन-टेरेफथेलेट, या टाइवेक सहित, लेकिन इन्हीं तक ही सीमित नहीं, किसी अन्य प्राकृतिक या सिंथेटिक फेब्रिक से बना पुन:उपयोग योग्य किराने का बैग निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करेगा:

(1) यह सिला हुआ हो।

(2) यह कम-से-कम 125 उपयोगों के लिए 175 फीट की दूरी तक 22 पाउण्ड वजन ले जाने के समर्थ हो।

(3) इसमें कम-से-कम 80 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के फेब्रिक का न्यूनतम वजन हो।

(d) 1 जुलाई, 2016 को और इसके बाद, अनुभाग 42280 के उप-खण्ड (g) के पैरा (3), (4) या (5) में यथा परिभाषित स्टोर इस भाग की अपेक्षाओं का पालन करेगा।

42281.5. 1 जुलाई, 2015 को और इसके बाद, प्लास्टिक की फिल्म से बने पुन:उपयोग योग्य बैगों का निर्माता इस राज्य में पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग की बिक्री या वितरण नहीं करेगा जब तक कि निर्माता अनुभाग 42282 के अनुसरण में तीसरे-पक्षकार की प्रमाणन कंपनी द्वारा प्रमाणित न हो। निर्माता यह प्रदर्शित करते हुए विभाग को प्रमाणन का साक्ष्य देगा कि निर्माता द्वारा निर्मित पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग इस अनुच्छेद के प्रावधानों का पालन करते हैं। प्रमाणन के साक्ष्य में निम्नलिखित सभी शामिल होंगे:

(a) उपभोग पश्चात पुन:चक्रित सामग्री के सभी स्रोतों तथा उपभोग पश्चात पुन:चक्रित सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं के नाम, स्थान, तथा संपर्क सूचना।

(b) पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग के निर्माता द्वारा उपभोग पश्चात पुन:चक्रित सामग्री की खरीदों की मात्रा और तारीखें।

(c) उपभोग पश्चात पुन:चक्रित सामग्रियों को हासिल कैसे किया जाता है।

(d) यह प्रदर्शित करने वाली सूचना कि उपभोग पश्चात पुन:चक्रित सामग्री धुलाई के उपयुक्त उपकरण के इस्तेमाल से साफ की जाती है।

42282. (a) 1 जुलाई, 2015 को या इससे पहले, विभाग राज्य में विनिर्मित, आयातित, बेचे या वितरित किए गए तथा बिक्री के स्थान पर बेचने या वितरण के लिए स्टोर को उपलब्ध कराए गए प्रत्येक प्रकार के पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग के लिए, जो इस अनुच्छेद की सभी लागू अपेक्षाओं को पूरा करता हो, झूठी गवाही के दण्ड के अधीन प्रस्तुत, तीसरे पक्षकार के प्रमाणन निकाय द्वारा किए गए प्रमाणन का साक्ष्य पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग के निर्माता से स्वीकार करेगा। प्रमाणन का साक्ष्य अनुभाग 42282.1 के अनुसरण में लागू प्रमाणन शुल्क के साथ होगा।

(b) पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग का निर्माता द्विवार्षिक आधार पर उप-खण्ड (a) में दिए वर्णन के अनुसार प्रमाणन का साक्ष्य विभाग को पुन:प्रस्तुत करेगा। पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग का निर्माता, विभाग को तीसरे पक्षकार की प्रमाणन कंपनी द्वारा कराए गए प्रमाणन का नवीनतम साक्ष्य उपलब्ध कराएगा, यदि पूर्व में प्रमाणित पुन:उपयोग योग्य बैग में कोई ऐसा सुधार किया जाए जो पूर्णता सुरुचिपूर्ण न हो। इस उप-खण्ड का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप तीसरे पक्षकार के प्रमाणन निकाय द्वारा कराए गए प्रमाणन के साक्ष्य के नवीनतम साक्ष्य के अभाव वाले पुन:उपयोग योग्य प्रत्येक बैग के लिए उप-खण्ड (e) के पैरा (1) और (2) के अनुसरण में विभाग की इंटरनेट वेबसाइट पर डाली गई संगत सूचना को हटा दिया जाएगा।

(c) तीसरे पक्षकार का प्रमाणन निकाय स्वतंत्र, मान्यता प्राप्त (ISO/IEC 17025) प्रयोगशाला होगा। तीसरे पक्षकार का प्रमाणन निकाय प्रमाणित करेगा कि निर्माता के पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग अनुभाग 44281 की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

(d) विभाग प्रमाणन के साक्ष्य ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए प्रणाली उपलब्ध कराएगा।

(e) 1 जुलाई, 2015 को और इसके बाद, विभाग अपनी इंटरनेट वेबसाइट पर एक सूची प्रकाशित करेगा जिसमें निम्नलिखित सभी शामिल होंगे:

(1) पुन:उपयोग योग्य किराने बैगों के प्रमाणित निर्माताओं का नाम, स्थान, तथा उपयुक्त संपर्क सूचना।

(2) उन निर्माताओं के पुन:उपयोग योग्य किराने बैग जिन्होंने अपेक्षित प्रमाणन उपलब्ध कराया हो।

(f) पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग का निर्माता लागू प्रमाणित परीक्षण के परिणाम विभाग के समक्ष यह पुष्टि करते हुए प्रस्तुत करेगा कि पुन:उपयोग योग्य किराने का बैग राज्य में विनिर्मित, आयातित, बेचे, या वितरित किए गए तथा बिक्री या वितरण के लिए स्टोर को उपलब्ध कराए गए प्रत्येक प्रकार के पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग के लिए इस अनुच्छेद की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

(1) कोई भी व्यक्ति पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग के निर्माता पर अधिकार-क्षेत्र रखने वाली काउंटी के वरिष्ठ न्यायालय में प्रमाणन की समीक्षा की कार्रवाई हेतु कार्रवाई दायर करके इस अनुभाग के अनुसरण में पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग के निर्माता के प्रमाणन पर आपत्ति कर सकता है। न्यायालय निर्धारित करेगा कि क्या पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग के निर्माता ने इस अनुच्छेद की अपेक्षाओं का पालन किया है।

(2) पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग के उस निर्माता जिसके प्रमाणन पर पैरा (1) के अनुसरण में आपत्ति की जा रही है, को न्यायालय के निर्धारण को लंबित रखते हुए इस अनुच्छेद का पालनकर्ता माना जाएगा।

(3) अपने निर्धारण के आधार पर, न्यायालय विभाग को निर्देश देगा कि वह पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग के निर्माता को उप-खण्ड (e) के अनुसरण में प्रकाशित अपनी सूची से हटा दे, या इस पर बनाए रखे।

(4) यदि न्यायालय विभाग को निर्देश देता है कि वह पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग के निर्माता को अपनी सूची से हटा दे, तो पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग का निर्माता न्यायालय के निर्धारण की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रकाशित सूची में नहीं रहेगा।

42282.1. (a) पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग का निर्माता अनुभाग 42281.5 और 42282 के अनुसरण में प्रमाणन या पुन:प्रमाणन का साक्ष्य प्रदान करते समय उप-खण्ड (b) के अनुसरण में तय शुल्क विभाग को देगा।

(b) विभाग एक ऐसी प्रशासनिक प्रमाणन शुल्क अनुसूची स्थापित करेगा जिससे इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए विभाग के उचित खर्चों को पूरा करने, न कि इससे अधिक के लिए पर्याप्त शुल्क राजस्व की उगाही होगी। विभाग इस अनुभाग के अनुसरण में प्रस्तुत सारी धनराशि को पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग की निधि में जमा करेगा, जो इसके द्वारा राज्य के खजाने में स्थापित की गई है। सरकारी संहिता की अनुभाग 11340 के होते हुए भी, निधि में जमा धनराशि का विनियोजन वित्तीय वर्ष से सरोकार रखे बिना इस अनुच्छेद को लागू करने के उद्देश्य से लगातार विभाग को किया जाता है।

अनुच्छेद 3. एक-बार इस्तेमाल किए जाने वाले कैरीआउट बैग

42283. (a) उप-खण्ड (e) में किए गए प्रावधान के सिवाए, 1 जुलाई, 2015 को और इसके बाद, अनुभाग 42280 के उप-खण्ड (g) के पैरा (1) या (2) में यथा परिभाषित स्टोर, बिक्री के स्थान पर ग्राहक को एक-बार इस्तेमाल किए जाने वाला कैरीआउट बैग नहीं देगा।

(b) (1) 1 जुलाई, 2015 को तथा इसके बाद, अनुभाग 42280 के उप-खण्ड (g) के पैरा (1) या (2) में यथा परिभाषित स्टोर, बिक्री के स्थान पर इस उप-खण्ड में किए गए प्रावधान के सिवाय पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग की बिक्री या वितरण नहीं करेगा।

(2) 1 जुलाई, 2015 को तथा इसके बाद, अनुभाग 42280 के उप-खण्ड (g) के पैरा (1) या (2) में यथा परिभाषित स्टोर, बिक्री के स्थान पर पुन:उपयोग योग्य किराने का ऐसा बैग खरीद के लिए उपलब्ध करा सकता है जो अनुभाग 42281 की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

(3) 1 जुलाई, 2015 को तथा इसके बाद, अनुभाग 42280 के उप-खण्ड (g) के पैरा (1) या (2) में यथा परिभाषित स्टोर, जो पैरा (2) के अनुसरण में पुन:उपयोग योग्य किराने का बैग खरीद के लिए उपलब्ध कराता है, पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग को दस सेन्ट ($0.10) से कम कीमत पर यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं बेचेगा कि पुन:उपयोग योग्य किराने का बैग उपलब्ध कराने के खर्च की भरपाई उस बैग की आवश्यकता न रखने वाले ग्राहक द्वारा न हो।

(c) (1) 1 जुलाई, 2015 को तथा इसके बाद, अनुभाग 42280 के उप-खण्ड (g) के पैरा (1) या (2) में यथा परिभाषित स्टोर, इस उप-खण्ड में किए गए प्रावधान के सिवाय पुन:चक्रित कागज़ का बैग नहीं बेचेगा या वितरित नहीं करेगा।

(2) अनुभाग 42280 के उप-खण्ड (g) के पैरा (1) या (2) में यथा परिभाषित स्टोर, पुन:चक्रित कागज़ का बैग खरीद के लिए उपलब्ध करा सकता है। 1 जुलाई, 2015 को तथा इसके बाद, स्टोर पुन:चक्रित कागज़ के बैग को दस सेन्ट ($0.10) से कम कीमत पर यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं बेचेगा कि पुन:चक्रित कागज़ का बैग उपलब्ध कराने के खर्च की भरपाई उस बैग की आवश्यकता न रखने वाले ग्राहक द्वारा न हो।

(d) किसी अन्य कानून के होते हुए भी, 1 जुलाई, 2015 और इसके बाद, अनुभाग 42280 के उप-खण्ड (g) के पैरा (1) या (2) में यथा परिभाषित स्टोर, जो बिक्री के स्थान पर पुन:उपयोग योग्य किराने का बैग या पुन:चक्रित कागज़ का बैग खरीद के लिए उपलब्ध कराता है, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता के खण्ड 106 के भाग 2 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 2 (अनुभाग 123275 के साथ लागू) के अनुसरण में महिलाओं, शिशुओं, और बच्चों हेतु California विशेष अनुपूरक खाद्य कार्यक्रम द्वारा जारी भुगतान कार्ड या वाउचर या कल्याण एवं संस्था संहिता की अनुभाग 10072 के अनुसरण में जारी इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतरण कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक को बिक्री के स्थान पर पुन:उपयोग योग्य किराने का बैग या पुन:चक्रित कागज़ का बैग मुफ्त उपलब्ध कराएगा।

(e) 1 जुलाई, 2015 को तथा इसके बाद, अनुभाग 42280 के उप-खण्ड (g) के पैरा (1) या (2) में यथा परिभाषित स्टोर, बिक्री के समय कम्पोस्ट करने योग्य खाद वाला बैग वितरित कर सकता है, यदि कम्पोस्ट करने योग्य खाद वाला बैग पैरा (2) के अनुसरण में उल्लिखित कीमत पर ग्राहक को दिया जाए, कम्पोस्ट करने योग्य बैग कम-से-कम परीक्षण एवं सामग्रियों हेतु अमेरिकी सोसायटी (ASTM) के कम्पोस्ट करने योग्य प्लास्टिक D6400 हेतु नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय मानक विशिष्टता को पूरा करता हो, तथा कम्पोस्ट करने योग्य बैग को बेचे जाने वाले अधिकार-क्षेत्र में तथा स्टोर के स्थित होने वाले स्थान के अधिकार-क्षेत्र में निम्नलिखित दोनों अपेक्षाएं पूरी होती हों:

(1) अधिकार-क्षेत्र के भीतर अधिकांश आवासीय परिवारों को कम्पोस्टिंग करने के लिए भोजन-अपशिष्ट के मार्ग के किनारे एकत्र किए जाने तक पहुँच प्राप्त हो।

(2) अधिकार-क्षेत्र वाले शासी प्राधिकारी ने अधिकार-क्षेत्र में स्टोरों को यह अनुमति देने का चुनाव किया हो कि ये स्टोर बिक्री के स्थान पर उपभोक्ताओं को कम्पोस्ट करने योग्य बैग, बैग की वास्तविक कीमत से कम कीमत पर नहीं बेचेंगे, जो विधानमंडल ने इसके द्वारा दस सेन्ट ($0.10) प्रति बैग तक नियत की है।

(f) अनुभाग 42280 के उप-खण्ड (g) के पैरा (1) या (2) में यथा परिभाषित स्टोर किसी उत्पाद की बिक्री की शर्त के रूप में किसी ग्राहक से अपेक्षा नहीं करेगा कि वह एक-बार इस्तेमाल वाले बैग, पुन:चक्रित कागज़ के बैग, कम्पोस्ट करने योग्य बैग, या पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग का प्रयोग करे, इसे खरीदे, या स्वीकार करे।

42283.5. 1 जुलाई, 2016 को तथा इसके बाद, अनुभाग 42280 के उप-खण्ड (g) के पैरा (3), (4), या (5) में यथा परिभाषित स्टोर, अनुभाग 42283 की उन्हीं अपेक्षाओं का पालन करेगा जो अनुभाग 42280 के उप-खण्ड (g) के पैरा (1) या (2) में यथा परिभाषित स्टोर पर लागू की गई हों।

42283.6. (a) अनुभाग 42280 के उप-खण्ड (g) के पैरा (1) या (2) में यथा परिभाषित स्टोर का प्रचालक जो बिक्री के स्थान पर पुन:चक्रित कागज़ के या पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग उपलब्ध कराता है, स्टोर के पुन:चक्रण कार्यक्रम (अध्याय 5.1 (अनुभाग 42250 के साथ लागू)) के प्रावधानों के अधीन होगा।

(b) अनुभाग 42280 के उप-खण्ड (g) के अनुसरण में इस अनुच्छेद के प्रावधानों का पालन करने के लिए स्वैच्छिक रूप से सहमत स्टोर, स्टोर के पुन:चक्रण कार्यक्रम (अध्याय 5.1 (अनुभाग 42250 के साथ लागू)) के प्रावधानों का पालन करेगा।

42283.7. इस अनुच्छेद के अनुसरण में एकत्र सारा धन स्टोर द्वारा रखा जाएगा तथा केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है:

(a) इस अनुच्छेद की अपेक्षाओं का पालन करने से जुड़े खर्च।

(b) पुन:चक्रित कागज़ के बैग या पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग उपलब्ध कराने के वास्तविक खर्च।

(c) पुन:उपयोग योग्य किराने के बैगों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने वाली स्टोर की शैक्षिक सामग्रियों या शैक्षिक अभियान से जुड़े खर्च।

42284. (a) इस अध्याय की अपेक्षाओं का पालन करने की विशेष रूप से अपेक्षा न किए जाने वाले खुदरा प्रतिष्ठान को एक-बार उपयोग वाले प्लास्टिक के वाहक बैगों के अपने वितरण में कमी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(b) अनुभाग 42280 के उप-खण्ड (g) के प्रावधानों के अनुसरण में, कोई खुदरा प्रतिष्ठान जो "स्टोर" नहीं है, और जो विभाग को उप-खण्ड (c) में यथा उल्लिखित अपरिवर्तनीय लिखित नोटिस देता है, वह इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए "स्टोर" के रूप में विनियमित किया जाएगा।

(c) अपरिवर्तनीय लिखित नोटिस पर खुदरा प्रतिष्ठान के अधिकृत प्रतिनिधि

67

द्वारा तारीख डाली जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे, तथा इसमें नोटिस द्वारा शामिल सभी खुदरा स्थलों के नाम और मूल पते शामिल होंगे। विभाग नोटिस की प्राप्ति की स्वीकृति लिखित में देगा और उस तारीख का उल्लेख करेगा जिस तारीख को खुदरा प्रतिष्ठान "स्टोर" के रूप में विनियमित किया जाएगा, जो विभाग की स्वीकृति की तारीख के 30 दिन बाद की तारीख होगी। विभाग काउंटी द्वारा तैयार अपनी इंटरनेट वेबसाइट पर प्रत्येक उस खुदरा प्रतिष्ठान का नाम और भौतिक स्थल या स्थलों को पोस्ट करेगा, जिसने "स्टोर" के रूप में विनियमित किए जाने का चयन किया है।

अनुच्छेद 4. लागूकरण

42285. (a) नगर, काउंटी, नगर और काउंटी, या राज्य किसी व्यक्ति या निकाय पर जिसने इस अध्याय का जानबूझकर उल्लंघन किया हो, या तर्कसंगत रूप से ज्ञात हो कि इसने इस अध्याय का उल्लंघन किया है, इस अध्याय के प्रथम उल्लंघन के लिए एक हजार डॉलर ($1,000) प्रति दिन, दूसरे उल्लंघन के लिए दो हजार डॉलर ($2,000) प्रति दिन, तथा तीसरे और बाद के उल्लंघनों के लिए पाँच हजार डॉलर ($5,000) प्रति दिन की राशि से सिविल देनदारी लगा सकता है।

(b) उप-खण्ड (a) के अनुसरण में एकत्र किए गए कोई भी सिविल जुर्माने नगर अटर्नी, नगर अभियोजक, जिला अटर्नी, या अटर्नी जनरल के कार्यालय, जो भी कार्यालय कार्रवाई करे, को अदा किए जाएंगे। अटर्नी जनरल द्वारा इस अनुभाग के अनुसरण में एकत्र जुर्माने इस अध्याय को लागू करने के लिए विधानमंडल द्वारा विनियोजन किए जाने पर अटर्नी जनरल द्वारा खर्च किए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 5. पूर्वक्रय अधिकार

42287. (a) उप-खण्ड (c) में किए गए प्रावधान के सिवाय, यह अध्याय राज्य-व्यापी हित और चिंता का मामला है तथा समस्त देश में समान रूप से लागू है। इसी के अनुसार, यह अध्याय इस अध्याय में यथा परिभाषित स्टोर द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले इस अध्याय में परिभाषित पुन:उपयोग योग्य किराने के बैगों, एक-बार उपयोग वाले वाहक बैगों, तथा पुन:चक्रित कागज़ के बैगों के विनियमन के संपूर्ण क्षेत्र को समाए हुए है।

(b) 1 जनवरी, 2015 को और इसके बाद, नगर, काउंटी, या अन्य स्थानीय सार्वजनिक एजेन्सी इस अध्याय द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत न किए जाने तक, इस अध्याय में यथा परिभाषित किसी स्टोर के विरुद्ध पुन:उपयोग योग्य किराने के बैगों, एक-बार उपयोग वाले वाहक बैगों, या पुन:चक्रित कागज़ के बैगों के संबंध में 1 सितम्बर, 2014 को या इसके बाद अंगीकार किए गए किसी अध्यादेश, संकल्प, विनियम, या नियम अथवा इसके किसी संशोधन को प्रवृत्त या अन्यथा लागू नहीं करेगी।

(c) (1) नगर, काउंटी, या अन्य स्थानीय सार्वजनिक एजेन्सी जिसने पुन:उपयोग योग्य किराने के बैगों, एक-बार उपयोग वाले वाहक बैगों, या पुन:चक्रित कागज़ के बैगों के संबंध में 1 सितम्बर, 2014 से पहले किसी अध्यादेश, संकल्प, विनियम, या नियम को अंगीकार किया हो, उस तारीख से पहले प्रभावी रहे उस अध्यादेश, संकल्प, विनियम, या नियम को प्रवृत्त और लागू रखना जारी रख सकती है। 1 जनवरी, 2015 को या इसके बाद उस अध्यादेश, संकल्प, विनियम, या नियम में कोई भी संशोधन उप-खण्ड (b) के अधीन होगा, सिवाय इसके कि नगर, काउंटी, या अन्य स्थानीय सार्वजनिक एजेन्सी उस राशि को बढ़ाने के लिए किसी अध्यादेश, संकल्प, विनियम, या नियम को अंगीकार कर सकती है या इसमें संशोधन कर सकती है जिस राशि का प्रभार कोई स्टोर पुन:चक्रित कागज़ के बैग, कम्पोस्ट करने योग्य बैग या पुन:उपयोग योग्य किराने के बैग के संबंध में अनुभाग 42283 में उल्लिखित राशि तक लगाएगा।

(2) पैरा (1) द्वारा शामिल न किया गया कोई नगर, काउंटी, या अन्य स्थानीय सार्वजनिक एजेन्सी जिसने 1 सितम्बर, 2014 से पहले एक-बार उपयोग वाले वाहक बैगों पर प्रतिबंध लगाने का इरादा व्यक्त करते हुए अध्यादेश या संकल्प का प्रथम पाठ पारित किया हो, तथा 1 जनवरी, 2015 से पहले एक-बार उपयोग वाले वाहक बैगों पर प्रतिबंध लगाने के अध्यादेश को अंगीकार करे, तो 1 जनवरी, 2015 से पहले प्रभावी अध्यादेश को प्रवृत्त और लागू रख सकती है।

अनुच्छेद 6. वित्तीय प्रावधान

42288.

[इस अनुभाग का उप-खण्ड (a) जनमत-संग्रह के अधीन नहीं है]

(b) यदि पुन:चक्रण बाजार विकास परिक्रामी ऋण उप-लेखा से वित्तपोषण के लिए पात्र आवेदक हों, तो विभाग निम्नलिखित दोनों के लिए ऋण की व्यवस्था करने के लिए इस अनुभाग के अनुसरण में विनियोजित निधियों को खर्च कर सकता है:

(1) एक-बार उपयोग वाले प्लास्टिक बैगों का विनिर्माण करने वाली मशीनरी और सुविधा-केन्द्रों का टिकाऊ पुन:उपयोग योग्य किराने के बैगों के विनिर्माता की मशीनरी और सुविधा-केन्द्रों में विकास और रूपांतरण जो कम-से-कम अनुभाग 42281 की अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

(2) पुन:उपयोग योग्य किराने के बैगों के विनिर्माता के लिए उपकरण का विकास जो कम-से-कम अनुभाग 42281 की अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

(c) इस अनुभाग द्वारा अधिकृत ऋण का प्राप्तकर्ता ऋण लेने की शर्त के रूप में पुन:उपयोग योग्य किराने के बैगों के विनिर्माण के लिए मौजूदा कर्मचारियों को रखेगा और पुन:प्रशिक्षित करेगा जो, कम-से-कम अनुभाग 42281 की अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

(d) इस अनुभाग के अनुसरण में विनियोजित कोई धनराशि जो वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत तक खर्च न की गई हो, अध्याय 1 के अनुच्छेद 3 (अनुभाग 42010 के साथ लागू) के अनुसरण में व्यय हेतु पुन:चक्रण बाजार विकास परिक्रामी ऋण उप-लेखा में चली जाएगी।

(e) इस अनुभाग के अंतर्गत वित्तपोषण के आवेदक अन्य आर्थिक विकास कार्यक्रमों से वित्त-पोषण या लाभों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जिनके वे निम्नलिखित दोनों सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, पात्र हो सकते हैं:

(1) आय-कर क्रेडिट, जैसा कि राजस्व एवं कराधान संहिता की अनुभाग 17059.2 और 23689 में वर्णित है।

(2) राजस्व एवं कराधान संहिता की अनुभाग 6377.1 के अनुसरण में कर में छूट।

अनुभाग 2. 1 मार्च, 2018 तक, विभाग सार्वजनिक संसाधन संहिता की अनुभाग 40507 के अनुसरण में अपनी रिपोर्टिंग की अपेक्षा के भाग के रूप में, सार्वजनिक संसाधन संहिता के खण्ड 30 के भाग 3 के अध्याय 5.3 (अनुभाग 42280 के साथ लागू) के लागू किए जाने के बारे में स्थिति की रिपोर्ट प्रदान करेगा।